सप्तम माला, 30 April 1982

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Eighth-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 47, शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1982/10 वैशाख, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 943 से 945 और 948 से 951	1-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 946, 947 और 952 से 963	31-40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10353 से 10475, 10477 से 10548, 10550 से 10587, 10587-क और 10587-ख	40-244
सभा पटल पर रखे गये पत्र	244—256
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति — 35वीं से 43वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	256
लोक लेखा समिति— पहली, दूसरी, सोलहवीं, उनतीसवीं, तीसवीं, छियालीसवीं और पैंसठवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश।	256
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति— कार्यवाही सारांश	256
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	256
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की गई कार्यवाही पर सरकार के अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण	257

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
विधेयकों पर अनुमति	257
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	257-258
लोक लेखा समिति—	
निन्यानवेवां, एक सौ एकवां, एक सौ दोवां, एक सौ तीनवां, एक सौ छवां एक सौ ग्यारहवां, एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	258
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
सैंतालीसवां, अडतालीसवां, उनचासवां, और पचासवां प्रतिवेदन	258—259
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	259
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1981—वापस लिया गया	259
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1982—पुरःस्थापित	259—260
व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	260
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982—पुरःस्थापित	260
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक 1982—पुरःस्थापित	260—261
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विधेयक, 1982	261—269
संयुक्त समिति में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	
नियम 377 के अधीन मामले	269—278
(एक) दहेज के कारण आत्महत्या के मामलों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज कराने की आवश्यकता	
श्री तारिक अनवर	269—270
(दो) आदिवासियों की "कोल" जाति को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जन-जातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग	270
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	

	विषय	पृष्ठ
(तीन)	वाराणसी में टेलीफोनों के कार्यकरण के बारे में शिकायतों को दूर करने में विलम्ब श्री जैनुल बशर	270—271
(चार)	दिल्ली में यमुना-पार की बस्तियों में लूट मार की घटनायें श्री एच० के० एल० भगत	271—272
(पाँच)	महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित धनराशियों को खर्च करने की जांच करने की मांग श्री के० टी० कोसलराम	272
(छः)	झारखंड तथा अन्य क्षेत्रों के कोयला खनिकों के कार्य करने की दशाओं को सुधारने के लिए उपाय करने की आवश्यकता श्री राजेश कुमार सिंह	272—273
(सात)	देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	273—274
(आठ)	मानव-निर्मित रेशे/धागे के बड़ी मात्रा में आयात को विनियमित करने की आवश्यकता श्री रतन सिंह राजदा	274—275
(नौ)	गैर-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों द्वारा एक ही साथ धरना दिये जाने के कारण उत्पन्न तनाव श्री दयाराम शाक्य	275
(दस)	नैपा मिल्स द्वारा उत्पादित अखबारी कागज के मूल्यों को लाभकारी बनाने तथा उसके पास जमा हो गये स्टाक को निपटाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता श्री उत्तम राठौर	275—276
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश में गेहूं के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने तथा व्यापारियों के स्टाक रखने की सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता श्री बी० डी० सिंह	276

	विषय	पृष्ठ
(बारह)	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में टेलीफोन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता श्रीमती ऊषा वर्मा	277
(तेरह)	महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बनों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	277—278
(चौदह)	नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की पुलिस द्वारा तलाशियां लिये जाने के कारण उनको होने वाली कठिनाईयां श्री भीखू राम जैन	278
बिहार तथा देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा		278
	प्रो० मधु दण्डवते	278—289
	श्री चन्द्र पाल शैलानी	289—293
	श्री समर मुखर्जी	293—298
	श्री भेरावदन के० गधावी	298—302
	श्री राम विलास पासवान	302—308
	श्री कुंवर राम	308—311
	श्री उत्तम राठौर	311—313
	श्री निहार रंजन लस्कर	314—317
	श्री सूरज भान	359—365
	श्री राम प्यारे पनिका	365—369
	डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	369—375
	श्री दिलीप सिंह भूरिया	375—377
	श्री सूर्य नारायण सिंह	377—380
	श्री सुन्दर सिंह	380—384

विषय	पृष्ठ
श्री चन्द्रजीत यादव	385—389
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी	389—390
श्री आर० एन० राकेश	390—394
श्री कैयूर भूषण	394—397
श्री बाबू लाल सोलंकी	397—398
श्री डी० पी० यादव	398—400
श्री जैल सिंह	400—410
ट्रिनीडाड तथा टौबागो के राष्ट्रपति का स्वागत	317
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
तेंतालीसवां प्रतिवेदन	319
विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) छावनी (संशोधन) विधेयक (धारा 13 आदि का संशोधन) श्री सूरज भान	319
(दो) न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि का संशोधन) श्री अजय विश्वास	319
(तीन) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 110 आदि का संशोधन) श्री रामनाथ दुबे	320
(चार) देवदासी और मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	320
(पांच) विवाह अनिवार्य पंजीकरण विधेयक श्रीमती विद्या चेन्नुपति	320

विषय	पृष्ठ
(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन) श्री सत्यगोपाल मिश्र	321
(सात) अपराधियों की निरर्हताएं हटाना विधेयक श्री विद्या चेन्नुपति	321
(आठ) समयोपरि भत्ता तथा उत्पादकता का सम्बन्ध विधेयक श्री अर्जुन सेठी	321
(नौ) उपभोक्ता शिकायत निपटान विधेयक डा० वसंत कुमार पंडित	322
(दस) पब्लिक स्कूल (उन्मूलन) विधेयक श्री राम विलास पासवान	322
(ग्यारह) कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक श्री सत्यगोपाल मिश्र	323
(बारह) परिवहन पार्सल सेवा कर्मकार कल्याण विधेयक श्री एम० एम० लारेंस	323
(तेरह) एक-परिवार एक-नौकरी मानदण्ड विधेयक श्री के० लकप्पा	357
दयामूत जीवन-अन्त विधेयक—वापस लिया गया	323
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री मूलचन्द डागा	323—328
श्री अजय विश्वास	328
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	328—329
श्री गिरधारी लास व्यास	329—331
श्री राजेश कुमार सिंह	331—333
श्री जैनल वशर	333—334

विषय	पृष्ठ
श्री उत्तम राठौर	334—335
श्री राम विलास पासवान	335—337
श्री बापू साहेब पसलेकर	337—339
श्री चन्द्रपाल शैलानी	339—341
श्री टी० नागरत्तनम	341—345
श्री भेरावदन के० गधावी	345—346
श्री केयूर भूषण	346—347
श्री हरीश कुमार गंगवार	348—349
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	349—350
श्री चतुर्भुज	350
श्री बी० शंकरानन्द	350
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक	357
(धारा 26 का संशोधन)	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री अटल विहारी वाजपेयी	357
असम राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	411
विचार करने का प्रस्ताव	411
श्री निहार रंजन लास्कर	411—415
श्री समर मुखर्जी	412
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	412—413
श्री इन्द्रजीत गुप्त	413—414

विषय	पृष्ठ
खण्ड 2, 3 तथा 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री निहार रंजन लास्कर	415
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश संशोधन) विधेयक—जारी	416—423
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव	416
श्री इन्द्रजीत गुप्त	416—421
श्री भागवत झा आजाद	419—422
खण्ड 2 से 9 तथा 1	
पास करने का प्रस्ताव	422
श्री भागवत झा आजाद	422

लोक-सभा

शुक्रवार, 30 अप्रैल 1982/10 वैशाख 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सेठी

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, यह सदन असमंजस में है कि सदन स्थगित हो रहा है या नहीं, हम लोगों को सूचना दिलवा दें क्योंकि हमें बाहर के प्रोग्राम बनाने होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने इन्फार्म कल ही कर दिया था।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*943. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पलट पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उड़ीसा राज्य में स्थापित उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक की अधिकृत पूंजी कितनी है;

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उस राज्य में कोई नए सरकारी उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (घ) अपेक्षित विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के चालू एकक हैं, उनकी सूची नीचे दी गई है। इन उद्यमों की अधिकृत पूंजी भी प्रत्येक के सामने दी गई है। निम्नलिखित सूचीबद्ध उद्यमों के अनेक कार्य उड़ीसा राज्य से बाहर किये जाते हैं। प्रत्येक राज्य में कार्यों के अनुसार प्रत्येक उद्यम की अधिकृत पूंजी को राज्यवार विभक्त नहीं किया जा सकता है।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	उड़ीसा स्थित एककों में कर्मचारियों की संख्या	कम्पनी की अधिकृत पूंजी (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	38,701	30,00,00
2.	हिन्दुस्तान कापर लि०	8	1,50,00

1	2	3	4
3.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	203	1,00,00
4.	इण्डियन रेअर अर्थ्स लि०	287	25,00
5.	मैंगनीज ओर इण्डिया लि०	434	6,00
6.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	107	1,50,00
7.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	6,965	1,50,00
8.	वेस्ट्रर्न कोलफील्ड्स लि०	7,309	3,50,00
9.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	18	25,00
10.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	21	20,75
11.	भारतीय तेल निगम लि०	105	1,50,00
12.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	1,437	8,00,00
13.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कामपोरेशन लि०	203	5,00,00
14.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०	8	4,00
15.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	6	2,00,00
16.	फेरो स्क्रेप निगम लि०	134	2,00
17.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	2	7,00
18.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०	3,493	60,00
19.	भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम लि०	14	10,00
20.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कं० लि०	133	2,00
21.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यु कं० लि०	5	1632
22.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (वेस्ट बंगाल असम, बिहार तथा उड़ीसा) लि०	788	30,00
23.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन लि०	1,115	4,50,00
24.	भारतीय खाद्य निगम लि०	1,480	4,50,00
25.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०	127	25,00
26.	मेटलर्जिकल इन्जीनियरिंग (कंसलटेंट्स) इण्डिया लि०	102	4,00
27.	जल तथा बिजली विकास परामर्शदायी सेवाएं	10	50
28.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०	94	30,00
29.	ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०	19	1,50,00

छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में उड़ीसा में 860 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उड़ीसा एल्यूमीनियम संकुल के कार्यनिष्पादन और विकास के लिए नेशनल एल्यूमीनियम कं० लि० नामक एक नया उपक्रम स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त पारादीप में फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र और एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा उड़ीसा में चालू उद्यमों के विस्तार विविधीकरण और नवीकरण आदि के रूप में और अधिक पूंजी लगाने का भी प्रस्ताव है।

श्री अर्जुन सेठी : यह सच है कि केन्द्र ने राज्य और वहां के निवासियों के समग्र आर्थिक विकास के लिए वर्षों से एक भारी राशि निवेश की है। अतः, क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने वहां के निवासियों के जीवन पर इसके प्रभाव की पुनरीक्षा की है ? यदि हां, तो यह कैसे हुआ कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग अधिकांशतः उड़ीसा से ही हैं ? तो कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ताकि वहां के लोगों का आर्थिक जीवन सुधर सके।

क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या विवरण में दिए गए यूनिटों के कार्यचालन की इसके लाभों और हानियों के संबंध में पुनरीक्षा की गई है ? यदि हां, तो वर्षों से हानि उठाने वाले यूनिट कौन से हैं और उनके कार्य चालन को सुधारने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

क्या यह भी सच है कि हाल ही में तालचर उर्वरक कारखाने को बन्द कर दिया गया है। इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य ने प्रश्न को तीन भागों में बांट दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकारी हैं। यदि वह प्रश्न को तीन भागों में बांट देते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह तीन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : परन्तु मुझे इसे तदनुसार बांटना पड़ेगा। मुझे सभी तीन भागों का उत्तर देना होगा।

जहां तक उड़ीसा क्षेत्र की पिछड़ी सामान्य स्थिति का प्रश्न है, उसे देखते हुए मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं कि इन परियोजनाओं का समूचे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परन्तु सभी स्थितियों—क्षेत्र के पिछड़ेपन, कच्चे माल की उपलब्धता और उस क्षेत्र की आवश्यकता—को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में उन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल निवेश 1039 करोड़ रुपये का है। यह देश में छठा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर इतनी बड़ी धन राशि निवेशित है। उद्यमों की कुल संख्या 29 है। इन सभी उद्यमों में 62,000 लोग नियोजित हैं। जहां तक वर्तमान आर्थिक स्थिति और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता का संबंध है, यह बहुत संगत प्रश्न है और सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सभी सरकारी उद्यमों में एक समूह के रूप में, उन्होंने 412.81 करोड़ रुपये का कुल अनुमानित शुद्ध लाभ कमाया है। ऐसा 1981-82 के दौरान 166 कम्पनियों के संबंध में है। यह पिछले वर्ष के

182 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि की स्थिति को पूरा करने वाला महत्वपूर्ण संकेत है। इसके अतिरिक्त लगाई गई कुल पूंजी के लाभप्रदता अनुपात में भी इसने 1981-82 में 7.80% से 11.71% का सुधार दिखाया है। लाभप्रदता का सुधार न केवल कुछ उत्पादों के मूल्य बढ़ाने से संभव हुआ है बल्कि ऐसा अनेक सरकारी उद्यमों के सुधरे हुए उत्पादन के कारण भी संभव हुआ है। कोयला, लिग्नाइट, इस्पात, कच्चे तेल, सीमेंट जैसे मूल कच्चे माल के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है और भारी इन्जीनियरिंग और उपस्करों के वाहन जैसी पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी सुधार हुआ है। इस्पात का 25%, कोयले का 11%, लिग्नाइट का 23% उत्पादन बढ़ा है और इंजीनियरिंग वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी काफी सुधार हुआ है।

तीसरे प्रश्न के संबंध में—तालचर परियोजना—तालचर उर्वरक संयंत्र कोयले पर आधारित है और अभी इसे अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करना है जिसका कारण वह नई तकनीक है जिसे पहली बार भारत में प्रयुक्त किया जा रहा है। कुछ प्रमुख समस्या है और उनका समाधान कर लिया जायेगा। 1981-82 में वाणिज्यिक उत्पादन की क्षमता 45,000 टन थी और नाइट्रोजन की क्षमता 22,800 टन प्रतिवर्ष है। निवेश लगभग 197 करोड़ रुपये है। जहां तक संशोधित लागत का संबंध है वह 223 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त वहां पर बिजली की समस्याएं भी हैं। इस संयंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि एक फास्फेट उर्वरक संयंत्र और एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मेरे विचार से, इनका स्थान दैतारी होगा न कि पारादीप। हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया था और माननीय इस्पात मंत्री ने घोषणा की थी कि यह पारादीप में नहीं होगा बल्कि दैतारी में होगा जहां पर एक नए स्थान का चयन कर लिया गया है। इसी तरह, क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि वे यूनिट कौन से हैं जिनका विस्तार किया जाना विचाराधीन है और वे कहां हैं जिनके विस्तार के के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ? कई प्रकार की अफवाहें हैं, विशेषकर उड़ीसा में, कि दैतारी में प्रस्तावित खास इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं की जायेगी या समय लेने के लिए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर जाएगा। यह एक प्रकार की अफवाह है जो वहां पर कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेठी, आप अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। अफवाहों को दबाया जाना चाहिए। उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे विचार से, दैतारी की जगह पारादीप जानबूझ कर कहा गया है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस प्रश्न के संबंध में कि फास्फेट उर्वरक संयंत्र और इस्पात संयंत्र पारादीप में लगाये जायेंगे या दैतारी में, यह सच है कि इन्हें उड़ीसा में इस जगह या उस जगह लगाया जाएगा।

जहां तक राष्ट्रीय अल्यूमीनियम कम्पनी लि.मिटेड का संबंध है, अल्यूमीनियम परिसर के कार्य चालन और विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की लागत से छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में पहले ही उड़ीसा में स्थापित किया जा चुका है। जहां तक विस्तार, विविधिकरण और पुनरुद्धार संबंधी दूसरे भाग का संबंध है इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

भारत-स्वीडन संयुक्त उद्यम

*944. **श्री केयूर भूषण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय भारत और स्वीडन के कुल कितने संयुक्त उद्यम चल रहे हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1957 तथा 1981 के बीच लगभग 130 भारत-स्वीडन सहयोग कार्यों की अनुमति प्रदान की गई है। अधिकतर अनुमोदन तकनीकी सहयोगों के लिए हैं किन्तु कुछ मामले वित्तीय भागीदारिता से भी सम्बन्धित हैं। इस समय चल रहे भारत-स्वीडन सहयोगात्मक कार्यों की संख्या के बारे में, जिन्हें उपर्युक्त अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया था, ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. किन्तु 1-1-1974 से प्रवृत्त होने वाले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क) के अन्तर्गत, जिन कम्पनियों के पास 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी शेयर हैं उनको भारत में अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत आवेदन करने वाले भारत-स्वीडन संयुक्त उद्यमों की संख्या तथा उनके नाम, उनमें विदेशी इक्विटी का वर्तमान स्तर तथा उनके कार्यकरण के क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी रिजर्व बैंक से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री केयूर भूषण : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें मैंने साफ पूछा था कि तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ब्यौरे का मतलब केवल आँकड़ों से नहीं था कि कितने स्वीकृत हुए हैं और किस क्षेत्र में हैं। मेरा साफ अभिप्राय यह था कि किन शर्तों पर स्वीडन से हमारा समझौता हुआ है ? स्वीडन हम से सहानुभूति रखने वाला देश है। जब उस के प्रधान मन्त्री ने भारत का दौरा किया था उस समय समाचार पत्रों में यह आया था कि वह बहुत उदारतापूर्वक शर्तों पर और जन-जीवन से सम्बन्धित उद्योगों में जैसे सामाजिक उपयोग की चीजों, वन-रोपण और ऊर्जा के सम्बन्ध में सहायता करेंगे और गरीबों और नीचे के तबके के लोगों को जिससे फायदा पहुंच

सके उस प्रकार की चीजें उससे बनाई जायेंगी । साथ ही साथ औद्योगिक माल और औद्योगिक सहायता दी जाएगी । यह मेरा जानने का अभिप्राय था कि वहाँ से बनी हुई चीजों की सहायता वह करेंगे या यहाँ उन चीजों के उत्पादन में वृद्धि में हमें सहयोग करेंगे ? इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य का प्रश्न काफी व्यापक है । 130 प्रोजेक्ट्स हैं इन्डो स्वीडिश कोलैबोरेशन के जिनका विवरण इस समय देना किसी प्रकार से भी उपयुक्त नहीं होगा । लेकिन जो सिद्धान्त के रूप में उन्होंने दो चीजें पूछी हैं उनका उत्तर मैं देना चाहता हूं । एक तो फारेन इन्वेस्टमेंट के बारे में कि किन शर्तों पर यहाँ स्वीडन से समझौते हुए हैं और उस के क्या कारण हैं, उसके बारे में मैं आपकी अनुमति से फारेन इन्वैस्टमेंट पालिसी के दो तीन महत्व-पूर्ण मुद्दे आप के सामने रखना चाहता हूं :

हमारी विदेशी निवेश नीति एक विशेष प्रकार की हो गई है और इसे इस प्रकार बनाया गया है कि यह निवेश का इन क्षेत्रों में सरणीकरण कर सके जिससे देश के आर्थिक विकास को तेज करने के हमारे प्रयासों को बल मिलेगा । इसलिए, हमप्र मुखतः उद्योगों में विदेशी निवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है या जहाँ गम्भीर उत्पादन अन्तराल है या जो हमारी निर्यात सम्भाव्यता को विस्तार देगी । विदेशी निवेश को हम पूंजी एकत्र करने के उपाय की अपेक्षा अपेक्षित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का साधन मानते हैं । हम ऐसी प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक या अल्पावधि रायल्टी या लाइसेंसिंग प्रबंध पर खरीदने को वरीयता देंगे । जहाँ पर इक्विटी के माध्यम से विदेशी निवेश अपरिहार्य हो जाता है ऐसी विदेशी भागीदारिता को अल्पसंख्यक आधार, 40 प्रतिशत से अधिक नहीं, पर लेने को वरीयता देते हैं ।

इस सम्बन्ध में सरकार की यह वर्तमान नीति है । ये परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में स्थित हों या नहीं । परियोजनाओं को स्थापित करने का निर्णय लेने से पूर्व कच्चे माल की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार किया जाता है ।

श्री केयूर भूषण : औद्योगिक माल तैयार करके वह दे रहे हैं या औद्योगिक माल तैयार करने में उनकी सहाया होगी ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैंने माननीय सदस्य से पहले निवेदन किया है कि हमारा विदेशों के साथ में जो कोलैबोरेशन होता है उसके दो प्रकार के हिस्से हैं ।

पहला यह है कि टैक्निकल कोलैबोरेशन जिसमें उनकी टेकनालाजी का लाभ लेकर के अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने में सहायता लेना, अपने देश में जिन चीजों को नहीं बनाया जाता उनको बनाना और उनको बनाकर एक्सपोर्ट करना और दूसरा यह कि जो उनकी ऐसी वस्तुएं हों जिनका प्रोडक्शन हमारे यहाँ शुरू किया जा सके और वह भी हमारे आर्थिक उत्थान की दृष्टि से हमारे लिए लाभकर हों, तभी उसकी अनुमति दी जाती है ।

पोलिएस्टर फिलामेंट का आयात

*945. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिएस्टर फिलामेंट के आयात के लिए वर्ष 1972-73 में 'हाई यूनिट वैल्यू स्कीम' नामक एक विशेष योजना लागू की गई थी;

(ख) क्या नाइलोन मिश्रित कपड़ों के निर्यात पर इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ति लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ग) क्या यह योजना आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तक (लाल पुस्तक) में प्रकाशित की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1982 तक इस योजना से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1 जनवरी, 1971 से निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में नायलन के स्थान पर पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के आयात की व्यवस्था करके उच्च इकाई मूल्य वाले नायलन माल के निर्यातों के सम्वर्धन के लिए एक स्कीम तैयार की गई । यह स्कीम 1972-73 के दौरान भी जारी रही ।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत नायलन के स्थान पर पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के आयात की अनुमति मिश्रित फैब्रिक्स सहित कतिपय विनिर्दिष्ट नायलन माल के निर्यात के आधार पर दी गई थी ।

(ग) तथा (घ) स्कीम सभी निर्यात संवर्धन परिषदों / वस्तु बोर्डों, आयात लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और उन अन्य सम्बद्धों को परिचालित की गई जिन्हें इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझा गया ।

(ङ) स्कीम इस अवधि के दौरान लागू नहीं थी ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं इस योजना के अन्तर्गत आयात की कुल कीमत, इस योजना से लाभान्वित लोगों की संख्या और उनके नाम जानना चाहता हूं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : कुल निर्यात इस प्रकार है :

निर्यात

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1972-73	3.39
1973-74	5.20
1974-75	6.51

कुल आयात इस प्रकार हैं :

आयात

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1974-75	3.20
1975-76	3.60

इससे लगभग 36 उद्योगों को लाभ पहुँचा है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पश्चिमी देश हमारे देश से कृत्रिम रेशे के आयात को सामान्यतया हतोत्साहित करते हैं और केवल शुद्ध सूती फैब्रिक्स को ही वरीयता देते हैं, पश्चिमी देशों को कृत्रिम रेशे के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि उनकी सूती कपड़े लेने में रुचि है तो हम सूती कपड़ा ही निर्यात करेंगे ।

यदि वे कृत्रिम रेशे से बने कपड़े लेने में रुचि दिखाते हैं···

व्यवधान

एक माननीय सदस्य : निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : पोलियेस्टर फिलामिंट आयात करने की एक योजना थी और नायलोन मिश्रित कपड़ों का निर्यात करने के लिए नए सिरे से लाइसेंस देने की भी योजना थी ।

पश्चिमी देश कृत्रिम रेशे के कपड़े के आयात को प्रोत्साहन नहीं देते हैं ।

कृत्रिम रेशे के कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम इस कृत्रिम रेशे के कपड़े का दो उद्देश्यों से आयात कर रहे हैं अर्थात स्थानीय मांग पूरी करने के लिए और निर्यात के लिए भी ।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कृत्रिम रेशे के कपड़ों का निर्यात करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है । इस उद्देश्य के लिए, हमें अन्य देशों में इस प्रकार के कपड़े के उपभोक्ताओं की संभावनाओं का पता लगाना होगा । जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, हमें प्रतियोगी कपड़े का उत्पादन करना होगा और इन चीजों को उन लोगों को दिखाना होगा और इन कपड़ों को खरीदवाना होगा ।

हमें सूती कपड़े और मिश्रित कपड़े, दोनों का विदेशों की क्रमिक आवश्यकता और अपेक्षाओं के आधार पर निर्यात करना होगा । अतः, इस प्रश्न का एक बहुत स्पष्ट ढंग से उत्तर देना संभव नहीं है ।

यदि विदेशों में इसकी कोई मांग नहीं है और यहां पर मांग है, तो हम अप ताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन करते हैं।

यदि विदेशों में इसकी मांग है, तो हम निर्यात की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन करते हैं।

यदि मांग पैदा की जा सकती है, हम मांग पैदा करने के लिए भी कदम उठाते हैं और फिर हम विदेशों को निर्यात करते हैं।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ने 1979 से फिलामेंट पोलिएस्टर यार्न तैयार करने के लिए एक कारखाना बनाने की इजाजत देने की मांग कर रखी है लेकिन इतने समय के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और विदेशों से उसका आयात किया जा रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इस कारखाने की मंजूरी दे दी जायेगी ताकि आयात को बन्द किया जा सके ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार की पालिसी ऐसी है कि जहां तक हो सके, देश में जिन चीजों की जरूरत है उनको यहीं पर बनाया जाए और उसके लिए अगर कोई चीज बाहर से लेनी होती है तो जेनरली उसको लेने की पर्मीशन हम देते हैं। माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछा है। इस सम्बन्ध में सारे मालूमात लिए बगैर इसका उत्तर देना असुविधाजनक होगा। यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा।

*948. **राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार**

*945. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजस्थान राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक कों बैंको कम बैंक वाले सामुदायिक विकास प्रखण्डों में 7540 अतिरिक्त शाखाएं खोलनी होंगी जिससे कि 1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों के लिए इनकी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन (1981 की जनगणना के आधार पर) ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या व्याप्ति 17000 लोगों के वास्ते एक बैंक शाखा हो जाए। इसके अलावा, इनकी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर वेहतर बैंकिंग व्याप्ति वाले क्षेत्रों में 808 के करीब शाखाओं की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

नयी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, रिजर्व बैंक ने राजस्थान में 392 और अतिरिक्त ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाएं खोलने के लिए एक अस्थाई कार्यक्रम की सूचना दी है। इनमें से, 379 कार्यालय ऐसे 24 जिलों में खोले जाने की सम्भावना है, जिनमें बैंकिंग व्याप्ति निर्धारित मापदण्ड की तुलना में काफी कम है।

रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला परामर्शदात्री समितियों से परामर्श करके ग्रामीण तथा अर्ध शहरी स्थानों पर शाखाएं खोलने के वास्ते सिफारिश करें। यह प्रक्रिया चल रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बतलाया है कि रिजर्व बैंक 17 हजार जनसंख्या पर एक ब्रान्च रूरल/सेमि अर्बन एरियाज में खोलेगा। मैं जानना चाहता हूं—राजस्थान प्रान्त में कितनी जनसंख्या पर इस समय एक ब्रान्च है और 17 हजार जनसंख्या पर ब्रान्च कब तक स्थापित कर दी जायेगी तथा इसके लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : राजस्थान में, वर्ष 1969 में लगभग 369 ब्रांचें थीं तथा एक ब्रांच के हिस्से में 69,000 जनसंख्या आती थी और आज राजस्थान में, जो नवीनतम आंकड़े हैं, उनके अनुसार कुल 1,737 ब्रांचे हैं और इस तरह एक ब्रांच के हिस्से में औसतन 20,000 जनसंख्या पड़ती है। सरकार की नीति यह है—जो रिजर्व बैंक की भी नीति है—कि ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या व्याप्ति 17000 लोगों के वास्ते एक बैंक-शाखा हो जाये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, 1982-83 तथा 1983-84 में कितनी ब्रांचेंज राजस्थान प्रान्त के विभिन्न जिलों में खोले जाने का कार्यक्रम है। केन्द्रीय सरकार सबसे बड़े तथा पिछड़े बाड़मेर जिले में, जहाँ सबसे कम शाखायें हैं, रूरल कामिर्शियल बैंक खोलने में क्या विशेष प्राथमिकता देगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहाँ तक राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है, हम बारह जिलों में छ. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहले ही खोल चुके हैं, और अब पाँच और जिलों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिये चुना गया है। ये पाँच जिले उदयपुर, चित्तौरगढ़, भीलवाड़ा कोटा और झालावाड़ हैं। रिजर्व बैंक बाड़मेर जिले में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के बारे में विचार कर रहा है और जोधपुर जिला इसमें सम्मिलित है।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े जिलों में बैंक खोलने के कार्यक्रम का मैं स्वागत करता हूं लेकिन राजस्थान तो सम्पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है—केन्द्र ने राज्यों में जो जिले पिछड़े हुये घोषित किये हैं, उस योजना के अन्तर्गत झालावाड़ जिला पिछड़े जिलों में आता है या नहीं आता है तथा उस क्षेत्र में आप 1982-83 में कितने बैंक शाखायें खोलने जा रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, झालावाड़ का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिये चयन कर लिया गया है। मैंने यह भी बताया है कि राजस्थान में लगभग 259 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखायें विद्यमान हैं।

गैस-युक्त पेय के छोटे निर्माताओं के लिए उपबन्ध

*949. **श्री रतन सिंह राजदा :**

श्री आर. एन. राकेश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे निर्माताओं के लिये हाल में हुये सुविधा सम्बन्धी उस संशोधन को ध्यान में रखते हुये, जिससे गैस युक्त पेय के छोटे निर्माताओं के लिये एक विशेष उपबन्ध किया गया है, देश भर में प्रसिद्ध ब्रांड बनाने वाले ऐसे छोटे निर्माता को, जिसने अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दिया है, उत्पादशुल्क से छूट दी जाएगी; और

(ख) यदि नहीं, तो छोटे निर्माताओं द्वारा छूट प्राप्त किये जाने के लिये क्या उपबन्ध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) तथा (ख) : एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

वर्ष 1982 के बजट से पूर्व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं. 1-घ के तहत आने वाले वातित जल "आम लघु छूट योजना" में समाविष्ट थे। बजट में किये गये परिवर्तनों के अंग-रूप में वातित जल को आम योजना के दायरे से बाहर रखा गया था और 28 फरवरी 1982 से एक नई योजना लागू की गई थी। नई योजना में 22-4-1982 से संशोधन किया गया है। संशोधित योजना वातित जल के ऐसे निर्माताओं पर लागू होती है जिनके सभी शुल्य माल की निकासी 20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो और जिनकी वातित जल की निकासी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 15 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। ऐसे निर्माता 50 प्रतिशत शुल्क की घटौती का दावा ऐसे वातित जल के बारे में कर सकते हैं जिसकी बिक्री किसी ट्रेड मार्क/ब्रांड नाम में की गई हो और जिसकी सम्मिलित निकासी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में एक अथवा एक से अधिक निर्माताओं से सम्बन्धित सभी कारखानों से 15 लाख रु० से अधिक थी। अन्य वातित जलों के बारे में, लघु निर्माताओं को छूट देने के मामले में कोई परिवर्तन न तो बजट के समय ही किया गया और न ही 22 अप्रैल 1982 को। इसलिए, वातित जल के जिस लघु निर्माता के सभी उत्पादन शुल्य माल की निकासी 20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो और जिसके वातित जल की निकासी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 15 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, यदि ऐसा निर्माता अपने स्वयं के ब्रांड-नाम में वातित जल का निर्माण करना शुरू कर दे तो वह 7.5 लाख रुपये मूल्य तक के वातित जल की निकासी बिना शुल्क अदा किये कर सकता है और वह चालू वित्त वर्ष में 7.5 लाख रुपये और 15 लाख रुपए के बीचकी निकासियों पर देय सामान्य शुल्क की 25 प्रतिशत की सीमा तक शुल्क की घटौती का लाभ उठा सकता है।

क्या सरकार के अत्याधिक समीप के लोगों की ओर से सरकार पर डाले गये दबाव, बहुत ज्यादा दबाव के कारण यह बात बताई गई है और आपने उत्पादन शुल्क में यह कमी की है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गई इस बात से इन्कार करता हूं कि हमने दबाव में आकर ऐसा किया है। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी दबाव आदि का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने सदैव व्यापक दृष्टिकोण रखा है और यदि ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जो जनहित में हों···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे अभ्यावेदन किसने भेजे हैं ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : बजट में किए गए परिवर्तन के विरुद्ध वातित जल के निर्माताओं की ओर से हमें अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अतः इस संशोधन की घोषणा की गई और इसमें दबाव आदि का कोई सवाल नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा : तथ्य यह है कि जब माननीय मन्त्री जी उत्तर दे रहे थे, तब श्री धर्मदास शास्त्री जी ने ताली बजाना शुरू कर दिया—मैं उसकी प्रशंसा कर सकता हूं। हम निष्कर्ष निकालना जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका उनसे कोई खास प्रेम हो सकता है।

श्री रतन सिंह राजदा : नहीं, महोदय, मैं किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख नहीं करूंगा। अन्यथा आप मुझे अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहाँ आपकी सुरक्षा के लिये भी हूं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य श्री धर्म दास शास्त्री की ओर देख रहे थे, लेकिन मैं उनकी तरफ देख रहा था।

श्री रतन सिंह राजदा : मेरा ध्यान उनकी तरफ था, यह नोट करने के लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदा, आप भी देख लें कि आज वे बड़े स्मार्ट लग रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : माननीय मन्त्री जी मेरे अच्छे दोस्त हैं।

अब मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि वातित जल के बड़े-निर्माताओं की कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं—मैं किसी विशेष फर्म का नाम नहीं लूंगा—जिन्होंने सरकार के कितने ही नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है।

मेरा प्रश्न वातित जल निर्माताओं, बड़ी-बड़ी कम्पनियों पर लगे उत्पादन-शुल्क के बारे में है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वातित जल पर उत्पादन-शुल्क इसलिये लगाया, कि शीतल पेय बनाने वाले बड़े-बड़े निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर लगभग 5 करोड़ रुपये के करों का अपवंचन किया जाता था। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया है कि यह उत्पादन-शुल्क इसलिये लगाया गया था कि वातित जल के लोकप्रिय ब्रांडों पर उत्पादन शुल्क बचाने की दृष्टि से इस योजना का दुरुपयोग हो रहा था।

सरकार ने उत्पादन-शुल्क लगाने का औचित्य और कारण बताये हैं। अब उसमें राहत प्रदान कर दी गई है। अतः मैं यह पूछता हूं कि क्या इसके पीछे यह कारण था कि आपके मंत्रालय पर अत्याधिक दबाव डाला गया, क्योंकि एक *···इससे सम्बन्धित और अत्याधिक प्रभावित है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं महोदय, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसका यहाँ कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा : यह कैसे सम्बन्धित है, मैं आपको बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रश्न पूछें, जो मूल प्रश्न से सम्बन्धित हो।

श्री रतन सिंह राजदा : मेरा आधार अत्याधिक ठोस है। आप द्वारा मना किया जाना एक अत्यधिक अजीब बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय।

श्री रतन सिंह राजदा : प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा प्रश्न पूछें, जो सम्बद्ध हो।

श्री रतन सिंह राजदा : सरकार ने इसके अब कारण दिये हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कारण दिये थे···

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए। आप आक्षेप क्यों कर रहे हैं।
सीधा-सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं अन्तिम व्यक्ति होऊँगा···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो नियम 353 के अन्तर्गत कार्यवाही करें। मैं इस बात की यहां अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रतन सिंह राजदा : यदि मेरा आधार ठोस नहीं होता, तो मैं ऐसा नहीं करता। आप जानते हैं कि मैं हमेशा सदन में उच्च मर्यादा बनाये रखता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया वह बनाये रखें।

श्री रतन सिंह राजदा : यह समाचार है···

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ समाचार-पत्रों में कहा गया है, वही अन्तिम बात नहीं हो सकती।

श्री रतन सिंह राजदा : तमाम दुनिया जानती है। एक**···इससे सम्बन्धित हैं। लेकिन यदि आप यहाँ इसकी अनुमति नहीं देंगे, तो मैं इसे दूसरे ढंग से प्रस्तुत करूँगा। मैं इसे प्रतिपा-

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दित करूँगा । लोक लेखा समिति तक की भी ये निन्दात्मक टिप्पणियाँ थीं कि उन्होंने रुपये भुगतान के लाइसेंस से पश्चिम जर्मनी से मशीनों का आयात किया था···

अध्यक्ष महोदय : यह बात यहाँ कैसे पैदा हुई ?

श्री रतन सिंह राजदा : अच्छा, महोदय, बात ये है । जब वे दोषी हैं और उन्होंने वित्तीय संस्थाओं को ऋणों का भुगतान नहीं किया है और जब ये फर्में सम्बन्धित हैं, तो क्या सरकार केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से इनकी जाँच कराएगी और उन्हें उत्पादन शुल्क की कमी का लाभ नहीं मिलने देगी ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस प्रश्न पर संसद के दोनों सदनों में वाद-विवाद हो चुका है और इस सम्बन्ध में अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं । यह मामला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा विभाग के अन्य अर्ध-न्यायायिक संगठनों के समक्ष विचाराधीन है ।

अत: यह प्रश्न उपयुक्त नहीं है । यदि किसी पार्टी के बारे में कोई विशेष प्रश्न है और यदि मुझे उचित नोटिस दिया जाता है तो मैं उसका उत्तर देने में समर्थ होऊँगा ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, एयरेटेड वाटर चाहे कैंपा कोला हो, चाहे लिमका हो, इन सबके रेट ओपन मार्केट में अलग-अलग हैं । कहीं 1.25 रुपये है, कहीं 1.30 रुपये है और बड़े-बड़े होटलों में 3 रुपये है और यह तो एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्ट की गई है, इससे आम आदमी को लाभ नहीं हो रहा है । क्या यह सच है कि दो बड़े घरानों के बीच झगड़ा चल रहा है और उनमें से किसी एक का गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा है और सरकार ने अपनी नीति बदली है ?

अध्यक्ष महोदय : इस उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : श्री राजदा के प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर चुका हूं कि गवर्नमेंट किसी भी प्रेशर के सामने झुक नहीं सकती । आप अपने मन से यह भावना बिल्कुल निकाल दें । किसी भी प्रश्न में पब्लिक इन्टरेस्ट को सबसे पहले देखा जाता है ।

श्री आर० एन० राकेश : पब्लिक को तो फायदा नहीं हो रहा है ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : कानूनी स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यदि वातित जल का कोई वैध लघु निर्माता (जो निर्धारित सीमा के भीतर माल की निकासी करता है) राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड का निर्माण करना जारी रखता है, तो वह अपनी 15 लाख रुपये की प्रथम निकासी पर 50% शुल्क की कमी का लाभ उठा सकता है, लेकिन यदि ऐसा निर्माता अपने स्वयं के ब्रांड-नाम में वातित जल का निर्माण करना शुरू कर दे तो वह 7.5 लाख रुपये मूल्य

तक के वार्षित जल की निकासी बिना शुल्क अदा किये कर सकता है और वह वर्ष में 7.5 लाख रुपये और 15 लाख रुपये के बीच की निकासियों पर देय सामान्य शुल्क की 25 प्रतिशत की सीमा तक शुल्क की कमी का लाभ उठा सकता है।

प्रतिबन्धित वस्तुओं की तस्करी में अन्तर्ग्रस्त एयर इंडिया के कर्मचारी

***950. श्री राम विलास पासवान :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी में एयर इण्डिया के कर्मचारियों के सक्रिय रूप से भाग लेने में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गत पाँच वर्षों के दौरान तस्करी के ऐसे कितने मामलों का पता लगा है जिनमें एयर इण्डिया के कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त पाये गये और उनका कार्य करने का ढंग क्या है;

(ग) सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उनकी तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) गत पाँच वर्षों के दौरान तस्करी की गतिविधियों के लिये पकड़े गये एयर इण्डिया के कर्मचारियों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

जहाँ तक इन व्यक्तियों की कार्य प्रणाली का संबंध है, वे नाना प्रकार की हैं; एयरलाइन्स के कर्मचारी होने के नाते, वे हवाई अड्डे की औपचारिकताओं, विशेषतः सीमा शुल्क सम्बन्धी जांच के बारे में, से परिचित हैं तथा वे निषिध वस्तुओं को सीमा शुल्क जाँच घोषणा से बचा कर लाने का प्रयत्न करते हैं।

(घ) पकड़े गये व्यक्तियों को एयर इण्डिया कर्मचारी सेवा विनियमों के अनुसार निवारक सजा दी जाती है।

विवरण

एयर इण्डिया के उन कर्मचारियों के नाम, जो 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान तस्करी के कामों में अंतग्रस्त रहे हैं तथा जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

वर्ष	क्र० सं०	नाम/पदनाम	लगाए गए आरोपों का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1977-78	1.	कुमारी जी० बेर्निनी, यूरोपियन विमान परिचारिका	जिपों की तस्करी	15 जुलाई, 1978 से निगम की सेवा से त्यागपत्र दे दिया।
	2.	श्री डी० आर० देशपांडे, सहायक स्टेशन निरीक्षक	फिल्मों की कथित तस्करी के संबंधों में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 27.7.77 को गिरफ्तार किया गया। अपर सीमा शुल्क समाहर्ता (निवारण) ने 5000/-रुपये की व्यक्तिगत पेनल्टी लगाई।	1.7.78 से दो वर्ष की अवधि के लिए कम वेतन वाले पद पर पदावनत करने की सजा दी गई।
	3.	श्री एस०के० निन्गोरानी, ट्रैफिक सुपरवाइजर	फिल्मों की कथित तस्करी के संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 27.7.77 को गिरफ्तार किया गया। अपर सीमा-शुल्क समाहर्ता (निवारण) ने 5000/-रुपये की व्यक्तिगत पेनल्टी लगाई।	1.7.1979 से दो वर्ष की अवधि के लिए कम वेतन वाले पद पर पदानवत करने की सजा दी गई।
1978-79	4.	श्री डी० पी०गोरेगंवकर, वाणिज्यिक क्लर्क	तस्करी का प्रयत्न करने के संबन्ध में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 21 मई, 1977 को गिरफ्तार किया गया। अपर सीमा-शुल्क समाहर्ता ने 25,000/-रुपये की व्यक्तिगत पेनल्टी लगाई।	उसे निगम की सेवा से हटा देने की सजा दी गई। दिनांक 21.5.1980.

1	2	3	4	5
	5.	श्री एस० के० सरपोद्दार, यातायात सहायक	तस्करी करने के संबंध में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। अपर सीमा-शुल्क समाहर्ता ने 20,000/-रुपये की व्यक्तिगत पेनल्टी लगाई।	27 जुलाई, 1978 से निगम की सेवा से हटा दिया गया।
	6.	श्री आर० के० कैलाश, यातायात सहायक	तस्करी करने के शक में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 30.1.79 को गिरफ्तार किया गया।	2.4.1981 से निगम की सेवा से हटा दिया गया।
	7.	श्री एच० एस० सुवर्ना, यातायात सहायक	कथित तस्करी के सम्बन्ध में धारा 104 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 3.2.79 को गिरफ्तार किया गया।	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई फौजदारी की कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटान होने तक 12.4.79 से निलम्बित कर दिया गया।
	8.	श्री एस० डी० सक्पाल, यातायात सहायक	कथित तस्करी के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 3.2.79 को गिरफ्तार किया गया।	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई फौजदारी की कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटान होने तक 12.4.79 से निलम्बित कर दिया गया।
	9.	श्री चन्द्र प्रकाश, यातायात सहायक	घड़ियों की तस्करी करने के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 13.3.1979 को गिरफ्तार किया गया।	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई फौजदारी की कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटान होने तक 30.3.79 से निलम्बित कर दिया गया।

1	2	3	4	5
[1978-79 जारी]				
	10.	श्री ए० एच० रेलवानी, दिक्चालक	श्री रेलवानी ने 16.9.1978 को बगदाद/कुवैत/बम्बई सैक्टर पर उड़ान सं० ए० आई० 870 का परिचालन किया और उसे हाथ के सामान के साथ, जिसमें व्हीस्की की 9 बोतलें थीं, कुवैत विमानक्षेत्र पर पकड़ लिया गया। उसे गिरफ्तार करके कुवैत में हवालात में बन्द कर दिया गया तथा 19.9.1978 को स्थानीय गारन्टी प्राप्त हो जाने पर रिहा कर दिया गया।	2.4.1979 से दो वर्ष की अवधि के लिए वेतन में एक वेतन-वृद्धि कम करने की सजा दी गई।
	11.	श्री एस० के० आनन्द, सीनियर फ्लाइंग डिस्पेच मैनेजर	श्री आनन्द को 16.9.78 को श्री ए० एच० रेलवानी के साथ कुवैत सुरक्षा सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा 19.9.1978 को जमानत पर रिहा किया गया।	3.7.1979 को जांच समिति ने दोष-मुक्त कर दिया तथा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
	12.	श्री एस०जी०एच० जैदी, तकनीकी प्रशिक्षक	श्री जैदी ने 26.9.78 को सांताक्रुज आने वाली उड़ान सं० ए० आई० 303 का परिचालन किया। सीमा-शुल्क अधिकारियों ने (जूतों में छुपाये हुये) भारतीय मुद्रा में 2552/-रुपये, एक सीको हाथ की घड़ी, दो पीले रंग के मैटल स्पैक्टेकल चैन प्राप्त की।	16.12.1968 से दो वर्ष की अवधि के लिए वेतन में दो वेतन वृद्धियों की कमी करने की सजा दी गई।

1	2	3	4	5
	13.	श्री के० पी० सूरी, दिक्चालक	27-9-1978 को श्री सूरी ने हांग कांग/बम्बई सैक्टर पर उड़ान सं० ए० आई० 305 का परिचालन किया तथा सांताक्रुज हवाई अड्डे पर पहुंचा। उसे सीमा-शुल्क अधिकारियों ने पकड़ लिया चूंक उन्होंने उसके सामान में एक लाख रुपये की कीमत का विदेश में बना प्वाइंट टिपिंग सामान पकड़ा जिसके बारे में उसने कर्मीदल घोषणा फार्म में घोषणा नहीं की थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया।	कर्मचारी को मुअतिल कर दिया गया है तथा 7/8 नवम्बर, 1979 से निगम की सेवा से हटा दिया गया।
	14.	कैप्टन एस० आर० पैडगांवकर, कैप्टन	24 अक्तूबर, 1978 को कैप्टन पैडगांवकर ने त्रिवेन्द्रम/दुबई/बम्बई सैक्टर पर उड़ान सं० ए० आई-862 का परिचालन किया तथा सांताक्रुज हवाई अड्डे पर आ गया। उसके पास 70 ग्राम वजन के 6020/- रुपये मूल्य सोने के बिस्कुट पाये गये तथा उसे सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ लिया तथा 25-10-78 को जमानत पर रिहा किया।	11-1-75 से निगम की सेवा से हटा दिया गया। 7-7-1980 से सिम्युलेटर परिचालक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।
	15.	श्री कमलजीत सिंह, चड्ढा, सहायक फलाइट पर्सर	5 जून, 1978 को निषिधा माल की तस्करी करते हुए पकड़ा गया तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अदालत द्वारा 9 माह की सख्त सजा तथा 7500/- रुपये जुर्माना किया गया।	31-12-1978 से सेवा से बरखास्त कर दिया गया।

1	2	3	4	5
[1978-79 जारी]				
	16.	श्री डी० एच० मिस्तरी, इनफ्लाइट सुपरवाइजर	पर्थ कोर्ट द्वारा 5 मार्च, 1979 को झूठी घोषणा करके तथा आस्ट्रेलिया में दो यामाह लाउड स्पीकरों की तस्करी करने का दोषी पाया गया। 400 आस्ट्रेलियन डालर का जुर्माना किया गया।	एक वर्ष की अवधि के लिये वेतनमान में दो वेतन वृद्धियां कम करने की सजा दी गयी।
1979-80	17,	कैप्टन वी० वेंकटारामन कैप्टन सह-विमानचालक	11-8-79 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनके आवास से 38 एम० एम० बिल्यू फिल्में तथा अशलील तस्वीरों वाले विडियों कैसेट रिकार्डर बरामद किए। अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, बम्बई द्वारा दोषी पाया गया तथा 1300/-रुपये का दण्ड किया गया।	8-10-1980 से नौकरी से हटा दिया गया।
	18.	श्री एस० शेटी, लेखा लिपिक	20-3-1980 को मौरीशस के लिए एक एयर इंडिया की उड़ान द्वारा भांग की तस्करी में अपनी बहन की सहायता की।	उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अतः कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी।
	19.	श्री उत्तम अडवानी, ए० एम० ई०	52,000 रुपये मूल्य की सांप की खालों की कथित तस्करी/तस्करी के लिए उत्साहित करना। सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 20-3-1980 को गिरफ्तार किया। बाद में सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया।	कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी।
	20.	श्री एम० ए० भावनागर-वाला, यातायात सहायक	चांदी की तस्करी करने के आरोप में 20-2-80 को गिरफ्तार किया गया।	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा निपटान किये जाने तक विभागीय कार्यवाही अनिर्णीत पड़ी है।

1	2	3	4	5
1980-81	21.	श्री जी० आर० वारिया, लोडर, सांताक्रूज	केनेविस की तस्करी करने के सम्बन्ध में 17-10-1980 को लन्दन में गिरफ्तार किया गया।	9-11-1981 से निगम की सेवा से बरखास्त कर दिया गया।
	22.	श्री एल० थॉमस, हैंडी-मेन, दिल्ली	तस्करी के आरोप में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 14-1-1981 को गिरफ्तार किया गया।	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा फौजदारी की कार्यवाही को अन्तिम रूप से निपटाये जाने तथा 14-10-1981 से चल रही जांच होने तक निलम्बित कर दिया गया।
	23.	श्री आर० एस० पंवार, एयरक्राफ्ट तकनीकी	10 जून, 1980 को एयर इंडिया सुरक्षा द्वारा उस समय पकड़ा गया जब निषिद्ध माल के साथ परिसर के बाहर जा रहा था। मामले को बम्बई विमान क्षेत्र के सीमा-शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया।	11-2-1982 से सेवा से हटा दिया गया।
1980-81	24.	श्री आर० एम० गायकवाड़, टाइपिस्ट क्लर्क	21-6-80 को भांग की तस्करी में सहायता की तथा उसे प्रोत्साहित किया। सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 29-7-80 को गिरफ्तार कर लिया गया।	13-4-81 से सेवा से हटा दिया गया।
	25.	श्री एम० रत्नाकर, स्टोरकीपर	चांदी की छड़ी की तस्करी करते हुए 16-4-80 को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा 6-6-80 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जा रही फौजदारी कार्यवाही को अंतिम रूप से निपटाने तथा 16-4-80 से चल रही जांच के पूर्ण होने तक निलम्बित।

1	2	3	4	5
	26.	श्री ओ० एच० टैगोर, लोडर	28-3-1980 को उसने 308 कि० ग्रा० चांदी की तस्करी करने का प्रयत्न किया तथा उसे कोफ़ेपोसा (Cofeposa) के अन्तर्गत पकड़ लिया गया। उसे 29-8-80 को गिरफ्तार कर लिया गया और 14-9-81 को जमामत पर छोड़ दिया गया।	28-8-80 से चल रही जांच के पूरा होने तक तथा न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक, निलम्बित कर दिया गया।
	27.	श्री ए० वी० सलगांवकर, लोडर	28-3-1980 को उसने 308 कि०ग्रा० चांदी की तस्करी करने का प्रयत्न किया तथा उसे कोफेपोसा (Cofeposa) के अन्तर्गत पकड़ लिया गया। उसे 29-8-80 को गिरफ्तार कर लिया गया और 14-9-81 को जमानत पर छोड़ दिया गया।	28-8-80 से चल रही जांच के पूरा होने तक तथा न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक, निलम्बित कर दिया गया।
	28.	श्री डी० ए० मिस्त्री, लोडर	28-8-80 को उसने 308 कि०ग्रा० चांदी की तस्करी करने का प्रयास किया। 8-9-80 को उसे गिरफ्तार किया गया। वह अभी भी जेल में है।	28-8-80 से चल रही जांच के पूरा होने तक तथा न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक, निलम्बित कर दिया गया।
1980-81	29.	श्री ए० एफ० कोटिंहो, फ्लाइट पर्सर	विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन 3 जनवरी, 1981 को गिरफ्तार किया गया।	30-1-81 से अधिकारियों द्वारा मामला निपटाये जाने तक निलम्बित है।
	30.	श्री आर० सिंह, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक	अफीम की तस्करी में सहायता करने तथा उत्साहित करने के आरोप में उसे सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। मामले की अभी भी बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।	जांच होने तक तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा फौजदारी की कार्यवाही को अंतिम रूप से निपटाये जाने तक उक्त स्टाफ निलम्बित है।

1	2	3	4	5
	31.	श्री एस० के० घोष, फ्लाइट पर्सर	3-7-1980 को उनके पास अनुमत सीमा से अधिक सामान पाया गया। सीमा-शुल्क अधिकारियों ने इस अपराध के लिये 5000/-रुपये का व्यक्तिगत दण्ड किया।	एयर इंडिया ने 1-2-81 से 2 वर्ष के लिये "टाइस स्केल" में कटौती कर दी है।
	32.	श्री ए० के० नागपाल, फ्लाइट पर्सर	3-7-80 को उनके पास अनुमत भत्तों से 4100/-रुपये अधिक मूल्य का सामान पाया गया। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने इस कार्यवाही के लिये 5000/-रुपये का व्यक्तिगत दण्ड किया।	एयर इंडिया ने 1-2-81 से 2 वर्ष के लिये "टाइस स्केल" में कटौती कर दी है।
1981-82	33.	श्रीमती मधु मेहता, विमान परिचारिका	28 जून 1981 को ए० आई-315 में "टैक्नीक स्टीरियो सिस्टम" और क्वार्ज सिटिजन लेडीज़ हाथ की घड़ियों की तस्करी में सम्मिलित थी।	दो वर्षों के लिए, दो दर्जे नीचे पदावनत करने की सजा दी गई तथा 31 मार्च, 1983 तक एयर पैसेज अधिकार निलम्बित कर दिये गये।
	34.	श्री एल० चार्ल्स, फ्लाइट पर्सर	नशीले पदार्थों की तस्करी के लिये 22 जुलाई, 1981 को रोम में गिरफ्तार किया गया।	मामले को रोम में अंतिम रूप से निपटाये जाने तक 22 जुलाई, 1981 से निलम्बित।
	35.	श्री पी० एम० पनप्पा, चैंक फ्लाइट पर्सर	60 करोड़ रुपये के हीरों तथा विदेशी मुद्रा की तस्करी करते हुए 20-2-82 को गिरफ्तार किया गया।	उसके मामले को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से निपटाए जाने तक 20 फरवरी, 1982 से निलम्बित।

1	2	3	4	5
	36.	श्री एस० जे० चौधरी, फार्मसिस्ट	79 हाथ की घड़ियों तथा 60 हाथ घड़ी के स्ट्रेपों तथा अन्य ड्यूटी योग्य वस्तुओं की तस्करी करने के लिए उसे 3-3-82 को पकड़ा गया। इनकी कुल कीमत 48090/-रुपये थी तथा जब वह हांगकांग से आया तो उसके पास 1800/-रुपये की भारतीय मुद्रा भी थी। उसे सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा 10-3-82 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से फौजदारी कार्यवाही किए जाने तक 3-3-1982 से निलम्बित।
	37.	श्री एम० रावेर्दी, प्रबंधक विमानक्षेत्र, जनेवा	उसे घड़ियों के पुर्जों की तस्करी करने के आरोप में 24-9-81 को बम्बई में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह 20 सितम्बर, 1981 को एस० आर० 189 से आया। सीमा-शुल्क अधिकारियों ने उसे कोफेपोसा के अन्तर्गत पकड़ लिया है।	उसकी सेवायें दिसम्बर, 1981 में समाप्त कर दी गई हैं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है, चाहे तस्करी का मामला हो या विदेशों को सूचनाएं देने का मामला—इसमें सारी चीजें सम्मिलित हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने पता लगाया है कि अन-यूज्ड-टिकिट, फर्जी टिकिट और स्मगलिंग करने वाला एक ही गिरोह है और क्या सरकार ने यह भी पता लगाने की कोशिश की है कि उस गिरोह में एयर-इंडिया के वरिष्ठ अफसर और कस्टम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सांठ-गांठ से यह सब होता है। कई बार इस संबंध में इसी सदन में मामला उठाया जा चुका है। यदि इस तरह की बात है तो सरकार ने अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह प्रश्न एयर इण्डिया के कितने कर्मचारी इस तरह के काम में शामिल हैं उनके बारे में था—जिनके जरिये चीजें स्मगल करके लाई जाती हैं और जो गैर कानूनी है—उनके बारे में यह प्रश्न था। मैंने बता दिया है कि संख्या में कमी आई है और 1980 में जहां इस तरह के 14 केसिस हुए थे वहां 1981 में 6 हुए और 1982 में अभी तक दो हुए हैं। एयर इण्डिया के जो एम्प्लायीज इस तरह का काम करते हुए पाए गए हैं उनके खिलाफ एयर इण्डिया सर्विस रेग्युलेशंज के मुताबिक—कार्रवाई की गई है। माननीय सदस्य ने टिकट वगैरह और फ्राड वगैरह की बात बताई है। वह इस प्रश्न से पैदा नहीं होती है। अगर वह उसके लिए कोई—स्पेसेफिक सवाल पूछेंगे, नोटिस देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री रामविलास पासवान: आप सहमत होंगे कि यह ठीक बात है कि यह प्रश्न स्मगलिंग के बारे में है और इस में उनका आंकड़ा पूछा गया है, और पूछा गया है कि कितने कर्मचारी उससे कनैक्टिड हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सदन इस पर चुप्पी लगा दे या आप चुप्पी लगा दें। स्मगलिंग कैसे होता है, कहीं उसका कोई लिंक है या नहीं या उसमें आपके विभाग के दूसरे अधिकारी सम्मिलित हैं या नहीं हैं, उसी गैंग के द्वारा—दूसरा भी कोई काम किया जाता है या नहीं, यह पता लगाना भी जरूर था आपके लिए और इसको इगनोर नहीं किया जा सकता है। इन सब बातों का पता लगाना और जांच करना आपके हित में भी है। यदि इस तरह का कोई संगठित गिरोह है तो निश्चित रूप से आपको बिन नोटिस ही इसका नोटिस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।

आपने संख्या गिनाई है कि कितने लोग पकड़े गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका सोर्स आफ इनफर्मेशन क्या था, क्या आपको कस्टम के अधिकारियों ने बताया, किस सोर्स ने, किस आथोरिटी ने आपको बताया कि इन इन आदमियों के पास सामान है···

अध्यक्ष महोदय : आपको कैसे बताएंगे ?

श्री रामविलास पासवान : मुझे न बताएं, सदन को तो बताएं।

सब लोग जानते हैं कि यहां सांठगांठ रहती है। कस्टम अधिकारी सीधे पूछते हैं तुम विदेश से मेरे लिए कुछ लाए हो या नहीं और यदि उनके लिए उपहार लाया जाता है और—उनको दे दिया जाता है तो फिर चैकिंग वगैरह नहीं होती है और सीधे उसके लिए गेट खुला रहता

हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। इस में देश की सुरक्षा का मामला भी—सन्निहित है। मैं जानना चाहता हूं कि अधिकांश केसिस में आपका सोर्स आफ इनफर्मेशन क्या था।

जो माल पकड़ा हुआ दिखाया गया है वह कितने करोड़ या लाख रुपये का है और क्या माल बरामद कर लिया गया है या नहीं और बरामद करके उसको ट्रेशरी में रख दिया गया है या नहीं ? क्या आपने पता लगाया है कि उनकी विदेशों से भी कोई सांठगांठ है या लिंक है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : पता लगाने की कोई बात बिल्कुल नहीं है इसमें जिन लोगों द्वारा इस तरह का माल लाया गया कस्टम अधिकारियों ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। इसलिए इसमें कोई पता लगाने का सवाल नहीं है

प्रो० अजीत कुमार मेहता: मंत्री महोदय ने संख्या बता दी है कि धीरे धीरे वह कम हो रही है। तीन साल की संख्या उन्होंने बता दी है कि किस तरह से इस तरह के केसिस में कमी आई है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि 1981 या 1980 या 1979 को, इन सालों में कितनी कीमत का तस्करी का सामान पकड़ा गया है। इसलिए एक भ्रम सा पैदा होता है।

तस्करी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है या कम होती जा रही। अभी हाल ही में इस सत्र में जो इन्होंने एक केस पकड़ा है उसकी ही कीमत 1 करोड़ रु० से अधिक है। तब कैसे कहा जा सकता है कि तस्करी के काम कम हो रहे हैं। मैं समझता हूं आपने यह अनुमान अधिकारिक तौर पर लगाया होगा कि तस्करी के कितने केसेज पकड़े जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं पकड़े जाने के बावजूद भी तस्करी कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ बी०आई०पी०ज० भी इनवाल्व होंगे ही। तो इस संदर्भ में मेरा प्रश्न है अभी इन्होंने चर्चा की सम्पर्क सूत्र की यानी लिंक की, तो मैं जानना चाहता हूं एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों के चलित कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानान्तरण की कोई व्यवस्था है ? और यदि है, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या इसकी अवधि आप कम करेंगे ? या इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है ? क्योंकि ऐसा होता है कि लम्बी अवधि तक एक कर्मचारी एक स्थान पर रहता है तो उसके सम्पर्क सूत्र बन जाते हैं। इस सम्पर्क सूत्र को तोड़ने के लिए आपके पास इसके अलावा और क्या उपाय हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखा गया है उसमें कुछ केसेज में यह बतलाया गया है कि कितने का माल उनसे रिकवर हुआ है। और कुछ केसेज में नहीं बताया गया है। तो जिन केसेज में नहीं बताया गया है माननीय सदस्य को मैं उसकी जानकारी हासिल करके बता दूंगा। लेकिन हर केस में क्या पैनाल्टी और पनिशमेन्ट दिया गया है वह भी स्टेटमेंट में दिया गया है।...

प्रो० अजित कुमार मेहता : जहां तक तस्करी के सामान के मूल्य की बात है यह कम नहीं हुई है। इसलिए तस्करी कम होती जा रही है इस भ्रम में आप न रहें। आप पकड़ते कम हैं, लेकिन तस्करी अधिक होती जा रही है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मेहता जी बहुत समझदार सदस्य हैं और अगर वह देखेंगे जो स्टेटमेंट रखा गया है सभा पटल पर तो जैसा मैंने कहा उनको पता चलेगा

किन-किन केसेज में कितने का माल बरामद हुआ है। कुछ केसेज में नहीं हैं। यह प्रश्न सम्बन्धित है कि एयर इण्डिया के एम्पलाईज के बीच में कितने लोग इस तरह के काम में पकड़े गए हैं। पिछले 5 सालों में। जहां तक तस्करी को पकड़ने या नहीं पकड़ने का जो काम है वह हमारी मिनिस्ट्री का नहीं है, वह दूसरे लोगों का है। और जब ऐसा काम करता है तभी लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ा है। अब और कितने लोग इस तरह के काम में आते हैं। इसके अलावा, उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि इन गतिविधियों से सम्बन्धित लोगों को पकड़ने का काम किसी अन्य मन्त्रालय का है। यह बात बिलकुल ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ दी गई सूची को देखेंगे, तो आप पायेंगे कि लगभग सभी श्रेणियों के लोग सम्बन्धित हैं—यथा एयर-होस्टेस, पायलट, सुरक्षा अधिकारी, लोडर, तकनीशियन आदि। चेयरमैन के नाम को छोड़कर और मन्त्री के नाम को छोड़कर हर किसी का नाम इस सूची में सम्मिलित है। मैं यहाँ कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह भी कहूंगा कि पायलट और एयर-होस्टेस बम्बई में रहते हैं और उनमें से अधिकांश निष्ठावान होते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सभी श्रेणी के लोग पकड़े गये हैं, क्या एयर-इण्डिया ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई अतिरिक्त तन्त्र स्थापित किया है कि क्या तस्करों और संगठन में कोई तालमेल है ? इस तथ्य को देखते हुए कि सुरक्षा अधिकारी भी पकड़े गये हैं, क्या माननीय मन्त्री जी इस बारे में गहराई से जाँच कराएंगे ? अथवा इसकी जाँच के लिए पहले ही कोई तन्त्र विद्यमान है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, माननीय सदस्य डा० स्वामी इस बात की सराहना करेंगे कि ऐसी गतिविधियों में पकड़े गये लोगों के नाम वहाँ उल्लिखित हैं। न तो डा० स्वामी का नाम और न ही मन्त्री जी का नाम उसमें शामिल है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इतना मैं आपको बता देता हूं कि आप मुझे तस्करी करते हुए नहीं पकड़ सकते। जोर 'पकड़ने' शब्द पर दिया गया है, महोदय।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : केवल उन व्यक्तियों के नाम जो इन गतिविधियों में पकड़े गये हैं, उल्लिखित हैं। महोदय, विवरण से यह देखा जा सकता है कि यह सूची किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित नहीं है। आपको मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि में लिप्त हो सकता है और जब भी ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जैसा कि मैंने बताया है, निगम के नियमों के अनुसार.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने यह नहीं पूछा, मैंने मान लिया, मैंने कहा कि आपका सारा संगठन इसमें इन्वाल्व है।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत इन व्यापक गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई आन्तरिक तन्त्र है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहाँ तक 'एयर-इण्डिया' का सम्बन्ध है, किसी ऐसे तन्त्र की आवश्यकता नहीं है। यह कस्टम विभाग के लोगों का ही काम है और जब लोग चाहे वे कर्म-

चारी हों अथवा अन्य व्यक्ति, प्रतिबन्धित सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो उन्हें पकड़ने का काम कस्टम विभाग के लोग ही करते हैं। अतः जहां तक 'एयर-इण्डिया' का सम्बन्ध है, ऐसे किसी तन्त्र की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में ज्यादा समगलिंग हुई जब कि जनता पार्टी का रूल था ? ऐसा क्यों हुआ ? जो प्रश्न किया गया है, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हम ज्यादा दक्ष थे, मैं तस्करी के सभी ढंग जानता हूं। मैंने अपनी सरकार को बता दिये थे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रश्न करते हुए यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या इसमें वरिष्ठ अधिकारी शरीक हैं। जब पूरी लिस्ट दी हुई है तो और किसी का नाम लेना अनुचित है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जितने लोगों का नाम इसमें है, उसके अलावा किसी की बात करना उचित नहीं है।

आर्डनेंस फैक्टरी और मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ में नियमित आधार पर भर्ती करने पर प्रतिबन्ध

*951. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्डनेंस फैक्टरी और मशीन टूल्स फैक्टरी, अम्बरनाथ में नियमित पदों को भरने के लिए नियमित आधार पर भर्ती करने पर कोई रोक/प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार इस प्रणाली को शीघ्र ही बदल रही है ;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आर्डनेंस फैक्टरियों में खर्च में किफायत करने और उत्पादकता में सुधार करने की दृष्टि से रिक्त पदों को भरने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गये हैं। लगाए गये प्रतिबन्ध दो प्रकार के हैं—

(क) वे प्रतिबन्ध हैं, जो सरकारी खर्च में किफायत करने के लिए मई 1977 में वित्त मन्त्रालय द्वारा सभी केन्द्रीय सरकारी स्थापनाओं के लिए सामान्य अनुदेशों के अन्तर्गत जारी किये गए दे।

(ख) वे प्रतिबन्ध जो आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड द्वारा फैक्टरियों में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मई 1979 में लागू किये गये थे।

इन अनुदेशों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इन अनुदेशों के बावजूद इन दोनों फैक्टरियों में औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या जो 1-3-80 को 4331 थी बढ़कर 1-3-82 को 4434 हो गई है। गैर औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या जो 1-3-80 को 1219 थी वह 1-3-82 को मामूली सी कम होकर 1211 रह गई है।

श्री समर मुखर्जी : महोदय, आपको यह बात जरूर देखनी चाहिए कि मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार ने आर्डनेंस फैक्टरी और मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ में रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने पर कोई प्रतिबन्ध/रोक लगाई हुई है।

महोदय, इसका उत्तर यह दिया गया है कि व्यय में कमी करने तथा उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से आर्डनेंस फैक्टरी में रिक्त पदों को भरने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं। इस प्रकार लगाया गया प्रतिबन्ध दो किस्म का है।

(क) वह प्रतिबन्ध जो जनता शासन के दौरान मई 1977 में वित्त मन्त्रालय द्वारा सरकारी व्यय में कमी करने के लिए जारी किये गए सामान्य अनुदेशों के अन्तर्गत लागू किया गया था जिसमें केन्द्रीय सरकार की प्रतिस्थापनाएं आती हैं; और

(ख) वे प्रतिबन्ध, जो आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड द्वारा मई, 1979 में लगाये गये थे—ये प्रतिबन्ध भी जनता राज के दौरान लगाये गए थे। अतः आप इस तमाम संकट के लिए जनता सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। अब आप इन प्रतिबन्धों को जारी रखे हुए हैं, जो श्रमिकों के विरोधी हैं।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई रोक अथवा प्रतिबन्ध लगा हुआ है?

महोदय, मुझे यूनियन, अम्बरनाथ से एक रिपोर्ट और ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उन्होंने (क) नैयित्तिक श्रमिकों की भर्ती, (ख) उनकी तैनाती के सम्बन्ध में जनरल मैनेजर द्वारा जारी किये गये आदेशों की जिरोक्स प्रति भेजी है।

इसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को इस फैक्टरी की औद्योगिक प्रतिस्थापना में 196/- रुपये से प्रारम्भ होने वाले वेतन पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से नितान्त नैयित्तिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो अवधि 30 दिन से अधिक नहीं होगी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के प्रति ये सभी अनुचित कदम हैं। उन्हें उन पदों पर भर्ती किया जाता है, जोकि नियमित पद हैं। 196/- रुपये के वेतन पर उन्हें 30 दिन के लिए नैयित्तिक श्रमिकों के रूप में भर्ती किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो श्रमिक विरोधी है और श्रम कानूनों के अनुसार यह अनुचित श्रम पद्धति है। और आप उन्हें सेवा में स्थायी किये जाने के उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

उसी व्यक्ति, अम्बरनाथ स्थित जनरल मैनेजर श्री आर० के० मजूमदार द्वारा एक और आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 12 फरवरी, 1982 का है।

नैयित्तिक श्रमिकों की भर्ती के बारे में एक और आदेश है। इसमें लिखा है :—

"·····(ख) तैनाती : निम्नलिखित व्यक्तियों को नैयित्तिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनकी सेवावधि छः महीने से अधिक नहीं होगी·····।"

ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि उन्हें 180 दिन से अधिक अवधि तक काम मिल जाता है, तो वे श्रमिक अर्द्ध-नैयित्तिक श्रमिक अथवा स्थायी श्रमिक होने के लाभ के पात्र बन जाते हैं। अतः उन्हें इन लाभों से वंचित करने के लिए रक्षा मन्त्रालय द्वारा इस पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है।

सरकार को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए, किन्तु यह बात इस तथ्य की द्योतक है कि अम्बरनाथ में वह क्या आदर्श प्रस्तुत कर रही है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे अनुचित श्रम व्यवहार माना जाता है अथवा नहीं।

(व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अन्तिम दिन है, और यह अन्तिम प्रश्न है। इसलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं।

श्री समर मुखर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सभी आदेशों को वापस लेने पर विचार करने के लिए तैयार है और क्या वह उन श्रमिकों के प्रति न्याय करने को तैयार है, जिन्हें स्थायी पदों पर भर्ती किया जा रहा है और उन्हें स्थायी कार्यकारी के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए। देश भर में नैयत्तिक श्रमिक प्रणाली के विरोध में तथा उन्हें स्थायी करने के सम्बन्ध में आन्दोलन चल रहा है। और रेल मन्त्रालय ने भी आश्वाशन दिया है कि वे नैमित्तिक श्रमिकों को धीरे-धीरे स्थायी कर देंगे। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आप इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने तथा सामान्य ढंग से भर्ती की प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है। कृपया इसका उत्तर दीजिए।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उत्तर देने के लिए मुझे एक अवसर प्रदान किया। पहले प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर यह है कि जनता पार्टी ने कुछ नियम बनाए थे और हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं, मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यह सरकार जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदमों प्रत्येक को, चाहे वह अच्छे हों, बुरी हों अथवा उपेक्षापूर्ण हों बदल डालने में विश्वास नहीं रखती। इसके विपरीत, मैंने हमेशा यह बात कही है कि जनता पार्टी ने जो कुछ भी अच्छे काम किये हैं, मैंने उन्हें जारी रखा है, और उनमें से यह भी एक ऐसा ही अच्छा नियम है, जो उन्होंने बनाया तथा जिसे हम जारी रखे हुए हैं।

(व्यवधान)·····

व्यय में कमी एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है और व्यय में कमी करने के लिए बनाए गए नियमों का पालन किया गया है और ऐसे नियमों का पालन किया जाना जारी है।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है कि कुछ अस्थायी पदों का सृजन किया गया है। इस सम्बन्ध में शर्त यह हैं कि—अस्थायी पदों के सृजन के लिए नियम यह है कि ऐसे पदों

के सृजन के लिए कार्यभार को ध्यान में रखते हुए बोर्ड सीमाओं (समय सीमा) का निर्धारण करेगा। जब कोई अस्थाई अथवा आकस्मिक कार्य करना होता है, तो आप एक स्थायी श्रमिक को भर्ती नहीं कर सकते। यह बात काम की प्रकृति पर निर्भर करती है। नैमित्तिक श्रमिकों को कार्य विशेष के स्वरूप के अनुसार भर्ती किया जाता है। यदि कोई कार्य नैमित्तिक प्रकृति का है, तो नैमित्तिक श्रमिक की भर्ती की जाएगी, और मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि नैमित्तिक श्रमिकों की बिल्कुल भी भर्ती नहीं की जायगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लेह के लिए विमान किराए में कटौती

*946. **श्री पी. नामग्याल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री श्रीनगर होते हुए दिल्ली से लेह विमान किराये के बारे में 4 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के सम्बन्ध में जिसके दौरान उन्होंने यह जाँच करने का आश्वासन दिया था कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू विमान किराये में रियायत लेह को आने-जाने वाली उड़ानों में भी लागू की जायेगी, यह बताने की कृपा करेंगे और यह नवीनतम स्थिति बतायेंगे कि :

(क) इस आश्वासन को अब तक पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) अप्रैल से नवम्बर, 1981 तक की अवधि के लिये इस मार्ग पर परिचालनों के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है तथा पाया गया है कि इस पर होने वाली आय लेह के लिये परिचालनों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

लद्दाख क्षेत्र के परिचालनों में इण्डियन एयरलाइन्स को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता, वे ये हैं :—अधिक ऊँचाई की वजह से पे-लोड पेनल्टी लेह में ईंधन की अनुपलब्धता, खराब मौसम के कारण सेवाओं में बार-बार विघ्न पड़ना। ये कठिनाइयाँ लेह क्षेत्र पर विशेष रूप से लागू होती हैं जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लागू नहीं होतीं।

वर्तमान किराये का निर्धारण उपर्युक्त परिसीमाओं को दृष्टि में रख कर किया गया था। लेह के लिए तथा लेह से भारतीय राष्ट्रिकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिये 'राउंड ट्रिप' किराये में 30% की छूट प्रदान की गयी थी। तथापि इस क्षेत्र में यातायात संबंधी कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुये 3 मई, 1982 से श्रीनगर-लेह सैक्टर पर किराये को घटा कर 257 रुपये तथा चण्डीगढ़-लेह सैक्टर पर 368 रुपये कर देने का निर्णय लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में वायुसेना का भर्ती कार्यालय खोलना

*947. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में वायुसेना का एक भर्ती कार्यालय खोलने हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस तारीख तक इस माँग को स्वीकार किये जाने की संभावना है विशेष कर इस स्थिति में जब कि राज्य में इस प्रकार के भर्ती कार्यालय के अभाव में हिमाचल प्रदेश के युवकों को भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । वास्तव में हिमाचल प्रदेश के युवकों को वायुसेना में राज्य की जनसंख्या के अनुसार जितनी संख्या में भर्ती किया जाना चाहिए था उससे कहीं अधिक संख्या में भर्ती किया जा रहा है ।

उद्योग को ऋण दिये जाने पर बैंकों के नियन्त्रण को और कठोर बनाना

*952. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हाल में उद्योग को ऋण देने पर बैंकों के नियन्त्रण को और कठोर करने का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उद्यमियों को सर्वत्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़े एककों को कठिनाई महसूस हो रही है और लघु एकक एक के बाद एक संकटग्रस्त हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने इस बारे में बैंकों को कड़े आदेश दिये हैं;

(घ) क्या बंगलौर में पीन्या में एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक बस्ती को इससे सबसे अधिक आघात पहुँचा है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के त्वरित आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि उद्योगों के विस्तार के सकल ऋण में 1576 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1479 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के दबावों को काबू में रखने की आवश्यकता के संदर्भ में ऋण-प्रसार की मात्रा पर नियन्त्रण रखने और अर्थव्यवस्था में नकदी निधि में कमी लाने के लिये रिजर्व बैंक को कई उपाय करने पड़ते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ऋण विषयक नीति के इन उपायों के संस्थावार और क्षेत्रवार प्रभाव का लगातार जायजा लेता है ताकि अपेक्षाकृत अधिक

अच्छी योजना बनाई जा सके और खासकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में छोटे ऋणकर्ताओं और 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन लाभान्वित होने वालों को ऋण प्रदान करने की गति को बनाये रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। मझौले तथा बड़े उद्योगों के क्षेत्र में बड़े ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में यह आशा की जाती है कि वे दीर्घावधि स्त्रोतों से बड़ी मात्रा में अपनी स्वयं की निधियों को जुटाकर बैंकिंग तंत्र पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, बैंकों को इनकी नकदी समस्याओं पर पार पाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 8 अप्रैल, 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणनीति में निम्नलिखित कुछ संशोधनों की घोषणा की गई है :—

(1) 9 अप्रैल, 1982 से नकदी रिजर्व अनुपात को 7.75 प्रतिशत से घटाकर 7.25 प्रतिशत तक करना;

(2) गैर-निवासी (विदेशी) रुपया खातों के अधीन जमा राशियों के सम्बन्ध में 9 अप्रैल, 1982 से नकदी रिजर्व अनुपात को 7.75 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत तक करना ; और

(3) खाद्य-वसूली ऋणों के लिये 2200 करोड़ रुपये के बुनियादी स्तर से अधिक, किंतु 2800 करोड़ रुपये तक पुनर्वित्त को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करके और 2800 करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर 100 प्रतिशत करके, 9 अप्रैल, 1982 से पुनर्वित्त पात्रता में ढील दिया जाना।

उपर्युक्त संशोधन, मौसमी उद्योगों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बैंकों की स्थिति बेहतर बनाने में समर्थ होंगे।

(घ) और (ङ) : हालांकि, विशेष रूप से बंगलोर में पीन्या स्थित औद्योगिक एस्टेट के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की नीति, स्थिति की बराबर समीक्षा करने तथा जहाँ आवश्यक होता है उपचारात्मक उपाय करने की रही है, जिससे कि न केवल मुद्रास्फीति के दबावों को काबू में रखा जाता है, बल्कि उत्पादन वृद्धि को भी बनाए रखा जाता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए हैलीकोप्टर सेवायें

*953. **श्री चिंग वांग कौनयक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नयी हैलीकोप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) कौन से क्षेत्रों में हैलीकोप्टर सेवा शुरू की जायेगी;

(ग) क्या संचालन से होने वाले लाभ/हानि के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है और इस क्षेत्र में हैलीकोप्टर सेवाएँ कब तक शुरू हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (घ) : बागडोगरा तथा गंगटोक (सिक्किम) के बीच एक हैलीकोप्टर सेवा चालू करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है। सेवा 1 मई, 1982 से चालू हो जायेगी। सिलचर तथा एजोल के बीच भी ऐसी ही एक हैलीकोप्टर सेवा चालू करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ग) जी, हाँ ।

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को हैलीकोप्टर किराये पर दिया जाना

*954. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय गैर-सरकारी संगठनों की माँग पर उन्हें हैलीकोप्टर किराये पर देता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी शर्तें क्या हैं और किराया, बयाना राशि आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निदेशालय ने दिसम्बर, 1981 में उत्तर प्रदेश में हरिद्वार में किसी व्यक्ति को हैलीकोप्टर दिये थे, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं। नागर विमानन के महानिदेशालय के पास कोई हैलीकोप्टर नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा के कालाहंडी, बोलंगीर, फूलबानी के पिछड़े और पर्वतीय जिलों में पर्यटन

*955. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाइंडी, बोलंगीर, फूलबानी के पिछड़े और पर्वतीय जिलों, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता से क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जाने का विचार है जिससे क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) फिलहाल, केन्द्रीय पर्यटन विभाग की इन क्षेत्रों में किसी विकास कार्यक्रम को शुरू करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि,

यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से जिन केन्द्रों का विकास किया जाएगा उनमें बोलनगीर भी शामिल किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता, व्यवहार्यता अध्ययनों और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए, इस संकल्पना के अन्तर्गत कार्यक्रमों को केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में शुरू किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश व्यापार सेवा

*956. **श्री विलास मुत्तेमदार :**

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार सेवा की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) इस सेवा का गठन क्या होगा, और वे व्यक्ति कौन हैं जो आरम्भिक गठन के समय इस सेवा में होंगे ; और

(ग) विदेश व्यापार सेवा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं का विशेषकर आर्थिक सेवाओं का निश्चित अनुपात क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा प्रतिष्ठान के कैन्टीन कर्मचारी

*957. **श्री मंगलराय प्रेमी :**

श्री भीखा भाई : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 25 जुलाई, 1981 के पत्र सं० 18 (1)/80डी (जे.सी.एम) के अनुसार रक्षा प्रतिष्ठान के कैंटीन कर्मचारियों को रक्षा कर्मचारी घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान क्या हैं ; और

(ग) यदि उनके वेतनमान अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं तो वेतनमान निर्धारित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त वेतनमान के निर्धारण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

वैज्ञानिक अनुसंधान सेवसनों में गैर अर्हता प्राप्त वैज्ञानिक

*958. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान सेक्सनों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है जो समुचित अर्हता प्राप्त वैज्ञानिक नहीं हैं ; और

(ख) क्या इस मामले की पूरी तरह से जाँच कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है कि हमारी सैनिक तैयारी में अनुसंधान कार्य वास्तव में उपयोगी सिद्ध हों ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 1979 से पूर्व सीधी भरती वाले वैज्ञानिकों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं निचले संवर्गों से पदोन्नत होने वालों के लिए लागू नहीं थीं। जनवरी, 1979 में जब अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम लागु किये गये तो सभी वर्तमान वैज्ञानिक पुर्नगठित सेवा के अन्तर्गत आ गये और इनमें पदोन्नति वाले वे व्यक्ति भी शामिल थे जिनके पास सीधी भरती वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। अब यह शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति वालों के लिए भी लागू कर दी गई। इस प्रकार पदोन्नति व्यक्तियों की पदोन्नति के प्रश्न पर नियम की उस धारा के अन्तर्गत विचार किया जा रहा जिसके अनुसार छूट दी गई है।

(ख) जी, नहीं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास का कार्य अति प्रायोगिक किस्म का है और इन कार्यों में उन वैज्ञानिकों का योगदान भी बहुत लाभप्रद होता है जिनको इस क्षेत्र में विस्तृत तथा विविध अनुभव होता है भले ही उनकी शैक्षणिक योग्यता सीधे भरती वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समान न हों।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में आदिवासी उपयोजरा विकास शुेत्र के लिए धनराशि न दिया जाना।

959. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालुम है कि वाणिज्यिक बैंक पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में आदिवासी उपयोजना विकास क्षेत्र के लिए धनराशि नहीं दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य, संभवतः पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में जनजातीय उप आयोजना स्कीमों के कार्यान्वयन में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई ऋण सहायता का उल्लेख कर रहे हैं। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के द्वारा, जो कि इस बैंक का लीड बैंक है, उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत व्याप्त होने वाले विभिन्न लक्षित लाभप्राप्तकर्ता समूहों को वाणिज्यिक बैंक बराबर अधिकाधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। "स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी" और "वेस्ट बेंगाल शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन"

द्वारा, संयुक्त रूप से, इस प्रयोजन के वास्ते परिचालन विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये है। बांकुड़ा जिले में, चालु वर्ष के दौकान, विशेष स्कीमों के अधीन सभी बैंकों द्वारा लगभग 6,000 अनु०जाति/अनु०जनजाति किसानों के व्याप्त किये जाने की आशा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी समय-समय पर इस बात को सुनिश्चित करने के वास्ते मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाते हैं कि अधिकतम संभव सीमा तक, अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों समेत समाज के कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाए। बैंकों को यह सलाह भी दी जाती है कि गहन ऋण कार्यक्रम के अधीन ग्रामों के अंगीकरण के समय विशेष रूप से ऐसे गाँव चुने जाएं जिनमें ऐसे समुदायों के लोगों की संख्या काफी हो। इस संबंध में बैंकों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा, विभिन्न स्तरों पर होने वाली, निगम की विभिन्न बैठकों में की जाती है।

विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु तृतीय विश्व विकास बैंक की स्थापना

*960. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंगस्टन में आयोजित हुई बैठक में विकासशील राष्ट्रों के वित्त-विशेषज्ञों ने यह स्वीकार किया था कि विकास परियोजनाओं तथा निर्यात ऋणों के वित्त-पोषण के लिए और अपने सदस्यों को शेष राशि की अदायगी सम्बन्धी सहायता देने के लिए तृतीय विश्व किकास बैंक स्थापित किया जाना चाहिए।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी अध्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) किंगस्टन, जैमका में 26 मार्च से 31 मार्च, 1982 तक वित्तीय सहयोग पर 77 विशेषज्ञों के ग्रुप की बैठक हुई थी। उस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया गया।

इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, इस विचार को भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ कि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों की संपूर्ति के प्रयोजनार्थ विकासशील देशों के लिए एक ऐसे बैंक की आवश्यकता है, जिसका कार्य, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से सक्षम विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का संवर्धन करना और भुगतान शेष संबन्धी सहायता प्रदान करना हो। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावित बैंक के मापक्रम तथा विशेषताओं के तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता होगी, जिसमें विकास तथा भुगतान शेष संबंधी सहायता के विषय में अध्ययन करना होगा।

बैठक में इस प्रकार के बैंक की स्थापना की व्यवहार्यता के संबंध में तकनीकी अध्ययन की रूपरेखा अपनाई गई तथा इस अध्ययन की व्याप्ति और बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई में आगे कार्य के गठन के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए। इस विषय पर 77 के ग्रुप की आगे की बैठक में विचार किया जाएगा।

पालम हवाई अड्डे पर कुलियों (लोडर) द्वारा माल की चोरी

*961. श्री गुफरान आजम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि पालम हवाई अड्डे पर काम कर रहे कुलियों ने हाल में "एयरपोर्ट डोमेस्टिक लांज" से एक लाख रुपये मूल्य का माल चुराया था ;

(ख) क्या एयरलाइन्स के अन्य कर्मचारियों सहित हवाई अड्डे के कुली इण्डियन एयरलाइन्स की घरेलू आवक उड़ानों पर ऐसे माल पर निगाह रखते हैं जिसकी मांग न की गई हो और उसके बाद वे माल को अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान (डिपारचर) लांज में जो इसके पार है, भेज देते हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा हवाई अड्डे के कुलियों तथा एयरलाइन्स के अन्य कर्मचारियों के जो इसमें शामिल हैं, विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) आगमन कक्ष से लावारिस सामान की चोरी होने की घटनाएं सरकार के नोटिस में आई हैं । एयरलाइनों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे उठाईगिरी की संभावनाओं का निवारण करने के लिए लावारिस सामान की ओर कड़ी निगरानी रखें ।

(ग) और (ख) चूकि यरइण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स अथवा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, ठेकेदार के दो कर्मचारियों की सेवाएं, जो इन मामलों में शामिल थे, ठेकेदार द्वारा समाप्त कर दी गयी हैं । कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के आधीन दिनांक 28.8.81 की एफ. आई. आर. सं. 897 द्वारा एक मामला दर्ज किया था । गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया था ।

पूंजीगत लाभ सम्बन्धी कर के लिये कृषि भूमि का दायित्व

*962. श्री वी० न० गाडगिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि पूंजीगत लाभ सम्बन्धी कर के लिए कृषि भूमि का दायित्व नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आयकर अधिनियम में संशोधित करने और इस पर पूंजीगत लाभ मम्बन्धी कर लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) मनुभाई ए० सेट एन०डी० निर्भुधर, द्वितीय आयकर अधिकारी ए-II बार्ड, बम्बई (1981) 128 आई०टी०आर० 87 के

मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह ठहराया है कि भारत स्थित उस भूमि की बिक्री से, जिसे कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उत्पन्न होने वाला पूंजीगत अभिलाभ, ऐसी भूमि से प्राप्त राजस्व होगा और, इसलिए, वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1) के अभिप्राय के अन्तर्गत कृषि-आय होगी और संसद ऐसी भूमि-आय पर कर लगाने के लिए किसी प्रकार वैधानिक रूप से सक्षम नहीं होगी। इसलिए, बम्बई उच्च न्यायालय ने यह ठहराया है कि जिस सीमा तक, आय कर अधिनियम की धारा 45 के साथ पठित धारा 2(14) (iii). नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्रीय समिति आदि (जिनकी जन संख्या 10000 से कम न हो) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अथवा ऐसी नगर पालिका आदि से अधिसूचित दूरी के अन्दर स्थित किसी क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमियों के अन्तरण से उत्पन्न होने वाले लाभों अथवा अभिलाभों को, संसद द्वारा पूंजीगत लाभ कर लगाने के लिए प्रभार्य बनाती है, उसी सीमा तक यह संसद की वैधानिक सक्षमता के बाहर होगा।

(ख) सरकार ने बम्बई उच्च न्यायलय के फैसले को स्वीकार नहीं किया है और न्यायालय ने भी इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे दी है। बम्बई उच्चतम न्यायालय से 'उपयुक्तता प्रमाण पत्र' की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो जाने पर, भारत सरकार की ओर से एक अपील दायर की जाएगी। इस सम्बन्ध में यह संगत होगा कि इस विषय पर, अम्बालाल मगन लाल बनाम भारत सरकार (1975) 98 आई० टी आर० 237, के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें यह ठहराया गया है कि संसद, आय-कर अधिनियम की धारा 2(14) (iii) को इस प्रकार अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, जिससे उपरोलिखित क्षेत्रों में स्थित कृषि-भूमि के अन्तरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभों पर कर लगाने के लिए व्यवस्था की जा सके।

2. ऊपर बताई गई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव का अधिलंघन करने के लिए कोई विधायी उपाय करने के लिये भारत सरकार इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

भारत और विदेशों में धन उगाहने के लिये निर्यात-आयात बैंक को अनुमति दिया जाना

*963. **श्री बी० सी०देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत और विदेशों में धन उगाहने के लिये भारतीय निर्यात-आयात बैंक को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात-आयात बैंक को यह भी कहा गया है कि वह संसाधनों को उगाहने के और निर्यात के लिए धन देने के नये तरीकों को खोजें;

(ग) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक में निर्यात वित्त सम्बन्धी स्थाई समिति ने इस दिशा में कुछ संभावनाओं की पहले ही जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो देश में अथवा विदेशों में अब तक बैंक द्वारा कितनी धनराशि उगाही गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

एक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का तस्करी में शामिल पाया जाना

10353. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगाली साप्ताहिक कोलपील्ड टाइम्स के 22 फरवरी, 1982 के अंक में प्रकाशित " दम-दम वाइमेन वन्दार दिए चोरई सोनार चालाना वरसे" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) उस प्रबन्ध निदेशक और कम्पनी का क्या नाम है जिनका उल्लेख उसी समाचार में इस प्रकार की रत्नों की तस्करी में शामिल होने के बारे में किया गया है ?

(ग) इस प्रकार तस्करी के लिए पकड़े गए बहुमूल्य रत्नों का ब्यौरा और वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के वर्षों में दम-दम, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के हवाई अड्डों में कितने रुपये मूल्य का सामान पकड़ा गया ;

(घ) क्या इस प्रकार की तस्करी में वृद्धि हो रही है और बड़े लोग इनमें शामिल हैं ; और

(ङ) पकड़े गए बीस सबसे बड़े तस्करों के नाम और उनका ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में देश के मुख्य-मुख्य हवाई अड्डों से उन्होंने कितने मूल्य के सामान की तस्करी की और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां ।

किन्तु सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने किसी कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को हाल ही में सोना और रत्नों की तस्करी करने का प्रयास करने के कारण पकड़ा था ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के हवाई अड्डों पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 1979 से 1982 तक (फरवरी तक) तक की अवधि में पकड़े गए सोने और

चांदी का कुल मूल्य निम्नानुसार है :—

(मूल्य : लाख रुपयों में)

वर्ष	पकड़े गये सोने का लगभग मूल्य	पकड़ी गयी चाँदी का लगभग मूल्य
1979	77·70	14·90
1980	48·80	68·90
1981	164·90	1·10
1982	96·00	——

(फरवरी तक)

(घ) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चलता है कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित हवाई अड्डों से सोने और चाँदी की तस्करी की सम्भावना बराबर बनी रहती है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकारी अधिकारियों अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच

10354. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :**

श्री के० लकप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा संचालित कुछ मिलें ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं और/अथवा उनकी निगम के कुछ ऐसे कार्यकारी अधिकारियों अथवा वरिष्ठ अधिकारियों, जिनके विरुद्ध उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में गलत बयानों सहित विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जांच चला रखी है, के कारण मिलों में भारी निवेश के बावजूद अभी भी चल रही है ;

(ख) क्या ऐसी जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के, राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा उसकी संचालित मिलों अथवा उसके सहायक कार्यालयों में वर्तमान रोजगार सहित, तथ्य, विवरण और नाम क्या है ; और

(घ) उत्पादन में सुधार करने तथा संगठन में अनुशासन लाने के लिये ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जिस कर्मचारी के बारे में यह आरोप था कि उसे नकली दस्तावेज प्रस्तुत

करने के कारण राज्य सरकार के उपक्रम से पदच्युत कर दिया गया है, उसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एक अनुषंगी निगम में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आरोप की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अधिकारियों की नियुक्ति में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

10355. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक योग्यता के कुछ नकली दस्तावेजों अथवा प्रमाणपत्रों के आधार पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि० या उसकी सहायक कम्पनियों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और/अथवा केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य एजेन्सी ने जांच की है ;

(ख) क्या यह पाया गया है कि इन अधिकारियों में से कुछ अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्रों या प्रमाणों के उचित होने के बारे में न्यायालय में अनेक मामले गए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो मामलों के तथ्य क्या हैं और निगम में ऐसे कितने अधिकारी नियुक्त हैं और मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जिस कर्मचारी के बारे में यह आरोप था कि उसे नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण राज्य सरकार के उपक्रम से पदच्युत कर दिया गया है, उसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एक अनुषंगी निगम में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आरोप की जांच की जा रही है।

भारतीय रुई निगम के चेयरमैन एवं प्रबन्धक निदेशक के दौरे पर व्यय

10356. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम के वर्तमान चेयरमैन एवं प्रबन्धक निदेशक के 1 जनवरी 1979 से 31 दिसम्बर, 1981 तक वर्षवार के दौरे पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) ऊपरोक्त अवधि में वह कितने दिनों तक अपने मुख्यालय से बाहर रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय रुई निगम लि० द्वारा अपने विद्यमान अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के दौरे पर वर्ष 1979 से 1981 तक किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :

1-1-1979 से 31-12-79 तक	91,019,38 रु०
1-1-1980 से 31-12-80 तक	75,464,52 रु०
1-1-1981 से 31-12-81 तक	121,670,45 रु०

(ख) 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान भारतीय रुई निगम के विद्यमान अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक क्रमशः 105,86 तथा 117 दिनों के लिए अपने मुख्यालय से बाहर रहे।

वक्फ सम्पत्तियों की छूट के लिए आय कर कानूनों में संशोधन

10357. **श्री समीनुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौलाना मिन्न तुल्ला रहमानी के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय मुस्लिम कानून बोर्ड के शिष्टमंडल ने सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन में माँग की है कि आयकर कानूनों में संशोधन किया जाय ताकि वक्फ सम्पत्तियों को आयकर से छूट दी जा सके; और

(ख) आयकर कानूनों में अपेक्षित संशोधन कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अखिल भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड (आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड) ने श्री मिन्नतुल्ला रहमानी, महामंत्री द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 12 मार्च, 1982 का एक पत्र वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत किया था जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 13 (5) के अन्तर्गत निर्धारित निवेश के ढाँचे में इस प्रकार संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया था जिससे धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयासों या संस्थाओं को न्यास की निधियाँ अचल सम्पत्तियों में भी लगाने की इजाजत दी जा सके। उक्त पत्र में, वक्फ की सम्पत्ति से होने वाली आय को छूट देने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ख) वित्त विधेयक, 1982 के खण्ड 5 (ख) का आशय, निवेश के विनिर्दिष्ट रूपों में विस्तार करना है जिससे यह व्यवस्था की जा सके कि सभी वर्गों के धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों या संस्थाओं द्वारा अचल सम्पत्ति में किया जाने वाला निवेश भी निधियों के निवेश का एक अनुमोदित रूप अथवा तरीका होगा।

विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय मुद्रा की नई विनिमय दरें

10358. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय मुद्रा की नई विनिमय दरें निर्धारित की हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह नई दरें कितने समय के लिए प्रभावी होंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) 25 सितम्बर 1975 से पौण्ड स्टर्लिंग, जो बैंक की मध्यवर्ती (इण्टरवेक्शन) करंसी है, की तुलना में रुपए की विनिमय दर डपयुक्त रूप से मारित करंसियों की डाली (बास्केट) की विनिमय दर में रोजाना होने वाली घट-बढ़ के संदर्भ में निर्धारित की जाती है ताकि करंसियों की डाली के संदर्भ में रुपए का मूल्य मोटे तौर पर विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्दर बनाए रखा जा सके। इस डाली के आधार

पर, रिजर्व बैंक, पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की विनिमय दर समय-समय पर घोषित करता रहता है। जैसे ही विश्व बाजार में करंसियों की डाली की विनिमय दरों में घट-बढ़ होती है, वैसे ही यह दर बदल जाती है। जब से यह प्रणाली अपनाई गई है, पौन्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की विनिमय दर 167 बार बदली गई है। अन्तिम परिवर्तन 28 अप्रैल, 1982 को किया गया था जो अगला परिवर्तन करने पर प्रभावी रहेगा।

हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की माँग के मोहर लगे नोट

10359. **श्री बी० एन० गाडगिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक नोटों में रबर की मोहर से भारत में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की माँग की मोहर लगाई गई है ;

(ख) क्या ऐसे नोट कानून वैध हैं ; और

(ग) नोटों में इस प्रकार की मोहर लगाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के नागपुर कार्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक, सागौर से 100/- के दो नोट प्राप्त किए हैं, जिन पर हिन्दी में रबर की मोहर लगी है जिस पर "भारत को तत्काल हिन्दू राष्ट्र घोषित करो" का नारा लिखा हुआ है। सरकार को इस सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) जिन नोटों में उपर्युक्त ढंग का नारा होता है उनके बारे में यह समझा जाता है कि उनमें राजनीतिक स्वरूप का संदेश दिया गया है और इस कारण उनके विषय में वैध मुद्रा (अन्तर्लिखित नोट), अधिनियम 1964 की धारा 2 और भारतीय रिजर्व बैंक (नोट-प्रत्यर्पण) नियमावली 1975 के नियम 5 (2) (III) के उपलब्ध लागू होंगे। एसलिए इस प्रकार के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे और इनके सम्बन्ध में दावे उपर्युक्त नोट प्रत्यर्पण नियमावली के अन्तर्गत अस्वीकार किये जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने सभी कार्यालयों को पहले ही इस बारे में सावधान कर चुका है कि वे, जैसा की उपर्युक्त मामले में हुआ है, राजनैतिक संदेश वहन करने वाले नोटों को बदलने के विषय में सतर्कता बरतें।

आई० डी० ए० ऋण

10360. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1981-82 में फार्म परियोजनाओं के लिए आई० डी० ए० ऋण लिया ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने उपर्युक्त वर्ष में किसी विदेशी परियोजना के लिए आई० डी० ए० ऋण लिया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी०ए०) के ऋणों के साथ जोड़ा गया था :—

	परियोजना का नाम	ऋण की रकम (लाख अमरीकी डालर)
1.	महाराष्ट्र कृषि विस्तार परियोजना	230
2.	तमिलनाडु कृषि विस्तार परियोजना	280
2.	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार परियोजना	370

(ख) वर्ष 1981-82 में उड़ीसा की किसी परियोजना को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के किसी ऋण के साथ नहीं जोड़ा गया था।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जीवन रक्षक दवाओं पर सीमाशुल्क की छूट

10361. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ जीवन रक्षक दवाओं को सीमाशुल्क से मुक्त रखा है;

(ख) क्या कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर पहले भी सीमाशुल्क में ऐसी छूट दी गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो उन जीवन रक्षक दवाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पहले सीमाशुल्क में छूट दी गई थी; और

(घ) उन दवाओं के नाम क्या हैं जिन पर वर्ष 1982-83 में सीमाशुल्क में छूट देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ। दिनांक 22 सितम्बर 1981 की अधिसूचना संख्या 208-सी० शु० में छूट देने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसी जीवन रक्षक औषधियों के नाम विवरण में दिये गये हैं जो 2 अगस्त 1976 की अधिसूचना सं० 182-सी० शु० के अन्तर्गत पहले से ही छूट प्राप्त थीं।

(घ) चिकित्सा और औषधीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के साथ परामर्श करके जीवन रक्षक औषधियों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। छूट प्रदायी अधिसूचना में खासकर सूचीबद्ध औषधियों के अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा अलग-अलग मामले में जीवन रक्षक औषधि के रूप में प्रमाणित की जाने वाली औषधि को भी छूट प्रदायी अधिसूचना की अनुसूची 'ग' के अन्तर्गत सीमाशुल्क से छूट दी जाती है।

विवरण

1. एमीलोवेरीटोन सोडियम इन्जेक्शन
2. पेनोटीन सोडियम इन्जेक्शन (डाइलैंटिन)
3. इसोप्रिनेलाईन इन्जेक्शन
4. एट्रीफेनियम क्लोराइड इन्जेक्शन (ठैंसीलोन)
5. ऐमीनोकैरिक एसिड (ऐमी कार) इन्जेक्शन
6. ट्रासी लोल इन्जेक्शन
7. डायाजेपम इन्जेक्शन
8. स्ट्रैप्टोकिनासी इन्जेक्शन
9. पोलिमिच्सिन वी सल्फेट इन्जेक्शन
10. कोलिस्टिन सल्फेट टेवलेट और इन्जेक्शन
11. कोलिस्टिन सल्फेनायेट इन्जेक्शन
12. मैथिसिलीन सोडियम इन्जेक्शन
13. क्लोसासिलीन सोडियम कैप्सूल और इन्जेक्शन
14. जेंटामाइसिन सल्फेट इन्जेक्शन (गारामाइसिन)
15. कारवेनीसिलीन इन्जेक्शन (पायोपेन)
16. ट्राईमैथोपरिम सल्फा मैथीराजौल टेवलेट (सैप्ट्रिन)
17. लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइट कैप्सूल और इन्जेक्शन
18. मैथोट्रेक्सेट टेवलेट और इन्जेक्शन
19. फ्लूरूरैसिल इन्जेक्शन
20. थिस्टेपा इन्जेक्शन
21. ऐवशन ओमाइसिन डी इन्जेक्शन
22. विनब्लास्टाइन सल्फेट इन्जेक्शन
23. विनक्रिस्टिन सल्फेट इन्जेक्शन
24. माइटोमाइसिन-सी इन्जेक्शन
25. एल-डोपा और उसके कैप्सूल

26. रिफैमाइसिन कैप्सूल
27. क्रोनिक गोनाड्रोट्रोफिया इंजेक्शन (एन्टीट्रोन एस)
28. एलोपुरीनोल टेबलेट (जाईलोरिक)
29. ब्लुमाइसिन इंजेक्शन
30. ट्रेटामिन टेबलेट और इंजेक्शन
31. साक्लोफास्फैमाइड टेबलेट और इंजेक्शन
32. वुसुलफान टेबलेट
33. मेरकैप्टोपुरिरा टेबलेट
34. सेफलोरिडीन इंजेक्शन
35. क्लोरामबुसिल टेबलेट
36. पैनासिलामाइन कैप्सूल
37. इस्तेमाल के लिये तैयार रुद्र एल्यूनिन (मानव)
38. वाल्सोप्रेसिस्न स्प्रे
39. प्रेक्टोलोल टेबलेट और इंजेक्शन
40. क्विनी डाइन सल्फेट इन्ट्रावीनस इंजेक्शन
41. लौसीवोरिन की कैल्सियम इंजेक्शन
42. साइटीसार इंजेक्शन
43. प्रोकावाजाइन हाइड्रो-क्लोराइड कैप्सूल
44. मेल्फलेन टेबलेट और इंजेक्शन
45. सेरूविडीन इंजेक्शन
46. रेसमिक फैनीलालानाइन नाइट्रोजन मस्टर्ड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट और इंजेक्शन
47. पाइरिडीनोल कारवामेट टेबलेट
48. क्लोफैजिमीन कैप्सूल
49. इस्तेमाल के लिए तैयार एन्टी-डी इम्यूनोजियोवुलिन (मानव)
50. 6-ईसोजिनाइन टेबलेट
51. ऐजाथियोप्रिया टेबलेट और इंजेक्शन

52. थियोजुआनाइन टेबलेट

53. फ्लोक्सुरिडाइन (एफ० यू०डी०आर०) इंजेक्शन

54. करानुस्तिया (बी०सी०एन०यू०) इंजेक्शन

55. मन्नीटाले वुसुलफन निर्मितियाँ

56. टोपिकल इस्तेमाल के लिए पोडोफाईक्लोटेक्सिन मरहम और घोल

57. माइट्रामाइसिन इंजेक्शन

58. हाइड्राक्सी यूरिया कैप्सूल

59. एंल-एस्पाराजिनेस (कोलेस्पेस) इंजेक्शन

60. नाइटोटेन टेबलेट

61. एडकैमाइसिन इंजेक्शन

62. सी०सी०एन०यू० (1, 2-क्लोरोइथाइल)
3-साइक्लोहैक्सिल-1 नाइट्रोसोरेसा निर्मितियाँ

63. मस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन

64. एमेंटाडाइन हाइड्रोक्लोजाइड कैप्सूल

65. पोटाशियम पी-एमीनोवेंजोएट टेबलेट/कैप्सूल

66. सोडियम क्रोमोग्लाइकेटस्पिन कैप और कार्टरिज

67. इंजेक्शन के लिये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का घोल

68. लेवोडापो टेबलेट/कैप्सूल सहित कारवीडोपा

69. वोक्लैमाइड टेबलेट

70. वेंजीरैजाइड टेबलेट/कैप्सूल सहित लेवोडोपा

71. विशिष्ट डेसेंसीटाईजिंग वैको आइन

72. सैलवूटामाले सल्फेट (टेबलेट)

73. डैस्फारिआक्सामाइन मैसीलेट

74. हैजो हैलोधानी तरल

75. इंजेक्शन-योग्य मैथी-प्रेडनीसोलोनी ।

ऐसी कोई अन्य औषधि जो महा निदेशक अथवा उप महानिदेशक अथवा सहायक महा

निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली ने अलग-अलग मामले में जीवन रक्षक औषधि अथवा दवाई के रूप में प्रमाणित की हो, आयात करते समय संलग्न प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण-पत्र सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क को पेश किया जाता है।

प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

द्वारा आयात की जा रही/की जाने वाली औषधि/दवाई

(औषधि/दवाई का नाम)

जीवन रक्षक औषधि/दवाई है और सीमाशुल्क की अदायगी से छूट देने के लिये सिफारिश की जाती है।

महा निदेशक/उप महानिदेशक/
सहायक महा निदेशक, स्वास्थ्य
सेवा, नई दिल्ली के हस्ताक्षर

पाकिस्तान का बंगलादेश को सहायता देना

10362. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान बंगलादेश को उसकी सेना की हार्डवेयर की मांग का आंकलन करने में सहायता दे रहा है और आंकलन प्राप्त होने के बाद बंगला देश सेना के एक दल के शीघ्र हथियार प्राप्त करने हेतु चीन जाने की संभावना है;

(ख) क्या वैध वीसा वाले भारतीय नागरिकों को बंगला देश में पूछताछ के लिये विभिन्न छावनियों में ले जाया गया है और वैध वीसा वाले भारतीय नागरिकों को बंगला देश में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान तथा बंगला देश द्वारा दी जाने वाली किसी धमकी का समुचित और यथोचित सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)—(क) सरकार ने इस आशय की समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को देखा है।

(ख) और (ग) भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा पार की गतिविधियां सामान्य रही हैं।

एच०पी०एस० मूंगफली की खली का निर्यात

10363. **श्री के० मालन्ना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य से पिछले तीन सालों के दौरान बाहर के प्रत्येक देश की कितनी एच० पी० एस० मूंगफली की खली निर्यात की गई और उसका मूल्य कितना था;

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक बाहर के देश से प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान प्रत्येक बाहर के देश को कितना और कितने मूल्य की उपर्युक्त खली का निर्यात किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) एच० पी० एस० मूंगफली की खली निर्यात नहीं की जा रही है । तथापि सीमित सीमाओं के भीतर एच० पी० एस० मूंगफली तथा मूंगफली निस्सारण के निर्यात की अनुमति दी जाती है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति के पत्रक को अन्तिम रूप दिया जाना

10364. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति के पत्रक को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकारों से सलाह ली गई थी;

(ग) राष्ट्रीय नीति निर्धारण समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी नहीं, अभी नहीं ।

(ख) पालिसी पेपर को तैयार करते हुए, राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अभिव्यक्त किये गये विचारों और दिसम्बर, 1981 में हुये राज्यों के पर्यटन-मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन के सुझावों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) ड्राफ्ट पालिसी पेपर पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है और सरकार के अनुमोदन के लिए इसे शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान किये जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीयकृत और अन्य बीमा कम्पनियों में गैर दावे की धनराशि

10365. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अनेक राष्ट्रीयकृत और बीमा कम्पनियों में विना दावे वाली बहुत अधिक धन राशि पड़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक कम्पनी में गैर दावे की कितनी धनराशि पड़ी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पाँच सालों के दौरान इस गैर दावे की धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जब साधारण बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम को साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर होल्डरों और अन्य बीमाकर्ताओं को उनके हितों के अंतरण के वास्ते संवितरण करने के लिये 38.05 करोड़ रुपये की राशि अदा की थी। 31 दिसम्बर, 1981 तक 37.51 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। साधारण बीमा निगम के पास उस तारीख को पड़ी असंवितरित 54 लाख रुपये की शेष राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये)
(i) भूतपूर्व भारतीय बीमा कंपनियों के शेयर होल्डर	41
(ii) भूतपूर्व म्यूचुअल बीमाकर्ता	13
	54

हवाई अड्डे पर "इलेक्ट्रानिक डिटेक्शन डिवाइस"

10366. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि विमान में चढ़ने से पहले यात्रियों के हैंडबैग और यात्रियों की पूरी जाँच के लिये देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर आधुनिक "इलेक्ट्रानिक डिटेक्शन डिवाइस" उपलब्ध कराये जायें;

(ख) यदि हाँ, तो देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ऐसे "इलेक्ट्रानिक डिवाइस" कब उपलब्ध कराये जा रहे हैं;

(ग) नई "डिवाइस" शुरू करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : (क) जी, हाँ ।

(ख) आरोहण-पूर्व सुरक्षा जाँच को पूर्ण एवं सुस्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित डिटेक्टशन उपायों का पता लगाया गया है :—

(i) डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर

(ii) हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टर

(iii) एक्स रे बैगेज इंस्पैक्शन सिस्टम

41 हवाई अड्डों पर 68 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर पहले ही स्थापित कर दिये गये हैं। बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर दो-दो एक्स रे बैगेज इंस्पैक्शन यूनिटें भी स्थापित कर दी गई हैं। इसके अलावा, 68 हवाई अड्डों के लिये 203 हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टर सप्लाई कर दिये गये हैं। परन्तु एक्स रे बैगेज इंस्पैक्शन यूनिटों को सभी चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तथा 11 संवेदनशील अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर 1983 तक स्थापित कर दिया जायेगा ।

(ग) उपकरण प्राप्त करने के लिये 591.45 लाख रुपये (लगभग) व्यय होगा ।

(घ) इलेक्ट्रानिक उपायों का ब्यौरा उपर्युक्त (ख) में दिया गया है ।

विदेशी पर्यटकों का उड़ीसा का दौरा

10367. **श्री चिंता मणि जेना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उड़ीसा में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि (एक) दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवा उपलब्ध कराई जाए (दो) भुवनेश्वर को बेस बनाकर राज्य में मध्यम स्तर की विमान की विमान सेवा शुरू की जाए (तीन) राज्य में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विकास करके इसे आधुनिक स्टेंडर्ड का बनाया जाए और हवाई पट्टियों को सुदृढ़ किया जाए, यदि हाँ, तो सरकार ने प्रत्येक माँग पर क्या कदम उठाये हैं;

(ग) दिल्ली और भुवनेश्र के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवा कब तक शुरू की जायगी; और

(ग) मध्यम स्तर की विमान सेवा कब तक शुरू की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) भारत की यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आँकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किये जाते हैं, न कि राज्य-वार आधार पर। तथापि, 1976-77 के दौरान संचालित विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार,

उन सभी विदेशी पर्यटकों में से जिन्होंने भारत की यात्रा की, 1.16 प्रतिशत ने पुरी की और 0.77 प्रतिशत ने भुवनेश्वर की यात्रा की। उस आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन विदेशी पर्यटकों ने पुरी और भुवनेश्वर की यात्रा की है उनकी अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

	1979	1980	1981
पुरी	8,870	9,280	9,900
भुवनेश्वर	5,890	6,160	6,570

(ख) (1) फिलहाल इंडियन एयरलाइंस दिल्ली/वाराणसी/भुवनेश्वर/राँची/वाराणसी/दिल्ली सेक्टर में सप्ताह में तीन बार फ्लाइट आईसी-497/498 आपरेट करती है जिनमें से दिल्ली/भुवनेश्वर/दिल्ली सेक्टरों में प्रत्येक फ्लाइट में औसतन 35 से 40 सवारियाँ होती हैं। अन्य किसी रूट की ही भाँति, इस रूट पर एक्स्ट्रा सर्विसेज चलाने के प्रश्न की बराबर समीक्षा की जाती है और यातायात प्रवृत्तियों का बराबर अध्ययन किया जाता है। जैसे ही यातायात की वृद्धि पर आधारित एक्स्ट्रा फ्लाइट्स की जरूरत होगी उस पर विचार किया जाएगा।

(2) जी, हाँ। राज्य सरकार ने भुवनेश्वर को आधार बनाकर जैपुर, झारसगुडा और राउरकेला के लिये वायुदूत सेवा का प्रस्ताव भेजा है। अभी तक राउरकेला को वायुदूत-सेवा द्वारा 14 अप्रैल, 1982 से जोड़ा गया है।

(3) छठी योजना में भुवनेश्वर हवाई-अड्डे के रनवे को मजबूत बनाने और उसकी लम्बाई बढ़ाने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, यातायात में प्रत्याशित वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिये 14.78 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर इस हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार और रद्दोबदल संबंधी कार्य शुरू किया गया है और वह प्रगति पर है।

(ग) जबकि यातायात की कम माँग के कारण दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच दैनिक वोइंग सेवा शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, अब इस वर्ष के अन्त में और हवाई जहाज मिल जाएंगे और तब यदि यातायात की मांग का औचित्य रहा तो इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच विद्यमान "स्टापिंग सर्विस" की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर विचार करेगी।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) (2) में बताया गया है उड़ीसा के अन्तर्गत राउरकेला को 14 अप्रैल, 1982 के वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ दिया गया है। वायुदूत सेवा के विस्तार कार्यक्रम के पहले चरण में उड़ीसा के किसी अन्य स्टेशन को वायुदूत से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात करने वाले एकाधिकार घराने

10368. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एकाधिकार घरानों के नाम क्या हैं जो समुद्री उत्पादों का निर्यात करते हैं;

(ख) पिछले दो सालों के दौरान उनमें से प्रत्येक घराने में कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया और उन्होंने यह निर्यात किन देशों को किया;

(ग) क्या किसी सार्वजनिक उपक्रम ने इस व्यापार में प्रवेश किया है; यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है; और

(घ) कब से, पिछले दो सालों के दौरान इसने कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जो एम० आर० टी० पी० सदन समुद्री उत्पाद निर्यात कर रहे हैं उनके नाम गत दो वर्षों (1979-80 तथा 1980-81) के दौरान प्रत्येक द्वारा निर्यात किये गये समुद्री उत्पादों का मूल्य और जिन देशों को उन्होंने निर्यात किया उनके नाम विवरण एक में दिये गये हैं।

(ग) तथा (घ) समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात व्यापार में लगे हुए सरकारी क्षेत्र केउपक्रमों के नाम, निर्यात हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के पास पंजीकरण की तारीख और गत दो वर्षों (1979-80 तथा 1980-81) के दौरान प्रत्येक द्वारा निर्यात किये गये समुद्री उत्पादों के मूल्य का ब्यौरा विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

मूल्य हजार रु० में

क्रमांक	निर्यातक का नाम	1979-80		1980-81	
		मूल्य	जिन देशों को निर्यात किया गया	मूल्य	जिन देशों को निर्यात किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	आई० टी० सी० लि०	3200	जापान	10218	जापान
2.	रेलीज इंडिया लि०	23570	सं.रा.अ. जापान, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, हंगरी।	19254	जापान, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड्स ब्रिटेन।
3.	यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०।	39470	सं.रा.अ., जापान, नीदरलैंड्स।	36430	सं.रा.अ., जापान, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्पेन।
4.	हिन्दुस्तान लीवर लि०	23867	जापान	12749	जापान।

1	2	3	4	5	6
5.	विम्को लि०	18230	सं.रा.अ. जापान, बेल्जियम, नीदरलैंड्स ।	12272	जापान, नीदरलैंड्स, फ्रांस ।
6.	कोकण फिशरीज	23782	जापान, सं.रा.अ. नीदरलैंड्स, फ्रांस, ब्रिटेन, कुवैत ।	4641	जापान, जर्मन संघीय गणराज्य, सं. रा. अमरीका, संयुक्त अरब, अमीरात ।
7.	टाटा आयल मिल्स कं० लि०	55315	सं.रा.अ., जापान, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, कुवैत, जर्मन संघीय गणराज्य, आइलैंड, मसकत, ब्रिटेन, यूनान, सं. अरब अमीरात, स्पेन, ईरान, मारीशस ।	32059	अल्जीरिया, मारीशस, सं.रा.अ., जापान, फिलिपाइन्स, कुवैत, सं. अरब अमीरात, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली; नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन, यूनान, हांगकांग ।
8.	वोल्टास लि०	18876	सं०रा.अ., जापान, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्पेन, हांगकांग, कुवैत, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, सं.रा. अमीरात, दक्षिण अरबिया, बेल्जियम ।	26843	सं.रा.अ., हांगकांग, जापान, बेल्जियम, नीदरलैंड्स' ब्रिटेन, फ्रांस, कुवैत, सं., अरब अमीरात, स्पेन ।
9.	चौगले एण्ड कं० (प्रा०) लि० ।	1971	जापान	12063	जापान, सं. रा. अमीरात, फ्रांस ।

1	2	3	4	5	6
10.	रौनक इन्टरनेशनल	242	आस्ट्रेलिया, कुवैत, श्रीलंका ।	263	ईराक, श्रीलंका ।
11.	न्यू इंडिया फिशरीज लि० ।	34842	सं. रा. अ., जापान, नीदरलैंड्स, वेल्जियम, हांगकांग, कुवैत ।	46065	मारीशस, जापान, सिंगापुर, बहरीन, डोहा, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, वेल्जियम, जर्मन, संघीय गणराज्य, सं.रा.अ., हांगकांग, यूनान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात ।
12.	बजाज इन्टरनेशनल	3534	सं.रा. अमरीका, जापान ।	131	जापान
13.	शा वेलेश एण्ड कं०	—	—	8435	जापान
14.	मद्रास रबड़ फैक्टरी	—	—	25	जापान

विवरण-दो

मूल्य हजार रुपयों में

क्रमांक	निर्यातक का नाम	निर्यात करने हेतु एम पी ई डी ए के पास पंजीकरण की तारीख ।	1979-80	1980-81
1.	आन्ध्र प्रदेश फिशरीज डव्ल्पमेंट कार्पोरेशन	25-5-76	14225	20613
2.	केरल फिशरीज डव्ल्पमेंट कार्पोरेशन ।	7-7-73	9280	2229
3.	कर्नाटक फिशरीज डव्ल्पमेंट कार्पोरेशन ।	24-11-74	771	311
4.	पश्चिम बंगाल राज्य फिशरीज डव्ल्पमेंट कार्पोरेशन	6-6-77	1166	884
5.	तमिलनाडु फिशरीज डव्ल्पमेंट कार्पोरेशन ।	3-6-78	—	—
6.	भारतीय राज्य व्यापार निगम ।	3-8-73	13147	6995

आस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय रेशम उत्पादों और हस्तशिल्प की मदों का आयात करना

10369. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया ने भी भारतीय रेशम उत्पाद और हस्तशिल्प की मदों का आयात करने में रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) हालांकि भारतीय रेशम उत्पादों व हस्तशिल्प की मदों के सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया से कोई विशेष पेशकशें तो नहीं हुई हैं, तथापि पिछले कुछ वर्षों में आस्ट्रेलिया को होने वाले इन मदों के हमारे निर्यातों में कुछ वृद्धि का रुख दिखाई दिया है ।

डी० जी० आई० संगठन में संवर्ग की पुनरीक्षण

10370. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० आई० संगठन में प्रस्तावित संवर्ग पुनरीक्षा पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो मंत्रालय ने पत्र संख्या 1333 के/डी (प्रो०)/80-81 दिनांक 20 अप्रैल, 1981 में दिए गए नीति संबंधी निर्णय के अनुसार, खाली हो गए स्थानों को किन कारणों से नहीं भरा गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि डी० जी० आई० हैडक्वार्टर्स में एक संयुक्त निदेशक तथा एक उपनिदेशक के पद और सी. आई. एस. वी. देहू रोड में एक संयुक्त नियंत्रक और दो उप नियंत्रकों के पद विहीकल डिसिपिलिन में खाली पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें असैनिक वैज्ञानिकों के साथ उच्चतर परस्पर वरीयता के साथ भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 20-4-81 को जारी किए गए अनुदेशों को 8-3-1982 से रद्द कर दिया गया है और अब वे लागू नहीं हैं ।

(ग) और (घ) डी. आई. वी. मुख्यालय में एक पद संयुक्त निदेशक का और एक पद उप निदेशक का तथा सी. आई. एस. वी. देहू रोड में उप नियंत्रक तथा सहायक नियंत्रक के एक एक पद खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को भरने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचत को बढ़ावा देना

10371. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में भी अन्य बचत योजना शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के इस जिले में अब तक इस योजना में पूर्व निर्धारित तथ्य की तुलना में कितनी उपलब्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न अल्प बचत योजनाएं शुरू की गई हैं और ये देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों में लागू होती हैं, जिनमें उड़ीसा का क्योंझर जिला भी शामिल है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जिले-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, अप्रैल 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि में क्योंझर जिले में अल्प बचत की 5.45 लाख रुपए की राशि (पूर्णांकित) इकट्ठी हुई है ।

दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में उपलब्ध निर्यात क्षमता

10372. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के विकासशील देशों में उपलब्ध निर्यात क्षमता का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों को निर्यात का बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) तथा (ख) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, व्यापार विकास प्राधिकरण, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों आदि द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया को इन देशों में उपलब्ध निर्यात संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए समय समय पर अध्ययन दल/प्रतिनिधि मंडल प्रायोजित किए हैं । किए गए अध्ययनों/प्रायोजित प्रतिनिधि मंडलों में से कुछ के ब्यौरे **संलग्न विवरण** में दिये गये हैं ।

(ग) तथा (घ) नकद प्रतिपूर्ति सहायता, आयात प्रतिपूर्ति आदि जैसे प्रोत्साहन, जो अन्य स्थानों के लिए दिए जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया के विकासशील देशों को होने वाले निर्यातों के सम्बन्ध में भी उपलब्ध हैं । इस समय, इन देशों को निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान चुनिन्दा भारतीय उत्पादों के लिए संभाव्यताओं का पता लगाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया के बाजारों की ओर विशेष ध्यान

देता रहा है। इन अध्ययनों में चुनिन्दा उत्पादों के लिए निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण, संयुक्त उद्यमों के संबंध में अध्ययन, व्यापारी कार्यपालकों के लिए बाजार अभिमुखीकरण दौरे, व्यापारी कार्य पालकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम नामक संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम के सहभागियों के लिए अभिमुखीकरण दौरे शामिल हैं। ये अध्ययन प्रकाशित किये गये हैं और जानकारी निर्यात कम्पनियों, व्यापारिक संगठनों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों को प्रदान की गई थी। इन रिपोर्टों के उद्धरण प्रमुख वित्तीय पत्रिकाओं तथा दैनिक पत्रों में भी प्रस्तावित हुए हैं।

संस्थान द्वारा 1966-67 से किये गये अध्ययनों, जिनमें चालू वर्ष के दौरान किये जाने के लिए प्रस्तावित अध्ययन भी शामिल हैं की एक सूची संलग्न है।

व्यापार विकास प्राधिकरण

एक बाजार सम्भाव्यता सर्वेक्षण (क) दस्ती औजारों (ख) मोटर गाड़ी अनुषंगी सामान (ग) साइकिल संघटकों के सम्बन्ध में इण्डोनेशिया, मलयेशिया, थाइलैंड तथा हांगकांग में किया गया, इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत मोटर गाड़ी अनुषंगी सामान, दस्ती औजारों तथा घरेलू सज्जा सामान के संबंध में संभाव्यता पर विचार करने के लिए सिंगापुर को भी शामिल किया गया। यह अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, जेनेवा से सहायता प्राप्त करके अप्रैल-मई, 1979 के दौरान किया गया। अध्ययन से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड में सर्वेक्षित मदों के संबंध में पर्याप्त निर्यात संभाव्यता का पता लगाया गया; हांगकांग में अध्ययन से पता चला कि दस्ती औजारों के लिए अच्छी संभाव्यता विद्यमान है जबकि साइकिल संघटकों तथा मोटरगाड़ी अनुषंगी सामान के संबंध में संभाव्यता सीमित पाई गई। घरेलू सज्जा सामान, मोटर गाड़ी अनुषंगी सामान तथा चुनिन्दा दस्ती औजारों के लिए सिंगापुर में महत्त्वपूर्ण संभाव्यता का पता लगाया गया।

सामान्य तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में चुनिन्दा देशों में और विशेष तौर पर थाइलैंड, मलयेशिया, सिंगापुर तथा इन्डोनेशिया में डीजल इन्जन निर्यात करने के लिए संभाव्यता पर विचार करने के लिए मार्च, 1977 में एक अध्ययन दौरे का भी आयोजन किया गया। अध्ययन से पता चला कि जापान और यूरोप में प्रतिस्पर्द्धा इन देशों में बहुत तीव्र है और भारतीय विनिर्माताओं को मशीनों की परिसज्जा का सुधार करना होगा और संवर्धनात्मक उपाय करने होंगे। अध्ययन से यह भी पता चला कि आगे चलकर भारतीय विनिर्माताओं को यूरोपीय तथा जापानी व्यापारियों द्वारा विपणित किये जा रहे रूप में हाई-पावर-टू-वेट-रेशों के साथ एयर-कूल्ड इंजनों का विकास करना चाहिए।

सऊदी अरब तथा ईरान में चुनिन्दा उत्पादों के लिए एक बाजार सर्वेक्षण भी 1976-77 में किया गया। अध्ययन से पता चला कि भारतीय डीजल इन्जन सऊदी अरब में मांग के महत्त्वपूर्ण भाग को पूरा करते हैं, जबकि भारत के लिए निर्यात संभाव्यता बिल्डर्स, हार्डवेयर, साधित खाद्य पदार्थ, छोट तथा दस्ती औजारों और औद्योगिक फासनर्स, के सम्बन्ध में निर्यात संभाव्यता विद्यमान है। मोटर गाड़ी के पुर्जों के सम्बन्ध में सीमित गुंजाइश पाई गई। ईरान में अध्ययन से पता चला कि मोटर गाड़ी के पुर्जों तथा बिल्डर्स, हार्डवेयर के लिए पर्याप्त निर्यात संभाव्यता विद्यमान है जबकि यूरोपीय, जापानी और अमरीकी उत्पादों के लिए तरजीह के कारण वैज्ञानिक उपकरणों के लिए बाजार सीमित है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (स. उ. नि. रि. प.)

भारतीय समुद्र उत्पादों के लिए निर्यात संभाव्यता का पता लगाने के लिए 1978-79 के दौरान सऊदी अरब, कुवैत, कतार, ओमन, बहरीन, इराक, दुबई तथा आबुधाबी में बाजार सर्वेक्षण किए गए। 1979-80 के दौरान हांगकांग तथा सिंगापुर में और 1980-81 के दौरान सिंगापुर, हांगकांग तथा मलयेशिया है।

विकास आक्युत (हस्तशिल्प) का कार्यालय

एक 3 सदस्यीय शासकीय प्रतिनिधि मण्डल ने सऊदी अरब, बहरीन तथा दुबई का, भारतीय हस्त गाँठवद्ध ऊनी कालीनों के लिए इन बाजारों का पता लगाने के उद्देश्य से, 17 फरवरी से 25 फरवरी, 1982 तक दौरान किया। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चला कि सऊदी अरब तथा दुबई में भारतीय हस्त गांठवद्ध ऊनी कालीनों के लिए पर्याप्त संभाव्यता है।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद

परिषद ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में इन्जीनियरी निर्यातों के लिए संभाव्यता के बारे में विभिन्न अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों से स्पष्ट पता चलता है कि दोनों प्रदेशों में विकास शील देश बड़े पैमाने पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करने में व्यस्त हैं और इन देशों में इन्जीनियरी माल के आयात हाल के वर्षों के दौरान बढ़ते रहे हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया के देशों को इन्जीनियरी माल के निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिषद ने विशेष जोर देने के लिए इन्डोनेशिया, मलयेशिया, श्रीलंका, ईरान ईराक, सऊदी अरब को चुना है। परिषद ने ऐसी कतिपय वस्तुओं को भी चुना है जिन पर इन प्रदेशों को निर्यात के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

रत्न तथा आभूषण के लिए 1980 के शुरू में मध्य पूर्वी देशों का एक बाजार सर्वेक्षण किया गया। भारत से तराशे हुए तथा पालिशकृत हीरों के निर्यातों की संभाव्यता का अध्ययन करने तथा उनका संवर्धन करने के लिए 1982 में सिंगापुर, मलयेशिया, थाइलैंड, इन्डोनेशिया तथा चीन का दौरा करने का, हीरों के निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमण्डल का कार्यक्रम है।

चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद

परिषद का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को 1982 के दौरान एक विक्री दल भेजने का प्रस्ताव है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एशिया के बारे में पूरी की गई संचालनात्मक परियोजनाएं

क्रमांक	परियोजना का नाम	वर्ष
1	2	3
1.	भारत-श्रीलंका व्यापार	1968-69
2.	एक एशियाई भुगतान संघ स्थापित करने की स्थापना के लिए संभावनाएं तथा संभाव्यताएं	1971-72

1	2	3
3.	दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की भूमिका और भारतीय प्रतिक्रिया	1974-75
4.	चुनिन्दा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार विस्तार की संभावनाएं	1974-75
5.	बहु पक्षीय व्यापार वार्ताओं एम० टी० एन० में शील एस्केप देशों के लिए उत्पाद-रूपरेखा तथा कार्रवाई की योजनाएं	1976-76
6.	भारत तथा फिलीपीन्स, इन्डोनेशियर, थाईलैंड, श्रीलंका तथा सिंगापुर के संदर्भ के नौवहन सम्मेलन में समझौता प्रबन्ध के बारे में अध्ययन	1975-76
7.	विदेशों में भारत के संयुक्त उद्यम (मलयेशिया सहित)	1977-78
8.	सरकारी बाजारों में बेचने की क्रिया-विधि इन्डोनेशिया, मलयेशिया तथा फिलीपीन्स का एक अध्ययन	1978-79
9.	विश्व के साथ व्यापार : देश रूपरेखा (वाल्यूम/पश्चिम एशिया)	1979-80
10.	दक्षिण एशिया में आयात-निर्यात ढांचा और व्यापार विस्तार (भारत में देश का अध्ययन)	1980-81

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में पूरे किए गए विदेशी बाजार सर्वेक्षण

क्रमांक	सर्वेक्षण का नाम	वर्ष
1.	ईरान में चुनिंदा भेषजीय व रासायनिक उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण	1966-67
2.	सऊदी अरब में चुनिंदा भेषजीय व रासायनिक उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण	1966-67
3.	ईरान में चाय, जूट से विनिर्मित वस्तुओं तथा चुनिंदा इंजीनियरी उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण	1966-67
4.	सऊदी अरब, कुवैत तथा बहरीन में काफी पर बाजार सर्वेक्षण	1967-68
5.	सऊदी अरब, कुवैत तथा बहरीन में इलायची पर बाजार सर्वेक्षण	1967-68
6.	यूरोप, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिमी एशिया के चुनिंदा देशों में ताजी व संसाधित फलों व सब्जियों के भारत द्वारा निर्यात की संभाव्यताओं पर बाजार सर्वेक्षण	1968-69

क्रमांक	सर्वेक्षण का नाम	वर्ष
7.	इन्डोनेशिया में मूल रसायनों और भेषजीय उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण	1970-71
8.	अफगानिस्तान पर बाजार सर्वेक्षण	1971-72
9.	कुवैत, बहरीन, कतार, ओमाल्न, आबूधाबी, तथा दुबई के चुनिंदा खाड़ी देशों का उत्पाद-अभिमुखा बाजार सर्वेक्षण	1973-74
10.	चुनिंदा इन्जीनियरी उत्पादों के लिए एशियन बाजार	1976-77
11.	ईरान में इंसैक्टीसाइड्स के बारे में बाजार सर्वेक्षण	1976-77
12.	सऊदी अरब, लीबिया अल्जीरिया तथा ईरान के पैट्रोलियम निर्यातक देशों में चुनिंदा इंजीनियरिंग माल के लिए बाजार सर्वेक्षण	1977-78
13.	एशिया के चुनिंदा देशों (जापान) कोरिया लोकवादी गणराज्य, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया, मालावी, नाइजीरिया व तंजानिया, में जूट से निर्मित वस्तुओं पर बाजार सर्वेक्षण	1978-79
14.	चुनिंदा पश्चिम एशियाई देशों में मांस तथा मांस उत्पादों की निर्यात संभाव्यताओं पर बाजार सर्वेक्षण	1978-79
15.	मलयेशिया, इन्डोनेशिया, हांगकांग, तथा थाइलैंड में हथकरघा फर्निशिंग तथा तैयार वस्तुओं की निर्यात संभाव्यता पर एम० ओ० टी० रिपोर्ट	1978-79
16.	संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन व सऊदी अरब में हथकरघा फर्निशिंग्स तथा प्रचार वस्तुओं पर एम० ओ० टी० रिपोर्ट	1978-79
17.	जाम्बिया, कुवैत तथा सऊदी अरब में पी वी सी तथा पोलीथिलीन पाइपों तथा फिटिंग्स पर एम ओ टी रिपोर्ट	1978-79
18.	मलयेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर व हांगकांग में पब्लिक एडरेस इक्विपमैंट पर एम० ओ० टी० रिपोर्ट	1978-79
19.	मलेशिया, सिंगापुर तथा हांगकांग में बाइसिकलों व बाइसिकलों के पुर्जों पर एम ओ टी रिपोर्ट	1980-81
20.	मलेशिया, सिंगापुर व हांगकांग में यात्रा के लिए आवश्यक सामान सहित चमड़े के माल पर एम ओ टी रिपोर्ट	1980-81
21.	आस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग तथा सिंगापुर के चुनिंदा हस्तशिल्प की वस्तुओं के बारे में बाजार सर्वेक्षण	1980-81
22.	चुनिंदा पश्चिमी एशियाई देशों (संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कुवैत, इराक तथा सऊदी अरब) में संस्थात्मक करारों के बारे में बाजार सर्वेक्षण	1980-81
23.	एशियन देशों में एब्जोरबैंट काटन तथा सर्जिकल ड्रैसिंग की निर्यात संभाव्यताएं	1981-82

क्रमांक	सर्वेक्षण का नाम	वर्ष
24.	इंडोनेशिया में मशीनी औजारों, वाइसिकलों तथा वाइसिकलों के पुर्जों, मोटर गाड़ी के पुर्जों तथा रंजक पदार्थों की निर्यात संभाव्यताएं (पी जी डी पी विद्यार्थियों द्वारा विपणन सर्वेक्षण)	1980-81
25.	थाइलैंड, इन्डोनेशिया व मलयेशिया में विद्युत संवितरण तथा प्रकाश उपस्कर पर बाजार सर्वेक्षण	1982-83 में करने का प्रस्ताव है।
26.	जापान, थाइलैंड, मलयेशिया तथा इंडोनेशिया में चैनल संवितरण पर अध्ययन	—वही—
27.	चुनिंदा मध्यपूर्व व एशियाई देशों में तम्बाकू उत्पादों के बारे में बाजार सर्वेक्षण	—वही—
28.	भारत तथा एशियन देशों के बीच व्यापार सहयोग	—वही—

1982 की निर्यात सूची में शामिल फार्म उत्पाद

10373. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982 की निर्यात सूची में और अधिक फार्म उत्पादन शामिल किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन उत्पादनों के निर्यात के लिये किये गये वायदे क्या हैं; और

(ग) 1982 के लिये गेहूं और चावल के निर्यात हेतु क्या वायदे किये हैं और क्या यह निर्यात देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गेंहू के निर्यात पर रोक है। बासमती चावल का निर्यात ओ. जी. एल. के आधार पर है और इस लिए गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा की गई वचनवद्धताओं के बारे में जानकारी नहीं है। गैर-बासमती चावल के निर्यात भारतीय खाद्य निगम की मार्फत सरणीबद्ध है। गैर-बासमती चावल का निर्यात घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद किया जायेगा।

हांप के आयात पर प्रतिबन्ध

10374. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांप बीयर के उत्पादन में काम आने वाले अवयवों में से एक

अवयव, के आयात पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद भारतीय मद्य निर्माण शालाएं इसका आयात कर रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हांप की वाणिज्यिक स्तर पर खेती काश्मीर में सफलतापूर्वक की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) ब्रिवरी हाप्स के आयात पर कोई रोक नहीं है ।

(ख) देश में ब्रिवरी हाप्स के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस मद को आयात नीति के परिशिष्ट 3 में शामिल कर लिया गया है जिसके लिए विशेषतया पंजीयित निर्यातकों सम्बन्धी आयात नीति के अन्तर्गत केवल सीमित आधार पर आयात की अनुमति दी जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी बैंकों द्वारा लिक्वीडिटी बनाये रखना

10375. **श्री एन०ई० होरो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत "लिक्वीडिटी" बनाये रखने की आवश्यकता होती है ;

(ख) विदेशी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर कितने प्रतिशत खर्च करना पड़ता है ; और

(ग) विदेशी बैंक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर ऊंची ब्याज दरों पर कितना (प्रतिशत) खर्च कर सकते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारत में निवल मांग तथा समय देयताओं के 7·25 प्रतिशत की दर से नकदी रिजर्व बनाये रखना आवश्यक है । इसके अलावा, विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारत में इनकी कुल मांग तथा समय देयताओं के 35 प्रतिशत से अनधिक की दर से प्राप्त परिसम्पत्तियों के रूप में सांविधिक नकदी अनुपात बनाए रखना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11 (2) (क) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधियों से अनधिक रकम और भारत में उनकी शाखाओं के माध्यम से किये गये कारबार के सम्बन्ध में हुए (प्रति वर्ष लाभ-हानि के खाते में यथा प्रदर्शित लाभ) लाभ को 20 प्रतिशत के बराबर की रकम या तो नकदी के रूप में या भारमुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना और किये रखना अपेक्षित है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की है ।

कपास की खरीद का लक्ष्य

10376. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास के आगामी सीजन के लिये इसका कोई मूल्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय कपास निगम ने पिछले सीजन में कुल कितनी मात्रा में तथा किस दर से कपास खरीदी ; और कपास का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य से कितनी कपास खरीदी गई; और

(घ) भारतीय कपास निगम ने अगले सीजन में कपास की खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है और कपास का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य से कपास की खरीद का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) **एक विवरण संलग्न है** ।

(घ) आगामी रूई मौसम के दौरान रूई की खरीद के लिये भारतीय रुई निगम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

विवरण

(ग) भारतीय रुई व्यापार निगम ने गत रुई मौसम 1980-81 के दौरान विभिन्न रुई उत्पादक राज्यों से रुई की लगभग 11·94 लाख गांठें खरीदी हैं । राज्यवार खरीदारियों के ब्यौरे और निगम द्वारा दी गई कीमतों की सीमा निम्नलिखित है :

राज्य	किस्म	खरीदारी (क्विंटल में)	दी गई कीमत की सीमा (रु० प्रति क्विंटल)
1	2	3	4
पंजाब	एफ-414	265791	554/415
	जे 34	1038204	527/367
	देसी	32645	391/271
हरियाणा	जे-34	361536	509/359
	देसी	24936	480/296
	एच-777	5067	486

1	2	3	4
राजस्थान	देसी	3062	417/311
	जे-34	586882	546/404
	320-एफ	18599	590/422
	भगती	28645	581/406
	विजय	8032	565/500
गुजरात	सी-जे-73	32228	467/439
	एफ-4	325941	607/545
	एस आर टी-1	512	515/503
	दिग्विजय	164054	569/528
	सी ओ-2	186691	579/510
	वी-797	130939	578/534
		* 1364 लिट	
		* 2800 एफ पी गांठें	
	कातागिन	43155	491/454
	वगद	36101 लिट	—
		* 10050 एफए गांठें	
मध्य प्रदेश	ए-51	499052	576/455
		* 350 एफ पी गांठें	
	197/3	19329	565/529
	वा ई-1	243653	601/440
	सी टी आई	4510	553/475
	ए के-11	594	563/500
	एच-4	139904	571/436
	1007	55083	565/529
	वारालक्ष्मी	3438	576/507
आन्ध्र प्रदेश	एच-4	55838	577/511
	1007	91976	539/469
	वारालक्ष्मी	112852	570/523
	जी-6	7531	483/465
	मुंगरी	214	376
	सी ओ-2	520	511/435
	एम सी यू०-5	351278	575/477
	सुविन	33592	838/675

1	2	4	5
कर्नाटक	वारालक्ष्मी	3932 * 133 लिट	576/438
	मुंगरी	200	377
	लक्ष्मी	90608 *11796 लिट	489/350
	जयधर	296855 * 22729 लिट	513/438
	सुयोधर	28679 * 5037 लिट	518/463
	हम्पी	16432	536/521
	170/सी 82	5523	474/45 9
	विरनार	5569	397/385
	एच-420	4446	433/396
	ए के-235	110	380
तमिलनाडु	वारालक्ष्मी	30390	633/550
	एम सी यू०	429923	599/537
	एम सी यू-7	28392	555/548
	लक्ष्मी	359	536/484
	सुवियन	5396	815/675
उत्तर प्रदेश	जे-34	816	434

10377

विदेशों में धारक बांड की बिक्री के लिए अदायगी का रूप

10377. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में बेचे गये 3.07 करोड़ रुपये के धारक बांडों की अदायगी रुपयों में या विदेशी मुद्रा में की गई है ;

(ख) क्या इन बांडों की धनराशि विदेशी मुद्रा में या भारतीय मुद्रा में वापस की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो बांडों की धनराशि भारत में वापस की जाती है तो क्या यह भारतीय मुद्रा में या विदेशी मुद्रा में की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) विदेशों में विशेष वाहक बांडों के अभिदानों की राशियां विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई हैं। परन्तु इनकी वापसी-अदायगी भारत में बेचे गए बांडों की तरह, भारत में भारतीय रुपयों में की जाएगी।

फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला झील में सैनिक अधिकारी की मृत्यु

10378. : **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अप्रैल 1982 को फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला झील में तीन महिलाओं सहित चार सैनिक अधिकारियों की उस समय मृत्यु हो गई जब उनकी नाव उलट गई ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई-जाँच कराई गई थी; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होने से रोकने हेतु क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। घटना की जांच करने के लिए एक जांच अदालत को आदेश दे दिया गया है। इसके निष्कर्षों और निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समुचित विभागीय कार्यवाही किस प्रकार की जाये इसका पता जांच अदालत के निष्कर्षों के बाद ही चल सकेगा।

क्रोम ओर के निर्यात पर सीमा शुल्क में छूट

10379. **डा० कृपा सिंधु भाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 'क्रोम ओर' के निर्यात पर सीमा शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां। उड़ीसा रकार ने भारत सरकार से (1) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट, (2) उत्पादन लागतों में वृद्धि, और (3) अन्य उत्पादक देशों से कड़ी प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए विद्यमान विशिष्ट दरों के आधार पर एक यथामूल्य दर पर क्रोमाइट अयस्क के सम्बन्ध में निर्यात शुल्क निर्धारित करने का अनुरोध किया।

(ग) क्रोमाइट अयस्क पर निर्यात शुल्क की विशिष्ट दरों में संशोधन करके उन्हें 10 प्रतिशत यथामूल्य किया गया है।

थल सेना मुख्यालय में आयुध निदेशालय के सी. पी. सैल के कर्मचारियों को बोनस

10380. **श्री दयाराम शरण : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थल सेना मुख्यालय में आयुध निदेशालय का सी. पी. सैल एक निम्न विरचना है जो सी. ओ. डी. कानपुर और सी. ओ. डी. छयोकी के कार्यों को निपटाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सी. पी. सैल के कर्मचारियों की सेवा शर्तें सी. ओ. डी. और ओ. ए. सी. (आर) सिकन्दराबाद द्वारा नियोजित अन्य डिपुओं के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो सी. पी. सैल के कर्मचारियों को बोनस न देने के क्या कारण हैं और सी. पी. सैल के लिये एक वित्त स्थापना प्राधिकृत क्यों नहीं की गई ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी नहीं। सेंट्रल प्रोवीजनिंग सैल सेवा मुख्यालय के साथ सम्बन्ध एक अलग संगठन है।

(ख) जी हां।

(ग) आयुध सेवा निदेशालय के अधीन केवल 38 विनिर्दिष्ट यूनिटों को उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना के अधीन बोनस के लिये हकदार समझा गया है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आम तौर पर इस योजना के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चूंकि सी. पी. सैल सेना मुख्यालय के साथ सम्बद्ध एक संगठन है अतः इस सैल के लिये अलग से किसी वित्त/स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

10381.

भारतीय स्टेट बैंक में स्थांतरण और पदोन्नति संबंधी नीति

श्री के० बी० एस० मणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक में कुछ वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एक स्थान पर 15 वर्ष से अधिक समय तक रहते हैं; और

(ख) इन बैंकों में ऐसे अधिकारियों के स्थान्नातरण और पदोन्नति संबंधी नीति क्या है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि परामर्शदाता कक्ष, जहां तकनीकी अधिकारी तैनात किये जाते हैं, केवल स्थानीय मुख्य कार्यालयों अथवा प्रधान क्षेत्रीय प्रबन्धकों के कार्यालयों में कार्यरत हैं। इसलिए सामान्य काडर के अधिकारियों के विपरीत, जो संगठन के अन्दर समय-समय पर विभिन्न स्तरों

पर विभिन्न पदों पर स्थानान्तरित किये जाते हैं, कुछ तकनीकी अधिकारी संभवत: कुछ स्थानों पर लम्बी अवधियों के लिए रह सकते हैं। लेकिन, तकनीकी अधिकारियों के लिये पदोन्नति की नीति लगभग वैसी ही है जो सामान्य काडर के अधिकारियों पर लागू होती है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

10382. **श्री थाभाई एम० करुणानिधि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक में, विशेषकर तमिलनाडु में, श्रेणी "क" और श्रेणी "घ" में प्रारम्भिक भर्ती, पदोन्नति और स्थायीकरण के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी भारत सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि इन्हें लागू किया गया है, तो श्रेणी "क" से श्रेणी "घ" के लिए जारी किए गए इन आदेशों के तारीख से तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि आरक्षण की कुछ बकाया रिक्तियां हैं, तो उन्हें भरने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : बैंकों के कर्मचारियों के केवल तीन संवर्ग होते हैं, अर्थात् अधिकारी, लिपिक (क्लर्क) तथा अधीनस्थ स्टाफ/ इण्डियन ओवरसीज बैंक ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती और साथ ही पदोन्नति में आरक्षण आरम्भ किया है। 1-1-1982 की स्थिति के अनुसार इण्डियन ओवरसीज बैंक में कार्यरत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या की संवर्गवार सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	4611	460
लिपिक (क्लर्क)	11632	2684
अधीनस्थ स्टाफ	2762	1227

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, पिछली बकाया को भरने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग से विशेष भर्ती करने की सलाह दी गई है।

सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन

10383. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 1981 को सदन में दिए गए बजट भाषण के इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि सम्पदा शुल्क के लिए किसी रिहायशी मकान या उनके एक हिस्से का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाएगा जैसे धन कर के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार का विचार इस बारे में सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने के लिए उपयुक्त आवश्यक कानून कब तक लाने का है;

(घ) क्या इसे 1 मार्च, 1981 से प्रभावी बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी ने, वर्ष 1981-82 का बजट प्रस्तुत करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, यह घोषणा भी की थी कि सम्पदा-शुल्क के प्रयोजनार्थ एक आवासीय मकान अथवा उसके भाग का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाएगा जैसा कि धनकर के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस घोषणा के कार्यान्वयन के लिए सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 में संशोधन की आवश्यकता है। तथापि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 (2) के अन्तर्गत, सम्पदा शुल्क अधिनियम में कोई भी संशोधन तभी किया जा सकता है जब कम-से-कम दो राज्य विधान मण्डलों ने प्रस्तावित संशोधनों की सिफारिश करते हुए संकल्प पारित कर दिए हों। जिन दो राज्यों से अपेक्षित संकल्प आने थे, वे अब प्राप्त हो गए हैं। भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1981-82 के अपने बजट भाषण में सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के लिये विधेयक, संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

जारी किये गये सी० सी० पी० एस० की संख्या

10384. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थायी रूप से बसने के लिये भारत वापस आये भारतीय नागरिकों, विदेशी महिलाओं, स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों, शाखाओं, एकमात्र निवास प्रतिनिधियों, विकलांग व्यक्तियों धर्मार्थ संस्थानों, विदेशी सहयोग प्राप्त रुपये में व्यापार करने वाली कम्पनियों आदि

को आयात नीति में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के लिये कितने सी० सी० पी० एस० जारी किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : आयात नीति उपबन्धों में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मोटर गाड़ियों के आयात के लिये 1979-80 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान जारी किये गये सीमा शुल्क निकासी परमिटों । आयात लाइसेंसों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

श्रेणी	1979-80	1980-81	1981-82
(क) स्थाई रूप से बसने के लिये भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रिक ।	248	408	509
(ख) भारतीय राष्ट्रिकों की ब्याही हुई विदेशी महिलायें ।	8	7	10
(ग) भारत में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में नियोजित विदेशी राष्ट्रिक ।	29	31	28
(घ) स्वयं काम पर लगे विदेशी राष्ट्रिक ।	2	1	2
(ङ) नान-डिप्लोमैटिक होम-बेसड स्टाफ (अन्य विदेशी विशेषज्ञ) ।	12	5	2
(च) शारीरिक रूप से विक्लांग व्यक्ति ।	3	15	75
(छ) विदेशी संस्थानों की शाखाएं/कार्यालय	13	9	17
(ज) विदेशी कम्पनियों के पूर्ण आवासीय प्रतिनिधि ।	15	28	31
(झ) विदेशी सहयोग वाली रुपया कम्पनियां	11	11	13
(ञ) विदेशी समाचार अभिकरणों के पत्रकार । सम्पादक ।	2	—	1
(ट) हवाई जहाज कम्पनियां	7	5	6
(ठ) भारतीय फर्में जो संविदायें क्रियान्वित कर रही हैं, विदेशों में संयुक्त उद्यमों में कार्य कर रही हैं अथवा लगी हैं ।	—	3	12
(ड) धर्मार्थ तथा मिशनरी संस्थान ।	6	8	4
योग	356	531	710

आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा के लिए पक्षपात पूर्व नियम

10385. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों (ग्रेड 'बी') और आयकर निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा के पक्षपातपूर्ण नियमों के बारे में आल इण्डिया इनकमटेक्स इम्प्लाइज फैडरेशन और चार मान्यता प्राप्त ऐसोसिएशनों का जुलाई, 1981 और 8 मार्च 1982 का ज्ञापन सरकार को मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए काफी संसद सदस्यों ने भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन और संसद सदस्यों के पत्रों पर इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) आयकर निरीक्षकों और आयकर अधिकारी समूह 'ख' की परीक्षाओं के लिए विभागीय परीक्षा नियमों में परिवर्तन करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है परन्तु इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

10386. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के पांच प्रधान डिवीजनों में प्रस्तावित पुनर्गठन के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन करने के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये विधायी प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। इस काम को जल्दी ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एयर इण्डिया की उड़ानों में छापा मारना

10387. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 फरवरी, 1982 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में एयर इण्डिया की उड़ान में छापा मारा था;

(ख) क्या छापे में तस्करी के समान का भंडार और हीरे पकड़े गये और यह कितने मूल्य के थे;

(ग) क्या इसमें कुछ एयर इण्डिया के अधिकारी भी शामिल थे और यदि हां, तो उनके नाम और पद क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उड़ान कर्मचारियों को उनके घनिष्ठ सम्पर्क के कारण प्राय: सीमा शुल्क जांच से मुक्त रखा जाता है और इससे भ्रष्टाचार की एक नई राह खुली है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : जी हां, बम्बई हवाई अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने 20 फरवरी 1982 को लगभग 1.06 करोड़ रुपये मूल्य के तराशे हुए और पालिश किये हुए 2980 कैरट हीरे उस समय पकड़े जब उनका भारत से तस्कर-निर्यात किये जाने का प्रयास किया जा रहा था।

(ग) एयर इण्डिया उड़ान के श्री पी० एम० पोनप्पा नामक पर्सर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसे इस मामले में ग्रस्त पाया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग के विकारक और गुप्त सूचना तंत्र को मजबूत बनाया गया है ताकि इन हवाई अड्डों के जरिये तस्करी के हर प्रयास को रोका जा सके।

लखनऊ में जीवन बीमा निगम कार्यालय का अनधिकृत रूप में कब्जा

10388. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने लगभग दो माह पूर्व लखनऊ में जीवन बीमा निगम कार्यालय पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम

10389. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (जहां प्रबन्ध निदेशक नहीं हैं) के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों/प्रबन्धक निदेशकों/निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नामों का विवरण संलग्न है।

विवरण

1. श्री रघुराज
   अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक एयर इंडिया
2. श्री हरि कौल
   अध्यक्ष एयर इंडिया चार्टर्स लि०
3. श्री जे० सी० निझावन
   अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक एंड्रयू यूले एण्ड कं० लि०
4. श्री लालथान जमा
   प्रबन्ध निदेशक अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लि०
5. मेजर जन० के० रघुनाथ
   प्रबन्ध निदेशक आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु० कार० आफ इंडिया
6. श्री एम० ए० खन्ना
   प्रबन्ध निनेशक बामेर लारी एण्ड कं० लि०
7. श्री आर० कानन
   प्रबन्ध निदेशक केला तथा फल विकास निगम
8. श्री एस० बालचन्द्रन
   निदेशक (वित्त) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कं० लि०
9. श्री आई० एम० आगा
   अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत एल्यूमिनियम कं० लि०
10. श्री आर० दत्ता
    अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०
11. श्री आर० जी० महेन्द्र
    अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत कोकिंग कोल लि०
12. श्री जेड० पी० मार्शल
    प्रबन्ध निदेशक भारत डायनेमिक्स लि०
13. मेज० जन० एस० एन० भास्कर (सेवानिवृत्त)
    अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत अर्थ मवर्स लि०
14. श्री एन० एल० कृष्णन
    प्रबन्ध निदेशक भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०

15. श्री पी० डी० गुप्ता
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत गोल्ड माइन्स लि०

16. श्री के० एल० पुरी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०

17. श्री एम० आर० नायडू
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०

18. श्री ए० एच० जेयेदव
प्रबन्ध निदेशक भारत लेदर कारपोरेशन

19. श्री पी० के० राय
प्रबन्ध निदेशक भारत ओपथैलमिक ग्लास लि०

20. श्री यू० एन० किनी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०

21. श्री दयाल राय
प्रबन्ध निदेशक भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजी० लि०

22. श्री वी० कृष्णन
प्रबन्ध निदेशक भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लि०

23. श्री एन० सी० मुखर्जी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत रिफ्रेक्टरीज लि०

24. श्री० ए० के० जौहरी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत वेगन एण्ड इंजी० कं० लि०

25. श्री ए० के० सरकार
प्रबन्ध निदेशक बीको लारी एण्ड कं० लि०

26. श्री आर० आर० वर्मा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०

27. श्री आर० दत्ता
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०

28. डा० पी० के० चौधरी
प्रबन्ध निदेशक ब्रिज एण्ड कं० (इ) लि०

29. श्री एस० सी० सेन
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक बर्न स्टेण्डर्ड कं० लि०

30. श्री बी० एस० व्यैक्कर
अध्यक्ष भारतीय काजू निगम लि०

31. श्री ए० पी० महेश्वरी
प्रबन्ध निदेशक भारतीय सीमेंट निगम लि०

32. डा० बी० एल० वडेरा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०

33. श्री वी० बी० भसीन
प्रबन्ध निदेशक सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपो० आफ इंडिया लि०

34. श्री यू० वेंकटेश्वरलू
प्रबन्ध निदेशक सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०

35. श्री डी० जे० विश्वास
प्रबन्ध निदेशक सेंट्रल फिशरीज कारपो० लि०

36. श्री ए० के० घोसाल
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०

37. श्री एस० एन० सिंह
निदेशक सेण्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि०

38. श्री एम० के० गर्ग
प्रबंध निदेशक सेण्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपो०

39. डा० बी० एल० वडेरा
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कोल इंडिया लि०

40. श्री सी० अब्राहम
प्रबन्ध निदेशक कोचीन रिफाइनरीज लि०

41. श्री डी० जयचंद्रन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कोचीन शिपयार्ड लि०

42. श्री पी० डी० जैन
प्रबंध निदेशक कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपो०

43. श्री एन० एस० कुलकर्णी
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक काटन कारपो० आफ इंडिया लि०

44. श्री पी० चक्रवर्ती
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक साइकिल कारपो० आफ इंडिया लि०

45. श्री यू० एस० श्रीवास्तव
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक दिल्ली परिवहन निगम

46. के० एस० के० सोमायाजुलू
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ड्रेजिंग कारपो० आफ इंडिया लि०

47. श्री सी० एस० झा
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

48. श्री एस० आर० विजयकर
प्रबंध निदेशक इलेक्ट्रानिक्स कारपो० आफ इंडिया

49. श्री पी० के० संदल
अध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनालाजी डेव० कारपो०

50. डा० एस० वरदराजन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लि०

51. ब्रिगे० ओ० पी० नरूला
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इ) लि०

52. श्री डी० डी० साठे, (आई सी एस सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपो० लि०

53. श्री एम० एन० खन्ना
प्रबंध निदेशक फेरो स्क्रेप निगम लि०

54. श्री वी० सुब्रह्मण्यम
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रा०) लि०

55. श्री पी० एल० कुकरेजा
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक फर्टिलाइजर कारपो० आफ इंडिया लि०

56. श्री पी० रामचन्द्रन
अध्यक्ष भारतीय खाद्य निगम

57. कमा० ए० के० सरकार
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०

58. कैप्टन पी० एल० चौहान
महाप्रबंधक गोआ शिपयार्ड लि०

59. श्री टी० वी० मनसुखानी
प्रबंध निदेशक एच० एम० टी० लि०

60. श्री टी० वी० मनसुखानी
प्रबंध निदेशक एच एम टी बियरिंग्स लि०

61. श्री एन० के० कृष्णन कुट्टी
प्रबन्ध निदेशक एच एम टी (इंटरनेशनल) लि०

62. श्री दिलजीत अरोड़ा
प्रबंध निदेशक भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम लि०

63. श्री एस० आर जैन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०

64. ग्रुप केप्टे० वी० के० कपूर
अध्यक्ष हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०

65. श्री वाई० एच घरपुरे
प्रबन्ध निदेशक हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०

66. श्री के० एल० रेड्डी
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान केबल्स लि०

67. श्री ओ० पी० वासुदेव
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान कापर लि०

68. श्री एच० सी० ग्रोवर
प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो०

69. डा० राम एस० हमसागर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि०

70. श्री एस० कृष्ण कुमार
अध्यक्ष हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०

71. श्री एच० कृष्णामूर्ती
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमि० लि०

72. श्री वी० मिश्र
प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान पेपर कारपो०

73. श्री आर० एम० भण्डारी
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो०

74. श्री पी० आर० एस० राव
प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लि०

75. श्री जे० के० मजूमदार
अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०

76. श्री आर० के० भल्ला
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०

77. श्री शम्भू कुमार
प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कारपो० लि०

78. रियर एडमि० के० आर० मेनन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०

79. डा० बी० सी० सीताराम
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०

80. श्री आर० पी० कपूर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तानार्जिग लि०

81. श्री एच० यू० विजवानी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक आवास तथा नगर विकास निगम

82. श्री अविनाश महाजन
प्रबंध निदेशक होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

83. कर्न० एस० पी० वाही
अध्यक्ष हाइड्रो कार्बन्स (इ) लि०

84. श्री के० डी० एस० डिल्लो
प्रबंध निदेशक इस्को स्टेनटन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कं० लि०

85. श्री एन० सी० मुखर्जी
प्रबंध निदेशक इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इंसूलेशन कं० लि०

86. श्री एस० के० मिश्र
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०

87. कैप्टन के० चड्डा
प्रबंध निदेशक इंडियन एअरलाइन्स

88. श्री जी० एम० झाल्ला
प्रबंध निदेशक इंडियन डेरी कारपोरेशन

80. श्री पी० एन० देवराजन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंडियन ड्रग्स एण्ड फामेस्यू० कारपो० लि०

90. श्री प्रजापति जोशी
परियोजना प्रबंधक इंडियन मेडिसिन फार्मेस्यूटिकल्स कारपो० लि०

91. श्री के० आर० संगामेश्वरन
मुख्य कार्यकारी इंडियन आइरन एण्ड स्टील कं० लि०

92. श्री आर० गुरूमूर्ति
प्रबंध निदेशक इंडियन आयल बलेंडिंग लि०

93. श्री ए० जे० ए० टोयरो
अध्यक्ष इंडियन आयल कारपो०

94. श्री जे० एस० बक्शी
निदेशक (वित्त) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०

95. श्री पी० एन० कौल
अध्यक्ष इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कारपो० लि०

96. श्री एम० ए० हादी
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंडियन रेअर अर्थ् लि०

97. मेज० जन० जे० एस० ससेन (अ. वि. से. प)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपो०

98. श्री सी० एस० एस० राव
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज

99. श्री ए० पी० भल्ला
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंडो बर्मा पेट्रोलियम कं लि०

100. ब्रिगे० वाई० नरूला (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंस्ट्रूमेंटेशन लि०

101. केप्टे० ए० एम० कपूर,
अध्यक्ष इन्टरनेशनल एअरपोर्ट्स अथारिटी आफ इण्डिया

102. श्री पी० के० बनर्जी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक जेसप एंड कं० लि०

103. श्री ए० के० पेत्रा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारतीय पटसन निगम लि०

104. श्री एच० वी० मीरचंदानी
प्रबन्ध निदेशक, कुद्रेमुख आइरन ओर कं० लि०

105. श्री एस० आर० चौधरी
प्रबन्ध निदेशक, लगन जूट मशीनरी कं० लि०

106. श्री पी० के० रूद्र
प्रबन्ध निदेशक, ल्यूब्रिजोल इण्डिया लि०

107. श्री जेसप कुरियन
प्रबन्ध निदेशक, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०

108. श्री ए० जे०ए० टियोरो
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, मद्रास रिफाइनरीज लि०

109. श्री टी० के० रामालिंग सेट्टी
प्रबन्ध निदेशक, मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०

110. श्री पी० सी० गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक, मेगनीज ओर (इ) लि०

111. श्री वी० कृष्णामूर्ति
उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, मारुति उद्योग लि०

112. श्री एन. के. साहनी
प्रबन्ध निदेशक, माझगांव डाक लि०

113. श्री पी. सी. लाहा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, मेटलर्जिकल इन्जीनियरिंग कंसलटेंट्स, (इण्डिया) लि०

114. श्री रूपराय
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपो. लि०

115. श्री ए. के. मजूमदार
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन (इ) लि०

116. श्री महीप सिंह
प्रबन्ध निदेशक, खनिज गवेषण निगम

117. श्री डी० के० घोन
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०

118. श्री डी० आर० आर० शास्त्री
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०

119. डा. एस. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक, मिश्र धातु निगम लि.

120. श्री लालजीत सिंह
प्रबन्ध निदेशक, माडर्न बेकरीज (इ) लि.

121. श्री जे. जी. सग्गी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, मुगल लाइन लि.

122. श्री टी. टालीओ
अध्यक्ष, नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.

123. श्री के. एस. रामचन्द्रन
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, नेशनल एल्यूमीनियम कं. लि.

124. कर्न. बी. सी. शुक्ला
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.

125. श्री ए. सी. कपूर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.

226, श्री बी. एस. कक्कड़
प्रबंध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.

127. श्रीमती एम. टी. वैद्य
प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

128. श्री बी. एस. कोचर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपो. लि.

129. डा. आर. के. आयंगर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.

130. श्री पी. आर. राव
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.

131. श्री ए. आर. चौधरी
प्रबंध निदेशक, नेशनल जूट मेन्युफैक्चर्स कारपो. लि.

132. श्री सी. एस. वेणुगोपाल राव
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.

133. श्री अजय देव सिंह
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि.

134. श्री डी. आर. सिक्का
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल प्रोजे. कंस्ट्र. कारपो. लि.

135. डा. एच. एस. राव
प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि.

136. श्री टी. बलरामन
प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लि.

137. श्री जे. एस. जुनेजा
अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.

138. श्री मूसा रजा
प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाईल कारपो. लि.

139. श्री आर. पी. चैत्तूर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाईल कारपो. (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा माहे) लि.

140. श्री एस. पी. छिब्बर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपो. (दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान) लि.

141. श्री आर. एस. राव
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (गुजरात) लि.

142. श्री बी. बी. विरमानी
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (मध्यप्रदेश) लि.

143. श्री डी. पी. केलेकर
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (महाराष्ट्र नार्थ) लि.

144. श्री एस० सेन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपो. (साउथ महाराष्ट्र) लि.

145. श्री एन. एम. अनन्तापद्मनाभन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (तमिलनाडु एण्ड पाण्डीचेरी) लि.

146. श्री पी. आर. आनन्द मूर्ति
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपो. (उत्तर प्रदेश) लि.

147. श्री एस० के० बनर्जी
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपो.
(बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा) लि.

148. श्री ए. के. साह
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कारपो. लि.

149. श्री जी. एल. टंडन
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नवेली लिग्नाइट कारपो. लि.

150. श्री एस. आर. साहा
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.

151. श्री. ऐ. के. सिक्का
महाप्रबंधक, नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स ऐण्ड हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

152. कर्नल ऐस. पी. वाही
अध्यक्ष, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

153. ब्रिगे टी. ऐ. अब्राहम
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, प्रागा टूल्स लि.

154. श्री के. ऐस. शर्मा
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि.

155. श्री विक्रम प्रकाश
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, प्रोजेक्ट ऐण्ड ऐक्विपमेंट्स कारपो. आफ इण्डिया लि.

156. श्री टी. ऐन. जग्गी
प्रबंध निदेशक, पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.

157. श्री आर. पार्थसारथी
प्रबंध निदेशक, रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड एकानामिक सर्विसिज लि.

158. श्री दलीप सिंह
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लि.

159. श्री के. वी. बी. पटूला
प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

160. श्री ए. आर. कोहली
प्रबंध निदेशक, उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.

161. श्री पी. पी. सारंगपामी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.

162. श्री पी. ऐम. वेलिअप्पा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक. ग्राम विद्युती करण निगम लि.

163. श्री आर. के. भल्ला
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, साम्भर साल्ट्स लि.

164. श्री वीरेन्द्र मोहन
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, सेमी कंडक्टर काम्पलेक्स लि.

165. श्री एल. के. जोशी
प्रबन्ध निदेशक, स्कूटर्स इण्डिया लि.

166. वाइस एडमि. आर. के. एस. गांधी
उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लि.

167. श्री ए. बी. दास गुप्ता
अध्यक्ष, स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि.

168. श्री ए. एन. नटराजन
प्रबन्ध निदेशक, साउथर्न पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन

169. श्री एस. वेन्गाला
प्रबन्ध निदेशक, स्पोंज आइरन इण्डिया लि.

170. श्री बी. एस. मैक्कर
अन्शकालिक प्रबन्ध निदेशक, स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन (इ) लि.

171. श्री के. राजन
प्रबन्ध निदेशक, स्टेट फार्मस कारपो. आफ इण्डिया लि.

172. श्री आबिद हुसैन
अध्यक्ष, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन

173. श्री ऐस. समरपुंगवन
अध्यक्ष, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.

174. श्री ऐस. एच. यादव
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, टेनरी एंण्ड फुटवियर कारपो. आफ इण्डिया लि.

175. श्री पी. के. दास गुप्ता
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, टी ट्रेडिंग कारपो. आफ इण्डिया लि.

176. श्री एम. पी. शुक्ला
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इण्डिया लि.

177. श्री मोह. युनुस
अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

178. श्री आर० आर० मुखर्जी
प्रबन्ध निदेशक, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०

179. श्री वाई० आदिनारायण शास्त्री
प्रबन्ध निदेशक, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि०

180. श्री एम० के० वत्रा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, यूरेनियम कारपो० आफ इण्डिया लि०

181. श्री विजेन्द्र सिंह
प्रबन्ध निदेशक, वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज इण्डिया लि०

182. श्री डी० पी० गुप्ता
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
स्टील अथारिटी आफ इण्डिया की सहायक कम्पनियाँ

183. श्री डी० आर० अहूजा
प्रबन्ध निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट

184. श्री डी० मुखर्जी
प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर स्टील प्लांट

185. डा० एन० एस० दातार
प्रबन्ध निदेशक, राउरकेला स्टील प्लांट

186. श्री एन० के० मित्रा
प्रबन्ध निदेशक, भिलाई स्टील प्लांट

187. श्री ए० ए० राजू
कार्यकारी निदेशक, सेलम स्टील प्रोजेक्ट वित्तीय संस्थान

188. श्री जे० आर० जोशी
अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम

189. श्री अशोक गोएंका
अध्यक्ष, सामान्य बीमा निगम

190, श्री एन० एन० लहरी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीमा निगम लि०

191. श्री ए० सी० मुखर्जी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, न्यू इण्डिया एंश्योरेंस कं० लि०

192. श्री के० एन० मलहोत्रा
अध्यक्ष तथा प्रबण्ध निदेशक, ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इन्श्यूरेंस कं० लि०

193. श्री एम० आर० रायक्कर
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, यूनाइटिड इण्डिया इन्श्योरेंस कं० लि०

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की एसोसिएशन के अनुच्छेदों में संशोधन

10390, **श्री एम० राजशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की एसोसिएशन के अनुच्छेदों में प्रस्तावित संशोधन टैक्सटाइल विभाग को किस तारीख को प्राप्त हुए ;

(ख) ये संशोधन कम्पनी लॉ बोर्ड, कानपुर को किस तारीख को भेजे गए ;

(ग) इन प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कम्पनी लॉ बोर्ड, कानपुर या कम्पनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली से कोई उत्तर या पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ;

(घ) टैक्सटाइल विभाग ने कम्पनी लॉ बोर्ड को किस तारीख को उत्तर भेजा ;

(ङ) क्या प्रस्तावित संशोधनों के बारे में विधि मन्त्रालय, विधि अधिकारियों या कम्पनी लॉ बोर्ड या कम्पनियों के रजिस्ट्रार से परामर्श किया गया है ; और

(च) प्रस्तावित संशोधन के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-7-1981 ।

(ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 10-8-1981 को ।

(ग) क्षेत्रीय निदेशक (एन० आर०) कम्पनी कार्य विभाग, कानपुर के कार्यालय ने 26-8-81

के अपने पत्र के अनुसार अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद को लिखा और बाद में वस्त्र विभाग को भी सूचित किया।

(घ) क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग का पत्र वस्त्र विभाग की जानकारी के लिये था।

(ङ) तथा (च) ए० ई० पी० सी० की सलाह दी गई कि वे कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा उठाये गए मामलों के समाधान के लिए उस कार्यालय से सम्पर्क करें।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी और उनके वेतनमान में संशोधन

10391. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जो अपने कर्मचारियों के लिये वेतनमानों और मंहगाई भत्ते के मामले में किसी हद तक केन्द्रीय सरकार का अनुसरण करते हैं परन्तु वे अपनी ट्रेड यूनियनों/एसोसिएशन के साथ द्विपक्षीय समझौता करके इनमें कुछ संशोधन करने के पश्चात् उन्हें क्रियान्वित करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों को ऐसे निर्देश जारी करने का है/जारी कर दिये हैं कि अपनी ट्रेड यूनियनों की सहमति के बिना ही केन्द्रीय सरकार की तरह वे भी अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जमा करें ; और

(ग) जो सरकारी उपक्रम केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का और केन्द्रीय सरकार की मंहगाई भत्ते की पद्धति का अनुसरण करते हैं, अपने कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय समझौता करके कुछ संशोधन करने के पश्चात् उन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी और उनके वेतनमानों में संशोधन की वास्तविक स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ग) सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों ने 1970 के शुरू में अपने कामगारों और कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों और मंहगाई भत्ते की पद्धति अपना ली थी। ऐसे उद्यमों के बारे में सरकार की मौजूदा नीति यह है कि जब तक वे केन्द्रीय सरकार के तीसरे वेतन आयोग के आधार पर वेतनमानों और मंहगाई भत्ते का ढांचा जारी रखना चाहते हैं, तब तक उनके मामले में मजूरी परिशोधन/समझौता करना उपयुक्त न होगा। सरकार यह भी जानती है कि इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्यमों ने औद्योगिक मंहगाई भत्ता फार्मूला अपनाने वालों के समान अनुलाभों की पद्धति अपनाई थी। इसे युक्ति संगत बनाने का सदुपाय स्वरूप सरकार की वर्तमान नीति यह है कि अनुलाभों के उदारीकरण प्रस्तावों पर विचार करते समय उद्यमों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को सुलभ समग्र लाभों की तुलना की जाए।

(ख) वित्त मन्त्रालय के दिनांक 23 और 26 मार्च 1982 के ज्ञापन के आधार पर

सरकारी उद्यम कार्यालय के विचार क्षेत्र के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्तें रिलीज करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

गोलेचा कर अपवंचन संबंधी मामला

10392. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्विटजरलैंड की सरकार के साथ गोलेचा कर अपवंचन संबंधी मामले को अनुसरण करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार (एक) स्विटजरलैंड न्यायालय से हीरों का दावा करने के लिये और उन्हें आयकर संबंधी मामलों पर निर्णय होने तक अभिरक्षक के रूप में रखने के लिए एक न्यास बनाने ; (2) बिक्री की राशि का दावा करने के लिये, यदि स्विटजरलैंड न्यायालय के नियम गोलेचा के पक्ष में है, सीमा शुल्क अधिनियम को लागू करना, (तीन) हीरों की अभिरक्षा का दावा करना, जिन्हें देश से गैर-कानूनी रूप से बाहद ले जाया जा रहा है, और उन्हें आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिये बेचेगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त में कुछ नहीं किया जा रहा है तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है । इस समय मामले का ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में उचित नहीं है ।

इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर

10393. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर शतप्रतिशत सरकारी अनुदान पर आधारित कार्यालय है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यालय में सरकारी धनराशि मुक्त रूप से खर्च की जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कैसे और कुछ व्यक्तियों के लिये मकान किराया भत्ता संबंधी नियमों में क्यों परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां । (ख) और (ग) सहायता अनुदान प्राप्त निकाय के रूप में, भारतीय निवेश केन्द्र को अपने कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के बारे में प्रवृत्त सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है । मकान किराया भत्ते से संबंधित नियमों सहित इन नियमों से हटकर परिवर्तन करने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है ।

संचयता इन्वेस्टमेंट के विरुद्ध कार्यवाही

10394. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, महालेखाकार, पश्चिम बंगाल जैसी केन्द्रीय सरकारी एजेन्सियां संचयता इन्वेस्टमेंट और उनकी अनियमित गतिविधियों के विरुद्ध, पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य द्वारा विशिष्ट शिकायतें किये जाने के बाद भी उचित समय पर कार्यवाही करने में संकोच करती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्योंकि मैसर्स संचयिता इन्वेस्टमेंट एक लाख रुपये से कम की पूंजी की एक साझेदारी फर्म है, इसलिये इस फर्म पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है और उसके पास इसके कार्यकलापों की जांच करने की कोई शक्ति भी नहीं है। अतः इस मामले में रिजर्व बैंक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस बीच, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के अधीन राज्य सरकार में निहित शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने उक्त पाबन्दी अधिनियम के उपबंधों के अधीन, उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की थी। इस फर्म ने, उक्त अधिनियम के अपने ऊपर लागू होने को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर की और इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन हो गया। 5 मार्च, 1981 के अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया कि उक्त फर्म का कारबार कथित पाबंदी अधिनियम की परिधि में नहीं आता। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 2-2-1982 के फैसले में उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की है और कुछ टिप्पणियां की हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फर्म के भागीदारों तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120ख/406/409/34 के अधीन मामला आरम्भ किया है। इसी बीच, आयकर विभाग ने भी आयकर की दृष्टि से इसकी जांच के वास्ते कार्यवाही शुरू की है।

संचिता की धनराशि का राजनैतिक दलों के लिए खर्च किया जाना

10395. श्री सुबोध सेन :

श्री सुनील मैत्रा :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश की इस संचिता के मामले में की गई टिप्पणी की जानकारी है कि इस फर्म की धनराशि को प्रायः राजनैतिक दलों के लिए खर्च किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सच्चाई का पता लगाने के लिए संचिता के सारे मामले की गहराई से जांच कराने पर विचार करा रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फर्म के भागीदारों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120 ख/ 406/409/34 के अधीन मामला शुरू किया है। इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम के अधीन इस मामले के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल प्राधिकारियों द्वारा पहले से जब्त किये गए सभी कागजातों और दस्तावेजों को इस मामले में जब्त कर लिया गया है। आय-कर विभाग ने भी इस फर्म के कार्यकलापों की जांच के लिए अलग से कार्रवाई की है।

मैसर्स के०पी०वी० शेखा मोहम्मद स्पर कं० प्रा० लि० द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का कथित उल्लंघन

10396. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल आफ सीफेयरर्स आफ इण्डिया ने 9-11-1981 को मंत्रालय को मैसर्स, शेख मोहम्मद स्पर कं० प्रा० लि० द्वारा सिंगापुर में अपने कैंटीन कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा का गैर-कानूनी भुगतान करके विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के बारे में लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनियन की लिखित शिकायत पर कोई जाँच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा भू-स्वामियों से पगड़ी लेकर दुकानों/शो-रूम को खाली करना

10397. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वस्त्र निगम को प्रति वर्ष 250 करोड़ रु० का घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक घाटा होने का क्या कारण है ;

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1975 में किराए पर ली गई दुकानों,/शो-रूम से कितना घाटा हुआ है ;

(घ) क्या उनको उन रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें बताया गया है कि कुल घाटे की तुलना में दुकानों,/शो-रूम से हुआ घाटा बहुत कम है परन्तु प्रबन्धक मू-स्वामियों से 'पगड़ी' की बहुत अधिक धनराशि लेकर दुकानों,/शो-रूम को बन्द किया जा रहा है और उन्हें मू-स्वामियों के सुपुर्द किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की जा रही है और क्या रिटेल दुकानों/शो- को बन्द करने के कार्य को बन्द किया जा रहा है और ऐसे शो-रूम के कर्मचारियों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम का एजेंट बना कर ये दुकान/शो-रूम उन्हें दिए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री. पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) 1974-75 से 1980-81 तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम का औसत वार्षिक घाटा लगभग 34·70 करोड़ रु० का बैठता है। पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें, मिलों का अलाभकर आकार, वेशी श्रम बल, बिजली की कमी की वजह से सुस्थापित क्षमता का कम उपयोग होना तथा अन्तर्निदिष्ट साधनों की बढ़ी हुई लागत राष्ट्रीय वस्त्र निगम के घाटों के मुख्य कारण हैं।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के विपणन प्रभाग को 1980-81 तक 2.41 करोड़ रु० का कुल घाटा हुआ।

(घ) तथा (ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रदर्शन कक्षों को विभिन्न कारणों से, जो कि समय पर संगत हुंए, बराबर घाटा होता रहा। विपणन प्रभाग द्वारा वहन किए गए घाटों को दूर करने के लिए सरकार को सुझाए गए उपायों में से एक उपाय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रदर्शन कक्षों को बन्द करना था। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुत से उपायों पर विचार किया है कि विपणन प्रभाग में घाटा न हो।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा सीटों को रखने के लिए दोष रहित प्रणाली आरम्भ करना

10398 **श्री बी. वी. देसाई :** क्या **पर्यटन और नगर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने यात्रियों की अनावश्यक परेशानी को दूर करने के लिए सीटों को सुरक्षित रखने के लिए कोई पूर्ण दोष रहित प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया टिकटों में हो रहे कदाचार के सम्बन्ध में यह प्रणाली को कदाचार को कहां तक कम करेगी और इस प्रणाली के कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजधानी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताएं

10399. **श्री निहाल सिंह :**

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड, दरीबा कलां, दिल्ली अपने सदस्यों को 8 हजार रुपये का ऋण मंजूर करती है परन्तु उन्हें दिए जाते हैं केवल 5200 रुपये और शेष 2800 रुपये लाभांश के रूप में काट लिए जाते हैं और यदि हां, तो लाभांश सदस्यों को वितरित करने के क्या कारण हैं।

(ख) फरवरी, 1982 तक उक्त चिट फंड ने कितने सदस्यों को पूरे 8000 रुपये ऋण दिया है और कितने सदस्यों को केवल 5200 रुपये दिए हैं; और

(ग) क्या उक्त चिट फंड द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना दी गई है कि यह कम्पनी, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू, मद्रास चिट फंड अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन अनुत कम्पनी के 5 प्रतिशत कमीशन समेत, 35 प्रतिशत की अधिकतम बोली पर, 8000/-रुपये प्रत्येक के दो ग्रुप चला रही हैं। इस प्रकार, यदि इसकी नीलामी 35 प्रतिशत की अधिकतम दर पर की जाती है तो भी, 8000 रुपये के ग्रुप का प्रत्येक सदस्य 5,200/-रुपये की न्यूनतम (रु० 8000-35 प्रतिशत) राशि पाने का पात्र है। शेष बची 2800 रुपये की राशि में से, कम्पनी अपने कमीशन के रूप में 400/-रुपये की राशि प्राप्त करती है और 2400 रुपये लाभांश (डिविडेंट) के रूप में अभिदाताओं को अदा कर दिये जाते हैं।

(ख) नियमों के अनुसार यह कम्पनी प्रत्येक ग्रुप में बिना नीलामी के एक चिट प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों ग्रुपों में इस कम्पनी को 8000/- रुपये की राशि अदा की गई थी। फरवरी 1982 तक, उपर्युक्त दोनों ग्रुपों से से किसी अन्य सदस्य को 8000 रुपये की पूरी राशि अदा नहीं की गई। सूचना के अनुसार, उपर्युक्त दोनों ग्रुपों में जिन सदस्यों को 5200/- रुपये अदा किये गए उनकी संख्या 27 है।

(ग) इस कम्पनी के कारबार के व्यवहार में कुछ कथित अनियमितताओं की शिकायतें

प्राप्त हुई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उनमें लगाये गये आरोपों की जांच की और यह पाया कि वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

बम्बई में एयर इण्डिया फ्लाइट पर्सर से पकड़े गए हीरे

10400. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 फरवरी, 1982 को बम्बई में एयरइण्डिया फ्लाईट पर्सर से 1·6 करोड़ रु० मूल्य के हीरे पकड़े गये थे ; और

(ख) एयर इण्डिया के ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं, जो अब तक तस्करी की गतिविधियों में संलग्न पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान तस्करों के कार्यों के लिए गिरफ्तार किए गए एयर इण्डिया के कर्मचारियों के नामों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध-I के रूप में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4092/82]

दिनांक 25 फरवरी, 1982 को इन्दौर-बम्बई इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान में विलम्ब

10401. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 फरवरी, 1982 को इंडियन एयरलाइन्स की इन्दौर से बम्बई तक उड़ान संख्या 114 में यात्रियों के बैठ जाने के बाद उसमें आधा घण्टे का विलम्ब किया गया था ;

(ख) क्या इसका कारण यह था कि कर्मीदल को इन्दौर के कलैक्टर के परिवार के आगमन की प्रतिक्षा करने को कहा गया था ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हवाई अड्डों पर कुछ मंत्रियों अथवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के कारण इस प्रकार उड़ानों में विलम्ब करने से यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आशय के आदेश जारी करने का है कि भविष्य में ऐसे अवसरों पर उड़ानों में इस प्रकार विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ानों में मंत्रियों अथवा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए देरी नहीं की जाती।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा पहुंचाई गई हानि

10402. **श्री सुभाष यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के तीन अधिकारियों को, जिन्होंने 1-11-1980 से 31-12-1980 तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन के द्वारा भारी हानि पहुंचाई थी और एक विदेशी द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के लिए एक प्राइवेट फर्म को शत-प्रतिशत भुगतान करने में सहायक थे जिसने इन्हें बाद में इस आधार पर कि यह घटिया किस्म की थीं अस्वीकार कर दिया था, केवल मौखिक चेतावनी देकर ही मामले को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया था, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निगम को इस सौदे की वजह से जो हानि हुई वह संदिग्ध अधिकारियों की तरफ से किसी दुराशय के कारण नहीं हुई। तथापि, खनिज व धातु व्यापार निगम से क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे मामलों की पुनरावृति न हो।

निरीक्षण महानिदेशालय मे असैनिक अधिकारियों की तुलना में सैनिक अधिकारियों को वरिष्ठ पदों का दिया जाना

10403. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षण महानिदेशालय में असैनिक अधिकारियों की तुलना में सैनिक अधिकारी दुगुने वरिष्ट पदों पर तैनात हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि तत्कालीन रक्षा राज्य मन्त्री ने इस असमानता को दूर करने के लिए एक नीति सम्बन्धी निर्णय जारी किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में स्थायी रूप से सौंपे गए (सैकण्डेड) अधिकारियों को पदोन्नति को और अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु ले० कर्नल तथा कर्नलों के नए पदों का सृजन किया गया है ; और

(घ) असैनिक अधिकारियों के हित में लिए गए किसी निर्णय को मान्वित करने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 1-1-1982 को निरीक्षण महानिदेशालय में

जिन पदों पर सैनिक और सिविलियन अफसर नियुक्त थे उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भूतपूर्व रक्षा राज्य मन्त्री ने निरीक्षण महानिदेशालय में दोनों ही सैनिक और सिविलियन अफसरों के संवर्ग के पुनरीक्षण का आदेश दिया था ताकि दोनों ही वर्गों के अफसरों को पदोन्नति के सुअवसर युक्तियुक्त अनुपात में प्राप्त हो सकें। यह भी निश्चय किया गया था कि जब तक संवर्ग का पुनरीक्षण किया जाता है तब तक सैनिक संवर्ग में होने वाले रिक्त पदों को पारिस्परिक वरिष्ठता के आधार पर जहां तक सम्भव हो सिविलियन अधिकारियों से भर लिया जाए। इन अन्तरिम अनुदेशों को 8-3-1982 से वापस ले लिया गया है क्योंकि जिस सीमित प्रयोजन के लिए इन्हें जारी किया गया था वह पूरा हो गया है।

(ग) अभी हाल में कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर सैनिक और सिविलियन अफसरों के लिए कुछ पद सृजित किये गए हैं ये पद सैनिक या सिविलियन अफसरों को पदोन्नति के और अधिक सुअवसर प्रदान करने के लिए नहीं बनाए गए।

(घ) भूतपूर्व रक्षा राज्य मन्त्री द्वारा जारी आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए सैनिक अफसरों के लिए निर्धा ति खाली पदों पर 6 सिविलियन अफसरों को पहले ही पदोन्नत कर दिया गया है। सैनिक और सिविलियन अफसरों के संवर्ग का पुनरीक्षण करने का काम भी हाथ में ले लिया गया है।

श्रेणी "ए" पदों को प्रत्येक पद के कार्य तथा कार्यभार के आधार पर दोनों संवर्गों की पुनरीक्षा करने से पूर्व सिविलियन और सैनिक संवर्गों को अलग-अलग करने का एक प्रस्ताव है ताकि उन्हें पदोन्नति के अलग-अलग अवसर मिल सकें।

विवरण

सैनिक अफसर		सिविलियन अफसर	
ब्रिगेडियर	— 14	निदेशक-11	— 4
कर्नल	— 34	डी. सी. एस. ओ.	— 15
लेफ्टि. कर्नल	—102	पी. एस. ओ.	— 58
मेजर	—154	एस. एस. ओ-1	—141
योग	304	योग	218

ग्वालियर रैयन्स मावूर (कैरल) की विस्कोडा फाइवर यूनिट

10404. **श्री ए० के० बालन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ग्वालियर रेयन्स, मावूर का वर्ष 1968 से विस्कोस स्टपल फाइवर का कितना कारोबार (टर्न ओवर) हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को उपर्युक्त यूनिट से राजस्व की कोई हानि हुई है क्योंकि उपर्युक्त यूनिट अधिकृत है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मैसर्स ग्वालियर रेयन का मावूर (केरल) स्थित विस्कोस स्टेपल फाइवर एक औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किए विना 1968 में स्थापित किया गया है। 1972 से लगभग जितना उत्पादन होने के बारे में बताया गया है, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एकक प्राधिकृत हो अथवा नहीं, उत्पादन शुल्क देय है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(मात्रा मे० टन में)

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य
1972	13873	668
1973	6551	315
1974	11093	904
1975	6943	558
1976	14582	1227
1977	13996	1081
1978	9263	839
1979	10014	1005
1980	7543	866
1981	7148	1016

"ग्रोअर्स ब्लेम काफी बोर्ड" शीर्षक समाचार

10405. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रैस, में "ग्रोअर्स ब्लेम काफी बोर्ड" शीर्षक से काफी बोर्ड के एक सदस्य द्वारा काफी बोर्ड के विरुद्ध लगाए गए आरोप सरकार की जानकारी में आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) समाचार में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :

(1) विपणन प्रभाग के सम्बन्ध में काफी बोर्ड के लेखे बोर्ड के समक्ष नहीं रखे जाते—न तो औपचारिक रूप में न अनौपचारिक रूप में ।

(2) काफी बोर्ड उपजकर्ताओं को देय अदायगियां नहीं कर रहा है ।

(3) काफी के लिए काफी बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत उपजकर्ताओं को अलाभकर सिद्ध हो रही है ।

(1) काफी नियमों के अन्तर्गत सामान्य निधि के लिये बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है । जहां तक पूल निधि का सम्बन्ध है, बजट प्राक्कलन का तैयार किया जाना तथा अनुमोदन की व्यवस्था केवल अधिशेष पूल के प्रशासन पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में है न कि विपणन, भण्डारण आदि जैसी अन्य मदों के लिए । सांविधिक उपबन्धों के बावजूद काफी बोर्ड ने पूल निधि व्यय के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में बजट व्यवस्था करने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की है ।

(2) वर्तमान पद्धति के अनुसार, बोर्ड सुपुर्दगी के समय काफी के अनुमानित मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक की सीमा तक उपजकर्ताओं को अदायगियां करता है । शेष की अदायगी, जैसे-जैसे पूलबद्ध काफी की बिक्री होती जाती है किस्तों में की जाती है । अधिकांश अदायगियां (मूल्य का लगभग 90 प्रतिशत) एक वर्ष की अवधि के अन्दर पूरी कर दी जाती हैं । यह प्रणाली इसलिए अपनाई जाती है जिससे कि कोई अधिक अदायगी होने की गुंजाइश न रहे ।

(3) काफी की न्यूनतम आरक्षित कीमत वित्त मंत्रालय लेखा शाखा द्वारा उत्पादन की लागतों के अध्याय में रखने के बाद समय-समय पर निर्धारित की जाती है । गत अध्ययन वर्ष 1975 में किया गया था । अभी एक और अध्ययन किया जा रहा है । 1975 से चालू अध्ययन पूरा न होने तक के लिए न्यूनतम आरक्षित कीमत 1980 के दौरान काफी बोर्ड द्वारा अन्तरिम अध्ययन के आधार पर 16 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है । न्यूनतम आरक्षित कीमत में काफी बोर्ड द्वारा उत्पादन लागतों का हिसाब लगाने से सम्बन्धित अलग अलग पहलुओं को अद्यतन बनाने के बाद समय-समय पर आगे भी समायोजन किया जाता है । काफी की विभिन्न किस्मों के लिए उत्पादन लागत तथा उपजकर्ता को प्रतिलाभ की स्थिति अग्रलिखित है :—

(रु० प्रति मे० टन)

	बागान		अरेविकाचेरी		रोब चेरी		रोब पार्च	
सीजन	सी पी	आर जी	सी पी	आर जी	सी पी	आर जी	सी पी	आर जी
1976-77	7692	18634	6824	15972	7233	14278	7601	15004
1977-78	10790	15456	9329	13363	8273	11914	8720	12558
1978-79	13728	15226	11869	13164	9738	11736	10265	12371

सी० पी० —उत्पादन लागत

आर० जी०—उपजकर्ताओं को प्रतिलाभ

वास्तव में महा नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक ने यह सुझाव दिया था कि उपजकर्ताओं के अधिक्य लाभ का भाग उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।

ब्रिटेन के साथ व्यापार सन्तुलन की स्थिति

10406. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में ब्रिटेन में 8254.3 मिलियन रुपये के मूल्य के आयात और ब्रिटेन को केवल 4277.6 मिलियन रुपए के मूल्य के निर्यात के संदर्भ में ब्रिटेन के साथ व्यापार सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) "उद्योगीकरण में भारत की तेजी से प्रगति" जिसका उल्लेख उन्होंने हाल ही में भारत-ब्रिटेन व्यापार सम्बन्धी वर्कशाप में किया था, का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) व्यापार प्रतिबन्धों को समाप्त करने तथा ब्रिटेन के बाजार में भारतीय निर्यातकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रवेश प्राप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारत से प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों, मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने तथा ब्रिटेन के विभागीय स्टोरों में प्रदर्शनों जैसे निर्यात संवर्धन कार्यों के जरिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में भारत समारोह का लाभ उठाने के लिए लन्दन से नवम्बर, 1982 में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा एक भारतीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

(ख) नई दिल्ली में 6 मार्च, 1982 को भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसिएशन द्वारा आयोजित भारत-ब्रिटिश व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी कार्यशाला में व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों के बीच तीसरे देशों में सहयोग के अलावा प्रौद्योगिकी के अन्तरण की गुंजाइश पर विचार-विमर्श किया गया। इस बात की आवश्यकता का उल्लेख

किया गया था कि ब्रिटेन का व्यवसाय तथा उद्योग वर्ग भारत में, जोकि औद्योगीकरण की विशिष्ट अवस्था से होकर गुजर रहा है, होने वाले परिवर्तनों को बेहतर तरीके से समझे।

मेहरा अध्ययन दल की रिपोर्ट

10407. **श्री ए० ए० दोराई सेबेस्तियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेहरा अध्ययन दल रिपोर्ट, 1980 की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए०संगमा) : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) द्वारा प्रायोजित मेहरा अध्ययन दल ने 1980 में संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया। इस अध्ययन दल की कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही उद्योग द्वारा स्वयं की जानी थी। इस दल की कुछ सिफारिशें संगठित मिल क्षेत्र की क्षमता में विस्तार की अनुमति देने तथा वस्त्र मशीनरी के सम्बन्ध में आयात नीति के उदारीकरण से सम्बन्धित थीं। इन सिफारिशों पर सरकार का दृष्टिकोण 9 मार्च, 1981 को सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति तथा प्रतिवर्ष घोषित आयात नीति में दर्शाया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल के साथ विचार-विमर्श के बारे में रिपोर्ट

10408. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल, जिसने भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनवरी, 1982 में विचार-विमर्श किया था, ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष जुलाई, 1982 से जून, 1983 में 1800 मिलियन स्पेश्यल ड्राइंग राइट्स के दूसरे 'ट्रांच' में निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किसी अन्तिम निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्टाफ रिपोर्ट का सम्बन्ध वित्त मन्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक को लिखे गए 28 सितम्बर, 1981 के पत्र में वर्णित 1982 अनुच्छेद (iv) विस्तारित व्यवस्था के सम्बन्ध में परामर्श तथा समीक्षा से है।

(ख) जी, नहीं। स्टाफ रिपोर्ट का विस्तारित व्यवस्था के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

सांताक्रुज हवाई अड्डे में किए गए सुरक्षा उपाय

10409. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांताक्रुज हवाई अड्डे को विश्व के सबसे अधिक खतरनाक हवाई अड्डे के रूप में कुख्यात होने के बावजूद सरकार इस हवाई अड्डे में सभी अपेक्षित सुरक्षा उपाय अपनाने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) बम्बई (सांताक्रुज) विमान क्षेत्र पर "इकाओ" (अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन) के निर्धारित मानकों के अनुसार मू-दार्प्टिक उपकरणों, आपात कालीन बचाव तथा अग्नि शमन सेवाओं जैसे सभी अपेक्षित सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है । सांताक्रुज विमान क्षेत्र पर प्रदान की गयी तथा परिचालित दिक्चालन उपकरणों, संचार तथा विमान यातायात नियंत्रण सुविधाएं, अन्य विकासशील राष्ट्रों के विमानक्षेत्रों पर उपलब्ध कराई गयी सुविधाओं के लगभग समान ही हैं । यात्रियों तथा विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सांताक्रुज विमानक्षेत्र पर उपयुक्त सुरक्षा प्रबंध भी किये गये हैं । ये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हैं । चार दीवारी के संरक्षण को और मजबूत करने तथा फोटो पहचान-पत्र जारी करके विमान-क्षेत्र में प्रवेश को विनियमित करने के लिये भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार के देवरी विकास खंड में बैंक आफ इण्डिया द्वारा हरिजनों को बांटे गये ऋण

10410. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों को दूध देने वाली गायें खरीदने के लिये प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिये गये ताकि उनको गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया जा सके और क्या वर्ष 1981-82 के दौरान प्रत्येक विकास खण्ड में 650 हरिजन परिवारों को ऐसी सहायता देने का निर्णय किया गया तथा क्या ऐसी सहायताका किसी और उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने पर रोक लगाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो देवरी विकास खण्ड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं से अब तक कितने हरिजनों को ऋण दिया गया है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और हरिजन परिवारों का शोषण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, गरीब के रूप में निर्धारित व्यक्तियों द्वारा दुधारू-पशु खरीदने के लिये बैंक अग्रिमों के रूप में सहायता उपलब्ध होती है जिससे कि उन्हें परियोजना से प्राप्त होने वाली आय की मदद से निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। इस कार्यक्रम के अधीन, दुधारू पशुओं आदि की खरीद सहित ऐसी आर्थिक गति विधियों जैसे कार्यों के लिये छठी आयोजना अवधि के दौरान प्रति-वर्ष प्रत्येक खंड में 600 परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है। इन लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 30 प्रतिशत के अनु० जाति तथा अनु० जनजाति से लिए जाने की सम्भावना है। बैंक ऋण केवल विशिष्ट प्रयोजन के लिए हैं और इन ऋणों को किसी और प्रयोजन के वास्ते देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गुड़ का निर्यात

10411. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गुड़ के निर्यात की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को इसका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) मलयेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, ओमान आदि को निर्याति किये गये हैं।

प्राइवेट व्यापारिक फर्मों के साथ कारोबार करने वाले रक्षा तकनीकी विकास तथा उत्पादन संगठन के अधिकारियों का अवधि से अधिक समय तक एक स्थान पर रहना

10412. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा तकनीकी विकास तथा उत्पादन संगठन के अधिकारियों को प्राइवेट व्यापारी फर्मों के साथ कारोबार करते हैं, नियमित रूप से बारी-बारी पर बदला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो रक्षा तकनीकी विकास तथा उत्पादन के मुख्यालयों में स्थाई रूप से सेकन्डेड वायु सेना अधिकारियों को दिल्ली में लगातार 14 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त तीनों अधिकारियों ने 20 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है और अन्य लोग 17 वर्षों से उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) कुछ अधिकारियों को इतनी लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर रहने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बेंकटरमन) : (क) से (घ) अधिकारियों के स्थानांतरण कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी योग्यताओं और अनुभव को ध्यान में रखकर किये जाते हैं, न कि केवल व्यापारिक फर्मों के साथ निष्पादित कार्य के आधार पर/स्थायी रूप से सेकेण्डिड वायु सेना के दो अफसरों को 14 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय मुख्यालय में रखा हुआ है जिसमें से एक ने इसी स्टेशन में 17 वर्ष पूरे कर लिए हैं ।

असैनिक कर्मचारियों को सैनिक संस्थानों की मजदूर यूनियन के कार्यों हेतु अनुमति देना

10413. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री राम जेठमलानी : क्या रक्षामन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन ककों में भी असैनिक कर्मचारियों को सैनिक संस्थानों की मजदूर यूनियनों की गतिविधियों की अनुमति दी गई है जो मुख्य रूप से सैनिकों द्वारा संचालित किए जाते हैं और जहां बहुत थोड़े से असैनिक कर्मचारी कार्य करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मजदूर यूनियनों की सहायता बाहरी लोगों के लिए भी खुली हैं जैसे कि वे गैर-सरकारी कर्मचारी जो आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से विभिन्न राजनैतिक दलों से जुड़े होते हैं और जो मजदूरों पर राजनीतिक प्रभाव डालते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न सैनिक अधिकारियों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि यदि सेना के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है तो उनकी प्रतिक्रियाओं को नियन्त्रित किया जाना चाहिए ;

(घ) क्या सरकार को उन सैनिकों पर इस प्रकार की गतिविधियों के हानिकारक प्रभाव की जानकारी है जो असैनिक कर्मचारियों के साथ-साथ कार्य करते हैं और जो निम्न आचरण संहिता से नियंत्रित होते हैं ; यदि हां, तो सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की नीति और मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) जी हां, । केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पर 5.9.77 के कानूनी नियम और आदेश लागू हैं । (का० नि० आ० सं. 17--ई की प्रति संलग्न है) [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4093/82]

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां। थल सेना मुख्यालय ने सेवारत सिविलियन कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर समग्र अनुशासन के हित को ध्यान में रखते हुये कुछ और प्रतिबंधों की शिफारिश की है ।

(घ) और (ङ) मामला विचाराधीन है ।

पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शिकायतों की सुनवाई ।

10414. **श्रीराम अवध :**

श्री एन० ई० होरो : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक के अनेक कार्यालयों के अधिकारियों को बैंक प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शिकायतों की सुनवाई में ध्यान देने और उनके संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याओं का हल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं :

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वेल्फेयर एसोसिएशनों द्वारा भेजे गए ज्ञापनों का उत्तर नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सही स्थिति क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के वास्ते अपने प्रधान कार्यालय में मुख्य अधिकारी (चयन तथा) प्रशिक्षण) को और अपने विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालयों में क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है। अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों की कठिनाईयों की इन अधिकारियों द्वारा जाँच की जाती है और जहाँ आवश्यक समझा जाता है इनके द्वारा उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। अलबत्ता, बैंक, कर्मचारियों के गैर-मान्यता प्राप्त विभिन्न वर्गों के संघों से पत्राचार में नहीं पड़ता है ।

हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती

10415. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन रजवाड़ों के नाम क्या हैं जहाँ आजादी के तुरन्त बाद अफीम की खेती शुरू हो गई थी;

(ख) अफीम की खेती के बारे में भारत सरकार को हिमाचल प्रदेश विधान सभा का प्रस्ताव किस वर्ष प्राप्त हुआ था, और उस पर क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती को, जहाँ इसकी बड़े पैमाने पर पैदावार होती थी तथा जो इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं, संवर्द्धन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार के दरभंगा जिले में कमजोर वर्गों को स्वरोजगार हेतु ऋण

10416. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा जिले के अन्तर्गत कामटोल स्टेट बैंक शाखा और इण्डियन बैंक जेली को उनके उच्च अधिकारियों द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, पशु कल्याण अधिकारियों और अन्यों द्वारा स्वीकृत और अग्रेषित स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए कोई अग्रिम ऋण न देने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ऐसे ऋण स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

रक्षा मन्त्रालय के अंतर्गत ऐसे फार्म जहाँ ढोर नहीं रखे जाते

10417. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के अन्तर्गत इस समय ऐसे फार्मों की संख्या कितनी है जहां ढोर नहीं रखे जाते हैं और वे कहां पर स्थित हैं तथा ऐसे प्रत्येक फार्म का क्षेत्रफल क्या है; और

(ख) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान इन फार्मों का किन कार्यों के लिए उपयोग किया गया और प्रत्येक फार्म पर श्रमिकों की मजूरी सहित कुल कितनी राशि व्यय हुई तथा उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार को उससे वर्षवार कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) इस समय 15 फार्मों में पशु नहीं रखे जाते हैं । इनमें से 7 फार्म अहमदाबाद, जयपुर, गोहाटी, शिलांग, तेजपुर, भोपाल और 19 इंफैंट्री डिवीजन में किराए के भवनों में काम कर रहे हैं । अन्य फार्म के स्थान और उनके अन्तर्गत आने वाले विवरण इस प्रकार हैं :–

फार्म का नाम	हैक्टेयर में क्षेत्र
मद्रास	0.198
कोलावा	0.256
कलकत्ता	3.237
ग्वालियर	33.100
पठानकोट	0.930
जम्मू	0.704
25 इंफैन्ट्री डिवीजन	0.566
बेंग्दुवी	0.057

(ख) इन फार्मों का उपयोग 1980 और 1981 में सैनिकों के लिए पास्चराइज्ड दूध और सेना के जानवरों के लिए सूखे भूसे की सप्लाई करने के लिए किया जाता था। वर्ष 1980-1981 के दौरान इन फार्मों के कर्मचारियों के वेतन सहित प्रत्येक फार्म का व्यय और सरकार को इन फार्मों से प्राप्त कुल राजस्व का विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1980-81 के लिए

क्रम सं०	पशु न रखने वाले फार्म	कर्मचारियों के वेतन सहित कुल व्यय (रुपयों में)	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	मद्रास	20,97,873	22,50,264
2.	अहमदाबाद	16,56,895	17,48,638
3.	कोलाबा	24,22,406	25,58,049
4.	जयपुर	53,24,745	62,72,182
5.	कलकत्ता	42,81,987	45,72,759
6.	बेंगडूवी	1,76,96,083	1,90,15,903
7.	गोहाटी	67,15,900	73,68,573

1	2	3	4
8.	शिलांग	13,35,519	14,34,860
9.	तेजपुर	86,20,131	94,35,516
10.	ग्वालियर	52,45,462	53,86,073
11.	भोपाल	11,68,113	12,90,303
12.	पठानकोट	88,28,628	96,61,636
13.	जम्मू	1,13,42,018	1,36,24,951
14.	25 इंफैन्ट्री डिवीजन	87,18,084	93,85,865
15.	19 इंफैंट्री डिवीजन	23,84,022	25,99,598

भैंसे के मांस का निर्यात

10418. **श्री रेणुपद दास :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पता है कि विदेशों को निर्यात किया गया भैंस का मांस अंकित करके मुख्यतः गौमांस का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) सरणीकृत एजेन्सी के बजाए ओ० जी० एल० के अन्तर्गत भैंस और भैंसे के मांस का निर्यात करने की अनुमति क्यों दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) केवल निकृष्ट भैंसों (नर तथा मादा दोनों) के मांस के निर्यात के लिए अनुमति दी जाती है बशर्ते उस राज्य के मनोनीत पशु चिकित्सा प्राधिकारियों से, जहां से निर्यात के लिए मांस निकलता है, यह प्रमाण पत्र दिया जाए कि मांस ऐसे निकृष्ट भैंसों के हैं जो भार ढोने, दूध देने तथा प्रजनन के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं बशर्ते निर्यात कीमत 9.00 रुपये प्रति किग्रा एफ० ओ० बी० से कम न हो।

(ख) मांस एक जल्दी खराब होने वाली निर्यात मद है और इसके निर्यातों को सरणीवद्ध करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

जम्मू और कश्मीर सरकार को विकास कार्यों के लिए दी गई धनराशि

10419. **श्री रामलाल राही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिये कितनी धन-राशि दी गई ;

(ख) क्या डल झील की सफाई पर हुआ व्यय इस केन्द्रीय सहायता में से किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह धनराशि किन स्त्रोतों से प्राप्त हुई थी और इस झील की सफाई पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयोजना के पहले तीन वर्षों के दौरान जम्मू तथा कश्मीर को आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

वर्ष	करोड़ रुपए में
1980-81	153.37
1981-82	177.50
1982-83	202.64

(ख) डल विकास परियोजना राज्य आयोजना 1982-83 का एक भाग है। केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋण और अनुदानों के रूप में दी जाती है और इसे किसी विशेष परियोजना के साथ नहीं जोड़ा जाता है। जम्मू और कश्मीर के मामले में सम्पूर्ण आयोजना परिव्यय को उसे दी गई केन्द्रीय सहायता में से पूरा किया जाता है। तदनुसार डल झील की सफाई पर व्यय का वित्त पोषण भी केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में स्वीकृत तीन ट्रेवल सर्किटों के लिए व्यय की धनराशि

10420. **श्री केयर भूषण : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों को आकर्षित करने को ध्यान में रख कर ट्रेवल सर्किट स्कीम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में तीन ट्रेवल सर्किट स्वीकृत किये गये हैं;

(ख) इन पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां। अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटक आधारिक संरचना का विकास करने के लिये मध्य प्रदेश में तीन यात्रा परिपथ निर्धारित किये गये हैं।

(ख) निर्धारित यात्रा परिपथों के आधार पर राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के लिये एक ब्लूप्रिंट भिजवाया है जिसकी जांच की जा रही है। चुनी हुई स्कीमों को व्यवहार्यता

अध्ययनों, धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहले से ही निर्धारित की गई स्कीमों के कार्यान्वयन पर होने वाला सम्भावित व्यय निम्न प्रकार से है :—

1. 40 लाख रु० की कुल अनुमानित लागत से शिवपुरी में एक पर्यटक गांव की स्थापना।
2. 46.76 लाख रु० की कुल लागत से कान्हा में वन गृह को पूरा करना।
3. भोपाल झील में जल क्रीडाएं प्रारम्भ करना-ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाना है।
4. नौकाओं की सप्लाई-ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है।
5. 190 लाख रु० की अनुमानित लागत से भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में भोपाल में 60 कमरों वाले एक होटल का निर्माण।
6. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा रांची और मांडु में यात्री गृह का विस्तार जिसके लिये अनुमान अभी तैयार किये जाने हैं।

रानीखेत में एन. सी. सी. पब्लिक ग्राउन्ड पर सेना का स्वामित्व

10421. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि रानीखेत में "श्रम दान" से निर्मित एन. सी. सी. पब्लिक ग्राउन्ड पर अभी तक सेना का स्वामित्व है जबकि इस पर स्थानीय छावनी बोर्ड का स्वामित्व होना चाहिये था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस मैदान के आस-पास सेना के प्रयोग के लिये भवनों का निर्माण किया गया है और उसका स्वामित्व अब तक छावनी बोर्ड को अन्तरित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : यह भूमि खेल के मैदान के रूप में प्रयोग करने के लिये पहले ही छावनी बोर्ड रानी खेत के पास है। इसलिये इस भूमि को छावनी बोर्ड को हस्तांतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता फिर भी इस भूमि के एक भाग का सेना द्वारा रक्षा सम्बन्धी कुछ तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से पुनः वर्गीकरण किया जा रहा है। इस मैदान के आस-पास सेना के कुछ निर्माण कार्य कर दिये हैं।

तमिलनाडु में हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में घोषित किया जाना :

10422. **श्री ए० सेलवाराजू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मीनाम्बकम हवाई अड्डे के अतिरिक्त उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में घोषित किये जाने की संभावना है ;

(ख) तमिलनाडु में उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जिन की हवाई पट्टियों और एयरपोर्ट टर्मिनलों, कार्गो टर्मिनल सहित, का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार किया जाना है ;

(ग) तमिलनाडु में कौन से हवाई अड्डों को बोइंग सेवा से जोड़े जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे को खास तौर पर दक्षिण पूर्व और पूर्वी राष्ट्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स से जोड़ा जायेगा और क्या वर्तमान यथापूर्व स्थिति की व्यवस्था कायम है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कोई नहीं ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तिरुचिरापल्ली तथा मदुरै के टर्मिनल भवन का विस्तार/सुधार करने का प्रस्ताव है । बोइंग 737 परिचालनों के लिए मदुरै के धावनपथ को सुदृढ़ करने तथा कोयम्बतूर के धावनपथ का विस्तार करने के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) मदुरै विमान क्षेत्र को बोइंग सेवा से जोड़ने की योजना है ।

(घ) इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर लंका तिरुचिरापल्ली तथा कोलम्बो के बीच अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का परिचालन करती हैं । तथापि, न तो इण्डियन एयरलाइंस और न ही एयर इण्डिया का तिरुचिरापल्ली से दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वी देशों के लिए विमान सेवाओं के परिचालन की कोई योजनाएं नहीं हैं ।

कच्चे हीरों के पार्सलों की निकासी में सीमा शुल्क विभाग द्वारा विलम्ब

10423. **श्री भोकू राम जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे हीरों की बड़ी संख्या में पार्सलों की निकासी नहीं की गई है और सीमाशुल्क विभाग द्वारा उनकी निकासी की जानी है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्चे हीरों की राशियों और उन पर ब्याज प्रभारों से निर्यात की बाध्यताएं कठिन होती हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, जिनसे वित्तीय बोझ बढ़ता है जिनसे हमारे उत्पादक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीमाशुल्क समाहर्ता बम्बई ने बताया है कि मार्च 1982 में एयर इण्डिया के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हवाई अड्डे पर एयर लाइन के गोदाम में अपरिष्कृत हीरों के अनेक पार्सल जमा हो गये थे और उन्हें सीमाशुल्क गृह में निकासी के लिए नहीं भेजा जा सका। सीमाशुल्क गृह ने कर्मचारियों से समयोपरि आधार पर कार्य करा कर और अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाकर भी तत्काल कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूप निकासी की गति बढ़ी और बकाया काम का निपटान हुआ।

(ख) और (ग) यह अस्थाई रुकावट थी और थोड़े ही समय में स्थिति पर काबू पा लिया गया। सीमाशुल्क गृह द्वारा ऊपर (क) में यथा उल्लिखित की गई कार्यवाही को देखते हुए वर्तमान स्थिति यह है कि सीमाशुल्क के पास कोई भी पार्सल बकाया नहीं पड़ा है।

दीर्घावधिक उपाय के रूप में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जवाहरात अनुभाग को सीमाशुल्क गृह से एयर कार्गो कम्पलैक्स में स्थानान्तरित करने से फिलहाल प्रेयप में लगने वाले समय अन्तराल में कमी होगी या नहीं और हवाई अड्डे पर ही आयात और निर्यात दोनों के पार्सलों की निकासी शीघ्र सुनिश्चित होगी या नहीं। फिर भी, समाहर्ता ने निकासी कार्यविधि को सरल बना दिया है ताकि विलम्ब से बचा जा सके और दस्तावेजों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में ए ए एम/ओ एस (ए/सी) की पदोन्नति भर्ती

10424. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में 1-4-72 से 31 मार्च, 1982 तक (संवर्ग-वार तथा वर्ष-वार) ए ए एम/ओ एस / (ए /सी) के पदों पर कितने उम्मीदवार पदोन्नत/नियुक्त किये गये ;

(ख) उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित पदों में से कितने रिक्त स्थान संवर्ग-वार तथा वर्ग-वार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किये गये तथा भरे गये ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित पदों में से 1-4-72 से अब तक कितने पद (संवर्ग-वार तथा वर्ग-वार) सरकार की पूर्वानुमति लेकर अनारक्षित किये गये ;

(घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली द्वारा, सरकार के अनुदेशों के अनुसार, आरक्षित पदों को भरने के लिये किये गये प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

(ङ) क्या सरकार को उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित संवर्गों के बारे में आरक्षण संबंधी आदेशों की ठीक से क्रियान्वित न होने के बारे में अनुसूचित जाति उत्थान संघ, विशाखापत्तनम के महासचिव की ओर से की गई शिकायतों की जानकारी है, यदि हाँ, तो उनमें से उनके शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) सरकार का विचार उपरोक्त भाग (ग) तथा (घ) में पाये गए भारी भेदभाव के जाँच मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोइ विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण I में दी गई है ।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण दो में दी गई है

(ग) 1-4-1972 से ऐसा कोई रिक्त स्थान अनारक्षित नहीं किया गया है ।

(घ) सीधी भर्ती कोटा के अन्तर्गत आरक्षित पदों का खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विज्ञापन दिया जाता है और सरकार की हिदायतों के अनुसार आयु तथा अर्हताओं में छूट दी जाती है तथा इन पदों को भरना संभव हुआ है । ओ० एम० (ए/सी) के लिये इस कोटे के अन्तर्गत कोई कमी नही हैं, ए० ऐ० ऐम० संवर्ग में केवल अनुसूचित जनजाति के ऐक की कमी है ।

जहाँ तक पदोन्नतियों का सम्बन्ध है पदों का भरा जाना फीडर सम्वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र कर्मचारियों की उपलब्धि पर निर्भर करता है और पदोन्नति कोटे में कमी फीडर संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के कारण है ।

(ङ) और (च) यह यूनियन अन्य बातों के साथ-साथअनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के भर्ती और पदोन्नति कोटों में आरक्षण के क्रियान्वित न किए जाने के बारे में अभ्यावेदन देती रही है । इन आरोपों की जाँच कर ली गई है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति के बारे में सरकारी हिदायतों का अनुसरण कर रहा है ।

विवरण-एक

1972 से 1982 तक (ओ० एम० लेखा) तथा ए ऐ एम के रूप में पदोन्नति तथा भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या ।

	ओ एम (लेखा)		ए ए एम	
वर्ष	पदोन्नति	भर्ती	पदोन्नति	भर्ती
1 2	3	4	5	6
1972	—	13	—	—

1	2	3	4	5	6
(1-4-72 से 31-12-72)					
1973	6	2	15	—	—
1974		3	2	12	3
1975		11	5	1	—
1976		21	—	—	2
1977		13	—	26	1
1978		9	3	9	—
1979		34	—	6	—
1980		12	1	16	—
1981		15	—	9	—
1982		17	—	7	—
(31-3-82 तक)					
योग		137	39	86	6

विवरण-दो

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्षवार रिक्तियां तथा उन्हें भरने की स्थिति (भर्ती एवं पदोन्नति) 1972-82

			ओ० एम० (लेखा)			ए० ए० एम		
			भर्ती	पदोन्नति		भर्ती		पदोन्नति
वर्ष	आरक्षित	भरी गई	आरक्षित	भरी गई	आर०	भ०	आर०	भरी गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1972	1 अज	1 अज	—	—	—	—	—	—
(1-4-72 से 31-12-72)	1अजज							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1973	3 अज	2 अज	1 अज	—	—	—	—	—
	1 अजज							
1974	—	—	1 अजज	—	1 अज	—	2 अज	—
1975	1 अज	1 अज	2 अज	—	—	—	—	—
1976	—	—	3 अज	—	1 अजज	—	—	—
			2 अजज					
1977	—	—	2 अज	—	—	1 अज	4 अज	2 अज
			1 अजज	—	—		2 अजज	
1978	1 अजज	3 अज	1 अज	—	—	—	2 अज	—
			1 अजज				1 अजज	
1979	—	1 अज	5 अज	1 अज	—	—	1 अज	—
			2 अजज					
1980	1 अज	1 अज	2 अज	—	—	—	1 अज	—
			1 अजज				1 अजज	
1981	—	—	3 अज	—	—	—	1 अज	—
			1 अजज				1 अजज	
1982	—	—	2 अज	—	—	—	2 अज	2 अज
(31-3 1982 तक)		—	2 अजज					

टिप्पणी : ओ० एम लेखा के पद पर पदोन्नति उन कर्मचारियों के बीच में से की जाती है जो विभागीय लेखाकार परीक्षा पास कर लेते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों की अर्हता प्राप्त एस सी/एस टी कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के कारण भरा नहीं जा सका।

2. ए ए एम के पद के लिए पदोन्नति ओ० एम (लेखा) के मूल काडर से कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर की जाती है। एस सी (ओ एम)) (लेखा) के सिवाय, जिसकी जाति के बारे में जाँच की जा रही है एस सी/एस टी के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती पात्र एस सी/एस टी के उपलब्ध न होने के कारण नहीं की जा सकी।

सोवियत संघ को निर्यात की गई वस्तुएं

10425. **श्री रशीद मसूद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत, सोवियत संघ को किन-किन वस्तुओं का निर्यात करता है और उसका कुल कितना व्यापार है ;

(ख) उन अग्रणी फर्मों के नाम क्या हैं जो सोवियत संघ से व्यापार करती हैं ; और

(ग) उनमें से कितनी फर्में निर्यात के सामान की उत्पादक फर्में हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उन मदों की सूची संलग्न है जिन्हें भारत से सोवियत संघ को निर्यात के लिए व्यापार संलेख में शामिल किया गया है। ऐसा अनुमान है कि 1981 में भारत से सोवियत संघ को निर्यातों की राशि 1600 करोड़ रु० रही।

(ख) तथा (ग) : ऐसी जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

विवरण

भारत से सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं।

क्रमांक	वस्तु
	(1) कृषि सम्बन्धी उत्पाद
1.	चाय, जिसमें पैक की हुई चाय शामिल है।
2.	काफी।
3.	इन्स्टेंट काफी।
4.	कालीमिर्च।
5.	इलायची।
6.	अन्य मसाले।
7.	काजू गिरी जिसमें उपभोक्ता पैक शामिल हैं।
8.	एच० पी० एस मूंगफली।

9. चावल ।

10. सफेद तिल ।

11. तेल रहित मूंगफली की खली ।

12. अन्य तेल रहित खली ।

13. तम्बाकू ।

14. सिगरेट ।

15. चमड़ा ।

16. फलों के रस ।

17. ताजे तथा डिब्बा बन्द फल ।

18. ताजी तथा निर्जलीकृत सब्जियां जिनमें प्याज तथा लैहसुन शामिल हैं ।

19. अनातो बीज ।

20. डिब्बा बंद मांस ।

21. समुद्री उत्पाद ।

22. कट फ्लावर ।

(2) खनिज तथा अयस्क

23. अभ्रक ।

24. अभ्रक उत्पाद ।

25. एल्यूमिना ।

26. बेराइटिस ।

27. ढलवां लोहा ।

(3) रसायन तथा संबद्ध उत्पाद

28. औषधियां तथा भैषजीय पदार्थ ।

29. औषधियां बनाने के लिए कच्चा माल ।

30. पेंट, इनेमल तथा वारनिश जिनमें मैरीन पेंट शामिल है ।

31. लेमन क्रोम ।

32. रंजक सामग्री तथा मध्यवर्ती पदार्थ ।

33. एच० एसिड ।

34. अरंडी का तेल ।

35. सगंध तेल ।

(क) चन्दन की लकड़ी का तेल ।

(ख) अन्य सगंध तेल ।

36. डिटर्जेन्ट, स्काउरिंग पाउडर तथा सफाई के काम आने वाले अन्य एजेन्ट ।

37. जूते की पालिश ।

38. प्रसाधन सामग्री ।

39. टायर ।

40. लिनोलियन ।

41. पोलिप्रोपाइलीन रस्सियाँ ।

42. शल्य चिकित्सा दस्ताने ।

43. वैंकुम फ्लास्क तथा रिफिल ।

44. वायर इनेमल (लाख "टिरिविक")

45. कच्चा अफीम ।

46. सभी किस्मों के ब्रुश ।

47. ब्रिस्टल ।

(4) चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं

48. अर्ध कमाई तथा कमाई बकरी की खालें ।

49. तैयार चमड़ा ।

50, चमड़े के जूते, चप्पलें ।

51 शू अपर्स ।

52. चमड़ा निर्मित वस्तुएं, जिनमें दस्ताने, परिधान, पेटियां आदि शामिल हैं ।

53. औद्योगिक दस्ताने ।

(5) वस्त्र

54. छपे हुए सूती कपड़े तथा अन्य सूती थान ।

55. ऊनी वस्त्र ।

56. कृत्रिम रेशम के वस्त्र ।

57. औद्योगिक वस्त्र ।

58. पेपर मेकर फैल्ट्स ।

59. बैडलिनन, तौलिया तथा रूमाल ।

60. सिलाई का सूती धागा ।

61. सिले सिलाए परिधान ।

62. हथकरघा वस्तुएं ।

63. सूती हौजरी ।

64. जुराब तथा स्टार्किंग ।

65. ऊनी निट वियर ।

66. ऊनी कम्बल ।

67. ऊनी कालीन, हाथ तथा मशीन से बने ।

68. पटसन के थैले ।

69. पटसन के कपड़े ।

70. कच्चा पटसन ।

71. कवर उत्पाद ।

72. कवर यार्न ।

(6) इंजीनियरी सामान

73. मोटर-गाड़ी की स्टोरेज बैटरियां, ट्रैक्शन तथा बैटरियाँ ।

74. गैराज उपस्कर, जिसमें स्प्रेवूथ, पैट्रोल वितरण उपस्कर तथा अन्य शामिल हैं ।

75. दस्ती औजार, वायु दावी औजार तथा टूल किट ।

76. एल्यूमीनियम पावर केबल ।

77. ड्राई कोर केबल ।

78. कागज बनाने के लिए अलौह जाली ।

79. ड्राई बैटरियां ।

80. पोलिग्राफिक उपस्कर ।

81. स्टीम बायलर्स, जिनमें फायल टाइप शामिल हैं थर्मोफ्लाक्स, इन्सीनिरेटर्स आदि ।

82. इलैक्ट्रानिक उपकरण, संघटक तथा उपस्कर ।

83. कम्प्यूटर साफ्ट वेयर ।

84. सेनेटरी वेयर, सेनेटरी फिटिंग्स तथा पाइप्स और उनकी फिटिंग्स ।

85. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सहायता से भारत में बने औद्योगिक उद्योगों द्वारा विनिर्मित मशीनें तथा उपस्कर ।

86. वस्त्र तथा बुनाई मशीनें ।

87. मोटर-गाड़ी का अनुषंगी सामान ।

88. वी बैल्ट्स ।

89. तार के रस्से ।

90. मशीनी औजार ।

91. रोल्ड स्टील उत्पाद ।

92. लाइन पाइप्स (ई. आर. डब्ल्यू) तथा घुमावदार झले हुए ।

93. लोहा तथा इस्पात की ढली तथा गढ़ी चीजें ।

94. फोर्कलिफ्ट ट्रक्स ।

95. फ्रेट कन्टेनर्स ।

96. 100 किलोवाट तक की बिजली की मोटरें ।

97. औद्योगिक वाल्व ।

98. पानी साफ करने के संयंत्र ।

99. पम्प तथा कम्प्रेशर ।

100. डीजल इन्जन ।

101. एलिवेटर्स ।

(7) अन्य मदें

102. एल्यूमिनियम की पन्नी

103. ट्रापिकल लकड़ी की काष्ट परतें ।

104. इंडस्ट्रीयलर्स लैमीनैट ।

105. चश्मों के फ्रेम ।

106. स्पैक्टेकल लेसिस ।

107. हस्तशिल्प की वस्तुएं, जिनमें पीतल, श्वेत धातु, अर्ध-मूल्यवान रत्नों, लकड़ी, हाथीदांत, आदि का सामान शामिल है ।

108. खेल-कूद का सामान ।

109. चमकीली टाइलें ।

110. फायर होजेज ।

111. पुस्तकें, पत्रिकाएं, डाक टिकटें, ग्रामोफोन रिकार्ड, कैसेट ।

112. विविध सामान ।

नालगोला नदी पर पुल के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

10426 . **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार ने नालगोला नदी पर, जो कि ब्लू घाट और उत्तरी बंगाल के मालदा को जोड़ने वाली नई सड़क पर है और जो भारत-बंगला देश सीमा के निकट है, पुल निर्माण के लिये अनुमोदन और स्वीकृति के लिये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु चिट फंड कम्पनियों के द्वारा भेजा गया ज्ञापन

10427. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु चिट फंड कम्पनियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदनकर्त्ताओं ने चिट फंड विधेयक में कुछ संशोधनों के वास्ते सुझाव दिया है जो प्रवर समिति की सूचना के अनुसार सदन के विचाराधीन है । इन सुझावों में पूर्व स्वीकृति से इन्कार, चिट करार के पंजीयन से मनाही, फोरमैन द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना, दूसरे तथा इसके बाद वाले अपराधों के लिये दण्ड आदि से सम्बन्धित विधेयक के उपबंधों में संशोधन करना शामिल है ।

एसोसियेशन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

बिहार के मुख्य पर्यटन केन्द्रों के विकास पर व्यय

10428. **श्री कुंवर राम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 से मार्च, 1982 तक बिहार के मुख्य पर्यटन केन्द्रों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ख) छठी तथा सातवीं योजनाओं में भारत के पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए कितने स्थानों को शामिल किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान बिहार में पर्यटक सुविधाओं के विकास पर 15,53,474.00 रुपए खर्च किए गए जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1980-81	
(i) बोधगया में अधि गृहित भूमि की फेंसिंग	66,474·00
1981-82	
(i) बक्सर में एस० ई० एल० शो	5,00,000·00
(ii) हजारी बाग गेम सेंक्चुअरी में प्रशिक्षित हाथी	1,35,000·00
(iii) हजारी बाग में मिनी बस	2,40,000·00
(iv) तिलैया में नौकाएँ	2,25,000·00
(v) पटना में नौकाएँ	3,87,000·00
	15,53,474·00

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग का छठी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है :

(i) पटना में यूथ होस्टल

(ii) बक्सर में पर्यटक गांव

(iii) भारतीय यात्री आवास विकास समिति (धर्मशालाओं के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत सोसाइटी) द्वारा बक्सर में यात्रिका (धर्मशाला)।

(iv) सासाराम में अल्पाहार गृह-व-विश्राम गृह

(v) बेतला (पालामाऊ गेम सेंक्चुअरी) में वन गृह

(vi) बक्सर में ध्वनि-और-प्रकाश शो।

(vii) बोधगया और राजगीर में आवास का निर्माण, और नालन्दा में एक कैफेटेरिया।

भारत पर्यटन विकास निगम का बिहार पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त सेक्टर उद्यम के रूप में रांची में एक होटल का निर्माण करने की और बोधगया स्थित अपने यात्री गृह का विस्तार करने की भी योजनाएँ हैं।

भारतीय होटल निगम द्वारा मैसर्स होक्के क्लब आफ जापान के सहयोग से इण्डिया-होक्के होटल्स लिमिटेड नामक एक सहायक कम्पनी की स्थापना की गयी है। यह कम्पनी बिहार के अन्तर्गत राजगीर में 25 कमरे वाले एक 3-स्टार होटल का निर्माण करेगी और उसका प्रबन्ध करेगी। इस होटल की अनुमानित लागत 1·15 करोड़ रुपए है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्कीमें अभी तैयार नहीं की गयी हैं।

"यू०एस० टु० अपोज आई० बी० आर० डी० लोन फार रिफाइनरीज" शीर्षक

समाचार

10429. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1982 अपोजके "इकनामिक टाइम्स" में "यू० एस० टुअर्याज आई० बी० आर० डी० लोन फार रिफाइनरीज," शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने यह नोटिस दिया है कि वह तेलशोधन कारखानों की प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के सम्बन्ध में भारत के द्वारा विश्व बैंक को भेजे गये आवेदन-पत्र का विरोध करेगा;

(ग) क्या अमरीका के दृष्टिकोण से विश्व बैंक को हाल में अवगत करा दिया गया है तथा 20 करोड़ डालर के ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर विचार करने के लिए बैंक के कर्मचारी बोर्ड की वाशिंगटन में बैठक होगी;

(घ) क्या भारत का आवेदन-पत्र गत ढाई वर्षों से भी अधिक समय से अधर में लटका हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उपरोक्त खण्डों में से प्रत्येक खण्ड के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले की अद्यतन स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) तक : भारत की तेल शोधन पुनर्गठन परियोजना पर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड द्वारा 6 अप्रैल, 1982 को हुई बैठक में विचार किया गया था। पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यकारी निदेशक ने इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया कि बहुपक्षीय विकास संस्थाओं को केवल उन परियोजनाओं का वित्तपोषण करना चाहिए जो गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा हाथ में न ली गई हों अथवा न ली जा सकती हों ।

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने 6 अप्रैल, 1982 को हुई अपनी बैठक में इस परियोजना के लिए 20 करोड़ डालर के ऋण का अमुमोदन कर दिया है ।

कन्या कुमारी में हवाई अड्डा :

10430. **श्री एन० डेनिस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कन्याकुमारी में एक हवाई अड्डा बनाने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो, ततसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

काजुओं की कमी

10431. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में काजुओं की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ाकर देशीय बाजार के लिए सप्लाई बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि इस समय देश की मांग पूरा करना संभव नहीं है तो क्या सरकार विदेशी

बाजारों, विशेषतः अफ्रीका से काजू खरीदने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। संस्थापित प्रोसैसिंग क्षमता स्वदेशी उत्पादन से कच्चे काजू की उपलब्धता से अधिक है।

(ख) काजू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये गए हैं। प्रमुख उपजकर्त्ता राज्यों में काजू के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अलावा एक विश्व बैंक सहायता-प्राप्त बहुराज्यीय परियोजना कार्यान्वयन अधीन है।

(ग) विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों विशेषतः अफ्रीका से कच्चे काजू के आयातों को बढ़ने के प्रयास के रूप में 27 अप्रैल, 1981 से आयातों का असरणीबद्ध किया गया।

रूस द्वारा सभी मौसमों में तीव्र गति से दूर-दूर तक जाने वाले परिवहन विमान दिए जाने का प्रस्ताव

10432. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री सुधीर कुमार गिरि :

श्री ए म० रामगोपाल रेड्डी :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने पुराने ए. एन. 12 के स्थान पर सभी मौसमों में तीव्रगति से दूर-दूर तक जाने वाले परिवहन विमानों को भारत को देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विमान का नाम क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा तुलनात्मक रूप से इसके क्या लाभ हैं ; और

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं और उन पर कितना खर्च आयेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) से (ग) : आजकल भारतीय वायु सेना के पास पुराने होते जा रहे ए एन 12 विमान के स्थान पर रूसी मूल के आई. एल. 76 विमान को लाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। अधिक विवरण प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं होगा।

पोली प्रोपोलीन का आयात

10433. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत, पटसन के स्थान पर पोली-प्रोपोलीन को शामिल करने से पटसन उद्योग के लिए देशीय बाजार में मंदी आ गई है ; और

(ख) क्या पोलीप्रोपोलीन के स्वच्छन्द आयात के कारण पटसन उद्योग तथा पटसन उत्पादकों के लिए चिंता पैदा हो गई है ; और

(ग) सिन्थेटिकाविकल्पों के मुकाबले में पटरात से सभी वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इस मद के आयात की ओ० जी० एल० के अधीन अनुमति नहीं दी जाती ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाया जाना

10434. **श्री बी० डी० सिंह** :

श्री राजेश कुमार सिंह क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि वर्ष 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम की पोलिसियों की संख्या बढ़ी थी, वर्ष 1980-81 में यह घटी थी और कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाने के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य असन्तोषजनक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में निगम को अपना कारोबार बढ़ाने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नये व्यक्तिगग कारोदार का विकास इस प्रकार हुआ :

		ग्रामीण कारोबार
वर्ष	**पालिसियों की संख्या (लाखों में)**	**बीमाकृत राशि (करोड़ रुपयों में)**
1978-79	5.15	461
1979-80	5.91	604
1980-81	5.79	676

(ख) जीवन बीमा निगम के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करने के लिये ऐसे जिलों में जहां निगम के कार्यालय नहीं हैं नये कार्यालयों की स्थापना करके और ग्रामीण वृधिक एजेंटों की भर्ती के द्वारा आवश्यक मूलभूत ढांचे का विकास करने के काम पर अधिक जोर दिया जा रहा है ।

एयर इंडिया द्वारा "प्रोत्साहन टिकट" जारी किया जाना

10435 . **श्री निरेन घोष:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा "प्रोत्साहन टिकट" जारी किए जाते हैं ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पूर्व भारत में ऐसे टिकट दिये गये हैं और यदि हां, तो किन्हें ;

(ग) क्या ऐसे टिकटों पर 25 प्रतिशत से अधिक छूट दी गई थी ;

(घ) लेकिन क्या वास्तव में केवल 5 प्रतिशत ही छूट दी गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इस बारे में जांच की जायेगी; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) (क) से (च) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयकर अधिकारी के श्रेणी एक के पद को श्रेणी दो के पद में बदलने पर विरोध

10436 . **श्री सोमजी भाई दामोर :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में आयकर विभाग के श्रेणी तीन के कर्मचारियों के संघों/संगठनों/परिसंघों ने आयकर विभाग में आयकर अधिकारी के श्रेणी दो के पद को श्रेणी एक के पद में बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) क्या इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) ने भी आयकर अधिकारी के श्रेणी-दो के सैकड़ों पदों को श्रेणी-एक के पदों में बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ग) क्या अनेक संसद सदस्यों ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि वह आयकर अधिकारी के श्रेणी-दो के पद को श्रेणी-एक के पद में बदलने के प्रस्ताव को त्याग दे ; और

(घ) क्या उपरोक्त विरोध को देखते हुये सरकार उक्त प्रस्ताव को त्याग रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) : जी, हां ।

(घ) आयकर अधिकारी समूह 'ख' के कुछ (लगभग 2200 में से 258) पदों को आयकर अधिकारी समूह 'क' में परिवर्तित है करने का प्रस्ताव, समूह 'ख' और समूह 'क' में आयकर अधिकारियों के लिये सरकार की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, किया गया है । इस मामले पर पुनः विचार किया गया है और समूह 'ख' पदों के समूह 'क' पदों में प्रस्तावित परिवर्तन को छोड़ देना संभव नहीं पाया गया है ।

बीड़ी का आयात

10437. **श्री० बी० एस० विजयराघवन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी के आयात हेतु केरल दिनेश बीड़ी के साथ करार करने का एक स्विस फर्म का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उसका अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार केरल दिनेश बीड़ी ने 1980 के दौरान "मैजिक गार्डन" नामक स्विटजरलैंड की फर्म को बीड़ी की दो खेपों की सप्लाई की । इस फर्म ने केरल दिनेश बीड़ी को हाल ही में 24, 000 बीड़ियों के लिये एक अन्य आर्डर दिया है ।

बैंकों में धोखाधड़ी/चोरियां/डकैतियां

10438. **श्री आर० पी० सारंगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 से 1982 की अवधि में नागपुर तथा विदर्भ क्षेत्र की स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में (एक) धोखाधड़ी (दो) चोरियों, (तीन) डकैतियों तथा (चार) मुविनियोजन में कितनी राशि अर्न्तग्रस्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसकी नागपुर और विदर्भ क्षेत्र की शाखाओं में कोई चोरी अथवा डकैती नहीं हुई है । अलबत्ता, अलग-अलग बैंकों के सम्बन्ध में, धोखाधड़ियों के ब्यौरों को प्रकट करना लोक-हित में नहीं है । पिछले पांच वर्षों के दौरान स्टेट बैंक समूह में धोखाधड़ियों से सम्बन्धित सूचना नीचे दिखाई गई है :

वर्ष	धोखा धड़ियों की सं०	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये)
1977	243	1.99
1978	243	0.84
1979	274	6.60
1980	439	1.38
1981	127	0.64

(31-3-81 के अन्त तक)

पाद टिप्पणी (1) "बैंक धोखाधड़ियों" में सामान्यतः गलतबयानी के मामलों, विश्वास भंग, लेखा पुस्तकों की हेराफेरी, चेकों, ड्राफ्टों तथा विनियम बिलों जैसे पत्रों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत रूप से संचालन, अपकरण, गबन, चोरी, रकमों की हेराफेरी, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, रकम की कमी, अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

(2) बैंकों द्वारा सूचित किये गये धोखाधड़ी के सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है, चाहे उनमें अर्न्तग्रस्त राशि कितनी भी हो । इन धोखाधड़ियों में अर्न्तग्रस्त राशि आवश्यक रूप से बैंकों की हुई हानि की द्योतक नहीं है ।

बंगलौर रेलवे स्टेशन पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा खोलना

10439. **श्री ओस्कर फर्नांडीस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल बोर्ड ने स्टेट बैंक आफ इंडिया को सुझाव दिया है कि वह बंगलौर रेलवे स्टेशन पर अपनी एक शाखा खोल दे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) : रेलवे बोर्ड ने सूचना दी है कि उन्होंने बंगलौर रेलवे स्टेशन पर शाखा खोलने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक को कोई सुझाव नहीं दिया है ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

पेंशनधारियों को दी गई पेंशन राहत

10440. **श्री अजित बाग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशनधारियों को समय-समय पर पेंशन राहत देने के लिये सभा में अनेक बार आश्वासन दिये जाने के बाद भी क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे 'यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया' की नावाग्राम जिला, हुगली, पश्चिम बंगाल, स्थित शाखा ने तथा नावाग्राम डाक-घर पिनकोड 712246 ने जून, 1981 में देय हुई 21/2 प्रतिशत दर पर पेंशनराहत मार्च, 1982 तक भी अदा नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) और (ख) : इस संबंध में सूचना मांगी जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आयकर सम्बंधी छापे

10441. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर प्राधिकारियों ने हाल में बम्बई में कुछ बड़े लोगों के घरों पर छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो छापों का ब्यौरा क्या है तथा अन्य तथ्यों का पता लगाने के अलावा बरामद की गई अभियोगात्मक सम्पत्ति, आभूषण और रिकार्डों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ऐसी असामाजिक गतिविधियों का और भंडाफोड़ करने के लिये तथा अन्य लोगों को ऐसी गतिविधियों का अनुकरण करने से रोकने हेतु दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए इस प्रकार के देशव्यापी छापे मारना शुरू करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) पिछले महीने, आयकर विभाग द्वारा बम्बई में फिल्मी कलाकारों श्री राजेश खन्ना और श्रीमती डिम्पल खन्ना, उसके पिता श्री चुन्नी भाई कपाड़िया और उसके सहयोगियों के मामलों में तलाशियां ली गई थीं। इन तलाशियों में अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अलावा, 29 लाख रु० से अधिक मूल्य की प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। एक बैंक-खाते को भी प्रतिषेधात्मक आदेशों के अन्तर्गत रखा गया था।

(ग) और (घ) : तलाशी लेने का प्राधिकार ऐसे मामलों में ही दिया जाता है जिनमें, तलाशी का प्राधिकार देने वाले अधिकारी का, उपलब्ध सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक है।

ओवरड्राफ्टों की बकाया राशि के समक्ष राजस्थान सरकार द्वारा अदा की गई राशि

10442. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार ने अपने द्वारा पहले किये गये ओवरड्राफ्टों की बकाया राशि के समक्ष कितनी राशि की आदयगी की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट उनकी दैनिक नकद स्थिति को दर्शाते हैं और इनकी मात्रा में दिन-प्रतिदिन अन्तर होता रहता है। राज्य सरकारों का धन-संबंधी लेन-देन एक साथ ही राज्य के कई खजानों/उप-खजानों तथा बैंकों में होता रहता है। ओवरड्राफ्ट तब होते हैं, जब राज्य सरकार के खाते में वितरण उनकी प्राप्तियों और प्राधिकृत अर्थोपाय सीमाओं से ऊपर बढ़ जाता है। जब भी राज्य सरकार के खाते में प्राप्तियां वितरण से अधिक हो जायेंगी तो ओवरड्राफ्ट की राशि कम हो जायेगी।

खुला सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत रेयन ग्रेड लुगदी (पल्प) का आयात

10443. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रेयन ग्रेड लुगदी के आयात की अनुमति देने संबंधी वर्तमान नीति को देखते हुए घरेलू एककों की क्षमता के बारे में देश में विद्यमान प्रतिकूल स्थिति की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रेयन ग्रेड लुगदी के आयात को निरुत्साहित करने का है क्योंकि देश में यह फालतू है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : स्वदेशी उत्पादन, जिस सीमा तक स्वदेशी उत्पादक अपनी स्थापित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, देश में इस मद की माँग तथा आयातित सामग्री की उतरने पर लागत और स्वदेशी सामग्री के बीच अन्तर को पूरी तरह ध्यान में रखने के बाद रेयन ग्रेड लुगदी के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दी जाती है। इस मद की विद्यमान आयात नीति में किसी प्रकार परिवर्तन करने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण

10444. **श्री पियूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र विदेशों से भारी ऋण ले रहा है जैसा कि दिनांक 3 मार्च, 1982 के स्टेट्समेन में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के कितने उद्यम ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं ;

(ग) वे किन-किन देशों या एजेंसियों के माध्यम से ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं ; और

(घ) ये ऋण किस प्रकार चुकता किए जाएंगे जबकि अधिकांश सरकारी उद्यम घाटे में चल रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में मैनेजर

10445. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की ऐसी कितनी शाखायें हैं जहां स्थायी मैनेजर नहीं हैं ;

(ख) कितनी शाखाओं में उनके दर्जे के हिसाब से मैनेजर नहीं है ; और

(ग) भुवनेश्वर शाखा में कब से मैनेजर नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा में इसकी 102 शाखाओं में से 10 शाखायें कार्यवाहक प्रबन्धकों के अधीन कार्य कर रही हैं। भुवनेश्वर मुख्य शाखा में भी। अक्तूबर, 1981 के बाद से कार्यवाहक प्रबन्धक मौजूद है। इसकी पांच शाखाओं में प्रबन्धक, शाखा की हकदारी से भिन्न ग्रेड के हैं।

सीमेंट में चोर बाजारी द्वारा लेखा बाह्य धन पैदा किया जाना

10446. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट की चोर बाजारी द्वारा पर्याप्त लेखाबाह्य धन पैदा

किया गया था और उसका पर्याप्त भाग शेयर की सट्टावाजी में लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निवेशों में जो काले धन का प्रसार हुआ है और असमाजिक तत्वों द्वारा जमा किया जा रहा है उसे निकालने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : सीमेंट में चोर बाजारी किए जाने तथा ऐसी चोर बाजारी से उत्पन्न धन को शेयरों की सट्टे वाजी में लगाए जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। देश में सीमेंट की सामान्य कमी होने के कारण, इसकी चोर बाजारी जैसे कदाचारों की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विशिष्ट सूचना वाले मामलों में, आयकर प्राधिकारी उपयुक्त कार्यवाही करते हैं। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में सीमेंट की नई मूल्य तथा वितरण नीति और इसके आंशिक विनियन्त्रण की घोषणा की है।

वायुदूत सेवा में उड़ान सुरक्षा प्रबंधक

10447. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत सेवा में उड़ान सुरक्षा का कोई पूर्णाकालिक प्रबंधक नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ान सुरक्षा प्रबंधक, जो एयर लाइन्स मुख्यालय में नियुक्त है ; अतिरिक्त जिम्मेदारी वहन कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह नहीं समझती है कि अन्य उड़ानों की तरह घरेलू हवाई उड़ानों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हां।
(ख) : जी, हां।

(ग) उड़ान सुरक्षा के महत्त्व को ध्यान में रख कर, इंडियन एयरलाइंस ने उड़ान सुरक्षा विभाग का दर्जा बढ़ाकर उसे निदेशालय बना दिया है। विभाग का प्रबन्ध उड़ान सुरक्षा के एक प्रवन्धक द्वारा उड़ान सुरक्षा के निदेशक की देख-रेख में किया जाएगा।

ब्रिटिश सरकार द्वारा एयरइंडिया को दुबाई और लन्दन के बीच यात्रियों को लाने ले जाने की अनुमति देने से इंकार करना

10448. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने एयर इंडिया को दुवई और लन्दन के वीच यात्रियों को लाने ले जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या एयर इंडिया भविष्य में इस मार्ग पर विमान चालाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) भारत की नामित विमान कम्पनी पर लागू नयी मार्ग अनुसूची के अनुसार, जिस पर कि अक्तूबर, 1981 में यू० के० में हुए अन्तर-सरकारी विचार-विमर्श में सहमति हुई थी, एयर इंडिया को दुबई तथा लन्दन के बीच यातायात अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है ।

(ग) एयर-इंडिया अपनी भारत/यू० के०/यू०एस० ए० सेवाओं पर दुबई लन्दन सैक्टर पर बिना यातायात अधिकारों के एक मध्यवर्ती विराम-स्थल के रूप में दुबई से होते हुए परिचालन कर रही है ।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

10449. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट आंकड़ों को प्रकाशित न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : बहुत पहले से भारतीय रिजर्व बैंक की यह धारणा रही है कि राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए ओवरड्राफ्टों को सार्वजनिक जानकारी के लिए बताना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि इस से भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच एक बैंकर तथा ग्राहक के सम्बन्ध बिगड़ जाएंगे । भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र को इस बात पर विचार करने के लिए लिखा है कि क्या इस प्रकार की सूचना देना लोक हित में होगा । भारत सरकार संसद में प्रश्नों के उत्तर में यह सूचना लोक हित में देती रही है ।

उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन संबंधी फैक्ट्रियों की स्थापना

10450. **श्री जैनुल बशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन संबंधी कितनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) इन फैक्ट्रियों में किन-किन मदों का उत्पादन किया जायेगा और ये फैक्ट्रियां कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) और (ख) : कुछ रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए जिन राज्यों के बारे में विचार किया जा रहा है उनमें से एक उत्तर प्रदेश

एक है परन्तु उनके लिए स्थान और परियोजना के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पड़ोसी देशों के विमानों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

10451. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-82 के दौरान पड़ोसी देशों के विमानों द्वारा या अन्यों द्वारा (देश और वर्ष का उल्लेख देते हुए) वायु सीमा के उल्लंघन करने के कितने मामले हैं ; और

(ख) देश की स्वतन्त्रता, एकता और सार्वभौमिकता की सुरक्षा बनाये रखने के लिए इन उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 1975-82 के दौरान बंगलादेश और नेपाल के विमानों द्वारा यदा कदा उल्लंघन की घटनाओं के अलावा पाकिस्तानी विमानों द्वारा प्रतिवर्ष 6 से 20 बार तक हमारी हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। अक्तूबर-दिसम्बर 1980 में सीमावर्ती क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के दौरान चीन के विमानों से भी उल्लंघन की कुछ घटनाएं हुई थीं।

(ख) हवाई उल्लंघनों के मामलों को सम्बन्धित सरकारों के साथ उठाया जाता है जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

रायसेन जिले में समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं द्वारा स्वीकृत ऋण के मामले

10452. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82 के वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न शाखाओं में कितने मामले प्राप्त हुए थे और कितने स्वीकृत किये गये ; और

(ख) कृषि, सिंचाई, उद्योग, पशुपालन, डेयरी फार्म तथा अन्य सेक्टरों के जिन विभिन्न क्षेत्रों को प्रत्येक शाखा द्वारा ऋण दिया गया, उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की सूचना के मुताबिक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1981-82 के वित्तीय वर्ष के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन प्राप्त तथा स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या के बारे में अपेक्षित सूचना आगे दी गई है :—

(राशि लाख रुपयों में)

मद	प्राप्त हुए आवेदन		स्वीकृत मामले	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)	1895	116.44	1156	58.05
20-सूत्री कार्यक्रम	1860	112.67	1061	45.76

अग्रिमों के शाखावार तथा प्रयोजनवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, 1981-82 के दौरान रायसेन जिले में बैंक द्वारा दिये गये क्षेत्रवार अग्रिम निम्नलिखित थे :—

राशि (लाख रुपयों में)

I.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	393.13
	जिसमें से	
	कृषि	336.92
	लघु उद्योग	14.94
	सेवाएं	41.27
II.	विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन	10.73

केन्द्रीय टसर अनुसंधान संस्थान, राँची के श्रमिकों द्वारा आंदोलन

10453. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय टसर अनुसंधान संस्थान, राँची के श्रमिक अपनी मांगों को लेकर कुछ समय से आन्दोलन चला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो विवाद के मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं। अब कुछ समय से केन्द्रीय टसर अनुसंधान संस्थान, रांची में कर्मचारियों द्वारा कोई आन्दोलन नहीं किया गया है।

तथापि, पहले संस्थान के काल-वेतनमान श्रमिकों ने 22 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 1981 तक की गैर-कानूनी हड़ताल की थी परन्तु उसके बाद संस्थान में स्थिति पूर्णतः सामान्य रही है।

(ख) तथा (ग) : काल-वेतनमान श्रमिकों की हड़ताल रांची कामगार संघ के आह्वान पर की गई थी जोकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। कुल मिला कर 10 मांगें की गईं जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर महंगाई भत्ते की अदायगी, बोनस की अदायगी, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, ग्रेच्युटी का लाभ, काम के घण्टों का निर्धारण, उत्सव अवकाशों की मंजूरी, उपस्थिति कार्डों तथा पहचान पत्रों की सुविधा, चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन और उन पर उनका आमेलन आदि शामिल थीं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने यथासंभव सीमा तक इन मुद्दों को हल करने के प्रयास किये हैं। चूंकि वे काल-वेतनमान श्रमिक हैं, न कि बोर्ड के नियमित कर्मचारी, अतः उन्हें केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है। तथापि, बोर्ड ने हाल ही में उनके महंगाई भत्ते में 30 रुपये प्रति मास की वृद्धि की है। साथ ही अब तक उन्हें केवल तीन दिन का सवेतन उत्सव अवकाश दिया गया है। यह सीमा अब बढ़ा कर चालू वर्ष से 6 दिन कर दी गई है और इसका यथा समय आगे पुनरीक्षण किया जाएगा।

उन्हें उपस्थिति कार्ड तथा पहचान पत्र जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता। चूंकि रेशम बोर्ड बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता, अतः उन्हें बोनस देना संभव नहीं है। तथापि बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान 15 मास की परिलब्धियों की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक मास की परिलब्धियों की दर पर मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है।

जहां तक चतुर्थ श्रेणी पदों के सृजन का सम्बन्ध है, केवल काल-वेतनमान श्रमिकों के आमेलन के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना सम्भव नहीं है। तथापि, रिक्तियों तथा इन पदों के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों पर विचार किया जाएगा और श्रम मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जहां तक काम के घण्टों का सम्बन्ध है, वे केवल 8 घण्टे की ड्यूटी करते हैं जैसा कि नियमों के अन्तर्गत बाध्यकारी है।

एम० ई० एस० अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध श्रीनगर, कश्मीर की बिल्डर्स एसोसिएशन का प्रधान मन्त्री को ज्ञापन

10454. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिल्डर्स एसोसिएशन कश्मीर का प्रधान मंत्री को सम्बोधित 26

मार्च, 1982 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें श्रीनगर के एम० ई० एस० अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक आरोप की जाँच की है ;

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हाँ ।

(ख) से (ङ) इस ज्ञापन में कुछ एम० ई० एस० पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप है। शिकायत की जाँच करने के लिए आदेश दे दिये गए हैं ।

पूर्वी नौसेना कमान; विशाखापत्तनम में सिविलियन अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

10455. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1982 को मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम के अधीन सिविलियन अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या क्या थी और कितने काम कर रहे थे (संवर्ग-वार, ग्रुप-वार) ;

(ख) उपरोक्त (क) में कितने पद आरक्षित थे और कितने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार नियुक्त किए गए थे (संवर्ग-वार, ग्रुप-वार) ;

(ग) उपरोक्त (ख) में 1 अप्रैल, 1971 से सरकार की पूर्व अनुमति से कितने ऐसे पद अनारक्षित किये गए जिनको आगे ले जाया जाना था ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शेड्यूल्ड कास्ट अपलिफ्ट यूनियन, विशाखापत्तनम ब्रांच के महामन्त्री ने अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की क्रियान्वित अनुसूचित रूप से किये जाने के बारे में एफ० ओ० सी० सी०, हैड क्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमाँड, विशाखापत्तनम से शिकायतें की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1979 से की गई ऐसी प्रत्येक शिकायत का संक्षेप में ब्यौरा क्या है और मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम ने उन पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है (मद-वार, वर्ष-वार) ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा विज्ञापन और प्रचार में खर्च की गई धनराशि

10456. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के नाम क्या हैं जो उनके मंत्रालय के अधीन हैं तथा पिछले तीन सालों के दौरान (वर्षवार) इन संगठनों ने (यूनिट-वार) विज्ञापन और प्रचार पर कितनी धनराशि खर्च की ;

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान (वर्षवार) इन यूनिटों द्वारा (यूनिट-वार) विज्ञापन के लिए प्रयुक्त किये गये दैनिक पत्रों और सामयिक पत्रिकाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार के उन मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के नाम क्या हैं जो पिछले तीन वर्षों में (वर्षवार) यूनिट-वार विज्ञप्तियां प्रेस के लिए इन संगठनों की नियमित डाक सूची में हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस सूचना को एककवार और वर्षवार रूप में तैयार करने के लिए, उसे सारे देश में फैले प्रत्येक सरकारी क्षेत्र की संस्था के स्थानीय एककों से एकत्र करना होगा और यह प्रक्रिया न केवल समय-साध्य होगी बल्कि वांछित रूप में सूचना का प्रस्तुतीकरण आकार में भी बहुत बड़ा होगा । अतः इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला परिश्रम अभीप्सित परिणामों की तुलना में कहीं अधिक होगा ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, अपने विज्ञापनों का माध्यम चुनने में स्वतन्त्र हैं और उनके लिए अपने विज्ञापन सरकार के माध्यम से भेजना अपेक्षित नहीं होता ।

आयुध कारखाना कानपुर के एक कर्मचारी द्वारा जारी किए पर्चे के विरुद्ध शेड्यूल्ड कास्ट डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन, कानपुर द्वारा विरोध प्रकट किया जाना

10457. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आयुध कारखाना (ओ० एफ० सी ०) कानपुर के एक कर्मचारी द्वारा जारी किये गये एक पर्चे की ओर दिलाया गया है जिसमें देश की सम्पूर्ण अनुसूचित जातियों का अनादर किया गया है और उन्हें अस्पर्शनीय कहा गया है ;

(ख) क्या शेडयूल्ड कास्ट डिफेंस एम्पलाइज फैडरेशन, कानपुर ने भी सरकार को लिखा है जिसमें इस पर्चे के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया है ;

(ग) सरकार ने घोर आवरण के दोषी तथा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के दोषी इस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) चार पर्चे—दो अनुसूचित जाति रक्षा कर्मचारी संघ और दो राष्ट्रीय प्रतिभा संरक्षण समिति द्वारा एक दूसरे की आलोचना करने के बारे में ध्यान में आये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले को सिविल अधिकारियों के पास उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

भूतपूर्व राजाओं के बैंक लेखे और आस्तियां

10458. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भूतपूर्व राजाओं ने अपने बैंक लेखों और विदेशों की अपनी दूसरी आस्तियों की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या भूतपूर्व राजाओं के अलावा कुछ अन्य मामले भी सरकार के सामने आए हैं : और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

"नान एक्जिसटेन्ट फर्मस गिवन बैंक लोन्स" शीर्षक से समाचार

10459. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मार्च, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "नान एक्जिसटेन्ट फर्मस गिवन बैंक लोन्स" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-विद्यमान फर्मों को हरियाणा में लक्ष्मी कमर्शियल बैंक की दो शाखाओं द्वारा 9 लाख रुपये मूल्य के ऋण देने का उल्लेख था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए देश में सभी बैंकों द्वारा गत दो वर्षों की

अवधि के दौरान दिये गए ऋणों का सर्वेक्षण करने का विचार किया गया है और उसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

धनबाद में आयकर का भुगतान करने वाले वाहन मालिक

10460. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1982 को बिहार के धनबाद जिले में चल रही कारों, डम्पर्स, ट्रकों, बसों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों की संख्या की क्या स्थिति थी;

(ख) उपरोक्त वाहनों के मालिकों की संख्या क्या है;

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1982 को उपरोक्त मालिकों में से आयकर का भुगतान करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या था;

(ग) क्या यह सच है कि इन वाहन मालिकों में से काफी लोग आय-कर का भुगतान करने के क्षेत्र से अब तक बाहर बने हुए हैं, हालांकि कर देने योग्य आय होने के बिना वाहनों का रख-रखाव करना असंभव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : वाहनों पर कर लगाना राज्य का विषय है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, धनबाद जिले में चल रहे वाहनों की संख्या तथा उनके मालिकों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण आय-कर अदा करने वाले मालिकों का प्रतिशत-अनुपात ज्ञात नहीं है।

(घ) तथा (ङ) : हाल ही में, आयकर विभाग ने, ऐसे व्यक्तियों के नाम अपने रजिस्टर में लाने के लिए, जिनके पास कर लगने योग्य आय/धन है: सर्वेक्षण कार्य तेज कर दिया है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत वाहनों के मालिक भी आएंगे।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के यात्रा भत्ता पर किया गया व्यय

10461. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के यात्रा भत्ता पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) उस राशि में से अधिकारियों और कर्मचारियों पर अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के प्रशासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों (उनको छोड़कर जो विदेशों में भारतीय मिशनों में काम कर रहे हैं) के यात्रा भत्ते पर हुआ कुल व्यय निम्न प्रकार है :

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1977-78	65·28
1978-79	69·76
1979-80	70·60

वर्ष 1980-81 और 1981-82 के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही प्राप्त हो जाएगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सभी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते से सम्बन्धी व्यय को एक सामान्य उपशीर्ष "यात्रा व्यय" के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। इसलिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर हुए इस व्यय के अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० में चैकों का प्रमाणिकरण किया जाना

10462. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों विशेषकर लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० में निरक्षर खाताधारी के चैकों की दोनों ओर अंगूठे के चिन्ह को सक्षम अधिकारी से प्रमाणिकृत कराना आवश्यक होता है; और

(ख) क्या ऐसे खाताधारियों के चेकों का प्रमाणिकरण करना लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० के नियमानुसार अपेक्षित हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अशिक्षित व्यक्तियों के मामले में चेकों का अंकन या पृष्ठांकन, तरजीहन उनके बैंकर या बैंक के परिचित किसी व्यक्ति की उपस्थिति में लगाये गये साक्षीकृत अंगूठे के निशान द्वारा किया जा सकता है।

(ख) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अशिक्षित जमाकर्त्ताओं के बचत बैंक खातों से निकासियां, किसी ऐसे प्राधिकृत कार्मिक द्वारा जांची और अधिप्रमाणित की जानी चाहिए जो स्वयं को इस बात से संतुष्ट करे कि जमाकर्त्ता स्वयं आया है और उसे निकासी फार्म में लिखी बातों की जानकारी है। विकल्प के तौर पर, बैंक के परिचित किसी सम्मानित गवाह से निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है कि उक्त अशिक्षित

जमाकर्त्ता ने ही अपना अंगूठे का निशान, निकासी फार्म पर लगाया है और उसमें लिखी बातों को उसने समझ लिया है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

10463. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन अभ्यावेदनों के बारे में जानकारी है जो शड्यूल्ड कास्ट अपलिफ्ट यूनियन, विशाखापत्तनम ने भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों और उनके लिए लागू आरक्षण को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करने के बारे में प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : यूनियन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारयों के सम्बन्ध में अनुचित व्यवहार तथा भर्ती एवं पदोन्नति कोटे में आरक्षण के कार्यान्वित न किए जाने के बारे में अभ्यावेदन देती रही है। इन आरोपों की जांच की गई है। खनिज व धातु व्यापार निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में सरकारी हिदायतों का अनुसरण कर रहा है।

श्री लंका से आने वाले पर्यटकों के लिये रामेश्वरम में और मंडपम में सुविधायें

10464. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार श्री लंका से आने वाले पर्यटकों के लिये रामेश्वरम और मंडपम में सुविधाएं बढ़ाने की कोई वृहत योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय द्वारा कब तक इस प्रकार की वृहत योजना तैयार किये जाने की संभावना है;

(ग) इस प्रकार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में भारतीय पर्यटन विकास निगम को सहयोग देने के लिये संबंधित राज्य सरकार को क्या मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को रामेश्वरम की एक मास्टर प्लान (भूमि—उपयोग योजना) तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि इस द्वीप पर विनियमित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) पर्यटन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भारत पर्यटन विकास निगम से सहयोग करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं भेजे गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सम्बलपुर जिले के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

10465. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय को सम्बलपुर जिले हेतु बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक द्वारा कर और सुन्दर गढ़ तथा फूलबनी नामक दो अन्य जिलों को पूरी तौर से शामिल कर के एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को यह प्रस्ताव कब मिला; और

(ग) सम्बलपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब तक खुल जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) :

बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक को विभाजित करने और सम्बलपुर जिले में ऐक नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने का एक प्रस्ताव, भारतीय रिर्जव बैंक को उड़ीसा सरकार से सितम्बर 1979 में प्राप्त हुआ था। उसमें राज्य सरकार ने यह सिफारिश की थी कि सम्बलपुर जिले में स्थापित किए जाने वाले नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ सुन्दरगढ़ जिले को और गंजाम जिले में स्थापित किए जाने वाले नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ फुलबनी जिले को जोड़ दिया जाये।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से सम्बन्धित वर्तमान सांविधियों में पहले से स्थापित किये जा चुके बैंक को विभाजित करने की कोई व्यवस्था नही है। अतः इस समय राज्य सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

वर्ष 1982-83 के लिए अभ्रक के निर्यात का लक्ष्य

10466. **श्री समीनुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए अभ्रक के निर्यात का लक्ष्य कितना है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत से अभ्रक खरीदने में रुचि ली है; और

(ख) चालू वर्ष में अभ्रक के निर्यात के किन सौदों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा अभ्रक का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं और वे कितना तथा किस दर पर अभ्रक लेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए संसाधित अभ्रक के निर्यात का 33 करोड़ रु० का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अभ्रक के

परम्परागत खरीदार देशों के नाम हैं : सोवियत रूस, बल्गारिया, चैकोस्लोवाकिया, कोरिया का लोकतन्त्रीय गणराज्य, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, बैल्जियम, कनाडा, चिली,, मिस्र, फ्रांस, यूनान, हांगकांग, जापान, लेबनान, फिलीपीन्स दक्षिण कोरिया, सीरिया, स्विटजरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, थाइलैंड, ताइवान, ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया, नार्वे, नीदरलैंड, मलयेशिया, पाकिस्तान तथा सऊदी अरब ।

(ख) इन ब्यौरों को बताना माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन के व्यवसाय के हित में नहीं होगा ।

पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता देना

10467. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश दिया है कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित मंहगाई भत्ते का पेंशन भोगियों को स्वतः भुगतान करें;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार (खजाने) से ऐसे भत्ते के भुगतान के लिए अनुदेश मिलते हैं ।

(ग) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक बढ़े हुए घोषित मंहगाई भत्ते का पेंशन-भोगियों के खाते में भुगतान करने में 8 से 10 महीने लगा देते हैं जिससे उनको भारी कठिनाई होती है;

(घ) क्या यह विलम्ब सरकार से समय पर अनुदेश न मिलने के कारण होता है;

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि यह मंहगाई भत्ता घोषणा से एक महीने के भीतर पेंशनभोगियों के खाते में स्वतः जमा कर दिया जाए; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) और (ख) : पेंशन पर राहत की मंजूरी के लिए सरकार द्वारा जारी किये जा रहे अनुदेशों में, खजाने आदि से किसी प्रकार के प्राधिकार के बिना राहत की अदायगी के लिए पहले से ही व्यवस्था है ।

(ग), (घ) और (ङ) : जी, नहीं । प्रतियों के विवरण और पेंशनभोगियों को राहत की अदायगी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और बिलम्ब को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

(च) और (छ) : घोषणा के आधार पर राहत की अदायगी के लिये कार्यविधि तैयार करने

का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार से बिना विशिष्ट हिदायतों के राहत की अदायगी किए जाने से गलत अदायगियां हो सकती हैं।

सिंडीकेट बैंक में विशेष सहायकों के पदों का आरक्षण

10468. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत)" विशेष सहायकों के पदों के आरक्षण के लिए बार-बार सिंडीकेट बैंक के प्रबन्धकों से अनुरोध कर रहा है।

(ख) विशेष सहायकों (क्षेत्रवार) के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उनमें से कितने व्यक्ति अनु० जा०/अनु० जनजाति समुदाय के हैं; और

(ग) क्या सभी सरकारी और अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों की चार श्रेणियां, अर्थात् श्रेणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हैं और क्या सिंडीकेट बैंक में अधिकारी, लिपिक और सब स्टाफ के क्रमश: प्रथम श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के समझे जाते हैं जबकि सिंडीकेट बैंक में विशेष सहायकों के पद द्वितीय श्रेणी के पद हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सिंडिकेट बैंक शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एम्पलाईज वैल्फेयर एसोसिएशन ने सिंडीकेट बैंक में विशेष सहायक के पद पर आरक्षण की व्याख्या करने की मांग की है। बैंकों में विशेष सहायक, लिपिकीय संवर्ग में कर्मकार कर्मचारी होते हैं और इसलिए विशेष सहायक के रूप में लिपिकों की नियुक्ति को पदोन्नति नहीं माना जाता। 1-1-1982 की स्थिति के मुताबिक सिंडिकेट बैंक के लिपिकीय संवर्ग में, अनु०जाति/अनु० जनजातियों समेत, कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे लिखे अनुसार है।

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु०जाति/अनु०जनजाति
17268	2631

केन्द्रीय सरकार के और बैंकों के कर्मचारियों के वर्गीकरण की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। बैंकों में कर्मचारियों की कुल तीन श्रेणियां है अर्थात्, अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी।

सिंडीकेट बैंक में पहले से ही बची हुई न भरे गये आरक्षित पदों की संख्या

10469. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंडीकेट बैंक में इसके विभिन्न संवर्गों के पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा, भरे जाने वाले ऐसे आरक्षित पदों की पहले से बची हुई संख्या पृथक-पृथक संवर्ग-वार कितनी है जो अभी तक भरे नहीं गये हैं;

(ख) क्या सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ (रजि०) बचे हुए उक्त पदों को भरने की मंजूरी देने हेतु बार-बार बैंक के प्रबन्धकों से अनुरोध करता रहा है।

(ग) उक्त बचे पदों के लिये मंजूरी देने हेतु बैंक ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या बैंक अधिकारियों के अपने विभिन्न संवर्गों में तथा संवर्ग एक, दो तथा तीन आदि में, आरक्षण प्रदान कर रहा है; और

(ङ) विभिन्न संवर्गों तथा संवर्ग एक, दो, तीन, चार आदि में अधिकारियों की संख्या कितनी है उन में से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों की संवर्ग-वार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हवाई अड्डों पर डिटेक्टरों का लगाया जाना

10470. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे हवाई अड्डों के नाम क्या हैं, जहां मेटल डिटेक्टर लगाये गये हैं;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय अन्य 35 हवाई अड्डों पर ऐसे यंत्र लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश के ऐसे बन्दरगाहों के नाम क्या हैं, जहां वे यंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भुवनेश्वर बन्दरगाह पर भी मेटल डिटेक्टर का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) निम्नलिखित 41 विमान क्षेत्रों पर डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर लगा दिये गये हैं :—

(1) बम्बई (2) कलकत्ता (3) दिल्ली (4) मद्रास (5) हैदराबाद (6) गोहाटी (7) पटना (8) श्रीनगर (9) जम्मू (10) कोचीन (11) त्रिवेन्द्रम् (12) अमृतसर (13) त्रिरूचिरापल्ली (14) आगरा (15) लखनऊ (16) दबोलिम (17) इम्फाल (18) अगरतल्ला (19) नागपुर (20) वाराणसी (21) केशोद (22) अहमदाबाद (23) पोरबन्दर (24) भाव नगर (25) राजकोट (26) चण्डीगढ़ (27) पुणे (28) मदुराई (29) जयपुर (30) जामनगर

(31) इलाहाबाद (32) बंगलौर (33) भोपाल (34) इन्दौर (35) खुजराहो (36) जोधपुर (37) विजयवाड़ा (38) उदयपुर (39) तिरुपती (40) ग्वालियर (41) कोयम्बटूर।

निम्नलिखित विमान क्षेत्रों को हैंड हैल्ड मेटल डिटैक्टर जारी कर दिये गये हैं।

(1) बम्बई (2) कलकत्ता (3) दिल्ली (4) मद्रास (5) हैदराबाद (6) गोहाटी (7) पटना (8) श्रीनगर (9) जम्मू (10) कोचीन (11) त्रिवेन्द्रम् (12) अमृतसर (13) तिरुचिरापल्ली (14) आगरा (15) लखनऊ (16) दबोलिम (17) इम्फाल (18) अगरतल्ला (19) नागपुर (20) वाराणसी (21) अहमदाबाद (22) केशौद (23) पोरबन्दर (24) भावनगर (25) राजकोट (26) चण्डीगढ़ (27) पुणे (28) मदुरई (29) जयपुर (30) जाम नगर (31) इलाहाबाद (32) बंगलौर (33) भोपाल (34) इन्दौर (35) खजुराहो (36) जोधपुर (37) तिरुपती (38) विजयवाड़ा (39) ग्वालियर (40) उदयपुर (41) कोयम्बटूर (42) विशाखापट्नम् (43) जोरहाट (44) वडोडरा (45) बेलगम (46) रायपुर (47) कानपुर (48) रांची (49) भुज (50) भुन्तर (51) मंगलौर (52) औरंगाबाद (53) पोर्ट ब्लेयर (54) डिब्रूगढ़ (55) सिलचर (56) लेह (57) तेजपुर (58) जबलपुर (59) दीमापुर (60) भुवनेश्वर (61) बीकानेर (62) गोरखपुर (63) कैलाशहर (64) वारापानी (65) तेजू (66) बागडोगरा (67) कामालपुर (68) रूपसी।

(ख) शेष 27 विमानक्षेत्रों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टरों के प्रतिस्थापन के प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

(ग) ऊपर उल्लिखित 27 स्टेशनों के नामों की एक सूची विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपस्कर वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। इसके अलावा, दो हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टरों की भी व्यवस्था कर दी गई है।

विवरण

उन विमान क्षेत्रों की सूची, जहां डोर फ्रेम मेटल डिटैक्टरों का प्रतिस्थापन भी किया जाना है।

क्रम संख्या	विमानक्षेत्र का नाम
1	2
1.	विशाखापट्नम
2.	जोरहाट
3.	वडोडरा
4.	बेलगाम

1	2
5.	रायपुर
6.	कानपुर
7.	रांची
8.	भुज
9.	भुन्तार
10.	मंगलौर
11.	औरंगाबाद
12.	पोर्टब्लेयर
13.	डिब्रूगढ़
14.	सिलचर
15.	तेजपुर
16.	लेह
17.	जबलपुर
18.	दीमापुर
19.	भुवनेश्वर
20.	बीकानेर
21.	गोरखपुर
22.	बागडोगरा
23.	बारापानी
24.	तेजू
25.	कैलाशहर
26.	कमालपुर
27.	रुपसी

विमान ईंधन की जांच

10471. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या पर्यटन और **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नागर विमानन विभाग ने भारतीय तेल निगम और

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को सप्लाई किए जाने वाले तेल की जो 13 और 21 मार्च के बीच जांच की थी, उसमें तेल में एक बार फिर मिलावट पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विमान में ईंधन भरने के समय वरिष्ठ अधिकारी तथा इंजीनियर ड्यूटी पर नहीं पाए गए जबकि उन्हें वहां होना था; और

(ग) यदि हां, तो दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की उचित कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इंडियन ऑयल कारपोरेशन/भारत पैट्रोलियम द्वारा इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया को डिलीवर किए गए विमानन ईंधन में 13 से 21 मार्च, 1982 के बीच नागर विमानन विभाग द्वारा की गई विशेष जांचों के दौरान कोई मिलावट हुई नहीं पाई गई ।

(ख) मौके पर की गई जांचों से पता चलता है कि विमान में पुनः विमानन ईंधन भरने से पहले ईंधन पर की जाने वाली अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण जाचें या तो की ही नहीं गईं अथवा एयरलाइनों के प्राधिकारियों द्वारा उसकी सुचारु रूप से देख-रेख नहीं की गई ।

(ग) नागर विमानन के महानिदेशक ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

ग्रामीण लोगों तथा छोटे व सीमांत किसानों को दिये गये फसल व अन्य ऋणों का बकाया

10472. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कई राज्यों में छोटे तथा सीमांत किसानों और स्वरोजगार व्यक्तियों सहित ग्रामीण लोगों को अधिक संख्या में दिये गये फसल ऋण व अन्य ऋण बकाया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : जून 1979 की स्थिति के मुताबिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के अतिदेय 447 करोड़ रुपये के थे जो जून 1980 में बढ़कर 591 करोड़ रुपये हो गये । अलबत्ता, प्रतिशत के संदर्भ में, पिछले पांच वर्षों के दौरान मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत लगभग 52 प्रतिशत रहा । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राज्यवार वसूली की स्थिति विवरण में दी गई है ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत				
	जून 1976	जून 1977	जून 1978	जून 1979	जून 1980
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उत्तरी क्षेत्र	**58.8**	**58.8**	**63.0**	**65.0**	**69.5**
हरियाणा	67.6	65.6	68.0	65.8	66.3
हिमाचल प्रदेश	51.7	40.3	46.7	44.8	54.5
जम्मू व कश्मीर	40.5	48.1	63.0	46.9	54.6
पंजाब	69.0	70.3	75.4	79.1	81.4
राजस्थान	50.1	49.2	49.7	50.5	53.0
चण्डीगढ़	32.2	36.0	33.0	35.9	72.4
दिल्ली	43.2	34.0	34.0	35.3	44.1
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**36.0**	**32.5**	**33.9**	**31·7**	**31.5**
असम	30.2	34.4	29.7	26.7	25.5
मणिपुर	35.1	8.3	23.9	30.0	24.4
मेघालय	29.1	19.2	26·2	22.9	25.5
नागालैंड	81.1	61.7	69.0	50.6	57.1
त्रिपुरा	54.7	38.4	44.6	46.2	46.6
अरुणाचल प्रदेश	—	33.3	42.9	—	31.5
मिजोरम	—	96.7	43.9	—	—
सिक्किम	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3. पूर्वी क्षेत्र	**39.9**	**40.2**	**39.2**	**38.1**	**35.6**
बिहार	45.7	40.6	35.8	31.7	35.5
उड़ीसा	42.9	40.8	41.6	45.4	44.7
पश्चिम बंगाल	33.7	39.7	41.0	39.8	31.4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.0	28.5	0.7	30.0	60.7
4. मध्य क्षेत्र	**53·8**	**52.5**	**50.5**	**50.8**	**48.0**
मध्य प्रदेश	45.8	43.4	38.8	38.3	37.8
उत्तर प्रदेश	58.0	56.6	56.5	57.1	53.6
5. पश्चिमी क्षेत्र	**40.3**	**37.5**	**39.3**	**43.6**	**44.5**
गुजरात	41.4	42.2	40.2	49.6	48.6
महाराष्ट्र	39.3	34.7	38.1	39.9	41.9
दादर और नागर हवेली	47.7	41.2	36.1	50.2	59.6
गोआ, दमन और द्यू	64.9	59·5	76.8	68.9	58.3
6. दक्षिणी क्षेत्र	**58.6**	**53.6**	**54.7**	**56.6**	**54.0**
आंध्र प्रदेश	65.9	55.6	59.3	60.1	54.0
कर्नाटक	53.9	51.6	46.4	48.7	55.6
केरल	62.8	58.3	64.1	68.4	67.2
तमिलनाडु	50.3	50.7	52.1	53.9	52.4
लक्षद्वीप	96.7	80.6	83.3	96.9	31.9
पांडिचेरी	72.3	62.4	77.3	65.4	63.3
समस्त भारत	50.9	48.8	50.2	52.2	52.0

सोवियत रूस को उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात

10473. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत के लघु क्षेत्र के उद्योगों से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जो उक्त देश में काफी लोकप्रिय हो गई हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सोवियत संघ को निर्यात की गई उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सोवियत संघ भारत से सभी क्षेत्रों द्वारा निर्मित उपभोक्ता वस्तुएं आयात कर रहा है ।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1978 तथा 1979 में सोवियत संघ को निर्यात की गई उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा दिया गया है जोकि उपलब्ध अद्यतन जानकारी है ।

विवरण

1908 नथा 1979 के दौरान भारत में सोविय संघ का उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात

(मूल्य मिलियन रु० में)

क्रमांक	मद	1978	1979
1	2	3	4
1.	चाय	601	562
2.	काफी जिसमें इंस्टैंट काफी भी शामिल है।	397	490
3.	काली मिर्च तथा अन्य मसाले	216	218
4.	काजू गिरी	267	304
5.	फलों का रस	6	15
6.	फल तथा सब्जियां	3	
7.	जूते	28	270
8.	सूती वस्त्र	262	346
9.	ऊनी निटवीयर	185	320
10.	सिले सिलाए परिधान	112	98

1	2	3	4
11.	औषधि तथा भेषजीय पदार्थ	48	179
12.	चश्मों के फ्रेम	3	42
13.	वुरुश	2	4
		कुल योग 2130	2848

सिंडीकेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

10474. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मार्च, 1982 को सिंडीकेट बैंक में कुल कितने कर्मचारी थे और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अलग-अलग और संवर्ग-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) सिंडीकेट बैंक ने विभिन्न संवर्गों और ग्रेडों की भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण देना किस वर्ष से शुरू किया था ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : 24-3-1982 की स्थिति के अनुसार सिंडीकेट बैंक में कार्यरत अनु० जाति/अनु० जनजाति सहित कर्मचारियों की कुल संख्या की संवर्गवार सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, 1-1-1982 की स्थिति के मुताबिक सूचना निम्नलिखित है :—

संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु० जाति/अनु० जनजाति
अधिकारी	6375	485
लिपिक (क्लर्क)	12268	2631
अधीनस्थ स्टाफ	3557	1068

जबकि सिंडीकेट बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती में आरक्षण राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद शुरू कर दिया गया था, पदोन्नति में आरक्षण जून, 1978 में शुरू किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के संवर्ग-वार कर्मचारियों की संख्या

10475. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1982 को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग-वार आंकड़े क्या हैं और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 31-3-1982 की स्थिति के मुताबिक, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में, अनु० जातियों/अनु० जनजातियों समेत कुल कर्मचारियों की संवर्ग-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। 1-1-82 की स्थिति के मुताबिक उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

1-1-1982 की स्थिति के मुताबिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के संवर्गवार कर्मचारी

बैंक का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या			अनु० जाति से सम्बन्धित कर्मचारी			अनु० जनजाति से सम्बन्धित कर्मचारी		
	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	11580	17883	8278	162	2158	1291	31	435	228
बैंक आफ इंडिया	7662	20536	6277	645	2286	1102	230	689	269
पंजाब नेशनल बैंक	8043	17419	8430	571	2533	2505	105	262	370
बैंक आफ बड़ौदा	—उपलब्ध नहीं—								
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	5633	13629	6158	171	1124	1136	31	160	159
कैनरा बैंक	7077	20185	4281	306	2761	685	99	595	127
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3980	8858	4507	220	1533	584	35	84	65
दैना बैंक	3460	7118	3272	145	947	842	51	245	264
सिंडीकेट बैंक	6375	17268	3557	407	2064	873	78	567	209
यूनियन बैंक आफ इंडिया	6673	12322	5058	198	1889	1422	37	143	137
इलाहाबाद बैंक	—उपलब्ध नहीं—								
इंडियन बैंक	4282	8931	2873	294	1161	852	104	88	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बैंक आफ महाराष्ट्र	2742	7229	2631	188	1033	545	42	136	166
इंडियन ओवरसीज बैंक	4611	11632	2762	371	2453	1122	89	231	105
आंध्रा बैंक	2842	4381	1812	11	283	117	2	12	68
कारपोरेशन बैंक	1346	2578	514	—	61	43	—	7	8
न्यू बैंक आफ इंडिया	1794	5011	1565	—	112	86	—	4	10
ओरियटल बैंक आफ कामर्स	1289	2573	1024	—	79	75	—	—	12
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3286	4886	1803	7	30	122	—	—	—
विजया बैंक	2396	5857	1270	1	63	58	7	17	18
स्टेट बैंक के सहयोगी									
भारतीय स्टेट बैंक	40681	85143	37029	962	11894	7899	227	2833	1178
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	1950	5149	20649	63	853	206	2 अनु०जा० में शामिल		63
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2184	5321	1919	66	477	218	12	50	35
स्टेट बैंक आफ इंदौर	898	2311	1131	16	328	208	7	73	93
स्टेट बैंक आफ मैसूर	1569	4455	1351	48	443	180	12	130	46
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1239	4035	1571	60	635	296	7	19	33
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1076	2801	1062	70	358	133	10	82	22
स्टेट बैंक आफ ट्रावरकोर	1740	4421	1659	80	511	378	8	29	52

राऊरकेल में आयकर अपवंचन के मामले

10477. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपवंचन का पता लगाने के लिए राउरकेला उड़ीसा में छापा मारा गया है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च में मारे गये छापे में आयकर अपवंचन के कितने घपलों का पता चला ;

(ग) कितने व्यापारिक परिवारों पर छापे मारे गये ;

(घ) उसका ब्यौरा तथा उनके द्वारा अपवंचित कर के बारे में विवरण क्या हैं ; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर विभाग ने, मार्च, 1982 में, राउरकेला, उड़ीसा में कोई तलाशी नहीं ली ।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, (ख) से (ड़) का प्रश्न नहीं उठता ।

उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात

10478. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 की अवधि के दौरान निर्यात की अव प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या तथा मूल्य के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को देश में भी कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की कमी का आभास हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी दुर्लभ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1980-81 के लिए चुनिन्दा उपभोक्ता माल के निर्यात निम्नलिखित हैं :—

भारत से चुनिन्दा उपभोक्ता माल के निर्यात

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	मद	मात्रा की इकाई	1980-81 (अनन्तिम)	
			मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
1.	मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं	मूल्य	—	54.66
2.	चाय	मिल किग्रा०	195.5	385.16

1	2	3	4	5
3.	काफी	000 टन	88.2	225.01
4.	मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं	,,	76.0	223.66
5.	चावल	,,	491.7	155.98
6.	गेहूं *	,,	76.6	18.44
7.	इलायची सहित मसाले	,,	78.4	106.18
8.	चीनी **	,,	71.5	35.96
9.	अनाज से बनी वस्तुएं, आटे एवं फलों तथा सब्जियों के स्टार्च से बनी वस्तुएं	मूल्य	—	7.12
10.	फल तथा सब्जियां (काजू गिरि को छोड़कर)	,,	—	84.86
11.	विनिर्मित तम्बाकू	000 टन	11.6	15.59
12.	सूती वस्त्र	मिल वर्ग मी०	551.4	293.84
13.	सिले सिलाये परिधान	मूल्य	—	480.97
14.	फुटवीयर	मिल जोड़े	12.9	34.75

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता।

*गेहूं के निर्यात मुख्यतः वस्तु ऋण के आधार पर थे।

**21 फरवरी, 1981 से चीनी के निर्यातों पर रोक लगा दी गई।

2 नवम्बर, 1981 से रोक हटा दी गई है।

(ख) तथा (ग) उपभोक्ता माल विशेषकर आम खपत की चीजों की निर्यात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि घरेलू बाजार में उचित कीमतों पर उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। निर्यात की अनुमति केवल इस बात को ध्यान में रख कर दी जाती है कि देश में आंतरिक सप्लाई स्थिति और कीमतों पर उनका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं को शुरू करना

10479. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह आर्थिक रूप से सक्षम परियोजना को शुरू करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन, जो विश्व बैंक से संबद्ध संस्था है, गैर सरकारी/संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों को सरकारी गारंटी के बिना इक्विटी शेयरों में निवेश तथा ऋणों अर्थात् दोनों रूपों में सहायता प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने जनवरी, 1982 में भारत की यात्रा की थी ताकि देश के औद्योगिक विकास में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन के योगदान को बढ़ाने के सम्बन्ध में नए क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) के शिष्टमण्डल ने गैर-सरकारी संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के बहुत से उद्योगों में भाग लेने में दिलचस्पी दिखाई। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) के शिष्टमण्डल की सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत प्रारम्भिक और अन्वेषणात्मक रूप की थी।

गैर-राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के कर्मचारियों की सेवाशर्तों को नियमित करना

10480. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों के कर्मचारियों की सेवाशर्तों को नियमित करने हेतु कोई नीति तैयार की है ;

(ख) किन किन बैंकों ने उन सेवा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया है ;

(ग) क्या कोई ऐसी शिकायत मिली है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड की कमला नगर-शाखा ने अपने कर्मचारियों को परेशान किया है ;

(घ) क्या कुछ कर्मचारियों ने इस बारे में समझौते के लिए श्रम आयुक्त से सहायता मांगी हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग), (घ)और (ङ) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक की कमला नगर शाखा के एक कर्मचारी ने इस आशय की एक शिकायत श्रम सहायक आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली को भेजी है। बैंक के कर्मचारियों की यूनियन ने भी इस संदर्भ में एक औद्योगिक विवाद उठाया है। सहायक श्रम आयुक्त द्वारा समझौता कार्यवाही शुरू की गई थी लेकिन उसमें कोई समझौता नहीं हो सका। ऐसा समझा जाता है कि सहायक श्रम आयुक्त ने समझौता कार्यवाहियों के भंग हो जाने की रिपोर्ट इस बीच श्रम मन्त्रालय को भेज दी है।

लाइसेंस के बगैर व्यापार चलाया जाना

10481. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग सरकार से कोई लाइसेंस लिए बगैर किसी न किसी रूप में व्यापार चला रहे हैं जिससे राज्य को हुई वित्तीय हानि के अलावा उसकी आय का अनुमान लगाने और धन संग्रह को रोकने के सम्बन्ध में कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यापार की रोकथाम तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिससे कि राज्य को देय करों की पूर्ण वसूली सुनिश्चित हो सके, विदेशी सहायता पर निर्भर किए बिना पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) करों की कितनी राशि की वसूली की जानी बाकी है और उसके क्या कारण हैं तथा इनकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) आयकर तथा अन्य करों की चोरी रोकने के लिए क्या निश्चित तथा ठोस कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

आयकर : सरकार कर के अपवंचन और काले धन की संवृद्धि के प्रश्न से अवगत है तथा आयकर के अपवंचन को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न सांविधिक और प्रशासनिक उपाय करती रही है। आयकर अपवंचकों से प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए विभाग ने वर्ष 1981-82 में 4282 तलाशियां ली और प्रथम दृष्ट्या लगभग 30.65 करोड़ रुपये मूल्य की लेखावाह्य परिसम्पत्ति पकड़ी। आयकर विभाग ने कर लगाने योग्य अन्य/सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को अपने रिकार्ड में दर्ज करने के लिए सर्वेक्षण संकार्यों को भी तीव्र कर दिया है।

सभी कर-निर्धारितियों के संबंध में आयकर, जिसमें निगम कर भी शामिल है, की बकाया की रकम के अद्यतन आंकड़े, 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं। कर की बकाया

और जारी की गई मांग, जो उक्त तारीख को देय नहीं हुई थी निम्नानुसार है :

कर की बकाया 635.5 करोड़ रुपये

जारी की गई मांग जो
देय नहीं हुई— 477.35 करोड़ रुपये

कर की बकाया की वसूली के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जाते हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क : जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का संबंध है, छोटे कर निर्धारितियों को सुविधा देने और उत्पादन शुल्क की औपचारिकताओं को सरल बनाने के उपाय के तौर पर, सरकार ने ऐसे मामले को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेन्स नियंत्रण से छूट प्रदान की है जिसे कभी-कभी बिना शर्त के और दूसरों के संबंध में कतिपय शर्तों को पूरा करने पर सम्पूर्ण उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है। लेकिन यह निर्धारित किया गया है कि छूट सीमा के 80% तक पहुंचने पर ऐसे छूट प्राप्त एककों, जिनकी छूट किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासियों के मूल्य पर आधारित है, लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी उपबंधों के दायरे में आ जाएंगे और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अन्य औपचारिकताओं का पालन करेंगे। अन्य सभी एककों को पहली बार छूट का दावा करते समय और तदनन्तर हर वर्ष 15 अप्रैल से पहले घोषणा करना और वचन देना भी अपेक्षित है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों के कर अपवंचन विरोधी पद भी छूट प्राप्त इस प्रकार के एककों का अचानक दौरा करता है.

दिनांक 31-1-1982 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पक्ष में राजस्व की बकाया की रकम 266.79 करोड़ रुपये थी। बकाया की रकम की वसूली के लिए विभाग ने विभिन्न कदम उठाये हैं। इस सम्बन्ध में विशेष गश्ती दलों का उल्लेख किया जा सकता है। जिन्हें इस प्रयोजन के लिए कई समाहर्तालयों में तैयार किया गया है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की यह कोशिश रही है कि खामियों को दूर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि उत्पादन शुल्क के अपवंचन को और अधिक प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया जाता है। इस दिशा में समय-समय पर कई कदम उठाये गये हैं। अपवंचन विरोधी तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है और अपवंचन को रोकने तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व की वसूली में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक नया अभियान चलाया गया है।

सीमा शुल्क : दिनांक 28-2-1982 की स्थिति के अनुसार, सीमा शुल्क पक्ष में राजस्व की बकाया की रकम 18.23 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क राजस्व की बकाया पर सतत निगरानी रखी जाती है तथा वसूली की कार्यवाही की जाती है।

मैसर्स विसलेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर मामले

10482. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बम्बई उच्च न्यायालय में, विदेशी मुद्रा

विनियमन अधिनियम, 1947 की 420 आई० पी० सी० और 23 (1ए०) के साथ पठित 120 बी आई० पी० सी० के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के लिए मैसर्स विसलेरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और इसके दो निदेशकों श्री राजेश चौहान तथा श्री एच० एम० गोलवाला के विरुद्ध मामले दायर किए हैं ;

(ख) क्या पारले ग्रुप आफ कम्पनीज और इसके निदेशकों के खिलाफ आई० टी० सी० नियमन अधिनियम, 1947 और उनके द्वारा किए गए अन्य फौजदारी अपराधों के लिए देश के विभिन्न न्यायालयों में कोई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनको काली सूची में दर्ज करने के लिए सरकार विभागीय तौर पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिकायत किए जाने पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, मैसर्स विसलेरी इंडिया प्रा० लि० और इसके दो निदेशकों अर्थात् श्री रमेश चौहान और श्री एच० एम गोलवाला के विरुद्ध 5 अप्रैल, 1980 को एक मामला दर्ज किया था। मामले में जांच पड़ताल पूरी होने पर, उप-निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, बम्बई की ओर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मैसर्स विसलेरी इंडिया प्रा० लि० और इसके दो निदेशकों, अर्थात् श्री रमेश चौहान और श्री एच० एम० गोलवाला के विरुद्ध भारतीय नण्ड संहित की यू धारा 120-ख और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 22/23 (क) और 23-ग के अन्तर्गत एडीशनल चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में 16-4-1981 को एक शिकायत दायर की थी। लेकिन कम्पनी और इसके दो निदेशकों ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी, 1982 को आदेश पारित किए जिसमें ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करार कर दिया गया। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में 14 अप्रैल, 1982 को एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है। न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सुनवाई के लिए 22 अप्रैल 1982 को स्वीकार कर दी है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच-पड़ताल के दौरान, यह भी पता चला कि मैं० पारले बोटलिंग कम्पनी/मैं० पारले (एक्सपोर्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड को, इटली से 1969 में आयात की गई बोतल भरने वाली तीन मशीनों के आयात के लिए आयात लाइसेंस मंजूर किया गया था। इन मशीनों का अपनी ही फैक्टरी में प्रयोग करने की बजाय, कम्पनी ने ये मशीनें अन्य कम्पनियों को दे दीं, जिससे आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत अपराध किया। मुख्यनियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली की ओर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 32वें मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में मैं० पारले बोटलिंग कम्पनी लि०/मैं० पारले (एक्सपोर्ट) प्रा० लि० और उसके प्रबंध निदेशक श्री रमेश जे० चौहान के विरुद्ध आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत 15 नवम्बर, 1980 को एक शिकायत दायर की गई है। मामले की अभी सुनवाई होनी है।

हथकरघा क्षेत्र में किस्म और उत्पादकता में सुधार

10483. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में कोटि और उत्पादकता में सुधार लाने और लागत मूल्य में कमी करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) अनुसंधान परिणामों के प्रचार के लिए साऊथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम और सेमिनार का आयोजन किया है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों में सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी निर्यातकों के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक से विदेशों को निर्यात किए गए फिनिशड और अनफिनिशड माल को कोटि संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : जी हां ।

(ख) : अनुसंधान परिणामों के प्रसार के लिए साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने कोई पृथक हथकरघा प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित नहीं किया है ।

(ग) निर्यात आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं । सरकारी अभिकरणों और गैर-सरकारी निर्यातकों के संबंध में भी अलग निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात द्वारा जारी किए गए सरकारी नोटिस

10484. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशित किसी आदेश अथवा सरकारी नोटिस जारी किए जाने से पूर्व विधि मंत्रालय आयात एवं निर्यात मुख्य नियंत्रक को विधि मंत्रालय परामर्श देता है ; और

(ख) क्या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात द्वारा जारी किए गए दिनांक 10 अगस्त, 1981 के सरकारी नोटिस संख्या 61-ई० ई० सी० (पी एन)/81, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, की विधि मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी और स्वीकृत की गई थी जैसा कि उपरोक्त सरकारी नोटिस वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद नई दिल्ली को निर्यात लाइसेंस देने की शक्तियां प्रदान करता है, जिसका उपरोक्त आदेश की अनुसूची दो में उल्लेख नहीं किया है कि कौन अधिकारी लाइसेंस देने में सक्षम है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । सार्वजनिक सूचना ए ई पी सी को निर्यात लाइसेंसिंग का कोई अधिकार प्रत्यायोजित नहीं करती है ।

भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों का हड़ताल में अपनी उपस्थिति काटना

10485. **श्री भीखा भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली मुख्य शाखा तथा बैंक की शाखाओं के कुछ प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने 19 फरवरी को हड़ताल की अवहेलना की थी और सामान्य दिनों की भांति काम पर आए थे, बैंक के प्रबन्धकों के सहयोग से यूनियन नेताओं द्वारा मजबूर किए जाने पर अपनी उपस्थिति काट दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक के प्रबन्धकों ने इस पर कोई आपत्ति उठाई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार के इस आशय के कोई अनुदेश हैं कि जब किसी कर्मचारी ने एक बार हाजिरी भर दी हो, तो 2/3 दिन पश्चात् अथवा उसी दिन से हड़ताल में शामिल होने की अनुमति है ;

(घ) यदि नहीं, तो उन कर्मचारियों को अपनी हाजिरी काटने देने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने कर्मचारियों को हड़ताल के लिए अपनी हाजिरी काटने के लिए विवश किया/हस्ताक्षर काटने की अनुमति दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) : भारतीय स्टेट बैंक ने इस बात से इंकार किया है कि उसके नई दिल्ली स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय ने या तो अपनी ओर से अथवा कर्मचारी संघ के सहयोग से किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसने 19 जनवरी, 1982 को हाजिरी लगाई थी, बाद में हाजिरी को काटने के लिए बाध्य किया। किन्तु, यह सूचित किया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली में बैंक के कार्यालयों में तैनात कुल 4887 व्यक्तियों की संख्या में से 22 कर्मचारियों ने हाजरी लगाकर बाद में काट दी थी। बैंक के अनुसार, इन कर्मचारियों ने शायद बाद में आन्दोलन में भाग लेने के विचार से अपनी हाजिरी काट दी थी। सम्बन्धित कर्मचारियों ने बैंक के प्राधिकारियों के पास इस आशय की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी कि कर्मचारी संघ के नेताओं ने उनकी हाजिरी काटने के लिए उन पर दबाव डाला था। हालांकि, इस आशय के कोई अनुदेश नहीं हैं कि किसी कर्मचारी को अपनी हाजिरी काटने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु उक्त 22 कर्मचारियों ने, जिन्होंने हाजिरी लगाने के तुरन्त बाद, पुनर्विचार करके अपनी हाजिरी काट दी थी उस समय हाजिरी के रजिस्टर कर्मचारी सदस्यों के पास मौजूद थे।

अशोक होटल में इंडियन हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम के शो रूम और सेल काउंटर

10486. **श्री भीखा भाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बतावे की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम को अशोक होटल में एक शोरूम/सेल काउण्टर आवंटित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब आवंटित किया गया था तथा आवंटन की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस दुकान के लिए कितने टेंडर प्राप्त हुए थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच आदेश जारी करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) मैसर्स इंडियन हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम को अशोक होटल में सोने और चांदी के आभूषणों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए 2,40,000 रुपए की वार्षिक लाइसेंस-फीस के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए 22 दिसम्बर 1979 को एक दुकान का लाइसेंस दिया गया था।

(ग) चार टेंडर प्राप्त हुए थे।

(घ) कोई जांच अपेक्षित नहीं है चूंकि नियमों के अधीन निर्धारित पद्धति का पालन करने के बाद ही भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दुकान किराए पर दी गई थी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करना

10487. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले राज्य व्यापार निगम ने निर्णय किया था कि विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए देश में संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएं ;

(ख) यदि हां, तो इन उद्यमों का ब्यौरा क्या है और क्या कोई भारतीय या विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है और इस सम्बन्ध में इसे क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम के निर्णय को लागू करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) सोचे गए ग्यारह संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। बल्गारियाई सहयोग से दस्ताने बनाने के संयुक्त उद्यम पर विचार किया गया है।

(ग) इन परियोजनाओं के लिए देश के हितों की रक्षा करने के लिए अपेक्षित सावधानियों सहित ब्यौरेवार तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन, रुचि लेने वाली अभिज्ञात पार्टियों, वित्तीय तथा विपणन प्रबन्धों को जोड़ना, जगह का चुनाव आदि तथा जहां कहीं आवश्यक हो सांविधिक/सरकारी निकायों की स्वीकृति आवश्यक होती है। परियोजना को क्रियान्वित किए जाने से पहले ये सभी कदम उठाने में समय लगेगा।

विवरण

राज्य व्यापार निगम के संयुक्त उद्यम

क्र०	परियोजना	प्रस्थापित उत्पादन	क्षमता प्रति वर्ष	अपेक्षित सहयोग प्रस्थापनाएं
1	2	3	4	5
1.	दस्ताना परियोजना	प्राकृतिक चमड़े के दस्ताने	300,000 जोड़े	बल्गारियाई तकनीकी, वित्तीय तथा विपणन सहयोग
2.	मेंढ़े का फर चमड़ा परियोजना	परिधान चमड़ा	1.5 मिलि० अदद	—वही—
3.	शू अपर्स परियोजना	शू-अपर्स	500,000 जोड़े	—वही—
4.	जूता परियोजना	संपूर्ण जूते	1 मिलि० जोड़े	—वही—
5.	लैदर बोर्ड परियोजना	लैदर बोर्ड	10 मे०टन/प्रति दिन	पश्चिम जर्मन वित्तीय, तकनीकी तथा विपणन सहयोग
6.	चमड़ा माल परियोजना	शू अपर्स	6,30,00 जोड़े	—वही—
		कार	30,400 अदद	
		अपहोल्सटेरी	—	
		सफरी सामान तथा चमड़े की छोटी वस्तुएं		
		तैयार चमड़ा	1.33 मिलि० वर्ग फीट	
7.	मांस परियोजना	भैंस का मांस	10,000 मे० टन	आस्ट्रेलिया/सिंगापुर, दुबई
8.	फल संसाधन एकक	फलोत्पाद (आम तथा अमरूद)	10,000 मे ०टन रस	फ्रांस/स्विटजरलैंड/ कुवैत/दुबई
			2000 मे०टन गूदा	

1	2	3	4	5
9.	चार्टर्स के माध्यन से गहरे समुद्र में मछली पकड़ना ।	टूना मछली	2,500 मे० टन	स०रा० अमरीका/ फ्रांस
10.	तैयार चमड़ा परियोजना	तैयार चमड़ा	अन्तिम रूप नहीं दिया गया	हांगकांग सं०रा० अमरीका
11.	जूता परियोजना	चमड़े के जूते	—वही—	सं०रा० अमरीका

दिल्ली छावनी में अनधिकृत कब्जा करने वालों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा

10488. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी की भूमि पर सर्वे संख्या 66 के अधीन सदर बाजार के पीछे बहुत बड़ी संख्या में अनधिकृत कब्जा करने वालों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है और इनमें से बहुत से व्यक्ति डेरियों, चारे के स्टोरों, कोयले के डिपों आदि जैसे अनधिकृत कारोबार कर रहे हैं जिससे उन भूतपूर्व सैनिकों को कठिनाइयां हो रही हैं जिन्हें कृषि कार्यों के लिए एन० ई० ओ० दिल्ली छावनी द्वारा भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) छावनी की भूमि से अनधिकृत कब्जा करने वालों को हटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) इन कब्जा करने वालों को कब तक हटा दिया जायेगा ; और

(च) क्या रक्षा मंत्रालय का विचार छावनी की भूमि को अनधिकृत कब्जा करने वालों से बचाने के लिए डी० डी० ए० के निकाय की भांति "डिमोलोशन स्क्वैड" स्थापित करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी हां । सर्वे संख्या 66 में से रक्षा भूमि के एक भाग पर ग्यारह व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है और उसे आवास या वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं । इसी सर्वे संख्या में 3.670 एकड़ भूमि पर भूतपूर्व नायक कुंवरपाल सिंह का अनधिकृत कब्जा है जिस पर वह कृषि करता है ।

(ख) अनधिकृत कब्जे के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) इन अनधिकृत कब्जों को खाली करने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा-धारी का निष्कासन) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है ।

(घ) इन अनधिकृत कब्जों को कानूनी कार्रवाई पूरी होते ही हटा दिया जाएगा ।

(ङ) जी नहीं। सैनिक सम्पदा अधिकारियों को पहले से ही सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारी का निष्कासन) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत निकासन के लिए शक्तियां प्राप्त हैं।

विवरण

क्र० सं०	अनधिकृत कब्जा करने वाले का नाम	अनधिकृत कब्जे का क्षेत्र	किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया
1.	श्री राजकुमार, सदर बाजार, दिल्ली छावनी	21" × 48"	चारे का स्टाल
2.	श्री जयकुमार	21" × 46'	"
3.	श्री नरिजंन सिंह	"	लकड़ी का स्टाल और कोयले का डिपो
4.	श्री इन्दर सिंह कपूर	"	"
5.	सर्वश्री हरवंश लाल तथा खजान सिंह	"	"
6.	श्री दौलत राम अवराओं	"	"
7.	कुमार ब्रदर्स	21" × 22"	गोडाउन
8.	सर्वश्री बन्ता सिंह तथा राम किशन	"	"
9.	करतार सिंह एंड सन्स	"	लकड़ी का स्टाल और कोयले का डिपो
10.	पं० रूप चन्द	"	निवास तथा चारा स्टाल
11.	श्री नादर अली	(I) " (II) "	निवास सिगरेट इत्यादि बेचने के लिए दुकान

नोट :—उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 6 तक के अनधिकृत कब्जाधारी भूतपूर्व नायक कुंवर पाल सिंह के कब्जा में सर्वे संख्या 66 पर कब्जा किए हुए हैं।

आर० के० पोद्दार अध्ययन दल, 1979 की रिपोर्ट

10489. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : (क) क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कपड़ा सम्बन्धी आर० के० पोद्दार अध्ययन दल की रिपोर्ट 1979 की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोसिल) द्वारा प्रायोजित पोद्दार अध्ययन दल ने 1979 में पश्चिम यूरोप का दौरा किया था। इस अध्ययन दल ने निर्यात प्रोत्साहन, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण तथा वस्त्र मशीनरी के आयात आदि के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं। इन मामलों पर सरकार का दृष्टिकोण 9 मार्च, 1981 को सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति, समय-समय पर घोषित नकद सहायता नीति तथा आयात नीति में दर्शाया जाता है।

अग्रवाल समिति की रिपोर्ट

10490. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कपड़ा सम्बन्धी अग्रवाल समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : हाल ही में वस्त्र विभाग ने वस्त्र सम्बन्धी अग्रवाल समिति नामक कोई समिति स्थापित नहीं की है। तथापित उद्योग मंत्रालय ने 26·6·1979 को आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी अग्रवाल समिति स्थापित की थी। अतारांकित प्रश्न सं० 8814 दिनांक 21 अप्रैल, 1982 के उत्तर में उद्योग मंत्री द्वारा इस समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी सदन को दे दी गई थी।

अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

10491. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़े सम्बन्धी अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : सम्भवतः संदर्भ श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में बिजलीकरघा जांच समिति की रिपोर्ट से है। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख हथकरघा तथा बिजलीकरघा उद्योग के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की चौदहवीं रिपोर्ट (1977-78) (भाग-II बिजली करघा उद्योग) के परिशिष्ट-II के रूप में प्रकाशित संकल्प दिनांक 2 जून, 1966 में किया गया है। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है।

हथकरघा के रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात के बारे में दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन की रिपोर्ट

10492. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा के रेडी-मेड वस्त्रों के निर्यात के बारे में दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन का अध्ययन सिले सिलाये हथकरघा परिधानों के निर्यातों में सुधार करने और उनको बनाये रखने के लिए आवश्यक संगठन तथा तकनीकी पद्धतियों के बारे में था। रिपोर्ट की प्रतियां दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद को विभिन्न निर्यातकों एवं परिधान विनिर्माता एककों में वितरित किए जाने और अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने के लिए भेजी गई थी।

पावरलूम परमिटों का दिया जाना

10493. **डा० वसन्त कुमार पंडित** . क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्सटाइल आयुक्त ऐसे लोगों को पावरलूम परमिट जारी नहीं कर रहा है; जिन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकरण द्वारा दिनांक 19 जून, 1976 की अधिसूचना संख्या 204/76-सी ई, एफ० नं० 261/19/17/75-सी एस के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किए गए हैं अथवा जिनके लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया है; और

(ख) पावरलूम बुनकरों की कठिनाइयों तथा उनके साथ किए गए अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : यह सही नहीं है कि वस्त्र आयुक्त का कार्यालय उन व्यक्तियों को, जिनके लाइसेंस इस समय वैध हैं, बिजलीकरघा परमिट नहीं दे रहा है। यह आवेदकों का काम है कि वे बिजलीकरघा परमिटों के लिए आवेदन करने से पूर्व अपने लाइसेंसों का पुनः वैधीकरण करा लें क्योंकि ऐसे आवेदनपत्रों पर, जिनके साथ सम्बन्धित तारीख को बिजलीकरघा के अस्तित्व दर्शाने वाले लाइसेंस नहीं, नियमितीकरण के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

विद्युत चालित करघों के बुनकरों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट

10494. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देने के बारे में विद्युत चालित करघा परमिट देने में कोई भेदभाव किया जाता है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बम्बई I और II के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्ट्रेट द्वारा समय पर सूचना देने में विलम्ब के कारण बुनकरों को अनधिकृत बिजली चालित करघों को नियमित कराने में नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ग) सरकार का विचार विद्युत चालित करघा बुनकरों के प्रति हुए अन्याय और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

परिवहन माध्यम के रूप में हेलीकोप्टरों का उपयोग :

10495. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों और सामान के परिवहन माध्यम के रूप में हेलीकोप्टरों का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : बाग-डोगरा तथा गंगटोक के बीच एक हेलीकोप्टर सेवा 1·5·82 से चालू की जा रही है । सिलचर और एजोल (मिजोरम) के बीच भी एक ऐसी ही सेवा चालू करने का विचार किया जा रहा है ।

मैसर्स नरुला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड नारायणा के परिसर पर छापे

10496. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लेखा में न लाई गई आय और कर चोरी का पता लगाने के लिए मैसर्स नरुला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, नारायणा, दिल्ली के परिसरों पर छापे मारे गये थे;

(ख) जब्त किए गए दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छापे में इस बात का पता चला है कि फर्म जाली तौर पर कार्य कर रही थी और उसने देश के विभिन्न भागों में सरकारी अस्पतालों को बहुत ऊँचे मूल्यों पर शल्यचिकित्सा के उपकरणों सप्लाई किए थे; और

(घ) फर्म के निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ

(ख) कर-अपवंचन दर्शाने वाली भारी लेखा वहियाँ तथा अपराधारोपणीय दस्तावेज पकड़े गये थे ।

(ग) वे, सरकारी विभागों तथा अस्पतालों को देशी तथा आयातित शल्य-चिकित्सा उप-करणों की सप्लाई का काम करते थे । पकड़ी गयी सामग्री से, जाली खरीद वाउचरों की सहायता से मुनाफों को छिपाए जाने का पता चलता है ।

(घ) प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए, पकड़ी गई सामग्री की, जाँच आरम्भ कर दी गई है।

विदेशों से रक्षा उपकरणों की खरीद के लिये सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों और असैनिक कर्मचारियों द्वारा बातचीत किया जाना

10497. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सरकार की ओर से बातचीत करने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों और असैनिक कर्मचारियों की कुछ फर्में हैं।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान इन फर्मों को कुल कितना कमीशन दिया गया था;

(ग) सरकार किन कारणों से स्वयं बातचीत नहीं कर पाती;

(घ) क्या यह सच है कि इन फर्मों के माध्यम से खरीदे गये हथियार/विमान खराब तथा घटिया पाये गए और यदि हाँ, तो ऐसा कितने मामलों में पाया गया और उसकी कीमत क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के घटिया उपकरणों की सप्लाई के लिए इन फर्मों तथा सप्लायरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। विदेशों से रक्षा उपस्कर खरीदने के लिए सारी बातचीत सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में समाज तथा विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

10498. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में अपने राज्य में विभिन्न समाज तथा विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई पूर्ण वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ राज्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि इस समय केन्द्र ने उपर्युक्त संगठनों तथा एजेंसियों से आने वाली बाहरी सहायता का बेदल 70 प्रतिशत ही राज्यों को दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो विश्व बैंक द्वारा सम्बन्धित राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का उद्देश्य यह है कि उन्हें विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाए तथा इन परियोजनाओं का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में संवितरित सहायता के 70 प्रतिशत तक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहाता देने की नीति पहली अप्रैल, 1978 से लागू की गई थी । फिलहाल इस नीति की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा कीटाणु युद्ध हथकंडों का विकास

10499. **श्री ए० एन० नन्जेगोंडा :**

श्री सुभाष यादव :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : (क) क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि सी आई ए के दो विशेषज्ञ हाल ही में भारत होते हुए पाकिस्तान गए थे और यह कि ऐसे कुछ मच्छर विकसित करने में पाकिस्तान की सहायता करने का काम सौंपा गया है जो घातक होंगे तथा उसकी कीटाणु-युद्ध में सहायता करेंगे;

(ख) क्या सरकार यह जानकारी, जहाँ तक सम्भव हो, संसद को भी देगी; और

(ग) क्या सरकार के पास पाकिस्तान द्वारा ऐसे कीटाणु-युद्ध हथकण्डों के विकास के बारे में अपनी स्वयं की जानकारी है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) सरकार को पाकिस्तान द्वारा कीटाणु-युद्ध से सम्बन्धित तत्वों के विकास के बारे में की जा रही कोशिशों की जानकारी है । सरकार इन सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूरी रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को अद्यतन बनाती रहती है ।

रक्षा इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में साक्षात्कार

10500. **श्री ए० के० राय** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रक्षा इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उस बायो-डैटा फार्म की ओर दिलाया गया है जिसमें रोजगार के लिए साक्षात्कार

चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह लिखने को कहा गया है कि "क्या आप अब तक कभी केरल या पश्चिम बंगाल में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं"; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त फार्म में यह खंड रखने के क्या कारण हैं, ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हाँ।

(ख) यह कुछ गलतफहमी के कारण हुआ था। यह पद्धति अब बन्द कर दी गई है।

संसद सदस्यों के लिए सेना की डिस्पोजल जीपें

10501. **श्री आर० पी० यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना की डिस्पोजल जीपें संसद सदस्यों को 13 हजार रुपये से भी अधिक मूल्य पर दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नीलामी में इन्हीं जीपों की बिक्री इस मूल्य पर अथवा इससे भी कम मूल्य पर की जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जीपें तथा सेना की अन्य गाड़ियों अर्थात् एम्बेस्डर कारों/जोंगा और मोटर साइकिलों को सेना के डिस्पोजल स्टाक में से संसद सदस्यों को उस औसत नीलामी मूल्यों पर बेचा जाता है जो उपर्युक्त वर्ग की गाड़ियों की नीलामी से पिछले छः महीनों की अवधि के दौरान प्राप्त होते हैं। मूल्यों को वर्ष में अप्रैल और अक्तूबर में दो बार संशोधित किया जाता है।

(ख) और (ग) अप्रैल से सितम्बर 1982 की छमाही के दौरान जीपों की वैद्य कीमत 15,041 रुपए से 25,018 रुपए के बीच है जो बिक्री के लिए घोषित गाड़ियों की श्रेणी पर निर्भर करती है। खुली नीलामी में इनका मूल्य कम या अधिक होना गाड़ियों की श्रेणी/स्थिति तथा साथ ही गाड़ियों के लिए बोली लगाने वालों के बीच प्रतियोगिता पर निर्भर करता है। चूंकि संसद सदस्यों से पहली छमाही से नीलामी मूल्यों का औसत मूल्य लिया जाता है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मूल्य नीलामी में प्राप्त न्यूनतम मूल्यों से अधिक और इसी तरह अधिकतम मूल्यों से कम होंगे।

चीनी तथा पाकिस्तानी विमानों द्वारा लद्दाख सीमा में हवाई सीमा का उल्लंघन

10502. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी और पाकिस्तानी विमानों ने कई बार सीमा का उल्लंघन किया है; और

(ग) उनमें कितनी बार जान-बूझ-कर ऐसा किया गया और कितनी बार गलती से ऐसा हुआ और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जनवरी 1981 से पाकिस्तानी विमानों द्वारा हवाई सीमा के उल्लंघन की कुछ घटनाएं हुई हैं किन्तु चीनी विमानों द्वारा हवाई सीमा का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ।

इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने हवाई सीमा के उल्लंघनों का मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है ।

चीनी का निर्यात

10503. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 के चीनी के मौसम के प्रथम महीनों के दौरान चीनी का निर्यात बढ़कर 1.32 लाख टन हो गया जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 36,000 टन चीनी का निर्यात किया गया ; और

(ख) मार्च, 1982 के अन्त तक कितनी चीनी का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

अक्तूबर, 1980-मार्च, 1981 की अवधि के दौरान लगभग 46,000 मे० टन के निर्यात की तुलना में अक्तूबर, 1981 से मार्च, 1982 तक निर्यात 1,38,200 मे० टन के हुए हैं ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1981-82 (अप्रैल, 1981-मार्च, 1982) के दौरान चीनी की 1.537 लाख मे० टन की मात्रा का निर्यात किया गया है ।

होटलों के निर्माण के लिए अधिकारियों द्वारा किये गये दौरे

10504. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के लिए होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में अनेक अधिकारियों ने विभिन्न देशों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया, इन दौरों का तिथिवार ब्यौरा क्या है तथा इन दौरों पर कुल कितना व्यय हुआ और इसका क्या औचित्य है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालीन प्रशिक्षक के रूप में लोगों की नियुक्ति

10505. **श्री पी० नामग्याल :**

श्री मुकुन्द मंडल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीन बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत, विशेष रूप से जम्मू और काश्मीर राज्य में, भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा कालीन प्रशिक्षकों के रूप में राज्य-वार कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और ये व्यक्ति कब से नियुक्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को अब तक नियमित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) भाग के उत्तर सकारात्मक हों तो क्या सरकार इन कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी रूप से नियमित करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए०संगमा) : (क) कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों में शिल्प प्रशिक्षक मास्टर शिल्पी एवं सहायक शिल्पी है। प्रत्येक केन्द्र के लिए ऐसे स्टाफ की स्वीकृत संख्या 2 मास्टर शिल्पी और 2 सहायक शिल्पी है किन्तु नियुक्त किये गए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या आमतौर पर कम है और यह कुशल शिल्पियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होती है।

शिल्पियों की राज्यवार स्वीकृत संख्या निम्नलिखित है :—

क्र०	राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या	शिल्पियों की स्वीकृत संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	212	848
2.	जम्मू तथा कश्मीर	149	596
3.	बिहार	56	224
4.	राजस्थान	14	56
5.	हिमाचल प्रदेश	3	12
6.	आन्ध्र प्रदेश	14	56
7.	कर्नाटक	5	20
8.	हरियाणा	7	28
9.	पंजाब	3	12
		463	1852

कालीन बुनाई में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम 1976-77 में शुरू किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना अस्थाई स्वरूप की है और छठी योजना अवधि के साथ-साथ समाप्त होने वाली हैं। शिल्पियों को दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त किया जाता है और वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं है और इसलिए इन कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य कर्मचारियों को नियमों के अनुसार स्थायित्व करने हेतु कार्रवाही आरम्भ की गई है।

भारतीय निवेश केन्द्र का कार्यकरण

10506. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र नई दिल्ली तथा देश और विदेशों में स्थित इसकी शाखाओं के कार्यकरण/कृत्य के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) सरकार द्वारा इस संस्था पर गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार इसके कार्यकरण से सन्तुष्ट है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसी ही संस्थाएं भी इसी पद्धति पर सुसज्जित की गई हैं और अच्छे परिणाम दे रही हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क), (ग) और (घ) भारतीय निवेश केन्द्र की गतिविधियों का हाल ही में मूल्यांकन किया गया था। इससे यह विदित हुआ कि केन्द्र, विदेशी गैर-सरकारी पूंजी-निवेश के संवर्धन, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी के आयात तथा अनिवासी भारतीयों आदि के द्वारा पूंजी निवेश करने के कार्यों को बढ़ावा देने के मामले में बहुत उपयोगी सेवाएं प्रदान कर रहा है। किन्तु यह भी मालूम हो गया कि कतिपय कार्य जो कि केन्द्र की भारतीय शाखाओं द्वारा सम्पन्न किये जा रहे थे इसके मुख्य उद्देश्यों से पूर्णत: मेल नहीं खाते थे और वे कार्य राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों का दुहरकम थे। इसलिए पहली जनवरी, 1982 से केन्द्र ने इन कृत्यों को त्याग दिया है। उपर्युक्त बातों के सम्बन्ध में समग्र ब्यौरा, 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8664 और 24 अप्रैल 1981 के प्रश्न संख्या 8721 के तथा 26 फरवरी, 1982 के प्रश्न संख्या 1032 के ऊपर में दिया गया है।

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा केन्द्र के लिए स्वीकृत सहायता अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1980-81	70.01 लाख रुपये
1981-82	90.00 लाख रुपये

सेना के ट्रेकिंग अभियान का पाषाण युग की संस्कृति के लोगों से सामना

10507. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के निचले क्षेत्रों में लम्बी दूर की ट्रेकिंग करने वाले सेना के किसी अभियान का भूटान-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चेतक दर्रा के निकट रायगांव के पास देश के पूर्वोत्तर सीमांत पर पाषाण-युग की संस्कृति के लोगों से सामना हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

तेल शोधक कारखानों के विस्तृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक का ऋण

10508. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल शोधक कारखानों के विस्तृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 68 करोड़ डालर मूल्य की विदेशी मुद्रा में लागत के अंश को वहन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 20 करोड़ डालर का ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऋण की शर्तें क्या हैं और वह कितनी अवधि के लिए दिया जाएगा ; और

(ग) तेल शोधक कारखानों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम जिसके लिए इस ऋण का उपयोग किया जाना है, का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (ख) जी हां । मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना पर कुल 46.8 करोड़ अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ।

(ख) इस ऋण पर 11.6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा । ऋण की वापसी अदायगी 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्ष में की जाएगी । इस ऋण की अन्तिम तारीख 30 जून, 1986 है और इस राशि का उपयोग उस तारीख तक करना ही होगा ।

(ग) इस परियोजना का उद्देश्य पैट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग और पूर्ति के बीच असन्तुलन को ठीक करना तथा इस सैक्टर में ऊर्जा सम्बन्धी कार्यकुशलता में सुधार लाना है । इस परियोजना के मुख्य संघटक ये हैं (क) तेल साफ करने के चार कारखानों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना और ईंधन तेल को उच्च-मूल्य उत्पादों में बदलने के लिए आनुषंगिक संसाधन सुविधाओं की स्थापना करना ; (ख) पैट्रोलियम के टैंकों और वितरण की सुविधाओं में वृद्धि करना;

(ग) ऊर्जा की आवश्यकताओं को कम करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना ; (घ) प्रदूषण नियन्त्रण की सुविधाएं उपलब्ध करना ।

रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिम कमान, चंडीगढ़ के कर्मचारियों को आवास का आबंटन

10509. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिम कमान, चंडीगढ़ शाखा से रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिम कमान, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों को आवास के प्रावधान और आबंटन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हाँ ।

(ख) मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) आवंटन नीति घोषित की जाये ।

(2) चण्डीगढ़ में रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए बनाये गये रिहायशी आवास को केवल चण्डीगढ़ में रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिम कमान के कर्मचारियों को दिया जाये और चण्डीगढ़ में स्थित रक्षा लेखा विभाग के अन्य किसी कार्यालय के कर्मचारियों को न दिया जाये ।

(3) उपलब्ध आवास रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिम कमान के उन कर्मचारियों को दिया जाये जो पहले से (10-12-1981 को) चण्डीगढ़ में थे और उस तारीख के बाद वहां तैनात किये गए कर्मचारियों को आबंटन के लिए "कनिष्ठ" माना जाये ।

(4) चण्डीगढ़ में जिन व्यक्तियों के मकान हैं उन्हें सरकारी क्वार्टर न दिया जाये ।

(5) चण्डीगढ़ में काम कर रहे रक्षा लेखा नियन्त्रक पश्चिम कमान के जिन कर्मचारियों को परिवार का क्वार्टर न दिया जा सके उन सब को शत-प्रतिशत एकल (सिंगल) आवास दिया जाये ।

(6) कर्मचारी द्वारा आबंटित क्वार्टर में भागीदारी करना (शेयरिंग) स्वीकार किया जाये ।

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्वार्टरों का उचित कोटा अलग रखा जाये ।

(8) चण्डीगढ़ में रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए होस्टल आवास के निर्माण में तेजी लाई जाय ।

(ग) रक्षा लेखा विभाग के आवंटन नियम निर्माण और आवास मन्त्रालय के सम्पदा निदेशालय के आवंटन नियमों के आधार पर बनाये गये हैं। 11.12.81 को ये नियम सभी रक्षा लेखा नियन्त्रकों को भेज दिए गए थे और चण्डीगढ़ में उपलब्ध रिहायशी क्वार्टर पात्र कर्मचारियों को आवंटन नियमों के अनुसार दिये जा रहे हैं। चण्डीगढ़ में रिहायशी क्वार्टर, लेखा नियन्त्रक (निर्माण) के शाखा लेखा-कार्यालयों के कर्मचारियों को छोड़कर, जो पृथक पूल में आवास के लिए पात्र हैं, चण्डीगढ़ में स्थित रक्षा लेखा विभाग के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हैं। चण्डीगढ़ में सीमित आवास उपलब्ध होने के कारण किसी वर्ग के लिए आवास अलग से निर्धारित करना सम्भव नहीं है। चण्डीगढ़ में होस्टल/एकल आवास अभी उपलब्ध नही हैं इसलिए उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती। होस्टल आवास निर्माण करने का भी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। आवंटन नियमों में आवास में भागीदारी करने और उन कर्मचारियों को अपात्र (इन-एलीजिबल) करने की व्यवस्था है, जो उस स्थान पर मकान के मालिक हैं।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करना

10510. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी औद्योनिक विकास निगम की स्थापना करने के बारे में 26 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11044 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए किन-किन और कुल कितने प्रस्तावों को सरकार ने वित्तीय सहायता दी है और प्रत्येक वर्ष दी गई सहायता की राशि क्या है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर के राज्यों तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी सहायता दी गई है ;

(ग) क्या ऐसी कोई केन्द्रीकृत एजेंसी है जिससे भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी एजेंसी का नाम क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस एजेंसी द्वारा किये गये कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों को आम तौर पर लघु औद्योगिक यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार की यूनिटें स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा उन्हें औद्योगिक प्लाटों/शैडों, ऋण, मशीनरी, कच्चे माल आदि के रूप में अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों की औद्योगिक यूनिटों को पिछड़े क्षेत्रों के लिए

पूंजीगत सहायता, ब्याज के लिए सहायता, बिजली के लिए आर्थिक सहायता तथा अन्य प्रकार के रियायती ऋणों जैसी सहायताओं के रूप में प्रोत्साहन देती हैं। उन्हें राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक और जिला औद्योगिक अधिकारी इत्यादी जैसे संठनों से सहायता दी जाती है। उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे लघु उद्योग सेवा संस्थान और शाखा संस्थान भी लघु उद्योगों के क्षेत्र में मार्ग दर्शन तथा प्रशिक्षण देते हैं। चूंकि सभी प्रकार की सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं अतः केन्द्र सरकार के पास भूतपूर्व सैनिकों की अलग-अलग औद्योगिक यूनिटों का कोई रिकार्ड नहीं है। रक्षा मंत्रालय के अधीन पुनर्वास निदेशालय उन सभी भूतपूर्व सैनिकों का मार्ग दर्शन करता है जो औद्योगिक यूनिटें स्थापित करने के लिए उसे लिखते हैं ताकि इस संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अधीन कौन-कौन से संगठन उनकी सहायता कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

10511. **प्रो० नारायण चंद पराशर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन वर्षों 1982-85 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 25 शाखायें खोलने के लिए मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 के दौरान कितनी शाखायें खोलने की स्वीकृति दी गई है और इनका जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा किन-किन स्थानों की सिफारिश की गई है जहां वर्ष 1982 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली जायेंगी और संबंधित बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो शाखायें खोलने के लिये केन्द्रों और बैंकों के नामों को अनुमानतया किस तारीख तक अंतिम रूप दिया जायेगा और लाइसेंस जारी किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : ऐसा अनुमान है कि अप्रैल 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के वास्ते नई शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में 25 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने होंगे। जिन स्थानों में ये शाखाएं खोली जानी हैं उनके बारे में राज्य सरकार की सिफारिशों की प्रतीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रों के आवंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राजस्थान में आयकर अपवंचन

10512. **श्री वृद्धि चंद्र जैन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान कर-अपवंचन के कितने मामलों का पता लगाया गया ;

(ख) कर-अपवंचकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसे मामलों से राजस्व की कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान 2,500 से अधिक मामलों में, आय छिपाने के लिए, अर्थदण्ड लगाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी । इसी प्रकार, आय छिपाने के लिए 30 लाख रुपये से अधिक का अर्थ दण्ड लगाया गया था । अर्थ दण्ड लगाने के अलावा, जिन मामलों में भारी रकमें ग्रस्त हों उनमें मुकदमा चलाने के लिए भी कार्यवाही की जाती है ।

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

10513. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक की अधिकृत पूंजी क्या है ;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इन उपक्रमों को वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में अब तक कितना लाभ और कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या राजस्थान में कोई नये सरकारी उपक्रमों स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के चालू उपक्रमों का विवरण संलग्न है । इन उपक्रमों में राजस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या विवरण में दी गई है । इन उपक्रमों की अधिकृत पूंजी और लाभकारिता की स्थिति भी विवरण में दी गई है । 1981-82 में अधिकृत पूंजी और लाभकारिता के लेखा परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) वर्तमान योजनाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की केवल वर्तमान संस्थापनाओं के विस्तार एवं विविधीकरण का प्रस्ताव है ।

विवरण

राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	राजस्थान स्थित एककों में कर्मचारियों की संख्या	अधिकृत पूंजी	निवल लाभ/हानि	
				1979-80	1980-81
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हिन्दुस्तान कापर लि०	9082	150,00	434 (---)	1085

1	2	3	4	5	6
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	7276	100,00	791 (—)	311
3.	पाईराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०	103	15,00	57	49
4.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	77	25,00	977	1077
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	49	20,75	1368	1650
6.	भारतीय तेल निगम	189	150,00	7343	8065
7.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	142	342,85 (चुकता पूंजी)	5523	4657
8.	भारतीय उर्वरक निगम	395	800,00 (—)	4863 (—)	9969
9.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	59	4,00	4	5
10.	सांभर साल्ट्स लि०	895	2,00 (—)	18	17
11.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	1391	50,00	1548	1327
12.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा	2549	7,00	81	127
13.	राष्ट्रीय बीज निगम	58	10,00	20	35
14.	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया	1974	7,00	14 (—)	80
15.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कारपोरेशन लि०	6	16,32	267	363

1	2	3	4	5	6
16.	मार्डन वेकरीज (इण्डिया) लि०	39	2,13	26	19
17.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान)	5734	12,50	(—) 190	(—) 159
18.	भारतीय रुई निगम लि०	112	10,00	(—) 695	(—) 1365
19.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग लि०	17	1,00	20	4
20.	भारतीय खाद्य निगम	2663	450,00	78	47
21.	भारत पर्यटन विकास निगम	176	30,00	161	47

करडू मंदिर (बाड़मेर जिला) राजस्थान का विकास और सौन्दर्यकरण

10514. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार करडू मन्दिर (बाड़मेर जिला, राजस्थान), जो अपने पुरातत्व तथा स्थापत्य गौरव के लिए प्रसिद्ध है, की मरम्मत, विकास और सौन्दर्यकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग का, करडू मन्दिर की मरम्मत, विकास और सौन्दर्यकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि यदि यह एक संरक्षित स्मारक है, तो यह कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य पुरातत्व विभाग के, जैसा भी मामला हो, कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों पर किया गया व्यय

10515. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) केन्द्रीय सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के निगमों के कर्मचारियों तथा उन अन्य कर्मचारियों, जिनके लिए

केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है; के वेतनों पर गत पांच वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) कितना व्यय किया गया;

(ख) उसकी कुल बजट में (वर्ष-वार) प्रतिशतता क्या है; और

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों के ड्यूटी पर उपस्थित होने के समय सहित स्थानान्तरण पर गत पांच वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों की सभी श्रेणियों (विदेश में भारतीय मिशनों के कार्मिकों को छोड़कर) के वेतनों पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गए व्यय और कुल बजट में उसका प्रतिशत (राजस्व और पूंजीगत वितरण) जिसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, निम्न-प्रकार है :—

वर्ष	1977-78	1978-79	1979-80
(कुल व्यय करोड़ रु० में)	2018·99	2154·22	2347·45
कुल बजट के प्रतिशत के रूप में व्यय (राजस्व और पूंजीगत वितरण)	10·88	9·81	10·46

सरकारी क्षेत्र के निगमों के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है, के वेतनों पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे विभिन्न मन्त्रालयों, कई उद्यमों और अन्य सरकारी निगमों से एकत्रित करना पड़ेगा। इन आंकड़ों को एकत्रित करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा अपेक्षित लक्ष्य उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा कार्य-भार ग्रहण करने पर किए गए व्यय के ब्यौरे सरकार द्वारा लेखा बहियों में अलग से नहीं रखे जाते हैं और इसलिए इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

10516. **श्री राम विलास पसवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 1 अप्रैल, 1982 को बम्बई में छापे मारे थे;

(ख) ये छापे किन-किन व्यक्तियों/फर्मों के यहां मारे गये;

(ग) उक्त छापों के दौरान किस प्रकार के दस्तावेज/जवाहरात । बरामद किये गये; और

(घ) क्या सरकार ने इस बीच दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया (क) से (घ) : पिछले महीने, आयकर विभाग द्वारा बम्बई में फिल्मी कलाकारों श्री राजेश खन्ना और श्रीमती डिम्पल खन्ना, उसके पिता श्री चुन्नीभाई कपाड़िया और उसके सहयोगियों के मामलों में तलाशियां ली गई थीं । इन तलाशियों में, अपराध आरोपणीय दास्तावेजों के अलावा, 29 लाख रु० से अधिक मूल्य की प्रथम दृष्ट्या लेखा-वाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं । एक बैंक-खाते को भी प्रतिषेधात्मक आदेशों के अन्तर्गत रखा गया था । उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए, पकड़ी गई सामग्री की जांच शुरू कर दी गई है ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन वाहनों पर किया गया व्यय

10517. **श्री राम विलास पसवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन कुल कितने और किस-किस प्रकार के वाहन हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार ड्राइवरों, (पैट्रोल, रख-रखाव आदि पर) कितना व्यय किया गया; और

(ग) कुल केन्द्रीय बजट में से इस व्यय की वर्ष-वार प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) : सूचना मन्त्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयुध कारखाना, अम्बरनाथ द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर लगाया जाना

10518. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाना, अम्बरनाथ के प्रबन्धक इस समय नैमित्तिक श्रमिकों को केवल 30 दिन की छोटी अवधि के लिए काम पर लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण केवल यह है कि उन्हें नियमित कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के दावे से वंचित रखा जा सके; और;

(ग) इस बारे में सरकार की स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उप मंत्रियों द्वारा स्टाफकारों का उपयोग किया जाना

10519. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार में उप-मन्त्री अपने सरकारी उपयोग के लिए कितनी स्टाफकारों के पात्र हैं और सरकार द्वारा पैट्रोल की क्या सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ उप-मन्त्री अपने मंत्रालयों से इतर विभागों के स्टाफ-कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका उपयोग उनके रिश्तेदारों/मित्रों द्वारा किया जा रहा है जिससे सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उप-मन्त्री (मन्त्रियों) के नाम क्या हैं, जो अपने मन्त्रालय के अधीन विभागों की स्टाफकारों का अस्थाई/स्थाई रूप से उपयोग कर रहे हैं और पिछले वर्षों के दौरान ये करें कितनी मील चलाई गई हैं और पैट्रोल आदि तथा ड्राइवरों के समायोपरि भत्ते पर कितनी राशि व्यय हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) : नियमों के अन्तर्गत, कोई भी मंत्री यात्रा भत्ता नकद रूप में लेने अथवा सरकारी काम के लिए निःशुल्क सरकारी वाहन प्राप्त करने का हकदार है। निःशुल्क सरकारी वाहन स्टाफ कार के रूप में प्रदान किया जाता है जिसे मंत्री सभी सरकारी यात्राओं के लिए प्रयोग कर सकता है। लेकिन मंत्री की सुपु-र्दगी में रखी गई कार के लिए पैट्रोल की खपत की मात्रा एक तिमाही में केवल 750 लिटर तक सीमित है।

(ख) और (ग) : सूचना मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) स्टाफकारों के दुरुपयोग को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के रोक और नियंत्रण सम्बन्धी अनुदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाते हैं। जब कभी दुरुपयोग का दृष्टांत सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को टालने के लिए समुचित अनुदेश जारी किये जाते हैं।

चीनी, चावल और खाद्य पदार्थ का निर्यात

10520. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में अन्य देशों को निर्यात किये गये चावल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों किस्म-वार, की मीट्रिक टनों में मात्रा कितनी है और एजेंसीवार तथा देशवार उनका

कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और प्रत्येक मामले में इन वस्तुओं का मूल्य कितना है और देश में कौन-कौन सी ऐजेंसियां इन सभी वस्तुओं की वसूली करती हैं; और

(ख) वर्ष, 1981 में इन वस्तुओं के निर्यात से सरकार ने कितना वास्तविक लाभ अर्जित किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार सीधे ही निर्यात नहीं करती।

विवरण

1981-82 के दौरान चावल, चीनी तथा प्रमुख खाद्य पदार्थों का निर्यात

क्र०	मद	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु०)	प्रमुख गन्तव्य स्थान
1.	बासमती चावल	309750	17479.00	रूस, खाड़ी के देश
2.	गैर बासमती चावल	504000	15429.00	रूस
3.	साधित खाद्य पदार्थ	—	21763.08	खाड़ी, प० यूरोप, सं० रा० अमरीका।
4.	ताजा प्याज	166000	2950.43	खाड़ी, सिंगापुर, मलयेशिया, रूस
5.	चीनी	153500	4970.00	इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि।
6.	जौ	44100	900.00	मध्य-पूर्व देश

प्याज की अधिप्राप्ति नैफेड द्वारा की जा रही है। गैर-बासमती चावल की अधिप्राप्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।

आंकड़े अनन्तिम हैं।

दिल्ली और अन्य नगरों में गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्थापित किये गए होटल

10521. **श्री मूल चन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली और देश के अन्य शहरों में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर्यटन विभाग अथवा भारत पर्यटन विकास निगम के कहने पर अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल स्थापित किये गए हैं और इनमें से प्रत्येक होटल की आवास क्षमता क्या है ; और

(ख) वर्ष 1982 में दिल्ली में कितने नये होटल स्थापित किए गए हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है तथा ये होटल किनके द्वारा स्थापित किये गए हैं और इनकी स्थापना के लिये पर्यटन विभाग अथवा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दिल्ली और देश के अन्य शहरों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर्यटन विभाग अथवा भारत पर्यटन विकास निगम के कहने पर गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल स्थापित किया गया हो। यद्यपि दिल्ली और अन्य शहरों में गैर-सरकारी क्षेत्र में होटलों के निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग अथवा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है, तथापि पर्यटन विभाग अनुमोदित श्रेणियों के होटलों को अग्रता-आधार पर एल० पी० जी०, टेलीफोन कनैक्शनों, पूंजीगत उपकरणों तथा खाद्य सामग्री के आयात, इसेंटिव कोटा, आदि के रूप में अन्य सहायता प्रदान करता है।

(ख) 1982 में दिल्ली में स्थापित किए गए नये होटलों की संख्या के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है :—

होटल	किसके द्वारा स्थापित किया गया	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1. सरदार पटेल मार्ग	ताज ग्रुप/डी०डी०ए०/एन०डी०एस०सी	33.00
2. हयात् रीगेंसी	एशियन होटल्स	33.66
3. भारत होटल्स	दिल्ली आटोमोबाइल्स	36.00
4. विण्डसर प्लेस	सी०जे० इंटरनेशनल	33.00
5. पार्क होटल	नार्दर्न एंटरप्राइसेस	17.77
6. न्यू फैण्डस कालोनी	सूर्य इंटरनेशनल	15.50
7. सिद्धार्थ कांटिनेंटस	जयप्रकाश एंटरप्राइसेस	9.60
8. मौर्य शेराटन (विस्तार)	आई०टी०डी०सी० लिमिटेड	6.40

इस बारे में जो सहायता दी जाती है वह उपकरणों और खाद्य-सामग्री के आयात, एल० पी०जी० के आबंटन, टेलीफोन कनैक्शनों से सम्बन्ध रखती है।

बांकुरा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा-राशि

10522. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार बैंकवार, बांकुरा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा राशि कितनी है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया और तत्तसम्बन्धी बैंकवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बांकुरा जिले में (स्वीकृति के अनुसार) बैंक जमाओं तथा अग्रिमों के उपलब्ध आंकड़े जो कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में हैं, नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रुपये)

जून के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	जमा राशि या	अग्रिम
1979	2240	601
1980	2655	725
1981	3474	921

नेकरूम और यूरिका वायर का आयात करने के लिए लाइसेंस

1052. श्री गुफरान आजम :

श्री० डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ उद्योगों को अन्य देशों से नेकरूम वायर/यूरिका वायर का आयात करने के लिए लाइसेंसे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किन-किन उद्योगों को लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों द्वारा नेकरूम वायर/यूरिका वायर की कितनी मात्रा आयात की गई है ;

(घ) क्या नेकरूम वायर/यूरिया वायर पर सरकार की नयी आयात नीति का प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) संभवतः प्रश्न नाइक्रोम वायर (इलैक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वायर—निकिल, क्रोमियम तथा लौह आधारित) के बारे में है। यह मद आयात निर्यात नीति, 1982-83 (वाल्यूम-1) के परिशिष्ट 5 में प्रकाशित हुई है जिसके लिए आयात की अनुमति दी जाती है। पिछली तीन अवधियों में भी यही नीति थी।

(ख) मंजूर किए गए लाइसेंसों के ब्यौरे आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए वीकली बुलेटिन्स आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग तथा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) उपलब्ध जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) 5-4-1982 को घोषित की गई आयात नीति में इलैक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वायर (निकिल, क्रोमियम तथा लौह आधारित किया गया है जिसमें अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर आयात करने के लिए निर्यात गृहों के लिए रोक लगी मदों की सूची नीति के परिशिष्ट 26 में शामिल की गई है।

विवरण

1978-79 से 1980-81 के दौरान इलैक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वायर का आयात दर्शाने वाला विवरण (नवम्बर, 1980 तक)

मात्रा किग्रा० में

क्रमांक	मद का विवरण	आई टी सी रेव० कोड नं०	1978-79	1979-80	1980-81 (नवम्बर, 80 तक)
1.	इलैक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वायर, अनावृत, नाइक्रोम	772.3001	57779	145223	15651
2.	इलैक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वायर अनावृत नाइक्रोम के अलावा	772.3002	19320	8544	1759
3.	इलैक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वायर इन्सुलेटिड, नाइक्रोम	772.3003	51130	160	185
4.	इलैक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वायर, इन्सुलेटिड, लाइक्रोम के अलावा।	772.3004	3432	4383	1486

टिप्पणी : आँकड़े अन्तिम हैं तथा उनमें संशोधन किया जा सकता है।

स्रोत : 1. 1978-79 तथा 1979-80 : मन्थली स्टैटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेन आफ इंडिया, वाल्यूम-11-आयात, वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित।

2. 1980-81 (नवम्बर, 1980 तक) :—वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से प्राप्त अग्रिम आंकड़े।

आयकर अधिनियम की धारा 54 (ङ) का संशोधन

10524 **श्री वी. एन. गाडगिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय का विचार ऐसे व्यक्तियों, जिनकी भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आपात खण्ड के अन्तर्गत अर्जित की गई थी और कर निर्धारित की कोई त्रुटि न होने पर अन्तरण की तारीख से छह महीनों के भीतर मुआवजे का निपटारा नहीं किया गया था, के मामलों को आयकर अधिनियम की धारा 54 (ङ) का संशोधन करने का है ;

(ख) क्या सरकार पूंजीगत लाभ सम्बन्धी कर के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के भुगतान की तारीख को अन्तरण की तारीख मानने के लिए सहमत है ?

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी मामलों में कर निर्धारण की कार्यवाही अथवा वसूली की कार्यवाही को अन्तिम रूप देने को रोक देने का है जब तक कि धारा 54 (ङ) में संशोधन हो जैसा कि मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिनियम की धारा 54(ङ) के लागू करने की तारीख से ही इस अधिनियम को पूर्वव्यापित तारीख से संशोधन करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) यद्यपि, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है फिर भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए मुद्दे पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा ।

(ख), (ग) तथा (घ) मुख्य प्रस्ताव पर विचार करते समय इन मुद्दों की भी जांच की जायेगी ।

चीनी उद्योग को वित्तीय सहायता

10525. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चीनी मिलों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपने बैंकरों द्वारा बताया गया है कि चालू चीनी मौसम के प्रारम्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई राशि से अधिक जो राशि उन्होंने ली है, उसे वे वापस करें :

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग गन्नों की राशि का भुगतान करने में बुरी तरह असफल होगा जिससे किसानों को भारी मुसीबत होगी और यदि बैंक इस सीमा को लागू करेंगे तो उसकी अन्य देयतायें बढ़ जायेंगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय उद्योग मंत्री से चीनी उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह इस मामले पर वित्त मन्त्रालय के साथ बातचीत करें ;

(घ) यदि हां, तो क्या उद्योग मन्त्री ने वित्त मन्त्री से अनुरोध किया है कि वह धन की वापसी के लिए जोर न डालें जिससे चीनी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चीनी मिलों को अपने बैंकरों द्वारा यह बताये जाने के बारे में कि चालू चीनी मौसम के प्रारम्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई राशि से अधिक जो राशि उन्होंने ली है उसे वापस करें वित्त मन्त्रालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को विशेष पुनर्वित्त सहायता दी है जिससे कि वे चीनी उद्योग तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों की मौसमी ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वह, अलग-अलग चीनी एककों के संबंध में बैंकों से प्राप्त हुए ऋण प्राधिकृतियों विषयक आवेदनों का शीघ्रता से निपटान करता रहा है और उसने प्राप्तियों तथा भुगतान खातों में हुए अनुमानित घाटों के आधार पर उन्हें प्राधिकृत किया है जिसमें चीनी तथा किसानों को गन्ने के भुगतान के स्तरों का विचार रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) और (ङ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

सोवियत संघ को अभ्रक की सप्लाई

10526. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, अभ्रक का उत्पादन और निर्यात क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि "मिटको" के साथ अभ्रक की सप्लाई के लिए क्रयादेशों को अन्तिम रूप देने हेतु सोवियत संघ के व्यापार शिष्टमंडल ने बिहार का दौरा किया है; यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) : एक सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने दिसम्बर, 1981 में बिहार का दौरा किया और 396.75 मे. टन संसाधित अभ्रक की सप्लाई के लिए मिटको के साथ 11·40 करोड़ रु० मूल्य की एक संविदा पर हस्ताक्षर किए।

विवरण

वर्ष	कड अभ्रक
1979	9073
1980	7930
1981	8377

संसाधित तथा फैब्रिकेटिड अभ्रक का निर्यात :—

मात्रा हजार मे० टन में

मूल्य करोड़ रु०

वर्ष	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	संसाधित		फैब्रिकेटिड	
1979-80	18.86	23.03	10.03	11.49
1980-81	16.32	21.61	उ०न०	12.00 अनुमानित
1981-82	15.00	28.33	उ०न०	12.00 —वही—

स्रोत : डी०जी०सी०आई०एंड एस, कलकत्ता।

पोलैंड को अभ्रक का निर्यात

10527. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पोलैंड की सरकारों के बीच अभ्रक के निर्यात के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभ्रक उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारत और पोलैंड की सरकारों के बीच अभ्रक के निर्यात के बारे में किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, मिनेक्स (पोलैंड के एक विदेश व्यापार उद्यम) ने लगभग 1·75 करोड़ रु० मूल्य के अभ्रक की सप्लाई के लिए मिटको के साथ एक संविदा सम्पन्न की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि बैंकों की स्थापना करना

10528. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक स्थापित किए गए कृषि बैंकों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में कृषि बैंकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे/सीमांतिक किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों तथा अन्य कमजोर वर्गों को ऋण सुलभ कराने के उद्देश्य से स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। इस समय देश के 19 राज्यों में 198 जिलों को व्याप्त करते हुए 117 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इन बैंकों का राज्यवार वितरण विवरण में दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में और ऐसे 53 बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इनके स्थानों का निर्णय, सम्बद्ध क्षेत्र में बैंकिंग की मूल ढांचे, की विद्यमान स्थिति इत्यादि सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्यवार वितरण

राज्य	स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	व्याप्त जिलों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1. आंध्र प्रदेश	8	12
2. असम	5	10
3. बिहार	17	26
4. गुजरात	4	6
5. हरियाणा	2	5
5. हिमाचल प्रदेश	1	3
7. जम्मू तथा कश्मीर	3	10
8. कर्नाटक	6	10
9. केरल	2	4
10. मध्य प्रदेश	13	23
11. मणिपुर	1	6

1	2	3
12. महाराष्ट्र	1	4
13. मेघालय	1	3
14. उड़ीसा	9	11
15. राजस्थान	6	12
16. तमिलनाडु	1	2
17. त्रिपुरा	1	3
18. उत्तर प्रदेश	29	35
19. पश्चिम बंगाल	7	14
	117	198

बिहार के बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या

10529. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस बारे में उन्हें कोई पत्र अथवा ज्ञापन भेजा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : अधिकांश उन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, जिनकी शाखाएं बिहार में हैं सूचित किया है कि उनकी जन-शक्ति आवश्यकताओं की तुलना में उनके पास कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। परन्तु कुछ बैंकों ने बिहार में स्थित अपनी शाखाओं में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की कुछ कमी होने की सूचना दी है। इस तरह की कमी मुख्यतः राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1980 के मांग-पत्र (इंडेट) के सम्बन्ध में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, कलकत्ता की ओर से आवंटन करने में कुछ बिलम्ब होने की वजह से हुई थी। लेकिन, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, कलकत्ता ने मार्च-अप्रैल, 1982 में राष्ट्रीयकृत बैंकों को लिपिक वर्गीय उम्मीदवारों का आवंटन कर दिया है और राष्ट्रीकृत बैंकों ने रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) जी, हां बिहार। सरकार ने शिकायत की थी कि बिहार में बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारियों की अपर्याप्तता, ग्रामवासियों को संस्थागत ऋण प्रदान करने की गति में बाधा

साबित हुई है और उसने प्रस्ताव किया था कि बिहार के लिए अलग से एक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित किया जाये, जिसका मुख्य कार्यालय पटना में हो ताकि बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्मचारियों विषयक आवश्यकताओं को पर्याप्ततः तथा शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

(घ) बिहार में अलग से एक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

बिहार के बैंकों के पास जमा धनराशि

10530. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में बिहार में बैंकों के 1840 करोड़ रुपये की कुल जमा धनराशि थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी धनराशि नगद रूप में उनके पास विद्यमान थी और कितनी धनराशि उद्योगों तथा अन्य उद्यमों में लगी हुई थी;

(ग) कृषि क्षेत्र में लगाई गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में बैंकों के कार्य निष्पादन से सरकार संतुष्ट है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का क्या उपचारात्मक करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून 1981 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक बिहार में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियां 1765 करोड़ रुपये की थीं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नकदी अपेक्षाएं, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग और समय देयताओं से सम्बन्धित हैं न कि प्रत्येक राज्य में उनकी जमाओं से।

जून 1980 के वास्ते, बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के क्षेत्रवार विवरण के उपलब्ध आँकड़े विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) किसी क्षेत्र में ऋण की मात्रा, अधिकांशतः उसके आर्थिक विकास की मात्रा और, विशेषतः मूलभूत ढांचे के साधनों की उपलब्धता और उसके निर्माण, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की स्थिति, बाजार की उपलब्धता और उद्योग के लिए सामान्य वातावरण की उपस्थिति जैसे कारकों से प्रभावित होने वाले उद्योग और वाणिज्य के संगठित क्षेत्रों से प्रभावित होती है। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देकर कम विकसित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ायें और इस इस सम्बन्ध में बिहार के मामले में उनका कार्य-निष्पादन असंतोषजनक नहीं है यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को, बैंकों के अग्रिम, दिसम्बर, 1977 के 162 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर 1980 में 339 करोड़ रुपये हो गए। इसी अवधि में

ऋणकर्ता खातों की संख्या 3·31 लाख से बढ़कर 6·68 लाख हो गई। यह आशा की जाती है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बैंकों के अधिक अंतर्ग्रस्त होने और जिला ऋण आयोजनाओं के कार्यक्रम में उनके शामिल होने से, बिहार में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक ऋण के प्रवाह में और वृद्धि होगी।

विवरण

विहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों का व्यवसाय वर्गीकरण
(जून 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये)

व्यवसाय	जून, 1980
1. कुल ऋण	57680
जिसमें से	
छोटे पैमाने के उद्योग	5991
2. कृषि	12801
जिसमें से	
(क) प्रत्यक्ष वित्त	9212
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	3589
3. उद्योग	23886
4. व्यापार	4802
जिसमें से	
(क) थोक व्यापार	1816
(ख) खुदरा व्यापार	2986
5. सभी अन्य	10200

फोटो फिल्मों तथा फोटो कैमरों का आयात

10531. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1980-81 में फोटो फिल्मों तथा फोटो कैमरों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की बचत करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 5 अप्रैल, 1982 को घोषित की गई इन मदों की आयात नीति में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1980-81 (नवम्बर, 1980 तक) के दौरान कैमरा (सिनेमाटोग्राफिक तथा फोटोग्राफिक), फोटोग्राफिक तथा सिनेमाटोग्राफिक सप्लाइयों और सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, खिची हुई तथा डेवलप की हुई, साउन्ड ट्रैक शामिल हो अथवा न हो, अथवा केवल साउन्ड ट्रैक हो, निगेटिव अथवा पाजिटिव के आयात दर्शाने वाला विवरण।

मूल्य लाख रु० में

क्र०	मद का विवरण	आई टी सी-रेव कोड सं०	1980-81 (नवम्बर, 80 तक)
1	2	3	4
1.	कैमरा, फोटोग्राफिक (सिनेमाटोग्राफिक को छोड़कर)	881.1100	77.94
2.	सिनेमाटोग्राफिक कैमरा (16 एम एम से कम चौड़ाई की फिल्मों के लिए)	881.101	21.60
3.	सिनेमाटोग्राफिक कैमरा (16 एम एम अथवा उससे अधिक चौड़ाई की फिल्म के लिए)	881.2200	16.23
4.	एक्स-रे फिल्में तथा प्लेटें	882.2101	86.88
5.	अन्य प्लेटें तथा फिल्में	882.2109	142.80
6.	सिनेमाटोग्राफिक फिल्में, रंगीन, बिना खिची हुई।	882.2201	33.40
7.	सिनेमाटोग्राफिक फिल्में, रंगीन, बिना खिची हुई।	882.2202	739.33

1	2	3	4
8.	फिल्में, सिनेमाटोग्राफिक को छोड़कर	882.2203	76.33
9.	पेपर, पेपरबोर्ड तथा क्लाथ; सेन्टीसाइज्ड, डैवलप्ड नहीं	882.2300	39.96
10,	सिनेमाटोग्राफिक प्लेटें तथा फिल्में, सेन्टीटाइज्ड, खिची हुई लेकिन डैवलप्ड नहीं, नैगेटिव अथवा पाजिटिव ।	882.2401	59.50
11.	सिनेमाटोग्राफिक प्लेटें तथा फिल्में सैन्सरटाइज्ड खिची हुई लेकिन डैवलप्ड नहीं, नैगेटिव अथवा पाजीटिव, को छोड़कर	882.2402	58.73
12	प्लेटें, फिल्म, खिची हुई तथा डैवलप की हुई सिनेमाटोग्राफिक को छोड़कर	883.2500	7.44
13.	सिनेमाटोग्राफिक फिल्म खिची हुई अथवा डैवलप की हुई, साउन्ड ट्रैक शामिल हो अथवा न हो अथवा कोई भी साउन्ड ट्रैक हो, निगेटिव अथवा पाजीटिव	883	60.71

टिप्पणी : आँकड़े अनन्तिम हैं और उनमें संशोधन किया जा सकता है ।

स्रोत :—1980-81 के लिए (नवम्बर, 80 तक) : डी० जी० सी० आई एण्ड एस, कलकत्ता से प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

यूरोपीय देशों को खागरई का निर्यात

10532. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय देशों को पीतल के बर्तनों के साथ परम्परागत सर्वोत्तम "खागरई" घण्टा-धातुग्लासों का निर्यात करने का कभी प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) "खागरई" घंटा-धातु, ग्लास ताँबे, पीतल, काँसे तथा मिलती-जुलती मिश्रधातुओं की कलात्मक वस्तुओं में कवर होता है । हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात ज्यादातर निजी पार्टियों के हाथों में है । खागरई घंटा-धातु ग्लास के निर्यात के अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

होटल उद्योग द्वारा मदों का आयात

10533. **श्री तारिक अनवर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्ष के दौरान होटल उद्योग द्वारा आयात किए जाने हेतु अनुमति दी गई है (मूल्य और मात्रा सहित वर्षवार मदों के नाम) ; और

(ख) (क) में उल्लिखित मदों में से कौन-कौन सी मदों को पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय से स्वीकृति की आवश्यकता होती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण आवेदनों के निपटान हेतु समय सीमा

10534. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋणों के वितरण के जरिए आवेदनों के निपटान हेतु इस प्रकार के सभी मामलों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री के निदेश को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय संस्थाओं के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वित्तीय संस्थाएं प्रधान मन्त्री के निदेश के अंतर्गत नहीं आतीं ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने सावधि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा निपटाये जाने वाले ऋण आवेदन पत्रों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है । क्योंकि ऋणों की स्वीकृति, परियोजना की तकनीकी संभाव्यता और अर्थक्षमता का विस्तृत मूल्यांकन, प्रवर्तकों से आवश्यक मूल सूचना के समय से प्राप्त होने आदि जैसे बहुत से कारणों पर निर्भर होती है अतः ऋण आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करना न तो वाँछनीय है और न ही सुविधाजनक । अलबत्ता, सावधि ऋणदात्री संस्थाएं सभी तरह से पूर्ण ऋण आवेदनों को बिना किसी देरी के निपटा देती हैं । नये 20-सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रियाओं के सरलीकरण की अपेक्षा की गई है और वित्तीय संस्थाएं ऋण आवेदन-पत्रों के निपटान की अवधि को और कम करने का प्रयास कर रही हैं ।

निरीक्षण महानिदेशालय संगठन को स्थायी रूप से सैकेन्डेड गए अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर

10535. श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षण महानिदेशालय, संगठन को स्थायी रूप से सैकेण्डेड प्रत्येक अधिकारी के ले० कर्नल पद पर पदोन्नति के लगभग 200 प्रतिशत अथवा अधिक अवसर हैं, कर्नल बनने के लगभग 100 प्रतिशत अवसर हैं और ब्रिगेडियर बनने के लगभग 50% अवसर उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो स्थाई रूप से (सैकेण्डेड) मेजर, ले० कर्नल० कर्नल तथा ब्रिगेडियरों की इस संगठन में मदों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन अधिकारियों की संवर्ग पुनरीक्षा के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या नियमित सेना में प्रत्येक मेजर को उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु इतने ही अवसर मिलते हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो निरीक्षण महानिदेशालय के सैनिक अधिकारियों को उन्नति के इतने अच्छे अवसर उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या ये अधिकारी नियमित सेना के सैनिक अधिकारियों की अपेक्षा ज्यादा जटिल तथा जोखिम वाले काम में लगे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1.1.1982 को रिक्त पदों की स्थिति नीचे दी गई है :

ब्रिगेडियर	कर्नल	लेफ्टि० कर्नल	मेजर
3	7	12	82

(ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में किसी भी स्थायी रूप से सेकेण्डेड सैनिक अफसर को अगले उच्चतर रैंक में, नियमित सेना में पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा पूरी किए बिना पदोन्नत नहीं किया गया है ।

(ङ) ऊपर (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जी नहीं ।

226 ए० एस० सी० डिपो दिल्ली छावनी के एक चौकीदार की ड्युटी पर मृत्यु

10536. **श्री शिबु सोरन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22-12-81 को चौकीदार बनवारी लाल जब ड्यूटी पर था तो उसे 226 ए० एस० सी० डिपो, दिल्ली छावनी-10 की एक कोठरी में लटका हुआ पाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच पड़ताल की गई है और कोई गिरफ्तारियां की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या बनवारी लाल की विधवा को देय सारी राशि की आदायगी कर दी गई है और उसके लड़के को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देकर उसकी सहायता की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और उसे कब तक उपयुक्त नौकरी दे दी जाएगी ताकि इस संकट के दिनों में वह अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण कर सके ?

रक्षामंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। स्वर्गीय श्री बनवारी लाल को दिल्ली छावनी में एक सिविल ठेकेदार की एक इमारत में उस समय लटका हुआ पाया गया था जब वह ड्यूटी पर नहीं था।

(ख) और (ग) इस मामले की अभी सिविल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) स्वर्गीय श्री बनवारी लाल को देय वेतन और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की बकाया रकम मृतक की विधवा श्रीमती शान्ति देवी को अदा कर दी गई है। भविष्य निधि और सामूहिक बीमा के बारे में उनके दावों पर कार्रवाई की जा रही है और इन्हें शीघ्र ही भुगतान कर दिये जाने की सम्भावना है। श्रीमती शान्ति देवी को 1 अप्रैल, 1982 से नैमित्तिक श्रमिक के रूप में रोजगार दे दिया गया है।

काल-बाधित हो गये आयकर मामलों के कारण राजकोष को हुई हानि

10537. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में आयकर के मामले कालबाधित हो जाते हैं क्योंकि समय पर उनका निर्धारण नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को भारी हानि होती है;

(ख) किन कारणों से निर्धारण मामलों को कालबाधित होने दिया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, उन मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें काल-बाधित होने दिया गया और उसके परिणामस्वरूप राजकोष को कितनी हानि हुई है; और

(घ) कोई भी मामला कालबाधित न होने दिया जाए; इसके लिए आयकर निर्धारणों के मामलों को शीघ्र निपटान कोसुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई में आधुनिक कैसिनों व जुआघरों पर मारे गये छापे

10538. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आयी है कि बड़े लोगों सहित सिने कलाकार और अन्य लोग बड़े पैमाने की घुड़दौड़ जुए में शामिल होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में एक आधुनिक कैसिनों-जुआघर पर छापा मारा गया था; यदि हां, तो इसको चलाने वाली पार्टी का नाम क्या है;

(ग) क्या देश भर में घुड़दौड़ केन्द्रों के साथ हर मिनट सम्पर्क बनाये रखने हेतु नवीनतम इलेक्ट्रोनिक उपकरण वहां लगे पाए गये थे;

(घ) वहां से अन्य क्या दस्तावेज बरामद हुए; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां भी की गई थीं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (घ) : पिछले महीने आयकर विभाग द्वारा बम्बई में फिल्मी कलाकारों श्री राजेश खन्ना और श्रीमती डिम्पल खन्ना उसके पिता श्री चुन्नी भाई कपाड़िया और उसके सहयोगियों के मामलों में तलाशियां ली गई थीं । इन तलाशियों में, अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अलावा, 29 लाख रु० से अधिक मूल्य की प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं । एक बैंक खाते को भी प्रतिषेधात्मक आदेशों के अन्तर्गत रखा गया था । जिस समय तलाशी दल ने श्री चुन्नीभाई कपाड़िया के परिसर में प्रवेश किया उस समय वह एम्पलीफायर प्रणाली से, टेलीफोनों के जरिए, देश की कमेन्टरी सुन रहे थे । उसके घुड़दौड़ बुकिंग क्रियाकलापों से सम्बिन्धित कतिपय दास्तावेज भी पकड़े गये थे ।

(ङ) तलाशी तथा माल पकड़ने की कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार करने का, आयकर अधिनियम में कोई उपलब्ध नहीं है ।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के हैंडलिंग एजेन्ट

10539. श्री ईरा एनावरासु : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सी डब्लयू सी के हैंडलिंग एजेन्ट के रूप में मैसर्स एयर फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किए जाने के लिए सी० डबल्यू० सी० से अनुरोध किया था और क्या यह सच नहीं है कि सी० डब्ल्यू० सी० द्वारा उक्त अधिकारी के अनुरोध को न मानने पर सी०डब्ल्यू० सी० को दिल्ली हवाई अड्डे पर अपनी भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त भूमि नहीं दी गई;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी ने मद्रास के "ग्राउन्ड" हैंडलिंग एजेन्सी मैसर्स एयर फ्रेंट प्रा० लि० को दिलवाकर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण से अपना पद त्याग दिया है और सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के पुनः रोजगार के सम्बन्ध में सरकार के निदेशों की अवहेलना कर अब मैसर्स एयर फ्रेट प्रा० लि० में वरिष्ठ प्रबन्धक के रूप पदभार ग्रहण कर लिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण एयर कारगो भण्डारण के क्षेत्र में से सी० डब्ल्यू० सी० को अन्ततोगत्वा निकाले जाने के लिए रास्ता बनाये जाने के लिए अपनाये जाने वाले अपने हथकण्डों के रूप में सी० डब्ल्यू० सी० को अपनी भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भूमि से वंचित किए हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (क) : जी, नहीं ।

(ख) विंग कमांडर एम० के० वाजपेई ने भारतीय वायु सेना से नम्बर, 1973 में प्रति-नियुक्ति पर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में पद ग्रहण किया । बाद में उन्हें दिसम्बर 1976 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में खपा लिया गया । उन्होंने निदेशक (कार्गो) के पद से । जनवरी, 1982 से भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति होने का अनुरोध किया । सेवा निवृत्ति-पूर्व छुट्टी के दौरान उन्होंने कार्गो कार्य से सम्बन्धित एक विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र भेजन की अनुमति मांगी थी, परन्तु भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अनुमति नहीं दी गयी । तथापि यह समझा जाता है कि सेवा निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पूरी कर लेने पर, उन्होंने मैसर्स एयर फ्रे प्राइवेट लिमिटेड में सेवारंभ कर दी है । मद्रास विमान क्षेत्र पर कार्गो हैंडल करने का ठेका मैसर्स एयर फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड को खुली निविदाओं के आधार पर दिया गया था । विंग कमाण्डर वाजपेई का इस कम्पनी के साथ संबंध होने से भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के निर्णय पर कोई प्रभाव डालने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया गया है कि एयर कार्गो, हैंडलिंग का कार्य भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा एयर लाइनों जैसी अन्य संबद्ध एजेंसियों के पास होना चाहिए तथापि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त भूमि आवंटित करने के अनुरोध की जांच की जा रही है ।

विदेशों में भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध में चलने वाले होटलों और रेस्टोरेंटों से वार्षिक आय

10540. श्री चिंतामणि जैन :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में चल रहे भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों और रेस्टोरेंटों की संख्या क्या है और उन स्थानों का क्या नाम है जहां ये स्थित हैं;

(ख) इस समय इन होटलों और रेस्टोरेंटों से होने वाली वार्षिक आय औसत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशों में कुछ और अधिक होटल तथा रेस्टोरेंट खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) फिलहाल, आई० टी० डी० सी० विदेशों से किन्हीं होटलों या रेस्तराओं का प्रबन्ध नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार की विदेश में होटलों या रेस्तराओं को खोलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन आई० टी० डी० सी० विदेशों में होटलों तथा रेस्तराओं को खोलने के लिये उपयुक्त अवसरों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है।

विश्व बैंक ऋण

10541. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को 1982-83 के दौरान ऋण देने के लिए विश्व बैंक के बचनों से भारत को अवगत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने भारत में विभिन्न परियोजनाओं पर कुल कितना ऋण देने का बचन दिया है; और

(ग) कितना ऋण देने के लिए पहले ही निर्णय हो गया है और किस सीमा तक अभी निर्णय लिया जाना है तथा उससे भारत को अवगत किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) हाल के संकेतों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) से उसके राजकोषीय वर्ष 1982 (जुलाई 1981 से 30 जून, 1982 तक) के दौरान लगभग 1.1 अरब डालर की सहायता उप-

लब्ध होने की संभावना है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण की दूसरी किस्त में दात देशों के अंशदानों में कटौती हो जाने के कारण राजकोषीय वर्ष 1982 के लिए अन्तर्राष्ट्री विकास संघ के उपलब्ध कुल साधनों में कमी हो गई है। अतः, इस अवधि में भारत को उपलब अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों में कमी होने की संभावना है, लेकिन अभी यह नहीं कहा ज सकता है कि ठीक-ठीक कितनी राशि उपलब्ध होगी। राजकोषीय वर्ष 1983 (पहली जुला 1982 से 30 जून, 1983) के दौरान भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक तथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से उपलब्ध होने वाली सहायता राशि के सम्बन्ध में अभी कोई निर्ण नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) : हमने राजकोषीय वर्ष 1982 तथा 1983 के सम्बन्ध में सहायता के लिऐ परियोजनाओं की ऐक सूची बैंक समूह को प्रस्तुत कर दी है। किसी वर्ष विशेष में कितनं परियोजनाओं के लिए सहायता मिल सकेगी उनकी वास्तविक संख्या अन्य वार्ता के साथ-सा बैंक समूह द्वारा उपलब्ध की जाने वाली धनराशियों और परियोजनाओं की तैयारी तथा तत्स बन्धी कार्रवाई की स्थिति पर निर्भर करेगी। राजकोषीय वर्ष 1982 के दौरान जिन 10 परियो जनाओं के लिए बैंक समूह सहायता के सम्बन्ध में करारों पर अब तक हस्ताक्षर हो चुके हैं, उनक कुल राशि 209.9 करोड़ डालर है।

आस्ट्रेलिया के व्यापार सचिव की भारत यात्रा

10542. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के व्यापार सचिव ने हाल में भारत की यात्रा की थी और फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि करने के लिए कोई करार हुआ है, यदि हां, तं तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार पर सामान्य रूप से विचार विमर्श किया गया करार सम्पन्न नहीं हुआ।

वाड्डा (पिथौरागढ़) के लिये वायुदूत सेवा हेतु सर्वेक्षण :

10543. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय यात्रियों को सुविधा देने हेतु वाड्डा (पिथौरागढ़) को वायुदूत सेवा से जोड़ने पर विचार कर रहा है क्योंकि यहां कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग पर एक प्रमुख नगर है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाड्डा में एक हवाई पट्टी का निर्माण करने हेतु कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, नागर विमानन के महानिदेशक ने एक सर्वेक्षण किया था तथा "स्टोल" प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए एक धावनपथ के निर्माण के लिए पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर पूर्व में मुनाकोट में एक स्थल को उपयुक्त पाया।

(ग) जैसे ही पिथौरागढ़ के लिए वायूदूत सेवा के विस्तार का निर्णय ले लिया जाता है, विमान पट्टी के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

जौल जिवीं मडकोट मुनस्यारी रोड के निर्माण हेतु सीमा सड़क के महानिदेशक को प्रदान की गई धनराशि

10544. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जौल जिवीं मडकोट मुनस्यारी मोटर सड़क के निर्माण हेतु सीमा सड़कों के महानिदेशक की कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस सड़क के निर्माण की प्रगति की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) यह मोटर सड़क कब तक पूरी हो जाएगी और यातायात के लिए खोल दी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 1981-82 तक उत्तर प्रदेश में जौल जिवी-मडकोट-मुनस्यारी सड़क के निर्माण के लिए (सर्वेक्षण सहित) 15·58 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इस सड़क के लिए 1982-83 के लिए 96·34 लाख रुपए का अतिम आवंटन किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258-ए के अन्तर्गत इस सड़क का जौल जिवी से बराम तक पहले सैक्टर का निर्माण करने के बारे में पत्र (इन्ट्रूस्टमेंट लैटर) केवल नवम्बर, 1981 में जारी किया था। उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता था।

(ग) वर्तमान योजना के अनुसार, इस ड़के मार्च, 1985 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, जिसके बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया उत्पादन

10545. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1981-82 में किए गए उत्पादन का कुल मूल्य कितना था और 1982-83 के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड की वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सशस्त्र सेनाओं द्वारा हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को, इसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार क्रयादेश दिए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस विसंगति को पूरे करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 1981-82 में उत्पादन की कुल लागत अन्तिम रूप से 249·96 करोड़ रुपए आंकी गई है। 1982-83 के लिए 275 करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) से (घ) जी नहीं। यद्यपि हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को आर्डर वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर दिए जाते हैं, फिर भी बेकार क्षमता की घटनाओं को कम से कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं।

तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान

10546. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवा की अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिकों और हिन्दुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड के तकनीशियनों और इंजीनियरों के लिए पर्याप्त समन्वय है ; और

(ख) क्या उनके मध्य तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान का कोई प्रावधान है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां। इनमें पर्याप्त समन्वय है।

(ख) जी हां। इसके लिए प्रावधान है।

हैदराबाद हवाई अड्डे का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में बढ़ाया जाना

10547. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे से खाड़ी के देशों को यात्रा करने वाले व्यक्तियों की बड़ी संख्या और दूसरे देशों को यहां से जाने वाले माल की बहुत बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हैदराबाद हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अत्याधुनिक जलपोतों के निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी

10548. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को समुद्र तटों की रक्षा के लिए अत्याधुनिक जलपोतों का निर्माण करने हेतु विदेशी तकनीकी जानकारी मिलने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सरकार ने तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया है और उनकी शर्तें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) तट रक्षक संगठन के सैन्य स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक विदेशी शिपयार्ड से कुछ तेज गश्ती नौकाओं को आयात करने और इसी शिपयार्ड से ऐसी नौकाओं का देश में ही निर्माण करने के लिए उनके डिजाइन और निर्माण की पूरी जानकारी प्राप्त करने का भी निर्णय किया गया है । अनेक देशों के शिपयार्डों ने, जिनमें ब्रिटेन, इटली, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, हौलैंड, फ्रांस, अमरीका, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर शामिल हैं, हमारी विनिर्दिष्टियों के अनुसार गश्ती नौकाओं की सप्लाई का प्रस्ताव किया है । तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद, जापान और दक्षिण कोरिया के दो-दो शिपयार्डों को इस सम्बन्ध में आगे बातचीत के लिए चुना गया है । कई बार बातचीत करने के बाद इनमें से दो शिपयार्डों को आगे बातचीत के लिए चुना गया है ।

कपास की फसल का सर्वेक्षण

10550. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास की फसल का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर की दोनों प्रकार की सुस्थापित सरकारी एजेन्सियां हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष लाखों रु० के वार्षिक खर्च पर प्रो० दांडेकर के आर्थिक और राजनीतिक संस्थान पुणें को कपास की फसल के सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्ति की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो निगमों के धन का इस प्रकार अपव्यय करने का क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य सरकारों के कृषि विभागों और केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ऐसे सरकारी अभिकरण हैं जो रुई सहित फसल आकलन का कार्य करते हैं ।

(ख) भारतीय रुई निगम ने रुई फसल के आकलन का कार्य अगस्त 1978 से इंडियन स्कूल आफ पोलिटिकल इकोनोमी, लोनावाला को सौंपा है । रुई वर्ष 1978-79 (सितम्बर-

अगस्त) से रुई की फसल के आकलन के कार्य के लिए निगम द्वारा इस संस्थान पर व्यय की गई राशि निम्नलिखित है :—

रुई वर्ष (सितम्बर-अगस्त)	व्यय रु० में
1978-79	42,160.19
1979-80	55,268.00
1980-81	74,739.42
1981-82	55,000.00

(ग) सरकारी अभिकरणों से रुई की फसल के आकलन सीजन समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार, रुई की फसल के एक शीघ्र वस्तु परख मूल्यांकन कराने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे रुई के आयात तथा निर्यात और अन्य नीति सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेने में सरकार को मदद मिल सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रुई की फसल के आकलन का कार्य इंडियन स्कूल आफ पोलिटिकल इकोनोमी, लोनावाला को सौंपा गया है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण से सेवा से हटाया जाना और समय से पूर्व सेवा निवृत्ति

10551. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का चेयरमैन बनने से अब तक वर्तमान पदाधिकारी द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है, समय से पूर्व निवृत्त कर दिया है और बर्खास्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके चेयरमैन बनने से पूर्व इस प्रकार की प्रत्येक श्रेणी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर वर्तमान पदधारी ने 23 अप्रैल, 1980 को कार्यभार सम्भाला। इस तारीख से पहले भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था—इस पद को वाणिज्य मन्त्रालय में सम्बन्धित सचिवों द्वारा साथ-साथ सम्भाला गया जब से वर्तमान अध्यक्ष द्वारा कार्यभार सम्भाला गया है तब से एक सहायक निदेशक, दो अन्वेषक, दो सुरक्षा लिपिक, एक अवर श्रेणी लिपिक और एक सुरक्षा गार्ड को निलम्बित किया गया है और उसके बाद प्रबन्ध के विरुद्ध प्रदर्शन करने, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने, मानहानिकारक नारे लगाने आदि जैसे घोर कदाचार के लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

की सेवा से हटा दिया गया है। यह कार्यवाही भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण कर्मचारी (आचरण, अनुशासन तथा अपील) नियम, 1977 के अनुसार की गई है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण सेवा विनियमन, 1977 के अनुसार की गई समीक्षा के आधार पर एक जनसम्पर्क अधिकारी और एक संयुक्त प्रबन्धक (प्रदर्शनी) को 55 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर समयपूर्व सेवा निवृत्त किया गया।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण कर्मचारी (आचरण, अनुशासन तथा अपील) नियम, 1977 के अनुसार तीन सुरक्षा गार्डों को भी उनके कदाचार आदि के लिए निलम्बित किया गया। बाद में दो सुरक्षा गार्डों को बहाल किया गया है। तीसरे के बारे में विभागीय पूछताछ अन्तिम अवस्था में है। वर्तमान अध्यक्ष के कार्यभार सम्भालने से पहले कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। जिनको बाद में बहाल कर दिया गया था।

सी०ओ०डी० आगरा में भूख हड़ताल

10552. **श्री दयाराम शाक्य : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि सी०ओ०डी० आगरा के मुख्य द्वार पर 5 अप्रैल, 1982 से श्रमिक भूख हड़ताल चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) उपवास केन्द्रीय आयुध डिपो कर्मचारी संघ (गैर मान्यता प्राप्त यूनियन) द्वारा आयोजित किया गया था। संघ ने कोई विशेष मांग नहीं की थी। फिर भी प्रस्तावित उपवास की सूचना देते समय संघ ने बताया था कि यह उपवास 8 अप्रैल, 1981 को डिपो में कोर डिवस समारोह के दौरान हुई घटना की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाने के लिए किया जायेगा।

जबलपुर में एम०ई०एस० श्रमिकों द्वारा भूख हड़ताल

19553. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम०ई०एस० श्रमिकों ने जबलपुर में एम०ई०एस० प्राधिकारियों के दरवाजे पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और श्रमिकों की मांगों को स्वीकार करने के लिए एम०ई०एस० प्राधिकारियों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तुत की गई मांगें इस प्रकार हैं :—

(I) गैरीसन इंजीनियर (परियोजना), वाहन कारखाना, जबलपुर के कार्यालय में काम कर रहे एक मजदूर को अवैध रूप से उत्पीड़ित किया जाना, और

(II) गैरीसन इंजीनियर (परियोजना) वाहन कारखाना, जबलपुर में सीमा सड़क अधीक्षक को अनधिकृत रूप से रखना।

किसी मजदूर को अवैध रूप से उत्पीड़ित नहीं किया गया था। गैरीसन इंजीनियर (परियोजना), वाहन कारखाना, जबलपुर के कार्यालय से एक मजदूर का स्थानान्तरण प्रशासनिक हित में किया गया था। अब उसके स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिए गए हैं।

यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांग में वर्णित अधीक्षक को इसलिए नहीं हटाया जा सका क्योंकि उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं था।

अमेठी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रदर्शनी पर किया गया व्यय

10554. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेठी, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 18 फरवरी तक कोई प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें उनके मन्त्रालय के स्टाल भी लगाए गए थे और यदि हां, तो कितने स्टाल लगाये गए और उनके मन्त्रालय को कितना खर्च उठाना पड़ा ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय के ये स्टाल देश के अन्य भागों में भी लगाये गये थे यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक पर कितना खर्च किया गया ; और

(ग) इन स्टालों को विभिन्नि स्थानों पर किस आधार पर लगाया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 फरवरी 1982 से 18 फरवरी 1982 तक अमेठी में आयोजित ग्रामीण विकास प्रदर्शनी में 23,500 रुपये के खर्च से सैन्य फार्म और रिमाउन्ट तथा पशु चिकित्सा की गतिविधिगों को दिखाने के लिए एक मंडप लगाया गया था।

(ख) और (ग) यह पहला अवसर है जब प्रदर्शनी में इस तरह के मंडप स्थापित किए गए थे। यह किसानों को अश्व प्रजनन तथा दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फार्म प्रबन्ध में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देने के विचार से किया गया था।

एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय कम्पनियों की उपेक्षा

10555. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई विकास बैंक ने अपने द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

देने में अन्य देशों की कम्पनियों को प्राथमिकता दी है और भारतीय कम्पनियों की उपेक्षा की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एशियाई विकास बैंक ने, कम मूल्य की बोलियों के बावजूद भारतीय परियोजना निर्यातकों के दावों को छोड़ दिया ; और

(ग) बहुपक्षीय एशियाई विकास बैंक से उचित व्यवहार प्राप्त करने हेतु सरकार क्या उपाय करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक के ऋणों के अन्तर्गत खरीदारी के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार परियोजना के लिए अपेक्षित वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की अन्ततोगत्वा जिम्मेदारी ऋणकर्ता की होती है। बैंक की अपनी ओर से जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि उसके ऋणों की राशियों का इस्तेमाल मितव्ययता एवं कुशलता का उचित ध्यान रखते हुए किया गया है। तदनुसार, बैंक अपने ऋणकर्ताओं से, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो, अथवा बैंक और ऋणकर्ताओं के बीच किसी अन्य अधिक उपयुक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में परस्पर सहमति न हो जाए, वस्तुएं और सेवाएं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, एक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में, बैंक अपने सभी सदस्य देशों को ऐसी उन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने का अवसर प्रदान करता है जिनका वित्तपोषण बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक ने कारगर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली के लिए निर्धारित प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत आदेश जारी किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पता लगे तस्करी के मामले

10556. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पता लगे तस्करी के मामलों का ब्यौरा क्या है उसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी और प्रत्येक हवाई अड्डों पर गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) हवाई अड्डों के माध्यम से की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

सबसे बड़े बीस उद्योगों पर कर की बकाया राशि

10557. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-3-1982 को उपलब्ध अन्तिम आँकड़ों के अनुसार देश के सबसे बड़े बीस उद्योगों पर कर की कुल कितनी राशि बकाया थी; तथा प्रत्येक औद्योगिक कर का विवरण सहित तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) उपरोक्त तारीख को देश में कर की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) क्या उपरोक्त (क) और (ख) की बकाया कर राशि उत्तरोतर बढ़ रही है ; यदि हां, तो गत पांच वर्षों का वर्षवार विवरण देते हुए तथ्यों का ब्यौरा दिया जाये ; और

(घ) करवसूली के लिए क्या कदम उठाये गये ; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई समय बद्ध कार्यक्रम है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : प्रश्न के भाग (क) से लेकर (ख) तक में मांगी गई सूचना, जहां तक इसका सम्बन्ध सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से है, एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

आयकर के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

(क) इस प्रश्न के प्रयोजनार्थ, 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के आधार पर 20 शीर्षस्थ औद्योगिक गृह ज्ञात हैं और उन्हें 1980 में, उनकी परिसम्पत्तियों की मात्रा के क्रम में रखा गया है । इन औद्योगिक गृहों के नियंत्रण में कुल कम्पनियों की संख्या 400 के लगभग होगी । इनमें से प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में आयकर की बकाया पड़ी मांगों के बारे में पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । ऐसी कम्पनियों के बारे में आँकड़े जिनमें से प्रत्येक की ओर 31-12-1981 को 10 लाख रुपये से अधिक आयकर की मांग बकाया थी, फिलहाल 31 दिसम्बर 1981 की स्थिति के अनुसार ही उपलब्ध हैं । उस तारीख को, औद्योगिक गृहों-वार बकाया करों और वसूली के लिए देय नहीं बनी मांगों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है । भाग (ग) में, 31-3-1978, 31-3-1979, 31-3-1980 तथा 31-3-1981 के सम्बन्ध में मांगी गई इसी प्रकार की औद्योगिक गृह-वार सूचना भी उसी विवरण-पत्र में दी गई है ।

(ख) सभी कर-निर्धारितियों के सम्बन्ध में, निगम कर सहित, आयकर की बकाया के नवीनतम आंकड़े 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं । उस तारीख की स्थिति के अनुसार बकाया कर तथा जारी की गई परन्तु उगाही योग्य नहीं बनी मांग अग्र प्रकार है :—

बकाया कर	635.5 करोड़ रुपये
जारी की गई परन्तु उगाही योग्य नहीं बनी मांग	477.35 करोड़ रुपये

उसी तारीख की स्थिति के अनुसार, 20 शीर्षस्थ औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित 10 लाख रुपये से अधिक की मांगों वाले मामलों के सम्बन्ध में करों की बकाया तथा वसूली के लिए देय नहीं बनी मांग क्रमशः 8.98 करोड़ रुपये तथा 29.31 करोड़ रुपये थीं।

(ग), (घ) तथा (ङ) : आयकर एक वार्षिक कर है। आयकर विभाग में करों की बकाया का प्रश्न एक ऐसा सिलसिला है जो बराबर बना रहता है। यद्यपि, वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बकाया पड़ी आयकर की मांग वर्ष के अन्त तक काफी हद तक वसूल हो जाती है। घट जाती है लेकिन यह बकाया फिर मुख्य रूप से इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वर्ष के दौरान नियमित कर-निर्धारण आदि पूरे होने पर जारी की गई कर की नयी मांग का कुछ हिस्सा वर्ष के अन्त तक वसूल नहीं होता और, इसलिए, वह वर्ष के अन्त में कर की नयी बकाया बन जाता है। बकाया मांग काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि किसी वर्ष के दौरान कितनी मांग जारी की गई और कितनी वसूल की गई। करों की कुल बकाया के सम्बन्ध में पिछले 5 वर्षों के लिए ऐसी सूचना नीचे दी गई है :—

(रकम करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान जारी की गई, निगम कर सहित, आयकर की मांग	पिछले वर्ष से वृद्धि	वृद्धि की प्रतिशतता	निम्नलिखित तारीखों की स्थिति	इस तारीख की कुल बकाया मांग	कालम 6 में शामिल ऐसी बनी मांग जो उगाही योग्य नहीं बनी।
1	2	3	4	5	6	7
1976-77	1431.95	175.07	13.93	31-3-77	873.56	303.72
1977-78	1587.79	155.84	10.88	31-3-78	989.87	356.34
1978-79	1785.05	197.26	12.42	31-3-79	910.64	355.74
1979-80	2054.43	269.38	15.09	31-3-80	1011.85	422.19
1980-81	2507.91	453.48	22.07	31-3-81	1112.89	477.35

ऊपर दिये गये आंकड़ों से यह देखा जाएगा कि जारी की गई मांग पिछले पांच वर्षों में हर वर्ष बढ़ती ही रही है और इसके परिणामतः वर्ष के अन्त में, बकाया मांग और उसमें शामिल वह माँग जो अभी उगाही योग्य नहीं बनी है में भी सामान्यतः बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त, बकाया पड़ी मांग का एक बड़ा भाग विवादग्रस्त होता है और अनिर्णीत अपीलों के निपटान के बाद ही उसे कारगर ढंग से वसूल/घटाया जा सकता है।

काफी मांग, अपीलों के अनिर्णीत रहने के दौरान दिए गए स्थान-आदेशों के कारण, वसूली नहीं किये जाने योग्य बनी रहती है। अपीलीय सहायक आयुक्तों और आयकर आयुक्तों (अपील) की संख्या में वृद्धि करके, उनसे अधिक बकाया करों वाली अपीलों की प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के लिए निवेदन करते हुए, और अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसे उपयुक्त मामलों में, जिनमें कर स्थापित किए गए हैं, अपीलों को उनकी बारी से पूर्व निपटान करने हेतु निवेदन करते हुए, गहन उपाय किये गए हैं। जहां कहीं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220(4) के अर्थों के अन्तर्गत कर बकाया हैं, वहां करों की शीघ्र वसूली के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा, कानून के अनुसार, उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, जो, बकाया कर किसी तारीख विशेष को बकाया होते हैं, उनमें केवल पूर्ववर्ती वर्ष अथवा उससे पूर्व के वर्षों में संगत तारीख की जो मांगें बकाया रह गई थीं, उनमें से वसूली नहीं गई बकाया मांगें ही शामिल नहीं होतीं बल्कि वे मांगें भी शामिल होती हैं, जो ऐसी तारीखों के बाद में जारी की गई होती हैं और जो रिपोर्ट भेजने की तारीख की स्थिति के अनुसार वसूल नहीं हो चुकी होती हैं। हालांकि साल दर साल और अधिक कर वसूली किये जाने की सम्भावना के कारण समय-समय पर कर की बकाया में कुछ वृद्धि का होना अवश्यम्भावी है, फिर भी बकाया मांगों की निरन्तर समीक्षा करने और उन्हें यथा सम्भव शीघ्र वसूल करने/कम करने के लिए कार्यवाही की गई है।

विवरण

20 शीर्षस्थ औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित मामलों के सम्बंध में 10 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया माँग को दर्शाने वाली सूचि

रैंक	समूह का नाम	निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार	कम्पनियों की संख्या	बकाया मांगें	
				बकाया कर	अपवर्तनीय
1	2	3	4	5	6
				(रकम लाख रुपयों में)	
1.	बिड़ला	31-3-1978	8	146.95	260.66

1	2	3	4	5	6
		31-3-1979	5	34.85	184.71
		31-3-1980	10	68.06	599.45
		31-3-1981	11	406.28	867.63
		31-12-1981	13	126.55	1454.59
2.	टाटा	31-3-1978	2	—	32.89
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	1	—	27.32
		31-3-1981	—	—	37.25
		31-12-1981	4	34.55	99.88
3.	मफ्तलाल	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	1	—	11.49
		31-3-1980	1	—	—
		31-3-1981	2	16.00	11.97
		31-12-1981	1	—	16.00
3.	जे० के०	31-3-1978	—	—	—
	सिंघानियां	31-3-1979	2	24.85	278.31
		31-3-1980	3	237.04	270.84
		31-3-1981	4	144.22	185.48
		31-12-1981	4	503.07	187.21
5-	थापर	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	—	—	—
		31-12-1981	1	—	16.37
6.	आइ०सी०आई०	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—

1	2	3	4	5	6
		31-3-1980	2	322.42	23.37
		31-3-1981	3	18.53	746.91
		31-12-1981	3	40.90	770.28
7.	साराभाई	31-3-1978	4	13.70	95.24
		31-3-1979	1	—	11.78
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	2	—	34.10
		31-12-1981	3	—	318.64
8.	ए०सी०सी०	31-3-1978	1	11.70	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	1	99.00	45.79
		31-12-1981	1	31.15	10.00
9.	बांगुर	31-3-1978	1	—	10.98
		31-3-1979	2	—	34.77
		31-3-1980	1	17.91	—
		31-3-1981	1	15.62	—
		31-12-1981	1	29.87	—
10.	श्री राम	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	2	2.06	35.98
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	2	—	189.13
		31-12-1981	1	41.92	17.22
11.	किर्लोस्कर	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	1	10.61	—
		31-3-1980	—	—	—

1	2	3	4	5	6
		31-3-1981	—	—	—
		31-12-1981	—	—	—
12.	हिन्दुस्तान लीवर	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	—	—	143.61
		31-12-1981	—	—	—
13.	लार्सन एण्ड टूब्रो	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	1	—	11.94
		31-12-1981	1	—	11.96
14.	सिंधिया	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	—	—	—
		31-12-1981	—	—	—
15.	आयल इण्डिया	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	1	—	21.44
		31-3-1981	2	129.92	48.54
		31-12-1981	3	178.05	32.69
16.	मोदी	31-3-1978	2	512.84	4.28
		31-3-1979	2	24.15	429.96
		31-3-1980	2	43.39	366.11
		31-3-1981	3	0.86	513.05

1	2	3	4	5	6
		31-12-1981	3	117.20	446.11
17.	टी०वी०एस०	31-3-1978	2	14.08	14.95
	अय्यंगर	31-3-1979	3	38.40	25.68
		31-3-1980	1	30.29	—
		31-3-1981	2	57.26	36.48
		31-12-1981	5	1.37	83.12
18.	महिंद्रा एण्ड	31-3-1978	1	—	22.02
	महिन्द्रा	31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	1	—	18.27
		31-3-1981	1	5.70	44.34
		31-12-1981	1	—	90.02
19.	चौगुले	31-3-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	1	13.72	—
		31-3-1981	1	4.27	14.70
		31-12-1981	2	29.66	68.30
20.	बजाज	313-1978	—	—	—
		31-3-1979	—	—	—
		31-3-1980	—	—	—
		31-3-1981	—	—	—
		31-12-1981	1	—	34.28
	कुल जोड़	31-3-1978	21	722.16	413.13
		31-3-1979	20	122.20	1025.40
		31-3-1980	23	732.83	1326.80
		31-3-1981	38	897.66	2930.92
		31-12-1981	48	1134.29	3656.67

लेह के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

10558. श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री निहाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 7 फरवरी, 1982 को लेह जाने के रास्ते पर भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं और अन्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर०वेंकटरामन) (क) और (ख) : जी हां। एक जांच अदालत जांच कर रही है।

'80 फर्मों द्वारा 6 करोड़ रुपये के आयकर का घोटाला' शीर्षक समाचार

10559. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अप्रैल, 1982 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "80 फर्मों द्वारा 6 करोड़ रुपये के आय-कर का घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन 80 फर्मों का पूर्ण ब्यौरा क्या है और उन सभी बड़े व्यापारियों तथा सम्पत्ति-विक्रेताओं के विरुद्ध मामले दर्ज न करने के क्या कारण हैं तथा क्या पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आय-कर विभाग उन मामलों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) इस अवस्था में ब्यौरे प्रकट नहीं किये जा सकते, क्योंकि इस से जांच की प्रगति में बाधा पड़ सकती है।

काश्मीर में गुलमर्ग का विकास

10560. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि भारत सरकार ने काश्मीर में गुलमर्ग का "गोल्फ" और "स्कायर्स" के स्वर्ग के रूप में विकास करने के लिये विश्व के अनेक विशेषज्ञों की सलाह ली है, और फिर भी वहां "चेयरकार" चालू होने को छोड़ कर कुछ विशेष नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1976 में हुए एक सर्वेक्षण से यह बात पुष्ट हुई थी कि गुलमर्ग और खिलन मार्ग के बीच रज्जु मार्ग न केवल बनाया ही जा सकता है, बल्कि इससे साथ-साथ इससे "स्काई" और अन्य शरद् कालीन खेलों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे शरद् ऋतु में भी वहां भारी संख्या में पर्यटक आयेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो गुलमर्ग में शरद् कालीन खेलों के विकास के लिये इस समय सरकार के विचाराधीन कौन-कौन सी योजनायें हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार इस परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र से वित्तीय सहायता लेने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) गुलमर्ग में एक 500-मीटर चेयरलिफ्ट शुरू करने के अलावा, गुलमर्ग को एक हिमक्रीड़ा रिसॉर्ट के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं जुटाई गई हैं :—

1. सीखना शुरू करने वालों के लिए एक स्कीलिफ्ट की स्थापना

2- दो पोर्टेबल स्की लिफ्टों की स्थापना

3. एक "रोप टो" की स्थापना जो डिस्मैंटल की जा चुकी है।

4. स्की उपकरणों का आयात।

5. वाहनों के आवागमन की सुविधा के वास्ते सड़कों पर से वर्फ हटाने के लिए बर्फ साफ करने वाले उपकरणों का आयात (यह कार्य अब राज्य सरकार को हस्तांतरित हो गया है)।

6- 1969 में स्की इंसट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना (जिसे अब "हिमभारती" कहते हैं)। इस संस्थान ने 19 स्की इंसट्रक्टरों को प्रशिक्षित किया और अब यूथ होस्टल्स एसोसिएशन आफ इण्डिया के सहयोग से ट्रेकिंग कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा, "स्नो स्की" और "वाटर स्की" पाठ्यक्रम अर्पित करती है।

7. टनमर्ग और गुलमर्ग के बीच परिवहन की व्यवस्था करने के लिए छः "लैंड रोवर्स" का आयात (यह कार्य अब परिचालन के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित हो गया है)।

8. पर्यटकों को स्की उपकरण किराये पर देने के वास्ते "स्की हायर शॉप" की स्थापना।

9. टनमर्ग-गुलमर्ग रोड का निर्माण पूरा करना (इसके लिए केन्द्रीय सरकार के शेयर के रूप में राज्य सरकार को 35, 86, 500 रुपए की एक राशि रिलीज की गई थी।

10. गुलमर्ग की मास्टर-प्लान तैयार की गई और इसे कार्यान्वयन के लिए 1972 में जम्मू-व-कश्मीर की राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

11. 1979-80 से हिमाचल प्रदेश में नारकंडा में हिमस्की पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(ख) जी, हां।

(ग) गुलमर्ग में हिमक्रीड़ा के विकास के दूसरे चरण में ये शामिल हैं—एक "सैंट्रली हीटेड होटल" की स्थापना, गुलमर्ग के खिलनमर्ग तक एक "एरिअल रोपवे" खिलनमर्ग में एक

कैफेटेरिया, हिमभारती के वास्ते "बिल्डिंग काम्पलेक्स", प्रशासनिक कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर्स, स्कीइंग के लिए ढलानों को बढ़िया बनाने हेतु एक "स्नों वीटिंग मशीन" की व्यवस्था। उपर्युक्त स्कीमों का कार्यान्वयन धनराशियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। रोपवे परियोजना के वास्ते विदेशी मुद्रा की जरूरतों की पूर्ति हेतु और रोपवे की स्थापना में विदेशी विशेषज्ञता प्राप्त करने की दृष्टि से यू० एन० डी० पी० से सहायता के लिए अनुरोध किया जाएगा।

क्रिमिनल्स टेक अप टूरिस्ट रूट शीर्षक से समाचार

10561. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "क्रिमिनल्स टेक अप टूरिस्ट रूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सशस्त्र डाकू, बदमाश और अपराधी सड़क से नेपाल जाने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों से प्रायः झगड़ा और मारपीट करते हैं और उनका समान छीन लेते हैं ;

(ग) क्या तस्कर और डाकू एक दूसरे से मिल गये हैं और उन्होंने गत दो महीने के दौरान ऐसी अनेक डकैतियां डाली हैं ;

(घ) क्या पुलिस विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने में बिल्कुल असफल है ; तथा इससे देश की बदनामी हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सड़क द्वारा नेपाल जाने वाले वास्तविक विदेशी और पर्यटकों की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) : 5 अप्रैल, 1982 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित न्यूज आइटम में रिपोर्ट की गई घटनाओं के संबंध में कोई शिकायतें पर्यटन विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) कोई घटना जो देश की ओर अभिमुखी तथा उसके अन्तर्गत पर्यटन की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उस पर सरकार अत्यधिक सरोकार के साथ विचार करती है। पर्यटकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए पर्यटकों से शिकायतों के प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाई की जाती है।

रक्षा के लिए काम आने वाले उपकरणों का निर्माण करने हेतु लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

10562. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय लघु उद्योगों से अपनी आवश्यकता के विभिन्न उपकरणों को

खरीद द्वारा उन्हें रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा लघु उद्योगों से सामान्यतः किस-किस किस्म की वस्तुएं खरीदी जाती हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां ।

(ख) उन मदों के अलावा जिन्हें पूरी तरह से लघु उद्योग क्षेत्र की यूनिटों से खरीदने के लिए आरक्षित किया गया है; इस प्रकार की यूनिटों को अन्य आधुनिकतम मदों का निर्माण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है । लघु उद्योग क्षेत्र की इन यूनिटों से जो मदें खरीदी जाती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं जैसे फायर पम्प, विभिन्न क्षमताओं वाले ट्रेलर, बिजली तथा यांत्रिकी उपस्कर और फिल्टरिंग यूनिटें, फस्टिनर्स, इन्सूलेटर्स, विभिन्न क्षमताओं के चार्जिंग/जेनेरेटिंग सैट बैटरी चार्जर, टैस्ट इक्विपमेंट, केबिल्स, केबिल ड्रम्स, गोलाबारूद की मदें जैसे विभिन्न प्रकार के पैकेज जैसे स्टील, प्लास्टिक, लकड़ी, बनों के खोल, प्लास्टिक एण्टी पर्सोनल टैंकरोधी सुरंगें, नट बोल्ट और विनिर्दिष्ट ड्राइंगों के स्क्रू, प्लास्टिक की पानी की बोतल, एल्यूमीनियम के मग, बूट, रसायन और पेंट, रनवे स्वीपर और एयरक्राफ्ट्स इरिफ्यूलर्स इत्यादि ।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में माल को लोकप्रिय बनाया जाना

19563. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण विदेशों में अपने देश के माल को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या तरीका अब तक अपनाता रहा है ;

(ख) किस सीमा तक भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण विदेशों में व्यापार मेला और प्रदर्शनियां आयोजित करने में उत्तरदायी है ;

(ग) 1982-83 में कितने मेले विदेशों में आयोजित किये जा रहे हैं और किन-किन देशों में ; और

(घ) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के पास ऐसे मेले आयोजित करने तथा मामले में गुणात्मक सुधार करने के लिए पर्याप्त और अपेक्षित कार्मिक तथा धन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का कार्य भारत की आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी क्षमताओं की एकीकृत झांकी प्रस्तुत करने तथा विदेशों को हमारे निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, विदेशों में पूरी तरह से भारतीय प्रदर्शनियाँ आयोजित करना तथा वाणिज्यिक प्रचार करना है ।

(ग) **कए विवरण संलग्न है ।**

(घ) जी हां । इसके बढ़े हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक वृद्धि की जा रही है ।

विवरण

1982-83 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों के नाम।

क्षेत्र	प्रदर्शनी/मेले का नाम
1	2
अफ़्रीका	1. वार्षिक वाणिज्यिक तथा कृषि शो, लुकासा (जाम्बिया) अगस्त, 1982।
	2. बुलावई अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बुलावई (जिम्बाबवे), मई 1982।
	3. डकर अन्तर्राष्ट्रीय मेला, डकर (सेनेगल) नवम्बर-दिसम्बर, 82
	4. निम्नलिखित के लिए विशेषीकृत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला :
	1. इलैक्ट्रीकल तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग
	2. दूर संचार
	3. मिलिटरी टैक्नालोजी
	4. मोटरगाड़ियों के उपकरण बनाने वाले उद्योग
	5. परिवहन
	6. ऊर्जा तथा पैट्रो-रसायन उद्योग लागोस (नाइजीरिया) नवम्बर, 1982।
पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ़्रीका	5. दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दमिश्क (सीरिया) अगस्त-सितम्बर, 1982।
	6. अल्जीयर्स अन्तर्राष्ट्रीय मेला अल्जीयर्स (अल्जीरिया) सितम्बर, 1982।
	7. काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला, काहिरा मार्च, 1983।
दक्षिण पूर्व एशिया/ सुदेरपूर्व	8. सिअमेल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला. सिअमेल (कोरिया) सितम्बर-अक्तूबर, 1982।
	9. हाँगकांग अन्तर्राष्ट्रीय मेला, हांगकांग नवम्बर, 1982।
	10. आस्ट्रेलिया की अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी प्रदर्शनी, सिडनी (आस्ट्रेलिया) 13 से 18 सितम्बर, 1982।
	11. हार्ट्रेस एंड फडेक्स मेला टोकिया, जापान 16 से 20 मार्च, 1983

1	2
प० यूरोप	12. साइप्रस अन्तर्राष्ट्रीय मेला, निकोसिया (साइप्रस) मई, 1982
	13. बार्सीलोना अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बार्सीलोना (स्पेन) जून, 1982
	14. थैपलोनिकी अन्तर्राष्ट्रीय मेला, थैपलोनिकी (यूनान) सितम्बर, 82
	15. वियना अन्तर्राष्ट्रीय मेला, वियना (आस्ट्रिया) सितम्बर, 1982
	16. अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष फैशन सप्ताह, कोलोन (एफआरजी) 28 से 30 अगस्त, 1982 ।
	17. सेमानाइन अन्तर्राष्ट्रीय डूक्विर मेला पैरिस (फ्रांस) 5-8 सितम्बर, 1982 ।
	18. प्रेतिपार्टर पैरिस (फ्रांस) 26 से 30 मार्च, 1983 ।
	19. प्रति पोर्टर फैमिनिन प्रदशर्शनी, पैरिस 16 से 20 अक्तूबर, 1982
	20. बुखापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बुखापेस्ट (रोमानिया) अक्तूबर, 1982
	21. लीपजिक बसन्त मेला, लीपजिक (जी डी आर) मार्च, 1983
	22. बूडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता माल मेला बडापेस्ट (हंगरी)
	23. बुल्गारिया अन्तर्राष्ट्रीय मेला ।
	24. जगरेब अन्तर्राष्ट्रीय मेला, जगरेब (यूगोस्लाविया) सितम्बर 82
	25. ब्रोनो इंजीनियरी माल मेला, ब्रोनो (चैकोस्लोवाकिया) 9 से 16 सितम्बर, 1982 ।
	26. ब्रोगोटो हार्डवेयर शो, बोगाटो (कोलम्बिया) जुलाई, 1982
	27. शिकागो हार्डवेयर शो शिकागों (स० रा० अमरीका) 15 से 19 अगस्त 1982 ।

1982-83 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली पूरी तरह भारतीय प्रदर्शनियों के नाम

दक्षिणी पूर्व एशीया/ सुदूरपूर्व	1. भारतीय पदर्शनी कुआलालुम्पूर, 1982 ।
अमरीका	2. भारतीय प्रदर्शनी, कैराकस, हैनिजएला
प० युरोप	3. भारतीय व्यापार/औद्योगिक प्रदर्शनी, लन्दन (नवम्बर, 1982)
पश्चिम एशिया/ उत्तरी अफ्रिका	4. भारतीय प्रदर्शनी, कुवैत ।

बहरीन और साऊदी अरब के साथ व्यापार

10564. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहरीन और साऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार बहुत कम और धीमा है ;

(ख) इन दोनों बाजारों में भारत के अंश की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनसे कुल कितना आयात किया जाता है ; और

(ग) भारत और खाड़ी के इन दो देशों के बीच सुचार रूप से संचार की व्यवस्था करने के क्या उपाय करने के लिए विचार किया गया है, ताकि व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल नियमित रूप से एक दूसरे देश में जाएं तथा भारतीय पार्टियों को वहां संयुक्त उद्यमों और व्यापार में अधिक प्रभावशाली और संतोषजनक ढंग से भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिल सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1977-78 से सऊदी अरब तथा बहरीन के साथ भारत का व्यापार दर्शाने वाला **एक विवरण संग्लन है।**

(ख) 1980-81 में साऊदी अरब के लगभग 22400 करोड़ रु० के विश्व व्यापी आयातों में भारत से 171.37 करोड़ रु० के निर्यात हुए। इसी प्रकार कैलेन्डर वर्ष 1980 में बहरीन के लगभग 2800 करोड़ रु० के कुल आयातों में 1980-81 के दौरान भारत के निर्यात 21.39 करोड़ रु० के हुए।

(ग) भारत की निर्यात सम्भाव्यता का अधिक प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। विभिन्न देशों में व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के अधिक बारम्बार आदान प्रदान पर भी विचार किया जा रहा है। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत-अरब संयुक्त व्यापार परिषद की बैठकें भी नियमित रूप से होती रही हैं। खासकर, साऊदी अरब के साथ एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जा रहा है जो अन्य बातों के साथ -साथ समय-समय पर व्यापार की समीक्षा करेगा।

विवरण

(मूल्य करोड़ रु० में)

भारत से निर्यात	सऊदी अरब	बहरीन
1	2	3
1977-78	123.53	22.86
1978-79	133.12	21.29
1979-80	155.64	15.30

1	2	3
1980-81 (अनन्तिम)	171.37	21.39
1981-82 (अनन्तिम) (अप्रैल सितम्बर)	87.80	9.12
भारत में आयात		
1977-78	247.80	26.15
1978-79	196.96	22.6
1979-80	363.12	47.67
1980-81 (अनन्तिम)	434.36	40.60
1981.82 (अनन्तिम) (अप्रैल, सितम्बर)	278.41	55.23

ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

10565. **श्री सुभाष यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिमरिक के अर्ल की अध्यक्षता में ब्रिटेन के वरिष्ठ व्यापारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अप्रैल, 1982 के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत यात्रा पर आया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या निर्णय लिए गए हैं ; और

(घ) ये निर्णय देश के लिए कहां तक लाभकारी होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) : ब्रिटिश ओवरसीज ट्रेड बोर्ड के चेयरमैन अर्ल आफ लिमरिक के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल अप्रैल, 1982 के प्रथम सप्ताह में भारत के अपने दौरे के दौरान बम्बई में 4 से 6 अप्रैल, 1982 तक "1980 दशक में भारत ब्रिटिश वित्तीय तथा वाणिज्यक संबंध" नामक गोष्ठि में भाग लिया। गोष्ठी में आम तौर पर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार लाने तथा विशेष तौर पर निर्यात वित्त के विकास, संयुक्त परियोजनाओं (भारत तथा विदेशों में) तीसरे देशों को निर्यात के लिए वित्तीय सेवाओं आदि की समस्याओं तथा सम्भावनाओं पर चर्चा हुई।

दौरे पर आय प्रतिनिधि मंडल भारत में अपने प्रतिपक्षियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बना सका जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा तथा मूल्य और साथ ही तीसरे देशों में निवेश के लिए संयुक्त प्रयासों के बढ़ने की संभावना हो सकती है।

अहमदाबाद में सोने की धोखाधड़ी का पता लगाया जाना

10566. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने हाल ही में अहमदाबाद में भारी मात्रा में सोना पकड़ कर सोने की एक बड़ी धोखाधड़ी का पता लगाया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां ।

(ख) अहमदाबाद के सीमाशुल्क अधिकरियों ने 15 फरवरी 1982 को अहमदाबाद में किसी आवासीय परिसर से कुल लगभग 1.4 करोड़ रुपयें के मूल्य का विदेशी मार्के का 7000 तोला सोना पकड़ा था ।

उक्त मामले में अन्तर्ग्रस्त पाये गए छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से बाद में एक को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के तहत नजरबंद भी किया गया था ।

जांच-कार्य चल रहा है ।

प्रिंटस फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

10567. **श्री हरिहर सोरन** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रिंटर्स फैडरेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रिंटर्स फैडरेशन ने अपने ज्ञापन में क्या मांगें प्रस्तुत की हैं ; और

(ग) सरकार ने उनकी मागों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रिंटर्स फैडरेशन ने प्रिंटेड कार्टनों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क हटाये जाने के लिए अनुरोध किया था ।

(ग) सरकार ने 24-4-1982 से प्रिंटेड मिल बोर्ड वक्सों, स्ट्रा बोर्ड वक्सों और नालीदार बोर्ड के वक्सों और नालीदार बोर्ड कार्टनों पर उत्पादन शुल्क की अदायगी से पूर्ण छूट दे दी है ।

पाकुर के पत्थर व्यापारियों के कारण सरकार को हुई हानि

10568. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पाकुर के पत्थर व्यापारियों द्वारा, जो सरकार और गैर-सररकारी एजेंसियों को पत्थर सामग्री बेचते हैं, पत्थर सामग्री बेचे जाने की प्रक्रिया में केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष आय कर के रूप में लाखों रुपये से वंचिक होना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : पाकुर के पत्थर-व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन किए जाने का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। तथापि, हाल ही में, आयकर विभाग ने ऐसे व्यक्तियों के नाम अपने रजिस्टर में लाने के लिए, जिन के पास कर लगने योग्य आय-धन है, सर्वेक्षण कार्य तेज कर दिया है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत ये पत्थर व्यापारी भी आयंगे।

कालीन बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम

10569. **श्री पी० नामग्याल** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य सहित विभिन्न राज्यों में वर्ष 1982 में कालीन बुनाई प्रिशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र हैं और गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक केन्द्र में कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ; और

(ग) इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को संगति करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए अनुवर्ती कार्यक्रम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कालीन बुनाई प्रशिक्षिण कार्यक्रम जून, 1965 में आरम्भ किया गया था जबकि कालीन बुनाई में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम 1975-76 में आरम्भ किया गया था। आरम्भ में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र उत्तर प्रदेश तथा जम्मू एवं काश्मीर राज्य में खोले गये थे।

(ख) राज्यवार आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

राज्य का नाम	कालीनबुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1. उत्तर प्रदेश	212
2. बिहार	56
3. राजस्थान	14
4. पंजाब	3
5. हिमाचल प्रदेश	3
6. हरियाणा	7
7, जम्मू तथा काश्मीर	149
8. आन्ध्रप्रदेश	14
9. कर्नाटक	5
योग	463

प्रत्येक केन्द्र में 50 प्रशिक्षणार्थियों को जम्मू एवं काश्मीर राज्य के अलावा, जहां प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि डेढ वर्ष निर्धारित की गई है, एक वर्ष की अवधि के लिए हाथ से गांठ लगे कालीनों की बुनाई में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय में रख लिया जाता है। सरकार के पास इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए कोई रोजगार कार्यक्रम नहीं है।

काली मिर्च का आयात

10570. **श्री एच० रामन्ना राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान काली मिर्च के आयात के लिए लाइसेंस जारी किये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : 1980-81 के दौरान काली मिर्चके आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। 1981-82 में ओलियो-रेजिन के निर्यात के लिए काली मिर्च, लाइट बेरीज निस्सारण ग्रेड के आयात के लिए दो अग्रिम लाइसेंस जारी किये गये।

सोवियत संघ को सूती वस्त्रों की सप्लाई

10571. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टेक्सटाइल मिल आफ इंडिया में हड़ताल के कारण भारत सोवियत संघ को करार के अनुसार सूती वस्त्रों की सप्लाई नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और सोवियत संघ की वस्त्र खरीदने वाली एजेंसियों ने हाल में सूती वस्त्र निर्यात परिषद के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या का कार्टन टैक्सटाइल करार को पूरा नहीं कर सका है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सोवियत संघ के टेक्सटाइल के उच्चस्तरीय दल ने भारत का दौरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या कोई करार हुआ है ; और

(च) क्या करार लागू रहेगा और भारत ने करार के अनुसार वस्त्रों की सप्लाई का आश्वासन भी दिया है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (च) 1982 के लिए व्यापार योजना उपबन्धों के अन्तर्गत संविदा किये गये सूती वस्त्रों के पोतलदान हेतु कार्यक्रम के बारे में निर्यातकों के साथ विचार विमर्श करने के लिए एक सोवियत दल हाल ही में भारत आया

था । इस दल ने सरकारी अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया । चूंकि उनके विद्यमान आर्डर अधिकांशत: बम्बई क्षेत्र की सूती मिलों से सम्बन्धित हैं अत: वे संविदा की गई मात्राओं की समय पर सुपुर्दगी के बारे में पुन: आश्वासित होना चाहते थे ।

सोवियत प्रतिनिधि मण्डल को चालू वर्ष की व्यापार योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत बम्बई क्षेत्र से बाहर की मिलों से 1982 के दौरान सप्लाई हेतु अतिरिक्त आपूर्तियां भी आफर की गई थीं । ये आफर उनके पास है । संविदा की गई 105 मिलियन मीटर की मात्रा में से अभी तक लगभग 25 मिलियन मीटर सप्लाई की जा चुकी है । यदि सोवियत अभिकरणों द्वारा बंबई से बाहर के मिलों पर तत्काल अतिरिक्त आर्डर दिये जाते हैं तब संविदा की गई अधिकांश मात्राएँ और उनसे प्राप्त होने वाले अतिरिक्त आर्डरों को कैलेंडर वर्ष के अन्त से पहले सप्लाई करना सम्भव होगा ।

अत्याधुनिक प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण करने के लिए अमेठी में एक कारखाने की स्थापना

10572. **श्री चित्त बसु** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्याधुनिक प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण करने के लिए अमेठी में एक कारखाने की स्थापना करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा और वैमानकीय विशेषज्ञों ने अन्य स्थानों का सुझाव दिया था;

(ग) क्या स्थान सम्बन्धी अध्ययन का समुचित मूल्यांकन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो स्थान के अध्ययन का तुलनात्मक मूल्यांकन क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) उन्नत किस्म के हवाई उपकरणों का निर्माण करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है । मामला अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है ।

"शहीदों के बच्चे भूखे और नंगे" शीर्षक से समाचार

10573. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16-31 मार्च 1982 की पाक्षिक पत्रिका "संकल्प" खंड 9 में "शहीदों के बच्चे भूखे और नंगे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वर्गीय हवलदार हमीद खान, जो वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शौर्य के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, के परिवार के सदस्य अभाव की जिन्दगी बसर कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बहादुर सैनिक का मकान भी बुरी हालत में है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस अन्याय को समाप्त करने तथा शहीदों के परिवार के साथ न्याय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । स्वर्गीय हवलदार हमीद खान के परिवार की वित्तीय स्थितिय सामान्यतया अच्छी है । उनके पुत्रों में से तीन पुत्र भली प्रकार व्यवस्थित हो गए हैं । उनका चौथा और सबसे छोटा पुत्र नवीं कक्षा में पढ़ रहा है । जिस स्कूल में वह पढ़ रहा है, वहाँ उससे कोई फीस नहीं ली जाती है । स्वर्गीय हमीद खान के परिवार को केन्द्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की सहायता दी गई है । हवलदार हमीद खान की पत्नी को पेंशन मिल रही है । उन्हें जमीन भी आवंटित की गई है और राज्य सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए 8000 रुपए का अनुदान भी दिया गया है ।

उनके पिता और भाई जो संयुक्त रूप में रहते हैं, किन्तु स्वर्गीय हवलदार हमीद खान की पत्नी और पुत्रों से अलग हैं, वे भी अच्छी तरह व्यवस्थित हैं ।

(ग) जी नहीं । स्वर्गीय हवलदार हमीद खान का पैतृक मकान उनके छोटे भाई मोहम्मद झुनान के पास है जो अपने पिता के साथ इस मकान में रहते हैं । स्वर्गीय हवलदार हमीद खान की पत्नी श्रीमती रसूलन बीवी ने गाजीपुर में तीन कमरों का एक पक्का मकान बनवाया है जिसे सरकारी विभाग को किराए पर दिया गया है । उन्होंने पांच कमरों वाला पक्का मकान अपने गाँव में भी बनवाया है जिसमें वह अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ रहती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली (उत्तर प्रदेश) में नागर विमानन सुविधाएं

10574. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बरेली (उत्तर प्रदेश) में, जो कि एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र तथा रुहेलखण्ड डिवीजन की राजधानी है तथा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाने वाली महत्त्वपूर्ण सड़कों से जुड़ा है, नागर विमानन सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) बरेली के लिए/से विमान सेवाएँ परिचालित करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स/वायुदूत/किसी अन्य गैर-अनुसूचित एयर लाइन परिचालक से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

आंध्र प्रदेश इस्पात निगम लघु इस्पात संयंत्र के स्क्रेप से रक्षा गोलों का मिलना

10575. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 1982 के "फाइनेंसियल एक्स-प्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार प्रशासन ने स्क्रैप में तीन इंच से तीन फुट की लम्बाई के रक्षा गोलों के विस्फोट होने और इनके मिलने के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश इस्पात निगम लघु इस्पात संयंत्र को जबरदस्ती बन्द कर दिया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) 25-2-1982 को आंध्र प्रदेश स्टील कारपोरेशन, विशाखापत्तनम के परिसर में स्टील की कतरनों को गैस से काटते समय गोला-बारूद फटने से एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से चार कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। जिलाधीश ने मिनी स्टील प्लांट और उसके आस पास के क्षेत्रों में जाने वाले कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों पर तब तक के लिए निषेधादेश लगा दिए हैं जब तक वहाँ से विस्फोटक सामग्री को नहीं हटा दिया जाता है ।

आयुध कारखाना, इटारसी को घटिया किस्म की रि-रोल्ड सामग्री की सप्लाई

10576. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

श्री बृद्धि चन्द्र जैन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाना, इटारसी ने हाल ही में इस्पात पिंडों के रि-रोलिंग का कार्य गाजियाबाद रोलिंग मिल को आवंटित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि रि-रोलिंग के लिए भेजा गया इस्पात वास्तव में बाजार में बेच दिया गया था और घटिया किस्म का इस्पात रि-रोल्ड किया गया और कारखाने को सप्लाई किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गाजियाबाद की मैसर्स जैन रि-रोलिंग मिल द्वारा आयुध कारखाना, इटारसी को सप्लाई की गई रि-रोल्ड सामग्री निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण किए बिना ही उपयोग में लाई गई थी ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि रि-रोल्ड सामग्री के उपयोग के परिणामस्वरूप कारखाने के विभिन्न निर्माण कार्य ढह गये हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हाँ। लट्ठों की अपेक्षित नाम की सलाखें और छड़े बनाने का कार्य अगस्त-सितम्बर 1981 में इस रोलिंग मिल को सौंपा गया था।

(ख) से (ड.) ओवरहैड टैंकों के गिर जाने के बारे में सभी बातों की जाँच करने के लिए एक जाँच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं। इस जाँच अदालत के निष्कर्ष प्राप्त हो जाने और उनका अध्ययन कर लेने तक इस घटना के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट मामले पर टिप्पणी करना सम्भव नहीं होगा।

अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन, शक्तियों और कृत्यों की समीक्षा

10577. **श्री जीड नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री एम० रामगोल रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अमरीका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन, शक्तियों और कृत्यों तथा विदेशी नीति के निर्धारण में इसकी भूमिका की समीक्षा की है;

(ख) क्या भारत में इसी प्रकार का संगठन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में कोई निर्णय कब तक लिए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन, शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) और (ग) भारत में इस प्रकार के संगठन को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1982-83 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक पर्यटन का समेकित विकास

10578. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार राज्यों के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1982-83 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक पर्यटन का समेकित विकास करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए क्या विशिष्ट योजनायें तैयार की गई हैं तथा "प्लान और नानप्लान" परिव्यय से कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी, हां।

(ख) यात्रा परिपथ संकल्पना, जिसमें केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए 61 यात्रा परिपथों के, जिनके अन्तर्गत 441 केन्द्र शामिल हैं, एकी-

कृत विकास की परिकल्पना की गई है, के आधार पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके पर्यटन की विकास की एक व्यापक स्कीम तैयार की गयी है। स्कीमों का वास्तविक कार्यान्वयन सन्तोषजनक व्यवहार्यता अध्ययनों, धनराशि की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। चालू स्कीमों के अलावा, पर्यटन विभाग लगभग 30 केन्द्रों में परियोजनाओं पर कार्रवाई प्रारम्भ कर रहा है। इनमें 3-4 वन गृह, 2-3 पर्यटक गाँव, 5-6 स्थानों पर यूथ और पर्यटक होस्टल, 5-6 केन्द्रों पर खेल-कूद पर्यटन, सांस्कृतिक महत्व के 8-10 स्थान शामिल होंगे। केन्द्रीय पर्यटन विभाग के 1982-83 के बजट में इन विकासपरक स्कीमों के लिए 145 लाख रु० की राशि आवंटित की गई है।

आई० टी० डी० सी० की 12-14 स्थानों पर होटलों और यात्री गृहों के नव-निर्माण और विस्तार तथा 7-8 केन्द्रों पर राज्य सरकारों/पर्यटन विकास निगमों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से होटल के निर्माण का कार्य शुरू करने की भी, योजनाएं हैं। इन स्कीमों के लिए आई० टी० डी० सी० के 1982-83 के बजट में 380 लाख रु० की राशि आवंटित की गई है।

(ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से विचार-विमर्श के आधार पर पर्यटक आधारिक संरचना के विकास के लिए यात्रा परिपथ संकल्पना को अपनाया गया है; राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इस संकल्पना से पूरे तौर पर सहमत हैं।

राज्य व्यापार निगम की निर्यात बढ़ाने की योजना

10579. **श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने पहले किये गये निर्यात का 25 प्रतिशत और बढ़ाने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार निर्यात जिसमें पिछले वर्ष बहुत कमी आई है, को बढ़ाने का प्रयास करने का भी विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या आयात और निर्यात की नई नीति से इस कार्य में सहायता मिलेगी; और

(घ) सरकार को कितना निर्यात बढ़ने का विश्वास है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 1982-83 के लिए 604 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि 1981-82 के दौरान 503 करोड़ रु० के अनन्तिम निर्यात निर्धारित किये गये थे (20% की वृद्धि)।

(ख) कोई विशिष्ट प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ग) तथा (घ) सरकार को विश्वास है कि वर्ष 1982-83 में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात बढ़ाए जाएंगे।

पूर्वी नौसेना कमान के अधीन कार्य कर रहे अनुसूचित/जातियों अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ कथित अत्याचारों के बारे में शिड्यूल कास्ट अपलिफ्ट यूनियन विशाखापत्तनम द्वारा अभ्यावेदन

10580. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी नौसेना कमान के अधीन कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के खिलाफ उन्हें परेशान किये जाने, ए० सी० आर० खराब करने, आरक्षित रिक्त पदों का आरक्षण समाप्त करने, अस्पृश्यता बरतने सहित कथित अत्याचारों के बारे में शिड्यूल कास्ट अपलिफ्ट यूनियन द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न अभ्यावेदनों का पता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन में निहित मुख्य बातें क्या हैं और उन पर मद-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय, विशाखापत्तनम के अन्तर्गत कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों पर अत्याचारों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का अवलोकन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सी० टी० एस०, नौसेना स्टोर्स डिपो, विशाखापत्तनम में काम कर रहे अनुसूचित जातियों के असैनिक कर्मचारियों पर कथित अत्याचार के बारे में अभ्यावेदन

10581. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पता है कि सी० डी० एस० नौसेना स्टोर्स डिपो, विशाखापत्तनम में काम कर रहे अनुसूचित जाति के सिविल कर्मचारियों पर अत्याचार, दुर्व्यवहार तथा एन० एस० दी०, विशाखापत्तनम के तकनीकी सेवा नियंत्रक के कार्यालय के कुछ अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के अनुसूचित स्थानान्तरण के बारे में एस० सी० टी०/वी० एस० पी०/एन० एस० टी०/0403 दिनांक 27 मार्च, 1982 का एक अभ्यावेदन भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ।

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत रोमानिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार में वृद्धि

10582. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार में वृद्धि के लिये नई दिल्ली में दोनों देशों के व्यापार शिष्ट मंडलों के बीच बातचीत हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत से रोमानिया को रूई का निर्यात और गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात करने पर चर्चा हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में असन्तुलन दूर करने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) जी हां।

(ख) जी हां। रूमानिया ने भारत से रूई तथा साथ ही अनेक गैर-परम्परागत मदों का आयात करने में रुचि प्रकट की है। इस सम्बन्ध में मशीन टूल्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, इलैक्ट्रौनिकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स इक्विपमेंट, वल्क ड्रग्स, आदि के निर्यात की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया गया।

(ग) भारत और रूमानिया के बीच विद्यमान व्यापार असन्तुलन को दूर करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। 1982 में 65 करोड़ रु० मूल्य से अधिक के माल के निर्यात के लिए एक विशेष संलेखा सम्पन्न किया गया। भारत ने 1981 में बुखारेस्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया और 1982 में भी भाग लेने का विचार है। भारत से अनेक व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रयोजित किये गये और हाल ही में हुए विचार विमर्शों के दौरान यह सहमति हुई कि विशेषतया पता लगाई गयी मदों के निर्यातों के संवर्धन के लिए सम्बन्धित व्यापारिक संगठनों के बीच संविदाओं को बढ़ावा दिया जाये।

अन्य देशों की परियोजनाओं में भारत-अमरीका सहयोग

10583. **श्री वीबी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका के प्रतिनिधियों ने निर्माण और इंजीनियरी के क्षेत्र में अन्य देशों की परियोजनाओं में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यूरोपीय उद्यमियों से सम्बद्ध पेरिस में आयोजित एक-सम्मेलन की तरह का ही एक सम्मेलन इस वर्ष के मध्य तक अमरीका में होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) किन-किन देशों की कौन-कौन सी परियोजनाओं में भारत और अमरीका सहयोग करने के लिए सहमत हो गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) फरवरी, 1982 में नई दिल्ली में हुई भारत अमरीका संयुक्त व्यवसाय परिषद की 7वीं बैठक के दौरान भारत व अमरीका फर्मों के बीच निर्माण व इंजीनियरी के क्षेत्र में तीसरे देश में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने का विनिश्चय किया गया ।

(ख) संयुक्त व्यवसाय परिषद ने सिफारिश की है कि तीसरे देशों में परियोजनाएं आरंभ करने के लिए एक दूसरे की क्षमताओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने और सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के वास्ते भारतीय तथा अमरीकी कम्पनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण केन्द्रों पर संयुक्त बैठकें बुलाई जानी चाहिए ।

(ग) ऐसी बैठकें आयोजित करने के सम्बन्ध में भारत-अमरीकी संयुक्त व्यवसाय परिषद का भारतीय अनुभाग अमरीकी अनुभाग के अपने प्रतिपक्षियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है ।

(घ) संयुक्त व्यवसाय परिषद ने ऐसे विशिष्ठ देशों का पता तो नहीं लगाया जिनमें दोनों देश सहयोग कर सकते हों, किन्तु सामान्यतः इस पर सहमति प्रकट की गई कि भारतीय व अमरीकी फर्में मध्य-पूर्व तथा अन्य तीसरे देशों में संयुक्त सहयोग पर विचार कर सकती हैं ।

भारत फिनलैण्ड सहयोग

10584. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फिनलैण्ड संयुक्त आयोग ने उन परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया है और पहचान की है जिनके लिए फिनलैण्ड से तकनीकी सहयोग प्राप्त होगा ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों का पता किया गया है और किस प्रकार की परियोजनाएं शुरू की जानी है;

(ग) क्या फिनलैण्ड ने मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूजप्रिंट फैक्ट्री के विस्तार के लिए तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारत-फिनलैण्ड संयुक्त आयोग की गत बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई कि खनन तथा धातुकर्म, वन उद्योग, ऊसर भूमि में वनरोपण, चमड़ा प्रौद्योगिकी, कागज तथा लुगदी उद्योग और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत तथा फिनलैण्ड के बीच वर्धित सहयोग की संभाव्यताएं हैं।

(ग) तथा (घ) फिनलैण्ड की एक परामर्शदात्री फर्म मैसर्स जाका पोइरी ने लगभग 2 वर्ष पहले नेपा मिल्स, की आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया था। तथापि, नेपा मिल्स के विस्तार के लिए तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं रहा है।

चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने के बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त ऋण दिया जाना

10585. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों को गन्ने की बकाया धनराशि जो 15 फरवरी, को 142 करोड़ रुपये थी, का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के लिए प्रत्येक चीनी मिल के मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता के लिए चीनी उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तात्कालिक उपाय के तौर पर चीनी का मौसम शुरू होने के समय ही बैंकों को यह अनुमति दे दी थी कि वे रिजर्व बैंक की पूर्व प्राधिकृति लिए बिना चीनी मिलों की कार्यकारी पूंजी को, पिछले मौसम में उपयोग किये गये अधिकतम ऋण के 100 प्रतिशत स्तर तक की अनुमति दे दें और अलग-अलग मिलों के सम्बन्ध में उच्चतर ऋण सीमाओं के लिए उपयुक्त समय पर उससे सम्पर्क करें। इस मौसम के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तदर्थ उपाय के तौर पर, जिन बैंकों के पास अत्यधिक संख्या में विचाराधीन आवेदन पत्र पड़े हुए थे, आवेदक मिलों की ऋण सीमाओं को, उनके द्वारा पिछले वर्ष में की गई सबसे अधिक निकासियों के 125 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी ताकि यह सुनिश्चिय किया जा सके कि प्रस्तावों की जांच पड़ताल होने तक चीनी उत्पादन में कोई रुकावट न आये। चीनी मिलों की अतिरिक्त ऋण-सीमाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने के लिए ऋण प्राधिकरण योजना तन्त्र के कार्य की रफ्तार तेज कर दी गई है। इसने उन बैंकों को, जिन्हें नकदी निधि सम्बन्धी कठिनाई का अनुभव हो रहा था, विवेकाधीन वित्त प्रदान किया है ताकि वे चीनी उद्योग समेत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की उत्पादन सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सरकार और रिजर्व बैंक ने सदैव चीनी मिलों द्वारा गन्ने के सम्बन्ध में देय रकमों के शीघ्र भुगतान का सुनिश्चय करने के प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया रकमों की अदायगियों की बेबाकी पर नजर रखें और यह सुनिश्चय करें कि वे न केवल उत्पादकों को अदायगी करने के लिए मिलों को ऋण दें बल्कि ऐसा प्रबंध करें जिसके द्वारा यह सुनिश्चय किया जा सके कि गन्ना उत्पादकों को समुचित रकमें प्राप्त हों।

इलैक्ट्रोनिक एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन

10586. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के शान्ताक्रुज इलैक्ट्रोनिक एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन में कुछ एकक विगत सात वर्ष की अवधि में रुग्ण हो गये हैं ;

(ख) क्या उनके आयात में सामान्य रूप से वृद्धि होने के बावजूद भी वे रुग्ण पड़ गये हैं; और

(ग) उन रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सीप्ल के चालू होने के के बाद जबसे उनका निर्यात कार्य बन्द हो गया अथवा काफी कम हो गया तब से उसमें 11 एककों का निष्क्रिय होने का पता लगाया गया है।

(ख) निष्क्रिय एककों की स्थिति उनके अनुमान की तुलना में निर्यातों की मात्रा पर आधारित है और जिन एककों के निर्यात में वृद्धि दिखाई है, उन्हें सामान्यतया निष्क्रिय एककों की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

(ग) जोन प्रशासन ने ऐसे एककों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए उनके साथ बारंबार विचार-विमर्श किये हैं। विदेशों से प्राप्त व्यापार पूछताछें और बाजार जानकारी इन एककों को दी गई है। इन एककों के लिए सम्भव सीमा तक आर्डर प्राप्त करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण और इलैक्ट्रोनिक्स व्यापार तथा तकनीकी विकास निगम की मार्फत भी प्रयास किये गये हैं। विविधीकरण की अनुमति मुक्त रूप से दी गई है ताकि ये एकक नई मदों का उत्पादन आरम्भ कर सकें।

समाचार पत्र उद्योग में इलैक्ट्रिक कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी आरम्भ करना

10587. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल कनफेडेरेशन आफ न्यूजपेपर्स और न्यूज एजेन्सीज एम्पलाईज आर्गनाइजेशन से समाचार पत्र उद्योग में इलैक्ट्रिक कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी आरम्भ करने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या कनफेडरेशन का विचार सरकार के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का है ताकि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में इस समस्या का समाधान किया जा सके और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के उद्योग पर बड़े पैमाने पर छटनी के परिणामस्वरूप परिणामी प्रभाव पर विचार किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओ० ई० आई० के अन्तर्गत इस मशीनरी का आयात बन्द करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) इस संगठन ने सुझाव दिया था कि फोटो-कम्पोजिंग मशीनों के आयात पर रोक लगा दी जाये।

(ख) इस परिसंघ ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के वास्ते एक त्रिपक्षीय बैठक

करने के लिए श्रम मन्त्रालय को सुझाव दिया था। तथापि, सरकार का ऐसी किसी त्रिपक्षीय बैठक का विचार नहीं है।

(ग) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, ऐसे पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि युक्ति-युक्तिकरण, मानकीकरण अथवा संयंत्र अथवा तकनीक का सुधार करके नियोजक कामगारों की सेवा शर्तों में मनमाने ढंग से परिवर्तन न कर सकें जिससे कामगारों की छंटनी होने की सम्भावना है।

(घ) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

"एशियाड" 1982 के दौरान राजधानी में आवासीय समस्याएं

10587-क **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "एशियाड" 1982 के दौरान दिल्ली को भारी संख्या में लोगों की रिहायश के लिए आवासीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) सरकार की "एशियाड" 1982 के दौरान लोगों को आवास देने के लिए क्या योजना और कार्यक्रम हैं ; और

(ग) आवास की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) "एशियाड" 1982 के दौरान दिल्ली में भारी संख्या में आने वाले प्रत्याशित यात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था करने के वास्ते निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में दिल्ली में मौजूदा 36 होटलों, जिनमें 3941 कमरे हैं, के अलावा एशियाड 1982 के लिए 11 नये होटलों, जिनमें 2196 अतिरिक्त कमरे होंगे, के तैयार हो जाने की आशा है।

(2) इसके अलावा, अशोक यात्री निवास में स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के बजट पर्यटकों के लिए 527 कमरे (1200 बैड) उपलब्ध हो जाएँगे।

(3) अत्यधिक पर्यटकों के आगमन के कारण, जिन्हें मौजूदा और स्थापित किये जा रहे नये होटलों में नहीं ठहराया जा सकेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली पर्यटन विकास निगम "पेइंग गेस्ट" आवास अभिनिर्धारित कर रहा है और टैंटों वाले आवास-युक्त शिविर-स्थलों की भी स्थापना करेगा।

"इलेक्ट्रानिक इक्वीपमेंट एंड कम्पोनेन्ट वेल एचीव्स मेजर ब्रेकथ्रू" शीर्षक से समाचार

10587.-ख. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1981 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "इलेक्ट्रोनिक

इक्विपमेन्ट एण्ड कम्पोनेन्टस वेल एचीव्स मेजर ब्रेकथ्रू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या चुनावों में कोई धांधली न होने देने के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड ने एक इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का विकास किया है;

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड के अब सशस्त्र सेनाओं, पुलिस और अन्य ग्राहकों के लिए रेडियो संचार उपकरण और प्रणाली के डिजाइन और विकास में अत्यन्त ऊंचे स्तर की आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(घ) क्या सेना की योजना "एरेन" और वायु सेना की योजना "एडैज" हेतु महत्वपूर्ण उपकरणों की संख्या में दीर्घकालिक क्षेत्र परिक्षणों के सफलतापूर्वक पूरे किए जाने पर सघन तकनीकी मूल्यांकन करने के बाद अबाध उत्पादन हेतु स्वीकृत कर ली गई है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, की मौजूदा उपलब्धियों और विकास हेतु इसकी भावी योजनाओं का एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) जी हां।

(ङ) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बारे में सूचना प्रतिवर्ष सदन में रखी जाने वाली कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में दी जाती है। कम्पनी की 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर 23.12.1981 को रखी गई थी और मंत्रालय की 1981-82 की रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में 22.3.82 को रखी गई थी। अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास टाइम थोड़ा है सिर्फ साढ़े तीन घंटे हैं। मैं चाहता हूं कि हिसाब से जिसका जितना टाइम बनता है, वह उपयोग करले वर्ना आपका ही टाइम जाया होगा मेरा टाइम जाया नहीं होगा अच्छा हो राम की ही बात करें।

श्री राम विलास पासवान : (दागीपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं एक मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को भेज दिया है। मंत्री जी, आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैंने माननीय मित्र को सूचना देदी है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे विचार में वह रिपोर्ट मेरे लिए अपमन-जनक तथा अप्रतिष्ठा की प्रतीक थी।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने सोची थी।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं भी उनमें से एक हूं। कहा गया है कि मैंने किसी के पूछने पर किसी को कुछ दिन हुए बताया था कि चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया जाये। मेरे बारे में कहा गया था कि मैंने कहा है कि हम "ऐरे गैरे नत्थू खैरों" के लिए डाक

टिकटें जारी नहीं किया करते। मैं इसे अपने लिए बहुत अपमानजनक तथा प्रतिष्ठा हनन की बात समझता हूं। मैं भी उस वर्ग से सम्बन्धित हूं जिसे स्वाधीनता सेनानी कहा जाता है। मैं उनके नाम को बड़े सम्मान से याद करता हूं और बड़ी ही श्रद्धा से उनका यहां जिक्र करता हूं। हमने उन अन्य शहीदों के साथ ही चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में डाक टिकट जारी करना निश्चित कर रखा है जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया था और स्वाधीनता संघर्ष के लिए हर सम्भव प्रयास किया था। यह मेरा एक परमबद्ध कार्यक्रम है तथा इसी प्रकार क्रियान्वित होगा। मुझे खुशी है कि यह बात मेरी जानकारी में लाई गई। मैं इस कथन का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं मंत्री महोदय, यदि हम शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपने देश के वासी कहलाने योग्य ही नहीं रहेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन : फिर तो हम यहां बैठने योग्य भी नहीं हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन तथा समीक्षा

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्री एस० बी० चह्वाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए / देखिए संख्या एल० टी० 4067/82]

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1979-80 और 1980-81 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेट्रोलाजी, पूणे, के वर्ष 1979-80 तथा 1880-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे संस्करण

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 4068/82]

(5) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलाजी, पुणे, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलाजी, पूणे, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलाजी, पूणे, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलाजी, पूणे, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 4069/82]

(9) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमेगनेटिजम, बम्बई, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमेगनेटिजम, बम्बई, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमेगनेटिजम, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(12) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमेगनेटिजम, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रालाजी, पूणे और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमेगनेटिजम, बम्बई के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (1) से (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 4070/82]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटासुब्बय्या) : मैं श्री भीष्म नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विवरण संख्या 18—तीसरा सत्र, 1980

(दो) विवरण संख्या 11—चौथा सत्र, 1980

(तीन) विवरण संख्या 11—पांचवां सत्र, 1981

(चार) विवरण संख्या 5—छठा सत्र, 1981

(पांच) विवरण संख्या 3—सातवां सत्र, 1981

(छः) विवरण संख्या 2—आठवां सत्र, 1982

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 4071/82

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट तथा लेखे) नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 373 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिये संख्या एल० टी० 4072/82]

नारियल जटा बोर्ड का 1980-81 का प्रतिवेदन उसकी समीक्षा तथा नैशनल फैडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड का 1980-81 का प्रतिवेदन

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एरनाकुलम के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नारियल जाट बोर्ड, एरनाकुलम के वर्ष 1980-81 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिये संख्या एल० टी० 4073/82]

(2) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तटा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों की सभा पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिये संख्या एल० टी० 4074/82]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेडः नई दिल्ली के कार्य की समीक्षा तथा वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 4075/82]

साहित्य अकादमी के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा तथा संस्कृत और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० घुंगन) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 4076/82]

डाक-तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1979-80 के लाभ व हानि का लेखा

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) डाक-तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1979-80 के लाभ व हानि लेखे और तुलन पत्र (उपरोक्त आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिए संख्या एल० टी० 4077/82]

केला और फल विकास निगम लि०, मद्रास के कार्यकरण की समीक्षा तथा वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केला और फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) केला और फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4078/82]

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के कार्यकरण की समीक्षा तथा वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिए संख्या एल० टी० 4079/82]

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन 1980 भाग एक तथा दो

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) मैं संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग, 1980 का प्रतिवेदन—पहला भाग (खण्ड 1 और 2), दूसरा भाग (खण्ड 3 से 7 तक)।

(2) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 4080/82]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने स्पष्टीकरण इस सम्बन्ध में मांगा है···

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप पहले फैसला कर लें कि कौन बोलेगा ?

श्री राम विलास पासवान : तो आप बुलाइए जिसको बुलाना हो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आपको कहा है।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह रहा था कि मैंने इस पर नोटिस दिया है। जो 11 नम्बर का आइटम है उसके दूसरे भाग में मन्त्री महोदय ने कहा है—

"(2) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही स्पष्ट करने वाला वक्तव्य।" मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हम लोगों को जहां तक जानकारी है इसमें कोई ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट नहीं है जबकि उन्होंने कहा है कि हम ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट रख रहे हैं। बताइए की कौन सही है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही स्पष्ट करने वाले वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार ने प्रतिवेदन पर और उसमें की गई सिफारिशों पर गम्भीर रूप से विचार किया है। उनका यह अभिमत है कि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लेकर महत्त्वपूर्ण और जटिल मामले उठ खड़े हुए हैं जिनका समग्र देश पर व्यापक और गहन प्रभाव पड़ेगा। हिन्दू-समुदायों और गैर-हिन्दू समुदायों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन निश्चित करने के लिए जो मापदण्ड सुझाया गया है उस पर राज्यों से सलाह-मशविरा करके तथा ऐसे विचारों के प्रकाश में जोकि प्रचलित लोक मत द्वारा अभिव्यक्त किए गए हों, सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, आरक्षणों, रियायतों तथा सहायता के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर भी देश के विभिन्न भागों में विद्यमान स्थिति की पृष्ठभूमि के अनुरूप विचार किए जाने की आवश्यकता है जिसमें नियोजित विकास के लिए अपनाए गए उपकरणों और लक्ष्यों तथा अन्य सम्बद्ध कारणों पर भी विचार किया जाना चाहिए।"

हमने यह कार्यवाही की है। इसमें आगे निम्नलिखित बातें कही गई हैं :

"उपरोक्त बातों के प्रकाश में, केन्द्रीय सरकार ने इस प्रतिवेदन को विभिन्न राज्य सरकारों के पास उनका मत जानने के लिए भेजा है। उनके उत्तर मिलने पर केन्द्रीय सरकार प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों पर अपना अभिमत तैयार करने के विचार से पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर और आगे विचार करेगी।"

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन नहीं है। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि यह की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन है; क्या आप संतुष्ट हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन है ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही सरकार को करनी है मुझे नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे सरोकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : प्रतिवेदन को बहुत लम्बे समय तक रोके रखा गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो इसे प्राप्त करना और सभा पटल पर रखना है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने कहा है कि मैं ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ रख रहा हूं; लेकिन ऐक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं रखी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह ऐक्शन टेकन नहीं है, डिलेड ऐक्शन है।

श्री राम विलास पासवान : जब मैंने ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए पूछा, उससे आप भी कन्फर्म्ड हैं कि यह ऐक्शन टेकन नहीं है इसलिए यह ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ हाउस है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यह विशेषाधिकार का हनन नहीं···(व्यवधान) ··· इस सम्बन्ध में वह उद्धृत करना चाहूंगा जो कुछ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा है। उन्होंने इस सरकार की ईमानदारी को स्वीकार किया है। उन्होंने जो पत्र राष्ट्रपति को लिखा है, मैं उसके पैरा 5 को उद्धृत करूंगा·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहमत नहीं हैं तो मुझे लिखित में दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यह सरकार अपने वचन से नहीं फिर रही है। राज्य सरकारें वार्यवाही कर रही हैं.....

(व्यवधान)

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, अब इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार रख रहे हैं। यह एक संवैधानिक उपवन्ध है। अत: सरकार आसानी से इससे बचकर नहीं निकल सकती है। संविधान के अनुच्छेद 340 के उप-अनुच्छेद में कहा गया है :

"राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

मन्त्री महोगय ने क्या कहा है ; उन्होंने केवल यह सूचित किया है कि प्रतिवेदन की जटिल प्रकृति के कारण सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और कुछ और राज्यों से सलाह-मशिवरा करने जा रही है। मैं इस सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह उन पिछड़े वर्गों के संवैधानिक उपवन्ध की उपेक्षा और उल्लंघन करती रही है जोकि सदियों से कष्ट झेलते आ रहे हैं। काका कालेलकर समिति के प्रतिवेदन पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई थी। इस मामले के प्रति सशक्त जनमत और न्याय को देखते हुए, वास्तव में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। इस सरकारी आयोग का प्रतिवेदन बहुत पहले दिया जा चुका था। मैं इस अवसर पर आपको धुधारकवाद देता हूं कि आप इसके महत्त्व को समझ रहे हैं और आप भी इस विषय पर हमारे साथ हैं कि आयोग के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस आशय का सरकार ने एक आश्वासन भी दिया है : छह मास से भी अधिक समय पूर्व प्रतिवेदन सरकार को दिया गया था, परन्तु सरकार इसे स्थगित करती रही है। यह समस्त पिछड़े वर्गों की भावनाओं के प्रतिकूल है जो देश की कुल जनसंख्या के आधे से भी अधिक हैं। अत: मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 340 के अनुसार यह की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं मानते तो मुझे लिखित में दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अब क्या कर सकता हूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको अपना विनिर्णय देना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय तथ्यों का अध्ययन किये बिना नहीं दे सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो काम करना था, कर दिया । अब आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं देख लूंगा ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने दस बजे से पहले नोटिस दे दी थी कि इस आइटम पर मुझे आब्जेक्शन उठाना है ।

अध्यक्ष महोदय : आब्जेक्शन आपने उठा दिया है और मैंने आपको सुन लिया है ।

श्री राम विलास पासवान : आप मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : बार-बार क्या सुनूं । अब आप मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं देख लूंगा ।

श्री राम विलास पासवान : आज तो पार्लमेन्ट बन्द होने जा रही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि यह ऐक्शन टेकन रिपोर्ट है या नहीं, इसके बारे में आप अपना निर्णय दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय क्या करेगी ? मुझे देखना पड़ेगा । उनका कहना है कि यह की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन है । आप कहते हैं नहीं है । मैं इसे देखूंगा कि यह क्या है ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न था । आपका क्या निर्णय है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उन्हें इस प्रकार चलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने मुद्दा उठाया था कि मन्त्री महोदय ने विशेषाधिकार का हनन किया है, झूठा बयान दिया है । मन्त्री महोदय ने कहा है·····

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा । उस पर विचार किया जा सकता है परन्तु इस प्रकार नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : "मैं सभा पटल पर रख रहा हूं"

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन इस प्रकार नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ? मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय क्या मैं स्पष्ट कर दूं । हमने कार्यवाही कर ली है···

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यदि मामला नहीं उठाया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने क्यों नहीं देते ?

श्री राम विलास पासवान : वह तो** बोल गये हाउस में,** बोला है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय वह अत्यन्त ही असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं कुछ भी नहीं कहता हूं। महोदय हमने पालन किया है— — —

श्री राम विलास पासवान : असंसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी कृपया बैठ जाइये। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, हमने संवैधानिक उपबन्धों का पालन किया है। मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि निर्णय लेने से कार्यवाही करना भिन्न होता है। कार्यवाही करने की हम पहले ही पहल कर चुके हैं— — — (व्यवधान) हमने राज्य सरकारों से सम्पर्क किया है और प्रतिवेदन ले लिया गया है। अतः केन्द्रीय सरकार ने यह कार्यवाही की है, इसमें संवैधानिक उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : 16 महीने से यही बात कही जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह तो साफ उल्लंघन का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे विशेषाधिकार हनन या अन्य कोई प्रस्ताव दीजिए।

तट रक्षक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं, तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पलट पर रखता हूं :

(1) (एक) तट रक्षक नाविक (साधारण ड्यूटी) भर्ती नियम, 1982, जो 3 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 94 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तट रक्षक, अधीनस्थ अधिकारी (साधारण ड्यूटी) भर्ती नियम, 1982, जो 17 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 94 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) तट रक्षक नाविक (तकनीकी शाखा) भर्ती नियम, 1982, जो 17 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 95 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4081/82]

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

(2) अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 88, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 10 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सागर-दिशा तोप अभ्यास नियम 1978 में 'व्याख्यात्मक टिप्पण' जोड़ा गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4082/82]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

खाद्य अपमिश्रण, निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा(2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्र, निवारण (दूसरा संशोधन) नियम 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण जो 11 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 57(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका 3 अप्रैल, 1982 का शुद्धि पत्र।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-4083/82]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1980-81* के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4084/82]

(2) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1980-81** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4085/82]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव अथवा आप जो चाहें दे सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा।

एक माननीय सदस्य : वह विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव दे सकते हैं।

व्यवधान

---

*भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन 18 दिसम्बर, 1981 को सभा पटल पर रखा गया था।

**भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का वर्ष 1080-81 का वार्षिक प्रतिवेदन 5 मार्च, 1982 को सभा पटल पर रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर सकता हूं।

खर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे आदि, काफी बोर्ड की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालयय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं !

(1) खर बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4086/82]

(2) (एक) काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

]ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4087/82]

(3) राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 40088/82]

(4) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदनों इन लेखा वर्षों के समाप्त होने के पश्चात् 9 मास की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4089/82]

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4090/82]

(6) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4091/82]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

35वीं से 43वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री जी० लक्ष्मनन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 35वीं से 43वीं तक की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

पहली, दूसरी, सोलहवीं, उन्नतीसवीं, तीसवीं, छियालीसवीं और पैंसठवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं, प्रक्रिया संबंधी मामलों से संबंधित लोक लेखा समिति (1981-82) की पहली, दूसरी, सोलहवीं, उनतीसवीं, तीसवीं, छियालीसवीं और पैंसठवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

श्री पी० बी० जो० राजू (बोबिली) : मैं, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 23 मार्च और 28 अप्रैल, 1982 को हुई बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिणी मध्य) : मैं. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की पहली से पच्चीसवीं तक की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की गई कार्यवाई पर सरकार के अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण

श्री आर० आर० भोले : (बम्बई दक्षिणी मध्य) : मैं, पेट्रोलियम, रासायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)—इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरिज एण्ड पाइपलाइन्स डिवीजन) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवें प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर तथा अन्य अध्यायों के संबंध में और अधिक जानकारी को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय मैं, चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए, राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधि प्रमाणित, तथा 8 अप्रैल, 1982 को सदन को सूचित किया जाने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

1. औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1982
2. चीनी विकास निधि विधेयक, 1982
3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982

———

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों को सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :—

1. श्री झारखण्डे राय—18 अप्रैल से 6 मई, 1982
(आठवां सत्र)
2. श्री मालदेवजी एम० ओडेदरा—18 अप्रैल से 6 मई, 1982
(आठवां सत्र)
3. श्री टी० वी० चन्द्रशेखर झा—30 मार्च से 6 मई, 1982
(आठवां सत्र)

क्या सदन की इच्छा है कि समिति की सिफारिश के अनुसार अनुमति प्रदान की जाए ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है । सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

लोक लेखा समिति

निन्यानवेवां, एक सौ-एकवां, एक सौ-दोवां, एक सौ-तीनवां, एक सौ-छवां, एक सौ-ग्यारहवां, एक सौ-बारहवां तथा एक सौ-तेरहवां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) संघ उत्पादन शुल्क--कालातीत हो जाने के कारण राजस्व की हानि के बारे में 99वां प्रतिवेदन ।

(दो) धनकर के बारे में 101वां प्रतिवेदन ।

(तीन) रेल मंत्रालय से संबंधित चितरंजन रेल इंजन कारखाना-डीजल शंटग इंजनों के लिए सूरी ट्रांसमिशन और रिवर्सिंग गियर बाक्सों के बारे में 102वां प्रतिवेदन ।

(चार) रेलवे में बैगनों की उपलब्धता के बारे में 103वां प्रतिवेदन ।

(पांच) एक आयुद्ध कारखाने की उत्पादन क्षमता के कम उपयोग के बारे में 106वां प्रतिवेदन ।

(छः) वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (सी० एल० ए०) नई दिल्ली के कार्यालय के कार्यकरण के बारे में 111वां प्रतिवेदन ।

(सात) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित लघु कृषक विकास ऐजेन्सियों के बारे में 112वां प्रतिवेदन ।

(आठ) रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक शस्त्र-प्रणाली के विकास और निर्माण के बारे में 113वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन

श्री रविन्द वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) तेल कम्पनियां—कच्चे पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और गैस का वितरण के बारे में 47वां प्रतिवेदन ।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बारे में 48वाँ प्रतिवेदन ।

(तीन) सरकारी उपक्रम—प्रबन्ध व्यवस्था तथा नियंत्रण प्रणाली के बारे में 49वां प्रतिवेदन ।

(चार) इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के बारे में 50वाँ प्रतिवेदन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पच्चीसवाँ प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन । (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : ये लोग बैठे हुए हैं और हरिजनों के मामले पर बहस होती है । एसे कैसे काम चलेगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप इनसे पूछिए ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार ने संविधान की अवहेलना की है । (व्यवधान)

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1981

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में आप संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1982

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री भगवत का आजाद की ओर से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक की पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री धर्मवीर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है —

"कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० शंकरानंद : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय—मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा गया है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 2 मार्च, 1982 की अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये और 4 मार्च, 1982 को इस सभा को भेजे गए प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा पशु-चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने और उस उद्देश्य के लिए एक भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् तथा राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों की स्थापना करने और पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर रखने और उनसे सम्बन्धित मामलों का उपलब्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

[1] श्री राम प्रसाद अहिरवार

[2] श्री आनन्द सिंह

[3] श्री एस० आर० ए० एस० अल्पलानायडु

[4] डा० ए० यू० आजमी

[5] श्री जे० सी बरवे

[6] श्री भीम सिंह

[7] श्री मनफूल सिंह चौधरी

[8] श्री दलवीर सिंह

[9] श्री एच० एन० नन्जे गौडा

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[10] श्री हाकम सिंह

[11] श्री झारखंडे राय

[12] श्री आर० एस० माने

[13] श्री के० बी० एस० मणि

[14] श्री राम नगीना मिश्र

[15] श्री मालदेवजी एम०ओडेदरा

[16] श्री सी० पलानीअप्पन

[17] श्री नगीना राय

[18] श्री आर० एन० राकेश

[19] राव बीरेन्द्र सिंह

[20] डा० सरदीश राय

[21] श्री अमर राय प्रधान

[22] श्री नारायण साहू

[23] श्री सज्जन कुमार

[24] श्री पी० एम० सईद

[25] श्री चन्द्रपाल शैलानी

[26] श्री तारिक अनवर

[27] श्री सोवेग तेइयेंग

[28] श्री पीयूष तिरकी

[29] श्री डी० पी० यादव

[30] श्री आर० वी० स्वामीनाथन

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—"कि यह सभा द्वारा राज्य द्वारा 2 मार्च, 1982 की अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये और 4 मार्च, 1982 को इस सभा को भेजे गए प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश; से सहमत है कि यह सभा पशु-चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने और उस उद्देश्य के लिए एक भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् तथा राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों की स्थापना करने और पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर रखने और उनसे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित

हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के लिए निम्नलिखित 30 सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जायें, अर्थात् :—

[1] श्री राम प्रसाद अहिरवार

[2] श्री आनन्द सिंह

[3] श्री एस० आर० ए० एस० अप्पलानायडु

[4] डा० ए० यू० आजमी

[5] श्री जे० सी बरवे

[6] श्री भीम सिंह

[7] श्री मनफूल सिंह चौधरी

[8] श्री दलबीर सिंह

[9] श्री एच० एन० नन्जे गौडा

[10] श्री हाकम सिंह

[11] श्री झारखंडे राय

[12] श्री आर० एस० माने

[13] श्री के० बी० एस० मणि

[14] श्री राम नगीना मिश्र

[15] श्री मालदेवजी एम० ओडेदरा

[16] श्री सी० पलानीअप्पन

[17[श्री नगीना राय

[18] श्री आर० एन० राकेश

[19] राव बीरेन्द्र सिंह

[20] डा० सरदीश राय

[21] श्री अमर राय प्रधान

[22] श्री नारायण साहू

[23] श्री सज्जन कुमार

[24] श्री पी० एम० सईद

[25] श्री चन्द्रपाल शैलानी

[26] श्री तारिक अनवर

[27] श्री सोबेंग तेइयेंग

[28] श्री पीयूष तिरकी

[29] श्री डी० पी० यादव

[30] श्री आर० वी स्वामीनाथन

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चन्द्रजीत जीत यादव (आजमगढ़) : कृपया आप सुनेंगे ? यदि व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो क्या ऐसा है कि अध्यक्ष महोदय उस व्यवस्था के प्रश्न की पूर्णता : अपेक्षा कर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है । आप···दे सकते हैं

श्री चन्द्र जीत यादव : यह संवैधानिक प्रवाधान का उल्लंघन है।

यह संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है । मैं इसे व्यवस्था के प्रश्न में उठा रहा हूं । यह सांवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा पटल पर रखा जाने वाला प्रश्न है । इसका उससे कोई संबंध नहीं । उन्हें जो कुछ करना था, वे कर चुके । यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो चाहें इसमें आगे और प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री रामविलास पासवान (हजीपुर) लेकिन कहां लेड किया है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट तो आ गई है न । उन्हें जो कुछ करना था, वे कर चुके ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई निल्ली) : रिपोर्ट तो आ गई है मगर एकशन टेकन रिपोर्ट नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जो कुछ करना था, वे कर चुके ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अगर अपनी राय दे दें कि यह एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं है···एक्शन टेकन और डिसीजन टेकन में फर्क है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो देखकर ही कहूंगा, ऐसे नहीं कह सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने तो आपके सामने रख दी है ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने तो रख दी है । मेरी राय तो इतनी ही है कि··· ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक्शन टेकन रिपोर्ट की एक बंधी हुई परिधि है । यह सरकार उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मोशन मूव कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मोशन मूव करने का सवाल नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : आपने जस्टिस किया है, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट रख रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने तो स्पष्टीकरण पूछा था ? मैं इस पर वाद विवाद नहीं कर रहा।

श्री रामविलास पासवान : आपने क्या अंदाजा लगाया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो पढ़ने से पता लगेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके अंतर्गत अगर आप समझते हैं कि कुछ अनुचित हुआ है तो इसके खिलाफ मोशन दे दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी तो यही कहा है कि आप लिखकर दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : लिखकर तो दिया है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मैं सदन से बाहर चला जाऊंगा। यह सरकार का पिछड़े वर्ग विरोधी रुख है। वे पिछड़े वर्गों को ऊंचा उठाना नहीं चाहते।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या—महोदय, मैं पुनः यही बात कहूंगा। मैं पहले ही माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं। पिछड़े वर्ग अयोग के अध्यक्ष ने सरकार के पिछड़े वर्गों की स्थितियों में सुधार करने संबंधी नेक इरादों को स्वीकार कर लिया है। मैं पुनः इसे दोहराऊंगा कि सरकार का पिछड़े वर्गों के हितों के विरोध में जाने का बिल्कुल इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बहस करवा सकता हूं, मोशन कंसीडर कर सकता हूं, आगे बात भी कर सकता हूं और ऐसे ही काम चलता है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आपको और हम सबको धोखा दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी मोशन दीजिए, बहस कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : कब बहस होगी ?

अध्यक्ष महोदय : जब भी मौका आयेगा, नोटिस दीजिए, मैं बहस करवा दूंगा।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : मण्डे को करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मण्डे को तो हाउस ही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वादा करता हूं कि बहस करवा दूंगा, इस बात से पीछे नहीं हटता। जो कह दिया सो कह दिया।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपके विषय में कोई शिकायत नहीं ·· है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके मतभेद हो सकते हैं, मैं यह नहीं कहता कि आप दोनों इकट्ठे हो जाएं। आपके विचार आपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं और उनके विचार अपनी जगह पर ठीक हो सकते है, हो सकता है आप उन विचारों से सहमत न हों। इसी विचार धारा के आधार पर डेमोक्रेसी चल सकती है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आप निर्णायक हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप यहाँ हितों की रक्षा करने के लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुनीए, चन्द्रजीत जी, मैं यही कह रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब रूल्स का वायलेशन होगा तो कैसे काम सही तरीके से हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो कह रहा हूं कि आप कोई मोशन दीजिए।

श्री रामविलास पासवान : दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मोशन तो नहीं दिया है, आब्जेक्शन दिया है। मेरा संबंध केवल प्रस्ताव से है।

श्री रामविलास पासवान : वह भी तो नियत के तहत ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो इसमें अनुचित है, उसके खिलाफ मोशन दीजिए।

श्री रामविलास पासवान : डिसक्शन कब कराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब सेशन होगा तब कराएंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं इस मामले पर गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कहीं नहीं चले जाएंगे, सदन कहीं नहीं चला जायेगा। सब यहीं है। मेरा जो वादा होता है, पक्का होता है।

श्री चन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट)—जैसा कि आप जानते हैं, यह रिपोर्ट मण्डल आयोग ने दिसम्बर 1980 में सरकार को दी थी। उस समय से, लगातार सदन बहुत से सदस्यों तथा स्वयं आप सरकार से इस रिपोर्ट को शीघ्र सभा पटल पर रखने का निवेदन करते रहे हैं और हर बार हमें यह कहा गया कि सांवैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत इसे तब तक सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि इसके साथ की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट संलग्न न हो। रिपोर्ट सभा पटल पर रखने में देरी के लिए यह तर्क दिया गया था। अब, जब अन्त में इसे सभा पटल पर रख दिया गया है———

अध्यक्ष महोदय : वे इसे की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट समझते हैं, आप इसे ऐसा नहीं समझते। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट)—उन्होंने यह नहीं कहा कि यह की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट है। उनका कहना है कि कुछ और राज्य सरकारों के मत जानने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। केवल उसके बाद ही, वे यह कहने की स्थिति में होंगे कि वे क्या कार्यवाही कर सकते हैं। यदि वे सदन को यह बता सकते हैं, तो देरी होने का क्या कारण था? वे ऐसा छः महीने पहले ही कर सकते थे। यह अपमानजनक है, उन्होंने सदन का अपमान किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने सदन का अपमान किया है, तो आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आपको उस पर चर्चा के लिए समय दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : आपकी जानकारी के लिए, यहां तक कि प्रधानमन्त्री ने भी आश्वासन दिया है। संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मन्त्री से भेंट की———

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप दीजिए। मैं डिसक्शन एलाउ कर दूंगा। आप नहीं समझते हैं तो मोशन दीजिए, उसी पर बहस करवा दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर कहते हैं एक्टश टेकन है, हम लोग कहते हैं एक्शन-टेकन नहीं है—

अध्यक्ष महोदय : इसी पर बहस कर लें आप।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपका विनिर्णय क्या है? जब चन्द्रजीत यादव द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया तो आप क्या समझते हैं और आपका विनिर्णय क्या है, क्या अनुच्छेद 340 के प्रावधानों का पालन होता है या नही? वे कहते हैं की-गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट रखी गई है; हम कहते हैं वह वहां नहीं है। आप क्या कहते हैं? वह अधिक महत्त्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध केवल रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने से है। उसके बाद क्या होता है, आप प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए और मैं विचार करूंगा।

श्री चंद्रजीत यादव : क्या रिपोर्ट को सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभा पटल पर रखने से आपका कोई मतलब नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उस पर मुझे विचार करना होगा। आप मुझे अपना प्रस्ताव दीजिए और मैं उस पर विचार करूंगा। मैं उस पर वाद विवाद करा दूंगा।

(व्यवधान) मैं आपको वाद विवाद की अनुमति दे दूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : क्या सांवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, आप उस पर अपना निर्णय नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वाद-विवाद की अनुमति दे दूंगा। मेरा निर्णय इतना ही है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप डिसीशन दे दें तो यह बात ही न हो।

अध्यक्ष महोदय : मेरे डिसीशन से ही तो यह हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इतना कह दें कि यह एक्शन टेकन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कैसे कह दूं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अब आप सरकार को बचाना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को कहां बचा रहा हूं ? नहीं बचा रहा हूं। जो वादा था वह पूरा कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : हम लोग कहते हैं एक्शन टेकन नहीं है, सरकार कहती है कि है। अब आप सीधे कह दें कि एक्शन टेकन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कैसे कह दूं ? मैं कह रहा हूं मुझे दीजिए बीच का मोशन और मैं बता दूंगा क्या है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं, कि सरकार का रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का कोई इरादा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वाद-विवाद की अनुमति दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : वाद-विवाद अलग बात है। उसकी अनुमति दी ही जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस [illegible] को सिद्ध करना होगा। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : आप वाद-विवाद के लिए यहां निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 340 के उल्लंघन के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर आपका क्या विनिर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर भी मुझे विचार करना होगा। मैं उस पर अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप बिना कोई कार्यवाही या कुछ और किये बिना ही वैसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं उन्होंने कार्यवाही की है। आप उससे सहमत नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं। उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप ऐसा नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र किया है तथा कार्यवाही की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप सरकार का मत स्वीकार नहीं करेंगे तो हम विरोध करना चाहते हैं कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है———

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मुझको मालूम था और आप बिगड़ जाते थे। और आज भी हमें मालूम था कि एक्शन टेकन नहीं है। और अगर यह मामला हमने नहीं उठाया होता तो मन्त्री जी कह देते सायं में एक्शन टेकिन भी है। लेकिन अब मन्त्री जी कहते हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं है। एक्शन टेकन और डिसीजन अलग चीज है, अब यह कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी भी उस पर अड़े हुए हैं। मैं देखूंगा, ऐसे नहीं करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : यह डिलेइंग टैक्टिका हैं। सरकार नहीं चाहती है। आप जब तक स्पीकर रहेंगे तब तक एक्शन टेकिन रिपोर्ट नहीं आयेगी। यही हाल काका कालेलकर कमीशन का हुआ और यही हाल इस मण्डल कमीशन का हो रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : राज्य सरकारों से इसकी पहले क्यों नहीं रिपोर्ट मांगी ? आप तो आंखों में धूल झोंक रहे हैं।

(एक) दहेज के कारण आत्महत्या के मामलों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज कराने की आवश्यकता

नियम 377 के अधीन मामले

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : अध्यक्ष जी, दहेज आज के समाज में अभिशाप बन गया है और दानव का रूप धारण कर चुका है। इससे निपटने के लिए यह जरूरी है कि जनता सरकार का साथ दे। किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि पुलिस विभाग की ईमानदारी और चुस्ती के साथ कार्य करे। पुलिस विभाग के निकम्मेपन के कारण दहेज के लालच में वधुओं का

उत्पीड़न और उसके बाद आत्म हत्या की संज्ञा दे कर उन्हें मार डालना मामूली बात हो गई है। गृह मन्त्री जी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दिल्ली में पिछले एक वर्ष में इस प्रकार की हुई आत्म-हत्याओं में लगभग सभी में पुलिस द्वारा 302 दफा की बजाय 306 में मामले दर्ज किये गये। ऐसा क्यों ?

यदि गृह मन्त्री जी तहेदिल से चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री जी की इच्छा के अनुकूल समाज से दहेज की बुराई समाप्त हो तो यह जरूरी है कि वह इस प्रकार के मामलों में स्वयं जानकारी लें कि अमुक केस दफा 302 में क्यों दर्ज नहीं किया गया और दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें और इसी प्रकार के स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारों को भी भेजे जायें। केवल कहने से यह बीमारी दूर होने वाली नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी बताएं कि उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सदन में कदम उठाये हैं या सदन के बाहर गृह मन्त्री ने कदम उठाये हैं ?

(दो) आदिवासियों की 'कोल' जाति को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जनपदों में आदिवासी अत्यधिक जनसंख्या में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण इन्हीं जिलों में लगा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य प्रदेशों में कोल (आदिवासी) अनुसूचित जन जाति की सूची में आते हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में कौल (आदिवासी) अनुसूचित जाति में आते हैं। इन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है जिससे इन्हें हर तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौकरी पढ़ाई आदि में अनुसूचित जनजाति की सुविधायें नहीं प्राप्त हो सकी हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल (आदिवासी) को अनुसूचित जनजाति में करने का निर्णय लिया है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश को केन्द्र से स्वीकृति न मिलने से अड़चन बराबर बनी हुई है।

मेरा केन्द्रीय गृह मन्त्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश को स्वीकार करके कोल (आदिवासी) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लें।

(तीन) वाराणासी में टेलीफोनों के कार्यकरण के बारे में शिकायतों को दूर करने में विलम्ब

श्री जंमुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज वाराणसी में लगभग 50 प्रतिशत टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं और खराब पड़े हुए हैं। यह स्थिति लगभग पिछले एक वर्ष से चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाराणसी में टेलीफोन विभाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। टेलीफोन की शिकायतें अधिकतर दर्ज नहीं की जातीं और टेलीफोन खराब होने के बाद

उपभोक्ताओं को 15, 15 दिन और 20, 20 दिन टेलीफोन मिस्त्री का इन्तजार करना पड़ता है। टेलीफोन मिस्त्री तभी टेलीफोन ठीक करने आता है, जब उपभोक्ता दफ्तर में जाकर काम करने वालों को खुश करते हैं। टेलीफोन विभाग के अधिकारियों को भी सरकार और शासन का कोई भय नहीं रह गया है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

कुछ महीने पहले मैंने संचार मन्त्री से वाराणासी के टेलीफोन व्यवस्था की शिकायत की थी और विशेषकर मैंने अपने टेलीफोन नम्बरों 66606 तथा 65864 के बराबर खराब होने की बात बताई थी। जब संचार मन्त्री का पत्र वाराणासी पहुंचा तो उस समय मेरे खराब टेलीफोन को ठीक कर दिया गया। संचार मन्त्री ने मुझे उत्तर दिया था कि आपका टेलीफोन ठीक कर दिया गया है और उसकी बराबर देखरेख की जा रही है। इसके बाद मेरे दोनों टेलीफोन पुनः खराब हो गये हैं और शिकायतों के बावजूद उन्हें ठीक नहीं किया गया।

टेलीफोन नं० 65864 महीनों डैड पड़ा रहा। पुनः मैंने संचार मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराया। लगभग एक महीना बीत जाने के बाद मुझे वाराणसी से डी ई फोन्स का एक पत्र मिला कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और भविष्य से आप टेलीफोन की शिकायत के लिए एस डी ओ (फोन) तथा ए इ (फोन) से ही सम्पर्क कायम करें। इससे इस बात का पता चलता है कि संचार मन्त्री की कार्यवाही का, जो भी कार्यवाही उन्होंने की हो, वाराणासी के टेलीफोन अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

वाराणसी का आठ नम्बर से शुरू होने वाला टेलीफोन तो शायद ही कभी मिलता हो। यही हाल 7 नम्बर से शुरू होने वाले टेलीफोन का है। वाराणासी के आस-पास के जिलों, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, आदि की ट्रंक लाइनें बराबर खराब रहती हैं। दिन-दिन भर इन्तजार करने के बाद भी टेलीफोन नहीं मिलता। अनेकों बार मैंने दिल्ली से अपने निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर ट्रंक काल करने की कोशिश की, मुझे बराबर जवाब मिला कि लखनऊ से गाजीपुर तथा वाराणसी से गाजीपुर की लाइनें खराब पड़ी हैं। मैं कभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के टेलीफोन से इधर कई महीनों से बात नहीं कर सका।

मैं सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि वाराणासी के टेलीफोन तथा वाराणासी के आस-पास के जिलों से सम्बन्धित ट्रंक व्यवस्था को अविलम्ब ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जाए ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले।

(चार) दिल्ली में यमुनापार की बस्तियों में लूटमार की घटनायें

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : निर्माण विहार, स्वास्थ्य विहार तथा दूसरी यमुना पार की बस्तियों में गम्भीर डकैतियां पड़ी हैं जिससे लोगों के मनों में बहुत अधिक आतंक छा गया है। एक आदमी मारा गया तथा बहुत-से लोग घायल हो गये जिनमें बच्चे तथा स्त्रियां भी शामिल थे। इस क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त की तथा लो ों की सुरक्षा के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यमुना पार क्षेत्रों के पुलिस थानें मानव शक्ति, गाड़ियों तथा अन्य आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम स.ज्जित है। अपराधियों को पकड़ने के

लिए शीघ्र तथा प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। इस क्षेत्र की दो सीमाओं पर उत्तर प्रदेश है (गाजियाबाद व बुलन्द शहर) इसलिए और अधिक पूर्व सावधानियों व उत्तर प्रदेश व दिल्ली के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

(पाँच) महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडू राज्यों में क्षेत्रों के विकास के लिए आबंटित धनराशियों को खर्च करने की जाँच करने की मांग

श्री के० वी० कोशलराम (तिरुचेन्द्र) : छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी घाट के विकास के लिए, जोकि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडू व केन्द्र शासित प्रदेश गोवा के अन्तर्गत आता है, विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियों का प्रावधान किया गया है :

	रुपये
महाराष्ट्र	23.08 करोड़
केरल	17.80 करोड़
कर्नाटक	14.45 करोड़
तमिलनाडू	13.02 करोड़
गोवा	3.65 करोड़
सर्वेक्षण व अध्ययन	3.00 करोड़

दक्षिण के चार मुख्य राज्यों में से तमिलनाडू को 13.02 करोड़ रुपये की सबसे कम राशि दी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तिरुनेलवी जिले के शंकर नैयनार कोइल, तनकाशी, शैनकोटा, अम्बा समुद्रम तथा नान्गुनेरी, रामनाथपुरण् जिले के श्री विलीपुयुर तथा सत्तुर तथा कन्याकुमारी जिले के विलावंकोड कालकुलम तथा अगस्थी सवटम् आते हैं। मुझे स्वयं मालूम है कि यद्यपि यह कार्यक्रम 1974-75 से लागू किया जा रहा है परन्तु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं किया गया। योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति है जो समय-समय पर इसके कार्य की पुनरीक्षा करती है मेरा मत यह है कि इस समीति को तुरन्त सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों को विकास हेतु तुरन्त आर्थिक सहायता दी जा सके। तमिलनाडू के ये सभी क्षेत्र स्थाई रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। मैं माँग करता हूं कि वर्ष 1980-81 तथा 81-82 के दौरान इस क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित की गई 12.70 करोड़ रुपये की धन राशि किस प्रकार से खर्च की गई, इस बात की तुरन्त जांच करवाई जाये।

(छः) झारखण्ड तथा अन्य क्षेत्रों के कोयला खानिकों के कार्य करने की दशाओं को सुधारने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : जबकि देश में कोयला खदानों को आधुनिकृत करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किये जा रहे हैं तो साथ ही साथ श्रमिकों के स्वास्थ्य के हित में उनकी

कार्य दशाओं में सुधार करने तथा दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को यदि खत्म नहीं किया जा सकता तो उन्हें कम करने लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिएं। कुछ चिन्ताजनक समाचार मिल रहे हैं कि कुछ खानों में विशेष रूप से जो झारखण्ड क्षेत्र में हैं वहां की कार्य दशायें बहुत ही असन्तोषजनक हैं। यह उल्लेख किया गया है कि खानों में रोशनदानों की व्यवस्था बहुत ही कम है तथा जलरहित करने की व्यवस्था भी बहुत कम है। यह अत्यावश्यक है कि मजदूरों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राधिकारियों के लिए खान मजदूरों के लिए जूतों व अन्य सुरक्षा सामानों का प्रावधान करना भी बहुत आवश्यक है।

श्रमिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए तथा उन विमारियों के सम्बन्ध में जिनकी जमीन के अन्दर आद्र जलवायु में काम करने तथा सांस के साथ कोयला व धूल के अन्दर जाते हैं उनको होने की अधिक सम्भावना है, उनकी सामयिक रूप से जांच करवानी चाहिए। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने पर भी क्षय रोग जैसी भयानक विमारी को कम न किया जा सकने के कोई कारण नहीं हैं।

मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले पर ध्यान दें तथा सभा में इस सभा को तथा जनता को इस बात का पुनः आश्वासन देने के लिए एक वकत्तव्य दें कि सरकारी क्षेत्रों की खदानों में कार्य दशायें आपेक्षित स्तर की है।

(सात) देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (माधेपुरा) : भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन है। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में प्रयोग शुरू हो गए थे। प्रारम्भ में गांधी जी की विचारधारा को लेकर बेसिक शिक्षा शुरू की गयी थी परन्तु शीघ्र ही इसकी भी उपेक्षा कर दी गई। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की शिक्षा समाज में विभिन्न वर्ग पैदा कर रही है अर्थात पब्लिक स्कूलों से पास करने वाले लड़के, सैनिक स्कूलों व केन्द्रीय विद्यालयों से पास करने वाले लड़के नगर निगम के स्कूलों से पास करने वाले लड़के तथा गांव के स्कूलों से पास करने वाले लड़के जो अपने आप में ही एक भिन्न वर्ग होते हैं। आधुनिक जापान आधुनिक शिक्षा की विजय है। ऐसे ही इजराइल और ऐसे ही सोवियत रूस।

भारतीय विश्वविद्यालयों में आजकल गड़वड़ मची हुई है। आज की शिक्षा प्रणाली टूट रही है क्योंकि यह वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। परीक्षाओं की पवित्रता समाप्त हो गई है। प्रश्नों का पहले ही पता चल जाता है और उनको बाजार में बेचा जाता है।

सरकार की दृष्टि से शिक्षा उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितने रक्षा, सिंचाई आदि जैसे विभाग हैं। इसका सत्यापन भिन्न-भिन्न विभागों के योजना आवंटनों से किया जा सकता है। आजकल अध्यापक को सबसे कम वेतन मिलता है। ऐसा लगता है कि मूल्य वृद्धि का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसलिए दूसरे सरकारी कर्मचारियों के अनुपात में उनको मंहगाई

भत्ता नहीं दिया जाता। दुर्भाग्य से, देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालय तथा कालिजों के छात्र अपनी उचित मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं अतः मैं सरकार से निम्न कदम उठाने का निवेदन करूंगा :

(1) अध्यापकों की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाये।

(2) विभिन्न प्रकार के स्कूलों को समाप्त करके शिक्षा में समानता लायी जाये।

(3) रोजगार शिक्षा प्रारम्भ की जाये।

(4) एन० सी० सी० को अनिवार्य रूप से लागू किया जाये।

(5) इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए अधिक धन का आवंटन किया जाये।

(6) शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाये।

(आठ) मानव निर्मित रेशे/धागे के बड़ी मात्रा में आपात को विनियमित करने की आवश्यकता

श्री रतनसिंह राजदा : (बम्बई दक्षिण) हमारे देश में सरकार की वर्तमान नीति केअनुसार विभिन्न कृतम रेशे/धागों, जैसे—पोलियस्टर रेशा एक्रिलिक रेशा, पोलियस्टर तन्तु धागा, नायलोन धागा, विसकोस तन्तु धागा' एक्सीलेट धागा आदि, के आयात पर हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है जिससे अन्तत. उपभोक्ता को लाभ नहीं होता क्योंकि उपभोक्ता को अभी भी इन कृतम कपड़े तथा मिश्रित कपड़े बहुत मंहगे भाव पर खरीदने पड़ते हैं क्योंकि इन पर शुल्क की दर ऊँची होती हैं जिसको टाला नही जा सकता। ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत इन कपड़ों का आयात करें तो देशी उत्पादकों को अपने उत्पादन को बेचने में बड़ी कठिनाई होगी। इन कृतम रेशों व फागों का आयात करने से जो कि देशी उत्पादन होता है के उपयोग में भी बड़ी कमी आ गई है और परिणाम स्वरूप भारतीय किसान रुई की अपनी सारी फसल को लाभकारी मूल्यों पर नहीं बेच पाते। आयातों को इस प्रकार विनियरित करना चाहिए कि वास्तविक उपयोगकर्ता विदेशी मुद्रा का अपना खर्च अपने निर्यात से ही निकाले। यदि मिल को इन रेशों/धागों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें जो कुछ देश में उपलब्ध हो, उसे खरीदें और उसके लिए अपनी विदेशी मुद्रा में से खर्च को ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा के रूप में 100 रुपए कमाता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए केवल 50% विदेशी मुद्रा को ही इन कृतम रेशों के आयात पर खर्च करना चाहिए और बाकी 50% देश की आय होनी चाहिए। इन उपायों से न केवल निर्यातों में वृद्धि होगी बल्कि इससे देशी उद्योगों को तेजी से विस्तार करने व इन रेशों/धागों के उत्पादन को बढ़ाने को अधिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ ही साथ, यदि इन कपड़ों की कम उपलब्धता की वजह से सूती कपड़े का अधिक उपयोग होता है तो भारतीय किसान को भी लाभ होगा क्योंकि वह अपने उत्पादन का अधिक अच्छा मूल्य प्राप्त करने की स्थिति में होगा। जब हमें अधिक आवश्यक वस्तुओं का आयात करना होता है जैसे पेट्रोलियम उत्पादन, उर्वरक, खाद्य तेल तथा विकास कार्य के लिए मशीनरी आदि जिनमें हमारी विदेशी मुद्रा का बड़ा भाग लग जाता है तो

हमें ऐसे आयातों को ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत रखना चाहिए। कृतम रेशों/धागों देशी उत्पादन सूती धागे के रूप में हमारे पास विकल्प उपलब्ध होता है।

ऐसी बात नहीं है कि यदि ये रेशे विदेशों से न मंगाए जाएं तो मिलें बन्द हो जाएंगी। वस्त्र उद्योग को देश के प्रति एक जिम्मेदारी तथा चिन्ता की भावना विकसित करनी चाहिए तथा अपनी अर्जित विदेशी मुद्रा का एक भाग ही कच्चे माल के लिए खर्च करना चाहिए।

किसी भी परिस्थिति में उनको आत्मतुष्टि की भावना नहीं पनपने देना चाहिए और जितनी उन्हें आवश्यकता हो उतना ही कच्चा माल ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत देना चाहिए। पहले ही देश में कृतम रेशों के उत्पादन के लिए केपरोलेक्टम, डी० एम० टी० तथा लुग्दी आदि जब कभी इनकी कमी होती है। के आपात में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है। इसलिए कृतम रेशों/धागों पर और अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है।

(नौ) गैर-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संगठनों द्वारा एक ही साथ धरना दिए जाने के कारण उत्पन्न तनाव

श्री दयाराम (फरुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

वोट क्लब पर कई दिनों से नान शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन के लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन्हीं के निकट शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन के लोग बैठे हैं। दिन में उत्तेजनापूर्ण भाषण होते हैं जिससे झगड़ा एवं मारपीट हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे हरिजनों एवं गैर-हरिजनों के मध्य व्यापक असंतोष एवं एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाएगी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करें।

(दस) नेपा मिल्स द्वारा उत्पादित अखबारी कागज के मूल्यों को लाभकारी बनाने तथा उसके पास जमा हो गये स्टाक को निबटाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

यह भाग्य की बड़ी विडम्बना है कि उत्पादकता वर्ष में जबकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 'नेपा' मिलों ने मिल में तथा आप-पास के गांवों में राष्ट्रीय विकास में भाग लेने की भावना पैदा करके तथा अनुकूल वातावरण तैयार करके उत्पादन में सुधार व वृद्धि की है लेकिन इनको केन्द्रीय सरकार की दोष पूर्ण आयात नीति की वजह से भारी हानि उठानी पड़ी है।

राज्य व्यापार निगम को अखबारी कागज के अभाव में भारी मात्रा में अखबारी कागज आयात करना पड़ा जिसका फल यह हुआ कि पिछले 4 महीनों में 1.25 करोड़ रु० की कीमत का 25000 लाख टन अखबारी कागज इकट्ठा हो गया इसके अलावा बिजली के खर्च, ब्याज, कच्चे

माल परिवहन, मिट्टी के तेल तथा कोयले के मूल्यों में भी वृद्धि हुई। यह उनके ऊपर बहुत बड़ा भार हो जाता है जबकि उनकी उत्पादन लागत 5,200 रु० प्रति टन आती है और उनको 4700/- प्रति टन की सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर बेचना होता है।

सरकार को मूल्यों को लाभकारी बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए तथा गोदामों की निकासी के तुरन्त उपाय करने चाहिए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में गेहूं के लाने-ले-जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने तथा व्यापारियों के स्टाक रखने की सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री वी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय गेहूं का नया उत्पादन विक्रय हेतु आने लगा है। छोटे-छोटे किसान, जिनकी पारिवारिक आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, अपने उत्पादन को तुरन्त बेचने के लिए विवश रहते हैं। इन दिनों किसानों पर व्यय का भार अधिकतम रहता है। उन्हें तमाम सामाजिक उत्तरदायित्व इन्हीं दिनों पूरे करने होते हैं। इन परिस्थितियों में किसान अपने उत्पादन को तत्काल बेचने के लिए बाध्य रहते हैं। व्यापारी उनकी विवशता का नाजायज लाभ उठाते हैं। और वर्ष के निम्नतम मूल्यों पर किसानों की गाढ़ी कमाई की लूट हो जाती है। सरकार इस सम्मानित सदन को बारंबार आश्वासन देती रहती है कि वह समर्थित मूल्य पर गेहूं क्रय करने की पूरी व्यवस्था करेगी, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि इस प्रकार का आश्वासन कोरे आश्वासन रह जाते हैं और व्यावहारिकता से उनका दूर का भी रिश्ता नहीं रहता। इस वर्ष भी सरकार ने गेहूं के समर्थित मूल्य की घोषणा विलम्ब से की और जो मूल्य घोषित किया गया, वह उत्पादन व्यय की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अप्रासंगिक है। अपरंच जो मूल्य घोषित किया गया, उस पर भी उत्तर प्रदेश में क्रय करने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है क्रय केन्द्र किसी न किसी व्यवस्था के अभाव में निष्क्रिय पड़े हैं और छोटे-छोटे किसानों का व्यापारियों द्वारा शोषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के विरुद्ध नाकेबन्दी कर रखी है जिससे उन्हें गेहूं की अच्छी कीमतें मिल सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं को एक जनपद से दूसरे जनपद में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। साथ ही इस मौसम में भी थोक व्यापारी सौ क्विंटल तथा फुटकर विक्रेता 10 क्विन्टल से अधिक गेहूं नहीं रख सकेगा। इन तमाम प्रतिबन्धों के द्वारा सरकार बाजार में गेहूं का मूल्य गिराना चाहती है और किसानों को अच्छे मूल्यों से वंचित रखना चाहती है।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से साग्रह अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रुचि लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क करें और इस बात का निर्णय लें कि गेहूं के आवागमन पर लगी रोक तत्काल समाप्त हो तथा कम-से-कम इस मौसम में व्यापारियों की संग्रह सीमा को समाप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त पर्याप्त क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाए तथा सरकार इस बात का ध्यान रखे कि क्रय केन्द्र समुचित रूप से कार्य करते हैं और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। इस बात पर विशेष नजर रखी जाए कि क्रय केन्द्रों के कार्यकर्ता व्यापारियों से साठ-गांठ करके किसानों से अनुचित लाभ न उठा सकें।

(बारह) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में टेलीफोन केन्द्रों के कार्यक्रम में सुधार लाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) मैं संचार मंत्री जी का ध्यान जनपद लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंन्जों, जिनमें ऐसरा, धौरहरा, निघासन, शिघाही, तिकोनिया, पलिया, मैलानी और गोला की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। यह टेलीफोन एक्सचेंज प्रायः सदैव ही गड़बड़ रहते हैं जिससे यहां के नागरिकों को टेलीफोन या ट्रंककाल करने में बड़ी कठिनाई ही नहीं, वरन् निराश होना पड़ता है। इसके कारण बहुत से उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन कटवा दिए एवं नए उपभोक्ता नए कनेक्शन लेने से कतराते हैं। प्रायः यह सुनने में आता है कि इन एक्सचेंजों की मशीनें पुरानी होने के कारण काम नहीं करती हैं। इसके अलावा जनपद में जितने पी सी ओ खोले गए हैं वह दिखावा मात्र हैं क्योंकि शायद ही कोई पी सी ओ कभी कार्य करने योग्य रहा हो जिससे सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है।

अतः मैं संचार मंत्री महोदय से सानुरोध निवेदन करती हूं कि जनपद में टेलीफोन की स्थिति को जनहित में शीघ्र सुधार करने की कृपा करें।

(तेरह) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वनों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, निस्सन्देह, वनरोपण एक राष्ट्रीय आन्दोलन है लेकिन पेड़ों को कटने से रोकने सम्बन्धी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार के पेड़-पौधों तथा जीव-जन्तुओं की ऐसी नस्लें समाप्त की जा रही हैं जो परिस्थिति का सन्तुलन बनाये रखने के लिए जरूरी है।

अनेक स्थानों पर पेड़ों को कटने से रोकने सम्बन्धी प्रभावशाली उपाय नहीं किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विशेषकर इसके विदर्भ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों को नष्ट किया जा रहा है। ऐसा चोरी-छिपे जंगलों तथा राजमार्गों पर कई गिरोहों द्वारा किया जा रहा है और जंगलों की लकड़ी बहुत बड़े लाभ पर बेची जाती है। नष्ट पेड़ों की लकड़ी की तस्करी भी राज्यों की सीमाओं के बाहर ऐसे स्थानों पर हो रही है, जहां बहुत ऊंचे दाम मिलते हैं।

विदर्भ क्षेत्र में सन्तरों का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है जिसका काफी मात्रा में पड़ोसी राज्यों को निर्यात होता है। निर्यात के लिए सन्तरों को लकड़ी के बक्सों में पैक करना पड़ता है। देखा गया है कि आमकी लकड़ी अच्छे बकस बनाने के लिए काफी उपयोगी है। महाराष्ट्र राज्य के सभी भागों में आमके पेड़ खोपरे की पैकिंग बोकेस बनाने के लिए नष्ट किए जा रहे हैं।

पेड़ों को बेरोक टोक काटा जा रहा है जबकि जंगलों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को अपनी जोखिम के लिए जंगल के घास तथा सूखी लकड़ियों को एकत्र करने पर निर्भर करते है, को अपने व्यवसाय के लिए लाईसेंस लेने जैसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी ये बाधायें दूर की जानी चाहिए और उन्हें बिना भय के अपना काम को करने दिया जाये।

पेड़ों के संरक्षण और बचाव चाहे आपके हों अथवा अन्य छायादार पेड़, चाहे जंगलों में

हों या राष्ट्रीय राजमार्गों पर, अत्यन्त आवश्यक है और केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। औद्योगिक सुरक्षा बल तथा क्रिया सुरक्षा बल जैसे एक बल का गठन तस्करों तथा अन्य अधिक लाभ कमाने के लिए जंगल नष्ट करने वालों पर नजर रखने की दृष्टि से किया जाना चाहिये। केन्द्र को इस हेतु राज्यों को उचित राशि देनी चाहिये।

(चौदह) नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की पुलिस द्वारा तलाशियां लिए जाने के कारण उनको होने वाली कठिनाईयां

श्री भीकू राय डैत (चांदनी चौक) : पिछले कुछ दिनों से यात्रियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनकी नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अन्धाधुन्ध तलाशियां ली जाती हैं तलाशियां अपराधियों का पता लगाने के बजाये अधिकतर यात्रियों को परेशान करने के लिए की जाती है। ऐसे भी मामले हुए हैं जहाँ गाड़ियाँ बदलने वाले यात्रियों की गाड़ियाँ गहरी तलाशी के कारण छूट गयीं।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को और इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि साईकिल-रिक्शा से आने वाले यात्रियों को बाहर के ही गेट पर रोका जाता है और उन्हें अपने सामान ढोने के लिए कुलियों को बहुत पैसे देने पड़ते हैं। यात्रियों को अपने टिकट लेने के लिए लगभग दो सौ गज चलना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि अन्य वाहन अर्थात डाईरेक्ट कार, टोकरियाँ तथा आटो-रिक्शा को अन्दर जाने दिया जाता है। अतः इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए ताकि साईकिल-रिक्शा से आने वाले यात्रियों को कोई कठिनाई न हो।

बिहार तथा देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा को लेते है। इसके लिए 3 घंटे तथा 30 मिनट का समय दिया गया है। अब श्री मधु दंडवते चर्चा शुरू करें।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं·····उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, सभा में कोई भी केबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है विशेषकर जब कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हो। ऐसा कब तक चलेगा ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मामला क्या है ? एक कि केबिनेट मंत्री सभा में नहीं हैं। (व्यवधान)

एक माननीत सदस्य : मंत्री वहाँ बैठे हैं।

श्री सूरजपाल (अम्बाला) : यह इस लिए है कि वे हरिजन हैं, शेडयूल्ड कास्ट के मिनिस्टर हैं। यदि हरिजन न होते, तो वह भी न होते।

श्री रामेश्वर शास्त्री (पटना) : वह भले आदमी हैं, इस लिये बैठे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वैसे हरिजनों के लिए इनके दिल में बड़ा दर्द है।

श्री चन्द्रजीत यादव : एक केबिनेट मंत्री को यहां तुरन्त आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब तक वे नहीं आते, उस समय तक के लिए आप सभा स्थगित कीजिए। (व्यवधान)

श्री सूरजभान : उनका इंतजार करने की बजाय अच्छा रहेगा कि आप सभा को स्थगित करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मध्याह्न भोजन का 1 बजे और 2 बजे म० प्र० का समय है। आप कुछ इंतजार कीजिये। वे आ जायेंगे।

श्री रामविलास पासवान : मेरा प्वाइंट-आफ-आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का मामला बहुत ही गम्भीर है। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आज का सारा कार्यक्रम खत्म करके 12 बजे से साढ़े तीन बजे के बीच में इसको रखा गया है।

इतने इम्पोर्टेण्ट इसू के ऊपर बहस चल रही है और केबिनेट मिनिस्टर कोई यहां पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार इसकी गंभीरता नहीं समझती और जब वह इस विषय की गंभीरता को नहीं समझेगी तो क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन से यह आशा रख सकते हैं कि वह इसकी गंभीरता को समझेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या इसको समझेगा जब सरकार अपनी जवाबदेही नहीं समझती और विषय की गंभीरता को नहीं समझती। इसका नतीजा यह होता है कि जब यहां पर डिस्कशन होता है, तो दूसरे दिन ही हरिजनों की किलिंग होती है। आज डिस्कशन खत्म हुआ कि दूसरे दिन किलिंग हो जाती है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सरकार हरिजनों के प्रति कितनी हमदर्दी रखती है, यह इसको बतलाता है। आप 10 मिनट के लिए हाऊस एजोर्न कर दीजिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मेरे विचार में श्री जैल सिंह बहुत जल्दी आयेंगे। इस बीच में शुरू कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : ये केबिनेट मंत्री नहीं हैं। ये नीति सम्बन्धी मामले के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ नहीं कह सकते, इनका क्या फायदा है ?

श्री चरणजीत यादव : कोई भी मंत्री संसद भवन के अहाते में दिखाई नहीं देता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री की अनुपस्थिति में हमें स्थगन प्रस्ताव लाना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : श्री लास्कर केवल राज्य मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अन्तर्गत यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विचार है कि केबिनेट मंत्री को उपस्थित होना चाहिए। इस बारी आप जारी रखें। मैंने मंत्री को बुलाने के लिये कह दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : गृह मंत्री कुछ कहने और करने में सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ कौशल आ गये हैं। ये केबिनेट मंत्री हैं। गृह मंत्री जी आ रहे हैं। इस उचित सुझाव को उन्होंने मान लिया है। केबिनेट मंत्री आ गये हैं। अब सब ठीक है।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब तक हम इन प्रश्नों को न उठायें, उस समय तक मंत्री को कोई जानकारी नहीं होगी।

श्री रामविलास पासवान : हरिजनों का मामला था, इस लिए आमलेट आए हैं।

(व्यवधान)

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट के समय नहीं आए थे, तो हरिजनों वाले इस मामले में तो समय पर पहुंच जाते।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हमने विषय को इतना गंभीर समझा, इसलिए ही सरकारी समय दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : शोषितों के मामले में यह सरकार लापरवाह है और शोषण करने वालों के साथ है।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आप देखें कि प्रतिशत क्या है।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तीन केबिनेट मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विपक्ष के सदस्यों के कम से कम एक केबिनेट मंत्री को सभा में हाजिर रहने सम्बन्धी अनुरोध पर सभा में उपस्थित रहने की कृपा की है। और मुझे खुशी है कि उनमें से तीन आ गये हैं। जब वे आते हैं, तो वे अकेले नहीं आते। तीन मंत्री आ गये हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है।

मैं एक ऐसे मामले की चर्चा उठा रहा हूं जो हमारे देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और इन अत्याचारों को भविष्य में रोकने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिये।

हमारे भारतीय समाज में, जो जाति तथा आर्थिक वर्ग की ओर झुका है, इन दंगों तथा अत्याचारों के मूल कारणों का पता देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बीच खोजना चाहिये। यह बात बहुत ही विरोधाभासपूर्ण है कि यद्यपि हम गाय को माँ की तरह मानते हैं, फिर भी हरिजनों तथा आदिवासियों जो हमारे मांस और खून के अंग हैं—के पशुओं की तरह समझा जाता है तथा उन पर अत्याचार किये जाते हैं और उनका अकथनीय अपमान किया जाता है।

एक मजबूत जनमत के दबाव तथा राष्ट्र की आत्मा जगाने से ही हमारे लिए देश के अन्दर भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोकना सम्भव होगा।

नियम 193 के अन्तर्गत आज की चर्चा का उद्देश्य राष्ट्र तथा राष्ट्र की अन्तर्आत्मा की बंद तथा दबी आवाज को मुखरित करना है ताकि इस रूप में यह एक अथवा कुछ व्यक्तियों की ही आवाज न बने बल्कि यह राष्ट्र की उस दबी आवाज को भी मुखरित करे जो चाहेगी कि सभा भी इसे सुने और जो इस सभा में मुखरित भी होना चाहेगी।

मुझे शुरू में ही इस बात को स्पष्ट करने दें कि जहां तक हरिजनों तथा आदिवासियों जैसे कमजोर वर्गों के सुरक्षण गांधी तथा बुद्ध के इस देश में एक राष्ट्र की एक नैतिक वचनबद्धता है और यह एक संवैधानिक दायित्व है।

विपक्ष के सदस्य आम तौर पर हरिजनों तथा आदिवासियों पर किये गये अत्याचारों के प्रश्नों को उठाते हैं।

श्री रामगोपाल रेड्डी : आपको 'सत्तारूढ़ दल के सदस्यों सहित' कहना चाहिये।

श्री मधु दंडवते : मैंने इसे शुरू में ही कह दिया था। यदि इनकी सुनने की क्षमता सीमित है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा है; इन्होंने सुना नहीं। मैं कह चुका हूं। यदि वे सद्-भावनाओं को समझने में असमर्थ हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैंने कहा था : यह किसी विशेष दल अथवा ग्रुप की आवाज नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की गूंजती तथा पुनः गूंजती आवाज है।

जब हम प्रश्न को उठाते हैं, तो कभी-कभी अध्यक्ष जी भी प्रश्न पूछ बैठते हैं : "क्या यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है" ?

मुझे बहुत खुशी है कि अध्यक्ष महोदय ने इस संकीर्ण तथा सीमित दृष्टिकोण को नहीं अपनाया है; बल्कि इसके लिए एक संवैधानिक आधार है। जहां तक हरिजनों तथा आदिवासियों जैसे कमजोर वर्ग का सम्बन्ध है वचन के रूप में एक चर्चा को भंग नहीं कर रहे बल्कि हम एक अधिकार के रूप में इस चर्चा को कर रहे हैं। जब मैं ऐसा कहता हूं, तो मैं न केवल अपनी पार्टी तथा विपक्ष की ओर से बोल रहा हूं बल्कि इस सभा के सभी सदस्यों की ओर से बोल रहा हूं क्योंकि इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था का सहारा है।

जब प्रश्न उठाया जाता है अर्थात क्या हरिजनों तथा आदिवासियों का सुरक्षण राज्य का विषय है अथवा केन्द्र का तो मैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का हवाला देते हुये चर्चा शुरू करना चाहता हूं क्योंकि उस प्रश्न को हमेशा के लिए इस सभा में निपटाया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 46 बहुत ही स्पष्ट है। मैं इसे पढ़ूंगा :—

"राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

संविधान के इस विशेष अनुच्छेद में "राज्य" की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार की जानी चाहिये। मैं जानबूझ कर इस प्रश्न को उठा रहा हूं ताकि भविष्य में इस या उस पक्ष का कोई सदस्य हरिजनों के विरूद्ध अत्याचारों का प्रश्न उठाये तो अधिकार क्षेत्र का प्रश्न, अर्थात क्या यह राज्य से सम्बन्धित है या केन्द्र से, न उठाया जाये। इस अनुच्छेद 46 में "राज्य" शब्द, जिसका जिक्र किया गया है, क्या संविधान के अनुच्छेद 36 के ही संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 36 में कहा गया है :—

"यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग 3 में है"

मूल अधिकारों के भाग 3, अनुच्छेद 12 में कहा गया है :—

"यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग से "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद....."

मैं इसे दुबारा पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है :—

"यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग से "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद....."

मैं इस सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 की ओर भी दिलाता हूं।

संविधान का अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ को दायित्व देता है और अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण से संबंधित है, और इन मामलों में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों का संरक्षण शामिल है और इसीलिये यह राष्ट्र की उस नैतिक बचनबद्धता की बजाय संवैधानिक दायित्व पर आधारित है जिसके बारे में हम मांग करते हैं कि देश के हरिजनों तथा आदिवासियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा सुरक्षा की व्यवस्था की जानी है। जब मैं हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचारों का प्रश्न उठाता हूं तो हमें समाधान की कोशिश करनी चाहिये—कि समस्या कितनी गंभीर है। अतः मैं किसी भी प्रकार के अविश्वासनीय आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता। सौभाग्यवश गृह राज्य मंत्री सभा में उपस्थित हैं। उन्होंने 25 फरवरी, 1982 को हरिजनों तथा आदिवासियों की हत्या सम्बन्धी एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया था। राज्य मंत्री जो सभा में उपस्थित हैं, वे 25 फरवरी 1982 के अपने उत्तर में बहुत ही संगत आंकड़े दिये थे। उन्होंने बताया कि देश में हरिजनों की हत्या की क्या स्थिति है। राज्य मंत्री ने दूसरी सभा को सूचित किया कि 1980 में 496 हरिजनों की हत्यायें की गयीं। 1981 में 464 हरिजनों की हत्या की गई और 1980-81 में कुल 960 हरिजनों की हत्या की गयी। हरिजनों के बहुमूल्य जीवन तथा उनके विरुद्ध अत्याचारों की स्थिति क्या है ? यह हमारे लिए भी शर्म की बात है क्योंकि चाहे हम विपक्ष के हों या सत्तारूढ़ दल के हों, हम हरिजनों की जिंदगी की रक्षा करने में असफल रहे हैं।

अतः मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देश में हरिजनों के विरुद्ध किये गये अपराधों की क्या तसवीर है? फिर उन्हीं राज्य मन्त्री महोदय ने लिखित उत्तर दिया है। 1980-82 में हरिजनों के विरुद्ध अत्याचारों की संख्या, जिनमें हत्या वलात्कार और हरिजनों के साथ अत्याचार सम्मिलित हैं, 1980-81 में 26748 हो गई। और उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य विशेष की क्या स्थिति है? 1980 में हरिजनों के विरुद्ध 236 अपराध किये गये थे, 1981 में उनकी संख्या 214 थी और 1980-81 में अकेले उत्तर प्रदेश में अपराधों की कुल संख्या 450 थी। यही सब कुछ तो अब हो रहा है।

सरकार तो आती जाती रहती है, परन्तु हम देखते हैं कि अत्याचारों की तसवीर भयानक रूप में रही है। यदि हमारे हाथ नारायणपुर और बेलची के खून से सने हैं तो नयी सरकार पर पिपरा, देवली, साधुपुर, कसतारा गांव के खून के धब्बे लगे हैं और मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के तथा हाल ही में गया जिले के भी जहां पर भूमिहीन मजदूरों की हत्या कर दी गई है। की घटनाएं भी हैं दूसरों के सिर आरोप मढ़ने से हमें राजनैतिक सन्तोष तो मिल सकता है, परन्तु इससे हरिजनों और आदिवासियों को कोई लाभ नहीं होगा। और इसलिए सभा में एक होकर इस संसदीय संस्थान की समग्रता के रूप में ऐसे मार्ग और साधन ढूंढ़ने चाहिए जिससे कि भविष्य में विगत का यह काला इतिहास, अन्धकारमय इतिहास समाप्त हो। और देश में हरिजनों और आदिवासियों के लिए उज्जवल भविष्य निश्चित किया जा सके।

देश में हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयां क्या हैं? राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हिसाब से अधिकांश हरिजन खेतीहर मजदूर हैं और जो खेतीहर मजदूर नहीं है वे हरिजन कौन हैं। अन्य हरिजन फसल की बढ़ाई गिरि तथा छोटे और सीमान्तिक किसान हैं जो मछली पकड़ने तथा बुनाई और चर्मशोधन जैसे निम्न आय के धन्धों पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश हरिजन गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

बन्धुओं मजदूरों की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण से मालूम पड़ता है—इससे एक बार फिर मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है—कि देश के बन्धुआ मजदूरों में से 66 प्रतिशत हरिजन हैं। इससे देश में हरिजनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यही एक ऐसा समुदाय और जाति हैं जिसे हम सामाजिक रूप से दलित जाति और आर्थिक रूप से शोषित वर्ग कह सकते हैं।

अतः हरिजनों की समस्याएं सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं हैं। एक सामाजिक पहलू है, और एक सामाजिक दृष्टिकोण है तथा एक आर्थिक पहलू है। और केवल तभी हम देश में हरिजनों को संरक्षण देने और सुरक्षा प्रदान करने में सफल होंगे जब हम इन सभी को एक साथ लें।

हरिजनों में जागरूक वर्गों ने — मैं यहां पर डा० बी० आर० अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे नेताओं को धन्यवाद देता हूं—हरिजनों में एक नई लहर पैदा कर दी है। डा०

अम्बेडकर ने हरिजनों को बताया था कि जातिवाद को लेकर चलने वाले समाज से छोटी-छोटी दया की भीख मत मांगो, बल्कि अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की मांग करो। आश्रय और खैरात पर निर्भर मत करो, देश में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के बल पर जीओ। देश के संविधान के रचयिता स्वर्गीय डा० अम्बेडकर ने हरिजनों को यह संदेश दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में यह बात पैदा होती है कि जब सरकार हरिजनों और आदिवासियों को भूमि के पुनर्वितरण की योजनाओं को लागू करती है तो देश में कुछ स्वार्थी तत्वों को इससे कष्ट होता है। यदि भूमि के पुनर्वितरण से भूमि हीन हरिजन मजदूरों और भूमिहीन हरिजन कृषकों को लाभ पहुंचता है और भूमि उन्हें पहले ही वितरित कर दी गई है तो स्वार्थी तत्व, उनके अनुचर और उनके गुण्डे हाथों में हथियार लेकर हरिजनों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही उनके सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का कारण है। आप देखेंगे कि अनेक स्थानों पर हरिजनों की हत्या की जाती है, उनकी औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और वास्तव में उनके घरों को जला दिया जाता है। यही पिपरा में पढ़ा है। जब राष्ट्रपति शासन था तो मैं पिपरा गांव में गया जहां पर कि वास्तव में हरिजनों की हत्या की गई थी और उन्हें जीवित जला दिया गया था। मैंने हरिजनों के कुछ परिवारों के लोगों से पूछा कि क्या इसमें कोई राजनीतिक कारण है, क्या इसमें कोई चुनाव की राजनीति है ? उनका उत्तर था कि इसमें चुनाव की राजनीति का तो कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि 1952 के पश्चात हमने कभी भी मतदान में भाग नहीं लिया। अन्य लोगों ने हमें बताया था कि न तो आपको जाने की आवश्यकता है और जाने का साहस भी न करना क्योंकि प्रबन्ध तो पहले ही हो चुका है। वे किसी राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगा रहे थे। परन्तु उनका कहना था कि पिपरा का वर्तमान वातावरण इसी प्रकार का आतंक भरा है। अतः राजनीति का प्रश्न ही नहीं उठता है और मतदान करने का भी प्रश्न ही नहीं उठता है। उन गांवों ने मुझे बताया था कि उन्होंने केवल 1952 में ही मतदान किया था। उसके बाद, स्वतन्त्र भारत में, वे कभी मतदान करने के लिए नहीं गये। ऐसा अनुभव रहा है।

जहां तक खेतीहर मजदूरों का सम्बन्ध है वे सामाजिक और आर्थिक रूप में बहिष्कृत हैं। मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र के एक गांव में जब हरिजन समुदाय के खेतीहर मजदूरों ने न्यूनतम वेतन के लिए जोर दिया तो उस क्षेत्र के प्रभावशाली समुदाय के भू-स्वामियों ने फैसला किया कि ठीक है आज तो वे न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, परन्तु उन्हें समाज में, गांव में रहना है और यदि हम उनका अपने खेतों से और सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दें—आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार —तो यहां कतई रह न सकेंगे। इस तरह से उन्होंने हरिजनों के उन वर्गों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहिष्कार करने का प्रयास किया।

बिहार में ईंटों के भट्टों के मालिकों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। मैं स्वयं बिहार गया था और मैंने स्थिति का अध्ययन किया था। मैं ईंटें बनाने वाले मजदूरों से मिला था। उन्होंने बताया कि जब हमारी महिलाएं भट्टों पर काम करने जाती हैं तो भट्टों के मालिक उनके साथ बलात्कार करते हैं और उन्हें न्यूनतम वेतन देने से मना करते हैं और कभी-कभी सामान्य मजदूरी भी नहीं देते हैं। एक हरिजन ने आंसू भरी आंखों से बताया कि

कभी-कभी हमारी औरतें मजदूरी के बिना और अवैध सन्तान पेट में लेकर डोलती हैं। उसने इस प्रकार वहाँ की महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया। समाज में, हरिजन एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक रूप से दलित और आर्थिक रूप से शोषित है। और इसलिए, अन्य जातियों के प्रश्न और अनुसूचित जातियों के प्रश्न को एक समान ही माना जा सकता है।

जहां तक उच्च जातियों और समुदायों का सम्बन्ध है, उनमें भी विशिष्ट वर्ग है और प्रभावशाली वर्ग है और पद दलित वर्ग भी है परन्तु हरिजनों का ही समुदाय और वर्ग एक ऐसा है जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा अर्थात जाति और उनकी आर्थिक वर्ग पूर्णतया एक जैसे हैं और इसीलिए उनके जीवन में सभी भेदभावों का मूलकारण सामाजिक शोषण और आर्थिक शोषण है अर्थात उनके जीवन में अन्याय का मूल कारण और इसीलिए उसे हटाया जाना चाहिए।

महोदय, आप भविष्य में अत्याचारों को कैसे रोकेंगे ? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा। कि इस सभा में और विभिन्न समितियों में, गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति में इस समस्या को बारबार उठाया गया है। उनमें रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं और इस समस्या को सदा-सदा के लिए हल किया जाना चाहिए।

महोदय, कभी-कभी भावुक होकर लोग यह सुझाव देते हैं कि आप हरिजनों को हथियार दीजिए और उनकी सुरक्षा हो जायेगी। महोदय, मैं हत्या काण्डों के बाद देवली गया था और साधुपुर भी गया था और पिपरा भी गया जब मैंने हरिजन परिवारों के सदस्यों से बातचीत की और उनसे पूछा—हम संसद में कुछ शैक्षिक उपाय और सुझाव बताते रहते हैं, परन्तु मैं हरिजन परिवारों के सदस्यों से यह जानना चाहता था कि यदि आपको हथियार दे दिये जाएं तो क्या आप अपनी रक्षा कर सकेंगे ? और साधुपुर में एक अभिज्ञ हरिजन ने मुझे उत्तर दिया और पूछा कि महोदय, आप हमें कितने हथियार दे सकते हैं, सरकार हमें कितने हथियार दे सकती है ? वे धनी जमींदार जो कि वहां बड़ी संख्या में रह रहे हैं वे इतने हथियार ला सकते हैं जो कि आप जैसे मिलों द्वारा और सरकार द्वारा हमें दिए गए हथियारों से कहीं अधिक होंगे और इस प्रकार हथियारों का कोई जोड़ नहीं होगा। ये तो वैसी ही बात हुई कि किसी बड़ी शक्ति के पास तो हो परमाणु बम और अन्य ताकतें उससे रायफलों और और पिस्तोलों से लड़ने लगे।

आज यह स्थिति है। उन हरिजनों ने मुझे यही कुछ बताया था। आप उसे स्वीकार करें या न करें आप उस मामले को तौल सकते हैं। आप अपना स्वयं का निर्धारण कर सकते हैं, आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं. परन्तु इन भोले-भाले हरिजनों ने मुझे बताया था कि हमें हथियार देने की बजाय आप हमारे क्षेत्र के उन जमींदारों और असामाजिक तत्त्वों के हथियार छीन लीजिए जोकि जमीदारों के अनुचर हैं और यदि आप कहीं उनके सारे हथियार छीन कर उन्हें पूर्णतया निहत्था बना सकें तो हमारे विचार से हमारे लिए वह कहीं अधिक सुरक्षात्मक होगा, बजाय इसके कि आप देश में छोटे-मोटे हथियारों का विवरण करें। मैं नहीं जानता कि क्या तर्क

संगत है। सरकार को इसकी जाँच करनी चाहिए। मैंने गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में सुझाव दिया था कि वे समस्या की गहराई में जाकर यह जानने का प्रयास करें कि जो हथियार उन्हें दिए जाएंगे उनकी मार क्या होगी।

महोदय जहां तक असुरक्षित, अति संवेदनशील क्षेत्रों का सम्बन्ध है और जहां तक असुरक्षित वर्गों का सम्बन्ध है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की कल्याण समिति ने सुझाव दिया है कि हमें उन पुलिस स्टेशनों को आधुनिक रूप देने का प्रयास करना चाहिए जो हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों से है। यह भी सुझाव दिया गया है कि जब गड़बड़ होती है, हरिजनों की हत्या की जाती है तो प्रायः हम पाते हैं कि स्वयं पुलिस भी जातिवाद के चंगुल में है और वह हरिजनों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कवच नहीं बन सकता है। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि जैसा समाज होगा, पुलिस भी वास्तव में वैसा ही करेगी। यदि समाज में जातिवाद का जोर है तो पुलिस बल में भी वह फैलेगा। और कभी-कभी पुलिस को वर्दी में पाते हैं और कभी-कभी वे वर्दी में अपराधी भी बन जाते हैं। जातिवाद के तत्त्व उनमें भी होते हैं और यदि ऐसे पुलिस कर्मियों को हरिजनों की सुरक्षा का भार सौंप दिया जाए तो वह ठीक न रहेगा। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की कल्याण समिति जिसने यह माँग की थी कि वे असुरक्षित क्षेत्र जो हरिजनों और आदिवासियों पर आक्रमण के लिए संवेदनशील हैं, वहां जब आप ऐसे क्षेत्रों में पुलिस लगाते हैं तो उनमें से 50% पुलिस कर्मचारी हरिजन होने चाहिएं। यह सुझाव किसी एक नेता का, किसी एक राजनीतिक दल का न होकर अनुसूचित जन-जातियों की कल्याण समिति का है और मुझे आशा है कि इस पहलू-विशेष पर ध्यान दिया जाएगा।

समस्या यह है कि हरिजनों की रक्षा किस प्रकार की जाये? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति ने जो सुझाव दिए हैं उनमें से एक सुझाव यह है कि हरिजनों पर अत्याचार होने का सम्बन्ध भूमि सुधारों से है। जिन क्षेत्रों में भूमि सुधार तेजी से लागू किए गए हैं उनमें इस प्रकार की क्रान्ति आई है। आप देखते हैं कि खेती करने वाले की जमीन का एक टुकड़ा मिल जाता है तो उसे इस बात का आभास होता है कि वह एक बेहतर तरीके से और सुरक्षित रूप से रह रहा है। भूमि सुधारों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि जहां कहीं भी भूमि सुधार लागू नहीं किए गए हैं वहाँ जमींदार जातिवाद का लाभ उठाते हैं और हरिजनों की सुरक्षा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अतः भूमि सुधारों की तेजी से लागू करना होगा।

वर्तमान राजनैतिक वातावरण में केवल राजनीति द्वारा, प्रशासनिक उपायों द्वारा और राजनीतिक दलों के प्रचार द्वारा ही जातिवाद की विडम्बना को समाप्त करना सम्भव नहीं होगा। राजाराम मोहन राय जैसे व्यक्तियों ने सामाजिक क्षेत्र में सुधार आन्दोलन आरम्भ किया था और जहां कहीं भी उन्होंने इस प्रकार का आन्दोलन आरम्भ किया वहां एक नया वातावरण तैयार किया था नये मूल्य निर्धारित किए थे। वास्तव में उस समय के जीवन में नये मूल्यों का

संचार हुआ था। इसलिए जहां कहीं भी समाज सुधार आन्दोलन के माध्यम से नये मूल्यों का संचार होता है वहाँ यहां तक कि लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण भी बदल सकता है, अतः केवल प्रशासनिक तन्त्र पर, विपक्षी दलों पर अथवा सत्तारूढ़ दल पर ही निर्भर न किया जाए। मेरे विचार में समाज सुधारकों को शिक्षा एवम सुधार के कार्य करने होंगे। अतः समूचे सदन को देश के समाज सुधारकों से हार्दिक अपील करनी होगी कि केवल राजनीति की जादुई छड़ी एवम् आर्थिक सुधार के द्वारा ही हम व्यक्ति की मनोवृति पूर्णतया नहीं बदल सकेंगे।

जात-पात सम्बन्धी संकीर्णताएं मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान हैं। इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क में समानता एवं न्याय के आदर्शों का संचार करना होगा तथा समाज सुधार के कार्य को आरम्भ करना होगा। मैं आशा करता हूं कि सदन देश के समाज सुधारकों से यह अपील करेगा कि वे समाज सुधार आन्दोलनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करें ताकि समुचा दृष्टि कोण बदल सकें।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में विशेष रूप से एक और बात हो रही है। कुछ समय से हम मुठभेड़ों के सम्बन्ध में सुनते आ रहे हैं। हम सुनते हैं कि पुलिस और डाकुओं के बीच मुठभेड़ हुई जिसके परिणामस्वरूप इतने डाकू मारे गए। कोई नहीं जानता कि वे कौन थे ? क्या वे वास्तव में ही डाकू थे ; उत्तर प्रदेश और बिहार के मेरे मित्रों ने जिन्होंने उन व्यक्तियों को देखा था जिन्हें मारा गया था, मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में पुलिस तथा कथित डाकुओं के बीच काल्पनिक मुठभेड़ होती है और कभी-कभी पुलिस अपने वास्तविक उद्देश्यों को छिपाने के लिए नकली मुठभेड़ों के नाम पर अनेक आदिवासियों व हरिजनों की हत्या कर देती है। मेरे विचार में जब कभी भी समाचार पत्रों के सम्पादकों द्वारा इस प्रकार कोई गम्भीर आरोप लगाया जाता है तो गृह मंत्री को उस पर उपयुक्त ध्यान देना चाहिए, सम्पादकीय में उन्होंने लिखा है कि पुलिस के तथाकथित डाकुओं के साथ हुई कुछ मुठभेडे नकली हैं और इन नकली मुठभेड़ों में हरिजनों और आदिवासियों की हत्या की जा रही है। यदि पुलिस की डाकुओं के साथ मुठभेड़ होने के नाम से उन्हें समाप्त किया जा रहा है तो उन्हें इस समस्या का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि क्या उन्हें बेहतर सुरक्षा दी जा सकती है।

अत्याचार को रोकने सम्बन्धी प्रयासों में मजदूर संघ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ईंट बनाने वाले भट्टों में बन्धुआ मजदूर कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 66% बन्धुवा मजदूर हरिजन हैं। सरकार को सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों का सहयोग प्राप्त करना होगा चाहे वे संगठन ईंटक से सम्बन्धित हों या सी०टी०यू० से सम्बन्धित हों अथवा बी०आई०एम०एस० या हिन्द मजदूर सभा से। चाहे इन केन्द्रीय मजदूर संघों का सम्बन्ध अथवा उद्भव किसी भी राजनीतिक दल से हो।

इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि यदि हम कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम कर सकें, यदि हम देश की केन्द्रीय मजदूर यूनियनों का सहयोग प्राप्त कर सकें तो बन्धुआ मजदूर की समस्या

को कुछ हद तक हल किया जा सकता है और बन्धुआ मजदूरों की समस्या हल करने का अभिप्राय: है हरिजनों की समस्या का समाधान। क्योंकि 66% बन्धुआ मज़दूर हरिजन हैं और इस प्रकार परोक्ष रूप में उनकी समस्या का हल किया जा सकता है।

किसान संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में भूमि सुधारों का लाभ सीधे सम्बन्धित व्यक्तियों अर्थात हरिजनों, आदिवासियों तथा भूमि हीन मजदूरों तक पहुंचे। इस लिए किसान संगठनों को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। यदि सरकार इस सम्बन्ध में ठोस प्रयास करे तो शायद यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

एक और पहलू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, देश में अनेक महिला संगठन कार्य कर रहे हैं। यदि आप महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और उनकी समस्याओं पर दृष्टिपात करें—मैं जात-पात के पहलू को नहीं उठाना चाहता। परन्तु यह सच है कि जहां कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जहां कहीं भी उनके साथ बलात्कार किया जाता है, जहां कहीं भी उनके साथ छेड़-छाड़ की जाती है विशेष रूप में श्रमिक वर्गों और गांवों में, उनकी सूचना सही ढंग से नहीं दी जाती। यदि प्रतिष्ठित वर्ग के किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला तो सभी समाचार-पत्रों में उसके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जाती हैं।

जैसे ही उस मामले की सूचना दी जाती है वैसे ही समाचार-पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर समाचार छापा जाता है। परन्तु यदि किसी भूमिहीन मजदूर की हत्या कर दी जाती है और उसकी पत्नी के साथ छेड़-छाड़ की जाती है और उसे खेतों में डाल दिया जाता है, तो इसकी किसी को भी सूचना नहीं मिलती। गाँवों में काम करने वाले मेरे कुछ सहयोगियों का यह अनुभव है कि जब भी वे थाने में इसके बारे में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो समाज के निहित स्वार्थी तत्त्व दबाव के आधार पर इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि प्रथम-सूचना-रिपोर्ट दर्ज न की जा सके। प्राय: किसानों, आदिवासियों, और हरिजनों के श्रमिक वर्गों और काम-काजी महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ और बलात्कार होने के मामले किसी की जानकारी में नहीं आते। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार ने महिला-संगठनों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगी ताकि किसान संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और सुधार-आन्दोलन के नेताओं और महिला संगठनों के सहयोग से देश में एक नया वातावरण हमारे लिए तैयार करना सम्भव हो सके। देश में इस प्रकार का नया वातावरण तैयार करके ही हम जन साधारण को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करा पायेंगे।

हम सबको मिलकर समस्या का समाधान करना है। महोदय, ऐसे अनेक सामाजिक और आर्थिक कार्य हैं जिन पर हम सब एक मत हो सकते हैं।

आप चाहे किसी भी पार्टी से सम्बद्ध हों। कोई भी इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि हरिजनों, भूमिहीन मजदूरों को तबाह किया जाए। यह एक ऐसा मसला है जिस पर सारा सदन पूर्णत: सहमत हो सकता है।

इसलिए मैं कहूंगा कि जब अमृतसर साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा था उस समय समूचे सदन में एकमत से आवाज उठाई थी। हरिजनों पर अगर अत्याचार होता है तो गांधी जी की आत्मा को ठेस लगती है। यदि हम महात्मा गांधी के जीवन की रक्षा नहीं कर पाये तो हरिजनों के विषय में अच्छे कार्य करके हमें कम से कम गांधी जी की आत्मा को तो बचाना ही चाहिए। मैं सदन से बस यही अपील करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :—हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर भी बहस करनी है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे निर्धारित समय का कड़ाई से पालन करें क्योंकि प्रत्येक सदस्य बहस में भाग लेना चाहता है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी को आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो हमारे विरोध पक्ष के लोग बड़े बेचैन हुए और उन में बड़ी खलबली हुई। उनको शायद यह मालूम नहीं कि जब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है तो वहां सबसे पहले ज्ञानी जी जाते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जाती हैं। ये जाते भी हैं तो बहुत विलम्ब के बाद और घड़ियाली आंसू बहाने जाते हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री एम०राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : शैलानी जी उन बातों में मत जाइए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज इस सदन में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।

पिछले सत्र में . . . . . (व्यवधान) . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस चर्चा में राजनीति को शामिल न करें। मैं प्रो० मधु दण्डवते के भाषण से बहुत सन्तुष्ट हुआ था।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हम भी प्रो० मधु दण्डवते के भाषण से बहुत सन्तुष्ट हुए हैं।

श्री चन्दपाल शैलानी : इसी सदन में पिछले सत्र के आखिरी दिन 24 दिसम्बर, 1981 को देहुली काण्ड पर बहस हुई थी और आज भी, यह विचार करने की बात है कि बजट सेशन के आखिरी दिन अनुसूचित जातियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर इस सदन में चर्चा हो रही है।

आजादी के 35 सालों के बाद भी इस देश में अछूत और दलित कहे जाने वाले लोगों पर अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं। लोग उनकी जान व माल से खेलें, उनकी इज्जत को लूटें, उनका कत्ले आम करें, इसकी मैं समझता हूं सभी लोगों को—वे किसी भी धर्म अथवा किसी भी पार्टी के हों—घोर निन्दा करनी चाहिए, कड़े से कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। यह सभी के लिए शर्म की बात है कि आज भी आजाद देश में इस तरह के काण्ड हो रहे हैं। चाहे

बेलची हो, जमशेदपुर हो, पारसीबीघा हो, नारायनपुर हो, कंझावला हो, कफाल्टा हो, पिपरा हो, साढूपुर हो या गया हो—कहीं भी अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज पर अत्याचार होते हैं तो सरकार को उसे गम्भीरता के साथ लेना चाहिए।

शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज पर अत्याचार होने के कुछ मौलिक कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सदियों से समाज में इन लोगों पर अत्याचार होते आ रहे हैं। यह समाज जिस पर अत्याचार किए जाते हैं उससे अधिक गरीब कोई और नहीं है। इसलिए इनका सबसे बड़ा अभिशाप इनकी गरीबी ही है। यही कौमें भूमिहीन भी हैं इसलिए सब वर्ग के लोग, जमींदार लोग और बड़े-बड़े किसान और सामन्त इन कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं। इन पर होने वाले अत्याचारों का एक कारण इस देश की वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा भी है। खास तौर से हमारा हिन्दू समाज चार वर्णों में विभक्त है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग चौथे वर्ण में आते हैं जिनको शूद्र कहा जाता है। शूद्रों का काम बाकी समाज की सेवा करना माना गया है।

जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के सबसे पहले प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू बने। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए अपना जीवन कुरबान कर दिया। जब अछूतों के लिए रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान की गई है, शिक्षा में तथा नौकरियों में, तो उनमें एक चेतना जागृत हुई औरसमझदारी की भावना आई। लेकिन जो रूढ़िवादी जातिवाद में विश्वास करते हैं, सामन्तवाद में विश्वास करते हैं उनको इन लोगों का आगे बढ़ना बहुत अखरा। इसीलिए मैं समझता हूं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में जो जागृति आ रही है—शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में—उसको रूढ़िवादी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।

आज भी गांवों में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनसे बेगार ली जाती है और उसके बदले से पैसा नहीं दिया जाता है जिसके कारण झगड़ा होता है। मूल कारण यही है कि गांवों में, इन लोगों से बेगार कराई जाती है और उसके बदले में पैसा नहीं दिया जाता है जिससे झगड़ा पैदा होता है।

यह लोग अच्छी-अच्छी नौकरियों में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वह भी इन सामन्तवादी लोगों को अच्छा नहीं लगता है और इस कारण भी इन लोगों पर जुल्म और अत्याचार होते हैं।

मुझे माफ किया जाए यह कहने के लिए कि 15 अगस्त, 1947 से लेकर मार्च, 1977 तक कांग्रेस के रेजीम में अछूतों के सामूहिक कत्ल की अगर एक भी घटना घटी हो तो विपक्ष के साथी बता दें, जो भी दण्ड वे देंगे मैं उसका भागीदार हूंगा।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : तामिलनाडू में 35 हरिजनों को जिन्दा जलाया गया था। यह कांग्रेस राज में हुआ था। आप पूछ रहे हैं, इस लिए बतला रहा हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : आप धीरज रखिए···(**व्यवधान**)···

यह वक्त की बात थी कि मार्च, 1977 में इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो छूत-छात में विश्वास करते थे, ऊँच-नीच में विश्वास करते थे, सामन्तवाद में विश्वास करते थे और उसी शासन में बैलछी, नारायणपुर, पिपरा, विश्रामपुर की घटनायें हुईं, बल्कि अछूतों का सामूहिक कत्ले -आम शुरू हुआ। इस लिए हुआ कि जो लोग जरायम-पेशा थे, जो लोग गरीबों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते थे, जो उनको ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने समझा कि जब सूबे में और दिल्ली की गद्दी पर हमारे हिमायती बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इन का कत्लेआम करने में कोई कमीं नहीं छोड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय :जहाँ तक मुझे मालूम है किसी एक पार्टी के हरिजनों या आदिवासियों ने किसी दूसरी पार्टी के हरिजनों या आदिवासियों की हत्या की हो इसलिए कृपया यहां राजनीति मत लाइए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मेरे कहने का तात्पर्य यह है·····

उपाध्यक्ष महोदय : किसी एक जाति के लोगों ने किसी दूसरी जाति के लोगों के साथ कुछ किया है। कृपया इसमें राजनीति मत शामिल कीजिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : हरिजनों का यह सामूहिक हत्या काण्ड कब से शुरू हुआ मैं—आप के माध्यम से, इस सम्माननीय सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। मार्च, 1977 से पहले इस तरह की एक भी घटना नहीं हुई···

श्री सूरजभान : 1968 में हुई।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : लेकिन 1977 से इन घटनाओं की एक कड़ी बंधी चली आ रही है जो आज भी कायम है। इसलिए मेरा निवेदन है—वह चाहे बेलछी हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे पिपरा हो, देवली हो, साहूपुर हो या गया हो, कोई भी हो यहां पर इस तरह की घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए।

मैं माननीय दण्डवते जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक बहुत ही उम्दा तकरीर की है, असली तथ्यों को देश के सामने रखा है। मैं उनकी बात से सहमत होते हुए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन घटनाओं के पीछे जो मौलिक कारण हैं हमें उनकी गहराई में जाना चाहिए और अब भी इस किस्म के जुल्म और अत्याचार हों उनको दूर करने के लिए कुछ ठोस उपाय सोचने चाहिए। मैं अपने सम्माननीय दोस्तों से, जो उधर बैठे हुए हैं, निवेदन करना चाहता हूं—जब बेलछी का हत्याकाण्ड हुआ तो श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पर गई थीं। नारायणपुर का हत्याकाण्ड हुआ तो श्रीमति इन्दिरा गांधी वहां पर गई थीं, लेकिन जिन लोगों के हाथों में उस वक्त देश का शासन था, उन के प्रधान मंत्री, गृहमंत्री और मुख्य मंत्री, एक भी मौके पर नहीं गया और न उन के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। जो-जो मुकदमें चले उनके फैसले

तीन-तीन और चार-चार साल में हुए, लेकिन जब हमारा जमाना आया तो 11 या 12 महीनों के अन्दर फैसला हो गया।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर मसला है। इन लोगों की मंशा इसलिए पूरी नहीं हो सकती, क्यों कि आप भी जानते हैं और यह सारा सदन अच्छी तरह से जानता है कि आज इस विषय पर चर्चा क्यों हो रही है, उसके कुछ कारण हैं। लेकिन जिस बात को ध्यान में रख कर और जिस इरादे से इस सदन में यह चर्चा कराई गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे विपक्षी साथियों का वह इरादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस देश का शोषित-सर्वहारा वर्ग शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ग कल भी मानता था, आज भी मानता है और कल भी मानेगा कि उनकी एकमात्र नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनकी पार्टी ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जो नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है उसमें अधिक से अधिक शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राहत पहुंचाने का प्राविजन है।

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरा आप से निवेदन है कि कांग्रेस सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उन से दहशत खा कर कुछ लोग इस देश में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि इस को पार्टी पोलिटिक्स से दूर रखा जाए और दूसरी तरफ वे ऐसी बातें कहते हैं। मैं भी कहता हूं कि इसको राजनीति से दूर रखा जाए और राजनीति को छोड़कर इस पर मानवता के दृष्टिकोण से विचार किया जाए लेकिन कुछ पार्टी के नेता इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए देवली से साढूपर की यात्रा करते हैं। उसमें ऐसी पार्टियों के नेता थे, ऐसे लोग थे, जिनका अछूतों से, दलितों से और शोषितों से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। उनकी पार्टी का कभी सम्बन्ध उनसे नहीं था और इनकी पार्टी के लोग ही उनके कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। उन्होंने उन पर जुल्म ढाये, उनकी फसल काट ली, उनके मवेशियों को चरने नहीं दिया, चारपाई पर उन लोगों को बैठने नहीं दिया और उनकी बारातों को चढ़ने नहीं दिया। इस तरह के लोग उनके लिए घड़ियालू आँसू बहायें, तो मेरे जैसे शोषित समाज के आदमी, जिसने एक शोषित माँ की कोख से जन्म लिया, को बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है। मैं इस पर और ज्यादा नहीं कहना चाहता।

मैं दो तीन सुझाव दे कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय गृहमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि यह एक समस्या ऐसी है, जिसका हल ढूंढना चाहिए। देवली पर जब चर्चा हुई थी, उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि इस देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर होने वाले अत्याचार एक अहम समस्या है और इस के लिए उनको स्थायी हल ढूंढना चाहिए और इसका स्थायी हल तभी हो सकता है जबकि सबसे पहले उनकी गरीबी को दूर किया जाए और उनकी गरीबी तभी दूर हो सकती है जब सरकार उसमें दिलचस्पी ले। आज तक जितना रिजर्वेशन उनके लिए तय हुआ है, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मेरा आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से अनुरोध है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के

रिजर्वेशन को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए और सबसे बड़ी मुसीबत अछूतों के सामने यह है कि वे भूमिहीन हैं। कांग्रेस शासन में जो भूमि उनको आवंटित की गई थी जब कांग्रेस का शासन 1977 में नहीं रहा, तो उस भूमि पर उनका कब्जा नहीं होने दिया गया क्योंकि उसमें जमींदार, सामंतवादी और बड़े-बड़े लोगों का हाथ था और वही लोग आज भी ऐसा नहीं होने दे रहे हैं।

माननीय मधु दण्डवते जी ने जो यह सुझाव दिया कि पी० ए० सी० में और पुलिस में उन को 50 परसेन्ट लिया जाना चाहिए, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वहां होंगे तो उन पर जुल्म और अत्याचार अगर होंगे भी, तो उन पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। हमारे समय में जहां भी इन पर जुल्म व अत्याचार हुए, देवली में जो शर्मनाक काण्ड हुआ, में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सराहना किए बगैर नहीं रह सकता, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सराहना किए बगैर नहीं रह सकता कि वे फौरन मौके पर गए, ज्ञानी जैल सिंह मौके पर गए और श्रीमती इन्दिरा गांधी भी वहां पहुंची और जिन लोगों को उजाड़ा गया था, जिन लोगों का कत्लेआम किया गया था, उनको तुरन्त ही आर्थिक सहायता दी गई और उनको बसाने के लिए मकानों की व्यवस्था की गई। पास ही में लगा हुआ शिकोहाबाद कस्बा है, वहां पर उनके लिए दुकानें बनवा कर उनको दी गईं। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि इनके नेता ने, इनकी पार्टी ने जितने अछूत मारे गए थे, कभी उनके लिए आसपास झोंपड़ी डलवाई। उनको उजाड़ा जरूर है लेकिन कभी उनके लिए झोंपड़ी नहीं डलवाई। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार गंभीरता से विचार करे और आगे इस देश में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, अछूतों पर जुल्मों व अत्याचारों की पुनरावृत्ति न हो, इस के लिए ठोस कदम उठाए।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) :—उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर अत्याचार का मसला अब एक राष्ट्रीय मसला बन चुका है। यह अच्छी बात है। कि इस मसले का प्रचार हो रहा है। किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं इस बारे में समाचार-पत्रों में समाचार छपते हैं। इस बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए और हमें इनके मूल कारणों का पता लगाना चाहिए कि इस प्रकार के घोर अत्याचार क्यों हो रहे हैं जब कि देश और समूचा विश्व सभ्यता एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

घोर अत्याचारों के सम्बन्ध में पहले ही काफी बहस हो चुकी है। मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा—त्रिपुरा, बेलची और नारायणा पुर इत्यादि। हाल ही में विशेष तौर पर बिहार उत्तर-प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर अत्याचार होने की बात सामने आई है। बिहार में हुए अत्याचारों के सम्बध में मेरे पास प्रेस-रिपोर्ट है। मुझे प्रत्यक्ष रूप में उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन समाचार-पत्रों में इस बारे में ब्यौरा दिया हुआ है कि किस प्रकार से घोर अत्याचार किये गये। स्टेट्स मैन अखबार ने इस बारे में लिखा है कि :—

"शनिवार की रात को मधुबनी जिले में राज नगर थाने के अन्तर्गत भटेश मारी गांव में पुलिस की गोलियों से छः कृषि मजदूर जिनमें एक महिला भी शामिल है, मारे गये और दो गम्भीर रूप से घायल हुये"

यह घटना 4 अप्रैल 1982 को हुई थी पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी से मजदूर मारे गये थे न की जमीदारों द्वारा उनकी हत्या की गई थी

मधुबनी बिहार में हुई एक और घटना के बारे में एक अन्य समाचार इस प्रकार है .

"मजदूर जिन्हें नक्सलबादी बताया गया था पिछले कुछ महीनों से मजदूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं इस क्षेत्र में जनवरी से पुलिस दल तैनात कर दिया गया था"

कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग करने पर नक्सल वादी कैो कहा जा सकता है ? सरकार को इस बात का उत्तर देना होगा नक्सल राजनीति क्या है ? यह जमींदारों की हत्या करने की राजनीति है कम से कम हम राजनीतिज्ञ नक्सलवाद और उग्रवाद को जानते हैं परन्तु समाचार यह है कि वे कई महीनों से मजदूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे समाचार में कहा गया है :

"गोलीबारी से घण्टों पूर्व मजदूरों ने श्री प्रमेश्वर ठाकुर जमींदार के मकान में तथा कथित आग लगा दी और उसकी सम्पत्ति को लूट लिया"

आप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह पुलिस का बयान था :

"पी० टी० आई० ने आगे कहा है कि "आज सिंघभूमि जिले में रामनगर थाने के अर्न्तगत जलियांवाला गांव में पुलिस ने हथियारों से लैस 200 आदमियों को जिन्होंने एक सिंचाई परियोजना पर हमला किया था, को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियाँ चलाई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बिहार के मुख्य सचिव श्री वी० पी० नायर ने कहा है"

दो सौ आदिवासी कृषि सिंचाई परियोजना पर गये। क्या यह नक्सलवाद है? नहीं, क्योंकि हो सकता है उनकी मांग मजदूरी बढ़वाने की हो। पुलिस का ब्यान यह है कि वे हथियारों से लैस हो कर आए थे और पुलिस को आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी।

कल ही मुझे बंगाली के एक पत्र **जुगन्तर** से एक समाचार प्राप्त हुआ है—

"मैं मधुबनी में हुई घटना के सम्बन्ध में छपे समाचार का अनुवाद पढ़कर सुनाता हूं। पत्रकार उन कृषि मजदूरों के सम्बध में लिखता है। उन्होंने लिखा है कि वे मजदूरी बढ़ाने की अपनी मांग के समर्थन में शान्ति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने अचानक ही गोली चलानी शुरू कर दी"

यह बंगाली भाषा में छपा है जिसका अर्थ यह है

(व्यवधान)

पुलिस ने एकदम गोली चलानी शुरू कर दी। तब लोग-बाग इधर-उधर भागने लगे। समाचार में कहा गया है कि पुलिस ने पचास राऊन्ड गोलियां चलाईं। एक 18 वर्ष के लड़के रामू का सारा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसकी मां को अब तक उसकी लाश नहीं मिली है।

सम्वाददाता जब उसकी मां के पास पहुंचा तब उसने उन्हें बताया "मुझे लाश नहीं मिली है। मुझे लाश चाहिये" परन्तु उसे लाश नहीं दी गई। रामू को क्या हुआ था ? जब पुलिस ने गोली चलाना शुरु किया उस समय रामू डर कर पेड़ के उपर चढ़ गया और पुलिस ने नीचे से उसको मार गिराया। तब पुलिस ने उसके शरीर पर कई गोलियाँ चलाईं और उसकी लाश को फेंक दिया।

एक दूसरा व्यक्ति है बाबूलाल मंडल। गांव में घुसने के तत्काल बाद पुलिस 45 वर्षीय बाबू लाल मंडल के पास गई और उसे मार डालने के लिये सीधे ही उसे एक गोली मारी। परन्तु वह मरा नहीं। उसके सिर पर चोट मारी गई और तब उसे रामेश्वर ठाकुर के घर तक खींच कर लाया गया जो जमींदार और एक अमीर किसान है।

उसके बाद पुलिस बाबूलाल मंडल के लड़के के पास गई जिसका नाम महेन्द्र था। उन्होंने उसे घर से बहार घसीट लिया और उसके सिर पर घातक हथियारों से चोट मार-मार कर उसे मार दिया।

इसके पश्चात् एक और आदमी था कारसिन जिसकी आयु 24 वर्ष थी। उसे भी निर्दयता से पीटा गया और सारी रात उसे बिना किसी हमदाद के छोड़ दिया गया, किसी ने उसे चिकित्सा संबंधी कोई सहायता नहीं की और अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई।

अब शिकायत यह है कि ग्राम के बहुत से पुरुषों का अभी तक भी पता नहीं चला है और लोगों कि यह धारणा है कि उनका पता भी कभी नहीं चलेगा।

एक और व्यक्ति है सुखदेव ठाकुर। उसका भी सात-आठ माह से कोई पता नहीं है।

यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव के जमींदार गांव वालों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गांव वाले मजदूरी बढ़ाने की मांग न कर सकें। जमींदार लोग गुंडे बदमाशों की सहायता से ग्रामीणों पर हमला करने के लिये तैयार हैं।

पुलिस का इस मामले में यह कहना है कि ग्रामीण हथियार लेकर आये और पुलिस पर हमला किया। तब पुलिस ने आत्म रक्षा के लिये ग्रामीणों को मारा। इस हमले के बाद निस्संदेह लोगों ने जलूस निकाला। परन्तु तब उन पर हमला किया गया। यह माधोपुर की एक घटना है। अभी-अभी हाल ही में दो-तीन दिन पहले एक दूसरी घटना हुई है। यह घटना मीरा ग्राम में हुई है। यह 28 अप्रैल का "स्टेट्स मैन" है। पैट्रिआट में विस्तार से यह समाचार प्रकाशित हुआ है। 'पैट्रिआट' की एक प्रति भी मेरे पास है, परन्तु मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता। 'स्टेट्समैन में यह छपा है :

"···कल मीरा में हुआ नर संहार···" अर्थात् 26 अप्रैल को"···जिसमें जमींदार के गुण्डों ने तीन वृद्ध महिलाओं और एक 14 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी। भूमि हीन हरिजनों पर यह सुनियोजित हमला था···"

ऐसा संवाददाता ने लिखा है। यहां उनकी हत्या जमींदारों के गुण्डों द्वारा की गई और वहां पुलिस ने उन्हें मारा।

"यह अपराध 35 आदमियों ने किया जिनके पास आग लगाने वाले आधुनिक हथियार थे। उन्होंने कम से कम चार···झोंपड़ियों को आग लगाई। इस आगजनी से न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई घायल हुआ।"

उसके बाद उनके नाम दिये गये हैं। संवाददाता एक महिला से मिला और उसने उसे जो उत्तर दिया, मैं उसे पढ़ रहा हूं।

"घूंघट करती हुई उस महिला ने बताया कि हमारा अपराध बस इतना है कि हम ज्यादा मजदूरी मांग रहे हैं।"

यह था उसका अपराध।

"हरिजनों को उनकी एक दिन की मजदूरी के रूप में केवल डेढ़ किलोग्राम चावल और 600 ग्राम 'सतू' मिल रहा है। उस महिला ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार उन्हें कम-से-कम साढ़े तीन किलो ग्राम खाद्यान्न मिलना चाहिए।"

सरकार ने कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम परित किया है और वे यह चाहते हैं कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन हो। बस केवल इतना ही। सरकार की यहां क्या जिम्मेदारी है? सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू कराने के लिए जमींदारों पर दबाव डालना चाहिए। ऐसा करने के बजाय पुलिस चुपचाप देखती रही और उसने जमींदारों को सशस्त्र गुंडे लाने और इन हरिजन स्त्री-पुरुषों की हत्या करने की इजाजत दे दी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री समर मुखर्जी : मुझे कुछ मुख्य बातें कह लेने दीजिए। मध्य प्रदेश में भी, 26 जनवरी को कुछ नृशंस हत्यायें हुई थीं जिनमें 13 हरिजनों की हत्या की गई थी। सतनामी हरिजन परिवार के छः पुरुष और एक महिला के सिर काट दिये गये थे; कुछ जिन्दा जला दिए गए थे क्योंकि उनकी झोंपड़ियों में आग लगा दी गई थी।

हालांकि इसे 'जाति संघर्ष' का नाम दिया जाता है, जाति संघर्ष से भी नीचे जो वास्तविक संघर्ष है वह है आर्थिक हितों का संघर्ष। यह ऐसी समस्या है जो दिन पर दिन विकराल रूप लेती जा रही है। आपको इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने बताया है कि हरिजन लोग मुख्यतः कृषि मजदूर हैं इसलिए वे समाज के सबसे निर्धन वर्ग हैं और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं। अब उनमें नई जागृति और नई चेतना जन्म ले रही

है। उनका अपना आर्थिक जीवन ही उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वे मजदूरी में वृद्धि की मांग करें। उनकी माँग पूरी तरह से जायज है। इसलीए सरकार द्वारा पारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वयन किया ही जाना चाहिए। लेकिन निहित स्वार्थों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है और अब हर जगह वह उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं जो अब अपना सर उठा रहे हैं और उनके सामने अपनी इन मांगों को रख रहे हैं। इसलिये इस प्रकार के आक्रमण और अत्याचार नृशंस रूप से किए जा रहे हैं।

और पुलिस तथा प्रशासन की भूमिका यहां हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा कृषि मजदूरों की सुरक्षा करने की नहीं है बल्कि वे जमींदारों तथा निहित स्वार्थों का पूरी तरह पक्ष ले रहे हैं। अतः इन परिस्थितियों में, प्रशासन और सरकार दोनों ही जमींदारों और निहित स्वार्थों के हाथों की कठपुतली बन गये हैं और हरिजनों को दबाने तथा उन पर अत्याचार करने और उन्हें सताने में लगे हुये हैं। आप इस स्थिति से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? यदि आप इस सामाजिक आर्थिक पद्धति के मूल ढांचे इसकी गहराई से जांच करें तो आपको पता लगेगा कि इस समस्या का कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं प्रो० दण्डवते की तरह इतना आशावादी नहीं हूं कि समाज सुधारक की इस स्थिति में परिवर्तन कर देंगे। देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें समाज सुधारक कोई ठोस भूमिका निभा सकें। वेलोग अनुकूल वातावरण अवश्य तैयार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां से आप यदि उन्हें ऊपर से संरक्षण प्रदान नहीं करते तो हरिजनों को संगठित होना पड़ेगा और उन्हें इस तरीके से संगठित होना पड़ेगा कि वे उन लोगों पर प्रत्याक्रमण कर सकें जो इन अपराधों को करते हैं, इसमें प्रशासन में कार्यरत अपराधी भी शामिल हैं। इसके लिए मजदूर वर्ग, कर्मचारियों और लोकतान्त्रिक जनता में बड़ी से-बड़ी एकता पैदा की जानी चाहिए और उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि उनके सामने एक नई चुनौती आ गई है। अन्यथा इन अत्याचारों को नहीं रोका जा सकता; और जब चुनाव आते हैं तो ये लोग अपने पिछड़े पन के कारण सत्ता पक्ष के गढ़ बन जाते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप उनके वोट तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन आपका सारा का सारा प्रशासन उन लोगों की सहायता कर रहा है जो इन हरिजनों पर नृशंस अत्याचार कर रहे हैं। यह चीज निश्चित ही एक लम्बे समय तक नहीं चल सकती। इसीलिए आपको इस बात पर बहुत गम्भीरता से पुनर्विचार करना चाहिए कि सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे को भी बदला जाना चाहिए।

मूल कारण आर्थिक है। जब तक सम्पूर्ण समाज से निर्धनता का लोप नहीं हो जाता, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाती, जब तक आप बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में कामयाब नहीं हो जाते और आम जनता को सस्ते दामों पर सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं और उनके रोजगार की सुरक्षा नहीं की जाती तब तक यह संघर्ष कारखानों में, कार्यालयों में, ग्रामों में अर्थात हर जगह फैलता रहेगा। हर जगह यह संघर्ष बढ़ रहा है और फैल रहा है। कुछ स्थानों में, यह जाति-संघर्ष के रूप में उभरता है तो कुछ अन्य स्थानों पर यह वर्ग-संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। यह वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष धीरे-धीरे चल कर एक हो जायेगा और अब सभी हरि-

जनों और समाज के निर्धन वर्गों के लिए अपनी इस बुरी स्थिति से छुटकारा पाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इसलिये हम कहते हैं कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में हरिजनों पर होने वाले इन अत्याचारों को रोकना चाहते हैं, तो हरिजनों को सभी प्रकार का संरक्षण और सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे संगठित हो जायें और अपने आप अपनी रक्षा कर सकें तथा अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

श्री भेराबदन के० गधावी (बनास कांठा) : यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विचार-विमर्श में भाग ले रहा हूं। मैं श्री दंडवते के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि यह प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं है जो केवल किसी एक या दूसरे राजनीतिक दल से सम्बन्धित है। यह ऐसा प्रश्न है, यह ऐसा रोग है जो सदियों से हमारे देश को दीमक की तरह खाये जा रहा है। जब हम अपना पूर्व इतिहास देखते हैं तो इस समस्या का मूल कारण वास्तव में आर्थिक असमानता दिखाई देता है, लेकिन बाद में यह सम्प्रदायवाद में परिवर्तित हो गया और अन्ततः स्वर्ण हिन्दुओं से यह सारा का सारा वर्ग ही अलग हो गया।

हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश के महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं और महान दार्शनिकों ने हमेशा ही इस वर्ग का विशेष रूप से कमजोर वर्ग का समर्थन किया है और वे सभी यह चाहते थे कि इस वर्ग का सवर्ण हिन्दुओं के साथ पूरी तरह से समन्वय हो जाये। असन्तुलन चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाये। यही कारण था कि अंग्रेजों ने भी इस वर्ग को अर्थात हरिजनों को अलग से मतदान अधिकार प्रदान करने की बात सोची थी। हर व्यक्ति ने, नेताओं ने और यहां तक कि हरिजन नेताओं ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। परन्तु, गांधी जी ने हरिजनों को हमारे समाज का एक अभिन्न अंग स्वीकार किया। वह उन्हें अलग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसलिए भूख हड़ताल कर दी। अन्ततः पुनः समझौता हुआ जिसे हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। यह कांग्रेस का सिद्धान्त था। गांधी जी कांग्रेस की आत्मा थे। यदि आज इसे कोई सूक्ष्म दृष्टि से समझे या इसका वास्तविक अर्थ समझता है और फिर यह कहता है कि कांग्रेस को इस कमजोर वर्ग के साथ कोई सहानुभूति नहीं है तो मैं निश्चय ही बड़ी विनम्रता से यह कहूंगा कि यह बिल्कुल गलत है यह कांग्रेस का सिद्धान्त रहा है—स्वतन्त्रता के पश्चात् ही नहीं बल्कि कांग्रेस की शुरुआत से ही कमजोर वर्ग को हमेशा ही प्रेम और भाई चारे की भावना से तथा आपसी सद्व्यवहार की भावना से देखा जाता रहा है और इसीलिये आज हमें, इस सदन का प्रत्येक सदस्य और सम्पूर्ण राष्ट्र महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में मानता है।

महोदय, महात्मा गांधी अपनी इच्छा से हरिजन बने थे। अहमदाबाद में,—मैं गुजरात का हूं और इसीलिए मैं जानता हूं कि—जब पहला आश्रम स्थापित किया गया था तो एक हरिजन लड़का आश्रम में गया था और गांधी जी को हालांकि अहमदाबाद के अनेकों धनवान लोगों ने और मिल मालिकों ने समर्थन दिया था, फिर भी उन्हें आश्रम की सहायता करने वाले सवर्ण हिन्दुओं और अन्य लोगों का कोप भाजन बनना पड़ा था। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे आश्रम की सहायता करना बंद कर देंगे। परन्तु यह धमकी उन्हें हरिजनों को गले लगाने से नहीं रोक सकी।

गांधी जी राष्ट्र के पिता थे। इस लिए यदि हमें उस महान आत्मा—हमारे मार्ग दर्शक और इस देश के मुक्तिदाता—के आदर्शों पर चलना ही है तो मेरे विचार से कम-से-कम इस उद्देश्य के लिए, कोई दो राय नहीं होनीचाहिये। हर व्यक्ति को इस समस्या के समाधान में सहयोग देना चाहिए। मैं यह देखकर बहुत खुश हूं कि इस सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और इस संकल्प पर विचार विमर्श के लिए 3½ घंटे का समय दिया है जो विपक्षी सदस्यों द्वारा लाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार भी इस समस्या के प्रति समान रूप से चिन्तित है। जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और गंभीरता से यह सोच रहे हैं कि इस समस्या के लिये क्या सुधारात्मक कदम उठाये जायें, तो हरिजनों पर इस प्रकार के अत्याचार नहीं किये जा सकते। हमें बीमारी के कारण का पता लगाना चाहिए। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वहां आर्थिक असन्तुलन व्याप्त है। इन लोगों के साथ कलंक जुड़ा हुआ है जो केवल स्वतंत्रता के बाद ही नहीं पैदा हुआ है बल्कि यहां सदियों से व्याप्त है। जब तक सम्पूर्ण राष्ट्र मिलकर इस समस्या के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता तब तक यह समस्या जिस तरह से लोग इसे हल करना चाहते हैं, हल नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि श्री समर मुखर्जी ने अभी-अभी बताया है कि वे हमारे मतदाता हैं।

हम यह बात स्वीकार करते हैं कि उन्हें हम पर विश्वास है तथा वे यह बात जानते हैं कि हमें उनकी क्षणिक नहीं अपितु स्थायी चिन्ता है। मैं इस चर्चा को राजनैतिक रंग नहीं देना चाहता।

अब समय आ गया है कि हमें झूठे आश्वासनों से बचना चाहिये। महाराजाओं के शासन काल के बाद हरिजनों ने हम से बहुत आशायें लगा रखी थीं क्योंकि उन्हें पता था कि हम गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने वाले हैं तथा हमारे मन में उनके प्रति बहुत प्यार तथा समर्पण की भावना है तथा हम इस उद्देश्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। श्रीमती इंदिरा गाँधी की बेलची यात्रा पर आप आपत्ति क्यों करते हैं? वहां उन्होंने कुछ विशिष्ट और छुटपुट घटनाओं के बारे में हमें बताया है। मेरे पास कुछ आँकड़े हैं। आज अप्रैल, 1982 का अन्तिम दिन है। एक-तिहाई वर्ष समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि हमें आत्म सन्तोषी नहीं होना चाहिये पर हमें कुछ आंकड़ों को नजरअन्दाज भी नहीं करना चाहिये। ये आंकड़े इस प्रकार हैं—

1978	हत्या	443
	गंभीर चोटें	1535
	बलात्कार	517
	लूटपाट	1194
	अन्य अपराध	11,123

अब अप्रैल 1982 तक अर्थात 1/3 वर्ष के आंकड़े इस प्रकार है :—

1982	हत्या	55
	गंभीर चोटें	123
	बलात्कार	71
	लूटपाट	92
	अन्य अपराध	1104

आप इनका अनुपात देखें । मैं यह नहीं कहता कि मैं सन्तुष्ट हूं परन्तु मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ सुधार अवश्य हुआ है । अपराध-दर में कमी हुई है । ऐसे अपराध हमारे राष्ट्र पर एक प्रकार का कलंक है । मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि इन अपराधों में कमी हो रही है । मैं सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूं पर पार्टी का सदस्य होने के नाते किसी मंत्री की तरह मुझे भी सरकार की उपलब्धियों तथा विफलताओं पर खुशी अथवा दुःख होता है । अब मैं देश में हुए प्रमुख अपराधों के आंकड़ों की चर्चा करूंगा ।

बेलची हत्याकांड 27-5-77 को हुआ था तथा मामले का निर्णय 19-5-80 अर्थात हमारे द्वारा सत्ता-ग्रहण के 4 महीने के बाद दिया गया था जिसमें 2 व्यक्तियों को फांसी और 15 को उम्र कैद दी गई थी ।

तत्पश्चात् हमारी सरकार बनने के बाद 25 फरवरी, 1980 को पिपरा-कांड हुआ था । हमने अपराध की भर्त्सना की थी तथा तत्काल कार्यवाही की थी और 5 अगस्त, 1981 को निर्णय दिया गया था जिसमें 58 व्यक्तियों को उम्रकैद दी गई थी ।

9-12-78 को कलिया-कांड हुआ था जिसमें 7-10-80 को दिये गये निर्णय के अनुसार 3 व्यक्तियों को उम्रकैद तथा 8 को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी ।

विशरामपुर-कांड 25-3-78 को हुआ था तथा 11-4-81 के निर्णय में 27 व्यक्तियों को उम्र कैद दी गई थी ।

कफाल्टा हत्याकांड 9-5-80 को हुआ था तथा एक वर्ष के भीतर 15-4-81 को निर्णय दिया गया था । यह एक अलग बात है कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिला या नहीं । मैं निर्णय की आलोचना नहीं करना चाहता । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार मूक दर्शक नहीं बनी हुई है । उसने अपील दायर की है तथा वह अपील उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी है ।

गुजरात के जेतपुर नामक स्थान में 26 दिसम्बर, 1980 को यह अपराध हुआ था । 31 अगस्त, 1981 के निर्णय में 30 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा हुई थी । अतः महोदय मैं

यह कहना चाहता हूं कि मैंने 6 घटनाओं का जिक्र किया है जो इस देश में हुए प्रमुख अपराधों से संबंधित है। श्रीमती गांधी के शासन काल के दौरान बहुत शीघ्र कार्यवाही की गई थी।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्र (संदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव दूंगा। यह एक बहुत ही संजीदा और गम्भीर मामला है इसलिए माननीय गृह मंत्री जी इस पक्ष और उस पक्ष से कहें कि पार्टी लाइन पर न जा करके, माननीय सदस्य अपने सुझाव यहां पर प्रस्तुत करें। जनता पार्टी ने क्या किया और इस गवर्नमेन्ट ने क्याकिया—यह सब यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। अगर उधर से एक बात कही जायेगी तो इधर से उसका जवाब होगा इसलिए ऐसा करना उचित नहीं होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों से प्रो० मधु दण्डवते द्वारा दिये गये उदाहरण को अपनाने की अपील की है।

श्री राजनाथ सोनर शास्त्री : उपध्यक्ष महोदय, ज्ञानी जैल सिंह जी, जब यहां पर हरिजनों का मसला आता है तो अच्छे ढंग से उसको लेते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह ढंग यहां पर अपनाया जाए।

श्री भेरावदन के० गधावी : यह उनका कसूर नहीं है। मुझे दुःख है कि मैं उन्हें अपनी बात नहीं समझा सका हूं। परन्तु मैं दल गत राजनीति की बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मेरा आशय नहीं समझा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इन मामलों की अच्छी जानकारी है। हम हम नहीं चाहते कि समाज के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध हो। हम माननीय सदस्यों की चिन्ता को भली भांति समझते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि शीघ्र कार्यवाही के द्वारा तथा दोषी अपराधियों के खिलाफ मुकदमें चला कर अपराध को कम कर सकते हैं। आपकी तरह मैं भी दलगत राजनीति की बात कर सकता हूं। पर मैं इसके विरुद्ध हूं। अतः जहां तक हरिजनों का सवाल है जैसा कि हर व्यक्ति मानता है तथा इस प्रस्ताव को पेश करने वाले प्रो० मधु दण्डवते जी ने भी स्वीकार किया है, आर्थिक विषमता तथा असमानता इन बुराइयों की मूल जड़ है।

साथ ही यह जानकर मुझे बहुत खुशी है कि छठी पंचवर्षीय योजना की संघटक योजना में समाज के कमजोर वर्ग के लिये सभी प्रकार के आंवटन किये गये हैं। गांवों में बहुत सुधार हो गया है। गांवों के अधिकांश खेतीहर मजदूरों, जो कि मुख्यतः हरिजन तथा आदिवासी समुदायों के लोग हैं, को रहने के लिए स्थान मिले हुए हैं। उन्हें पेयजल की सुविधा उपलब्ध है जो पहले उपलब्ध नहीं थी। आज उनकी झोपड़ियों तथा बस्तियों में बिजली पहुंच चुकी है। अतः इस संकल्प पर चर्चा के दौरान मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बुराई तथा रोग को जो कि कैन्सर के समान है, अल्प अवधि के उपायों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। चुनाव अभियान के दौरान विपक्षी पार्टियों ने यह कहना शुरु कर दिया था कि यदि श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो हरिजनों तथा आदिवासियों को सुरक्षा तथा अन्य सुविधाएं देने लगेंगी। तब जनता ने कहा था कि ऐसी स्थिति में हम उनकी पार्टी को मत देंगे। यदि मेरे सामने बैठे प्रतिपक्ष के लोग भी उन व्यक्तियों से मिलेंगे तो

इन्हें भी यही जवाब मिलेगा । अतः मैं यहां किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । परन्तु विरोधी पार्टियों ने सवर्ण हिन्दुओं को भड़काने के लिये ये हथकण्डे भी अपनाये थे । इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि समाज ने हरिजनों तथा कमजोर वर्गों के विरुद्ध होने वाले अमानुषिक अपराधों की कड़ी भर्त्सना की है । हमें राजनैतिक पार्टियों के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस समस्या को सुलझाने में राजनीति को न लाया जाये क्योंकि स्वार्थवश विरोधी पार्टियों के लोगों को भड़काती हैं । परन्तु सिद्धान्तः हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि राजनैतिक कारणों मे हम हरिजनों के मामलों से लाभ नहीं उठायेंगे । प्रो० मधुदण्डवते ने यह सही कहा है कि हमारा यह न केवल नैतिक अपितु संवैधानिक कर्त्तव्य भी है कि हम समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करें । मैं उनके इन विचारों से सहमत हूं । आज आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयनों की सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराधों को कम से कम किया जा सके । सरकार को चाहिये कि ऐसे अपराधकर्त्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि वे पुनः ऐसे अपराध करने की बात भी न सोच सकें । इन शब्दों के साथ के अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए ।)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं अपने दोनों पक्षों के साथियों से एक बात कहने वाला हूं । हम सब लोग इस सदन में कोई रजिस्ट्री कराकर नहीं आये हैं कि हमेशा जीत कर आयेंगे । आज आप सदन में हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, जो रिकार्ड पर जा रहा है, वह परमानेंट चीज है । इस लिये क्षणिक आवेश में आ कर ऐसा न बोलिये जो आप की पोलिटीकल लाइफ पर एक प्रश्न वाचक चिन्ह छोड़ जाये ।

हमारे शैलानी जी जब इधर के पक्ष में थे, हमारी पार्टी से जीत कर आये थे तो रोज श्रीमती इंदिरागांधी पर बुलडोजर चलाते थे । मैंने कभी भी श्रीमती गांधी के सम्बन्ध में कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं किया और न करता हूं, लेकिन उस समय कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब कि वह कुछ न कुछ कहते हों । हम लोग रोज ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन वह डेली कहते थे । लेकिन आज सडनली उस पक्ष में चले गये हैं तो मालूम पड़ रहा है कि हम लोग बहुत दुश्मन हो गये हैं और वे बहुत दोस्त हो गये हैं । इसलिये मैं एक बात कहना चाहूंगा···

श्री रामनिहोर राकेश (चैल) : वहां रह कर भी मैंने उस सरकार को कन्डेम किया है ।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने हमेशा इस सवाल को ईमानदारी से उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि यह देश पर कोढ़ है, धब्बा है । आप की पार्टी आज सत्ता में है, क्या आप नहीं जानते—चौधरी हीरा लाल परमार वहां बैठे हुए हैं उन के घर को जलाया गया । सामने कुंवर राम जी बैठे हुए हैं—एम. पी. होते हुए भी, एक साधारण सिपाही उन को कहता है कि तुम्हारी आंख निकाल लेंगे और उस के बाद जाति के आधार पर सब मामला रफा-दफा हो जाता है, डिस्कशन तक नहीं होता है ।

ज्ञानी जी जिस समुदाय से आये हैं, मैं कहता हूं आज ज्ञानी जी को पूरी पावर्स दे दी जाएं तो वह समाज के टोटल स्ट्रकचर को चेन्ज कर देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी बात चलने वाली नहीं है। आज ही रिपोर्ट पेश हुई, क्या-क्या गुल खिला आपको मालूम है। ज्ञानी जी, आप तो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं आपके यहां गया हूं, खण्डवा में धर्म पर सेमीनार कर के आया हूं। ये सब बातें छोड़ दीजिये कि कौन पार्टी "कास्टिस्ट" है। क्या आप ने अभी कैबिनेट में गिनती की है ? 50 परसेन्ट से ज्याद लोग एक जाति के हैं···

श्री रामप्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : जो पार्टी जाति पर आधारित है वह समाज को आगे नहीं बढ़ने देगी। क्या कोई कह सकता है कि आर० एस० एस० और लोक दल जाति पर आधारित नहीं है ?

श्री रामविलास पासवान : 'जिस सरकार में 50 प्रतिशत से अधिक एक जाति के आदमी हों और वह जाति जिसने हमको अछूत बनाया, उस सरकार से यह कल्पना करना कि वह हमारा उद्धार करेगी, यह एक दिवास्वप्न है। शर्म नहीं आती बोलने में।

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति जी, मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ऐसी बात कह रहे हैं। जब समाज का आधार ही जाति है, तो फिर कैसे यह कहा जा सकता है। ...(व्यवधान)... एक ही जाति के वहां लोग ज्यादा हैं, यह कहना कहां तक उचित है। मेम्बर बनने के लिए भी ये लोग जाति का सहारा लेते हैं और लोकदल के सदस्य यहां पर हरिजनों की बात करते हैं, तो अफसोस होता है। ···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा और उधर भी परमार जी हैं, कंवर राम जी हैं, चौधरी साहब हैं, जैनुल बशर साहब हैं, रेड्डी साहब और भगत साहब हैं, इन लोगों की भावनाओं को भी आप समझिए। ···(व्यवधान)··· जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, वे सब लोग अच्छे हैं। मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने कल बड़े दुःख भरे शब्दों में कहा था जब वागड़ी जी ने एक मामला उठाया था। वागड़ी जी हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य हैं, आप की पार्टी के सदस्य नहीं हैं। अमृतसर में जो घटना घटी थी, उसको एक कलर दिया गया गो-हत्या का और उसके विरोध से जब यहां पर बात कही गई, तो मैं एक अकेला आदमी था जिसने पहले आबजैक्शन किया था और मैंने यह कहा था कि एक ही दिन दो जानवरों का सिर काट दिया और उसी दिन छः आदमियों का सिर काट दिया, तो सदन के सामने इसको इम्पोर्टेन्स नहीं दी गई। दो जानवरों का सिर और छः आदमियों का सिर काटा गया, तो मैंने उस दिन मांग की थी कि इस पर इमीजिएटली डिस्कशन होना चाहिए। जो बिहार की रिसेन्ट घटना है, शायद हमारे साथियों को मालूम नहीं है, वहाँ की घटना के सम्बन्ध में मैं उन को बतलाना चाहूंगा। यह घटना घटी गया जिले में। हमारे कंवर राम जी की कांस्टीटुयेन्सी के पास लेकिन राम स्वरूप राम जी की कांस्टीटुयेन्सी की यह घटना है। आपको इसमें कोई शक हो, तो जब वे हाऊस में आवें, तो उनसे कन्फर्म करवा लीजिए। मैं गृह मंत्री जी से पूरे आग्रह के साथ

यह कहना चाहूंगा कि वे इसकी तह में जाने का काम करें कि किसका इस में हाथ है। उसी कांस्टीटुयेन्सी के एक मंत्री हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता लेकिन वे ऊंची जाति के हैं यह कहना पड़ता है और वे मंत्री वे मिनिस्टर हैं कि जब-जब, जहां-जहां वे मन्त्री रहे, तहां तहां हत्यायें हुई हैं। अब उस जगह का डी०एम० कौन है। वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट* है। बिहार में जो राज्य है, उसमें जिसको देखो, वह पांडे है, झा है, तिवारी है, ओझा है, जिनको कुछ पता नहीं है लेकिन गद्दी सम्भाले हुए हैं। उनको तो जेल में बन्द रहना चाहिए लेकिन वे राजपाट कर रहे हैं। वहां का डी०एम०* और बी०डी०ओ० भी उसी जाति का है, जिसका मंत्री है। वहां का जो दारोगा है, उसको एस०पी० ने कहा कि इसको हटा दो लेकिन मंत्री जी ने कहा कि वह रहेगा। जब-जब ऐसी घटना घटती है, तो उसमें मरने वाले कौन होंगे। सब से ज्यादा दुःख की बात तो यह है कि एक 10 साल का लड़का था। 10-12 साल का वह लड़का होगा, जोकि नवीं क्लास में पढ़ता था और चिट्ठी लिखने का काम करता है, दरख्वास्तें लिखने का काम करता था। जब-जब किसी पर अत्याचार और जुल्म होते हैं, तो ऐसे ही लोगों पर होते हैं।

सभापति मोहदय : आप ने कलक्टर का नाम लिया है। जब तक पहले लिख कर न दें, नाम नहीं लिया जा सकता।

श्री राम विलास पासवान : कलक्टर रहने दीजिए। * मत रहने दीजिए, कलक्टर कर दीजिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आप* कर दीजिए।

तो वह दारोगा रखा जाता है और उसके बाद उस लड़के को बख्शा नहीं जाता है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता है। इससे पहले वे कुरथा विधायक थे और जब वे मंत्री बने, तो आरा गांव में तीन हरिजनों को उसी जाति के लोगों ने मारा। जितने भी अफसर हैं, वे उसी जाति के हैं। जब वे कुरथा के एम०एल० ए० थे और मन्त्री थे, तो उस समय तीन हरिजनों के हाथ बांध दिए गए और बिजली से उनको मारा गया। हमारे बिहार के साथी जो हैं, वे जानते होंगे कि एक श्री जगदेव प्रसाद थे। वे एक अच्छे आदमी थे और मिनिस्टर भी रह चुके थे। ये जो मंत्री हैं, उनसे जगदेव प्रसाद हार गये थे।

वह जब अपनी जायज मांग के लिए बी०डी०ओ० के पास गया तो उसको गोली से मरवा दिया गया। मैं इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब तक ऐसे-ऐसे लोग शासन में रहेंगे, तब तक किसी का भला होने वाला नहीं है। पारसबीघा कहां है जहां 14 हरिजनों को गोलियों से उड़ाया गया, खिजर सराय भी उसी जिले में है जहां कुछ दिन पहले तीन हरिजनों, एक महिला और तीन साल के बच्चे को जला दिया गया। ये जब-जब मंत्री बनते हैं, तब-तब वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। इनको हटाने की सरकार में कैपेसिटी नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं हटा सकता। जब गृह मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते हैं तो कोई किसी को नहीं हटा सकता।

दूसरी बात कल मेरे साथी शेड्यूल-कास्ट, शेड्यूल-ट्राइब्स के मामले में कह रहे थे कि जो

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिपोर्ट है, कमिश्नर की जो रिपोर्ट है 1976-77 की, उसमें पेज नंबर 7 पर लिखा है—उच्च न्यायालय ने क्या कहा है, मद्रास में तमिलनाडु में 62 हरिजनों की हत्या के बारे में उच्च न्यायालय क्या कहता है। सन् 1968 की घटना के बारे में—

"हमारी राय में 25 दिसम्बर, 1968 की रात को हुई दर्दनाक घटना के लिए हमलावरों को दोषी ठहराना चाहिए, किन्तु खेद है कि साक्ष्य के आधार पर हम किसी को अपराधी करार देकर हम उसे दण्ड देने की स्थिति में नहीं हैं। हमने अनाज से छिलका अलग करने का भरसक प्रयत्न किया है और साक्ष्य का मूल्यांकन करने सम्बन्धी सामान्य मानकों से विचलित हुए बिना कुछ अपराधियों के दोष को सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन अभियोजन साक्ष्य में अंतर्निहित कमजोरियां हमें उन व्यक्तियों को सिद्ध-दोष ठहराने से रोकती हैं, जो सम्भवत: निर्दोष हैं।"

62 आदमियों की हत्या होती है और उसमें उच्च न्यायालय कहता है कि साक्ष्य के अभाव में मैं क्या कर सकता हूं और सबको छोड़ा जा रहा है।

इसी तरीके से कफाल्टा में क्या हुआ, 18 हरिजनों को क्योंकि वे डोली में बैठकर शादी में जा रहे थे, इसलिए गोली से उड़ा दिया गया और उस समय भी उच्च न्यायालय वही चीज़ कहता है और एक दिन की भी सजा नहीं होती है।

आप कहते हैं कि नीति बनी हुई है, नेता बहुत हैं, मैं हजारों बार इस बात को कह चुका हूं कि नीति भी बहुत है, नेता भी बहुत हैं, लेकिन नीयत की कमी है और जब तक नीयत साफ नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। आज आप होम मिनिस्टिर और स्टेट होम मिनिस्टर को फुल पावर दे दीजिए कि तुम समस्या का समाधान कर लो—सोशल क्रांति दो दिन में आ जाएगी। (व्यवधान) मैं ज्ञानी जी की बड़ाई कर रहा हूं, बड़ाई भी नहीं सुनना चाहते। मैं कहता हूं कि इनकी नीयत साफ है, लेकिन क्या आप इनको फुल-पावर देने के लिए तैयार हैं—नहीं तैयार हो सकते। (व्यवधान) जिस दिन ज्ञानी जी काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन ज्ञानी जी का भी वही हश्र होगा जो पहाड़िया और मकवाना का हुआ—इसलिए इस बात में मत जाइए।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : पासवान जी के जजबात जो हरिजनों के प्रति, वीकर-सेक्शन के प्रति हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुखालिफत कर रहे हैं ? यहां गृहमंत्री पर नहीं बल्कि गृह-मंत्रालय के सम्बन्ध में जो महकमा है, उसके काम के बारे डिसकशन है। इसलिए उस सम्बन्ध में आप बात कीजिए और बिल्कुल यकीन कीजिए कि मंत्रीमण्डल में जो मंत्री हैं, उनके पास जो-जो विभाग हैं, उनमें वे पूरे अधिकार इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए उनको खुली छुट्टी है।

हमारे कोई अधिकार छीनता नहीं है ....

श्री आर०एन० राकेश : कहने का मतलब यह है कि होम मिनिस्टर तो आप हैं लेकिन कुंजी नम्बर 1 के पास है।

श्री जैल सिंह : आप कहिये कि आपने क्यों नहीं किया, मैं मान लूंगा। लेकिन आप कहते हैं कि होम मिनिस्टर को अधिकार होना चाहिए। मिनिस्टर्ज को हटाने का यह तो डैमोक्रेसी में सम्भव नहीं है। डैमोक्रेसी में चीफ मिनिस्टर पार्टी को चुनना होता है और चीफ मिनिस्टर का काम होता है किसी को हटाना। फिर अधिकार भी देखकर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको इस्तेमाल करने में जरा दूरंदेशी बरतनी पड़ती है। अधिकार हों भी तो कितने इस्तेमाल करने हैं कितने रिजर्व रखने हैं देखना पड़ता है। आप चिन्ता न करें, मैं देखूंगा।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर की परसनैलिटी भी काउंट करती है। मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है। लेकिन मुझे शक है कि आपको करने भी दिया जाएगा या नहीं।

मैं प्री एम्बल से—शुरू करूंगा। संविधान का प्री एम्बल कहता है कि :

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए—

सोशल जस्टिस की बात यहां कही गई है। क्या हमारे साथी कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस मिल पाया है ? नहीं मिला है। यदि मिला होता तो आज शेड्यूल्ड कास्ट और वीकर सैक्शंज के लोग क्यों धर्म परिवर्तन करते और क्यों कर रहे हैं। बहुत से साथी सहमत नहीं होंगे इससे कि इस काम के लिए विदेशों से पैसा आता है। बहुत से साथी कह सकते हैं कि इस कारण से वे धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन कारण यह नहीं है। कारण है जुल्म और अत्याचार। हम मीनाक्षीपुरम, रामनाथपुरम, तिरुनेन्यूवैली तथा दूसरी जगह गए थे। पंद्रह दिन वहाँ रहे। बम्बई में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बी. ए. पास लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि आप लोग कमेटी में आए हुए हैं, आप मुझे एक चाय का प्याला लेकर पिला तो दो। वहां उनको चाय प्याले से पीने की इजाजत नहीं है। चाय को ठंडा करके ऊपर से चाय उनके मुंह में उंडेल दी जाती है। जब जाकर दूकानदार से पूछा कि चाय क्यों नहीं पिलाते तो कहने लगा कि आप तो पिलवा देंगे लेकिन शाम को हमारी दुकान जला दी जाएगी तो कौन जिम्मेदारी उसकी लेगा ? यह सोशल कस्टम है। भले ही आप कह दें कि कमर में झाड़ू और गले में हांडा नहीं बाँधा जाता है लेकिन घर तक में उनको रहने नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि हम हिन्दू हैं लेकिन फिर भी उनको रहने नहीं दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वे हिन्दू हैं या आप हिन्दू हैं जिनको लात हजारों साल तक मारी गई है, फिर भी कहते हैं कि हम हिन्दू हैं। हिन्दू तुम नहीं हो। तुम तो सुविधा भोगी हो। घर में रह सकते हो। लेकिन उसको घर में रहने नहीं दिया जाता है। ग्वालियर में तीन हरिजनों को महज इस वास्ते गोली मार दी गई कि वे मन्दिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। घर में नहीं रहने देंगे और घर से बाहर निकलने पर, मन्दिर जाने पर गोली मार देंगे। अब दूसरे धर्म में जाएंगे तो कहोगे कि यह बिकाऊ माल है, इसको पैसा

मिला है। शक होता है जब होम मिनिस्टर कहते हैं कि विदेशी पैसा आ रहा है। बिना सोचे-समझे कह दिया जाता है। आज तो हरिजन मुसलमान बन रहा है लेकिन जब हरिजन बौद्ध बना या दूसरे धर्मों में गया तब कोई इस तरह की बात नहीं कही गई। आज हाय-तोबा मचाई जाती है जब वह मुसलमान बनता है . . . .

श्री जैल सिंह : कनवर्शन के मामले में मैंने नहीं कहा, खालिस्तान की मूवमेंट के बारे में कहा है।

श्री रामविलास पासवान : आपके गृह विभाग में शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोगों की संख्या मैं बता देता हूं। मेरे सवाल के जवाब में 1-9-1981 को बताया गया था कि आपके पास 134 फर्स्ट क्लास के लोग हैं जिनमें हैं शैड्यूल्ड कास्ट 7, आदिवासी 21 सेकेन्ड क्लास कैटेगरी, में टोटल संख्या 486, शेड्यूल्ड कास्ट 35, आदिवासी 21 थर्ड क्लास कैटेगरी. टोटल 697, शैड्यूल्ड कास्ट 75, शैड्यूल्ड ट्राइब्स 71 मतलब यह कि तृतीय श्रेणी में भी पूरे नहीं हैं।

पुलिस फोर्स के बारे में इन्होंने कही 50 परसेंट की बात। तो इतने को तो छोड़ दीजिए, जो बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०, इंडो तिब्बतन पुलिस और असम राइफल्स हैं, मेरे प्रश्न के जवाब में आपने कहा है कि इनमें शेड्यूल्ड कास्टस का कोटा पूरा नहीं हुआ है सिपाही रैंक में तो जो 10, 15 परसेंट कोटा नहीं दे सकते, तब आप 50 परसेंट की बात क्यों करते हो ? और यही कारण है कि लोगों को गुस्सा आता है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वह तो दे नहीं पा रहे हो, और ऊपर से कहते हो कि 50, 75 परसेंट क्यों न दें। तो दूसरा आदमी सोचता है कि सारा का सारा तो शैड्यूल्ड कास्ट को जा रहा है। जब कि हकीकत यह है कि हमारा ही कोटा आप नहीं दे पा रहे हो।

मेरे प्रश्न का, अतारांकित प्रश्न का जवाब है, प्र० सं० 661, 13/1982 का, जिसमें कहा गया कि पटना हाई कोर्ट में चौथी श्रेणी के कर्मचारी-चपरासी और जमादारों की कुल संख्या 205 में से शैड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स का एक भी आदमी नहीं है। इसी तरह से पानी पिलाने वालों में शैड्यूल्ड कास्ट कौर ट्राइब्स का एक भी नहीं। हां, पाखाना साफ करने वाले 20 में से 20 हैं। बैंक के बारे में पूछा कि चौथी श्रेणी में कितने हैं तो एक भी बैंक नहीं है जिसमें उनकी संख्या पूरी हो। आप चाहते हैं कि हम लोग सदा दो नम्बर के नागरिक बनकर यहां रहें ? आज हमारे पास में भी शक्ति होती तो हम भी यू०एन०ओ० तक जाते और अपना मामला उठाते। लेकिन आप हमारी लाचारी से हमको ऐसा बकरा बनाना चाहते हो जिसके हाथ पैर बंधे हों, और तलवार से गर्दन काटी जाये। लेकिन आप एक बात समझ लें कि देश जाग चुका है और जो शोषित, पीड़ित, दलित तबके के लोग हैं वह भी जाग चुके हैं। आपकी बगल में इंडिया गेट में आज भी वहाँ ऐंट्री रिजर्वेशन आमरण अनशन चल रहा है कि रिजर्वेशन को खत्म करो। तो नीयत जब साफ नहीं होगी, यही होता है। इसलिए आप समय को पहचानो और गृह मंत्री जी सरकार से कहिए और आज जो कुछ पूर्वान्चल में हो रहा है, मैं वहां होकर आया हूं, आज आदिवासी लोग क्यों बागी हो रहे हैं ? क्यों उनके बीच में फारेन मिशनरीज घुस रहे हैं ? जब पेट में आग लगती है तो धर्म की पूजा नहीं होती है। हमारे मन को मारा

जाएगा गुलाम बनाने के लिए इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी देश पर अब भी आस्था है, जो बड़े-बड़े राजे महाराजे थे उन्होंने देश का हित नहीं किया, गद्दी के लाभ में उन्होंने सब कुछ किया। इसलिए मैं चाहूंगा देश में एकता कायम रहे। मैं इस मंच से यह मांग नहीं करता हूं कि हमारे लिए अलग देश कायम कर दें, हांलाकि ऐसे भी पर्चे निकलने लगे हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से कहूंगा कि अब बहुत हो चुका है, बहुत रोना रोया, रोज हत्याएं होती हैं, रोज आप आश्वासन दोगे और दूसरे ही दिन हत्याएं होने लगती हैं चाहे पिपरी, कफालटा, पारहबीघा, गया, साधूपुर आदि कहीं भी हो इनसे स्पष्ट होता है कि एक लड़ी की कड़ी है, इसलिए हमको आप न जलाओ। हम तो सबसे नीचे के पाए हैं जब वह टूटेगा तो ऊपर में बैठे हुए लोग अपनी खैरियत मनावें। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।

श्री कुंवर राम (नवादा) : सभापति महोदय, हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में, जो एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है, विचार-विमर्श करने के लिए प्रो० दंडवते जी प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं—मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि पूरा देश भी उसका समर्थन करेगा। अपने अनुभवों के आधार पर मैं भी कुछ शब्द इस संदर्भ में कहना चाहता हूं मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि आजादी के बाद हरिजनों पर एटासिटीज अत्याचार, बढ़ते जा रहे हैं। जब तक आजादी नहीं मिली थी, तब तक हरिजनों पर अत्याचार होने की बात नगण्य थी। हमें इस बात का ज्ञान है, क्योंकि आखिर हमारे बाप-दादा भी थे। अगर आजादी से पहले भी ऐसी घटनाएं हुई होतीं, तो उनकी चर्चा भी जरूर होती। आजादी पाने के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा।

प्रोफेसर साहब ने कुछ ऐसे विचार रखे हैं, जिन्हें मैं दिल से मानता हूं। लेकिन उनके भाषण को गौर से सुनते हुए मैं खोज रहा था कि विद्वान सदस्य द्वारा इस समस्या का कोई समाधान रखा जाएगा। वर्ष में दो चार बार हरिजनों के बारे में इस सदन में चर्चा होती है। सदन का समय बर्बाद होता है। जब मैंने एजेंडा पर इस विषय को देखा, तो मेरी इच्छा हुई कि इस सदन में जो हरिजन सदस्य हैं, उन्हें इस पर नहीं बोलना चाहिए, वे अब इस पर बोलना बन्द कर दें। अगर इस पर बोलना है, तो हमारे ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ भाई और फार्वर्ड क्लास के लोग आगे आएं और इस समस्या पर अपने विचार प्रकट करें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो वे हैं जिनका समाजवाद के नक्शे में चित्र है, जिनकी मनोभावना और मानसिक प्रवृत्ति उससे जुड़ी हुई है, जैसे कि प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब के हृदय में यह दर्द है, लेकिन हम चाहते थे कि ऐसा विद्वान आदमी इस समस्या का कोई हल ढूंढ़ निकाले। हम तो उतने विद्वान नहीं हैं।

जैसा कि हमारे साथी ने कहा है, क्या हरिजनों पर लगा तार इस तरह का जुल्म और अत्याचार होता रहेगा, क्या पिपरा, बेलछी और मखूदमपुर जैसे कांड बराबर होते रहेंगे। आखिर इन्हें कैसे चैक किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस बारे में क्या परिवर्तन लाया जाए, यह सोचने की आवश्यकता है। कल जब हमारे प्रधान मंत्री अमृतसर, पंजाब

की घटनाओं के बारे में एक प्रस्ताव लाए, तो इस सदन के सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं ने एक सूत्र में बंध कर, एकमत से, वह प्रस्ताव पास किया। क्या 35 वर्ष के इतिहास में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने एक साथ बैठ कर कोई ऐसा ब्यान दिया है कि हरिजनों पर जुल्म न हों ? हाउस में भले ही विवाद हुआ हो, विचार विमर्श हुआ हो, लेकिन अभी तक मैं नहीं पा सका हूं। हो सकता है कि हमारी नजर से वह छूट गया हो, लेकिन मैं उसे नहीं पा सका हूं।

अभी जब राष्ट्रीय समस्या पंजाब में, अमृतसर में उठ खड़ी हुई है तो उस पर एक प्रस्ताव यहां आया और उस पर सारा सदन एक सूत्र में बंध गया और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, लेकिन हरिजनों पर जब जुल्म होता है तो क्या उन जुल्म करने वाले सामन्तशाही लोगों के खिलाफ आप ऐसा प्रस्ताव लाये हैं ? कभी नहीं लाये हैं। वर्ष में एक दो बार चर्चा अवश्य कर-लेते हैं।

(व्यवधान)

एंटी रिजर्वेशन के मामले में आप लाये हैं, यह सही है, मैं मानता हूं लेकिन जो हरिजनों पर अत्याचार और जुल्म होते हैं इस पर आप कभी नहीं लाये। एक होकर सभी राजनीतिक पार्टी के नेता सामाजिक या धार्मिक या किसी भी प्रकार की संस्था हो, अभी तक यहां ऐसा प्रस्ताव नहीं लाये हैं।

जब ये कुछ मुसलमान बने हैं तो थोड़ी सी जागृति हिन्दुओं में आई है कि अब हमारा घर खतरे में पड़ने वाला है। उनकी कुछ चिन्ता बढ़ी है। बार-बार जितने जुल्म होंगे, उतने ही ज्यादा प्रस्ताव इस हाउस में आने लगेंगे। अब उनको फिक्र भी हो गई है। हमें अब इनके कारणों की की तरफ जाना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा सुझाव दिया कि अगर इस तरह से दिल साफ कर के बात करें तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक समस्या कम होगी।

हमने गवर्नमेंट के आंकडे इस मामले में 1974 से 1982 तक के देखे हैं कि टोटल एट्रोसिटीज कितनी हुई हैं। यह मेरे पास स्टेटवाइज हैं, मैं यहां बिहार के फिगर्स रखता हूं—

बिहार में एट्रोसिटीज इस प्रकार हुईं—

1974 में सिर्फ 258, 1975 में 263, 1976 में 621 जरा देखें कि किस प्रकार यह फिगर बढ़ रही हैं। मैं प्रो० दंडवते और श्री राम विलास जी से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें। 1977 में 681, 1978 में 1911, 1979 में 2152, 1980 में 1890 और 1981 में 1983। इस तरह से ये जुल्म बढ़ते गये हैं।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस की रिजन में नहीं बढ़ी है, वह भी बढ़ती जा रही है। मेरा कहना यह है कि जुल्म भी बढते जा रहे हैं और फिगर्स भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे-जैसे जुल्म बढ़ रहे हैं, यह विद्वानों का देश है, देश के प्रति जिनकी श्रद्धा है, और वह जागरूक हैं, उनकी चिन्ता बढ़ती जा रही है और वह रास्ता ढूंढ रहे हैं। रास्ता ढूंढने के लिये आपको एक नेशनल लैवल पर प्लेटफार्म तैयार करना पड़ेगा। पोलिटिक्स से इसको अलग रखना पड़ेगा।

वोटों के लिये अगर हरिजनों को डिवाइड कर के रखियेगा तो आजादी के बाद से लगातार हरिजनों पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं तो वह एक प्रमाणित कारण है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो, गृह-मंत्री जी से कि जितने भी कम्पोनेन्ट प्लान हैं, सब को बन्द करके अलमारी में रख दें। आप जितना विकास का काम बढ़ाते जा रहे हैं, उसी माप-दंड से आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। आप लैंड सीलिंग से लैंड निकालते हैं और हरिजन को देते हैं लेकिन होता क्या है। मकूमपुर का कांड बिल्कुल वही है। आपने उसको जमीन दी और उसकी फिर से वेदखली हो गई। आप उसका विकास करने के लिये, गरीबी दूर करने के लिये जितना प्रयास कर रहे हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर उसी मापदंड, उसी स्प्रिट से उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो उसका मर्डर होगा और आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सरकार सोई रहती है। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र में चरोल गांव है जहां लैण्ड डिसप्यूट चल रहा है। मैंने बार-बार कहा है, गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा है जिसका मुझे जबाब भी नहीं मिला। देश में जितनी भी हरिजन बस्तियां हैं, वहां पर किसी न किसी तरह का भी डिसप्यूट हो—एकोनामिकल, सोशल या रेलिजस—उसके सम्बन्ध में आप आंकड़े और रिपोर्ट राज्य सरकारों से मंगाइये। जहां भी हरिजन और नान-हरिजन के बीच में किसी प्रकार के भी डिसप्यूट हों उनके सम्बन्ध में आप रिपोर्ट मंगा लें और फिर अफसरों को डायरेक्शन दें कि एक फिकस्ड टाइम में उनका निपटारा कर दिया जाए। इस प्रकार से हरिजनों पर होने वाली एट्रासिटीज कम की जा सकती हैं। इस संबन्ध में मैंने बिहार गवर्नमेन्ट को भी लिखा है। आज हरिजनों पर एट्रासिटीज होने का सबसे बड़ा कारण इन डिसप्यूट्स का होना है। जब तक आपके आफिसर उन जगहों पर जाकर उन डिसप्यूट्स के सम्बन्ध में इमीडिएट ऐक्शन नहीं लेंगे तब तक यह झगड़े दूर नहीं हो सकते हैं।

मैं प्रोफेसर साहब को यहां पर प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज हरिजनों के मन में यह ख्याल है कि सरकार उनकी मदद कर रही है, सरकार की मंशा यही है कि उनको मदद दी जाए लेकिन जो भी सुविधायें सरकार उनको पहुंचाना चाहती है वह उन तक पहुंचनी भी चाहिए।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री कुंवर राम : मैं समाप्त कर रहा हूं।

राम विलास जी ने यहां पर मकदूमपुर के बारे में कहा है और एक मन्त्री के बारे में भी कहा है लेकिन इतनी बात जरूर है कि गया, नवादा और औरंगाबाद—इन तीन जिलों में हरिजनों का जमाव ज्यादा है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे स्टेट गवर्नमेन्ट्स को इंस्ट्रक्शन्स भेजें कि इस प्रकार के एरियाज में डी एम हरिजन रखा जाए, एस पी हरिजन रखा जाए और जहां

तक सम्भव हो ज्यादा से ज्यादा अफसर हरिजन रखे जायें। पिपरा में जो काण्ड हुआ वहां हरिजन पुलिस अफसर को बदल दिया गया। नवादा और गया में भी डी एम हरिजन था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। और जैसे ही उनके ट्रांसफर हुए वहां पर काण्ड की शुरुआत हो गयी है।

सभापति महोदय : श्री उत्तम राठौर।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, आज दण्डवते जी ने और सूरजभान जी ने बड़ा ही मधुर और बड़ा ही अच्छा डिस्कशन यहां पर उठाया है। 1947 में देश के विभाजन के बाद जो हालात पैदा हुए उसके ऊपर रामानन्द सागर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है "और इन्सान मर गया"। मैंने सोचा 1947 में जो इन्सान मर गया है उसके बाद जो नस्लें पैदा होंगी वह इन्सानियत से इस देश में गुजर-बसर कर सकेंगी और दूसरों को भी गुजर-बसर करने देंगी। लेकिन दुःख की बात है कि उसके बाद भी देश के हालात ठीक नहीं हुए।

आजादी की लड़ाई के दौरान हम ने यह कहा था कि देश में रहने वाले ऐसे हर आदमी को हम न सिर्फ वोट देंगे बल्कि उस को आगे बढ़ते हुए समाज के साथ आगे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस यह है कि आज जो कवानीन बने हैं उस में हम देखते हैं कि समाज में जिन के पास पैसा है और जिन के पास पैसा नहीं है—इन दोनों में बहुत बड़ी दूरी फैलती जा रही है।

हरिजनों के बारे में यहां बहुत सारे वाक्यात ब्यान किये गये। लेकिन मैं आप की तवज्जह उन गरीब आदिवासियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिन से एक्स-क्रिमनल्ज हैं,. न्यूमेडिक ट्राइब्स हैं, जो दूर जंगलों में रहते हैं, जो न सिर्फ सीधे-सादे हैं बल्कि बेजुबान भी हैं। अगर कोई उन में से आता है तो बहुत कम मुंह खोलता है। उन लोगों को न सिर्फ कत्ल किया जाता है, बल्कि उन की औरतों की उसमत लूटी जाती है। मैं हाल ही का एक किस्सा आप को सुनाना चाहता हूं—गाजियाबाद के पास चौलस गांव में एक बंजारा औरत को नंगा कर के 4 पुलिस मैनों और एन्टी सोशल एलीमेन्टस ने रेप किया। सिर्फ एक अखबार था, जिसका नाम "आज" है, जिस ने इस खबर को शाया किया। उस जाति को जिस को हम बन्जारा कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं, जो कानकरेंट लिस्ट में है, उस के लिये मुझे अफसोस है सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने आज तक कोई ब्यान नहीं दिया। यू० पी० गवर्नमेन्ट भी खामोश है और सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी खामोश है। 13 दिन के बाद वहां एस० पी० पहुंचा। गांव वालों ने उस औरत को बचाया तो पुलिस की तरफ से फाइरिंग हुई, गांव वालों की तरफ से भी फाइरिंग हुई। आप इस तरह की घटना से अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के मामले होते हैं।

चेयरमैन साहब, इन गरीब लोगों की हिफाजत के लिये कुछ किया जाना चाहिये, हमें उन को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और इस का सब से बेहतर तरीका यह है कि इन लोगों को आप गवर्नमेन्ट सर्विस में लीजिये। इन लोगों के लिये सर्विस में जो रिजर्वेशन होता है उस में इनकी भरती नहीं की जाती, आप हर तरह से इनके कोटे को पूरा कीजिये।

कुछ दिन पहले हमारे मंत्री महोदय ने कहा था कि हम माइनारिटीज और वीकर सैक्शन्ज के लिये अलग दस्ता बना रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वह दस्ता अभी तक बना या नहीं बना ? यदि नहीं बना, तो क्यों नहीं बना और यदि बना है तो उस में इन लोगों में से कितने लोगों को लिया गया है ?

सभापति महोदय, आज इस सवाल पर पूरा सदन दिलचस्पी ले रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा आजादी से पहले इस देश में हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये अनेक लोगों ने आत्म-बलिदान दिया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने आत्म-बलिदान दिया, महात्मा जी ने आत्म-बलिदान दिया, लेकिन जो हमारे आदिवासी हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जिनके साथ अत्याचार होते हैं, उन की रक्षा के लिये आज तक किसी ने आत्म-बलिदान नहीं दिया। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग समानता में विश्वास रखते हैं, जो इन जातियों को ऊंचा उठाने में यकीन रखते हैं, वह आगे आयें और इन के लिये कुछ कर के दिखलायें। आज सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आज इन पिछड़ी जातियों का आप और हम सब पर से भरोसा उठता जा रहा है। वे भी यही समझने लगे हैं जैसे किसी शायर ने कहा है—

इस देश के शायर विकते हैं, शायर की तकरीरें भी,
चांदी के खनकते सिक्कों पर कुछ जहर भरी तहरीरें भी।
सीने का तमव्वुज बिकता है, होटों की हलावट बिकती है,
इन्सान नहीं, इस मण्डी में, ईमान को विकते देखा है।
गीता को बिकते देखा है, कुरान को विकते देखा है।

अगर आप चाहते हैं कि ये पिछड़े लोग आप के साथ आयें तो आप को "बच्चन" के इन शब्दों को दोहराना पड़ेगा—

दलित आजा, पतित आजा
थकित आजा, व्यथित आजा
ये तृप्ति जग होंठ तेरे
लोचनों के नीर मेरे
प्यार जिनको मिल न पाया
आज उन को प्यार मेरा।

अगर आपने यह नहीं किया तो आप देख रहे हैं—पूर्वांचल के लोग देश से अलग होने की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग हो रही है। ऐसे वक्त में इन पिछड़े हुए, गरीब और दबे हुए लोगों को साथ लेकर चलना होगा, उनको उठाना होगा, वरना वे चुप नहीं होंगे। इसी बात को अल्लामा इकबाल के एक शेयर को कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। इकबाल

साहब ने बहुत पहले फरमाया था :—

वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है,
तेरी बरबादियों के मश्विरे हैं आसमानों में
न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिन्दुस्तां वालों
तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में ।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : आदरणीय सभापति जी—

सभापति महोदय : सवा तीन बजे मिनिस्टर साहब इन्टरवीन करेंगे ।

श्री आर० एन० राकेश : (चैल) हमें भी बोलना है, इसको छः बजे बाद कन्टीन्यू कीजिए ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन ऐसी परम्परा नहीं है कि नान-आफिशियल बिजनेस के टाईम को करटेल किया जाए । श्री समर मुखर्जी से इस बारे में बात हो गई है ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : हम इस बात से सहमत हैं कि इस चर्चा को छः बजे तक जारी रखा जाये तथा बाद में दो विधेयकों पर बहस की जाये ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यदि आप चाहते हैं तो मैं दो विधेयकों के नामों का उल्लेख कर देता हूं ।

सभापति महोदय : श्री सूरज भान, आप छः बजे के बाद इस चर्चा को पुनः प्रारम्भ करेंगे । अब मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इन दो विधेयकों के नाम जानना चाहते हैं जिन पर आज विचार किया जायेगा ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : एक विधेयक असम राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1982 है तथा दूसरे विधेयक पर पहले भी विचार किया गया था—औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ।

अतः सत्तारूढ़ पक्ष तथा विपक्ष के बीच यह उपर्युक्त समझौता हुआ है ।

सभापति महोदय : श्री सूरज भान, आप बाद में अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अब मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे ।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, श्री सूरज भान ने संकल्प पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उनका नाम दूसरे नम्बर पर है। इन्हें छः बजे के बाद अपनी बात जारी रखने दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : अब राज्य मंत्री अपना उत्तर देंगे। श्री लास्कर।

श्री मधु दंडवते : मेरा विचार था कि वे हस्तक्षेप करेंगे।

सभापति महोदय : अब यह मान लिया गया है कि इस चर्चा को छः बजे के बाद जारी रखा जायेगा। बाद में दो विधेयकों पर भी विचार होगा। क्या यह मंजूर है ?

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : अब राज्य मंत्री बोलेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : सभापति महोदय, मैं प्रो० मधु दंडवते की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सम्पूर्ण राष्ट्र इस समस्या के प्रति चिन्तित है। अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों तथा अपराधों के प्रति भारत सरकार को अत्यधिक चिन्ता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि समाज के कमजोर-से-कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचारों के प्रति समस्त राष्ट्र को चिन्ता है। मैं समझता हूं कि कुछ और कहने से पूर्व हमें इन अत्याचारों की बढ़ती हुई संख्या के कारणों का विश्लेषण करना चाहिये। इसका विश्लेषण करने पर गत वर्षों में इन लोगों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में वृद्धि पर हमारी चिन्ता होना स्वाभाविक ही है।

यह हम सभी को मालूम है कि पहले ग्रामीण इलाकों में उच्च जातियों एवं वर्ग के लोग इन जातियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित किया करते थे और उन पर शासन किया करते थे।

उन दिनों में न तो न्यूनतम मजदूरी का कोई सवाल पैदा होता था और न ही भूमि की सीमा का। मैं स्वतन्त्रता-पूर्व की बात कर रहा हूं। ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थों के कारण भूमि में निहित स्वार्थों की गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

इन जातियों के लोगों ने (जिन्हें अब अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है) सदियों तक इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार किया क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। उनके मन में यह धारणा बैठा दी गई थी कि हर किसी व्यक्ति जाति में पैदा होता है और हर जाति का समाज में और अर्थव्यवस्था में एक निश्चित स्थान है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता; इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस समय यह घटना व्याप्त थी। हम पूरे मनोयोग से एवं लगातार समाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। दल के रूप में और सरकार के रूप में भी इस कार्य को करना हमारा उद्देश्य है और हमारी यह महत्वाकांक्षा भी है। स्वतन्त्रता के पश्चात और इससे पूर्व भी हम इसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहे हैं।

स्वतन्त्रता-पूर्व की अवधि में महात्मागांधी, जवाहरलाल नेहरू और डा० अम्बेडकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने इन वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए भारी प्रयास किए थे।

प्रो० मधु दण्डवते : गलती से ही सही कम से कम आप श्री जयप्रकाश नारायण का भी उल्लेख कर सकते थे।

श्री निदार रंजन लस्कर : आप उन्हें हमारे राष्ट्रीय नेताओं में गिन सकते हैं। मैं तो उनमें से 3 के नाम का उल्लेख कर रहा हूं। उनके प्रयास स्वतन्त्र भारतीय जनता के सबसे प्रथम सामूहिक प्रयास में परिलक्षित होते हैं अर्थात संविधान में जिसने हमें अनुसूचित जातियों के लिए अनेकों महत्त्वपूर्ण परिभाषा प्रदान करके बराबरी का दर्जा दिया ताकि वे लोग समाज में स्वाभिमान का जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अलावा उनके लिए अनेकों महत्त्वपूर्ण विकास सम्बन्धी एवं कल्याणकारी योजनायें लागू की हैं जिससे उन्हें नई आशायें बंधी हैं और नई-नई वैध आकांक्षायें पैदा हुई हैं। इन अशाओं एवं आकांक्षाओं में गति आई है क्योंकि अनुसूचित जातियों ने पिछली दशाब्दियों के विकास सम्बन्धी प्रयासों से अभूतपूर्व लाभ उठाया है।

इसका यह सिर्फ एक उदाहरण है कि चालीस के दशक में अनुसूचित जातियों को मैट्रिकोनर छात्रवृति की शुरूआत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में 114 से अधिक छात्र नहीं आ सके थे और अब 5 लाख से अधिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह किसी भी कारण है लेकिन भारी प्रगति का सूचक है। यदि आप उनका उत्थान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका उत्थान करना होगा। शिक्षित युवकों के इस बड़े वर्ग के उभरने से अनुसूचित जातियों के 10 करोड़ लोगों को और साथ ही साथ सम्पूर्ण राष्ट्र की विचार धारा को एक नई चेतना मिली है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इतना सब कुछ होने पर भी अनुसूचित जातियों को उनका उचित हक अभी नहीं मिल पाया है। विश्व विद्यालय और कालेज स्तरपर उनकी संख्या इन संस्थाओं में कुल छात्रों की संख्या का लगभग केवल 7·5% है अथवा जो कुछ होना चाहिए लगभग उसका आधा है। सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन सरकारी सेवाओं में भी अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या बढ़ी है और यह सब सरकार की शिक्षा और सरकारी नियोजन सम्बन्धी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

श्री आर० एन० राकेश : लोगों को जिन्दा ही मारा जा रहा है तो रिजर्वेशन किनके लिए होगा, उसका क्या महत्त्व रह जायेगा ? एट्रोसीटीज के बारे में बताइये।

श्री निहार रंजन लस्कर : मैं यह बात मानता हूं। यहां भी उन्हें उनका उचित हक अभी तक नहीं मिल पाया है। इस प्रकार से एक ओर तो अनुसूचित जातियों के लोगों की उचित आकांक्षाओं को अंशतः पूरा करने में सफल हो पाये हैं और उन्हें पूरी तरह से पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर गैर-अनुसूचित लोगों के यह सोचने का कोई आधार नहीं है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके उचित हक से कुछ अधिक दिया जा रहा है। इसी बात पर मैं जोर देना चाहता हूं। सारे देश में यह समाचार फैला हुआ है—शायद उन लोगों की जानकारी गलत

है—कि हर चीज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ही दी जा रही है। मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है।

यहां तक कि उनमें भी, जो उच्चतर शिक्षा बल्कि निम्न स्तरीय शिक्षा संस्थानों तक भी नहीं पहुंचे हैं और सरकारी नौकरी की आकांक्षा भी नहीं करते हैं, स्वतन्त्रता के बाद प्रगति के बीज बो दिए गए हैं। उसका एक उदाहरण भूमि-वितरण है। 18·49 लाख एकड़ अधिकतम फालतू भूमि में से संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत 1·4·82 तक 6·84 लाख एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों को वितरित कर दी गई है।

श्री राम विलास पासवान : अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 52 लाख एकड़ जमीन सरपलस निकलनी चाहिए लेकिन निकली है केवल दस लाख एकड़। आपकी रिपोर्ट में इकोनोमिक सर्वे में यह है। बाकी लैंड कहां है।

श्री निहार रंजन लस्कर : यह उस भूमि के आंकड़े हैं जिनका हमने वितरण किया है। जो जमीन हमारे पास थी उसमें से हम यह प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लोगों को दे सके हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि इन लोगों का उत्थान हो। कृषि मजदूरों के लिए जिस वर्ग में अधिकांशतः अनुसूचित जातियों के लोग आते हैं, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। श्री समर मुखर्जी और प्रो० मधुदण्डवते ने यह बताया है कि इन कृषि मजदूरों में से 66 प्रतिशत कृषि मजदूर मुख्यतः अनुसूचित जातियों के हैं और उनमें बन्धुआ मजदूर भी हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमने कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो निर्धारित कर ही दी है और इसे लागू करने के लिए हम राज्य सरकारों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखते हैं। अभी हाल ही में भी हमारे गृह मंत्री ने इस आशय के पत्र भेजे हैं।

श्री समर मुखर्जी : इसीलिए उन्होंने इसकी मांग की है।

श्री बिहार रंजन लस्कर : हम इस प्रकार के अधिनियम को कार्यान्वित कराने के लिए राज्य सरकारों से निरंतर सम्पर्क बनाये हुए हैं और इन लोगों की सहायता करने तथा उन्हें जमीदारों के चंगुल से छुड़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन उपायों से अनुसूचित जातियों के बहुत बड़े वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ है,प रन्तु फिर भी हम जानते हैं कि अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इन लाभों ने उनकी उचित आकांक्षाओं एवं मांगों को प्रेरित करने तथा गति देने के प्रयोजन को भी पूरा किया है।

इस प्रकार से हम समझते हैं कि अनुसूचित जातियों के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वे न केवल उनकी बुरी सामाजिक-आर्थिक दशा के कारण है बल्कि उन लाभों के कारण भी हैं जो उन्हें हमारी विकास सम्बन्धी नीतियों के कारण अभी तक मिले हैं, चाहे वे लाभ सीमिति ही क्यों न हों, और जो उन्होंने अपनी उचित आकांक्षायें एवं मांगें प्रस्तुत की हैं उनके कारण भी ये अत्याचार उन पर हो रहे हैं। यह समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि यदि अनुसूचित जातियों

को सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर रहने दिये जाता जैसा कि वे पहले थीं और उन्हें स्वतन्त्रता पश्चात् के विकास तथा प्रगति का लाभ न मिला होता तो उनकी ओर से किसी प्रकार की मांगें उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और इसलिए, कुछ लोगों द्वारा जो अभी तक भी बदलती हुई परिस्थितियों को न तो समझ पाये हैं और न ही स्वयं को इसके अनुकूल बना पाये हैं, इसकी प्रतिक्रिया भी न हुई होती। जब भी किसी गिरे हुए वर्ग ने प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है, इतिहास साक्षी है कि दूसरे वर्गों ने उसे पीछे धकेलने का प्रयास किया है। लेकिन हमें यह देखना है कि ये चीजें न होने पायें। हमें यह देखना है कि इन लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जाये। आज सरकार ने अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों और अपराधों से कारगर ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों को न केवल व्यापक दिशा निर्देश ही जारी किए हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन्हें पूरी तरह से कार्यान्वित भी किया जाये हम राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क भी बनाये हुए हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ट्रिनीडाड और टोबागो के राष्ट्रपति का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों प्रधान की ओर से ट्रिनीडाड और टोबागो की सीनेट के महामहिम डा० वाहिद अली जो हमारे सम्मानीय अतिथि के रूप में भारत आये हैं, का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

वह यहां आज प्रातः काल पहुंचे हैं। इस समय वह विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं।

वह भारत में लगभग नौ दिन रहेंगे। हम अपने देश में उनके सुखमय एवं सदुद्देश्य निवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम ट्रिनीडाड और टोबागो की सीनेट को, सरकार को और मित्रराष्ट्र को अपनी शुभ कामनायें एवं शुभ आकांक्षायें भेजते हैं।

बिहार और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा-जारी

श्री निहार रंजन लस्कर : महोदय मैं यह कह रहा था कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को केवल व्यापक निर्देश ही जारी नहीं किए हैं कि इन परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए बल्कि उन पर निरंतर निगरानी भी रखी जा रही है। हम राज्य सरकारों से निरंतर निकट का सम्पर्क बनाये हुए हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध

होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों को कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दे रहे हैं ।

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुए अपराधों के बारे में जो आंकड़े अभी तक राज्यों से प्राप्त हुए हैं, यह प्रकट करते हैं कि इस स्थिति पर नियन्त्रण होना शुरू हो गया है, और हमें आशा है कि यदि राज्य सरकारें इस दिशा निर्देशों का अनुपालन करें तो धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हो जाएगा ।

महोदय, कुछ मित्रों ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह कुछ नहीं कर रही है । इस प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है । जो लोग अपराध करते हैं और हमें इन अपराधों का समाचार पत्रों के माध्यम से अथवा अन्य स्रोतों से पता चलता रहा है, तो भारत सरकार केवल उनके ही विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती है बल्कि हम उन मामलों में भी कार्यवाही करते हैं जो ग्रामीण सदस्यों द्वारा हमारे नोटिस में लाये जाते हैं । राज्य सरकार से तत्काल ही मामले पर बातचीत की जाती है । हमने अपराध पीड़ित अनुसूचित जातियों के लोगों के पुनर्वास के लिए भी राज्य सरकारों से कह दिया है ।

इसके अलावा हमारा मन्त्रालय राज्य सरकारों को यह भी सलाह देता है कि वे उन विशेष क्षेत्रों में जहां ये अत्याचार हुए हैं सभी पहलुओं का समावेश करते हुए, अनुसूचित जातियों के लिए विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की शुरूआत करें ।

ये वह उपाय हैं जो हमने यह सुनिश्चित करने के लिए किए हैं कि इस समस्या को बुनियादी स्तर पर भी हल किया जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री लस्कर, वे बचे रहेंगे तभी विकास हो पाएगा ।

श्री निहार रंजन लस्कर :—यही एक रास्ता है । एक बार उनका विकास हो जाए तब आपको स्थिति का पता चल जायेगा, और तब आप समाज को चुनौती दे सकते हैं । इसलिए समस्या के समाधान का यह एक रास्ता है । एक बार समाज में उनका विकास हो जाये और एक बार वे अपने आप अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जायें तो हमें इस समस्या पर नियन्त्रण पा लेने में सफलता मिल जाएगी ।

महोदय, यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, फिर भी हमने राज्य सरकारों को यह दिशा निर्देश जारी किये हैं कि वे उन इलाकों पर विशेष ध्यान दें जहां इस प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं । सौभाग्य से हमारे देश में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां ऐसा होता है । यह रोग पूरे देश में नहीं फैला है । अधिकांशतः यह एक पट्टी है जहां ये अत्याचार बहुत अधिक मात्रा में होते रहते है । इसलिए, हम इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं ।

मेरा ख्याल है कि मेरे अन्य मित्रों ने यह तथ्य पहले ही दे दिये हैं । अधिकांश मामलों में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें सजा भी मिल रही है । एक या दो ही ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों को छोड़ा गया है, परन्तु अधिकांश मामलों में उन्हें सजा दी गई है ।

महोदय, जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मेरा अनुरोध है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हम सभी को इस सभा के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने समाज के इन अपराधों को मिटाने के अपने उद्देश्य में सफल हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 43वां प्रतिवेदन

श्री चिन्तामणि पाणिगुही (भुवनेश्वर)—महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 28 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये 43 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 28 अप्रैल 1982 के सभा में प्रस्तुत किये गये 43वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छावनी (संशोधन) विधेयक (धारा 13 आदि का संशोधन)

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि छावनी अधिनियम 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सूरज भान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि का संशोधन)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) :—मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है :—

"कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अजय विश्वास :—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 110 आदि का संशोधन)

श्री रामनाथ दुबे (बांदा):—मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है :—

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामनाथ दुबे :—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

देवदासी और मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) :—मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत में देवदासी और मुरली प्रथा का उन्मूलन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है :

"कि भारत में देवदासी और मुरली प्रथा का उन्मूलन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

विवाह अनिवार्य पंजीकरण विधेयक

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करती हूं : "कि भारत में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति :—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (सामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्रा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

अपराधियों की निरर्हताएं हटाना विधेयक

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति : मैं, प्रस्ताव करती हूं : "कि अपराधिक दण्ड भोगे हुए लोगों की निरर्हताएं हटाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एक बार अपराधिक दण्ड भोगे हुए लोगों की निरर्हताएँ हटाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

समयोपरि भत्ता तथा उत्पादकता का सम्बन्ध विधेयक

श्री अर्जुन सेठी : (भद्रक) मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि समयोपरि भत्तों के संदाय को सीमित करने के प्रयोजनार्थ समयोपरि भत्ते तथा उत्पादकता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दीजिए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समयोपरि भत्ते के संदाय को सीमित करने के प्रयोजनार्थ समयोपरि भत्ते तथा उत्पादकता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपभोक्ता शिकायत निपटान विधेयक

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि आवश्यक वस्तुओं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण सुनिश्चित करने के विशेष उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तुओं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण सुनिश्चित करने के विशेष उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० वसंत कुमार पंडित : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

पब्लिक स्कूल (उन्मूलन) विधेयक

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि भारत में पब्लिक स्कूलों के उन्मूलन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में पब्लिक स्कूलों के उन्मूलन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामविलास पासवान : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं।

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी और कल्याण का उपवन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं।

परिवहन पार्सल सेवा कर्मकार कल्याण विधेयक

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि परिवहन पार्सल सेवा कर्मकारों के लिए कल्याण के उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परिवहन पार्सल सेवा कर्मकारों के लिए कल्याण के उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० एम० लारेंस : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम दयामूत जीवन अन्त विधेयक पर और आगे विचार करेंगे श्री मूलचन्द डागा।

दयाभूत जीवन अन्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा···डागा जी कहीं खो गये, लगता है।···डागा जी, बाहर जाने के लिए नहीं कहा, बोलने के लिए कहा है।

1536 **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैंने कहा था कि मरते हुए जीने से क्या लाभ ?

श्री सत्य नारायण जटिया : मर-मरकर जीने से क्या लाभ ?

श्री मूल चन्द डागा : आप ठीक कहते हैं।

तड़फते हुए, सिसकते हुए लोगों को आधुनिक यंत्रों के द्वारा जिन्दा रखने की जरूरत है या नहीं ? लोग जिन्दा रहना चाहते हैं। लेकिन गौरव के साथ जीना चाहते हैं। जीना कोई सवाल नहीं है, लेकिन किस प्रकार जियें ? जो खेलते हुए, काम करते हुए, शरीर और मस्तिष्क का उपयोग करते हुए जीते हैं, उसे जिन्दगी कहते हैं। जब जिन्दगी में उत्साह और उमंग न रहे तो जिन्दगी नहीं रहती है।

मैंने जब यह बिल रखा तो बहुत सी बातें सदन के सामने रखीं। मैं यह नहीं चाहता था कि मेरा बिल पारित हो जाये, मैं चाहता था कि इसके लिए जनमत जानना चाहिए। यह बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल है। जब यह बिल पेश हुआ तो उसके बाद मुझे अखबारों के कटिंग और कुछ चिट्ठियां मिली हैं। उनमें से मैं कुछ आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जिस दिन मीटिंग हुई, उसके तीसरे दिन यह अखबार में निकला। यह मि० बी० के० बत्रा ने लिखा है—

श्री बी० के० बत्रा का पत्र—

"बहुत से आदमी और औरतें ऐसे हैं जो दुःख और मनोव्यथा में जीवित रहते हैं जो मृत्यु से भी बदतर है। उन लोगों के लिए केवल मृत्यु ही मुक्तिदाता है और समाज को उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें सम्मान के साथ मरने का अधिकार देना चाहिए। हमारे देश में कोढ़ी हैं और उनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं है, और वे दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं, जबकि औषधियां और मानवीय सहानुभूति से उनका उपचार हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो असाध्य संक्रमक 'और छुआछूत की बीमारियों से पीड़ित हैं और उनके सम्पर्क में आने से वे स्वस्थ सदस्यों को भी प्रभावित करते हैं। लोगों को सम्मान के साथ मरने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय विधान पास किया जाना चाहिए।"

एक लेटर तो मुझे यह मिला है। दूसरा एक लेटर कलकत्ता का मुझे मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है—

"तो फिर हम जैसे वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेने वाले साधारण व्यक्तियों को पापी क्यों कहा जाता है ? युवा लोग हम पर इस बात के लिए हंसेंगे और कहते हैं कि कुछ पागल व्यक्ति सदन में आ गए हैं, यदि किसी समय बड़े-बड़े आप जैसे बुद्धिजीवी लोक में यह प्रश्न उठाने की व्यवस्था करते हैं। मुझे गीता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करने की अनुमति दी जाए···"

जीने में और मरने में कोई फर्क नहीं है। मरना वस्त्र बदलने के समान है।
उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत किया है—

वशांसी जीर्णानी यथा विहाय
तथा अन्यानी सरिणानि···"

क्या उन्हें पापी माना जाना चाहिए ? और फिर एक और पत्र में उसने लिखा है—

"आप आपने विधेयक के सम्बन्ध में मेरी शुभ कामनाएं स्वीकार करें जिससे हजारों

लोगों को जो रोगों से पीड़ित हैं अपना जीवन बिना दुःख और क्षणिक मृत्यु से समाप्त कर सकते हैं।"

यह पत्र कलकत्ता से आया है।

दूबारा मैं एक पत्र का हवाला देता हूं। मेरे पास बहुत से पत्र हैं परन्तु मैं उन सबको यहां उद्धृत नहीं करूंगा।

"मृत्यु की कानूनी व्याख्या सांस लेने और दिल की धड़कनों पर आधारित है, परन्तु सम्मूर्छित और पंगु-जीवन निरर्थक है। और उस हालत में रोगी के लिए आवेदन करना सम्भव नहीं है। यद्यपि दयामूत जीवन अन्त से उनके दुःखद जीवन का अन्त हो सकता है। मुख्य रूप यह निर्णय रोगी के संबंधियों द्वारा इस अधार पर लिया जाना चाहिए कि रोगी की तकलीफों का उनपर क्या प्रभाव पड़ता है। नियम बनाते समय इस बात को भी शामिल किया जानाचाहिए।

चूंकि आपके द्वारा, इस विधेयक को रखना वर्तमान चर्चा का विषय बन गया है और बहुत से समाचार पत्रों ने इस विषय पर लेख प्रकाशित किये हैं।"

मैंने अपने बिल में यह लिखा है कि संबंधित व्यक्ति की व्यूज ले ली जायें और उसके रिलेटिव्ज से भी पूछा जाए।

एक नया लेख है जिसे एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। मैं उद्धृत करता हूं:

"ग्रीस के लोग समझते थे कि केवल जीवन का सम्मान सम्मानजनक मृत्यु के बिना बेकार था।"

अगर कोई आदमी तड़फ रहा है, पड़ा-पड़ा सड़ रहा है और उसके रोग का कोई इलाज नहीं है तो उन्होंने कहा कि वह कोई लाइफ नहीं है।

"जब डा० बनार्ड की माता जी को 98 वर्ष की आयु में धक्का लगा और अचेत हो गई और इससे निमोनिया हो गया, उन्होंने उसकी देखभाल करने वाले डाक्टर को एंटीबायोटिक्स अथवा ट्यूब द्वारा भोजन देने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी मां को बड़बड़ाते हुए सुना था।"

"भगवान मुझे उठा ले।"

एक 94 साल की मां थी जोकि तड़पती थी और उसको ऐसी बीमारी थी जिससे वह परेशान थी। वह कहती थी मुझे क्यों दवाई देते हो? हे भगवान, मुझे उठा ले।

"इन समाजों का उद्देश्य सम्मानजनक मृत्यु देना है, निकट मृत्यु वाले मरीज अपनी मृत्यु के निर्णय लेने के सम्बन्ध में राय देना है। ब्रिटेन में, जहां 1961 में आत्महत्या को कानूनी बना दिया गया था।

ब्रिटेन तथा स्काटलैंड में, आत्महत्या को कानूनी बना दिया गया है।

यूथानासिया के विचारों का समर्थन करने वाले कुछ लोगों का विचार है। डा० लीसली नीदरलैंड, विश्वविख्यात डाक्टर, कहते हैं :

"मेरा यह विश्वास है कि हमारे से बाद आने वाले लोग इस बात पर हैरान होंगे कि इस भूमि पर हम लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जिंदा क्यों रखते हैं, जब जीवन का सम्मान, सुन्दरता और उद्देश्य समाप्त हो चुका हो।"

वह कहते हैं कि दुनिया में आने वाले सोचेंगे कि इन्होंने ऐसे आदमी को क्यों रखा जो तड़प रहा था...

श्री रामविलास पासवान : कौन हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह बात डा० लीसले नीदरलैंड ने लिखी है। उन्होंने इस पर एक बड़ा लेख लिखा है।

जैसे हमारे पासवान जी हैं, हंसते रहे तो ठीक है, लेकिन जब बूढ़े हो जायेंगे, शरीर नहीं चलेगा, आंखों से आंसू आयेंगे...

श्री रामविलास पासवान : तो मार दोगे।

श्री मूलचन्द डागा : मारो मत, पहले पूछो। एक जज को बुलाओ वह उनसे बात करेगा कि उनके व्यूज क्या हैं। एक बात और—जब मैंने इस बिल को रखा था तो मैंने जिस लफज को रखा था अब उसको अमेण्ड कर दिया। मैंने सोचा कि लोग "मर्सी-किलिंग" का अर्थ गलत ले रहे हैं, उसको गलत तरीके से सोच रहे हैं तो मैंने उसमें अमेण्डमेन्ट दे दी है। किलिंग की जगह मैंने दे दिया है, "मर्सीफुल डेथ"

एक माननीय सदस्य : आपने "किलिंग" को ही बदल दिया।

श्री मूलचन्द डागा : वास्तव में लोग उसके उद्देश्य को समझते नहीं हैं, इस लिये मैंने उसको थोड़ा बदलने का सोचा···

सभापति महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। कृपया अब इसे समाप्त कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : अब तो बहुत समय है। मैं 10 मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : आपके विधेयक में बहुत सदस्य रुचि ले रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : आपका बिल तो बहुत दिनों तक चलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने दो संशोधन दिये हैं, जिनकेनामहैं "दयामल जीव अंत अधिनियम, 1980" के स्थान पर "दयामृत जीवन-अंत अधिनियम, 1982" और "का जीवन अंत करने के स्थान पर "चुपचाप मौत दे देना"।

मेरे विधेयक का यह उद्देश्य था कि :

"जो लोग बिल्कुल अपंग हो गए हैं और किसी असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण

बिस्तर पर पड़े रहते हैं उनके लिए दयामूत जीवन अन्त का उपबंध करना।"

यही मेरे बिल का उद्देश्य था। इसका यह मतलब नहीं कि जो क्योर हो सकता है उसको मार दो।

और फिर, मैंने परिभाषाएं भी दी हैं। खण्ड 3 में लिखा है :

"कोई व्यक्ति संबंधित जिला हस्पताल के सिविल सर्जन को दयामूत जीवन अंत करने का प्रार्थना-पत्र दे सकता है, यदि वह निम्नलिखित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है तो, अर्थात् :—

(एक) जो लोग दुर्घटना, बीमारी अथवा जन्म से अपंग होते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं और जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसा ही घोषित कर दिया जाता है;

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैन ग्रन्थों में यह लिखा है—

श्री मूलचन्द डागा : इसको आप छोड़िये। लोग इस कानून का मंशा समझें। कई अच्छे साधु तबियत खराब होने पर खाना-पीना छोड़ देते थे।

सभापति महोदय : आप इसे दो मिनट में समाप्त कीजिए। और भी तो सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। इसमें यह लिखा हुआ है।

यह जिला न्यायालय जज द्वारा कहा गया है।

जब केस बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के पास जाएगा, तो अगर दो-तिहाई बोर्ड के मेम्बर यह कह दें कि यह वास्तव में इनक्यूरेबिल है,

एस्सेरटन करने के बाद अगर वे ठीक समझते हैं, तब उसको इजाजत दी जाएगी।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि स्काटलैंड के अन्दर और ब्रिटेन के अन्दर इसको लीगेलाइज किया गया है और अमेरिका में 10 स्टेट्स ने इसको लीगेलाइज किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि वह बहुत जरूरी है। पहले हमारा एक हथियार भूख-हड़ताल होता था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर अंग्रेज कोई हमारी सही बात को नहीं मानते हैं तो भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। भूख-हड़ताल के बाद हमको जबर्दस्ती फीड किया जाता था।

हस्पताल ले जाया जाता है। तो कानून को तोड़ने के लिए जब कभी भूख-हड़ताल की जाती थी, तो ऐसा ही होता था। कभी-कभी यह भी कहा जाता था कि अगर कानून को नहीं तोड़ा जाएगा, तो मैं प्राण दे दूंगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार जो लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उसके बारे में यह कहा गया है :

"कानूनन, रोगी को मेडिकल या सर्जिकल इलाज कराने से मना कराने का अधिकार होना चाहिये, परन्तु यदि वह अचेत है अथवा अपनी बात कहने में असमर्थ है, तब इसमें विवाद हो सकता है, अन्यथा नहीं।"

तो मैं यह चाहता हूं कि यह एक ऐसा सब्जैक्ट है, जिसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए और यह जाना जाए कि लोगों के व्यूज इस बारे में क्या हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस बिल को पास किया जाए लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो इस प्रकार सफर कर रहे हैं।

इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं :

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि 1 जनवरी, 1983 तक इस विधेयक पर राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये।" 2

श्री जैनुल बशर : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि 1 जनवरी, 1983 तक इस विधेयक पर राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये।" 3

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : वास्तव में इस विधेयक का देश की सामाजिक और राजनैतिक दशाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हजारों लोगों का प्राथमिक इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है ? इस विधेयक का सम्बन्धियों तथा अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। यह हमारा अनुभव रहा है कि—मैं कुछ मामलों का उल्लेख भी कर सकता हूं—डाक्टर के यह कहने पर कि किसी विशेष बीमारी का ठीक होना सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में हमने उन लोगों को विदेश भेजा और विदेश जाने तथा वहां उचित इलाज करवाने के बाद वे ठीक हो गए। मुख्य बात यही है कि हमें लोगों को अनिवार्यतः न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। हमारे देश में 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और हम देश के बहुत से अस्पतालों में डाक्टर तक उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। तब हम यह कैसे कह सकते हैं कि कोई बिमारी विशेष असाध्य है ? लोगों का उचित इलाज नहीं हो रहा है उन्हें न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बहुत से लोगों के मामले में उचित इलाज नहीं होने के कारण उनकी बीमारी असाध्य हो गई है। अतः इस विधेयक की हमारे देश में कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसे सम्भवतः इंगलैंड में लागू किया जा सकता है क्योंकि इंगलैंड विकसित देश है।

दूसरा मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वह इस प्रकार है। हमें यह देखना है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारे बिना, लोगों को अनिवार्य आवश्यकताएं प्रदान किये बिना, इस देश में ऐसा कोई कदम उठाना गलत होगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : श्री डागा के इस विधेयक का मैं घोर विरोध करता हूं। हमारे सामाजिक जीवन में परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनमें इतना प्रेम होता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई कितना भी बीमार हो, माता, पिता या भाई बीमार हो, किसी को भी जो मैडिकल में बताया गया उससे मरवा दें। हमारी इस प्रकार की सभ्यता नहीं

है। जैन ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों किसी में भी इस चीज को मान्यता नहीं दी गई है। वास्तव में यह एक आत्म-हत्या है, सुएसाइड इसका नाम है। डिवेलेपिंग कंट्रीज ने इस प्रकार का कानून बना दिया है तो उनका दृष्टि कोण और हो सकता है वहां परिवार में इतना प्रेम नहीं होता है जितना हमारे यहां होता है। वे बना सकते हैं, हम नहीं। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि असाध्य समझे जाने वाले रोगों का भी इलाज आज मौजूद है। सभी रोगों का इलाज आज हो सकता है। कभी कैंसर, तपेदिक रोग असाध्य समझे जाते थे लेकिन आज नहीं।

श्री मूल चन्द डागा : यह सवाल नहीं है कि इलाज नहीं होगा। वह होने दीजिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मेडिकल बोर्ड की बात इस में कही गई है। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बिठा देंगे तो वहां इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वे राय नहीं दे सकते हैं, उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट डिविजनल लेवेल पर हैं और उनसे भी बड़े एक्सपर्ट स्टेट लेवेल पर हैं और उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट आल इण्डिया फेम के हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलाज नहीं हो सकता है तो डिविजनल लेवेल पर हो सकता है और वहां नहीं हो सकता तो प्रोविंशल लेवेल पर हो सकता है और फिर नेशनल लेवेल पर हो सकता है और नेशनल लेवेल पर भी नहीं हो सकता है तो इंटरनेशनल लेवेल पर हो सकता है।

मैं चाहता हूं कि डागा जी चिन्तन करें। उनकी स्थिति अगर कहीं इस प्रकार की हो तो कभी भी उनका सुपुत्र आज्ञा प्रदान नहीं करेगा, पत्नी नहीं करेगी, परिवार के सदस्य नहीं करेंगे। खुद बीमार होंगे, कराहते हों तो सही तौर से कंसेंट भी नहीं हो सकता है, खुशी से नहीं हो सकती है। जो कामा में होता है, कराह रहा होता है उसकी विलफुल कंसेन्ट नहीं होती है, सैशन जज बयान भी लेगा तो वह बयान भी सही तरीके से दिया गया है, यह नहीं—कहा जा सकता है। इस चीज को कभी भी हमारा समाज पसन्द नहीं कर सकता है, देश पसन्द नहीं कर सकता है। अगर गवर्नमेंट भी बिल प्रस्तुत करके पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको भेजेगी तो लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट मानव जाति के खिलाफ है, मनुष्य जाति के खिलाफ है, बिल्कुल बर्बर है, इसमें मर्सी की भावना ही नहीं है, यह ब्रूट है। इसलिए मैं इस कानून का विरोध करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : डागा जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है यह विचारणीय है, इस पर जितना विचार किया जाए कम है। वृद्धि चन्द्र जैन जी ने ठीक कहा है कि हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है कि जहां पर लोगों को मारने की इजाजत दी जाए। हम तो लोगों को जिन्दा रखना चाहते हैं और यह भी इस तरह से कि किसी को कोई रोग न हो, खराबी न हो, गड़बड़ी न हो और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। उसी के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हैल्थ मिनिस्टर और खास तौर से प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि दो हजार के साल तक हम सभी के स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था कर देंगे। जिनको इनक्योरेबल डिजीजिज कहा जाता है खास तौर से उनके सम्बन्ध में विशेष तौर पर प्रयत्न करने की जरूरत है और हमारे हैल्थ मिनिस्टर को उधर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए जो इन्क्योरेबिल डिसीजेज हैं जैसे टी० बी०, कैंसर, पैरेलिसिस, मैडनैस आदि, इन बिमारियों की वजह से जो लोग परिवार के लिए एक बर्डन स्वरूप हो जाते हैं, उनका उचित तरीके से इलाज हो सके। इस तरह का

प्रयत्न सरकार को करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। इसमें काम में और तेजी आनी चाहिए और उचित व्यवस्था करनी चाहिए। खासतौर से गांवों के विकास के सम्बन्ध में कहना है कि वहां अभी तक जिस प्रकार की प्रगति और जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने कहा कि जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको ऐसी बीमारियां होने के बाद क्या हम महंगी दवाएं दे सकते हैं? खुद तो वह बेचारे पैसा खर्च नहीं कर सकते और अभी गांव लेविल तक इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी इनक्योरेबिल बीमारियों के इलाज की उचित व्यवस्था हम कर सकें तो ठीक होगा। वरना जैसा डागा जी कहते हैं कि 5, 7 साल खाट पर पड़ा रहे तो सारे परिवार के लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यह आदमी जल्दी उठ जाये तो इन दोनों व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी संस्कृति यह कहती है कि हम उसकी सेवा करके उसे ठीक करने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं हो सकता हो, सरकार के पास साधन न हों ठीक से व्यवस्था कर पाने के तो वैसी हालत में डागा जी के प्रस्ताव को मजबूर होकर मानना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आपको सोचना चाहिए कि हम डागा जी के सुझावों को मानें या ऐसी व्यवस्था करें जिससे ऐसा मौका ही न मिले?

दूसरे जो इन्होंने अपने बिल में प्रावधान किया है मेडिकल बोर्ड का या जज से स्वीकृति लेने का, यह तो तब पैदा होता है जब सरकार कह दे कि हम इन बीमारियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, और वह आदमी उन बीमारियों से तड़प तड़प कर मरे ऐसी स्थिति में अगर समाज और सरकार घोषणा कर दे तब यह प्रश्न पैदा होता है कि इसके सम्बन्ध में कोई न कोई कदम उठाया जाये या ऐसा कानून स्वीकार किया जाये जिसके अधीन उसको मरने का अधिकार दिया जाये, तब यह प्रश्न पैदा होता है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा आज भी गांवों के अन्दर बहुत सी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश योजनाबद्ध तरीके से आप कर रहे हैं। मगर आज भी वह दूर नहीं हो पायी हैं। जितनी भी मेडिकल फेसिलिटीज गांवों में दी हैं उनसे क्या लोगों को ठीक से उपचार हो सकता है? आप ने एक लाख की आबादी पर एक पी० एच० सी० दिया है। जो उसका बजट है उसमें वह लोगों की व्यवस्था कर सकता है? हरगिज नहीं। गांवों में ज्यादातर गरीब रहते हैं जो दवायें नहीं खरीद सकते। इसलिए उनके लिए अगर विशेष व्यवस्था नहीं की जायेगी तो निश्चित तरीके से गांव का गरीब आदमी खासतौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों पर बहुत बड़ी आपत्ति आ जायेगी।

हमारे यहां राजस्थान में हर दूसरे साल अकाल पड़ता है और उसके दौरान खराब पानी पीने को मिलता है। उससे ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे आदमी एक दो घण्टे में मर जाता है। गांवों में होने वाली ऐसी बीमारियों का व्यवस्थित इलाज और उचि मेडिसन्ज हम उपलब्ध नहीं करा पाते। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बारे में माकूल और मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि श्री डागा को यह बिल लाने की आवश्यकता नहीं है।

विदेशों में जहां जहां इस तरह के कानून पास हुए हैं, वहां परिवार में किसी का आपस

में कोई सम्बन्ध नहीं है, बाप और बेटा अलग अलग रहते हैं, सब अपना अपना कमाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने की तरफ रहता है, प्रेम और भाई-चारे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। उन लोगों में इस प्रकार किसी को मारने की भावना उत्पन्न हो सकती है। वहां पर घोड़े, गधे और ऊंट के बीमार होने पर गोली से मार देने की व्यवस्था है। लेकिन हमारे देश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो इस बात को सोच भी नहीं सकते कि जिससे हमारा ताल्लुक रहा है, जो हमारे परिवार में रहा है, चाहे वह मवेशी हो या इन्सान, उसके जीवन का अन्त इस प्रकार कर दिया जाए।

लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार पर जो जिम्मेदारी आती है, सरकार को उसे पूर्णतया निभाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि श्री डागा ने जो बिल प्रस्तुत किया है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि वह इसको वापस ले लेंगे और सरकार इनक्युरेबल डिवीजिज के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करेगी, जिससे गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री डागा ने जो बिल रखा है, उसमें उन्होंने "मर्सी" शब्द जोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि उनके दिल में ऐसे असहाय लोगों के लिए मर्सी छिपी हुई है। सरकार को ऐसे लोगों की सहायता करने की तरफ तवज्जुह देनी चाहिए।

इस विषय के कई एसपैक्ट्स हैं। धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, कानूनी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो इस देश में यह बिल लागू होने लायक नहीं है। इस बिल की लैंग्वेज इतनी कनफ्यूज्ड है कि यदि डागा साहब भी इसके बारे में सोचें, तो वह झटक जाएंगे। इस बिल में "कम्पलीट्ली इनवैलिड" की बात कही गई है। अगर लड़ाई के मैदान में एक देशभक्त सिपाही की आंख चली जाती है, उसके हाथ-पैर चले जाते हैं, और वह इनवैलिड हो जाता है, तो क्या देश के लोग उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारी इच्छा मरने की है ?- कभी नहीं। यह बड़ी क्रूर और दिल में लगने वाली बात है। जिस जवान ने लड़ाई के मैदान में लड़ते-लड़ते अपने अंगों को न्यौछावर कर दिया और इनवैलिड हो गया, यदि आप उससे पूछेंगे कि क्या उसकी इच्छा मरने की है, तो यह उसके प्रति सम्मान नहीं होगा।

इस बिल में माननीय सदस्य ने "बेड-रिडन एण्ड सफरिंग फ्राम इनक्युरेबल डिजीज" की बात भी कही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले लोग यह खयाल करते थे कि टी वी एक इनक्युरेबल डिजीज है। लेकिन आज स्थिति यह है कि वह अच्छी हो सकती है। अगर इलाज और खान-पान की सही व्यवस्था हो, तो टी वी का रोगी भला-चंगा होकर दुगना स्वास्थ्य प्राप्त कर के समाज की सेवा कर सकता है।

माननीय सदस्य ने इनक्युरेबल डिजीज की बात कह कर वैज्ञानिक प्रगति को रोकने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक प्रगति क्या है ? डागा साहब के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। वह विद्वान आदमी हैं। उन्होंने बहुत से डैटा और फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं।

श्री राम विलास पासवान : वह जानते हैं कि आप विरोध करेंगे, इसलिए उसको दुःख होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : इनक्योरेबल डिजीज, जैसे टी० बी० है, उसके बारे में यह सोच लेते कि टी० बी० का पीड़ित उस जमाने में अच्छा होने वाला नहीं है तो टी० बी० के रोग पर कोई रिसर्च वगैरह नहीं होती। लोग निर्णय बना लेते कि जो इनक्योरेबल डिजीज हैं, जैसे कि कैंसर के मामले में है तो आज कुछ नहीं होता।

आज कैंसर पर रिसर्च चल रही है, खोजबीन हो रही है, प्रयास चल रहे हैं कि इसे क्योरेबल कैसे बनाया जाए। अगर यह मान लें कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता, तो इस पर रिसर्च वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और इसका काम यहीं बन्द कर दिया जायेगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक प्रगति मेडिकल साइंस पर होने वाली है वह रुकेगी।

मानव समाज का एक तरीका रहा है। प्रीमिटिव एज से लेकर आज तक के मानव समाज की यह सबसे बड़ी खासियत रही है। यह चीज मानव समाज में ही नहीं आप इसे पशुओं में भी देखेंगे। डागा साहब ने शायद देखा होगा कि अगर किसी बन्दर का बच्चा मर जाता है तो बंदरिया बहुत दिनों तक उसको अपने पेट से चिपकाकर घूमती रहती हैं। इसमें प्रेम का भी प्रश्न है। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एनेलिसिस किया जाना चाहिए। मनुष्य समाज जिस दिन से दुनिया में आया है, यदि उसमें लगन, प्रेम-भाव, कुटुम्ब की भावना न होती तो निश्चित रूप से आज समाज का इतना बड़ा रूप दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिक प्रगति सारी रुक जाती। यह बिल समाजिक ढांचे को भी तोड़ने वाला होगा। हमें भी यह समझना होगा कि हमारे बुढ़ापे में अगर कोई इन क्योरेबल डिजीज हो गयी या हम चलने फिरने लायक नहीं रहे तो हमें स्वेच्छा से या अन्य लोगों की देखा-देखी कोई अन्य रास्ता अख्त्यार करना पड़ेगा।

डागा साहब ने खुद कहा है कि अमेरिका, कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, 10, 5 राष्ट्रों की बात उन्होंने कही कि उनमें भी सुसाइड करने के नियम हैं। उन पर केस नहीं चलता और कोई औफेन्स नहीं बनता। अटैम्प्ट टू सुसाइड के बारे में इंडीयन पीनल कोड़ में पनिशमेंट है, उसमें सजा देने की बात है, लेकिन जो मर गया, मरने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता यह बात किसी माने में सही हो सकती है, और किसी नेशन ने बड़े लिबरल एटीट्यूड से इसको अडाप्ट कर लिया होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मर्सी किलिंग का कानून बना दें और लोगों को स्वतन्त्रता दे दें या ऐसा वातावरण बनाएं, कि असाध्य रोग से पीड़ित लोग मर जाएं और हम उन पर मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रैशर डालने का प्रयास करें और उनसे कहें कि आप एप्लीकेशन लिखिए।

डागा साहब ने खुद कहा है कि आज समाज में नैतिकता का पतन हो गया है इसलिए जज साहब की एक कमेटी होनी चाहिए जोकि उसके अध्यक्ष होंगे और उसमें दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सब मिलकर यह निर्णय करेंगे कि इस आदमी को मरना चाहिए या नहीं। लेकिन आपने उस वातावरण के बारे में कोई इलाज नहीं बताया।

साधू समाज की बात कही गई। दर्शन-शास्त्र की किसी पुस्तक को आप उठा लें। वेदान्त मीमांसा, सांख्य, बौद्धिज्म और जैनिज्म सब में निर्वाण की बात आ रही है। आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति की बात के बारे में हमारे यहां यह कहा गया है—

बन्धन और कष्ट से मुक्ति लेकिन इसका अर्थ आत्म-हत्या करना नहीं है। उसका ममलब यह नहीं है कि ज्ञान के द्वारा ऐसी आत्मा को प्राप्त करना जिससे स्वयं ऐसा एहसास होने लगे कि मैं चैतन्य के साथ सम्मिलित हो गया हूं और निर्वाण की स्टेज भी वही जैन धर्म में है। ऐसी स्टेज में मनुष्य सोचने लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। जो कहा गया है कि इसमें खाना-पीना छोड़ देते हैं तो वह शारीरिक कष्ट की वजह से नहीं कि शरीर खत्म होने जा रहा है, यह वह इसलिए करते हैं कि मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे नालेज प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसमें कोई सुसाइड का अटैम्पट नहीं है।

दर्शन, सामाजिक, वैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं को देखते हुए मैं डागा साहब से अर्ज करूंगा कि उनके दिल में जो दया है और करुणाभरी कहानी लेकर उन्होंने इस बिल को लाने का प्रयास किया है, उसमें यह प्रावधान हो कि जो बहुत अपाहिज लोग हैं, सरकार उनकी सहायता के लिए केन्द्र बनाए, उन्हें रहने के लिए जगह दे या जिनके लिए समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वह व्यवस्था करे।

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, आज पूरे संसार में एक प्रकार से यह विचारधारा चल रही है कि जो लोग भयंकर रोग से पीड़ित हैं, जो किसी तरह से भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, उनको अधिकार होना चाहिए कि वे अपने जीवन का अन्त कर सकें। मैं समझता हूं हमारे मित्र डागा जी भी उसी विचारधारा से प्रभावित हैं और इसीलिए वहां पर इस बिल को लाए हैं। यह जीवन ईश्वर की देन है—ऐसा मैं मानता हूं। जब से यह दुनिया कायम है तभी से दुनिया में लोग मानते आए हैं कि ईश्वर जीवन देता है और इस जीवन को लेने का भी वही अधिकारी है। मानव को स्वयं भी यह अधिकार नहीं है कि वह अपने जीवन का अन्त कर दे। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, धर्म में विश्वास करता हूं इसलिए मैं डागा जी के बिल का विरोध तो करता ही हूं लेकिन मैं संकीर्ण विचारधारा नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने एक अमेन्डमेंट भी दिया है कि इस बिल को लोगों की राय जानने के लिए प्रचारित किया जाए और जब लोगों की राय प्राप्त हो जाए तब उसके बारे में कोई कानून बनाया जाए।

जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है, मैं धार्मिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से भी इसका विरोधी हूं। आज कोई रोग असाध्य है, जिसका आज कोई इलाज नहीं है, कल उसका इलाज हो सकता है क्योंकि नई-नई दवाइयों का आविष्कार दिन-प्रतिदिन होता जा रहा है। इसलिए आज अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसे तब तक इन्तजार करना चाहिए जब तक कि या तो कोई ऐसी दवाई न मिल जाए जिससे कि वह अच्छा हो सके, या जब तक कि वह स्वयं अपनी मौत से न मर जाए।

दूसरे, मानव की जो मेंटैलिटी है, उसमें जो स्वार्थपरता है, उससे भी प्रेरित होकर, ऐसा कानून बन जाने के बाद, ऐसी बातें हो सकती हैं कि लोग स्लो-प्वायजनिंग के जरिए, डाक्टरों से

मिलकर, किसी व्यक्ति की ऐसी हालत बना दें जिससे कि वह यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। आजकल डिस्ट्रिक्ट जज को भी मिला लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। डागा साहब ऐसा सोचते मालूम होते हैं जैसे सैकड़ों एप्लीकेशन्स आयेंगी हर जिले में इसलिए जिला जज को रखने की बात कही है। वे समझते हैं हर जिले में ऐसी सैकड़ों एप्लीकेशन्स आयेंगी कि हम मरना चाहते हैं इसलिए हमें मरने की इजाजत दी जाए।

तो मैं यह कह रहा था कि ऐसा वातावरण कुछ लोग पैदा कर सकते हैं जिसमें वे किसी व्यक्ति से लिखवा लें और डिस्ट्रिक्ट जज से भी करवा लें और फिर उसको मार डालें। इस बिल के पास हो जाने के बाद लालच की जहनियत कुछ लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूं किसी भी तरीके से यह बिल इस काबिल नहीं है कि इसको पास किया जाए।

आज, हालांकि एक छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन दुनिया में यह विचारधारा भी चल रही है (मैं नहीं समझता डागा जी भी उससे प्रभावित होंगे) कि जो व्यक्ति काफी बूढ़े हो गए हैं और समाज में उपयोगी नहीं रह गए हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। कहीं इस प्रकार का बिल भी डागा जी आगे चलकर न ले आएं ; इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं लेकिनसाथ-साथ यह जरूर चाहता हूं कि लोगों की राय इस पर ले ली जाए ताकि मालूम हो जाए कि डागा जी कहां पर खड़े हुए हैं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटे-से संशोधन का सुझाव दिया है, जैसा कि मैं महसूस करता हूं कि यद्यपि यह विधेयक बहुत महत्त्वपूर्ण है, यह विवादग्रस्त भी है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा, वैज्ञानिक विकास और तकनीकी विकास के साथ-साथ हमारे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे में भी परिवर्तन हो रहा है। एक समय था जब हम संयुक्त परिवारों में रहते थे; परन्तु संयुक्त परिवार कीप्रथा भी धीरे-धीरे टूटती जा रही है। हमने पहले कभी मरणासन्न निराश्रित गृह या वृद्धों के गृह का नाम भी नहीं सुना था। परन्तु जब सरकार के समक्ष ऐसे मामले आए तो, समाज कल्याण मंत्रालय ने भी मरणासन्न निराश्रित गृहों और वृद्धों के गृहों को मदद देना आरम्भ किया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में ऐसी कितनी मदर टेरेसा हैं जो इन लोगों की देखभाल कर सकें। इसके साथ ही हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस समाज में, व्यक्ति की आय का स्रोत सीमित है। वह कार्य करता है, परन्तु इसके साथ ही उसकी आय में कुछ वृद्धि करने के लिए उनकी पत्नी भी काम पर जाती है। ऐसी परिस्थिति में, रोगी व्यक्ति बिस्तर पर असहाय पड़ा रह जाता है।

मैं हाल ही में घटी पिछले सप्ताह की एक घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूं—मैंने अपनी सास को देखा जोकि लगभग 6 वर्षों से बीमार है और शय्याग्रस्त है, वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि "हे भगवान मुझे उठा ले।" परन्तु बेटा ऐसा कहने से रोकता है। अन्ततः हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनसे खिन्न हो गया है। प्रत्येक की अपनी सीमा है। उन पर सबका प्रेम तो है पर उसकी प्रगाढ़ता कम होती जा रही है। श्री डागरा जी ने कहा है कि हमें ऐसे लोग भी

मिल जायेंगे जो लिखित रूप में यह देने को तैयार हैं कि वे दयामृत जीवनांत चाहते हैं। इस कारण मैंने इस संशोधन का सुझाव दिया है।

इसका एक और कारण भी है। ये मूलचन्द डागा हैं जिनका मूल कम होता है सूद ज्यादा होता है।

इस पर अधिक न कहते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक जनमत प्राप्त करने के लिए प्रचिचालित किया जाए।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम डागा जी को धन्यवाद देता हूं—इन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन इस बिल के पेश करने के पीछे राज क्या है ? यह हमको पता नहीं चल रहा है। दो राज हो सकते हैं—या तो यह हो सकता है कि बहुत हाई-लेविल कांस्पीरेसी हो, धीरे-धीरे लोगों के दिमाग को इस तरह से मेक-अप कर दिया जाये कि अब इस देश से गरीबी हटेगी नहीं, गरीबी हटाने का नारा फेल हो गया है, इसलिए गरीब को ही हटा दिया जाये। एक कारण तो यह हो सकता है और यदि यह नहीं है तो फिर डागा जी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम एक सदस्य इस सदन में ऐसे हैं, जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि सरकार की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी आवाज को रख रहे हैं, चाहे वह आवाज गलत हो या सही हो, यह दूसरी बात है। इसलिए इसके पीछे क्या राज है यह समझ में नहीं आता है।

अब हमारी राय क्या है ? आप जानते हैं मुहम्मद तुगलक एक बहुत अच्छा बादशाह था। उसने सोचा कि हिन्दुस्तान का नक्शा देखो, हिन्दुस्तान की राजधानी कहां हो सकती है। आप जानते हैं जितने बादशाह हुए हैं, अकबर, शेरशाह, वे कम पढ़े लिखे थे, उनके मुकाबले में तुगलक ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसने नक्शा निकाल कर देखा और सोचा कि दौलताबाद में राजधानी हो सकती है। लिहाजा उसने हुकम दे दिया कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाये। फौज को भी वहां चलने का हुकम हो गया, जब आधे रास्ते गए तो लोग बीमार हो गए, उसको बाध्य होकर लौटने का हुकम देना पड़ा। उसके बाद उसका नाम पागल बादशाह लिखा गया।

मैं यह कह रहा हूं कि डागा जी ने मेहनत बहुत की है और जो-जो फैक्ट्स वे लाए हैं, वे बहुत रेलेवेन्ट हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि इन्होंने इन्डाइरेक्टली गवर्नमेंट के थप्पड़ मारने का काम किया है। 35 साल की आजादी के बाद हिन्दुस्तान की संसद में जो यह बिल लाए हैं, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की अक्षमता को बतला दिया है कि जबकि लोगों को जीने का अधिकार है, संविधान के मुताबिक राइट आफ लिविंग है, इनकी सरकार ने लोगों को इतना जर्जर बना दिया है कि लोग अब जीने की बजाए मरना चाहते हैं और यह हिन्दुस्तान का सही चित्र है और नंगा चित्र है और इस के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उनका प्रयोजन क्या था और आप किसकी बात कर रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : यह तो वह बतलाएंगे। जो असाध्य हो जाए, मरने वाला हो, उसके लिए इन्होंने कहा है और वे कौन लोग होते हैं। हिन्दुस्तान के गांवों में आप जाकर देखिए कि

बीमार कौन है। बीमार वही है, जो गरीब है। यहां पर 60, 70 और 80 साल के लोग हैं, जो बीमार नहीं हैं। हमारे मोरारजी भाई जी की उम्र 84 साल की हो गई है और वे इस उम्र में भी जब बदन खोलते हैं, तो पहलवान के समान लगते हैं और गांवों में चले जाइए, तो 30 वर्ष वाले को भी बुढ़ापा आ जाता है, 30 वर्ष का आदमी भी बूढ़ा हो जाता है। यहां पर 70-80 साल के आदमी के चेहरे पर लाली है। · · ·(व्यवधान) · · ·इस का मतलब यह है कि जितने लोग रोग से ग्रसित हैं, वे गरीब हैं और गरीब ही बीमार रहते हैं अब बजाए बीमारी का इलाज किया जाए, ये बीमार को ही मार रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन मेरी समझ में यह है कि गरीबी का इलाज करो, बीमारी का इलाज करो। हमारे डागा जी का 35-40 साल का अनुभव है और वे अब यह समझ चुके हैं कि गरीबी का इलाज नहीं हो सकता और अब वे फ़्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इस सरकार से निराश हो चुके हैं, इस के कार्यकलापों से वे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए उनके दिमाग में यही आया है कि जब यह सरकार गरीबी हटाने का काम नहीं कर सकती, लोगों की बीमारी दूर करने का काम नहीं कर सकती, तो ऐसे लोगों को मार दो और वे शान्ति-पूर्वक इस दुनिया से चले जाएं।

सभापति महोदय : प्रत्येक विधेयक के बारे में आप एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : इस बात को सभी साथी मानते हैं कि कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी बिल के पीछे जो मान्यता होती है, जो लोगों का जन-समर्थन होता है, वही जन-समर्थन कानून का रूप लेता है। अब फांसी की सजा क्यों है। वह इसलिए है कि 100 में से 49 लोग अगर कोई ऐसा जुर्म करते हैं, जिसमें फांसी की सजा होनी चाहिए, तो लोग पसन्द करते हैं कि फांसी की सजा हो लेकिन अगर समाज में 100 में से 75 आदमी एक-दूसरे को मारना शुरू करें, तो फिर यह बात आएगी कि फांसी की सजा हटाओ क्योंकि मेजोरिटी इस बात को चाहेगी और यह मेजोरिटी की दृष्टि होगी। डागा जी जो यह बिल लाए हैं, उसके माध्यम से उन्होंने सरकार को यह चेतावनी दी है कि हिन्दुस्तान में मसले इतने बढ़ गये हैं, हिन्दुस्तान में गरीबी इतनी दूर तक जा चुकी है कि लोगों में निराशा पैदा हो गई है और वे ऐसी जिन्दगी जीने के बजाए, मरना पसन्द कर रहे हैं। इसलिए इस बिल में पाजिटिव नहीं तो निगेटिव तरीके से सरकार को एक चाबुक लगाई गई है और सरकार को जो सही चित्र दिखाने का इन्होंने काम किया है, उस के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

इस का जो दूसरा पक्ष है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। सरकार को मारने का काम, उस पर डंडा चलाने का काम इन्होंने किया है ताकि वह देश में जो बीमारी है, जो गरीबी है, उसको दूर करें लेकिन उस के बाद जो दूसरा पक्ष है, इस पक्ष को आप हटा दीजिए। आपने भी जनमत तैयार करने की बात कही है क्योंकि वे जानते हैं कि इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि आप जहां हैं, सरकारी बेंचों पर हैं, भीतर हैं या बाहर हैं। लड़कर के झगड़ कर के, उनकी आवाज भले ही कमजोर हो, भले ही अकेली आवाज हो फिर भी सरकार के ऊपर चाबुक लगाने का काम करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि

आज देश इस स्थिति तक पहुंच गया है कि लोग मरना पसंद कर रहे हैं—जीना पसंद नहीं कर रहे हैं। यह कहने का काम आप कीजिए और इस बिल को वापिस ले लीजिए।

श्री बापूसाहिब पसलेकर (रत्नगिरि) : मुझे श्री डागा के दर्द और बीमारी जो कि उनके अनुसार साध्य नहीं है, से कराहते लोगों के प्रति प्रदर्शित भावना के प्रति पूरी सहानुभूति है। अपने वक्तव्य में उन्होंने स्वयं ही यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उन्होंने पूरी तरह यह जानते हुए कि यह विधेयक पारित होने वाला नहीं है—यह विधेयक प्रस्तुत किया है पर इससे देश के लोगों का ध्यान इस विवादपूर्ण विषय पर केन्द्रित किया जा सकेगा।

मैं उन लोगों से सहमत हूं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह महसूस करता हूं कि इस विषय पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इस पर गंभीरता-पूर्वक सोचा जाना चाहिए क्योंकि इस विशेष समस्या के दोनों पहलू हैं।

इसके उद्देश्यों को दर्शाने वाले विवरण से पता लगता है कि श्री डागा इस विधेयक को प्रस्तुत करने को इसलिए प्रवृत हुए कि उनके अनुसार इस देश में हजारों लोग या तो बिल्कुल अशक्त हो गए हैं या ऐसी बीमारियों के शिकार हो गए हैं जिनका भारत में कोई इलाज नहीं है। वह इस अधिकार को उन लोगों को देना चाहते हैं जो अन्य देशों से इलाज करवाने की स्थिति में नहीं हैं। अब किन लोगों को मरने का अधिकार है ? उन लोगों को जिनका जिक्र श्री राम विलास पासवान ने किया है। अमीर लोग विदेश से अच्छी दवाई प्राप्त करने की स्थिति में होंगे परन्तु छोटे-छोटे गांवों में रहने वाले गरीब इस स्थिति में नहीं होंगे कि वे कैंसर पोलियो या ऐसी ही दूसरी असाध्य बीमारियों का बेहतर इलाज करवाने के लिए दूसरे देशों से अच्छी किस्म की दवाइयां प्राप्त कर सकें।

उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 2 में यह प्रावधान है :

"दया भूत जीवनांत का अर्थ है असाध्य बीमारी से पीड़ित या किसी कारणवश बिल्कुल अशक्त हो गये व्यक्ति के जीवन का अंत करना।"

अतः इस देश में जो बीमारी अमीर व्यक्ति के लिए साध्य है वही गरीब व्यक्ति के लिए असाध्य है और इस विधेयक के माध्यम से मरने का अधिकार केवल गरीबों को ही दिया जा सकेगा। अमीर व्यक्ति विदेश में इलाज करवा सकते हैं। विधेयक के गुणों के बावजूद इस आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, समाचार पत्रों से इसके पक्ष और विपक्ष में लेख प्रकाशित हुए हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। इस पर कोई उदाहरण दिए जा चुके हैं। लेकिन मैं यह नहीं समझ सका हूं कि जो व्यक्ति मानसिक तौर पर विकृत है, जो परिवार समाज के लिए बोझ बनने वाला है जो निष्क्रिय व्यक्ति क्या वह अपनी सहमति व्यक्त करेगा ? मैं श्री डागा से अनुरोध करता हूं कि वे इस विशेष मुद्दे को स्पष्ट करें, जो बीमार हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक है, वे चिकित्सकों के समक्ष जा सकेंगे, वे जिला न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे सकेंगे। परन्तु बिलकुल अशक्त लोगों का क्या होगा ? इसके अलावा

अपनी बीमारी और दिमागी हालत ठीक न होने के कारण कई लोग अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं होंगे।

विद्रोह में इससे भी बड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक मामले में यह बताया गया है कि—किसी गोद लिए हुए पुत्र ने इस अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश को यह आवेदन किया कि उसके पिता बेहोशी की बीमारी से पीड़ित हैं। वे निर्णय लेने की हालत में नहीं हैं, अतः मुझे अभिभावक के रूप में नियुक्त करें और गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट के अन्तर्गत वह पुत्र जो यह चाहता है कि उसके पिता की मृत्यु हो वह स्वयं गार्जियन नियुक्त हो जाता है और मेडिकल बोर्ड तथा जिला न्यायाधीश के समक्ष बयान देता है और कहता है कि मुझे अब अपने पिता की ओर से बयान देने का अधिकार प्राप्त हो गया है क्योंकि उसे गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अन्तर्गत अभिभावक नियुक्त किया गया है, मैं ऐसा कर सकता हूं। प्रथम न्यायालय ने उसके तर्क को अस्वीकार कर दिया, परन्तु अध्यक्ष महोदय आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय ने उसके तर्क को स्वीकार कर लिया, बीमार पिता गोद लिए हुए पुत्र के लिए बोझ था, व पुत्र जो अपने पिता को इस दुनिया से ही उठाना चाहता था, उसने स्वयं को अभिभावक के रूप में नियुक्त करवा लिया और न्यायालय से यह मंजूरी भी प्राप्त कर ली कि अभिभावक की नियुक्ति उपयुक्त थी उसने अपनी सहमति और बयान प्रस्तुत किया। अतः न्यायालय और मेडिकल बोर्ड के 75% सदस्यों ने दया मृत जीवनांत की अनुमति दे दी। यह सब कानूनी था। क्या यह हत्या नहीं है ? यदि हम सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करते हैं तो भारतीय दण्ड संहिता में सेआत्म हत्या के प्रयास के अपराध को खत्म क्यों नहीं कर देते ? यह तो उससे बेहतर होगा क्योंकि दया भूत जीवनांत में व्यक्ति के जीवन का अन्त उसके सम्बन्धियों को बताकर किया जाता है।आत्महत्या की स्थिति में सम्बन्धी को तब तक पता नहीं लगता जब तक आत्महत्या नहीं कर लीजाती। वह कुछ गोलियां खा लेता है, क्या यह बेहतर नहीं कि आत्महत्या के प्रयास के अपराध को भारतीय दण्ड संहिता से हटा दिया जाए ?

इसके अलावा मैं समझता हूं कि यह कुछ भारतीयों के विदेशी विचारों और संगठनों के बहकावे में आने का ही दूसरा उदाहरण है। दिल्ली में एक ऐसा ही संगठन है और इसे इस सिद्धान्त का समर्थन करने वाला विश्व का 28वां संगठन बताया गया है। छोटी-मोटी घरेलू समस्या के कारण ही वे इस विचार के प्रति आकर्षित हो गए हैं। विश्व में जापान ही ऐसा देश है जो इस मत को नहीं मानता। जापान में इस अधिकार की बात कोई नहीं करता। यहां तक कि जब हिरोशिगा अणु-बमों से पूरा ध्वस्त हो गया था, तब भी न तो जापान सरकार ने यह महसूस किया कि ऐसा कोई विधेयक पारित किया जाये और न ही इसके पीड़ित लोगों ने ऐसी जरूरत महसूस की। ऐसे कानूनी उपबंध बनाए जाने बहुत जरूरी हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा सके। मेरा अनुरोध है कि यह इस दिशा में सोचने का उपयुक्त समय है। हमें यह देखना है कि क्या सरकार और समाज इस स्थिति में होगा कि वह ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान कर सके। मेरे मित्र श्री उत्तम राठौर ने इस बारे में दफ्तर जाने वाले बेटे और बहू का उदाहरण दिया जिसकी असहाय सास शय्या ग्रस्त पड़ी थी। वह चाहते हैं कि दयामृत जीवनांत का अधिकार ऐसे लोगों को प्रदान किया जाए। मेरा यह सुझाव है कि इसकी

बजाए सरकार और सामाजिक संस्थान उनकी देखभाल करें। कोई भी व्यक्ति परिस्थितिवश या संबंधियों से स्नेह न होने के कारण मरना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि उसका जीवनांत कर दिया जाए।

इसके उद्देश्य में यह कारण दिया गया है कि कुछ मरीज कैंसर, लकवा जैसी बीमारी के दर्द के कारण मरना चाहते हैं। परन्तु क्या हम यह नहीं जानते कि सम्पूर्ण इतिहास काल में, हमने ऐसी मुसीबतों का सामना करने का प्रयास किया है। जब ऐसा कोई दर्द होता था तो हम एस्पिरिन की गोली या ऐसी ही कोई दवाई ले लेते थे। अब हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं। अब हमारे पास एक्यूपंक्चर, नाड़ी अवरोधन, रेडियम चिकित्सा और यहां तक कि अंगच्छेद जैसे उपचार भी मौजूद हैं। हम सुषुम्ना में ऐसी दवाइयों का इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे दर्द बिल्कुल न रहे। अतः दर्द इसका आधार नहीं है। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वे परिवार के लिए बोझ है ? वे समाज के लिए बोझ नहीं हैं, वे सरकार के लिए बिल्कुल बोझ नहीं हैं।

मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता और मेरा अंतिम निवेदन यह है कि यही वे बीमार लोग हैं जो ऐसी गंभीर बीमारियों के शिकार रहें और क्योंकि उनके जीवन का अंत नहीं हुआ इसीलिए डाक्टर उनके इलाज में लगे रहे और बहुत सी दवाइयां बनी और आविष्कृत हुईं। असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर ही हम चेचक और अन्य गंभीर बीमारियों का उन्मूलन कर पाए हैं। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि दयामूत जीवनांत का अधिकार देने के बजाए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डाक्टरों का रवैया उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण हो और सरकार इस प्रकार के लोगों का ध्यान रखें। आप मदर टेरेसा जैसे लोगों को तैयार करें। जब हम चुनावों पर करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं तो क्या हम मदर टेरेसा जैसे लोगों को तैयार नहीं कर सकते, जो उनका ध्यान रखें।

जीवन बहुत मूल्यवान है। मैं यह महसूस करता हूं और मेरा यह विश्वास कि यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब हम जीवन का निर्माण करने में समर्थ नहीं हैं तो हमें यह जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, ऐसा विधेयक पारित करने की बजाय, श्री डागा मानव मात्र को दुखों और यातनाओं से बचाने के लिए विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। यह विधेयक का शीर्षक होना चाहिए था क्योंकि, आखिरकार हम "श्री एक्स" का सृजन नहीं कर रहे हैं। हम उसके शरीर का सृजन कर रहे हैं। गीता ने हमें बताया है : आत्मा को न तो हथियार, न ही अग्नि, न ही जल नष्ट कर सकता है ? इसलिए आत्मा शरीर में निवास करती है। हम शरीर का नाश करने जा रहे हैं न कि आत्मा का। इसलिए, इस विधेयक विशेष से किसी समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, श्री डागा के इस बिल ने मेरे जैसे आदमी को बड़ी दुविधा और उलझन में डाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिल का किस तरह से समर्थन किया जाए। जहां तक मैं अनुभव करता हूं, इस बिल का मसौदा बनाते वक्त डागा साहब के दिमाग में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्परा की बात नहीं रही

होगी। उनके बिल का मसौदा बताता है कि वह यूरोप, अमरीका तथा अन्य पाश्चात्य देशों की सभ्यता से ज्यादा प्रभावित है। इतिहास बताता है कि जितनी ममता और मानवता हमारे देश में है, उतनी पाश्चात्य देशों में नहीं है। हमारे देश में आदमी कितना भी बीमार हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, लेकिन हमने देखा है कि वह मरना नहीं चाहता। मैं खास तौर से अपने देश की सरकार को, प्रधान मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी छत्र-छाया में और उनके प्रयास तथा प्रोत्साहन से हमारे देश ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि आज किसी रोग को भी असाध्य नहीं कहा जा सकता।

मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आज से 25, 30 साल पहले तपेदिक, टी बी, को एक असाध्य रोग माना जाता था। जिस किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता था, वह बचता नहीं था। उसके परिवार के लोग पहले ही अन्दाजा लगा लेते थे कि अब वह बचने वाला नहीं है। यही स्थिति कैंसर रोग की है। उसे असाध्य रोग कहा जाता था, लेकिन बहुत रिसर्च और छान-बीन करने के बाद कैंसर की कई किस्मों पर कंट्रोल कर लिया गया है। दमे और फालेज को भी असाध्य रोग माना जाता था, लेकिन अब उनकी चिकित्सा में भी काफी सफलता पा ली गई है।

माननीय सदस्य की यह बात किसी हद तक सही है कि जो रोगी चार, पांच, छः साल तक चारपाई पर पड़े रहते हैं, जो गरीबी से पीड़ित हैं और जिनका इलाज नहीं हो पाता, कभी-कभी उनके मन में यह बात आती है कि ऐसी जिन्दगी से मौत अच्छी है। लेकिन असल में उनकी अन्तरात्मा यही कहती है कि वह मरना नहीं चाहता।

सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है, लेकिन अगर खुदा-न-खास्ता इस तरह का कानून बन गया, तो मेरे जैसे व्यक्ति को भरोसा नहीं है कि इस कानून का सदुपयोग हो पाएगा—इसका दुरुपयोग ही ज्यादा होगा, इसके सदुपयोग की कोई सम्भावना नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि घर-घर में, गांव-गांव में, बिरादरी-बिरादरी में पार्टीबन्दी है और अच्छी खासी हालत में लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर डागा साहब ने इस बिल को पारित करवा कर इसे कानून बनवा दिया, तो लोगों से बदला लेना बहुत आसान हो जाएगा।

डागा साहब ने तर्क दिया है कि पाश्चात्य देशों में नर्सों और डाक्टरों ने, या मरीज के माता-पिता और सम्बन्धियों ने उसको जहर का इंजेक्शन देकर या गोली देकर मारा है। उन्होंने बताया है कि हमारे देश में भी ऐसा समय रहा कि अपंग और अपाहिज लोगों को शान्तिपूर्वक मरने की इजाजत दी जाती रही है। मेरा निवेदन है कि यह बात अमरीका, यूरोप के देशों और अन्य पाश्चात्य देशों में लागू हो सकती है, क्योंकि वहां के भौतिक जीवन से लोग तंग आ गए हैं और वहां के लोग ऐसे देशों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कि वे समझते हैं कि शांति मिलती है, आराम मिलता है तो मेरा निवेदन है कि डागा साहब का यह बिल हमारे देश की भूमि, यहां की जलवायु, यहां की परम्पराओं और यहां की सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए कतई व्याव-हारिक नहीं है और कम-से-कम मेरे जैसा व्यक्ति उनके बिल का समर्थन नहीं कर पाएगा। लेकिन

इतना जरूर है कि उनकी जो भावना है वह इस बिल के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाये और फिर इसके सम्बन्ध में जनमत का पता चल जाये तो हो सकता है कि किसी तरीके से उनकी यह मंशा पूरी हो जाए। लेकिन मैं अन्तिम शब्दों में यह बात कहकर खत्म करूंगा कि डागा साहब इस बिल को वापस ले लें और मैं समझता हूं कि वह लेंगे ही। उन्होंने इसके लिए इतनी तकलीफ उठायी है, रातों दिन मनन करके उन्होंने इसको तैयार किया है। लेकिन यह बिल इस देश के लिए कतई व्यावहारिक नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री टी० नागारत्नम (श्री पेरम्बदूर) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे श्री मूलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किए गए और सरकारी सदस्यों के विधेयक, दयामूत जीवनान्त विधेयक पर बहस में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

मैं इस विधेयक पर बहस में भाग लेने वाले अन्य बहुत से माननीय सदस्यों के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मैं विपक्ष के उन सदस्यों का समर्थन भी करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है।

यह एक ऐसा समाज हो सकता है जो एक समर्पित और मानवीय संस्था हो और जिसकी स्थापना लाभ के लिए न होकर किसी उद्देश्य के लिए हुई हो, जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो बुरी तरह से घायल हो अथवा असाध्य रोग से पीड़ित हो और मरना चाहता हो, जिन्दा रखने की निस्सारता व्यक्त करे।

किन्तु जीवन का सत्य यह है कि कुछ रोगियों को असाध्य रोग हैं। ऐसे डाक्टर भी हैं जो रोगों का उपचार करते हैं। रोगी, दयनीय और कष्टदायक जीवन जी रहें हो सकते हैं। किन्तु उपकरणों और दवाओं की सहायता से उन्हें कष्ट से मुक्त किया जा सकता है।

कुछ लोग गाजर मूली की तरह से जी रहे हैं और हिलने डुलने में असमर्थ हैं। इस देश में अन्य कुछ ऐसे लोग हैं जो स्थाई रूप से बीमार हैं और जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे लोगों कि संख्या भी काफी बड़ी है जो वर्षों से अचेतावस्था में है। कुछ अन्य घातक रोगों और असहनीय पीड़ा से ग्रस्त है। इसलिए, विधेयक में इस बात की मांग की गई है कि इन पीड़ितों को सम्मान के साथ मरने की अनुमति दी जाए।

जहां तक समाज में सुखद मृत्यु का संबंध है और यह कुछ एक सम्पन्न और विकासशील देशों तक सीमित है, मैं यह महसूस करता हूं कि एक व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने का बल्कि सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब वह असाध्य रोग से पीड़ित हो। तो उसे मार दिया जाए और आत्महत्या करने दी जाएगी।

राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करनीच हिए।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान रोगों की रोकथाम की ओर दिलाता हूं।

हमारा देश, जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं ले सकता। अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत हमारे संविधान में पहले से ही इस बात की व्यवस्था है।

"विधि में निहित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा।"

हम किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं ले सकते। अनुछेद 21 में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई है।

शब्द कोष में 'मारने' का अर्थ किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करना है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई है। अनुच्छेद 21 यह भी कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, । यदि यह विधेयक, पारित हो जाता है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन होगा—कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और कानून सभी को समान रूप से संरक्षण देगा। इसलिए, इस विधेयक द्वारा मौलिक अधिकारों काहनन नहीं होना चाहिए, भले ही यह गैर सरकारी सदस्य का विधेयक क्यों न हो। क्या हमारा कानून किसी ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या की अनुमति देता है जो उत्पीड़न, बेरोजगारी, असफलता, व्यसनी अथवा मानसिक असंतुलन के कारण आत्म हत्या करना चाहता है। हमारा कानून इसकी अनुमति नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति आत्म हत्या का प्रयत्न करता है किन्तु उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है और वह पकड़ा जाता है तो उस पर भारतीय दण्ड संहित की धारा 309 के अन्तर्गत "आत्म हत्या का करने का प्रयत्न" के लिए न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाएगा।

तमाम विश्व में, चिकित्सा से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा नीतिशास्त्र, जिसे जनेवा सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त है—जन्म से लेकर मरण तक जीवन की रक्षा करना है। चिकित्सकों ने गर्भपात को स्वीकार करके पहले ही नैतिक गल्ती की है। जिसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया है कि यह मानव जाति के हित में है। किन्तु गर्भपात की सफलता और स्वीकृति का यह अर्थ हर्गिज नहीं है कि दयामृत जीवनान्त अथवा स्वैच्छिक मृत्यु सम्बन्धी को भी पारित कर दिया जाए। माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने यह कहते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया कि असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को सम्मान जनक मृत्यु मिलनी चाहिए आदि। किन्तु अधिकांश धर्मों का यह मत है, क्योंकि जीवन दैवीय उपहार है इसलिए इसे वापिस लेने का अधिकार भी उसी का है। निःसन्देह मेरा सम्बन्ध डी० एम० के० दल से है और हमारे दल में इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया। कम्युनिस्ट देश में भी आत्महत्या अथवा इसको बढ़ावा देने को अपराध माना गया है। किन्तु हम भारतीय दण्ड संहिता द्वारा अधिशासित होते हैं जहां पर धारा 309 के अधीन इसे अपराध नहीं माना गया। सती की प्राचीन प्रथा से पता चलता है कि इसका दूसरों पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया।

अधिकांश माताओं ने "दयामृत जीवनान्त" का कड़ा विरोध किया है। मेरे विचार से यह सामान्य बच्चे की हत्या के समान होगा। यह अपंगता का तो प्रश्न ही नहीं है, यह तो जीवन समाप्त करने का प्रश्न है। लोग कई रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। वे मानसिक रूप से विक्षिप्त

अथवा शारीरिक रूप से अपंग हो सकते हैं। वे मिर्गी से भी पीड़ित हो सकते हैं और असाध्य कुष्ठ से भी। सरकार को चाहिए कि वह उन्हें संरक्षण दे और उनका उचित इलाज कराए। यह एक ऐसा विधेयक है जो मानव जीवन को समाप्त करना चाहता है। यह इस बात को दर्शाता है कि देश वैज्ञानिक और चिकित्सा सम्बन्धी तरक्की नहीं कर पाया है।

मैं एक अंग्रेजी के कवि की पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं, जिसने लिखा है—

"मैं अपनी आत्मा का रहनुमा हूं

मैं अपने भाग्य का विधाता हूं।"

प्रत्येक व्यक्ति, का भाग्य उसके अपने हाथ में होता है; आत्मा शरीर में निवास करती है। कोई भी कानून किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण नहीं ले सकता।

मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसाईयों, कैथोलिक और मुसलमानों ने नसबन्दी के रूप में परिवार नियोजन का अनुसरण नहीं किया है। श्री डागा ने इस आधार पर इस विधेयक को प्रस्तुत किया है कि किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार है। महोदय किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है। यदि वह स्वेच्छा से मरता है तो बात ही समाप्त हो जाती है। यदि उसे ऐसा करने से रोक लिया जाता है तो उस पर न्यायालय में मुकद्दमा चलता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं स्वास्थ्य मंत्री और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि महोदय मेरा दल, डी० एम० के० दल तामिलनाडु में सत्ता में था। हमने तामिलनाडु में कई कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र आरंभ किए। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र का उद्घाटन किया और डी० एम० के० सरकार और मेरे प्रिय नेता की प्रशंसा की। केन्द्र का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों को भी तामिलनाडु के मार्ग पर चलना चाहिए।

कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। बहुत से लोगों को भर्ती किया गया और विभिन्न अस्पतालों में उनकी मृत्यु हुई। मेरे पास इस संबंध में 1978, 1979 और 1980, तीन वर्षों के आंकड़े हैं। संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में कुल 130 ऐसे अस्पताल हैं जहां कैंसर के रोगी भर्ती किए जाते हैं। 1978 में 45,757 व्यक्ति भर्ती हुए जिनमें से 3702 की मृत्यु हुई। 1979 में 70 अस्पतालों से प्राप्त सूचना के अनुसार 48,995 व्यक्ति दाखिल किए गए और 3735 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1980 में, 75 अस्पतालों में 53,624 व्यक्ति दाखिल हुए और 3665 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

1978 में अकेले तामिलनाडु के 16 अस्पतालों में कैंसर के मरीज दाखिल किए गए। 9930 व्यक्ति दाखिल किए गए और 321 की मृत्यु हुई। 1979 में, 12 अस्पतालों में 9789 व्यक्ति भर्ती किए गए और 236 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1980 में, 12 अस्पतालों में 9933 रोगी दाखिल हुए और 181 की मृत्यु हुई।

इस विधेयक के संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अब विधेयक पर आ रहे हैं ?

श्री टी० नागारतम : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शब्द कोष के अनुसार 'मर्सी' का अर्थ पीड़ित व्यक्ति के प्रति दया है। मेरे मित्र काफी जागरूक व्यक्ति हैं और अनुभवी भद्र पुरुष हैं। मुझे हैरानी है कि वह किस प्रकार 'दयामृत जीवनांत' की पैरवी कर रहे हैं। महोदय, मैं समझता हूं कि श्री डागा शुद्ध शाकाहारी हैं——

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर अब समय के बारे में क्या विचार है।

श्री मूलचन्द डागा : (पाली) चूंकि अभी काफी वक्त बाकी है इसलिए 55 मिनट समय और बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तीन वक्ता और हैं।

श्री मूलचन्द डागा : समय एक घण्टा और बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : किन्तु अभी बहुत से व्यक्ति बोलना चाहते हैं। उन्होंने अपने नाम भी दिए हैं। श्रीमान जी यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आपको इसका उत्तर देना होगा।

श्री मूलचन्द डागा : तब हम इसे वर्षा कालीन सत्र में ले सकते हैं। इसी दौरान समाचार पत्रों में काफी लेख छपेंगे। यह होने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले विधेयक को भी प्रस्तुत किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक, जिसने इतने सारे समाचार पत्रों, चिकित्सकों, वकीलों का ध्यान आकर्षिक किया है—

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक भी पेश किया जाना है।

श्री मूलचन्द डागा : देश में कितनी ही समितियां बनी हुई हैं। कितनी ही इसमें भाग लेना चाहती हैं। उनको इसमें भाग लेने दिया जाये। मैं उनको समझना चाहता हूं। अगर जरूरत हो तो इसे जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक के लिए आधा घंटा समय बढ़ाते हैं। एक और विधेयक भी है। किसी अन्य विधेयक में आप भी अपने आपको इसी स्थिति में पायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, आखिर, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयक है। कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका समय आधे-घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। श्री नागरत्नम, आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री टी० नागरत्नम (श्री पेरम्बदूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं श्री डागा का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वे शाकाहारी हैं। वे कानून द्वारा मानव जीवन खत्म करने की पहल कैसे करते हैं? मानव, मानव जीवन को बना तो नहीं सकता, लेकिन मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए, आप इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री टी० नागरत्नम : इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं, इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गधावी।

श्री भेरावदन के० गधावी : (बनासकांता) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मेरे मित्र श्री डागा, एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। जो लोग, लाइलाज रोग के कारण पीड़ित हैं और मरना चाहते हैं, शायद उनके लिए यह ठीक हो, इसका उन्होंने ठीक ही समर्थन किया है। लेकिन मेरे विचार से विधेयक का नाम ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को "रुग्ण शरीर से आत्मा कि स्वैच्छिक मुक्ति" होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छा।

श्री भेरावदन के० गधावी : यह एक उचित नाम होगा। यह मेरा विचार है। अपने नये 20-सूत्री कार्यक्रम में हम एक भयंकर बिमारी-कुष्ठ को रोकने के लिए काम करने जा रहे हैं। पुराने-समय में कुष्ठ-रोगी को समाज व यहां तक की गांव से बाहर भेज दिया जाता था, जहां उसकी मृत्यु हो जाती थी। कुछ रोग लाइलाज हैं और ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति पीड़ा भोगने की बजाय मरना पसंद करेगा। मुझे विधेयक के भाग्य के बारे में पता है। या तो श्री डागा को इसे वापस लेने के लिए मना लिया जाये नहीं तो यह पास नहीं होगा। यहां पर उपस्थित माननीय स्वास्थ्य मंत्री जरूर चाहेंगे कि हम इस विधेयक के उद्देश्यों और धाराओं पर, सरकार का ध्यान दिलायें कि कुछ ऐसे रोग लाइलाज हैं, जिनसे पीड़ित व्यक्ति पीड़ा भोगने की बजाय मरना पसंद करेगा। हाल ही में हमने घोषणा की है कि इस शताब्दी के अन्त तक हम सबको स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करायेंगे। कम-से-कम इतना तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम नीम हकीमों को रोक सकें, जोकि अगर बीमारी को और ज्यादा न फैला रहे हों, कम से कम यह तो समझ लें कि उनके क्रूर तरीकों से रोगियों को लाभ की अपेक्षा हानि ज्यादा होती है, क्योंकि वे इस रोग को सारी उमर भुगतते रहते हैं।

श्रीमन्, हाल ही में गुजरात और अन्य स्थानों से आंखों के कैम्प लगाने की रिपोर्टें मिली हैं। अयोग्य डाक्टरों द्वारा आपरेशन किये गये और लोगों को अन्धा बनाया गया। यह भी बताया गया कि आपरेशन में उन्होंने ब्लेड और उस्तरों का प्रयोग किया है। अगर हमारे देश में चिकित्सकों का यही हाल है और यदि इस अपराधिक कार्य पर कोई उचित रोक

नहीं लगाई गई तो, मुझे डर है जो थोड़े से लाइलाज रोग बताये गए हैं, वे लाइलाज हो जायेंगे। इसलिए जब मैं इस विशेष पहलू पर बोल रहा हूं तो, मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इन सब बातों का ध्यान रखें। जहां तक श्री डागा के विधेयक का प्रश्न है, उन्होंने सही रूप में इसमें काफी रोक और समाधानों को शामिल किया है, जिससे कि डाक्टर जल्दी में आकर किसी व्यक्ति को खत्म न कर दें, और इसके लिए ठीक ही न्यायालयों और अदालतों और कई अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की गयी है। मेरे विचार से श्री डागा का उद्देश्य यह है : इस विधेयक को पेश करने से उनका उद्देश्य इसे पास करने का इतना नहीं है जितना कि यह है कि हमारे प्रगतिशील समाज में देश के अन्तर्गत और विदेशों में चिकित्सा सुविधाओं और औषध अनुसंधान के सम्बन्ध में बहुत बुरी स्थिति है और हो सकता है मेरे मित्र श्री डागा की यह इच्छा हो कि यही उपर्युक्त समय है जब हम चिकित्सा अनुसंधान में और अधिक ध्यान दें, जिससे समाज में लाइलाज रोग भी ठीक हो सकें। मैं खासकर इस मुद्दे पर बोल रहा हूं। शायद आधुनिक समय में कोई लाइलाज रोग से ग्रस्त व्यक्ति अपने आपको डाक्टर की सहायता से या खुद ही मरना चाहता हो। वहां भी मेरे दोस्तों ने गर्भपात का हवाला दिया है। एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि अगर गर्भपात की अनुमति देते हैं, अगर आप भ्रूण को खत्म कर सकते हैं, तो मानव को क्यों नहीं मार सकते ? हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत 'एटेम्प्ट' (कोशिश) एक 'दण्डनीय' अपराध है न कि 'कार्य निष्पादन'। इसलिए जो व्यक्ति रोग ग्रस्त है और आत्महत्या करना चाहता है, उसे सजा हो सकती है। श्रीमन् मैं नहीं समझता कि इस तरीके से विधेयक तैयार किया जाना चाहिए कि डाक्टर किसी टीके द्वारा किसी को खत्म कर सके। लेकिन भारतीय दण्ड संहिता में कम से कम एक संशोधन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि वह ऐसे लाइलाज रोग से ग्रस्त है जहां उसका जिन्दा रहना काफी दुखदायी और उसके लिए मुश्किल है, और यह न्यायालय में सिद्ध हो जाता है कि वे ऐसी बीमारी से ग्रस्त है और कोई भी इलाज कामयाब नहीं रहा है, तो कम से कम ऐसे मामलों में हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए और उसे सजा नहीं देनी चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय, लाइलाज रोगों के उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस देश से लाइलाज रोगों को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे। इस उद्देश्य से मैं श्री डागा ने सभा में विचार के लिए जो विधेयक पेश किया है उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण : (रायपुर) उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, इसके संबंध में ऐसा लगता है कि डागा जी या तो बहुत कारुणिक हो गए हैं या फिर बहुत बड़े धार्मिक हो गए हैं और ऐसा भी लगता है कि वे बहुत व्यावहारिक हो गए हैं।

आज की स्थिति में उनके मन में जो भावना आई है, उससे ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अपने ही देश को देखकर के इस बिल को नहीं लाए हैं···। बल्कि विश्व के दूसरे देशों को भी उन्होंने देखा है। इस आधार पर लगता है कि यह बहुत ही विचारपूर्ण मंथन के बाद इस बिल को लाये हैं और इस पर जो चर्चा हो रही है और गंभीरता से विचार सदस्य प्रकट कर रहे हैं इससे इस

बिल का महत्व और भी बढ़ गया है। धार्मिक होने का मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके अन्दर मुक्ति पाने के लिए इस तरह से मरण न होता हो। मेरा कहना है कि धार्मिक ही को धार्मिक रहने दें, कानूनी मान्यता इसमें न लायें। कानून की दृष्टि से आत्महत्या होती है। मगर जैन धर्म के अन्दर अगर धर्म रूप से धीरे-धीरे अपने शरीर को क्षीण करते हैं तो वह निर्वाण के लिए जाते हैं। अगर अपनी मांग के लिए हंगर स्ट्राइक करते हैं तो तुरन्त कानूनी चीज आ जायेगी और फोर्स फीडिंग करेंगे या आत्महत्या के नाम से मुकदमा चल जाएगा। क्योंकि डागा जी धार्मिक हैं तो उन्होंने धर्म को ज्यादा से ज्यादा लिया है। उपवास के बाद मुक्ति भले ही बीमारी से छुटकारा न मिले मगर उसको मुक्ति जरूर मिल जायेगी। इसी तरह से आज की जो व्यवस्था है भारत में वह तो बहुत कुछ है पारिवारिक व्यवस्था जिसमें अपने बुजुर्गों की परिवार का हर सदस्य इज्जत करता है और अपने जीते जी उनको ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि मरणान्त तक अच्छी भावना लेकर जायें, कोई पीड़ा न हो। मगर जिस तरह आज परिवार बट रहा है, आर्थिक स्थिति से हो या दूसरे देशों की देखा देखी, हम देखते हैं कि हमारा भी परिवार बट रहा है। लड़का बाप से अलग हो जाता है, वह चाहता है कि बाप की पूंजी हमारे पास आ जाये। तो इस स्थिति में भी ठीक है, उनका विचार आगे का है और विदेशों की स्थिति को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था कर दें।

दूसरे यह कारुणिक है। तो मुझे लगता है कि जो आधार उनका है, आगे भी ऐसा हुआ है कि एक बछड़े की करुणा देखकर गांधी जी को भी यह लगा था, तड़पता हुआ बछड़ा आश्रम में दिखाई दिया, तो उनको भी अनुमति देनी पड़ी कि इसका अन्त करने के लिये कोई दवा दी जाये। वह स्थिति आगे नहीं हुई। गांधी जी का इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है कि मनुष्य पर आजमाया जाए और डागा जी उसे मनुष्य के रूप में भी देख रहे हैं अपनी करुणा के आधार पर।

तो मेरा कहना है कि इसको जहां का तहां रहने दें। इस्लाम धर्म के अन्दर भी, हिन्दू धर्म में भी प्रायश्चित के लिए बलिदान करना किसी देवता को खुश करने के लिए गला काट देना क्षम्य रहा है। कानून से नहीं। तो उसको धर्म तक ही रहने दें कानूनी रूप न दें।

अभी क्या होता है, जहां तक बीमारी का प्रश्न है स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर हैं वह तो दावा करेंगे कि विश्व के अन्दर सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं और हमारे देश में भी प्रगति हो रही है। ऐसे भी कई तरीके हैं जिससे उनकी पीड़ा कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जो उनकी है, अभी तक एक जानकारी थी कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, मगर एक नया मुहावरा डागा जी ने दे दिया है कि न रहे बीमार, न रहे बीमारी। तो मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर जो कारुणिक रूप से प्रयास किया है वह ठीक है और मरण के बाद जो मुक्ति होती है उसको धर्म के रूप में ही रहने दें, कानून का रूप न दें, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सूलचंद डागा : जी नहीं, अभी कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास आधा घण्टा है । आपको जवाब भी देना है ।

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान्, आप समय को बढ़ा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री को बोलने के लिए कहा है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीलीभीत) श्रीमन्, मैं केवल दो मिनट बोलूंगा ।

श्री मूलचंद डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आपको सदन के विचार जानने चाहिए । जब और लोग बोलने वाले हों तो, आपको 15 मिनट का और समय देना चाहिए । अतः मेरा नम्र निवेदन है कि—

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, श्री वाजपेयी अपना बिल पेश करना चाहते हैं । अगर हम इसे खत्म नहीं कर लेते तो वह भी समाप्त हो जायेगा ।

श्री मूलचंद डागा : आप कृपया हर सदस्य को दो या चार मिनट का समय दें । वे अपना बिल पेश कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक हम इसे समाप्त नहीं कर देते, वे कैसे कर सकते हैं ।

श्री मूलचंद डागा : लेकिन, श्रीमन, अभी कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रत्येक सदस्य दो मिनट तक बोलेगा । श्री वाजपेयी आ गये हैं, इसलिए प्रत्येक सदस्य दो मिनट तक बोलेगा । श्री पाटिल नहीं बोलना चाहते ।

श्री मूलचंद डागा : नहीं, श्रीमन्, श्री पाटिल बोलना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कार्यवाही चला रहे हैं या मैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह क्या हो रहा है साहब ?

एक माननीय सदस्य : मर्सी किलिंग ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, वे बिना किसी दया के सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गंगवार बोलेंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, डागा साहब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है,—

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका विरोध करने जा रहे हैं या समर्थन ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, मैं इसका समर्थन करने जा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप बोलिए, क्योंकि हर किसी ने इसका विरोध किया है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : जब मनुष्य किसी ऐसी गहरी बीमारी से, जिससे उसका जीवन

नर्क हो रहा है, छुटकारा पाना चाहता है तो उसे यह अनुमति मिलनी चाहिये। सैकड़ों बीमार ऐसे हैं जिनमें आदमी तिल-तिल कर मरता रहता है। 5, 10 साल जो भी वह जीवन में रहता है—

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसका जीवन लेने के लिए उसकी अनुमति नहीं ली जानी चाहिए, मुझे क्या अधिकार है ? क्या रोगी से अनुमति नहीं ली जानी चाहिए ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, यह एक बुद्धिमतापूर्ण हस्तक्षेप है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो जीवन उसे दिया गया है, उसे लेने वाला मैं कौन होता हूं ?

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान्, यह तो विधेयक में ही है। उसके विचारों को न केवल डाक्टरों द्वारा बल्कि जजों द्वारा भी मान्यता दी जायेगी। यही मानदण्ड है। उसके विचारों का पता लगाया जायेगा।

श्री बापू साहिब पसलेकर (रत्नगिरि) : जो व्यक्ति मूर्च्छित है, वह अपने विचार कैसे बतायेगा ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई घोड़ा बेकार हो जाये, उसकी टांग टूट जाये या किसी दूसरे जानवर को ऐसी बीमारी हो जाये जो किसी काम का नहीं रहे, प्राचीन काल से ही उसको मार देने का कार्य होता आया है। लोग गोली मार देते हैं, दूसरे प्रकार से उसके कष्ट का अन्त करने के लिए उसे मार देते हैं।

यदि कोई व्यक्ति इसी प्रकार से किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वह संसार में जीवन-यापन करने के योग्य नहीं है, अपने जीवन से कोई सुख-सुविधा दूसरे को नहीं दे सकता, अपने लिए नहीं जुटा सकता, उसका जीवन भार-स्वरूप है तो उसे ऐसे समय में स्वयं अपने जीवन को अन्त करने का अधिकार होना चाहिए। बहुत समय तक बीमारी से खाट पर पड़े रहना, अपने घर वालों को, कुटुम्ब को तकलीफ देना और अपने आप को तकलीफ देना किसी भी प्रकार से नायज नहीं है।

इसलिए मैं अधिक न कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और उमीद करता हूं कि अन्य लोग भी इसका समर्थन करेंगे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री डागा जो बिल लाए हैं, मैं उसके औचित्य को मद्दे-नजर रखते हुए चाहता हूं कि इसे पब्लिक ओपीनियन, जनमत, जानने के लिए सर्कुलेट किया जाए। जो व्यक्ति रुग्ण है, जीवन से लाचार है, जो जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है, समाज और अपने परिवार के लिए जिसकी उपयोगिता नहीं रह जाती। वह जीवन से मुक्ति चाहता है। हमारे देश में मुक्ति प्राप्त करने की परम्परा भी रही है। बहुत लोग मुक्ति पाने के लिए साधना करते रहते हैं। जहां तक आत्मा का सम्बन्ध है, वह अमर है। आत्मा को न शस्त्रों से छेदा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है। आत्मा समाप्त नहीं होती। आत्मा अमर है और उसके किलिंग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

लेकिन जिस व्यक्ति की किसी असाध्य रोग से बचने की कोई आशा न हो, जिसका कोई उपचार न हो सके, यदि मेडिकल बोर्ड या खुद वह इस तरह का आवेदन करे, तो वह विचार करने लायक प्रश्न बन जाता है। यह देश अहिंसा परमोधर्मः पर विश्वास करता है। हम देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं, जिनका हाथ या पैर कटा है, और वे रोड पर घिसटते हुए चलते हैं। जीने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं, जो मृत्यु-शय्या पर पड़े-पड़े कराहते और सिसकते रहते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें उठा लो। ऐसे व्यक्तियों को अगर इस बिल के दायरे में लाया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति की हर विभूति ने माना है कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, यह कोई पुस्तक का दिया हुआ सिद्धान्त नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक ट्रूथ है। साइंस का सिद्धान्त है कि आत्मा अमर है। इस लिए डागाजी जो बिल लाए हैं, वह वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल है। लोग बहुत दुखी हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनको बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आत्म-हत्या जैसी बात को लेकर डागा साहब ने जो बिल रखा है, उसे वह वापस ले लें। वह सब बूढ़ों की एक एसोसियेशन बना कर यह जानकारी ले लें कि वे लोग क्या चाहते हैं। तब उन्हें यह बिल लाना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : श्रीमन, जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है, उनसे माननीय सदस्य द्वारा सदन में चर्चा के लिए पेश किये गए विधेयक की धाराओं पर अपने विचार रखने के लिए मुझे काफी सहायता मिलेगी। जो संशोधन उन्होंने पेश किया है, उनसे पता चलता है कि उन्होंने इस पर काफी विचार-विमर्श नहीं किया है। उन्होंने तो विधेयक का नाम तक भी बदलने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने यही पेश किया है।

श्री मूल चन्द डागा : आपको एतराज क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में उत्तर दे सकते हैं। आप मुद्दे नोट करते रहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे कोई एतराज नहीं है। वह हर समय अपना मत बदलते रहें। मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि श्री डागा को यह विधेयक पेश करने की क्या प्रेरणा मिली, क्या वे खुद जीवन से तंग आ गये हैं ? मुझे नहीं मालूम।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे अपना मत व्यक्त नहीं कर सकते ?

श्री मूल चन्द डागा : मैंने क्या कहा है, और वे क्या जवाब दे रहे हैं ? मैंने सदन के सामने एक नया विचार रखा है। इस संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय : वे मूल-विचारक हैं। इसलिए उन्होंने एक नया विचार दिया है।

श्री बी०शंकरानन्द : अभाग्यवश, श्री डागा जीवन का अर्थ नहीं समझते। अगर आप विधे-

यक के उपबन्धों पर नजर डालें, तो पता चलेगा कि इस पर उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया है। जब मैं कहता हूं कि, उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया है तो यह मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। अगर कोई विधेयक के उपबन्धों पर नजर डालेगा तो उसे पता चलेगा कि इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया है। उनके दिमाग में कोई विचार आया, जिसे उन्होंने यहां रखा। उन्होंने इसके अन्तर्गत आने वाली रसूची मशीनरी पर विचार नहीं किया है, जिससे किसी डाक्टर को प्रमाण-पत्र देने की अनुमति होगी। मैं नहीं समझता कि कोई भी डाक्टर इस प्रकार का प्रमाण-पत्र देने में सक्षम है। उन्होंने किसी बात पर विचार नहीं किया है।

उन्होंने इस विधेयक के बारे में मेडिकल बोर्ड, डाक्टर, न्यायालय और अन्य बातों के बारे में बातें बताई हैं। अगर कोई व्यक्ति मरना भी चाहता है तो इस विधेयक की धाराओं को जानने के बाद, शायद वह मरना नहीं चाहेगा, शायद यही बात श्री डागा के दिमाग में है, मैं नहीं जानता, वे खुद एक वकील हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कोई आसान तरीका बता दें।

श्री वी० शंकरानन्द : जब उन्होंने दया और मारना, दोनों बातें इकट्ठी कही हैं, तो इसे सरल कैसे बनाया जा सकता है ? विधेयक का नाम ही दया और मारना है।

एक माननीय सदस्य : दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी बातें हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जीवन एक बोझ बन गया है।

श्री वी० शंकरानन्द : बीमारी की वजह से जीवन बोझ नहीं बन गया है। अगर आप इस वादविवाद में यह उपबन्ध जोड़ना चाहते हैं कि जीवन बोझ बन गया है तो केवल इन बिमारियों की वजह से ही नहीं बल्कि अन्य कई कारणों से जीवन बोझ बन गया है। एक अच्छा भला आदमी भी अपने जीवन का अन्त, आत्महत्या करके कर सकता है।

अगर आप विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी असावधानी से तथ्यों को पेश किया है। उन्होंने कहा है कि, "इस देश में हजारों लोग या तो पूरी तरह से अपंग हैं या उस बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका कोई इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है।" साथ ही उनके कहने का मतलब है कि इसका इलाज कहीं और भी उपलब्ध है। और उसके बाद वे कहते हैं कि वे अपने आप पर, अपने परिवार पर व समाज पर बोझ हैं।"

इसलिए यहां जीवन का मुख्य आधार आर्थिक है, इसलिए उन्हें पैसों के संदर्भ में सोचना चाहिए। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने यह विधेयक पेश किया है। वह हमारे देश की संस्कृति, महान संस्कृति तथा परम्परा को पूर्णतः भूल गये हैं, जहां पर मानवीय मूल्य इस सीमा तक विकसित हुए हैं कि समूचा विश्व हमारे देश की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि और इसकी अच्छाइयों के लिए भारत की तरफ देखता है। श्री डागा ये बातें भूल गये हैं। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में कुछ पश्चिमी देशों के निर्णयों का हवाला दिया है, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि इस देश से पूर्ण या भिन्न है। हम गरीब हो सकते हैं। हम अनपढ़ हो सकते हैं किन्तु एक परिवार पर नजर डालें जिसका मुखिया और बच्चे, कितने भी गरीब क्यों न हों, परिवार माता-पिता व बच्चे उसी छत के नीचे, उसी कमरे में रहना चाहते हैं; जबकि विकसित कहे जाने वाले देशों में उनकी संस्कृति ने उनके परिवार को पूर्णतः नष्ट कर दिया है।

माँ-बाप कहीं होते हैं बच्चे कहीं होते हैं। वृद्धावस्था गृहों का प्रश्न पाश्चात्य लोगों के दिमागों में घूम रहा है। परन्तु इस देश में यह बात नहीं है। अतः हम इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नहीं भूल सकते। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें जान बचाना सिखाया गया है मारना नहीं।

श्री डागा ने साधुओं, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म आदि के बारे में बोला है। क्या मैं उनको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं? एक साधू थे जो नदी में खड़े होकर सन्ध्या कर रहे थे। जब वह गहरे पानी में थे तो उन्होंने एक बिच्छू देखा जो पानी पर तैर रहा था और डूबने वाला था उसको डूबने से पहले साधू ने उठा लिया। बिच्छू तो बिच्छू ही है। उसने साधू को काट लिया और साधू ने उसे फेंक दिया। वह दोबारा फिर डूबने लगा साधू ने फिर उसको उठा लिया और इसने साधू को दोबारा फिर काटा और इसे फिर छोड़ दिया। यह प्रक्रिया कुछ देर तक चलती रही। श्री डागा जैसे एक सज्जन, जो नदी के किनारे पर खड़े थे इस दृश्य को देख रहे थे। उसने साधू से पूछा कि वह बार-बार बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं जो उन्हें बार-बार काट रहा है और उसे डूब क्यों नहीं जाने देते। साधू ने कहा : "देखो, मैं एक मनुष्य हूं। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है। यह एक ऐसा प्राणी है जिसके पास न कोई दिमाग है और न कोई सोचने की शक्ति फिर भी यह अपनी काटने की आदत को नहीं छोड़ रहा है। आदमी को दिमाग मिला है? सोचने की शक्ति, दया की भावना आदि सब कुछ मिली है। फिर मैं बचाने की अपनी आदत को कैसे छोड़ सकता हूं?

श्री बापू साहिब पासलेकर : यहाँ पर बिच्छू कौन है।

श्री बी० शंकरानन्द : भगवान ने मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क में सब कुछ बनाया है। हमें बचाना चाहिए, मारना नहीं। इस विधेयक पर विचार करते समय यही भूमिका होनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि अन्य सदस्यों ने भी बड़े जोरों से इस विधेयक का विरोध किया है। शायद इस सभा के कुछ सदस्यों को पता होगा कि इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री पी० बी० जी० राजू कई महीनों तक मूर्च्छित रहे हैं। यदि श्री डागा के विधेयक को अधिनियमित कर दिया जाता तो उनका क्या होता? आज वह संसद सदस्य न होते।

मुझे नहीं मालूम कि श्री डागा को चिकित्सा के आधुनिक तरीकों के बारे में मालूम है या नहीं। उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। वस्तुतः सीवीमारियाँ, जो कभी असाध्य समझी जाती थीं अब आधुनिक दवाइयों की खोज हो जाने से असाध्य नहीं रही हैं। उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने चिकित्सा के आधुनिक तरीकों का आविष्कार किया है। हैजे ने चेचक को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। मलेरिया को भी काफी हद तक कम कर दिया गया है।

हम इस शताब्दी के अन्त तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से 'सभी के लिए स्वास्थ्य' कार्यक्रम के लिए वचनबद्ध हैं। यह पूर्णतः गरीब लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया है।

यदि श्री डागा के विधेयक को अधिनियमित कर दिया जाएगा तो छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित गरीब लोग अपने जीवन को समाप्त करने की सोचेंगे। उनके परिवार के लोग भी मानें गे कि उनका मर जाना ही अच्छा है। परन्तु यह हमारी संस्कृति नहीं है। सरकार का ऐसा दृष्टि-कोण नहीं है। हम लोगों में स्वस्थ जीवन जीने की आशा पैदा करने के लिए चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मुझे कहना चाहिए कि श्री डागा को सम्मान के साथ विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। उन्हें अपने विधेयक का ही दयामूत प्राणान्त करना चाहिए। मैं यही कहता हूं।

श्री मती कृष्ण साही (वेगू सराय) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री श्री डागा का आभारी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या पर नियन्त्रणण पाने के लिए कहा है।

श्री बो० शंकरा नन्द : जनसंख्या नियन्त्रण ! कृपया उसके बारे में न कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री डागा बोल सकते हैं। श्री डागा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप संक्षेप में बोलें।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन-जिन सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मुझे दुख है कि मेरे बिल की भावना को सही रूप में नहीं लिया गया, अच्छा होता यदि इस बिल को लोगों की इच्छा जानने के लिए प्रसारित किया जाता। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बड़ा आभार मानता हूं - किस सूझ-बूझ से वह काम लेते हैं, भगवान करे यह सूझ-बूझ उनके ही पास रहे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या बिल रखा है . . .

श्री रामनिहोर राकेश (चैल) : उन्होंने बिल को ठीक से पढ़ा नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : अगर वह बिल को पढ़ लेते या पढ़ने की कोशिश की होती, तो बहुत बड़ी कृपा होती। उन्होंने ममता, प्रेम, संस्कृति का उल्लेख किया, लेकिन मैंने कब कहा है कि लोगों को मार देना चाहिए। आपने कहां सुना, किस मूर्ख ने सदन में यह बात कही है कि उन को मार देना चाहिए, आप क्या समझ बैठे हैं ? आप कृपा कर मुझे बतलाइए-कहां ऐसी बात कही गई है ? आज जीवन के मूल्य कम हो गये हैं। नैतिकता कम हो रही है, आज कुटुम्ब संयुक्त परिवार के रूप में रहना नहीं चाहते। मैंने कई उदाहरण पेश किये थे—हिन्दुस्तान में भी ऐसा हो गया है कि बच्चे अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहते। पर्सों के ही पेपर में आया है - कई लोग अपने माँ-बाप के साथ रहना पसन्द नहीं करते, वे अपना अलग जीवन व्यतीत करते हैं तथा बीमार मां-बाप की देखभाल नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने यह नहीं कहा है कि उनको मार देना चाहिए। हिन्दुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जो इस देश की 68 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं—अगर इस बिल को समझ लेते तो ऐसी बात न कहते। फिर भी मुझे उनकी बात से कोई दुख नहीं हुआ है। मेरा "मर्सी" का मतलब यह है कि मुझे संसार में रहना है, मुझे जीने का अधिकार है, लेकिन मैं गर्व के साथ जीना चाहता हूं। आप ने सांप और बिच्छू का उदाहरण

दिया लेकिन वे इसमें कहां लागू होते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं है कि उनको मार दो। दिक्कत यह है कि आपको समय नहीं मिलता है, बहुत काम है, हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य काफी सुधर गया है। आप इस पर काफी ध्यान देते हैं, सारे अस्पतालों को घूम-घूम कर देखते हैं। इसलिए मुझे ऐतराज नहीं हैं, लेकिन मुझे एक बात का ख्याल है कि इस बिल की जो भावना थी उसको आप ने समझा नहीं। मैंने कहा था - बदलते हुए मूल्यों के समय में हमें भी परिवर्तन लाना चाहिए। आप देखिये—एक समय था—एबोर्शन कराना गुनाह माना जाता था, जुल्म समझा जाता था, लेकिन इसी देश में आप ने उसको लीगलाइज कर दिया।

एबोर्शन को लीगेलाइज किया जाता है और हमारे बड़े धर्म को मानने वाले और महात्मा बैठे हैं स्वास्थ्य मन्त्री जी, जो कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। आप कह दीजिए कि एबोर्शन भी गलत है क्योंकि उसमें भी तो एक हत्या होती है। इसलिए इस बात को आप बहुत गहराई से सोचिए। जिसको पहले हिन्दुस्तान के लोग अपराध मानते थे और जिस के लिए सजा होती थी, उस को समय के बदलने के साथ, जो परिवर्तन हुए हैं उन को देखते हुए, मान्यता दे दी गई है। आज समाज में बहुत परिवर्तन आया है, आज समाज में प्रेम और मानवता इस विज्ञान के युग में जिस प्रकार की है, उसमें पैसे की राजनीति ने सारी मानवता को खत्म कर दिया है।

मैंने यह नहीं कहा कि कोमा वाले को मार दो। अगर आप थोड़ी सी क्लाज पढ़ लेते तो अच्छा होता। यह छोटा सा बिल था। मैंने उदाहरण दिया था कि एक आदमी बोल सकता है, दिमाग से काम कर सकता है लेकिन वह शरीर से उठ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, चल नहीं सकता, पाखाना भी बिस्तर पर ही करता है और उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, । वह अगर एक एप्लीकेशन देता, है तो उसके बारे में विचार किया जाए। मैं आपको बताऊं कि एक स्वतंत्रता सेनानी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, जिस में उस ने लिखा था कि मैं सारा काम समाप्त कर चुका हूं और गौरव के साथ इस संसार को छोड़ना चाहता हूं। उस ने यह भी कहा था कि अगर मेरी आखें काम में आ सकती हैं, तो उनको ले लिया जाए, शरीर के अंग काम में आ सकें तो उनको ले लिया जाए लेकिन उसकी आंखों में पायजन देना पड़ा और उस की आंखें काम में नहीं आ सकीं।

तो मेरे बिल का जो मकसद है, वह यही है कि ऐसे लोग अगर कोई एप्लीकेशन दें, तो उस पर विचार करना चाहिए। इस में एमेंडमेंट भी हो सकता था। डाक्टरों का एक बोर्ड इकट्ठा हो कर यह कहे कि ऐसा किया जा सकता है, तो करना चाहिए। आप ने काफी तरक्की कर ली है, यह बहुत अच्छी बात है। अगर हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री यह कहता है कि हम ने बहुत तरक्की कर ली है, तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह इन्क्योरेबिल डिजीज है और इस का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सवाल यह है कि एक डाक्टर यह जानता है कि यह आदमी तड़प रहा है सिसक रहा है और वह कहता है कि भगवान मुझे उठा ले लेकिन आर्टीफिशयल मेथड्स जो काम में लाए जाते हैं उसे जिन्दा रखने के लिए, वह नहीं चाहता कि उन को इस्तेमाल करके उस को जिन्दा रखा जाए। अगर वह दवाएं छोड़ता है, तो गुनाहगार बनता है। इसलिए इस मामले पर आप को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कैथोलिक्स जो धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। मैं आप को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसको पढ़ कर सुनाता हूं :

नवम्बर 1981 में हुई इंगलैंड तथा वेल्स के रोमन कैथोलिक विश्व सम्मेलन द्वारा जारी किये गये सिद्धांतों का वक्तव्य "जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से मर रहा है या किसी घातक बिमारी से पीड़ित है तो बड़ी या खतरनाक शिल्प चिकित्सा जैसे किसी विशेष इलाज की सामान्यतः नैतिक बाध्यता नहीं है जिससे स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होगा या जिनसे केवल थोड़े समय के लिए मृत्यु को रोका जा सकेगा" उन्होंने एक जगह नहीं बल्कि बहुत सी जगह यह कहा है। मैंने कम से कम 15 उदाहरण बताए थे और सारे कन्ट्रीज के बताए थे। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे आदमी को मार दो लेकिन वह खुद कहता है कि भगवान के नाम पर मुझे उठा लो क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। आप को पता ही होगा कि 10 लाख डालर खर्च कर दिये एक आदमी ने अपनी लड़की के लिए और आखिर में उसका इलाज नहीं हो सके। उस ने सिविल कोर्ट में जाकर कहा लेकिन उस ने कहा कि डाक्टरों को आर्टीफिशियल मैथड्स से इस को अभी जिन्दा रखना पड़ेगा। वह तड़प रही थी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैडिकल इंस्टीट्यूट के डाक्टरों ने हिन्दुस्तान में बहुत तरक्की कर ली है और मैं चाहता हूं कि यह बिल ऐसे ही खत्म हो जाए लेकिन लोगों को इतनी तकलीफ न हो। मेरा आईडिया यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। आप कम से कम श्री वाजपेयी पर दया रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : हम पहले से ही सहमत हैं कि वह भी अपना विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सवाल यह था, भावना यह थी कि अगर इस देश के अंदर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कि क्यूरेबल है, मैंने यह कब कहा कि मार दो ? मैंने कहा कि डाक्टर्स अगर इस नतीजे पर पहुंचे और सोचें और मैंने तो यहां तक कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट जज सारी परिस्थितियों को देखे कि इस आदमी ने मरने कि इच्छा क्यों जाहिर की है।

तो मैंने यह नहीं कहा, मेरे बिल की भावना यह नहीं थी। इंग्लैंड में 1961 में कानून बन गया था और स्काटलैण्ड में अबेटमेंट को लीगलाइज कर दिया गया था। मैं यह नहीं कहता कि आप उन देशों का अनुकरण कीजिए, मैं तो यह कहता हूं कि कुछ ऐसे आदमी हैं, जिनका इलाज नहीं हो रहा है और घर में अकेले पड़े हुए हैं और इनक्यूरेबल है तो उनके बारे में सोचना चाहिए।

हिन्दुस्तान की संस्कृति किसी एक आदमी की नहीं है। संस्कृति के बारे में मंत्री जी ने कहा है : हिन्दुस्तान के हर आदमी को हिन्दुस्तान की संस्कृति पर गर्व है, यह देवताओं की धरती है। मैंने कब संस्कृति की बात की, मैं तो इस संस्कृति का स्वागत करता हूं।

मैंने तो यह कहा था कि अगर जज इस नतीजे पर पहुंचे, मंत्री जी बिना मतलब दूसरी बातें करने लगे। आप बयान देते समय मेहरबानी करके सोचिए। मैंने कहा कि जो आदमी इच्छा जाहिर करता है, वह लाश की तरह पड़ा हुआ है, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, सिर्फ उसका दिमाग काम कर रहा है, उसके बारे में सोचिए, मैंने यह नहीं कहा कि उसको मार दो। आपने किस तरह से इस बिल को पढ़ा है। मेरी भावना यह है कि इस बारे में हमको जनमत जानना चाहिए। इस तरह से आज कई सोसायटियां बन रही हैं, जगह-जगह विचार हो रहा है,

इसलिए मेहरबानी करके आप जनमत जानिए और कोई तरीका निकालिए। मैं नहीं कहता कि आप इसको पारित कर दीजिए। मेरा परपज यही था और मेरा पहला सेंटेंस भी यही था कि जनमत जानिए और विचार कीजिए।

मैंने पहले भी आपको लेटर्स पढ़कर सुनाए हैं और इसके बाद और कई लोगों के लेटर्स भी आए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस बारे में विचार होना आवश्यक है।

आप कहते हैं कि सोसाइड अफेंस है, लेकिन करने के बाद क्या होता है ? सब खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप विचार करिए और आपने संस्कृति की दुहाई दे दी। मेरे बिल की जो भावना थी, जो मंशा थी, उसको स्वास्थ्य मंत्री जी समझते तो मैं कहता कि जनमत जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाए। मेरा इरादा में कुछ नहीं था, मैं इसको पारित करना नहीं चाहता था। मैंने तो आपको बताया कि वकीलों और विचारकों ने इसके बारे में क्या राय दी है। अगर आप नहीं चाहते तो मैंने कब कहा कि इस बिल को पारित किया जाए। मैं तो चाहता था कि इस बिल की स्पिरिट को आपको समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उत्तम राठौर क्या आप अपने संशोधन के लिए आग्रह कर रहे हैं?

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उनको संशोधन को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैनुल बशर, यह अनुपस्थित है।

मैं अब श्री जैनुल बशर के संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप विधेयक वापिस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी, हां। मुझे उन व्यक्तियों के जो अशक्त और शय्योग्रस्त हो चुके हों या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हों, दयाभूत जीवन अन्त का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि उन व्यक्तियों के जो अशक्त और शय्याग्रस्त हो चुके हों या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हों, दयाभूत जीवन-अन्त का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

———

एक-परिवार एक-नौकरी मान दण्ड विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० लकप्पा अपना विधेयक प्रस्तुत करें। मैं उनको एक विशेष मामले के रूप में अनुमति देता हूं।

श्री के० लकप्पा (टुमकुट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी सेवाओं में एक-परिवार एक-नौकरी का मान दण्ड अपनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; "कि सरकारी सेवाओं में एक-परिवार एक-नौकरी का मानदण्ड अपनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विधेयक को विचार करने तथा पारित करने के लिए लेते हैं। श्री रशीद ममूद—अनुपस्थित। श्री अटल विहारी वाजपेयी।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

(धारा 26 का संशोधन)

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, "मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के द्वारा मैं अंग्रेजों द्वारा बनाये गये भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन पेश कर रहा हूं। अंग्रेजों के काले कानून उनकी उपनिवेशवादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाये गये थे। अंग्रेज साम्राज्यवादी थे, लोकतंत्रवादी नहीं थे, उन्हें व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए कोई सम्मान नहीं था। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि अंग्रेजों को तो हमने भारत से निकाल दिया, मगर उनके बनाए हुए ऐसे काले कानून जो लोकतन्त्र विरोधी हैं, व्यक्तिगत स्वाधीनता का हनन करते है, उन्हें अभी तक हम अपनी अलमारियों में केवल शोभा नहीं, उपयोग के लिये काम में ला रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने संचार मंत्री श्री स्टीफन को सुना.....

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपको आश्चर्य क्यों हुआ ? आप खुद मंत्री रहे उसे विदड्रा करवा लेते।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अगर साहब हम नहीं कर पाये इसलिए आप आ गये। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप भी चले जायेंगे, हम आ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

बिहार तथा देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन मामलों पर आगे चर्चा करते हैं। श्री सूरजभान।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : सभा पटल पर एक पत्र रखा जाना है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरण जीतचानना) : महोदय मैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु हमारे समक्ष कोई सदन नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपयी (नई दिल्ली) : वह क्या रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू करते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभा पटल पर क्या रखा गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने सभा पटल पर कुछ नहीं रखा है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : माननीय मंत्री या किसी ने सभापटल पर कुछ नहीं रखा और उन्होंने सिर्फ सदन को गुमराह किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमें सभा का कार्य पूरा करने में कितने समय की आवश्यकता है ? अब हमें समय निर्धारित करना है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : 10 बजे तक।

श्री इंद्र जीत गुप्त (बसीरहाट) : कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। उनको अनुमति मिलनी चाहिए। आप समय निर्धारित कीजिए।

श्री आर० एन० राकेश : हमें 4 घंटे चाहिए। यह देश की 1/5 जनसंख्या की समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से संक्षिप्त में बात करने का निवेदन करता हूं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि हमें कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इस बात से सहमत हुए कि इसको आज 12 बजे से 3.30 म०प० तक लिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था पर समझौता हुआ था, अर्थात् चर्चा

को 3.30 म०प० तक समाप्त होना चाहिए। फिर 6 बजे तक गैर-सरकारी कार्य पूरा करना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को जिनको सरकार आवश्यक समझती है, पुरः स्थापित किया जायेगा तथा पारित किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि यह छः बजे तक ही सीमित है। आज वादविवाद थोड़ी देर से शुरू हुआ है। 12 बजे के बजाय शायद यह 1 बजे शुरू हुआ था यदि यही कसौटी है तो कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया है कि 12 बजे से 3.30 बजे तक अर्थात इस चर्चा के लिए साढ़े तीन घंटे नियत किए जायें। आज सुबह भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि यदि इस चर्चा को गैर-सरकारी कार्य समाप्त करने के बाद किया जाए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः इसे 6 बजे किया जा सकता है। हमें समय को सीमित करना होगा। दो और सरकारी विधेयक हैं जिनके लिए विपक्ष सहयोग देने तथा पारित कराने के लिए सहमत हुआ है। कृपया इसको ध्यान में रखिए। मैं आपसे कुछ उचित समय निर्धारित करने का निवेदन करता हूं, ताकि दूसरे विधेयकों को भी लिया जा सके तथा सभा को स्थगित किया जा सके।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, इत्तिफाक से पिछले सैशन में भी आखिरी दिन ही इस मामले पर बहस हुई थी और आज भी आखिरी दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति ने साढ़े तीन घण्टे निर्धारित किये हैं। हम पहले ही ढाई घण्टे खत्म कर चुके हैं। एक घण्टा और शेष है। यह वर्तमान स्थिति है, मैं सदस्य गण से निवेदन करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें, क्योंकि केवल एक घण्टा शेष है।

श्री सूरज भान : आज जब इस मसले पर बहस शुरू हुई,

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : विधेयक पर चर्चा करने तथा इसे पारित करने के लिए इसको चार घण्टे और होने चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश : शेड्यूल्ड कास्ट्स की चर्चा सुनना नहीं चाहते।

श्री भगवत झा आजाद : हर बात में इतना चीप मत बनो।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब यह चर्चा शुरू हुई, तो आदरणीय प्रोफैसर दंडवते की बहुत हमदर्दी और दलीलों से भरी हुई स्पीच सुनने के बाद मेरी जुबान से बेसाख्ता उर्दू का एक शेर निकलता है :—

हर जख्म पे रख दी है मुहब्बत ने जुबान आज,
सदियों के दबाए हुए गम बोल उठे हैं।

जिस हमदर्दी में भरे हुए लहजे में उन्होंने बोला है, मुझ पर उसका बहुत असर हुआ है। हाल ही में जो वाकया हुआ है, वह बिहार में बीरा नाम के गांव, मसौढ़ीपुर थाना, गया जिला में पांच हरिजनों की निर्मम हत्या है। इस वाकये में और देवली के वाकये में आपस में बहुत मेल है। देवली में पुलिस को पहले इत्तिला दी गई थी कि हमारी जान खतरे में है। ऐन उसी तरह यहां भी पुलिस को इत्तिला दी गई थी कि हमारी जान खतरे में है।

वहां पर झगड़ा था मिनिमम वेजिज का। उन गरीब हरिजनों को दिन भर मेहनत करने के बाद आधा किलो सत्तू और आधा किलो अनाज मिलता है। जब यह झगड़ा बढ़ा, तो वहाँ पर पुलिस लगा दी गई। इत्तिफाक से चन्द दिन पहले बिहार के मुख्य मंत्री जिला गया में गए। उनके वहां जाने पर बिहार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, जिनके हलके में यह गाँव पड़ता है, वहां से पुलिस हटवा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि ये गरीब हरिजन मारे गए। 5 मरे हैं : 3 बड़ी आयु की महिलाएं, एक 14 साल का विद्यार्थी और एक 12 साल की लड़की। एक जख्मी अभी अस्पताल में पड़ा है। जो 14 साल का नौजवान लड़का मरा है, वह पूरी हरिजन बस्ती में एक ही पढ़ा-लिखा नौजवान था, जो पढ़ रहा था और शायद उन लोगों के लिखने-पढ़ने का कुछ काम करता था। शायद इसी लिए उसको गोली का निशाना बनाया गया।

गृह मंत्री कहेंगे कि यह तो मिनिमम वेजिज एक्ट की बात है, इसमें जात-पात का सवाल इनवाल्व्ड नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें दोनों इनवाल्व्ड हैं। उन्हें मजदूरी कम मिलती है और वे ज्यादा मजदूरी मांगते हैं और झगड़ा करते हैं। वहां जात का मामला इसलिए है कि गोली चलाने वाली उसी जात के हैं, जिस जात का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है। हरिजनों ने जिस थानेदार को वहां से हटाने की मांग की, वह भी उसी जात का था, जिस जात का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है। एस० पी० ने कहा कि थानेदार को हटा दिया जाए। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा कि नहीं हटाया जाएगा और इसका नतीजा यह है कि 5 आदमियों की जानें गई और छटा अस्पताल में पड़ा है। खाली यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह वेज का झगड़ा है। इसमें जात भी इनवाल्व्ड है। मैं नहीं कहना चाहता कि कौन सी जात इनवाल्व्ड है।

मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस मामले में पालिटिक्स आए। हमारे कुछ साथियों ने दबे अलफाज में कुछ बातें कहीं हैं। एक भाई ने जुबान से तो नहीं कहा, लेकिन उनके मन में यह बात थी कि अब इलेक्शन हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सोचना ही गलत है कि हम इस सवाल को इलैक्शन के लिए एक्सपलायट करना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या हमने बिहार में हरिजनों को मरवाया है ?

श्री सूरज भान : उन्होंने हमारी देवली-साढ़ोपुर पद-यात्रा पर भी चोट की। वह पद-यात्रा एक अच्छे मकसद के लिए की गई थी और उसका अच्छा असर हुआ था। लेकिन उन्हें उसमें सियासत नजर आई। आखिर कोई इस्यु तो छोड़ दें, जिसमें सियासत को न लाया जाए। प्रो० दंडवते अपने भाषण में सियासत का टच नही लाए। लेकिन दो तीन भाई सियासत का टच लाए। श्री राठौड़ बहुत अच्छा बोले, उन्होंने भी सियासत का

ये घटनाएं किलवेनमनी, ताभिलनाडू से शुरू होती हैं, जहां 33 हरिजन बगैर किसी कुसूर के मारे गए, और फिर बेलछी, धर्मपुरा, पिपरा, कफल्टा, गुजरात, मराठवाड़ा, नारायणपुर, देवली, साढोपुर, केसतारा, सुलतान बैटरी और अब वीरा में ऐसी घटनाएं जारी रही हैं। ये भारतमाता के सुन्दर चेहरे पर केवल जख्म नहीं हैं, बल्कि रिसते हुए नासूर हैं, जो उस सुन्दर चेहरे को

बिगाड़ सकते हैं। आज पंजाब में जो आग लग रही है, आसाम में जो कुछ हो रहा है, क्या यह पूरे देश में नहीं हो सकता ? हम इन बातों को नहीं चाहते, लेकिन आखिर सब्र की कोई इन्तिहा होती है। हरिजनों में कुछ गुमराह लोग हैं, जो अछूतिस्तान की मांग दोहराने लगे हैं।

उसको अगर खत्म करना है, मैं उसका विरोधी हूं, मैं यह खालिस्तान, अछूतिस्तान और इस तरह के जितने शैतान हैं इन शैतानों को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन इनको खत्म करने के लिए यह माहौल तो आपको बदलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है यह बन्द हो।

कुछ लोगों ने स्टेटिस्टिक्स दिए, मैं भी देना चाहता हूं। पिछले दो सालों में—ये गवर्नमेंट के अपने आंकड़े हैं—26748 एट्रासिटिज हुई। केवल यू० पी० में 1980 में 236 और 1981 में 214 मारे गए, कुल 450 मारे गए, और पूरे भारत में 1980 में 496 मारे गए, 1981 में 464 मारे गए, कुल इन दो सालों में पूरे हिन्दुस्तान में 960 मारे गए। और ये आंकड़े फेक एनकाउन्टर्स से डिफरेंट है। कहीं नक्सलाइट का नाम दिया, कहीं डाकू का नाम दिया और मार दिया, यह उससे अलग आंकड़े हैं। आदरणीय मकवाना जी ने कुछ दिन पहले कुछ आंकड़े दिये थे। उन्होंने बताया था कि वेस्ट बंगाल में 1981 से 33 मारे गए और केरल में 478 एट्रासिटीज के केसेज हुए हैं। जब इन केसेज को कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में उठाया जाता है तो जवाब टालने वाला आता है। अभी हो रही है कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग। पहला आइटम है जिस में श्री जगपाल सिंह जी ने पूछा है कि पप्पू नाम का एक लड़का जो 10 मार्च 1982 को सहारनपुर नगर कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष श्री हरनाम सिंह के बेटे की कार के नीचे कुचलकर मर गया था। उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने आये। उनके इशारे पर अधिकारियों ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

उसका जबाव आता है :

"राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। राज्य सरकार को नियमित रूप से स्मरण पत्र भेजे जा रहे हैं।"

कितने दिन तक रिमांइन्डर्स देंगे ?

एक और आइटम है श्री हरिकिशन सिंह सुरजीत ने पूछा है : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों पर बढ़ते हुए हमले और अत्याचार, मारे गये, घायल हुए व्यक्तियों की संख्या, कितनी सम्पत्ति की हानि हुई, आदि।

उसका जबाव आता है :

"राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सूचना की प्रतीक्षा है। उसे नियमित रूप से स्मरण पत्र भेजा जा रहा है।"

और आइटम आते हैं। माननीय अटल विहारी वाजपेयी पूछते हैं :

उन व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिन्होंने साधुपुर में निर्दोष लोगों एवं बच्चों सहित हरिजनों की हत्या की है।

उत्तर है :

"उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस मामले की जांच चल रही है और अपराधियों को पकड़ने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।"

अब तक कुछ नहीं हुआ। ये टालने वाले जवाब आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रेजोल्यूशन में केवल बिहार की बात नहीं है, इसमें यह भी लिखा है—एट्रासिटीज कमिटेड इन बिहार एण्ड अदर पार्ट्स आफ दि कंट्री। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में इनकी नाक के नीचे 23-11-81 को मदन लाल नाम के एक 25 साल के नौजवान को गिरफ्तार किया गया था। फिर इसके बाद उसकी मार पिटाई जो हुई होगी वह हुई होगी। उसके बाद वह चारपाई से बांधा गया, उसकी टांगों के नीचे हीटर रखे गए। जब हीटर ट्रीटमेंट के बाद वह आदमी बेहोश हो जाता है और डाक्टर्स की रिपोर्ट है कि केवल मांस नहीं, हड्डियां तक जल गईं, फिर जे० पी० हास्पिटल में दाखिल होने के बाद उस नौजवान की जान बचाने के लिए उसकी दोनों टांगें काटी गईं। यह दिल्ली में हुआ है।

हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में एक हरिजन नौजवान को गिरफ्तार किया गया। अधेड़ उम्र के आदमी थे। इल्जाम लगाया गया कि देशी शराब निकालता है, मैं डीटेल में नहीं जाना चाहता, उसको थाने में बुलाकर मार-मार कर जान से खत्म कर दिया। उसकी बीवी पूछती है तो उसकी लाश पकड़ा दी जाती है और कह दिया जाता है कि वैसे ही मर गया। उसके पहले ही पोस्ट मार्टम रिपोर्ट गलत लिखा ली गई और कह दिया गया कि नेचुरल डेथ से मरा। उन्होंने हिम्मत की, 14 दिन तक सत्याग्रह किया, लाश को डिस्पोज आफ नहीं किया और 14 दिन बाद मैजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया कि इसका दोबारा पोस्ट मार्टम हो। मैं मुबारकवाद देता हूं मेडिकल इंस्टीच्यूट के डाक्टर्स को, उन्होंने रिपोर्ट दी की हां, मारपीट के कारण डेथ हुई है। मारपीट किसने की ? पुलिस की हिरासत में यह हुआ। उसके बाद आर्डर हुआ कि केस दर्ज किया जाए। उसकी धर्म पत्नी (मिश्रानी नाम की) ने सोचा कि जिन्होंने गलत रिपोर्ट लिखी है उनसे इन्साफ कैसे मिल सकता है इसलिए उसने प्राइवेट मुकदमा किया कचहरी में लेकिन तारीख से एक दिन पहले पुलिस जीप उसके यहां जाती है और मिश्रानी नाम की बेवा को घर से निकाल कर गोली से उड़ा दिया जाता है। उसके दस मासूम बच्चे यतीम हो जाते हैं।

और ज्यादा एग्जाम्पल न देकर केवल एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं। मैं अभी जनवरी के महीने में केरल गया था वहां एक जगह पर पांच इन्नोसेन्ट ट्राइबल्स को, जिनमें एक छोटा सा बच्चा भी था, अबू बकर नाम के एक आदमी ने गोली से उड़ा दिया। वह उसकी जमीन को हड़प करना चाहते थे। उसके बाद 9 दिन तक वहाँ पर कोई नहीं गया। मैंने अपने पार्टी वर्कर्स से कहा कि कम से कम कुछ खाने के लिए तो उनको दिया जाए। उसके बाद उस अबू बकर

नाम के आदमी के बारे में डाक्टरों से यह लिखवाने की कोशिश की गई कि वह मेन्टली डिरेल्ड है। यह सब मुझे वहां जाने पर पता लगा है। केरल में 1976 में यह ऐक्ट बन गया था कि ट्राइबल्स की जमीन किसी और से पास नहीं जा सकती है लेकिन 1976 में ऐक्ट बन जाने के बाद आज तक उसके रूल्स नहीं बने हैं फिर उसके ऊपर अमल कैसे हो सकती है ?

श्री सत्य नारायण जटिया, सदस्य लोकसभा पर पुलिस के एस०पी०ने खुद हमला किया, उसकी जानकारी तो आपको है ही। जब एम० पी० नहीं बच सकते हैं तब आम आदमियों की क्या हालत होगी—इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। बिहार में जो कुछ हुआ उसको यहां के और राज्य सभा के सदस्य स्वयं देखकर आए हैं और उसी की बिना पर बताया गया है। ज्ञानी जी फर्मा रहे थे कि हम यहां पर मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ज्ञानी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने दिसम्बर के सेशन में यहां पर दो वायदे किये थे। आपका पहला वायदा था कि आप आर्म्स ऐक्ट में माडिफिकेशन करेंगे। आप गरीब हरिजनों को हथियार देते नहीं हैं और दूसरों से हथियार छीनते नहीं हैं। अगर आप उनसे हथियार छीन नहीं सकते हैं तो कम से कम हरिजनों को भी लिब्रली हथियार दीजिए।

आपने दूसरा वायदा यह किया था कि इस सब्जेक्ट पर अपोजीशन लीडर्स की मीटिंग बुलायेंगे। मैंने आपको लेटर भी लिखा कि आप मीटिंग कीजिए लेकिन आपने टका सा जवाब दे दिया कि कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें अपोजीशन के लोग भी होंगे। क्या आप इस तरह से अपने वायदे टालेंगे ? आपने इस हाउस में जो वायदे किए हैं उनको पूरा कीजिए। आप आर्म्स ऐक्ट में माडिफिकेशन करने के लिए बिल लाइये और अपोजीशन लीडर्स से बात-चीत कीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के मेम्बर्स को भी उस मीटिंग में बुलाइये।

इसके अलावा मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं जिन पर आप अमल कीजिए। पहला सुझाव यह है कि नेशनल इंटिगरेशन कौंसिल की एक स्पेशल मीटिंग महज इसी सब्जेक्ट पर बहस करने के लिए आप बुलाइये। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर झगड़े लैंड डिसप्यूट्स की वजह से होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि लैंड रिफार्म्स ऐक्ट जितने पास हुए हैं उनको नाइन्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि कोर्ट्स में उन केसेज को चैलेंज न किया जा सके। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह लैंड डिसप्यूट्स के झगड़े चलते ही रहेंगे।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि आपने कहीं-कहीं स्पेशल कोर्ट बना रखी है, राजस्थान में स्पेशल कोर्ट बनाई गई है लेकिन बजाए इसके कि हरिजनों को उससे कोई लाभ पहुंचे, उनकी परेशानी और बढ़ गई है क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अजब तरीका अख्तियार कर लिया है, किसी किस्म का कोई केस हो उसको स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जायेगा लेकिन तीन सौ मील दूर जाना उनके लिए मुसीबत हो जाती है इसलिए मोबाइल कोर्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए।

वह वहां जाकर उनकी ग्रीवेन्सेज को सुनें।

चौथा सुझाव—जनता पार्टी के समय में एक आर्डर ईशू हुआ था कि जब भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर एट्रासिटीज हों, उस जगह के एस० पी० और डी० एस० पी० को जिम्मेदार ठहराया जाये। मैं जानना चाहता हूं—आज तक किसको जिम्मेदार ठहराया गया है ? क्या वे इंस्ट्रक्शन्ज कागज पर ही रहेंगी ? मैं चाहता हूं कि उन पर अमल किया जाये।

कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको "एट्रोसिटी-प्रोन-एरियाज" कहा जा सकता है, उनको आडेन्टिफाई किया जाये। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स सारे हिन्दुस्तान में मुश्किल से 25-30 होंगे उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के एस० पी० और डी० एस० पी० को लगाया जाये, साथ ही सेंटर में एक मोनिटरिंग-सेंटर बनाया जाये, जहां सारे हिन्दुस्तान से इन्फर्मेशन आये, इस तरह से आपको लगातार इत्तिला मिल सकती है।

पुलिस के जो लोअर-रैंक्स हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तादाद बढ़ाइए, उनको कम से कम 50 परसेन्ट कीजिये। थाने का इन्चार्ज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसरों को बनाइये।

मैंने पहले भी "विलेज गार्ड फोर्स" का सुझाव दिया था। उसको बनाइये। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ज्यादा तादाद में रखिये। इसमें आपका खर्चा भी कम होगा और उनको सुरक्षा भी मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन हरिजनों और आदिवासियों को कुछ जमीनें एलाट हुई थीं उन पर दूसरे लोग कब्जा नहीं करने देते। जो इस किस्म की हरकत करते हैं, इस आफेन्स को कागनिजिबिल आफेन्स बनाइये। जब तक आप उनकी इस हरकत को कागनिजिबिल आफेन्स नहीं बनायेंगे वे उनको जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे। जो जमीनें इस समय हरिजनों के कब्जे में हैं और जिसमें वे खेती कर रहे हैं, अगर वे अपनी फसल काटना चाहते हैं और कोई उसमें रुकावट डालता है तो उसको भी कागनिजिबिल आफेन्स बनाया जाना चाहिए।

जो उनके आवाई-मकान हैं, झोंपड़े हैं, यदि कोई उनको उन मकानों या झोपड़ों से निकालते हैं तो उसको कागनिजिबिल आफेन्स बनाइये ताकि पुलिस उन मामलों में हस्तक्षेप कर सके।

पुलिस की तरफ से अगर उनके साथ कोई हैरेसमेन्ट होता है, कोई रेप या मर्डर होता है, उसकी आटोमेटिकली जुडीशियल एन्क्वायरी होनी चाहिए। जुडीशियल एन्क्वायरी की मांग की जाये, तब हो, यह गलत है, आटोमेटिकली होनी चाहिये।

आखरी प्वाइन्ट-कन्वर्शन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कहीं पर एट्रासिटीज के जरिये उनको मारा जाता है तो कहीं पर कन्वर्ट करके उनको खत्म किया जा रहा है ताकि हरिजन न रहें। मैं मानता हूं—कन्वर्शन के लिये समाज भी जिम्मेदार है, हरिजनों पर होने वाला अत्याचार भी जिम्मेदार है। लेकिन बाहर से जो पैसा आ रहा है, मैं आपकी ही इस रिपोर्ट का हवाला

देकर कहना चाहता हूं—आपकी कन्सलटेटिव कमेटी के लिये जो नोट आप के पास आया था उसमें लिखा है—पैरा 7 में देखिये—

जमायते इस्लामी हिन्द और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तथा उन क्षेत्रों में कार्यरत धर्म परिवर्तन कराने वाले अभिकरणों जैसे.....द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। कुछ एरियाज उनमें दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका उद्धरण मत दीजिए; कोई यह नहीं कहेगा कि आपने यह नहीं बताया। इसलिये, यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने वहां क्या कहा है।

श्री सूरज भान : इन्होंने खुद माना है—मैं उसको सब्सटेंस में बतला देता हूं—200 मिलियन डालर्स अरब कंट्रीज से आ रहा है। मैं मांग करता हूं कि बाहर से जितना पैसा आए वह गवर्नमेंट की एजेन्सीज के थ्रू आए और उसके बाद उस रकम का प्रापर एक्सपेण्डिचर होता है या नहीं—यह भी चेक-अप करना चाहिए।

ये रेजुल्यूशन बहुत लिमिटेड था, लेकिन स्टेट मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में थोड़ा उसको बढ़ा दिया है—इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं—रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो कदम उठाइये—पहला तो एक सेंट्रल एक्ट बनाइये, जब तक सेंट्रल एक्ट नहीं होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। दूसरे--शेड्यूल्ड कास्ट आर्गेनिजेशन्ज, यूनियन्ज को रिकगनीशन दीजिये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है—

अनुसूचित जातियां, जातियों का संकलन है इसलिये उनको रिकगनीशन दीजिये।

श्री राम प्यारे पनिका : (राबर्ट्सगंज) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं, आपने इस महत्त्वपूर्ण समस्या पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह अनुरोध कर रहा हूं। सभी माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रामप्यारे पनिका : इससे पहले कि मैं कुछ कहूं—मैं प्रो० मधु दण्डवते जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि कुछ लोगों की यह इन्टेन्शन जरूर थी कि इसका पोलिटीकल लाभ उठाया जाये, लेकिन प्रो० साहब ने जिस तरह से इसका शुभारम्भ किया...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : किस की इन्टेन्शन थी ?

श्री राम प्यारे पनिका : अभी बतलाता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गया में लोग मारे गये।

श्री राम प्यारे पनिका : प्रो० मधु दण्डवते ने इस विषय को इस तरह से परिवर्तित कर दिया कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी हालांकि कुछ लोगों ने संकेत मात्र आलोचना करने की कोशिश की और मैं संकेत मात्र ही इसको छेड़ूंगा और किसी का नाम नहीं लूंगा। इसलिए अटल जी आप घबड़ाइये नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समस्या आज से नहीं है बल्कि वैदिक काल से यह चली है और बाद में जब हिन्दुस्तान में चार वर्ग बने, तो इसकी शुरुआत तब हुई। मैं इस पर ज्यादा समय न लेकर यह कहूंगा कि 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने हिन्दुस्तान से कास्टइज्म को दूर करने का प्रयास किया था और काफी हद तक उनको सफलता भी मिली थी। उनका संदेश अपने देश में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में दूर दूर तक फैला और बाद में डा० अम्बेडकर के प्रयास से गौतम बुद्ध का जो संदेश था, वह इस धरती पर आया। इसी सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द ने पहली बार दरिद्र नारायण का नाम देकर गरीबों और हरिजनों की बात कही। अगर आप इस सारे इतिहास को देखें और खासकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, हिन्दुस्तान में बहुत सी पालीटिकल पार्टियां बनीं। किसी ने अपने को राम राज्य परिषद का नाम दिया और किसी ने हिन्दू महासभा का और फिर छुपकर जनसंघ भी आया जो असल में आर० एस० एस० को लेकर बना। फिर आगे चलकर कुछ लोगों ने लोकदल बनाया जोकि जाति के आधार पर बना।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि गुजरात में जब हिंसा की घटनाएं बढ़ रही थीं, तो एक प्रस्ताव इस सदन ने पास किया। गुजरात में भी हरिजनों पर अत्याचार ढाए जा रहे थे और हरिजन नौजवान मारे जा रहे थे : जैसा इधर बैठने वाले कुछ भाइयों ने कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी ने उस समय यह कहा था : अनुसूचित जातियों के मामले में, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। तब जाकर कोई समझौते की बात हुई थी। वही एक नेता हैं, जिन्होंने ऐसा कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। तब जाकर एक समझौता हुआ।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि सन् 1947 के बाद कुछ लोगों ने जो विघनकारी प्रवृत्ति अपनाई, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, उसका नतीजा यह हुआ कि हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार हुए। यदि आप 1976 तक के आंकड़े देखें, तो यह पाएंगे कि P 76 में इनकी संख्या 5960 थी और उसके बाद जैसे ही उधर के लोगों की सरकार आई, ये संख्या बढ़ती ही गई और 1977 में यह 10879 थी और फिर 1978 में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों की संख्या बढ़कर 15070 हो गई। इस तरह से उनके जमाने में यह बढ़ती ही गई है और बाद में यह 13881 हो गई। सौभाग्य से जब हमारी सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में फिर से बनी, तो उसमें यह संख्या नीचे आ गई। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं और ये यही बताते हैं। अभी इधर से एक कांग्रेसी सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने यह कहा था कि सन् 1977 से पहले हिन्दुस्तान में कोई इस तरह की सामूहिक हत्याएं हरिजनों की नहीं हुई थीं जैसी कि सन् 1977 में इनके जमाने में हुई थी। वह सरकार

जाति पर आधारित थी, धर्म पर आधारित थी और सम्प्रदाय पर आधारित थी, मेरा यह आरोप है और इसीलिए इतने अपराध उस जमाने में बढ़े थे और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण हिंसा का फैला था जिसको ठीक करने के प्रयास के बावजूद भी अभी तक हम बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सके। यह एक महत्वपूर्ण कारण है, इसको मानकर चलना पड़ेगा।

जहां तक डेवलपमेंट की बात है, उनके लिए अभी बहुत कुछ करना है। मैं तो यह कहूंगा कि सब लोगों को, विरोधी पक्ष के लोगों को और इधर के लोगों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, हम सब देश में हिन्दुस्तान के एवाम का आवाहन करना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि किसी जाति के नाम पर या क्षेत्र और भाषा के नाम पर वोट मांगती है तो उसकी मान्यता चुनाव आयोग समाप्त कर दे और हिन्दुस्तान के सभी लोग उसकी आलोचना करें और इस तरह की पार्टियों का अस्तित्व न रहे। आप जानते हैं कि स्वतन्त्रता के पहले और स्वतन्त्रता के बाद एक ही पार्टी इस देश में है और वह है कांग्रेस पार्टी जो आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है। और भी कुछ लोग हैं, जो मानते हैं, लेकिन बहक गए हैं, पासवान जी की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। हरिजनों के लिए उनके दिल में दर्द है, लेकिन वे कहां फस गए हैं बेचारे,

उस आदमी के नेतृत्व को उन्होंने माना है, जिसने हरिजनों को वोट नहीं देने दिया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लोगों ने हरिजनों को वोट नहीं देने दिया और केन्द्र सरकार को हरिजनों के लिए अलग से पोलिंग की व्यवस्था करनी पड़ी। इसलिए यह कहना गलत है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की या सत्ता पक्ष की है।

क्या यह सही नहीं है कि 1980 में सरकार बनने के बाद माननीय गृह मंत्री महोदय ने दो बार प्रदेश सरकारों को निर्देश भेजे हैं कि किस प्रकार से हरिजनों पर अत्याचारों को रोका जाए। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं राज्यों को गाइड-लाइंस भेजे हैं कि किस तरह से इन समस्याओं को सुलझाना है। इसलिए आप देखें कि 1980 के बाद से हरिजनों पर जो उत्पीड़न हुआ है, उसको हमारी सरकार ने मूक बनकर नहीं देखा है, उनको रीहैबलीटेट किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बेलछी में जो काण्ड हुआ या उस समय अन्य काण्ड हुए, तत्कालीन सरकार ने किसी को पुनर्वासित किया है या किसी तरह की आर्थिक सहायता दी है? जहां-जहां भी घटनाएं हुई हैं, सबसे पहले यह देखा गया कि इन लोगों को किस चीज की आवश्यकता है। देवली में जाकर देखिए कि वहां पर सड़क बन गई है, पानी के नल लग गए हैं और बिजली दी जा रही है और भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों का विकास हो।

यह सही है कि जितना विकास 35 साल में होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है और मैं पासवान जी की इस बात से सहमत हूं कि हरिजनों का विकास करने वालों की नीयत जब तक साफ नहीं होगी, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, हम सब लोगों की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक कोई भी कानून बना दीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा।

विकास पर किए गए खर्च के बारे में आप देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां

1.17 रुपए हरिजनों पर प्रति व्यक्ति खर्च किया गया था वहां आज छठी पंचवर्षीय योजना में हरिजनों पर प्रति व्यक्ति 630.20 रुपया प्रति व्यक्ति और आदिवासियों पर 1045.12 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है। आप देखें कि किस तरह से आर्थिक ढंग से इनको आगे बढ़ाया जा रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की हर जगह नजर है—चाहे मध्यप्रदेश हो, चाहे बिहार हो। पिछले दिनों हमारे यहां सुधार हुआ है। यह भी सही है कि कुछ घटनाएं इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से की जाती हैं। पिछली बार जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, तब घटना हुई और जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में भाषण दे रही थीं और उत्तर प्रदेश सरकार की ला एण्ड आर्डर के बारे में तारीफ कर रही थीं, उसी समय साढूपुर में सुनियोजित ढंग से घटना हुई। इस प्रकार से सरकार को बदनाम करने और उसके विकास कार्यक्रमों को कम करके दिखाने की चेष्टा की जाती है। इन सब बातों की ओर हमें ध्यान देना होगा।

आज आप देखें कि हरिजनों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया है। यदि आप इतिहास को देखें तो वे लोग हैं जो जाति के नाम पर दल बना रहे हैं, उन्होंने कोई कम अत्याचार नहीं ढाए हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि सब लोगों को इसे राष्ट्रीय समस्या समझ कर चलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संत कबीर ने कहा था :

बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिला कोई,
जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई।

तो आज अपने दिल को टटोलने की आवश्यकता है। माननीय अटल जी, आप कह रहे थे कि कौन है ? आपको शंका हो रही है, गिल्टी कांशस हैं, आर० एस० एस० क्या करता है यह जरा आप सोचें। लोक दल वाले सोचें कि वह क्या कर रहे हैं। जब तक देश में स्थापित गरीबों के प्रति पुराने मूल्यों में परिवर्तन नहीं करोगे तब-तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा।

(श्री चंद्रजीत यादव पीठासीन हुए)

जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है, जो सरकार ने नीति घोषित की हैउसको जल्द से जल्दपूरा करने की आप कोशिश करें, और देश में ऐसी संस्थायें जो रिजर्वेशन के खिलाफ आन्दोलन कर रही हैं और जिनको विभिन्न आफिसेज में कर्मचारी लोग बनाते हैं उनको आप उचित दंड दें ताकि रिजर्वेशन पालिसी पूरी हो।

आपको याद होगा 1967 से एक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल पेंडिंग है और बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स अभी शामिल नहीं हुए हैं। और अगर कहीं शामिल हुए हैं तो क्षेत्रीयता के कारण उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। हमारी आजादी आप केवल 18 प्रतिशत दिखा रहे हैं।लेकिन मैं कहता हूं कि वह 25 प्रतिशत है अगर देश के सारे शेड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स को शामिल कर लिया जाये। मैं पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहा हूं कुछ जातियों को शामिल कराने के लिये जो कि मध्य प्रदेश और बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मानी जाती हैं। लेकिन हमें बराबर उत्तर मिलता है कि होम मिनिस्ट्री प्रदेशों से सूचना मांग रही है। तो इस

समस्या को हल करना चाहिये ताकि उनको संवैधानिक अधिकार मिल सकें। समय का ताकाजा है कि देश में जितने लोग छूट गये हैं, हरिजन, आदिवासी और गिरिजन, उन सब को मिला कर के एक कामप्री हैंसिव बिल लायें और उसको स्वीकार करें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः देश के लोगों का आह्वान करता हूं देश के क्षेत्रगत, जातिगत, धर्मगत पार्टिया हैं, जो विघटनकारी प्रवृति वाले लोग हैं, जैसे दल खालसा जो राष्ट्रद्रोही हैं ऐसी पार्टियों को संगठित करने का मौका न मिले। और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि यदि कोई ऐसी पार्टी है जो हरिजनों को वोट नहीं देने देती, जो ऊंच नीच में विश्वास रखती है, उनकी मान्यता छीन कर ऐसी ही पार्टियों को मान्यता दें जो पूरे राष्ट्र को समान रूप से मानती हैं और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाकर समता की बात करती हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, हरिजनों पर आये दिन होने वाले अत्याचार समाज के माथे पर कलंक है। पहले भी भाषण कर्त्ताओं ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन ऐसे विचार से इस संसद में इस विषय पर कई बार विचार-विमर्श हो चुका है।

हमने इस पर पिछली बार भी विचार-विमर्श किया था परन्तु मेरा ख्याल है कि जब भी कभी संसद में विचार-विमर्श हुआ है, इसे समाचार-पत्रों ने प्रकाशित किया है : और मैं तो यह सोचता हूं कि यह उन लोगों पर बहुत गम्भीर प्रभाव डालता है जो सामान्यतः ऐसे अत्याचार करते रहते हैं। यदि यह बात फैल जाये कि हम इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं या अन्य कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं तो अत्याचार और भी आसनी से होते रहेंगे। निश्चय ही यदि हम लोग इस पर विचार-विमर्श नहीं करते तो स्थानीय पुलिस भी कम सतर्कता बरतेगी। वास्तव में इसमें कोई हानि नहीं है यदि हम इस विषय में अधिक विचार-विमर्श करते रहें जितना हम खुद करते हैं। इसलिए, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और प्रो० मधु दण्डवते को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नियम 193 के अधीन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है।

यह घटना उस स्थान पर हुई है जहां मैं अभी हाल ही में गया था। मैं वालीगंज गया था जो स्थान 'गया' से ज्यादा दूर नहीं है। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक प्रकार से लोग गुटों में बंट चुके थे और वहां अविश्वास अवास्तविकता का वातावरण बना हुआ है। मैं तो यह विश्वास करता हूं कि यदि सरकार ने उस क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य कर लिया होता तो इस घटना को रोका जा सकता था; यह सरकार की एक असफलता है। साधारणतः यह सूचना उपलब्ध होती है, परन्तु सरकार इस पर तत्परता से कार्यवाही नहीं करती, और इसके तत्परता से कार्य न करने का कारण यह है कि अनुसूचित जातियों की आवाज प्रशासन में और स्वयं सरकार में बहुत ही कमजोर है। यह अभी भी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। और मेरा ख्याल है कि यह वह बिन्दु है जहां हमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। लेकिन इसके कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। मेरी राय में इसका कारण है कि आज समाज में जातियों या धर्मों या जो भी कुछ उन्हें आप कहना चाहें, और उन नये उभर कर आने वाले हरिजनों के श्रेष्ठ वर्ग के बीच एक संघर्ष जो पुरानी व्यवस्था को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

दक्षिण भारत में, मुझे मीनाक्षीपुरम के उन ग्रामों में आने जाने का अवसर मिला है जिनमें हरिजनों का प्रभुत्व है। मुझे याद है कि वहां के लोगों ने, पुरानी पीढ़ी के लोगों ने जो संसद सदस्य तक रह चुके हैं, मुझे बताया कि उन्हें कुछ बातों को सहना पड़ता रहा है। उदाहरण के तौर पर, उच्च वर्ग का 10 वर्ष या 15 वर्ष का लड़का 70-75 वर्षीय हरिजन वृद्ध से अपमानजनक रूप में बात करेगा और उस हरिजन को इस अपमान को सहना पड़ेगा। परन्तु यह नई पीढ़ी जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से उभर कर आई है, हमारी शिक्षाप द्धति भले ही कितनी पूर्ण हो, इस अपमान को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, और वे कहते हैं कि "हम भी और लोगों की तरह ही हैं।" वे इस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप सम्पत्ति और सत्ता का तथा करीब-करीब उन सभी चीजों का पुनर्वितरण करना चाहते हैं, जो समाज की चली आ रही जातियों के पास हैं, और हरिजनों की नई पीढ़ी जिस पुर्नव्यवस्था को चाहती है, उसमें रोड़े अटकाये जा रहे हैं और वह अवरोध इस रूप में उभर रहा है। अब हरिजन यह कह रहे हैं कि वे न्यूनतम मजदूरी चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि न्यूनतम मजदूरी का कानून पारित किया जा चुका है। 15 वर्ष पहले उन्हें इसका पता नहीं होता था कि उनके हित में भी कोई कानून बनाया गया है या नहीं। आज हरिजन लोग शिक्षित हैं। आप संसद में देख सकते हैं कि कितने ही शिक्षित हरिजन यहां आ गये हैं। वे भी औरों के समान योग्य हैं। वास्तव में कुछ तो औरों से भी अधिक योग्य हैं। परन्तु, तथ्य यह है कि उनका ज्ञान उनकी जागरूकता, अपने अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई सीधे ही संघर्ष को जन्म दे रही है और यही वह बिन्दु है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

डाक्टर अम्बेडकर ने काफी समय पूर्व कहा था कि हम हरिजनों को समान राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं परन्तु हम उन्हें समान आर्थिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, और जब तक यह विभाजन रेखा बनी रहेगी, यह संघर्ष चलता ही रहेगा। यह समाज विभाजित होने जा रहा है। उन्होंने संविधान सभा में यह कहा था और वही हो रहा है, हरिजनों को मत देने का अधिकार तो जरूर है, लेकिन उनके पास इसके अनुरूप शक्ति अर्थात आर्थिक शक्ति नहीं है, यह उनसे बहुत दूर है, और यही वह खाई है जिसे पाटना जरूरी है। यदि आप इस खाई को पाट दें, तो मेरा ख्याल है कि आज जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें आसानी से रोका जा सकता है। यह समस्या जो हमारे देश में है इतनी विकसित नहीं है जितनी कि यह अन्य देशों में है।

कुछ समय पहले मैं सुना करता था कि अमरीका में काले लोगों (नीगरो) की समस्या हरिजनों की समस्या से मिलती जुलती है। दर असल मार्टिन लूथर किंग यह बात कहा करते थे।

अमरीका में महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुपालन करने वाला वह व्यक्ति था जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी और जिसकी मृत्यु से पूर्व उसे नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह व्यक्ति यह कहा करता था। परन्तु इसमें एक अन्तर है। अमरीका में नीग्रो को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता परन्तु हमारे देश में हरिजनों को समाज में आसानी से बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि वे हमसे पृथक नहीं दिखाई पड़ते। हमारे द्वारा प्रयास करने पर समाज में उन्हें आसानी से मिलाया जा सकता है। हमारे देश में इंग्लैंड तथा अमरीका जैसे देशों की विकट समस्या नहीं है जहां क्रमशः श्वेत-अश्वेत तथा नीग्रो लोगों की समस्या है। भारत में

यह समस्या इतनी गम्भीर नहीं है। वास्तविक समस्या आर्थिक विषमता को दूर करने की है। सबसे पहले तो हमें सरकारी माध्यमों, इश्तिहारों, समाचार पत्रों आदि के द्वारा हरिजनों के बारे में किये जा रहे मिथ्या प्रचार को समाप्त करना पड़ेगा। मैं सही मामलों में हरिजन नहीं हूं। पर मैंने अपनी जाति से बाहर विवाह किया है। इस परिभाषा के द्वारा मुझे हरिजन मानना चाहिए। परन्तु ये लोग ऐसा नहीं मानते।

श्री राम विलास पासवान : मुझे हरिजन मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : मैं आपको प्रमाण-पत्र देने को तैयार हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ये मुझे प्रमाण-पत्र देने को तैयार हैं। इस कल्पना को समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें कुछ भी राजनीति नहीं है पर कांग्रेस (आई) भारतीय जनता पार्टी के समान इस बारे में मिथ्या प्रचार कर रही है। मैं श्री सूरज भान की बहुत श्रद्धा करता हूं लेकिन उनकी पार्टी के कुछ लोग हरिजनों के सम्बन्ध में गलत प्रचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रचार यह किया जा रहा है कि हरिजनों को हर बात में अनुचित हिस्सा दिया जा रहा है। उन्हें अनुचित हिस्सा कहां मिल रहा है? गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है। केवल सरकारी क्षेत्र में ही है। उसमें भी अगर हम आंकड़ों को देखें तो आज भी श्रेणी-1 के पदों में हरिजनों की प्रतिशतता केवल 3.68 प्रतिशत है। श्रेणी दो के पदों में 7 प्रतिशत तथा श्रेणी तीन में 15 प्रतिशत है। चतुर्थ श्रेणी के पदों में, जहां सफाई, चपरासी तथा हर प्रकार का ओछा काम करना पड़ता है, वहां भी हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है। हर जगह मुझे यही सुनाई पड़ता है कि गैर-अनुसूचित जाति के लोगों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। मेडिकल कालेजों में भी उन्हें स्थान प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मेरे अनुसार इस समस्या को मेडिकल कोलेजों की संख्या बढ़ाकर सुलझाया जा सकता है। यदि सवर्ण विद्यार्थियों के लिए सीटों की कमी है तो इसका सबसे अच्छा हल नये कालेजों को खोलना ही है। सवर्ण जाति के लोगों के पास संसाधन उपलब्ध हैं। पर वे हमेशा यही कहते हैं कि सवर्ण जाति के विद्यार्थी को 99 प्रतिशत अंक लेने पर भी सीट नहीं मिलती जब कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को 45 प्रतिशत अंक मिलने पर भी दाखिला मिल जाता है। अर्थात यदि 45 प्रतिशत अंक वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को प्रवेश देने पर देश का काम काज ठप्प हो जाएगा। कांग्रेस के 33 वर्षों के शासन काल तथा 2 वर्ष के जनता शासन-काल के बाद भी हरिजनों को उनका आधा हिस्सा भी नहीं दिया जा सका है। अतः इस गलत प्रचार को समाप्त करने की आवश्यकता है। उच्च जाति के प्रतिरोध को समाप्त करना पड़ेगा। यह भी धारणा है कि रेल दुर्घटनाएं हरिजन अधिकारी अथवा ड्राइवर के कारण होती हैं। प्रो० मधु दण्डवते से उनके मन्त्री काल में इस प्रकार के साक्ष्य के बारे में मेरे द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने इसका खण्डन किया था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने विशिष्ट जांच कराई थी जिसमें यह पता चला था कि ऐसी दुर्घटनाओं के लिए कोई हरिजन ड्राइवर उत्तरदायी नहीं था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा यह कहना है। परन्तु हमें सब जगह यही सुनाई पड़ता है कि

इसके लिए रेलवे के हरिजन अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। मुझे विश्वास है कि सभी व्यक्तियों को इसकी जानकारी है परन्तु सरकार ने इस प्रचार का खण्डन नहीं किया हैं। हो सकता है कि सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही हो। महोदय, मुझे इसकी कोई जानकारी नही है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं तो इसका खण्डन किया जाना चाहिए। सरकार इन समस्त तथ्यों को, जो सरकारी फाइलों में उपलब्ध हैं, प्रकट करके इसका खण्डन क्यों नहीं कर रही है।

हरिजनों के बारे में तीसरी अपमानजनक बात यह सुनाई पड़ती है कि इनका कोई चरित्र नहीं होता। इन्हें खरीदा जा सकता है। मैं मीनाक्षीपुरम की बात कर रहा हूं। ज्ञानी जैल सिंह ने मद्रास में कहा था कि इसमें विदेशियों का हाथ है। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने अपना विचार बदल लिया।

मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपना इरादा बदल लिया। परन्तु महोदय, मैंने श्री सूरज भान से पूछा था : क्या उनका दल इस धारणा का प्रचार नहीं करता कि भारत से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, हरिजन इस्लाम धर्म ग्रहण कर रहे हैं, और इसका मुख्य कारण पैसा है ? क्या उनका दल इस बात का प्रचार नहीं करता ? और क्योंकि मैंने इस प्रचार का खण्डन किया था, इसलिए उनके दल के लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इस प्रकार की बात राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। वे विदेशों से प्राप्त धन की बात करते हैं, यह पैसा सरकार के माध्यम से आ रहा है। श्री सूरज भान यही कहते है। ठीक हैं, इस पैसे को सरकार के माध्यम से ही आना चाहिए। और जब यह बात उठायी जा रही है तो मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूं। मैं गृह मन्त्रालय से कहूंगा कि वह विदेशों से पैसा प्राप्त करने वाले सभी संगठनों की सूची प्रकाशित करे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल एक अल्पसंख्यक समुदाय के पास ही धन नहीं आ रहा, बल्कि मैं यह कहूंगा कि सवर्ण हिन्दुओं के लिए भी विदेशों से धन आ रहा है। मथुरा में बन रहे मन्दिर के लिए, हरे राम हरे कृष्ण सम्प्रदाय के लोग अमेरिका से धन ला रहे हैं। इस तथ्य को भी सामने रखा जाना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि धन गुप्त रूप से नहीं आना चाहिए और सरकार को इस बात की निगरानी रखनी चाहिए कि धन चोरी छिपे न आये। परन्तु एक ऐसी बात है जिसका प्रचार किया जा रहा है कि हरिजनों को 500 रु० प्रति हरिजन के हिसाब से खरीदा जा सकता है। वास्तव में मीनाक्षीपुरम के हरिजनों ने मुझे बताया कि हम 500 रुपये के लिए हिन्दू से मुसलमान बन सकते हैं। आप हमें 600 रुपये दीजिए और हम दुबारा हिन्दू बन जाएंगे। उन्होंने मजाक करते हुए यह कहा। परन्तु मीनाक्षीपुरम में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया वे डाक्टर, वकील, इंजीनियर, खण्ड विकास अधिकारी, पुलिस के उप-निरीक्षक थे और इन लोगों ने आरक्षण के लाभों को भी छोड़ दिया है। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, परन्तु क्यों किया ? इसको जानने के लिए उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, उनके पास बैठो, यह नहीं कि वहां जाओ और भाषण दो, और किसी स्वामी जी से पूछो। मेरा मतलब, वहां इकट्ठे हुए

अन्य प्रकार के स्वामीजीओं से है। यह नहीं होना चाहिए कि आप वहां भाषण दें और वापस आ जायें और यह कहें कि इसके लिए विदेशी धन जिम्मेदार हैं। इसी बात का प्रचार किया जा रहा है और इसी बात का सामना किया जाना चाहिए और यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसा कहना सच नहीं है। ऐसी बातों का झन्डा-फोड़ करने के दूरगामी परिणाम होंगे और इससे ऐसा वातावरण बनाया जा सकेगा जिससे बेहतर मेल मिलाप होगा।

मैं अन्त में कुछ सुझावों के साथ समाप्त करूंगा। सबसे पहले, मैं चाहूंगा कि सरकार यह अनुभव करे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भी यदि मैं उनको भी शामिल करूं तो हितों का संरक्षण करना एकमात्र अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों द्वारा ही किया जाने वाला कार्य नहीं है, वे यह कार्य निश्चित रूप से करें परन्तु हमें भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए, मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में केवल अनुसूचित जातियों के लोग हैं। ऐसा क्यों किया गया है? इस वर्ष मैंने भी उस समिति में शामिल होने का प्रयास किया था, परन्तु मुझे श्री सूरज भान का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। परन्तु अगले वर्ष मैं प्रयास करके उस समिति में शामिल होऊंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि गैर-अनुसूचित जाति के लोग ऐसी समितियों में क्यों नहीं होने चाहिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति में क्यों हैं? यह ऐसी बात है जो हम सबके ध्यान में आनी चाहिए। परन्तु धीरे-धीरे यह कुछ ऐसे होता जा रहा है कि उनको खुश रखने के लिए एक समिति बना दो, समिति के सदस्य घूम आएं और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें जिसे कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की समितियों में सभी जातियों के लोग सम्मिलित किये जाने चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे अपने अध्ययन के आधार पर, देश में लगभग 45 जिले ऐसे हैं जहां इस प्रकार के अत्याचारों की सम्भावना है। 400 जिलों में से, 45 जिलों में अत्याचार हो सकते हैं। सरकार को ऐसे जिलों की एक सूची बनवानी चाहिए। जब पिछली बार आखिरी दिन हमने इस पर विचार किया था तब भी गत वर्ष की चर्चा में मैंने यह बात कही थी। मुझे इसका कारण मालूम नहीं कि हम इस विषय पर हमेशा अन्तिम दिन ही विचार क्यों करते हैं। इस पर जो कुछ भी हम विचार करेंगे वह समाचार पत्रों में नहीं आयेगा क्योंकि समाचार पत्रों में केवल वे बातें आती हैं जिन पर हम दिन में 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे अथवा 3 बजे विचार करते हैं। इसके बाद यह सम्भव नहीं है। यहां तक रेडियो में भी यह समाचार नहीं आयेगा क्योंकि हम इस पर विचार बहुत देर में करते हैं। अब, यह एक ऐसा विषय है जिसका प्रचार किया जाना चाहिए। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब हमने इस प्रतिवेदन पर विचार किया था, तब मैंने इस बात का जिक्र किया था। गृह मन्त्री अथवा वहां बैठे राज्य मंत्री, श्री लास्कर ने मुझे पत्र लिखा कि आपने यह मुद्दा उठाया था। आप मुझे उन 45 जिलों के बारे में बताइये। महोदय, मैं गृह मन्त्री नहीं हूं। मैं उन्हें कैसे बता सकता हूं कि वे 45 जिले कौन से हैं? मैंने उनको लिखा, "कृपया आप मेरे पास अपना अधिकारी भेज दीजिए। अपने वरिष्ठतम अधिकारी को समय निश्चित करके भेजिये, मैं उनके पास बैठूंगा और

उन्हें बताऊंगा कि वे उन 45 जिलों का पता कैसे लगाएं।' उन 45 जिलों में आप सतर्कता विभाग के मुख्य आदमी रखिये जो आपको सूचना देंगे। आप वहां केन्द्रीय कक्ष भी बना सकते हैं जो इसकी निगरानी भी करेगा ; यह निगरानी चलती रहेगी जब ऐसी घटना होने वाली होगी तो उस समय केन्द्र सरकार केन्द्रीयबल भेजेगा। मेरे विचार से, राज्य सरकारें इस समस्या का सामना करने में सक्षम नहीं हैं, परन्तु इसमें सभी को शामिल किया जाना चाहिए। एक केन्द्रीय बल की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा ही गृह मन्त्री जी ने कहा था कि हमें केन्द्रीय हरिजन सतर्कता ब्यूरो बनाना चाहिएं।

वह ब्यूरो केवल 45 जिलों की निगरानी करेगा, ऐसी कोई सूचना मिलने पर केन्द्रीय पुलिस दल भेजा जाएगा। यह आग्रह बहुत पहले से किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि गृह मंत्री इस सुझाव पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं।

गृह मंत्री का हर बात के लिए यही उत्तर है कि—इसमें विदेशी तत्वों का हाथ है। पंजाब में विदेशी तत्वों का हाथ है। यदि मीनाक्षीपुरम में कोई घटना होती है तो उत्तर यही है कि इसमें विदेशी हाथ है, गंगा में—विदेशी तत्वों का हाथ है, यहां तक कि हमारी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसके लिए भी विदेशी तत्व जिम्मेदार हैं। (व्यवधान)

श्री सूरज भान : मैं समझता हूं कि डा० स्वामी ने जो यह कहा है इसको रिकार्ड में नहीं रहना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपके लिए नहीं कहा है। मिनिस्टर का कहना है कि हर एक चीज में फारेनर्स का हाथ है। आप इसे रिकार्ड से बाहर कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अतः सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री-45 जिलों का चयन करें। उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त सूचना होगी और विशेष पुलिस बल होगा जैसा कि प्रो० रंगा ने सुझाव दिया है इस बल से सूचना मिलते ही रवाना कर दिया जाएगा।

हरिजनों के विरुद्ध हो रहे इन अत्याचारों को संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए। इसे संज्ञेय अपराध क्यों नहीं बनाया जाता ?

प्रो० एन० जी० रंगा : ऐसा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा नहीं है। यह एक सामान्य अपराध है। यह संज्ञेय—अपराध नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस कानूनी मुद्दे पर बहस न करें। उन्हें अपनी बात कहने दें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रत्येक राज्य में इस संबंध में अंतर है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाना आवश्यक है जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो।

अनुच्छेद 247 के अनुसार सरकार को ऐसे मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों से वरिष्ठ हों। उनके अधीन विशेष न्यायालय बनाए जाएं जो इन अपराधों को तेजी व शीघ्रता से निवटाएँ। मेरे विचार से ऐसा करना बहुत आवश्यक है। अथवा हमें ऐसा ही उत्तर मिलेगा जैसा कि श्री सूरज भान ने बताया कि हमने इसके लिए राज्यों को लिखा है और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब साधूपुर जैसी घटनायें हों तो वे तुरंत राज्य मजिस्ट्रेट से उच्च श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकते हैं और तब वे स्वयं जांच कर सकते हैं। केन्द्र सरकार ऐसा कर सकती है।

मैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं कि संविधान उन्हें ऐसे अपराध पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह राज्य का विषय है। इस समय यह राज्यका विषय है। परन्तु अनुच्छेद 247 के अन्तर्गत सरकार मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकती है और संसद कानून अधिनियमित कर सकती है। सरकार राज्य के हर मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ मजिट्रेटों की नियुक्ति कर सकती है और इस तरह के मुकदमा चला सकते हैं। इस संबंध में मेरी राय यह है कि ऐसी चर्चाऐं उन पदयात्राओं से कहीं बेहतर है जिन्हें श्री सूरजभान जोर-शोर के प्रचार के साथ करना चाहते हैं। (व्यवधान) क्या आपने पदयात्रा की ?

समाचारों के अनुसार वे पटयाला की बजाए अपने प्रचार के प्रति अधिक उत्सुक थे। स्थानीय रूप से हरिजनों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। मेरे विचार से यह बात ज्यादा गौर करने लायक है।

श्री सूरज भान : आप यह कैसे जानते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने ये बातें श्री जानार्दन ठाकुर की रिपोर्ट से पढ़ी हैं। गार्डियन और विदेशी रिपोर्टर और भी अधिक (व्यवधान)

मैं अपना वक्तव्य गृह मंत्री से यह अपील करते हुए समाप्त करता हूं कि कृपया इसे गंभीरता से लें, और कम से कम एक ऐसा तंत्र स्थापित या कार्यान्वित करें जो केन्द्र को इस संबंध में तेजी से कार्यवाही करने के अधिकार प्रदान करें,

सभापति महोदय : श्री भूरिया।

अगर आप संक्षिप्त नहीं बोलेंगे तो बहुत से बोलने वाले रह जायेंगे। सदन ने फैसला किया है कि इस चर्चा के अलावा दो बिल और भी पास करने हैं। इस चर्चा के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया गया था वह भी समाप्त हो रहा है। इसलिए माननीय सदस्य संक्षेप में ही बोलें।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय सभापति महोदय, आज की बहस बहुत महत्वपूर्ण है जिसे प्रो० मधु दण्डवते साहब ने शुरू किया। उन्होंने बहुत बढ़िया शब्द-जाल फैलाया और अभी मैंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का भाषण भी सुना। कोई किसान का नेता बनता है, कोई हरिजनों का नेता बनता है, तो कोई आदिवासियों का नेता बनता है लेकिन आज एक नई बात

सुनी किसी हरिजन लड़की का पति भी नेता बना, यह हम ने सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के भाषण से सुना लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—हरिजनों की सेवा, गरीबों की सेवा या आदिवासियों की सेवा कोई मामूली खेल नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी का इतिहास इस दिशा में एक बहुत लम्बा इतिहास है, जिस ने इन हरिजनों, आदिवासियों और गरीब लोगों, को ऊपर उठाया है। आप को याद होगा हमने ऐसा कानून बनाया कि जिस गरीब किसान के पास, हरिजन के पास जमीन नहीं थी, उस को हम ने जमीन का पट्टा दिया, लेकिन जब 1977 में हमारी सरकार बदली, जनता रिजीम आया तो वे पट्टे छीन लिये गये, लेकिन आज फिर से वे पट्टे उन को मिल रहे हैं लेकिन जो पैसे वाले आदमी हैं, जागीरदार हैं, जमींदार हैं, जो जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के बड़े मेम्बर हैं—वे इस लिए झगड़ा कर रहे हैं कि वे इन गरीबों को उस निगाह से नहीं देखना चाहते जिस निगाह से श्रीमती इन्दिरा गांधी देखती हैं। आज गरीब लोग इन्दिरा गांधी का नेतृत्व चाहते हैं, क्योंकि इन्दिरा गांधी उन गरीबों की मसीहा है। वह चाहती हैं कि उन के लिये सारे कानून बनाये जायें।

मैं आपको मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहता हूं—20 साल पहले एक ऐसा कानून बना था कि किसी भी आदिवासी या हरिजन की जमीन किसी ने लेनी हो तो उसे सरकार की आज्ञा से ले सकता है। हम ने उस कानून में संशोधन किया कि उस जमीन को हरिजन, आदिवासी को लौटना होगा। अब यह बात उन को अखर रही है, इसी लिए ये झगड़े हो रहे हैं वे किसी भी बात को लेकर उन को डरा धमका रहे हैं।

सभापति महोदय, रोज-रोज यह आदिवासी और हरिजनों के बारे में चर्चा होती है और तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी आज किसी के बहकाने में नहीं आता है, वह अपने कर्त्तव्य को, अपने अधिकार को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है, जब-जब चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह से बातें उठाई जाती हैं। जैसे बरसात में मेढक बाहर बाहर निकल-निकल कर टर्राते हैं, ये लोग चुनाव के दिनों में आ कर तरह-तरह की बातें उठाते हैं लेकिन हमारा आदिवासी इन बातों को जानता है और वह इन के भुलावे में नहीं आता है।

आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में कनाडिया काण्ड हुआ था, हमारे आज के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उस समय वे विरोधी दल के नेता थे, वे वहीं जाकर रहे, वहीं उन्होंने दिवाली मनाई। इस लिये हमारे हरिजन और आदिवासी आज जाग चुके हैं। वे सारे कानूनों को जानते हैं, उन को अब नये कानून या उनके अधिकारों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अवसर पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 33 सालों की आजादी के बाद हमारे देश में एक ऐसा दल है जो लोगों को तीर चलाना, बन्दूक चलाना, हथियार चलाना सिखाता है। मैं जानता हूं—वह किस से लड़ना चाहते हैं? वे गरीबों से लड़ना चाहते हैं। ऐसे दल पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। आज इस हाउस में जो भाषा बोली जाती है क्या यह भाषा बाहर भी बोली जाती है? हम सब मेम्बर्स जिन में अपोजीशन के मेम्बर्स भी शामिल हैं यदि वास्तव में हमारे दिल में उन के लिये दर्द है तो फिर आदिवासियों का सुधार क्यों नहीं होता है। दिक्कत यह है कि

यह भाषा हाउस के अन्दर बोली जाती है, बाहर नहीं बोली जाती है। यदि हाउस के बहार भी बोली जाए तो निश्चित रूप से उन को जो बेनिफिट होना चाहिये वह उन को मिलेगा। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं—एन्टी रिजर्वेशन की आवाज किन लोगों ने उठाई है? जिन लोगों ने एन्टी रिजर्वेशन यूनियन बनाई है ऐसे लोगों की सर्विस को टर्मिनेट कीजिये, उन के खिलाफ कानून बनाइये, तब हम जिस गरीब को ऊपर उठाना चाहते हैं उस को सहारा मिल सकेगा। बार-बार यहां पर ये बातें दोहराई जाती हैं लेकिन मेरी निश्चित मान्यता है, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मैं गरीबों का प्रतिनिधि हूं गरीब आज आक्रोप में है। वह इस देश का निवासी है, वह भी इस देश के लोगों के साथ जिन्दा रहना चाहते हैं, देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहता है। इसलिए जितनी बार इस को दोहराएंगे, यह ठीक नहीं होगा।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि जैसे बन्दूक के लाइसेन्स देने की बात है, तो मेरा कहना यह है कि जितने बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनके आप लाइसेन्स छीन लीजिए। आज तो उनके पास आटोमेटिक वेपन्स हैं और आर्मी के हथियार हैं। उनके पास जो बड़ी बड़ी तोपें हैं और पिस्तौलें हैं, वे सब उनसे छीन लीजिए तो मैं समझता हूं कि यह सारा मामला ठीक हो जाएगा।

प्रो० मधुदंडवते जी ने कुछ गोल मोल करके बातें कही। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं कि हमने छठी पंचवर्षीय योजना में जो आदिवासी, हरिजनों के ट्राइबल सब-प्लान के लिए पैसा रखा है, वह 630 करोड़ रुपए हैं। इससे उनके लिए विकास के कार्य होंगे। हम उनके गांवों में बिजली पहुंचाना चाहते हैं, गांवों में सड़कें बनाना चाहते हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं उन्हें मकान देना चाहते हैं और उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं। मैं इसके आंकड़े देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब आंकड़े मत दीजिए क्योंकि समय कम है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उन लोगों के लिए विकास के कार्य करना चाहते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जितने भी कालेज खुलें और दूसरे ऐसे काम हों, वे वहां पर होने चाहिए। हरिजन, आदिवासी और पिछड़े एरिया में वे कालेज खुलने चाहिए और जो भी कानून बनाए जाएं, उनके इम्पलीमेंटेशन के लिए कोई मशीनरी होनी चाहिए और अगर वह सही काम न करे, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जितने भी हरिजन, आदिवासियों के लिए आप कानून बनाएं, तेजी से उन पर अमल हो ताकि उनको बैनीफिट मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

1907 **श्री सूर्य नारायण सिंह** (बलिया) : हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार और हत्याकांड हो रहे हैं और जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वे निहायत ही शर्मनाक हैं और लोमहर्षक हैं।

इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने आंकड़ों की वाजीगिरी के जरिये इस बात को साबित करने की कोशिश की है हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचारों की वारदातें हुई हैं, उनमें कमी हुई है। आज जो ग्रामीण जीवन की वास्तविकता है, उनके आंकड़ों से ऐसा लगता है कि इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और उससे इन्कार किया जा रहा है। यहां पर बहुत से प्रमाण दिए गए और बहुत से उदाहरण पेश किए गए कि पिछले दिनों में सम्पूर्ण देश के अन्दर कितनी घटनाएं घटी हैं और आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। मैं सिर्फ दो-तीन घटनाओं की चर्चा करना चाहूंगा जिसका सम्बन्ध मेरे जिले से और आस-पास के जिले से है। मधुबनी, भोजपुर और गया में घटनाएं घटी हैं और ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं जिनकी चर्चा हो चुकी है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैंने पहले भी इस की चर्चा की है और इस सदन को बताया है कि खगड़िया जिला के चौथम अंचल में अग्रहण गांव में क्या घटना घटी थी। वहां पर हरिजनों और गांव के जमींदारों में बटाईदारी का झगड़ा चल रहा था। यह खुशी की बात है कि उनको बटाईदारी का हक दिया गया और उसके लिए उनको पर्चा दिया गया। पर्चा मिलने के बाद जो बटाईदार हरिजन थे, वे अपनी जमीन जोतने के लिए वहां गए, तो जमींदारों ने अपने गुंडों से उनको पिटवाया। पुलिस, जिसका नेता वहाँ का सब इन्स्पेक्टर था और जिसका नाम सीता राम दास है, वहाँ पर बटाईदारों की हिफाजत के लिए नहीं थी बल्कि वह वहाँ पर इसलिए था कि बटाईदारों को कैसे बदखल किया जाए और जमींदारों की मदद की जाए। वहाँ पर यह अफसोसनाक घटना घटी और मेदनी शाह, जो बटाईदारों का नेता था, उसको गुंड़ों ने नहीं मारा बल्कि पुलिस ने उसकी हत्या की और सीता राम दास के नेतृत्व में उसकी हत्या हुई। क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता है कि जिस समय मैदनी शाह की हत्या हो रही थी, तो वहाँ उसकी पत्नी आंखों में आंसू बहाए बेसहारा यह देख रही थी। आप हरिजनों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने की बात करते हैं ? अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो हरिजनों पर अत्याचार कैसे कम हो सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जब जनता ने आन्दोलन किया तब उस दरोगा को स्थानांतरित किया और कुछ ही दिनों के बाद एक मंत्री का वरद्हस्त होने के कारण फिर से उसे चौथम भेज दिया गया। इसके बाद दूसरी अग्रहन में घटना घटी जब बटाई की जमीन पर घास काटने के लिए एक हरिजन लड़की, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, गई तो उसके साथ गुंडों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसकी गर्दन काट दी। इसके लिए जब उसके मां-बाप रोते-बिलखते थाने में गए तो दरोगा** ने जिसने मेदनी शाह की हत्या की थी, मुकदमा लेने करने से इन्कार किया और बाद में खगड़िया एस पी के यहां मुकदमा दर्ज किया गया।

दूसरी घटना जनता शासन काल की है। बाजितपुर में वहां के सामन्त दुर्गाप्रसाद ने गुण्डों की सहायता से हरिजनों का गांव उजाड़ दिया और हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उसको एक दिन भी जेल नहीं जाना पड़ा। अभी कोर्ट ने फैसला किया है कि दुर्गाप्रसाद के पास 500 एकड़ फाजिल जमीन है, जिसका बटवारा होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य है कि पुलिस गेहूं कटवाने में मदद करने के लिए गई और बटाईदारों, भूमिहीनों पर तरह-तरह के मुकदमे में

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

फंसाकर जेल भेज दिया गया। दुर्गाप्रसाद की मदद यहां तक की गई कि हरिजन बटाईदारों के नेता रामजीवन ठाकुर को नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

इन दो घटनाओं की चर्चा मैंने की है, मगर ऐसी और कई घटनाएँ हैं। माननीय मित्रों ने उनकी तरफ ध्यान दिलाया है और आंकड़े भी पेश किए हैं।

19.13 (माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 35 वर्षों की आजादी के बाद भी आज इतने बड़े हरिजन-आदिवासियों के समूह को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। आज भी उनकी इज्जत दांव पर क्यों लगी है। आज भी उन पर अत्याचार होते हैं और हत्याएं होती हैं। वर्ण-व्यवस्था का अभिशाप, छुआछूत सामाजिक असमानता और दूसरी व्याधियां आज भी कायम हैं। हमारे समाज में क्यों नहीं इनको रोका जाता। आपने अनेक कानून बनाए हैं और बराबर आप हरिजनों की दुहाई देते हैं, लेकिन गांवों के अंदर अर्थ-तंत्र, के अन्दर, ग्रामीण अर्थ-तन्त्र के अन्दर कृषि अर्थ तंत्र को—बदलने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनमें आपको सफलता क्यों नहीं मिली है। कई बार इस बात को कहा गया है कि लैण्ड रिफार्म एक्ट के अंदर जो खामियां हैं, जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्लानिंग कमीशन के अनुसार 215 लाख एकड़ फाजिल जमीन में से केवल 18 लाख एकड़ जमीन का बटवारा ही क्यों किया गया। गांवों के भूमि सम्बन्धों में परिवर्तन के लिए कोई कानूनी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आप सहायता कर रहे हैं भू-स्वामियों की और बटाईदारों को बेदखल किया जा रहा है। बेदखली जारी है और उनके नेता मारे जा रहे हैं। आज भी ऐसा क्यों हो रहा है कि 60 प्रतिशत परिवारों के हाथ में टोटल कल्टीवेबिल लैण्ड का केवल 10 प्रतिशत ही है और 9·3% परिवार के हाथ में 50% से अधिक प्रतिशत जमीन है। आप दावा कर रहे हैं सामाजिक असमानता को दूर करने का। मगर आज भी 50 फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज भी गांव के बड़े भू-स्वामी और तत्व अधसामन्ती अपने समाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषाधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं है और उनको बढ़ाना चाहते हैं और उनका प्रभाव पुलिस, प्रशासन में होने की वजह से हरिजनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। क्या जबाव है आपके पास इतनी हत्याएं हुई हैं, क्या आप कह सकते हैं कि किसी जमींदार या उसके परिवार के किसी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, उसको सजा दी गई है ? कानून अगर अक्षम है तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में आप कार्यवाही क्यों नहीं करते। आखिर वह कानून किस लिए है ? किसी एक की भी बन्दूक या रायफल का लाइसेंस क्यों जब्त नहीं किया गया ? उन लोगों के पास सौफिस्टीकेटड आर्म्स लाइसेंस्ड और अन-लाइसेंस्ड, प्रचुर मात्रा में हैं। पुलिस, मैजिस्ट्रेसी प्रशासन उनके साथ है, और यही नहीं मंत्री भी उनके साथ हैं। इसके बाद भी आप कहते हैं कि हम बहुत चिंतित हैं कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपने जो कानून बनाया है ऐग्रेरियन स्ट्रक्चर को बदलने का उसका एक लाजिमी नतीजा निकला है कि जमीन सिमट गई है कुछ लोगों के हाथों में और जब तक उनका इजारेदारी को नहीं तोड़ेंगे तब तक अत्याचार कभी खत्म नहीं हो सकता।

न्यूनतम गजदूरी कानून आपने बनाया। सदन में कहा गया कि व्यापक कानून बनाना चाहिए। मगर बनाने से आपने इन्कार किया। न्यूनतम मजदूरी कानून क्यों नहीं लागू होता? आज 35 साल की आजादी के बाद भी ऐसे इलाके हैं जहां खेत मजदूरों को 1 रु० और उससे कम मजदूरी मिलती है और आज भी वे अपमानजनक जिन्दगी बिताते हैं जो सामन्तों के सामने जूता पहन कर नहीं चल सकते, छाता लगाकर नहीं निकल सकते।

आज जो एक नया जागरण 35 साल की आजादी के बाद पैदा हुआ है, एक स्वतन्त्र वातावरण में जीवन बिताने का जो मन्सूबा पैदा हुआ है हरिजनों और आदिवासियों में जिसने उनको प्रेरणा दी है सामन्ती जुल्म का मुकाबला करने के लिए यही कारण है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आज वह लाचारी और बेवसी के आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके पहले कि कोई भयानक विस्फोट देश में हो हम चाहते हैं कि आप काफी गम्भीरता-पूर्वक इस प्रश्न पर विचार हो ताकि इस परिस्थिति पर काबू पाया जा सके ताकि जो सदियों से गुलामी कीजिन्दगी बिता रहे हैं उनको भी इन्सानियत की जिन्दगी बिताने का मौका मिल सके। इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की आवश्यकता है।

अगर आप चाहते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार बन्द हों, हत्याओं का सिलसिला बन्द हो तो आपको भूमिसुधार कानून में आवश्यक परिवर्तन के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उसको लागू करने के लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे, जिसकी पहली शर्त यह है कि ऐसे प्रति बद्ध अफसर जो भूमिसुधार में विश्वास रखते हैं, जिनको गरीबों के साथ हमदर्दी है, उनको बहाल किया जाए। स्पेशल कोर्टस, जिसके बारे में चर्चा यहां हो चुकी है, उसके जरिए आप इसको निष्पादन करने की कोशिश कीजिए।

ऐसा वृहत और व्यापक कानून बनाइये जिसमें ट्रेड यूनियन अधिकार, वृद्धावस्था पेंशन, बन्धुआ मजदूरी से मुक्ति और एक अलग श्रम विभाग की स्थापना, न्यूनतम मजदूरी कानून वगैरह चीजों का प्रावधान उसमें हो, तभी यह बात रुक सकती हैं।

मैं प्रोफेसर दंडवते की इस भावना के साथ हूं कि सिर्फ ला एंड आर्डर का सवाल बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आज इस बात की आवश्यकता है कि एक वातावरण पूरे देश में बनाया जाए। एक व्यापक लामबन्दी उन लोगों की हो जो इसमें विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और हरिजनों की बेहतर जिन्दगी की कामना करते हैं। उनकी लामबन्दी हो ताकि इस पर काबू पाया जा सके। धन्यवाद।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर): डिप्टी स्पीकर साहब, श्री सूरज भान ने हरिजनों पर एट्रोसिटीज के बारे में जो कुछ कहा है, उसे सुनकर मुझे हार्ट अटैक सा हो गया है। श्री दंडवते और श्री स्वामी ने जो बोला, उसमें जान थी, लेकिन श्री सूरजभान ने जो इंसटांस पेश किए, उसमें

इतनी बुरी बात बताई कि ऐसे-ऐसे हुआ है, वह मैं सुन नही सकता था, मुझे लग रहा था कि जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो।

श्री दंडवते ने बड़ा सोना बोला, और श्री स्वामी ने बड़ा शानदार बोला है कि किस वजह से लड़ाई हो रही है। ऐसा सोना अपोजिशन से बोलना अच्छी बात है। हमारे भाई भी बड़ा शानदार बोले हैं। श्री पनिकर अच्छा बोले लेकिन अब चले गए हैं। श्री दिलीप सिंह भूरिया बोले हैं कि बड़े पैसे मिल गए हैं। अगर पैसे मिल गए हैं तो जाओ घर को, तुम्हारा काम हो गया है। प्रकृति के अनुरूप होने का अर्थ है अवरोध और मृत्यु। मनुष्य ने मकान कैसे बनाए ? प्रकृति से विरुद्धल ड़कर या उसके अनुरूप चलकर ? नहीं-नहीं प्रकृति के विरुद्ध लड़कर। यह प्रकृति के विरुद्ध सतत संघर्ष ही है, न कि उसके समनुरूप होकर, जिससे कि मानव उन्नति कर सका है।

इतनी बुरी हालत है कि मैं हैरान हूं। जब मैं मिनिस्टर था तो बाहर जाता था। कांग्रेस ही कांग्रेस के लोग होते थे और कोई होता नहीं था। मैंने हरिजनों को इकट्ठा करके कहा कि यह कांग्रेस वाले ही तुम्हारे दुश्मन हैं और कोई नहीं है। ये बड़े चालाक आदमी हैं, इन्होंने लैंड रिफार्म नहीं देनी है। इन्होंने सिर्फ वोट लेने हैं और कुछ नहीं करना है। मैं इनका कोई काम नहीं करूंगा, आपकी वजह से आया हूं, आपका काम करूंगा। उसका नतीजा यह हुआ कि उनमें मैंने जान डाल दी। लैंड रिफार्म कहते हैं प्रताप सिंह ने किया, मैंने कहा कि प्रताप सिंह ने क्या किया। मेरी सीधी दोस्ती पं० जवाहरलाल नेहरू से थी। कुछ हरिजन ऐसे ही हैं, मैंने कहा कि बेवकूफ हैं, इनसे हमारी ताकत बननी नहीं है। मैं किसी अच्छे आदमी के साथ बात कर लूं। पंडित जी से मैंने दोस्ती गांठ ली। मैंने प्रताप सिंह को कहा कि जमीन दो, जमीन हमें मिल गई हरियाणे में भी मिली है। वहां कांड हुआ, हम लड़ाई करते हैं, कोई आदमी हमें मार नहीं सकता। आप भी वहां मारते क्यों नहीं हो।

ये ** आदमी, 25, 25 साल के आदमी यहां पार्लियामेंट के मेम्बर बन गए हैं, ये स्टेटों में क्यों नहीं लड़ाई करते ? क्या होम मिनिस्टर करते रहेंगे। मैं बड़ा हैरान हूं, कि जब स्टेट में हम ठीक कर सकते हैं तो वह सिलसिला ठीक हो सकता है, यहां क्या होगा ?

यहां पर इस बारे में कोई कानून नहीं बन सकता। कहा जाता है कि हरिजनों पर जुल्म होता है। जो जुल्म सहन करता है, वह ज्यादा जिम्मेदार है बनिस्वत उसके जो जुल्म करता है। जो तकलीफ सह सकता है, उसे जूते पड़ेंगे। मैंने अपने शहर में कहा था कि आप लोग हमारी बेइज्जती करो, हरिजनों को मारो, एम० एल० ए० को मारो, इतना मारो कि हमारी बेइज्जती का स्टोर खत्म हो जाए। फिर हमारी बारी आएगी, तो हम मारेंगे।

जिन लोगों की स्टेट जुल्म में होता है, वे यहां पर क्यों शिकायत करते हैं ? वही लोग एम० एल० ए०, एम० पी० और मिनिस्टर हैं। उन्हें इन्साफ कौन देगा ? हमने जो कुछ

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

लेना है, वह लड़ाई करके लेना होगा। महात्मा गांधी ने हमें पोलीटिकल अधिकार दिए थे, इकानोमिक ताकत नहीं दी। उसके लिए हमने लड़ना है। इन लोगों में जान नहीं है। ये लोग झूठी तारीफ करते हैं। ये फिगर्ज बताते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट में इतने केसिज हुए और हमारी गवर्नमेंट में इतने केसिज हुए। इन्हें साफ बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट का कुसूर है। कहते हैं कि हमारे लिए सिम्पेथी है। मैं जानता हूं कि क्या सिम्पेथी है। हैरानी की बात है कि हरिजन भी ऐसी बात करते है। अगर उन्हें बहुत कुछ मिल गया हैं, तो वे घर चले जाएं।

"कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार सविनय प्राप्त नहीं कर सकता अधिकार अनिच्छुक हाथों से छीने जाते हैं।"

अगर अपोजीशन स्ट्रांग हो, तो गवर्नमेंट ठीक हो सकती है। हमें तो अपने लीडर पर विश्वास है। इन लोगों के तो कई लीडर हैं और उन पर विश्वास नहीं है। इनका एक लीडर होगा, तो ये स्ट्रांग होंगे। जब वे स्ट्रांग होंगे, तब हम भी ठीक होंगे।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है: "जिसे आस्था है उसके पास सब कुछ है, ईश्वर के प्रति आस्था से ही अद्भुत कार्य सम्पन्न होते हैं, आस्था जीवन है, संदेह मृत्यु।"

जब आप तगड़े होंगे, तो गवर्नमेंट को खतरा होगा कि उसे हटाया जा सकता है और तब वह ठीक हो जाएगी, वर्ना वह ठीक नहीं हो सकती। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में ऐसी बातें होतीं, तो क्या वह चुप बैठे रहते ? अब तो यह हालत है

हंस सी सो लद गए, अब कौंगां भए दीवान

जाओ विप्र घर अपने, शेर किदे जजमान।

क्या इतने जुल्म की बातें सुन कर भी आदमी खाना खा सकता है ? हरिजनों का, उनकी औरतों का, बुरा हाल हुआ है। यह कुसूर हरिजनों का है। जिनके हाथ में सम्पत्ति है, जमीन है, ताकत है, वे नहीं देंगे। इसलिए जिनके पास जमीन है, जिनके पास मकान है, जिनके पास ताकत है वह कैसे आपको देंगे ? वह लेनी पड़ेगी, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

देखिए, यह जो हमारे डोगरा साहब हैं यह जम्मू और काश्मीर में फाईनेंस मिनिस्टर भी थे और ला मिनिस्टर भी थे। इन्होंने जमीन बगैर मुआवजे के जिस के कब्जे में थी वह उन सब को बांट दी और जिस जिस जमीन पर रास्ता नहीं था, इन्होंने कहा, जो डी सी है वह दस गुना मुआवजा दे कर वहां रास्ता निकाल सकता है, जमीन ऐक्वायर कर सकता है। वहां लैंड रिफार्म का काम हुआ था। यहां पंजाब में कौन करने देगा ? जमींदार करने देंगे ? बिल्कुल नहीं करने देंगे। जिनके पास हुकूमत का मुद्दा है वह आपको दे देंगे ? कभी नहीं देंगे। तो मैं यह कहता हूं कि किसी का कसूर नहीं है, जितना कुसूर है हरिजनों का कुसूर है या यहां जो ऐसे आदमी पार्लियामेंट में आए हैं उनका कुसूर है जो जरा भी यहां आकर नहीं बोल सकते। बोलते

हैं तो तारीफें करते हैं या क्या क्या बातें करते हैं ? कोई हरिजनों के अलावा दूसरा बोले तो दूसरी बात है क्योंकि उन्हें तो हरिजनों को और हमको एक्सप्लायट करना है। आपको भी उन्हें एक्सप्लायट करना है। हरिजनों को एक्सप्लायट करके वोट ली जानी हैं और मैं आपको बता दूं : "मैं दूसरों को धोखा देने की अपेक्षा दूसरों से धोखा खाना पसंद करता हूं।"

हम नहीं एक्सप्लायट करेंगे आपको। यह सच्चा उसूल है परमात्मा का कि जो आदमी ऐसा करेगा उसका भुगतान भी उसको देना पड़ेगा। मौरल जो है वह तो कोई रहा नहीं किसी का दण्डवते साहब, कोई कैरेक्टर नहीं रहा किसी का। बड़ा होपलेस केस है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ऐक्शन में इस दौरान जो कोई अच्छा काम कर जाएगा वह याद रहेगा। पार्टी की कोई बात नहीं है। देखिए, रंगा साहब पार्टी की बात कभी करते हैं ? नेक आदमी हैं, नेक बात करते हैं। आप भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। इसलिए जहां भी कोई बात हो, लड़ाई भी हो या जो भी बात हो साफ हो।

"सत्य का अनुसरण करो कि यह आपका मार्गदर्शन करे; अपने विचारों का नितांत तर्क-संगत निकर्ष निकालो।

पाखण्ड से परे रहो और तुम निश्चित रूप से सफल होगे।" सीधी बात है। यह स्वामी विवेकानन्द ने कहा है :

"कोई भी कर्म जो हमें ब्रह्म वाणी दे वह उत्तम कर्म है और यह हमारा कर्तव्य है, जो कर्म हमें गिराता है वह बुराई है; और वह हमारा कर्तव्य नहीं है।"

"अपने अन्तःकरण से छल न करो; सत्यनिष्ट रहो और अपने अन्तःकरण के अनुसार कर्म कर तुम अवश्य सफल होंगे।"

फिर तो चटपट फैसला कर सकते हो कि कौन-सा काम करें। आपको परमात्मा से भी डरना है। वह काम करें जो आपकी कांसिश कहे। अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारी कांसिश कहेगी कि तुम यह गलत काम कर रहे हो।

इसलिए यह चार दिन की चांदनी है चौधरी साहब, फिर अंधेरी रात है। डेमोक्रेसी जो है मेरी इसी बात पर लड़ाई हो गई प्रताप सिंह कैरों से। उस ने कहा कि तुम्हें क्या पता कि डेमोक्रेसी क्या है ? मैंने कहा कि मैं बताऊं कि डेमोक्रेसी क्या है ? कहा बताओ। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब तो यह कि कभी मैं चीफ मिनिस्टर, कभी तुम चीफ मिनिस्टर। अगर तुम्हीं हमेशा चीफ मिनिस्टर बने रहे तो यह डेमोक्रेसी नहीं है, यह डिक्टेटरशिप है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जब आप बैठा करिए तो मुझे टाइम दिया करिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं। मैं तो कोई अच्छी बात कहता हूं जो किसी के काम आ जाए।

जहां तक गरीबों का ताल्लुक है, गरीबों का काम जो करता है वह सब से आगे माना जाता है। महात्मा गांधी हिन्दुस्तान में सबसे आगे किस तरह कहलाते थे ? महात्मा गांधी का

यह उसूल था कि कोई गन्दे से गन्दा काम क्यों न हो, उसे मैं अपने हाथ से करूं। इसलिए वह अपनी टट्टी खुद साफ करते थे। इसलिए वह इंसानी तौर पर सब से ऊंचे हो गए। अंग्रेजों से भी ऊंचे हो गए। जब अंग्रेज से भी ऊंचे हो गए तो अंग्रेज को हिन्दुस्तान से बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया तो हिन्दुस्तानियों का राज हो गया। नहीं तो बड़े-बड़े लैक्चरार थे, पंडित जवाहर लाल भी उन से लड़ते थे तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत चालाक हो, किनारे हो जाओ। तब वह सीधे हुए थे। इसलिए जो मौरल है, जो कैरेक्टर है वह ऊंचा होना चाहिए। वह आज नहीं है। और यह जो एजूकेशन है यह जितनी लम्बी होगी :

"चारित्रिक गुणों से हीन शिक्षा बुराई को बढ़ावा देती है, जैसा कि विश्व के प्रतिभाशाली चोरों और सज्जन धूर्तों के बहुत से उदाहरणो में देखा गया है।"

(व्यवधान)

सुब्रह्मण्यम स्वामी भी बहुत शानदार बोलते रहे। मैं बड़ा खुश हूं।

डा० स्वामी ने तो कमाल कर दिया। मैं पूछता हूं कोर्ट कौन बनाएगा और उससे क्या होगा। अगर मार ही खानी है तो खाते चले जाओ। मैं तो कहता हूं कि लड़ाई करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर औरतों के साथ बेइज्जती हो तो उसके लिए मर जाना चाहिए। आज जिसके पास जमीन है उसके पास लाठी भी है। जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। 1947 में जब मैं पार्लियामेंट में आया था तब मैंने पं० जवाहर लाल नेहरू से कह दिया था कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझ से पूछा कि क्या चाहिए तो मैंने कह दिया बस मुलाकात; और कुछ नहीं चाहिए। पं० जवाहर लाल नेहरू से मैं मिलता था और सारे काम कर लेता था। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा स्टैटस जो गिर गया था उसको ठीक कर दो।

मैं समझता हूं जो परमात्मा के पास जाना चाहता है : हमें ईश्वर को कहां ढूंढना है ? क्या गरीब, असहाय दलित ईश्वर नहीं हैं। यदि कोई विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता और अनाथ के मुंह में भोजन का एक टुकड़ा नहीं डाल सकता तो उसका ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए।

सीधी-सी-बात यह है कि जो गरीबों को मानता है वह सभी को मानता है। महात्मा गांधी ने कहा था :

> "मैं पुनर्जन्म नहीं चाहता, अगर मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा तो मैं अछूत के रूप में पैदा होऊ जिससे मैं उनकी मुसीबतों, यातनाओं को बांट सकूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर मैं फिर पैदा होऊ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में नहीं बल्कि 'आदि शूद्र के रूप में।" उन्होंने अतिशूद्र बनना चाहा था।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुन्दर सिंह मैंने अपना वादा पूरा किया है और मैंने आपको वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया है। अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं इस सदन में शायद 5 ता 6 बार हमने इस समस्या के ऊपर पिछले एक साल के अन्दर बहस की है, लेकिन बहस के बाद भी कोई मामला हल नहीं हो रहा है, बल्कि समस्या और ज्यादा गम्भीर होती जा रही है। मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं यह सवाल ऐसा है जिस पर सारा सदन सहमत है तथा एक मत से लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है—आज बराबर हमारे देश का नाम अगर किसी चीज से गिर रहा है, कोई कलंक देश पर लग रहा है तो वह यह है कि हमारे देश के विभिन्न भागों में हमारे गरीब भाइयों पर, जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हैं, उन पर हमले बराबर बढ़ रहे हैं।

गृह मंत्री जी, एक बात पर गौर कीजिए, पिछले 5 वर्षों के अन्दर इस देश में जितने हमले, जितनी हत्याएं, जितने बलात्कार हुए, छोटे-छोटे निरीह बच्चों पर, बूढ़ी औरतों पर, नौजवान युवकों पर, उनके घर जलाए गए, जितना पिछले पांच सालों में हुआ उतना पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है ? जब हम आगे बढ़ रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है—इस बात का हम दावा करते हैं, तो फिर क्या कारण है कि देश का उत्पादन बढ़े, देश तरक्की करे, उद्योग-धन्धे बढ़ें, देश की दौलत बढ़े, फिर भी गरीब, पिछड़े, निरीह वर्गों पर अत्याचार बढ़ते जाएं—इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा।

श्रीमन्, मैं इस समस्या के विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सभी आंकड़े यहां पर दिये जा चुके हैं। प्रो० मधु दण्डवते साहब ने जिस तरह से एक भावनायुक्त तरीके से इस बात को आपके सामने रखा है तथा जिस तरह से डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक बुनियादी सवाल को उठाया है और अभी मुझसे पहले चौधरी सुन्दर सिंह ने चाहे जिस तरह से हो, काफी बुनियादी सवालों की तरफ ध्यान खींचा है···

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने भी रखा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : रामविलास जी, मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस सवाल पर आपकी भावना के बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं है, आप एक ऐसे नौजवान हैं जो बराबर एक जज्बे और भावना के साथ सब बातों को उठाते हैं, सारा सदन इस बात से सहमत है।

इसलिए सबसे पहली चीज जिस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, मैं यह महसूस करता हूं कि आप के प्रशासन का जो स्वरूप है, उसका जो चरित्र है, वह हरिजन विरोधी है। आम तौर से जो नीचे के अधिकारी होते हैं, चाहे पुलिस का दरोगा हो, चाहे पुलिस का सिपाही हो, और चाहे नीचे के दूसरे काम करने वाले हों जिनका विकास से सम्बन्ध होता है, उनके मन में हरिजनों के प्रति हमदर्दी नहीं है। वे शिकार हैं—हरिजनों के प्रति उपेक्षा, द्वेष, उनको छोटा समझने, उनके प्रति ईर्ष्या रखने की भावना से। इस भावना को पूरी तरह से बदलना होगा।

मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं—आज भूमि सुधार से ही काम नहीं चलेगा। आप जमीन चाहे 15 लाख में बांटिए या 20 लाख में बांटिए, उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि आपको इस पर थोड़ा संजीदगी से विचार करना होगा। इस देश की 25 फीसदी जमीन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में बांटिये। इसके लिए कानून बनाना है तो बनाइये, पार्लियामेंट में ऐसा कानून लाइए कि इस देश में खेती के योग्य जो जमीन है उसका 25 फीसदी इन लोगों को एलाट की जाये, तब उनके अन्दर सुधार आएगा। जब तक वे जमीन के अन्दर हिस्सेदार नहीं होते तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि वे सही मायनों में तरक्की करें, हजारों सालों से जिनका शोषण होता आया है, कुत्ते और बिल्ली के झूठे बर्तनों को साफ करके उनमें आदमी पानी पी सकता है, लेकिन यदि कोई हरिजन का बेटा किसी बर्तन में पानी पी ले तो वह फेंक देते हैं, उस समाज को ऊपर उठाना है तो थोड़ा हथौड़ा चलाना पड़ेगा। जो सामाजिक कुरीतियां हजारों सालों से जड़ जमा कर बैठी हैं उनको उखाड़कर फेंकना होगा और इसके लिए 25 फीसदी खेती योग्य जमीन उनको एलाट कीजिए और देखिए, इस सदन में उसका कौन विरोध करता है। लेकिन क्या आपके अन्दर हिम्मत है ?

आप आंकड़े निकाल कर देखिये—हरिजनों पर अत्याचार कहां होते हैं ? जिन इलाकों में बड़े-बड़े भूमिधारी और सामन्त रहते हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, वहां का गरीब आज भी भिखारी बना हुआ है। उसके पास रहने के लिए झोंपड़ा भी नहीं है, मजदूरी मांगने जाता है तो उस पर अत्याचार होते हैं। सारी की सारी पुलिस और सरकार की मशीन उसके कब्जे में है, उसके प्रभाव के अन्दर है। वह गरीब सरकारी कर्मचारियों और इन सामन्तों के गठबन्धन का शिकार है। इन दोनों का गठबन्धन मजबूत होता जा रहा है। 20 प्रतिशत आदमी है जो सत्ता में है, जिनकी दौलत बढ़ती जा रही और 80 प्रतिशत लोग गरीब हैं। दुर्भाग्य है कि आज हरिजन कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इनकी आवाज को उठाया था। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इन गरीब, पददलितों के लिए आवाज उठाई थी और उसके बाद कांग्रेस ने कुछ काम उनके लिए करना भी शुरू किया लेकिन विरोधी दल के लोग हरिजनों, को संगठित न कर सके। गरीब हरिजन ज्यादातर कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन जो मुख्य लड़ाई है, आर्थिक आजादी और आर्थिक समता की जो लड़ाई है, उसके लिए वह अपने आपको संगठित नहीं कर सका। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का नक्शा बदल सकता है अगर ये मिलकर अन्य वर्गों के साथ अपने हालत को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ें और इन में इस तरह की भावना आ जाए लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसा नहीं हुआ है और इसके लिए हम सब भी जिम्मेवार हैं। आज जो इनको कुचला जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है, वह इस कारण से कि इन का कोई संगठन नहीं है। आज इनमें वह समझदारी पैदा नहीं हुई है कि दूसरों के साथ मिलकर अपने लिए आर्थिक समता की लड़ाई लड़ सकें।

एक तीसरा कारण यह है कि अपराध करने वाला अपराधी छूट जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि साढूपुर में और देवली में जो अपराधी थे, उनको अभी तक सजा क्यों नहीं हुई है।

दूसरी कोई सरकार होती, तो इन हत्यारों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया होता। यह क्या हो रहा है। साल-साल बीत गये और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई और उनको सजा नहीं हो सकी। आप कानून बदलिये। इतनी सारी बातें सुनने के बाद, आप कोई कानून लाएं और आप स्पैशल ट्रिब्यूनल बनाइये खास तौर से हरिजनों पर जो अपराध होते हैं उनके लिए और जो कम्युनल रायट्स होते हैं उनके लिए और उनसे कहिए कि तीन महीने में पूरी जाँच होने के बाद सजा दे दें। कानून बदलने हों तो कानून बदलिये और प्रशासन में परिवर्तन करना हो, तो वह करिए। इस तरह से आप नहीं करेंगे, तो कल को समाज में जो एक निराशा की भावना पैदा हो रही है और उस से हमारी राष्ट्रीय एकता को भी खतरा पैदा हो रहा है। अगर इन गरीब लोगों के मन में एक निराशा पैदा होती है कि ये लूटने वाले, मारने वाले, शोषण करने वाले और तबाह करने वाले सब कुछ कर सकते हैं और पैसे के बल पर, ताकत के बल पर और अपने सम्बन्धों के बल पर वे इस से बच निकल सकते हैं, तो फिर एक आग उठेगी और आग उठेगी, तो फिर यह राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी।

कितनी अमानवीय बात यह है कि इनकी महिलाओं के गर्भ में तीन, तीन महीने का बच्चा हो और उसके साथ रेप किया जाए। जो हरिजन बुढ्ढी औरतें हैं, नव विवाहित औरतें हैं, बेटियाँ हैं, उनकी लाज भी ईंटों के भट्टों पर, खेतों में और खलिहानों में सुरक्षित नहीं है। जब ऐसी बातें देश में होती हैं, तो फिर इस देश का क्या बनेगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं और दुख के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से दुनिया में हिन्दुस्तान की आवाज सुनी जाती है, अगर इस तरह की बातें यहां पर हुईं तो हमारी आवाज की कोई कद्र नहीं होगी। हम किस मुंह से कह सकते हैं कि नीगरों के साथ अन्याय हो रहा है जबकि हमारे ही देश में इस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा हो।

में दो तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं फिर से दोहरा कर कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात का कानून बनाये कि इस देश के किसी भी भाग में जहां पर हरिजनों पर ऐसी ज्यादती हो, इस तरह के अत्याचार हों, उनकी हत्या हो, उनके मकानों को जलाया जाए, ऐसा अपराध करने वाले को तीन महीने के अन्दर मुकदमे की सुनवाई करके सजा होनी चाहिए। मुकदमे का फैसला तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिए और ऐसे अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इस के लिए या तो आप नया कानून बनाइये या जो कानून है, उसको बदलिये।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि नीचे के स्तर के प्रशासन का पूरा का पूरा ढांचा सरकार को बदलना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में हरिजनों को, माइनोरिटीज को प्रशासन में उन का हिस्सा नहीं मिला है।

मैं जानता हूं कि आप के दिल में दर्द है और आप इसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्वार्थी तत्त्व हावी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के प्रदेश में 68 प्रतिशत रिजर्वेशन है, 50 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज

के लिए और 18 प्रतिशत हरिजनों के लिए। क्या वहां 68 प्रतिशत रिजर्वेशन होने से प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है ? किसी से खराब नहीं है। वे वहां हिस्सेदार बन गए हैं। आज एक गरीब का लड़का इंजीनियर, डाक्टर या दूसरा बड़ा अफसर बन गया, तो हो सकता है कि कहीं किसी गरीब हरिजन से कोई गलती हो गई हो लेकिन यह कहना कि सब हरिजन नालायक हैं, सारे के सारे, यह कहां तक सही है। मैं इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता मगर मुझे आप एक भी केस ऐसा बता दें कि किसी हरिजन डाक्टर ने किसी से सांठ-गांठ करके किसी की जान ले ली या आपरेशन की टेबिल पर उसकी वजह से किसी की जान चली गई या उस ने किसी से रुपया मांगा या किसी हरिजन ने किसी की जमीन फर्जी नोट कर ली। जब ऐसी बात नहीं है तो फिर आप इस को करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। मुट्ठी भर 10 फीसदी ऊंची जातियों के लोग ही ऐसे पदों पर हैं और उस में भी केवल 2 फीसदी उन ऊंची जातियों के गरीब लोग हैं और बाकी पर सब अमीरों के आदमी बैठे हुए हैं। प्रशासन में उन जातियों के गरीब लोगों को भी कोई हिस्सा सही माइने में नहीं मिल रहा है। इसलिए इस पूरे के पूरे ढांचे को बदलने पर मौलिक रूप से विचार करना चाहिए और प्रशासन के इस ढांचे को आप बदलिए। जो गरीब है, जो हरिजन है, उन से सहकारिता के आधार पर आप खेती करवाइये और अगर सहकारिता के आधार पर खेती नहीं हो सकती, तो उन को मिलाकर ट्यूबवैल दीजिए, उनको थ्रेसर दे दीजिए, ट्रेक्टर दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, बीज और खाद दे दीजिए, वे एक साथ मिल कर काम करने के आदी हैं, उनको कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर पैसा दे दीजिए और फिर देखिए कि उनकी हालत सुधरती है या नहीं।

आप इस प्रकार के नियम बनाएं कि यदि आपके पास नौकरियां कम हैं तब भी आप गरीब और भूमिहीन हरिजनों को प्राथमिकता दें। यदि आपके पास 10 नौकरियां हैं और 5 हरिजन परिवारों के पास जमीन नहीं है तो उनको पहले प्राथमिकता दीजिए।

आप सबको ओल्ड-एज पेंशन नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा प्रावधान तो कर सकते हैं कि प्रत्येक 55 वर्ष के हरिजनों को आप ओल्ड-एज पेंशन देंगे। लैण्ड-लैस लेबरर को ओल्ड-एज पेंशन दीजिए। केरल की सरकार लैण्ड-लैस लेबरर को और बेरोजगारों को भत्ता दे सकती है तो केन्द्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि आप भीख नहीं देना चाहते-दान नहीं देना चाहते आप उनका हक भी नहीं देना चाहते और इस तरह की कोई व्यवस्था करना भी नहीं चाहते तो उनको आप देना क्या चाहते हैं ?

इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर संजीदगी से विचार करें और सबसे पहला काम सेशन खत्म होने के बाद यह करें कि सभी मुख्यमन्त्रियों की बैठक सिर्फ इसी कार्य के लिए बुलाएं और उनसे पूछें कि क्यों नहीं जमीन का बटवारा हो रहा है, कितना काम हुआ है हरिजनों के लिए ? कितने हरिजनों के पास झोंपड़ियां नहीं हैं, कितने रिजर्वेशन पूरे नहीं किये गए है ? उनको प्रशासनिक पदों पर क्यों नहीं रखा जाता ? इन सब बातों के लिए एक मीटिंग बुलाइये और पूरा नक्शा सदन के सामने रखिए। 6 बार इस विषय पर बहस हो चुकी है और अगली बार जब इस विषय पर बहस हो तो मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी इस बहस क

शुरू करें और जो भी तथ्य हैं वे सदन के सामने रखें और बताएं कि इस समस्या को हल करने के लिए वे क्या करने जा रहे हैं ?

आखिरी बात—इसके बाद विरोधी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई जाए। हम बैठकर विचार करने के लिए तैयार हैं कि कहां-कहां मौलिक परिवर्तन होने चाहिए। आप किसी भी तरह से बैठिए, चाहे प्रेस को न बताना हो, किसी भी तरह से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, यदि आप मौलिक परिवर्तन के लिए तैयार हैं। अगर मौलिक परिवर्तन नहीं होंगे तो अत्याचार बढ़ेंगे, ज्यादतियाँ बढ़ेंगी, देश में असंतोष बढ़ेगा, निराशा पैदा होगी और मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : नक्सलाइट पैदा होंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : हां, नक्सलाइट ही पैदा होंगे, लेकिन जगन्नाथ मिश्र की सरकार वाले नक्सलाइट नहीं कि गरीब हरिजन अगर पढ़ा लिखा है तो उसको नक्सलाइट करार देकर गोली मार दी जाए। मैं जानता हूं कि आपका तरीका वह नहीं है और जब कहते हैं तो मैं मुझे हंसी नहीं आती, जब आप कहते हैं कि बचपन से मैंने अंग्रेजों के कोड़े खाये हैं, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। गांधी जी ने बराबर राजनीतिक आजादी के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन सामाजिक समता, आर्थिक समता, दरिद्र-नारायण के आंसू पोंछने की बात बराबर उन्होंने की है।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे ला एण्ड आर्डर में परिवर्तन मत करिए, एक सामाजिक, आर्थिक और मौलिक सवाल है और मौलिक परिवर्तन की तरफ अगर आप कदम उठाएंगे तो हम भी आपका सहयोग देंगे। धन्यवाद।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव बहुत महत्त्वपूर्ण है और उनका भाषण राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत है। हम सब इसकी सराहना करते हैं। अब हरिजन पहले की अपेक्षा अधिक प्रबुद्ध हैं। आप जानते हैं कि श्री संजीवैया, थोड़ी सी शिक्षा के द्वारा ही नेहरू के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में यहां मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। श्री बी० एस० मूर्ति, अपनी थोड़ी सी शिक्षा के बल पर ही इस सदन के सफल मंत्री रहे। राज्य सभा के सदस्य श्री पुनैय्या काफी अच्छा भाषण दिया करते थे। हरिजन लोग थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके स्वर्ण जाति के लोगों के स्तर तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय कोष में हरिजनों व गिरिजनों का अंशदान 25 प्रतिशत से अधिक है। हम कहते हैं कि हरित-क्रांति आ गई है, हरिजनों तथा गिरिजनों ने खेतिहर मजदूरों के रूप में अपना योगदान दिया है और उनका अंशदान इसमें 50% से कम नहीं है। यहां मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हरिजनों तथा गिरिजनों को राष्ट्र की कुल आय का 25% दिया जाना चाहिए। अगर यह हो जाए तो, सब ठीक हो जाएगा। जाति कहां है ? आप जानते हैं कि जब बाबू जगजीवन राम, मंत्री थे तो बहुत से उच्च जाति वाले लोग उनके पांव छूते थे। जब कभी बाबू जगजीवन राम उच्च जाति के लोगों को खाने पर बुलाते थे तो वे अपना निमन्त्रण-पत्र

संभाल कर रखते थे जिसे वे अपने गांव और शहरों में लोगों को दिखाते थे कि बाबू जगजीवन राम ने उन्हें रात के खाने आदि के लिए निमन्त्रण दिया है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : वह 1977 से पहले था।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अभी भी लोग उनके पांव छूते हैं। इसका मतलब है कि आदमी पढ़ा लिखा हो और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो, समाज से ये बुराईयाँ अपने-आप जब खत्म हो जाएंगी। यह भारतीय समाज पर एक कलंक है और हम इन बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।

मैं दण्डनीय और अदण्डनीय अपराधों के बारे में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री उन लोगों के विरुद्ध जो हरिजनों पर अत्याचार करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करें। पहले उन्हें जेल भेजा जाए, फिर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए। हमने किस लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पास किया है? यह सिर्फ राष्ट्र विरोधी लोगों के लिए है, जो लोग हरिजनों पर थोड़ा सा भी अत्याचार करते हैं, हत्या की बात तो एक तरफ रहने दें; उन्हें राष्ट्र विरोधी समझा जाना चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष जी, मैं काफी देर से लोगों के विचारों को सुन रहा हूं, बहुत से साथियों ने अच्छे विचार रखे, और कुछ साथियों ने जब शेड्यूल्ड कास्ट की बात आती है, ऐट्रासिटीज की बात आती है तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री अच्छी हैं। मेरी सरकार बहुत अच्छी है, यह कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि सारा अत्याचार वही है क्या, या इसका असर उन पर पड़ने वाला है क्या। गृह मंत्री माननीय जैल सिंह हैं, लेकिन लगता है कि कुंजी प्रधान मंत्री के पास है गृह मंत्रालय की। अगर ऐसा नहीं है तो ज्ञानी जी 24 दिसम्बर को जब देवली कांड पर बहस हो रही थी तब मैंने कहा था कि 600 दर्खास्तें सीताराम हरिजन ने दी हैं सावन पार्क के, और तमाम दर्खास्तें आपके पास भी थीं, कुछ सरदार गुण्डों ने उसको दिल्ली से बाहर निकाल दिया, उसकी जमीन, मकान और बीवी को हड़प लिया, तब तो भिंडरवाला कांड की वजह से नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है? लगता है आपके पास कुंजी नहीं है। अगर कुंजी होती आपके पास तो साधू पर के मुल्जिम अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। लगता है कि गृह मंत्रालय की कुंजी आपके पास नहीं है।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा सुझाव है कि आंकड़े अगर देते हैं तो आंख मूंद कर न दें। ब्लिट्ज की भी रिपोर्टिंग है, 'नई दुनिया' की भी है फेक ऐनकाउन्टर्स की और डी० आई० जी० हरिजन सैल उत्तर-प्रदेश ने फिगर्स दी हैं प्रधान मंत्री के जन्म दिन 19 नवम्बर से लेकर 31 मार्च, 1982 तक की उसमें से उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं कि 9066 लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में फेंक एंकाउन्टर में मारा गया जिसमें 7840 शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं। इसमें से 3501 केवल शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं जिनकी हत्यायें हुई हैं। 855 मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के हैं और 932 बैकवर्ड क्लास के कुर्मी और मात्र यादव लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं। इन हत्याओं में 2048 ऐसे लोग

हैं जिनके खिलाफ एक भी एफ आई आर उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में आप नहीं पायेंगे। इस फेक एकाउन्टर को प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है।

मुझे दुःख है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूं, कडैम करता हूं जिस ढंग से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस श्री सी एस पी सिंह, जोकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाई हैं, उनकी हत्या की गई है। मैं उसके लिए बड़ा दुःख प्रकट करता हूं लेकिन कहना यह चाहता हूं कि इसके बाद मुख्यमंत्री को अपने भाई की पीड़ा तो हुई, लेकिन उन्हें यह अहसास नहीं हुआ कि वह भी किसी के भाई थे जिन हजारों लोगों को उन्होंने फेक एकाउन्टर में मरवा दिया है या मरवाया जा रहा है।

उसके बाद जगतपाल पासी दो दिन पहले गिरफ्तार होता है और दो दिन बाद जब पुलिस वालों को मालूम होता है कि इस हत्या कांड का बड़ा भारी राज खुलने वाला है तो उसका फेक एन-काउन्टर कर दिया जाता है। मैं इलाहाबाद की बात कहना चाहता हूं जहां प्राइम मिनिस्टर का निवास है और मोस्टली इलाहाबाद तो प्राइम मिनिस्टर प्रोडक्टिविटीसिटी रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में पुलिस प्रतिदिन दो हरिजनों का औसतन फेक एन-काउन्टर करती है।

मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां एक नदी है जिसका नाम इस घटना के बाद इंदिरा नदी रख दिया गया है। एक हरिजन से 8,000 रुपया पुलिस ले लेती है, वह व्यापारी था, उसको छिपाने के लिए पुलिस ने एन-काउन्टर कर दिया और जब उसकी रक्षा के लिए आपकी ही पार्टी के कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता ने एतराज किया तो पुलिस ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके बारे में सारी चीजें मैं आपको भेज चुका हूं, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इलाहाबाद की पुलिस कितनी कम्पीटेंट है, इसकी भी मैं एक घटना बताता हूं। परसों इलाहाबाद के धुमनगंज थाने में जगतपाल पासी के परिवार, उसकी बहिन और और कई लोगों को वहां की पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद उसके भाई को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया। उसकी बहिन को सलवार, कुर्ता पहनाकर मुंह ढककर ओढ़नी डालकर पुलिस ने चारों तरफ हल्ला मचा दिया कि फूलन देवी पकड़ी गई है। 10 हजार लोग थाने से कचहैरी तक इकट्ठे हो जाते हैं। कचहैरी में जब वह पहुंचती है तो कहती है कि मैं जगतपाल की बहिन हूं, मैं फूलन देवी नहीं हूं। पुलिस वाले जबरिया मारकर मुझे कहते हैं कि हमें इनाम लेना है, तुम फूलन देवी बन जाओ। आज इतनी कम्पीटेंट उत्तर प्रदेश की पुलिस है।

मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि भारत की प्रधान मंत्री अगर अपनी आइडिएन्टिटी को न बतावें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुलिस इतनी कम्पीटेंट है कि किसी समय उनको भी फूलन देवी डिक्लेयर करने में संकोच नहीं करेगी।

मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की एक घटना का उल्लेख करता हूं। किशनपुर थाने

में रिंद नदी और यमुना कछार से लेकर ललौली घाट के कछार तक 45,000 गरीब हरिजन और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, जिसमें केवट रहते थे, उनसे बेगारी ली जाती थी और बेगारी न करने पर पंचायत होती थी और उस पंचायत में पुरुषों पर कोड़े बरसाये जाते थे और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार होता था। ये उत्तर प्रदेश के कारनामे हैं, जरा ध्यान से सुनिये। 45,000 लोग घर खाली कर चुके हैं और गांव छोड़कर चले गये हैं।

14 तारीख को जिस दिन हिन्दुस्तान भर में डा० अम्बेडकर की जयन्ती मनाई जा रही थी, उस दिन रामपुर मजरा, मदर अलीपुर हदद अलीपुर और बेलापुर गांव में 9 हरिजन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसमें 3 महिलाएं मर गईं। रामदुलारी नामक हरिजन महिला अपने एक छोटे से पोते के साथ छः दिन तक अरहर के खेत में नंगी छिपी रही। जब मैंने अपनी धोती उसे भिजवाई, तो वह खेत से बाहर निकली और उसने पूरा स्टेटमेंट दिया। जब मैंने इस बारे में फतेहपुर के एस० पी० शुक्ला को फोन किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने कहा कि मतोला नामक डकैत और उसका गिरोह ये सब कांड कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मतोला डकैत पिछले आठ महीनों से फतेहपुर की जेल में है, लेकिन पुलिस के रिकार्ड के अनुसार ये सारे अत्याचार मतोला कर रहा है। अत्याचार बड़े लोग करते हैं, लेकिन नाम मतोला का लिया जाता है। एक हरिजन डकैत के नाम पर हरिजनों की हत्या कर दी जाती है। देवली और साधोपुर में ऐसा किया गया। एनकाऊंटर्ज के नाम पर, नक्सलाइटस के नाम पर, दसियों हजार हरिजनों का सफाया करा दिया गया है। पता नहीं सरकार की नीति और नीयत क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह नेक नहीं है।

एक नए प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर की जेलों में जो हो रहा है, वह आपने अखबारों में देखा होगा। मंत्री महोदय को उसकी रिपोर्ट मिली होगी। कानपुर नगर के शिड्यूल्ड कास्टस और कमजोर वर्ग के नाबालिग लड़कों को पुलिस किसी न किसी आरोप में जेल में भेज देती है, जहाँ पर हार्डन्ड क्रिमिनल्ज उनके साथ बलात्कार करते हैं। सिकन्दराबाद थाने में एक पुलिसमैन ने एक हरिजन लड़के के साथ बलात्कार किया। बड़ी मुश्किल से 13 अप्रैल को उसकी एफ० आई० आर० लाज की गई, तो पूरा पुलिस प्रशासन उस एफ० आई० आर० को खत्म करने की कोशिश करने लगा। धारा 377 आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया है। पहले हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार होता था, अब हरिजन लड़कों के साथ भी बलात्कार होता है।

आज हरिजनों पर अत्याचार पर अत्याचार, उनकी हत्या पर हत्या और उनके साथ बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं। ये जो कांड हुए हैं, यह जो अत्याचारों का सिलसिला बन गया है, क्या ये नारायणपुर से बड़े कांड और अत्याचार नहीं हैं? यदि आज सदन में प्रधान मंत्री जी होतीं, तो मैं उनसे पूछता कि क्या नारायणपुर वाली प्रधान मंत्री आप ही हैं। आज देश का हरिजन नारायणपुर वाली प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहता है। नाराणपुर कांड को लेकर बनारसीदास की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। आज दसियों नारायणपुर कांड हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की गई है? बिहार में

पिपरा में ऐसा कांड हुआ। गया में छः हरिजनों की हत्या की गई। तो मिश्र की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की गई ? केसरतारा कांड हुआ तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की गई ? जब किसी दूसरे दल का आदमी फंसता है, तो प्रधान मंत्री जी हरिजनों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाती हैं, लेकिन जब अपना आदमी फंसता है, तो वह कोई कार्यवाही नहीं करतीं।

जब उत्तर प्रदेश में श्री बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां पर 17 एस० पी० और एस० एस० पी०, 14 डी० एम० और 300 से ज्यादा थाने के एस० ओ० थे, । आज क्या हालत है ? आज उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 4 डी० एम० और तीन एस० पी० हैं। पापुलेशन बढ़ गई, थानों की संख्या बढ़ गई, लेकिन शिड्यूल्ड कास्टस के अधिकारियों की संख्या घट गई है। श्री बहुगुणा के समय में गाजीपुर में एक मामूली सा कांड हुआ था, जिसको उन्होंने चौबीस घण्टों में कन्ट्रोल कर लिया। उसके बाद कोई कांड नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में श्री बहुगुणा का मुख्य मंत्रित्व शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के इतिहास में एक सवर्णिम काल था। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हरिजनों का उत्पीड़न करने वाली सरकार के रूप में देखी जा रही है।

हरिजन विरोधी सरकार के रूप में देखा जा रहा है, हरिजन उन्मूलन सरकार के रूप में देख जा रहा है। जितने शेड्यूल्ड कास्टस के थानेदार हैं, अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर ग्रेड में हो जाते हैं या कुछ अच्छे अधिकारी कुछ ऊँचे पदों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां वह उसकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकते हैं, उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार किनारे लगा देती है, कहीं सी० आई० डी० में भेज देती है, कहीं किसी और विभाग में भेज देती है।

अभी कुछ साथियों ने और चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट केवल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, लगता है आप को उस पर भरोसा नहीं है। जब के० पी० तिवारी का भी एलेक्शन हो रहा था तो वहां एक शेड्यूल्ड कास्टस का इंस्पेक्टर कोतवाली में था। जैसे ही एलेक्शन आया शेड्यूल्ड कास्ट के इंस्पेक्टर को झांसी ट्रांसफर कर दिया गया, किसी और को सी० आई० डी०में भेज दिया गया। इसके बाद अभी गढ़वाल में बाइ-एलेक्शन होने जा रहा है तो कैंट में एक शेड्यूल्ड कास्ट का इंचार्ज था, उसे भी हटा दिया गया। ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक सुझाव आ गए हैं। उससे अधिक मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो शेड्यूल्ड कास्ट के कम्पीटेंट आफिसर्स हैं चाहे वह थाने में रहें हों या और कहीं रहे हों जिस हालत में जैसे बहुगुणा जी के समय में 30 एस० ओ० थे, आज जनसंख्या और थानों की संख्या बढ़ गई है, उसी के अनुपात में थानों में थानाध्यक्ष आज बनाए जाने चाहिए। उनके समय में 14 डी० एम० और 17 एस० एस० पी० थे। हरिजनों पर अत्यचार रुक गए थे। मैं चाहता हूं कि आज जनसंख्या बढ़ गयी है, उसी अनुपात में डी० एम०, एस० एस० पी०, एस० पी० शेड्यूल्ड कास्ट के वहां बनाए जाएं।

एक सुझाव और है। ज्ञानी जी तो बहुत समझदार हैं, ज्ञानी भी हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ज्ञानी शब्द का प्रैक्टिकल यूज उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। ये अत्याचार क्यों हुए हैं,

इसकी हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री ** थानों की नीलामी करते हैं। योग्यता के आधार पर थानाध्यक्ष नहीं रखे जाते हैं, थानों की नीलामी वह करते हैं। जो बड़ी बोली बोलेगा उसी को थानाध्यक्ष बनाएंगे। मैं आप से पूछूंगा कि जो ऊँची बोली बोल कर थानों का इंचार्ज होगा, पुलिस चौकियों का इंचार्ज होगा वह क्या बाप की जायदाद बेचकर बोलियों का पैसा देगा ? इन्हीं गरीबों के हाड़ मांस को नोच कर, गरीबों के कफन को खसोट कर बोली का पैसा देगा : मेरा आप से अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करिए और या तो आप उत्तर प्रदेश के थानों की नीलामी तत्काल बन्द कीजिए और योग्यता के आधार पर थानों में लोग नियुक्त हों।

मैं एक दो सुझाव और देना चाहता हूं। सारे सुझावों के साथ मेरा एक यह सुझाव जोड़ लिया जाए कि जहां शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज पर एट्रासिटीज हों वहां के डी०एम०और एस० एस० पी० को जिम्मेदार ठहराया जाए और उनके खिलाफ मुकदमें कायम हों, उसी तरह से उनका ट्रायल हो जैसे अत्याचारियों के खिलाफ होता है। दूसरी तरफ अदालतों के सम्बन्ध में कहना है कि मोबाइल कोर्टस स्थापित किए जाएं और एविडेंस खत्म होने के पहले सारे मुकदमे का ट्रायल हो जाए ताकि मुलजिमान को समय रहते सजा दी जा सके। मुझे उम्मीद है कि अगले सत्र में जब हम लोग फिर मिलेंगे तो कम से कम जुलाई के पहले-पहले साढूपुर के सारे मुलजिमान को गिरफ्तार करने में आप सफल होंगे। और ज्ञानी जी जरा प्रधान मंत्री जी के घर से कुंजी ले कर या उनके पास है तो जरा वह कुंजी अपने हाथ में लेकर अकालियों की भी समस्या को हल कर लें और देश को टूटने से बचा लें अन्यथा देश उठा है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज जागा है, अब उसे दबाया नहीं जा सकता। वह आप से या इस सरकार से या देशवासियों से भीख नहीं मांग रहा है, न्याय मांग रहा है। अगर न्याय मांगने पर उसके साथ हैवानियत का व्यवहार होगा तो वह न्याय के लिए इंसानियत का सबक भी आपको, आपकी सरकार को और हम सबको सिखाने के लिए सक्षम है। मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन समस्या के सम्बन्ध में जो चर्चाएं हो रही हैं उसके कई मुद्दे सामने आए हैं। उन मुद्दों को न दोहराते हुए कुछ और मुद्दे मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इस समस्या के समाधान के रूप में जो बातें मेरी समझ में आ रही है वह मैं सुझाव के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समस्या को हरिजन समाज तक ही सीमित न रखा जाए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं और वह आज बहुत पीड़ित है। इसके निवारण के बिना यह देश विकास नहीं कर सकता है क्योंकि वे इस देश के एक आधार स्तम्भ हैं। केवल यही नहीं कि वे पिछड़े हुए हैं, इस देश में उत्पादन करने वाला जो वर्ग है उसमें पूरे का पूरा हाथ उनका ही है। खेत मजदूर अधिकांशतः हरिजन और आदिवासी ही हैं। कुछ थोड़ा वर्ग दूसरे समाज का होगा। कारीगर शत प्रतिशत हरिजन औ आदिवासी हैं। छोटे किसान 9% हरिजन और आदिवासी ही हैं। बन्धुवा मजदूरों के आंकड़े तो आपने दे ही रखे हैं। इस प्रकार से यह वर्ग इस देश का निर्माता है। अगर यह वर्ग पीछे रहता है, इन पर अत्याचार होता है तो देश का विकास नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से इस वर्ग का विकास करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

इस समस्या के दो स्वरूप हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। एक सामाजिक रूपहै जो वर्ण संघर्ष के रूप में सामने आया है। वर्ग संघर्ष और वर्ण संघर्ष—दोनों का रूप इसमें दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से आप देखेंगे कि इसमें रोजी-रोटी और पेट की समस्या है और जमीन की समस्या है।

ऊँचे वर्ग के लोगों को जो सुविधा मिल रही है उससे वे वंचित होना नहीं चाहते हैं। दुनिया आज इतना आगे बढ़ गयी है लेकिन उनका दिमाग ज्यों का त्यों है। अनायास उस सुविधा को छोड़ने के लिए वे तैयार नहीं हैं। यदि वर्ण व्यवस्था इसी प्रकार से रही और जात-पात के व्यवहार से जो विशेष सुविधा उनको मिलती है वह अगर कायम रही तो यह देश अधः पतन की ओर जायेगा इसको रोकने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय समस्या के रूप में इसको लिया जाए और मिटाने का प्रयास किया जाए। लेकिन केवल शासन के ऊपर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें तो यह एक गलत निर्णय होगा। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने आजादी के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन को एक दिशा दी थी। उसके बाद उस आधार पर जो नियम या कानून हमने बनाए उनमें सारी अच्छाइयां हैं लेकिन हम देखते हैं कि हम उनको लागू नहीं कर पा रहे हैं। अस्पृश्यता निवारण का कानून हमने बना रखा है लेकिन हमारे गांव और हमारे क्षेत्र अस्पृश्यता से मुक्त है—ऐसा दावा हम नहीं कर सकते हैं। आज भी गांवों में एक विशेष वर्ग छुआछूत का लाभ उठा रहा है लेकिन कोई भी राजनीति नेता इस सम्बन्ध में आन्दोलन खड़ा करने के लिए तैयार नही है। क्या केवल शासन के भरोसे यह हो जायेगा ? नहीं। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अलग-अलग पार्टीज में जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम सभी इस बात को अपना लें तो यह हरिजन समस्या बहुत जल्दी दूर हो जायेगी। इस कार्य में शासन हमारा सहयोग करेगा। ग्राम पंचायत के स्तर पर भी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं।

वह इस राष्ट्रीय नीति को जो शासन की है, उस को मानने को तैयार हैं, उसको अमल रूप में ला रहे हैं। लेकिन दोनों दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। शासकीय अधिकारी भी दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। और राज-नेता भी दुर्लक्ष्य कर रहें हैं। दोनों को जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करना है। हरिजन और आदिवासी सबको आगे बढ़ाना है और सही अधिकार उनको देना है, साथ ही जो राष्ट्र निर्माता हैं उनके हाथ में नेतृत्व देना है। परन्तु इस बात को न भूलें—तीनों जगहों पर वे कब्जा करके बैठें हुए हैं। सही मायनों में नेतृत्व उनके हाथ में इस लिए जाना चाहिए क्योंकि यह आज के राष्ट्र की आवश्यकता है। वह छूआछूत को, जातिपाति को मिटाना चाहते हैं। हर एक हाथ में जमीन देना चाहते हैं इसलिए उनके हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए। वह राज-नेतृत्व से वंचित हैं। जिनके हाथ में जमीन है वे सब साधन भोगते हैं, लेकिन जो जोतने वाले जो साधन उत्पन्न करने वाले हैं, उनके हाथ में साधन चाहिए, वे आज साधन से वंचित हैं। शासकीय नौकरियां भी आज उच्च वर्गों के हाथ में हैं, ये लोग शासकीय नौकरियों से भी वंचित हैं। मैं अगर इस बात को ग्रामीण भाषा में कहूं—"सरकार, व्यापार और दरबार, तीनों पर ऊपर के वर्ग वाले बैठे हुए हैं।" वे इनके छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि ये लोग भी आगे बढ़ें।

मैं आप से एक बात पूछता हूं—इतने अत्याचार हुए क्याक भी भी इन अत्याचारों केखिलाफ, अन्याय के खिलाफ किसी ने सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह किया बाबासाहब भीमराव अम्बेदकर ने सत्याग्रह किया, लेकिन क्या अब जो अत्याचार और अन्याय होते हैंउनके खिलाफ किसी ने सत्याग्रह किया। यहां पर आवाज उठाई जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है हम सब जानते हैं। हमको इस तरह की बातों से सावधान रहना है। आपको स्मरण होगा गांधी जी ने भेद-भाव मिटाने के लिए, अपनी आत्माहूति देने के लिए सन 1920 आमरण अनशन प्रारम्भ किया था। अपनी जान हथेली पर रख कर अन्तिम लड़ाई शुरू की थी। उसी दृष्टि से आज हमारे नेतृत्व की यह भावना है कि दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इसको हम सामाजिक समस्या के रूप में, राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेकर, दोनों वर्गों के सामाजिक उत्थान तथा आर्थिक उत्थान के लिए आगे बढ़ें।

इसके साथ ही मेरा एक व्यावहारिक सुझाव है, जिसे एक बहुत बड़े सन्त ने दिया है। सन्त विनोबा जी ने एक बार हम सब कार्यकर्त्ताओं के साथ एक मुलाकात में कहा था—हम सामूहिक रूप में किस तरह से काम कर सकते हैं। ग्राम को एक इकाई के रूप में लेकर सामूहिक प्रार्थना करें, सामूहिक भोजन करें और जो छूआछात तथा जात-पात की बीमारी फैली हुई है उस सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा उसको दूर करें। हम चाहे किसी भी पार्टी के हों या न हों यदि हम सब लोग यह व्रत ले लें कि अपने-अपने घरों के अन्दर एक-एक हरिजन परिवार को समाहित कर लें तो आप देखिए—हमारी संख्या 500 से ऊपर है—कितने परिवारों को आश्रय मिल सकता है। हम लोग सारे देश से यहाँ आए हैं—अपने-अपने क्षेत्र के हर जिले में जाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें, इन कुचले और दबे हुए हरिजन परिवारों को अपनायें, अपने परिवार में लें और उसी तरीके से अपना परिवार वहां दें तो समस्या हल हो सकती है। सर्व-साधारण के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया है। इस को देखते हुए हम यहाँ से इसको प्रारम्भ करें, अपना चिन्तन करें। हम इस राष्ट्रीय कर्तव्य में योगदान दे रहे हैं, ऐसा हम लोगों को दिखाएं और संत ने जो सुझाव दिया है, उस पर अमल करें।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उन्होंने गो-हत्या को लेकर अनशन किया है क्या हरिजनों की हत्याओं को लेकर भी अनशन किया है ?

श्री केयूर भूषण : आपको यह जानकारी होगी कि हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश के संबंध में उन्होंने क्या किया है।

श्री रामविलास पासवान : हम मंदिरों में प्रवेश नहीं चाहते।

श्री केयूर भूषण : उसके लिए उन्होंने मार खाई, उनका सिर फूटा और कान बेहरा हुआ है। वे हारिजनों को यह अधिकार दिलाना चाहते थे। (व्यवधान) हरिजनों के लिए उन्होंने जो काम कियाहै, वह मालूम है। उनके मन में हरिजनों के लिए पीड़ा है। हम लोगों को जो आदेश दिया है, उसका पालन हमें करना चाहिए। 90 साल की उम्र में उन्होंने यह आदेश दिया है और गो-हत्या

के सम्बन्ध में भी उन्होंने उपवास किया है और छोटे लोग जमीनों का मालिक बनें, यह भी कहा है। ···(व्यवधान)···

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री बाबू लाल सोलंकी (मुरेना): हरिजनों के सम्बन्ध में जो जहां चर्चा हो रही है, मैं भी उस पर कुछ बोलना चाहता हूं।

मैं एक डाकू क्षेत्र, जिस को मुरैना कहते हैं—और भींड इलाका जो है, जहां पर डाकुओं का आतंक रहता है—उस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं। मैं एक गरीब किसान का लड़का हूं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के आर्शीवाद से मैं इस लोक सभा का सदस्य चुना गया हूं। इस में कोई दो राय नहीं हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं लेकिन हरिजनों पर जो अत्याचार पहले होते थे, उस में बहुत कमी आई है।

हमारे यादव साहब ने एक बात कही थी कि हरिजन, अदिवासी और कमजोर वर्गों के लोगों श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इस में कोई दो राय नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ होने के नाते हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार रुकने चाहिए थे, वह नहीं रुक रहे हैं। यादव साहब ने एक बात और कही थी कि प्रशासन को जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इस समय जिस प्रकार से उन को हरिजनों की मदद करनी चाहिए, वैसी मदद वास्तव में प्रशासन नहीं कर रहा है। इस में हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे देश के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह का कोई दोष नहीं है। इस में हमारे प्रदेश के जो लोग लीडर हैं, प्रदेश में मंत्री जो काम करने वाले हैं, उन का दोष है। उन को यह काम देखना चाहिए कि किस गांव में डकैती पड़ी और किस गांव में हरिजनों को पीटा गया, किस में उनके साथ अन्याय हुआ है। यह देखना उनका काम है।

मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व मेरे पिता श्री नेकसिया राम सोलंकी की जो पुश्तैनी जमीन थी, जो मेरे पिता के पिता जी के जमाने से पुश्तैनी जमीन थी उसको पटवारी ने ठाकुर के नाम दिखा दिया। 50 साल से वह पुश्तैनी जमीन हमारी थी, जिसको ठाकुर के कब्जे में दिखा दिया। मैं इन्दिरा जी के आर्शीवाद से यहां लोक सभा में आया हूं और उस जमीन को, जिस पर ठाकुर अवैध रूप से कब्जा किये थे, उसे मुझे वापस दिलाने में पूरा सहयोग किया गया। वह जमीन मेरे पिता जी की वापस आ गई। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं लोक सभा का सदस्य नहीं होता तो मैं समझता हूं कि मेरे पिता जी की जमीन वापिस नहीं आती। लोकसभा के सदस्य के पिता जी की पुश्तैनी जमीन पर यदि पटवारी अवैध कब्जा लिख सकता है तो गरीब हरिजन-आदिवासी के साथ क्या नहीं होता होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री स्वयं गांवों में पट्टे देने नहीं जा सकतीं और न ही गृह मंत्री थानेदारों को निलंबित करने जा सकते हैं। कुछ विरोधी दलों के लोग सरकार को बदनाम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए, इन्दिराजी को

हटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जनसंघ का भरसक प्रयत्न है कि हमारी पार्टी बदनाम हो और तरह-तरह की झूठी चर्चाएं करके हरिजनों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थानेदारों की नियुक्ति करते हैं। गृह मंत्री क्या कोई गांव का सरपंच है ? यह तो जिले के एस पी का काम है कि किस थानेदार को किस थाने पर रखना है या लाइन अटैच करना है। इस तरह की झूठी बातें की जाती हैं।

एक बात और मैं माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि यादव जी ने कहा है, मैं उनकी बात को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाए और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए कि यदि आपके प्रदेश के अंदर किसी हरिजन के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रदेश के नेताओं का कर्त्तव्य है कि वे इसको देखें। धन्यवाद।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में हरिजन-आदिवासियों की संख्या 22.56 प्रतिशत है और इस हिसाब से 16 करोड़ के आस-पास इनकी आबादी है। 16 करोड़ की आबादी में से अगर राजनीतिक और सामाजिक जागरण के लिए साल में 500 हरिजन कुरबान होते हैं तो मैं उन हरिजनों को शाबाशी दूंगा, जो सामाजिक क्रांति के लिए कुरबानी करने के लिए तैयार हुए हैं।

सवाल यह पैदा हो रहा है कि हम हरिजनों को क्या दे रहे हैं। हम हरिजनों को मीठी-मीठी बात दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं और यह लोकसभा का डिबेट दे रहे हैं। आजादी के पहले हरिजनों को दबाने वाले गांव के कुछ जमींदार होते थे। आजादी के बाद हरिजनों पर अत्याचार करने वाले दो जाति के लोग हो गए। एक कुर्सी वाले और दूसरे बिना कुर्सी वाले। दो जातियों ने मिलकर अत्याचार शुरू कर दिया है। इसलिए इस सामाजिक क्रांति के लिए 5-600 हरिजन यदि सालाना कुरबान होते हैं तो मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि उन हरिजनों को नेशनल गेलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए। जब तक प्रतिरोध की स्थिति नहीं आएगी, तब तक कोई सामजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है।

आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने किसी ढाबे में चले जाइये या किसी जमींदार के घर अगर भोज हुआ हो तो वहां चले जाइये। जहां भी देखेंगे जब चावल खाने में कुत्तों और हरिजनों के बीच में किस प्रकार लड़ाई हो। रही है यह देखने को आपको मिलेगा। इस स्थिति को हम नहीं बदल पाये हैं। आप इकनामिक प्लानिंग और डेवेलपमेंट की बात करते हैं, छठी योजना 97,500 करोड़ रु० की और पांचवी योजना 50,000 करोड़ रु० की बनी। लेकिन इनका किसको फायदा हुआ ? घूसखोर इंजीनियर्स को और प्रशासक को। हरिजनों को नहीं। आज हालत यह है कि सामान्य लोगों पसीने से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वह उस गरीब का खून और मज्जा, दोनों चाहते हैं। लेबर क्लास का आदमी पसीना तो देता ही है, अब उसे खून और मज्जा भी दे। तो इसको बचाने के लिये एक नये सिरे से हमको सोचना होगा। क्या योजना की राशि हरिजनों के विकास में जा रही है ? नहीं। 65 प्रतिशत योजना की राशि घूसखोरी में जा रही है,

और माननीय गृहमंत्री जी आप एक भी घूस खोर को पकड़ने में समर्थ नहीं हुए । मैं भी नहीं पकड़ सका जब मैं मंत्रि मंडल में था, इसके लिए मुझे शर्म है और आगे आने वाली पीढ़ी को सरकार को शर्म आनी चाहिये ।

केवल जमीन का बटवारा कर देने से समस्या का हल नहीं कर सकते । जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तब तक हरिजन का उद्धार नहीं होगा । देहातों में बरसात के दिनों में बिहार के किसी एक ब्लाक में आप चलिये और वहां सर्वे कीजिये कि वहां हरिजन किस प्रकार रात और दिन गुजारता है । उसी से पता चल जायेगा कि 35 साल के प्लान्ड इकोनामिक डेवलपमेंट से हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े लोगों का कितना लाभ हुआ है । पता लगेगा बड़े शहरों में अधिकारियों की कोठियां, जमींदारों के सिनेमा घर बने हैं, लेकिन हरिजन के रहने के लिए 100 गज जमीन नहीं मिली है । यह आजादी के 35 साल का उपहार है । जब तक यह चलता रहेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ।

आज हरिजन को अधिकार की भूख जग गई है, उनके बच्चे अपने अधिकारों के लिये लड़ाई करने को तैयार हो गये हैं । और मुझे खुशी है कि पहले हरिजनों को लोग दिन में मारते थे, लेकिन आज दिन में नहीं मार सकते, रात को चोरी छिपे मारते हैं । दिन में अगर कोई हरिजन को मारने की कोशिश करेगा तो हरिजन उससे लड़ाई लड़ेगा । आज राइफल, स्टेनगन किसके पास हैं ? पुलिस के पास । वह जमींदार के साथ मिल जाते हैं जो पैसा लेकर जाति बिरादरी के नाम पर हरिजनों को गोली से उड़ाते हैं । ऐसी स्थिति को बचाने के लिये आप केवल कानून ही नहीं बनाइये, उससे कोई काम नहीं चलेगा । हरिजनों की जुझारू बनाइये ।

आपने 5,9, 10 हजार आदिवासियों को मार दिया ऐन्काउन्टर्स में । क्या उससे वहां की समस्या का समाधान हो गया ? एक राजनीतिक आजादी के लिये लाखों लोग देश में कुर्बान हो गये । आज सामाजिक, आर्थिक आजादी के लिये अगर 70 करोड़ में से एक करोड़ आदमियों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो लोग हिचकिचायेंगे नहीं । मैं धमकाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो केवल तर्क में विश्वास करते हैं, हंसी मजाक में विश्वास करते हैं उनको मानना पड़ेगा कि आगे आने वाले 5,6 साल में परिवर्तन होगा ।

जुझारुपन का नतीजा है कि जहां पर मुश्किल से 5 लोग एम० एल० ए० या एम० पी० हुआ करते थे, आज सारे के सारे पिछड़ी जाति के लोग एम० एल० ए० और एम० पी० होने लगे हैं । यह सामाजिक परिवर्तन का एक नक्शा है, इसको सामने रखते हुए आप देखिये ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पढ़े-लिखे कलमबाजों से इस देश को बचाइये । आपने रिजर्वेशन कहां दिया है, स्कालरशिप देने में, टैक्निकल एजूकेशन देने में इसे? मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ एलेज कर रहा हूं कि बिहार के विश्वविद्यालय में नामांकन में हरिजनों के लिये रिजर्वेशन नहीं है । जो लोग सीनेट में बैठे हैं, सिन्डीकेट में बैठे हैं, इन धूर्त और चोरों के कारण समाज में कुछ नहीं हो पा रहा है । आज इस सीनेट और सिन्डीकेट को डिस्मिस करने की आवश्यकता है तो इसेकीजिये लेकिन एडमिशन में रिजर्वेशन दीजिये । यह कहीं पर नहीं है ।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन बनी हुई है, करोड़ों रुपया आप यहां से भेज रहे हैं। 800, करोड़ रुपया डैवलपमेंट आफ एजूकेशन के लिये भेज रहे हैं, लेकिन हरिजन का रिजर्वेशन बी० ए०, एम० ए० क्लास में हो, ऐसा नहीं है। आप गृह-मंत्री हैं, इसकी जांच करवा लीजिये। बिहार के किसी विश्वविद्यालय में हरिजन के लिये साढ़े 22 परसेंट रिजर्वेशन नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हरिजनों के लिये कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हमें और सरकार को साहस है तो हरिजनों को जुझारु बनाइये, अपने आप उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा।

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस 6 घण्टे की चर्चा में जो सत्कार-योग्य मेम्बर साहेबान ने अपने विचार दिये हैं, उन सब का मैंजिक्र करूं, या उस पर कमेंटरी करूं, यह सम्भव नहीं है। मैं यह अहसास करता हूं कि हमारे हाजिर मेम्बर साहेबान भी अब यही चाहेंगे कि इस बहस को समाप्त किया जाये।

हमारे मेम्बर साहेबान ने बहुत से सुझाव दिए हैं, उन पर गहराई से गौर किया जाएगा। कुछ मेम्बर साहेबान ने क्वोटेशन्ज दी है, जो क्वैश्चन की रिप्लाई आई या जो रिपोर्ट में छपे हुए आंकड़े दिए हैं, उसकी भी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है।

कुछ महापुरुषों की कोटेशन भी आई हैं, जैसे विवेकानन्द जी की, उस पर भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

कुछ सुझाव आए हैं, उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन समय नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ सुझाव तो ऐसे हैं जिन पर हम पहले ही अमल करते हैं और कुछ सुझाव नये हैं। इन नये सुझावों को हम पूरे गौर से देखेंगे। यह भी कहा गया कि हमने वायदा किया था, वह पूरा नहीं किया। उसके लिए मैं मश्कूर हूं उस मेम्बर का, जिसने याद दिलाया है। शायद एक वायदा बाकी रहता है, बाकी पूरे किये गये हैं। मगर फिर भी बहस न करते हुए इतना ही कहूंगा कि मुझे अहसास है कि जो वायदा किया है, उसको निभाना पड़ेगा, उसको हम पूरा करेंगे।

अब इस मामले में मुझे अत्यन्त खुशी यह हुई कि आज की बहस में एक ऐसे इश्यू पर विचार किया गया जो हमारे देश के लिए और तमाम इन्सानियत के लिए निहायत जरूरी है।

अगर हम इसमें पार्टी-पालिटिक्स न लाएं, तो बहुत ही अच्छा है - और बहुत से मेम्बर नहीं लाए। जैसे; डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पार्टीबाजी का फायदा नहीं उठाया। लेकिन आखिर में जाकर सीरियसनेस नहीं रही। यह तो अच्छी बात है कि मेम्बर रिलेक्स करते हैं। दूसरे मेम्बर साहेबान ने, सी पी आई (एम) के नेता मुकर्जी साहब ने और प्रो० मधु दण्डवते ने, बड़े अच्छे भाषण दिये और कुछ विचार भी रखे।

एक माननीय सदस्य : क्या आप कोई नम्बर देने वाले हैं ?

श्री जैल सिंह : मैं आपको नम्बर नहीं दे सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं नम्बर नहीं देना चाहता, लेकिन जिन मेम्बर साहेबान की तजवीजों पर मैं समय न होने की वजह से चर्चा नहीं कर सकता, उनका नाम लेना मैं मुनासिब समझता हूं।

ट्रेजरी बैंचिज से भी बहुत महत्त्वपूर्ण सुझाव आये और बहुत अच्छी तकरीरें हुईं। आपोजीशन ने लेजिटिमेट प्रोफिट तो कमाया ही है, जो उसका कर्त्तव्य होता है, मगर बड़े डिग्नीफाइड तरीके से। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है और कुछ सुझाव भी दिए हैं।

पहले यादव साहब ने भी सुझाव दिए हैं और सैकण्ड यादव साहब ने भी सुझाव दिए हैं और कहा है कि हरिजनों को जुझारू बनाओ। हम तो चाहते हैं कि हमारा सारा देश ही जुझारू बने। लेकिन देखना तो यह है कि क्या इस समस्या का हल जुझारू बनाने से होगा, उनको शस्त्र देने से होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति है, जहां पर शस्त्र देना भी जरूरी है। और मैं तो यहां तक जाता हूं कि जहां बहुत नाजुक हालत हों कि वे गरीब शस्त्र न ले सकते हों, तो पुलिस को अपनी तरफ से उन्हें शस्त्र देने चाहिए।

लेकिन यह भी सुझाव आया था कि हम सब के आर्म्ज छीन लें। अगर सब को शस्त्र-हीन कर दिया जाए, तो शायद फिर भी कुछ शान्ति न होगी। हम तमाम प्रान्तीय सरकारों को कह चुके हैं, यू० पी० सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि इस बारे में छंटाई की जाए। कई लोग ऐसे हैं, जिनको शस्त्रों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास है। कुछ ऐसा एलिमेंट भी है, जो दंगा और फसाद कराने के लिए शस्त्र न होते हुए भी अपने ब्रेन से काम लेता है और लोगों को भड़काने के लिए ऐसी अफवाहें पैदा करता है, जिसने लड़ाई हो जाती है।

इस बहस के बाद इस देश के नेताओं को सोचना यह है कि हमारे देश की जिस 25 फीसदी आबादी को मानवता के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें वे अधिकार कैसे दिए जाएं। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी का इलाज करने से पहले उसे समझना जरूरी है। जो वैद्य बीमारी को न समझ सके, उसकी तशखीस कर सके, हम उसका इलाज शुरू करें, तो वह कामयाब हो जा सकता है। हिन्दुस्तान की नेशन और नेशन के नेता, पार्लियामेंट के मैम्बर्ज, इस पर गहराई से विचार करें। हम यह न कह दें कि जनता पार्टी के राज्य में यह काम शुरू हुआ, उसे अब तक बन्द नहीं कर सके, या यह कि 35 साल हुए, अभी तक यह बन्द नहीं हुआ, इसलिए सब से ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। निष्पक्षता से सोचना होगा कि इस बीमारी का कारण क्या है।

यह कहां तक बढ़ी है और 35 साल में कुछ हुआ या नहीं हुआ ? मैं यह कहना चाहता हूं कि 35 साल में बहुत कुछ हुआ लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। क्यों ? इसलिए कि यह बीमारी कब की है ? भगवान राम जी और कृष्ण जी के जमाने से पहले की है। आप को याद होगा कि इस बात पर दुर्योधन ने नुक्ताचीनी की थी कि भगवान कृष्ण, आप तो एक कंगाल के घर, एक शूद्र के घर सोये हैं इन महलों को छोड़कर, मुझे आप से नफरत हो गई। यह कहा गया

था। भगवान राम जी की कथा लिखने वालों ने यह लिख दिया कि

पूजिय विप्र सकल गुण हीना। शूद्र न पूजिय गुण ज्ञान प्रवीना ॥

तब यह भी चलता था और यह भी कहा गया कि :

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी ॥

यह भी कथा समाज में होती रही। कितने मुद्दत से लेकर यह जड़ बनी और उन को मारा है। आज मैं समझता हूं कि इस बात पर हमें खुशी होनी चाहिए कि भारत की आजादी के बाद ही नहीं, भारत की आजादी लेने वालों ने और महात्मा गांधी ने इस बात को शुरू किया और आजादी के बाद जो हमारा विधान बना उसमें इस बात को महत्त्व दिया गया कि हमें इस बीमारी को खत्म करना है जिस में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज भी आते हैं। सोसाइटी के इस एक बहुत बड़े हिस्से को कमजोर कर रखा था। औरतों को भी हिस्सा नहीं था। वह भी शूद्र जैसी थीं और मनुस्मृति का आधार लिया गया जिस में कहते हैं कि शूद्र जिस रास्ते पर जाता है वह रास्ता अपवित्र हो जाता है। आज डाक्टर साहब कहते हैं कि हमें भी हरिजन बना लो। मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर साहब, यह कहिए कि मुझे शेड्यूल्ड कास्ट बना लो, हरिजन तो सभी हैं, हरि के जन सभी हैं, कोई भक्त जन हैं, कोई गिरिजन हैं... (व्यवधान)...कोई महाजन हैं। यह महात्मा गांधी ने नाम तो रख दिया लेकिन रेफ्लेक्शन क्या होता है दिमाग में ? हरिजन कहने के बाद भी यही होता है कि वह शूद्र है सबसे नीचा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको मिटाने वाला जब एक हमने यहां बैठाया तो वह हरिजन थे, डा० अम्बेडकर। पं० जवाहर लाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद और और बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर सहमति प्रकट की और आज मुझे इस बात की खुशी है...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : एकाध बार डा० अम्बेडकर का भी नाम ले लिया करिए।

श्री जैल सिंह : मैंने डा० अम्बेडकर का ही नाम लिया। मैंने यही कहा। मनु जी महाराज के बाद दूसरे मनु जी आए डा० अम्बेडकर और मुझे इस बात की खुशी है कि छोटे-छोटे गुट, छोटी-छोटी पार्टियां या कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो प्रचार करते होंगे कि यह ऊंची जाति है, ब्राह्मण है, यह खत्री है, लेकिन आज इस बात को कोई दिलेरी से नहीं कह सकता। आज हर आदमी को, जो राजनैतिक मैदान में आया है या सोशल काम करना चाहता है उस को हरिजनों की हिमायत की बात करनी पड़ती है।

अब रहा सवाल तमाम स्पीकरों का जो सारांश था वह यह था-वह या तो कुछ कटाक्ष हमारे पर या कुछ आप पर, इन को छोड़कर नतीजा यह था कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए और इस के लिए नये कानून बनाने पड़ें तो नये कानून बनाए जाएं और आप गवर्नमेंट का उसमें साथ देंगे। गवर्नमेंट आप के साथ वायदा करती है कि हम आपका कोआपरेशन लेंगे। कोई नया कानून बनाना पड़ा तो वह बनाएंगे और जो कानून बने हैं उन पर जहां जो अमल नहीं हुआ वह भी करेंगे और इस के लिए बिल्कुल दिमाग में यह बात नहीं है कि हम कोई इन के ऊपर परोपकार कर रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं कब से जो इनको

इंसानियत के दर्जे से गिराया है, मानवता के अधिकारों को छीन लिया है, पांवों तले रौंदा है उस वक्त जो महापाप हमारे बुजुर्गों ने किया था, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं।

उसके प्रायश्चित के लिए हर प्राणी मात्र को इस मामले में सहमत होकर सोचना है। लेकिन यह काम खाली सरकार नहीं कर सकती है। इसके लिए सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आता है, तब तक यह नहीं हो सकता है। मैं तो इस चीज का मारा हुआ हूं, चोट खाए हुए हूं। हरिजनों के साथ कुछ खाना खाने के लिए और उनसे मिलने के बाद पंचायत ने मुझे सजा दी थी, कहा था कि इतने दिन तुम मन्दिर गुरुद्वारों में आने वाले लोगों के पाँव छुओ, उनके जूते साफ करो क्योंकि मैंने एक हरिजन के साथ उनके हाथ का खाना खा लिया था और उनके हाथ से लेकर पानी पी लिया था। यह जब हमारा देश गुलाम था, तब की बात है, 1937 में यह वाकया हुआ था। उसके बाद आज भी मैं कह सकता हूं कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तकरीर करते हैं हरिजनों के पक्ष में, खाना खाते हैं बाबूजी के यहां, लास्कर के यहां लेकिन हरिजनों के यहां खाना नहीं खाते हैं। जब एलेक्शन में खड़े होते हैं और उन के यहां जाते हैं तो कह देते हैं कि पानी और चाय की जरूरत नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम तो आपके खादिम हैं। खादिम भी इसलिए बनते हैं कि वहां वोट ज्यादा होते हैं। इस तरह से अभी दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ है। छोटे से छोटा आदमी बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है तो अपने आप को भूल जाता है। मुझे कई दोस्त गरीबों का हामी कहते हैं लेकिन मैं हामी नहीं हूं क्योंकि मैं हूँ ही गरीब और इसीलिए मैं उनको भूला नहीं हूं। आप एलेक्शन लड़कर यहां पर आए हैं जिसमें जीप, लाउड-स्पीकर, इश्तहार सभी कुछ चाहिए। जितना खर्चा सरकार मंजूर करती है उससे कहीं ज्यादा करना पड़ता है। मैंने सोचा यह पाप हमेशा करता हूं। पहले एलेक्शन के बाद ही फैसला कर लिया रूपये-पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस बभेड़ी देगी और कह देंगे कि उन्होंने खर्चा किया है ताकि हम कानून से बच सकें। आपने यह भी देखा होगा कि बड़ी कोठियों के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते हैं हालांकि वहां ज्यादा से ज्यादा तीन वोट होंगे। उन कोठियों में बड़ा परिवार भी नहीं रखते हैं। बड़ा परिवार होगा तो उतनी ही कोठियां हो जायेंगी। लेकिन उन कोठियों में एक चपरासी के भी वोट तीन से ज्यादा होते हैं, माली या मेहतर के भी तीन से ज्यादा वोट होते हैं। उनके घरों के चक्कर हम नहीं लगाते हैं।

एलेक्ट हो जाने के बाद कई दोस्तों ने कहा कि हम इस बात के लिए डट क्यों नहीं जाते कि पहले हमको मारो फिर हरिजनों को मारने देंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकारी मशीनरी कैसे बनी और कहां से वह आई और हमारे दिमाग में भी कभी यह बात नहीं आई कि सरकारी मशीनरी की ब्रेन-वाशिंग होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने से पहले उनसे पूछा जाए कि बताओ, तुम्हारा अकीदा क्या है। हमारी हिदायतें 14 के करीब हैं। 1980 में तीसरे महीने में ही हमने मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि कोई भी आफिसर, थानेदार और तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, जो भी टूर पर जाए तो उसका काम यह होगा कि वह हरिजनों की बस्ती में जाए और उनसे अकेले में बात करे। वैसे होता यह है कि तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं

जिनमें हरिजन भी बैठे होते हैं। हम पूछते हैं कि हरिजनों को कुछ कहना है तो बड़ा चौधरी जो होता है वह कहता है सभी हरिजन यहीं पर बैठे हुए हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वे भी कह देते हैं हाँ महाराज, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई हरिजन यह कह दे कि अकेले में बात करनी है तो उस अफसर के जाने के बाद उसको पीटा जाता है। इसीलिए हमने कहा है कि उनकी बस्ती में जाकर अलग उनसे पूछिए कि क्या उनके साथ बीतती है। क्योंकि हुकमरानों का फर्ज है, किसी बात के होने के बाद चाहे वह मेरे चपरासी ने की हो, सिपाही ने की हो, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन हो क्यों रहा है—इसको जरा सोचने की बात है।

हमारे देश में पोलिटीकल इनकलाब आया और पोलिटीकल इनकलाब के बाद बुनियाद रख दी गई रिजर्वेशन के साथ कि हम सामाजिक इनकलाब भी लायेंगे। हमने सोशल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी, इकानामिक रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी, लेकिन इकानामिक रेवोल्यूशन नहीं आया, सोशल रेवोल्यूशन नहीं आया। इस रेवोल्यूशन के बगैर, इस इनकलाब के बगैर हम इन को संवार नहीं सकते हैं। आप देखिये—रिजर्वेशन से कितने फायदे हुए—रिजर्वेशन से हौसला बढ़ा, रिजर्वेशन से सर्विस में आये, आज चीफ सैक्रेटरी तक हरिजन पहुंच गया है, मिनिस्ट्री में, हर शोबे में उनका रिजर्वेशन है, लेकिन जिनका काम हो गया उनकी तो गति हो गई, लेकिन जिन का नहीं हुआ उनकी क्या गति है ? इस लिए मैं अपने हरिजन भाइयों को कहना चाहता हूं—जिनका उद्धार हो गया वे बड़े लोगों में बैठ गये, लेकिन अब वे गरीबों के साथ हाथ नहीं मिलाते। मेरी नोटिस में ऐसे आदमी आये हैं। मैंने खुद देखा है—अपने पिता को भी इन्ट्रोडयूस कराने में शर्माते हैं क्योंकि वह बेचारा चपरासी था, कंगाल था। एक कंगाल का बेटा डी० सी० बन गया। मैंने उससे पूछा—यह कौन हैं ? कहता है, मेरे गांव से आये हैं। जब कि वह उसका पिता था। फटे पुराने कपड़े पहने, सीधे-सादे लोग, उनको यह कहते हुए कि ये हमारे पिता हैं, शर्म लगती है। क्यों शर्माते हैं ? कहना चाहिए कि ये मेरे पिता हैं, यह मेरा घर है, यह मेरी जगह है।

मैं एक बहुत पुरानी बात बतलाता हूं—मैं उन दिनों पैप्सू में मिनिस्टर था। वहां की मिनिस्ट्री टूट गई थी। चौधरी कुम्भा राम, राजस्थान वाले, मेरे बहुत दोस्त हैं, वह आजकल दूसरी तरफ बैठते हैं लेकिन उस वक्त हमारे साथ थे। एक दिन वह मेरे गांव के नजदीक से गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा कि दोस्त से मिल लें। गांव में पूछा, तो किसी ने बतलाया कि यह घर है। चूंकि वह मड-हट था, कच्चा कोठा था, उसमें मेरी माता की बहिन यानी मेरी मौसी बैठी थी। कहने लगे—माता जी, क्या यह ज्ञानी जी का घर है। उन्होंने जवाब दिया—हां, वीर जी, यही है। सोचने लगे, यह घर है, यह कैसे हो सकता है। दो-तीन बार कहकर बैठ गये और बाद में जब मुझे मिले तो कहने लगे, तुम्हारा घर ही नहीं बना है, क्या करते हो ? कपड़ों से तो ऐसा लगता है कि बहुत अमीर आदमी हो। मैंने कहा—कपड़े तो हर जगह जाते हैं, लेकिन घर तो एक ही जगह रहता है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं—हम गुजारा करते हैं, आज गरीब की कोई नहीं सुनता।

आप देखें—अगर आप कार पर चढ़कर किसी अफसर के पास जायें, तो वह जानता हो या न जानता हो, कहेगा, आइये और जो आप कहेंगे उसको करेगा, आपकी बात को सुनेगा।

लेकिन अगर आप साइकिल पर जायेंगे तो नहीं सुनेगा। एक राजा साहब मेरे दोस्त थे—नालागढ़ के राजा, अब तो स्वर्गवासी हो गये। एक बार कहने लगे, जीप की क्या जरूरत है, पैदल जाओ तो बहुत वोट देते हैं। मैंने कहा—तुमको लोग जानते हैं क्योंकि तुम राजा हो, झण्डी लगा कर चलते हो। हम तो पहले भी साइकिल पर चलते थे और अब भी साइकिल पर जाते हैं। इस लिए सब तक पहुंचने के लिए हम को तो गाड़ी या जीप लेनी पड़ेगी।

समाज में आदर या सम्मान आज ओहदे को मिलता है या दौलत को मिलता है। क्या कभी किसी रिटायर्ड प्रिन्सिपल से, जिसने एजूकेशन दी थी, उसके हाथ से कोई बुनियादी पत्थर रखवाया ? हमारे अखबारे वाले दोस्त बहुत अच्छे आदमी होते हैं, बहुत शरीफ हैं, मैं उनका आदर करता हूं...

श्री रामविलास पासवान : शरीफ नहीं हैं।

श्री जैल सिंह : शरीफ हैं, दूरअन्देश हैं, शरारती नहीं हैं। हो सकता है कोई हो, तो सोसायटी में ऐसे लोग यहां भी हैं वहां भी हैं। सब जगह हैं। मैंने उनको देखा है—कोई मिनिस्टर बन जाए, चाहे उसके पास अकल हो या न हो, उसका स्टेटमेन्ट तो छाप देंगे, लेकिन जिसके पास ओहदा न हो, चाहे अच्छा वक्ता हो, अच्छा पण्डित हो, उसके विचार नहीं छापते और फिर यह कहेंगे कि हम तो लोगों की आवाज उठाते हैं।

मैं सामाजिक खराबियों की बात करता हूं। हमको गिना जाता है, तोला जाता है बैंक बैलेंस के साथ, जमीन के साथ, हमारी अट्टारी के साथ। हमको हमारी खूबियों के साथ नहीं गिना जाता और हमारी खूबियों को इगनोर किया जाता है। एक बेवकूफ आदमी चौधरी बनकर बैठ सकता है आज समाज में लेकिन एक अकलमन्द आदमी के लिए कोई जगह नहीं बन सकती क्योंकि उसके पास कंगाली है और वह बिरादरी का नाम लेकर अपना नाम नहीं लेता।

मुझे तो खुशी है कि दोनों यादवों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। और हमारे पासवान जी कहां चले गये।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वे इधर हैं। एक अच्छी कम्पनी में हैं।

श्री जैल सिंह : वे अपनी जगह छोड़कर वहां चले गये हैं और एक अच्छी कंपनी में चले गये हैं। ठीक रास्ते पर चल रहे हैं।...(**व्यवधान**)...**वेरी गुड कम्पनी**। गुप्ता जी भी यहां बैठे हैं। मैं कम्युनिस्टों को कुछ नहीं कहता। कम्युनिस्टों के साथ मेरी एक दिन लड़ाई हुई थी, अब मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि उनके विचार बहुत अच्छे हैं। फिरकेदारी का नामोनिशान उनमें नहीं है। वे गरीबों की हिमायत करते हैं लेकिन गरीबों की हिमायत में थोड़ी सी गलती करते हैं। वह गलती क्या है ? बुरा काम वे नहीं करते, अच्छा काम करते हैं। जिनको 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मिलते हैं, उनकी वकालत वे जोर से करते हैं लेकिन जिनको कुछ नहीं मिलता, उनकी कोई वकालत नहीं करते। पटरी पर जो बूट पालिश करता है, उसकी वकालत नहीं करते। मैं यह कहूंगा कि यह जोरिजर्वेशन है, यह बहुत अच्छी चीज है। सारी पार्लियामेंट के

इतिहास में दूसरा रेज्योलूशन पहलेपास किया गया था और तीसरा कल किया है फिरकेदारी के खिलाफ और इससे पहले रेज्योलूशन तवपास किया था जब रिजर्वेशन के बारे में गुजरात में एजीटेशन थी। उसका बहुत अच्छा असर हुआ था। कुछ बातों में हमारा इत्तिफाक है, तो उस इत्तिफाक के साथ कोई हमारी स्टेज तो होनी चाहिए।

हमारे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं। न हमारा गुजारा है उनको क्रिटीसाइज किये बगैर और न उनका गुजारा है हमको क्रिटीसाइज किए बगैर। भले आदमी हैं, नेक और अच्छे-अच्छे मश्विरे देते हैं। वे कुछ न कुछ लगाते गये लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज नहीं लगाऊंगा।

हरिजनों में सबसे ज्यादा खराब कौन है ? स्वीपर, जिसको सबसे ज्यादा गन्दा काम करना पड़ता है और उसकी इज्जत क्या होती है। उसकी जवान बेटी दूसरों के घरों में जाकर उनकी गन्दगी अपने सिर पर ढोती है सुबह जाकर और फिर कहीं उसको रोटी मिलती है। अब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं और भारत के दो शहरों में हमने इसको किया है, बिहार में एक बिहार शरीफ है और दूसरे शहर का नाम मैं भूल गया हूं, कि अब से कोई इन्सान का बच्चा बच्ची उस गन्दगी को अपने सिर पर नहीं उठाएगा, उसको अपने सिर पर गन्दगी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इसके लिए कोई डेट मुकर्रर की है कि कब तक यह हो जाएगा ? यह देश के माथे पर एक कलंक है। आप आज ही घोषणा कर दीजिए कि कल से यह नहीं होगा।

श्री जैल सिंह : अगर मैं डिक्टेटर होता, तो कर देता। यहाँ डिक्टेटर का नाम भी नहीं ले सकते। पता नहीं आपको कि मैंने हिटलर का नाम लिया था, तो फंस गया था। इसके लिए पूछना पड़ेगा और राय जाननी पड़ेगी नहीं तो प्रो० दण्डवते हमारे गले पड़ जायेंगे और कहेंगे कि तुम कौन होते हो, यह कहने वाले।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : हम हैं आपको बचाने के लिए।

श्री जैल सिंह : हां, आप तो हैं। आपने इस बीमारी की तफतीश ठीक की है। आपने कहा था, 'थ्रू नालिज, थू एवेयरनेस' और यही उनको मरवा रही है। बात यह है कि जब इन्कलाब आता है, तो बहुत से लोग मरते हैं। अब क्या है ? अब स्थिति बदल गई है। पहले तो यह था कि बहु-बेटी की बेइज्जती हो गयी, तो हरिजनों को खामोश रहना पड़ता था। अगर कुछ होता था तो चौधरी बैठते थे और उसको बुलाते थे और कहते थे कि भई, बहु-बेटी सभी की एक जैसी होती हैं। अब लम्बरदार के बेटे से कोई गलती हो गई, तो तू थाने क्यों गया था, मांग इनसे माफी। तो इस तरह की बातें पहले होती थीं। रेप हो गया तो कोई गिनती नहीं। अब भी कहीं कहीं ऐसा होता है लेकिन अब कुछ सहारा हो गया है आप लोगों का। हम न वहां जायें, तो आप लोग पहुंच जाते हैं। हम नहीं पहुंचेंगे, तो उसको आप उछालेंगे। उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन उस बात को उछालेंगे। यहाँ पर वेद पर कितना डिस्कशन हुआ था।

बेइज्जती बर्दाश्त करता था। आज हरिजन में हिम्मत आ गई है और वह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता है। गांव का चौधरी मंजे पर बैठकर, पलंग या कुर्सी पर बैठकर उसको आर्डर नहीं दे सकता। आज वह भी चौधरी के साथ बैठ सकता है—पंचों और सरपंचों में शामिल है। तिरस्कार और निरादर, मनुजी ने लिखा था कि जहां से हरिजन गुजर जाए, वहां से ब्राह्मण नहीं गुजरेगा, पहले उस जगह को साफ किया जाएगा, पांव के निशान मिटा दिये जाएंगे। उच्च जाति का आदमी उस तरफ से नहीं गुजरेगा जहां हवा हरिजनों के पास से होकर पहुंचती हो, नहीं तो हवा लग जाएगी, हरिजन की छाया नहीं पड़नी चाहिए, अगर कथा सुनते हैं तो कानों में सिक्का डाल दिया जाए और पढ़ते हैं तो जुबान काट दी जाए—यह बीमारी कितनी पुरानी थी। क्या आज यह स्थिति है ? आज तो सूरजभान जी...।

श्री आर० एन० राकेश : अभी भी ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। इनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री जैल सिंह : आदमी तो बहुत अच्छे मालूम होते हो।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश वही कह रहे हैं जो मनु ने कहा था।

श्री जैल सिंह : इस दोस्त को मैं बहुत शरीफ आदमी समझता हूं और अपना भी हमदर्द समझता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह गरीब होगा, लेकिन आदत क्यों पड़ गई ? उस मामले पर डिसकस कर रहे हैं, जिस मामले में हम सब की राय एक है।

श्री आर० एन० राकेश : राय बहुत अच्छी होती है, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पाती, यही तकलीफ है।

श्री जैल सिंह : राय तो अच्छी होती है, मीठी होती है, किसी को खराब तो नहीं करती, तुम्हारा नुकसान तो नहीं करती ?

श्री आर० एन० राकेश : आप होम मिनिस्टर हैं, आप जो आश्वासन देते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता तो नुक्सान तो होता ही है।

श्री जैल सिंह : उसके लिए करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, कोई एलोपैथी, कोई नेचरोपैथी, कोई होमियोपैथी, किसी तरह से इलाज करा दीजिए। हमारा इलाज तो होमियोपैथी जैसा है, खाने में दवा मीठी लगती है, फायदा हो गया तो हो गया नहीं तो नुक्सान नहीं करती।

पहले क्या था कि मजदूरी नहीं दी जाती थी। मजदूरी दी तो ठीक है; नहीं दी तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। बड़े लोगों को दाता समझा जाता था। सारे घर का काम करवाया जाता था, लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। मिनिमम वेज मुकरर है, अगर उसको उचित मजदूरी नहीं मिलती है तो उसको आज जुबान लग गई है, वह कह सकता है। आज हरिजन अपनी बहू-

बेटी की बेइज्जती करवा कर रहना पसंद नहीं करता, वह बड़ी से बड़ी ताकत के साथ लड़ सकता है। ऊंची जाति वाला समझता है कि थानेदार उसकी मदद करने के लिए आएगा, मगर थानेदार उसकी मदद नहीं करता, बल्कि हरिजन की मदद करता है। जब थानेदार उसकी मदद नहीं करता तो वह उत्तेजित होकर हरिजनों को मारना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं कि यह ट्रांजिशन पीरियड है और इसमें यदि एक साल-दो साल तक कुछ हरिजन कुरबान होते हैं तो यह कुरबानी इन्कलाब लेकर आएगी। किसी इन्सान को इन्हें मारने की हिम्मत नहीं होगी।

हमने हर जगह प्रोटक्शन के लिए सेना तैयार करने की बात सोची है और यहां हमारी एक छोटी-सी कमेटी कार्य कर रही है और विचार हो रहा है कि हर गाँव में प्रोटक्शन सेना तैयार करें और उनको ट्रेनिंग दी जाए। और उस गाँव के लोगों की सहमति से उनको शस्त्र दिए जाएंगे, कुछ लाइसेंस भी दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग इनको मानते हैं और उनको इन पर भरोसा है, तभी हम इनको शस्त्र देंगे और उन सबकी मंजूरी के साथ उनको गारंटी देनी होगी कि गांव में कोई दंगा फसाद नहीं होने देंगे और हरिजनों की रक्षा करेंगे।

और भी कई तजवीजें हो सकती हैं, बहुत सी तजवीजें आई हैं। अभी हमारे बुजुर्ग नेता श्री रंगाजी मेरे पास आकर कह गए थे कि इस तरह की कोई सेना बनानी चाहिए।

दूसरी बात, धार्मिक तौर पर उनकी इज्जत नहीं थी। आज भी वेद-मंत्र पढ़वाने के लिए ब्राह्मण आता है। हरिजन वेद का पाठी हो तब भी उसे नहीं बुलाया जाता।

श्री रामविलास पासवान : छोड़िये, जरूरत नहीं है इसकी।

श्री जैल सिंह : मैं मानता हूं कि आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। इन बातों से बहुत ऊपर चले गए हैं लेकिन अभी समाज बहुत नीचे खड़ा है। अभी भी समाज को देखना होगा कि उनके सैंटीमेंट कैसे लिये जा सकते हैं। मैं आपको दुख के साथ कहता हूं गाय का सर काट कर वहां लटका दिया था, कितना दंगा फसाद हुआ, लोग मरे, इन्सानों का खून बहने लगा। आज पटियाला में ऐसा हुआ कि गाय की पूंछ मन्दिर के सामने पड़ी थी, और इसीलिए दोनों जलूस निकालते फिरते हैं। वहां दल,खालसा का नामोनिशान नहीं है। सिक्खों का जलूस कहता है कि हिन्दुओं को निकाल देंगे, और वह सिक्खों को कहते हैं हम तुमको पाकिस्तान भेज देंगे। ऐसी बातें हो रही हैं।...

(व्यवधान)

मैं कहता हूं यह बात समाज में आज इज्जत और सम्मान की बात मानी जाती है धार्मिक जगह पर बैठने के लिए। डा० साहब की बात को मैं मानता हूं। डाक्टर साहब बहुत आगे चले गये हैं। डाक्टर साहब इतना नहीं आगे भागना चाहिये जिसके साथी पीछे रह जायें। समाज बहुत पीछे बैठा है। हमारे नेता माननीय समर मुखर्जी और इन्द्रजीत गुप्त जी ज्यादा तेज दौड़ते हैं, उनको भी मैं कहूंगा इतना हिन्दुस्तान का समाज नहीं दौड़ने लगा है जितना आप दौड़ने लगे

हैं। इसीलिए आप कम रह जाते हैं। आज गुरुद्वारे में जाओ वहां कोई जाति-पांति नहीं है। लेकिन वह जो हरिजनों में से खालसा बना है, वह सिक्ख बना है वह नहीं परसाद बांटता है। कोई और बांटता है। अपने गांव में जाकर अपने गांव की धर्मशाला में, हरिजनों की धर्मशाला में ऊंची जाति के लोग जाने नहीं लगे हैं। जाना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले कोई ओबजेक्शन नहीं करता था। मैं सोचता हूं कि हरिजनों की बारात दूसरी धर्मशाला में क्यों नहीं ठहर सकती जहां ऊंची जाति के लोगों की बारात ठहरती है? मैं इस बात के खिलाफ हूं कि कोई धर्मशाला हरिजन के लिए हो या कोई पानी का नल हरिजनों के लिये हो। हरिजनों के लिए घर बना दो, सड़क बना दो, लेकिन जो कुआ है, या कम्युनिटी सेंटर है उसमें हरिजनों के बच्चे क्यों नहीं जायें? वह भी जाने चाहिऐ। लेकिन अभी तक ऐसा बना हुआ है। अब रिश्ते की बात ले लो। अगर कोई आई० ए० एस० में आ जाय तो ऊंची जाति वाले भी रिश्ता कर देते हैं। और किसी हरिजन की आई० ए० एस० कुड़ी हो तो वह भी चाहती है मैं अपनी जाति वाले के साथ क्यों शादी करवाऊं। वह भी आई० ए० एस० पण्डित को देखती फिरती है। उनकी एक नई जाति बन गई है, अमीरों की जाति एक है।

मैंने यादवों का नाम इसलिए लिया था बिहार में ज्यादातर लड़ाई हरिजनों की और बैकवर्ड क्लास की है। और बैकवर्ड क्लास हरिजन आपस में लड़ रहे हैं। यह बदकिस्मती है। बैकवर्ड क्लास सोशली, पोलिटिकली बैकवर्ड हैं, लेकिन जमीन के मालिक हैं, लेकिन वह जमीन के मालिक नहीं हैं, वह लैंडलेस हैं। जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था तो पहले यह बर्दाश्त करता था, लेकिन अब नहीं करता है। आर्थिक या सामाजिक तौर पर जो बेइन्साफी थी वह हरिजनों ने बर्दाश्त कर ली। अब वह बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आप उनके तबके के लोगों को कहो भाई जरा अब भी समझ जाओ, वह जाग उठा है, आप उसको लूट नहीं सकते। तब यह बात रुकेगी। ऐसे मुश्तरका सम्मेलन होने चाहियें, सभी पोलिटिकल पार्टीज के लोगों की गवाही वहां पड़नी चाहिए, इसीलिए नहीं कि हमारे कहने पर ही लोग चलते हैं, बनाते अपना भी रास्ता हैं। अच्छा इसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या यादव जी आ जायेंगे उसके साथ चले चलेंगे। अब टिकट का बटवारा होता है, कैंडीडेट किसी का होता है टिकट किसी और का ले लेता है।...

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : गुजरात में एक लाख गांवों में से 18 हजार गांवों में हरिजनों की अलग बस्तियां बसा रहे हैं। हरिजनों को सब के साथ सामूहिक रूप से प्लाट नहीं दे रहे हैं।

श्री जैल सिंह : भाई यह इन्कलाबी बात है, बैठ कर करनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की शुरू-शुरू में कि हर मेम्बर के जो नये-नये पाइंट आये हैं उनको नोट कर लूं और उस पर अपनी टिप्पणी करूं। लेकिन अब इसको छोड़ता हूं।

मैं इन नोटों का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि रिकार्ड तो बन गया है, उससे ले लेंगे और इस बहस का फायदा हम उठायेंगे। मैं अपने सेक्रेटरी इन्चार्ज को कहूंगा कि जब यह तैयार हो जाये तो उसकी कापी रखिये, मीटिंग बुलाइये। जब 3, 4 बार पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हो जाये तो फिर मीटिंग में केवल अपोजीशन पार्टी के लीडरों की जरूरत है, उसके लिये हम इन्कार

नहीं करेंगे। कंसल्टेटिव कमेटीज में सब पोलिटिकल पार्टी होती हैं। हमारी कंसल्टेटिव कमेटी में सभी लीडर आ जाते हैं क्योंकि लीडर यह सोचते हैं कि या तो मैं मेम्बर बनूं होम का या फिर बनूं इंडस्ट्री का।

श्री आर० एन० राकेश : ज्ञानी जी, उत्तर प्रदेश में थाने की नीलामी हो रही, उसको रुकवा दीजिये तो बड़ा कल्याण हो जायेगा।

श्री रामविलास पासवान : आपने हमेशा कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को फोसेज में अधिक से अधिक रिप्रैजेन्टेशन देंगे, लेकिन अभी तक जो सिम्पल कोटा है, वह भी पूरा नहीं हो पाया है। जो सिपाही का कोटा है, उसको तो पूरा करवा दीजिये अपने डिपार्टमेंट में।

श्री जैल सिंह : आप जरा तशरीफ रखिये। यह भी मैंने नोट किया था कि बता दूं, लेकिन हर सर्विस का बताना पड़ता है। हमने यह कह रखा है कि जब तक 25 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग भर्ती नहीं हो जाते, तब तक सिपाही और पटवारी के रैंक में 50 परसेंट कैंडीडेट शामिल करें ताकि उनका कोटा पूरा हो जाये। लेकिन नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसकी चर्चा हो चुकी है।

गृह-मंत्री के नाते मुझे भी अपनी सर्विसेज की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक परसेंटेज है ऐसी छोटी गिनती की माइक्रोस्को-पिक है, लेकिन वह जरूर ख्याल रखता है कि यह कहां से आ गये, चौधरी कहां से बन गये ? कैसे इनको नसीब हो गया, यह कैसे समझते हैं। यह जो भावना सुपीरियोरिटी की है, वह खत्म करनी है, इन्फीरियोरिटी की भावना तो अब खत्म हो रही है, इसीलिये यह कुर्बानियां हो रही हैं।

मैं सबका मश्कूर हूं।

(व्यवधान)

श्री जैल सिंह : मैं एक बात और कह दूं, जो अखबार पढ़कर सुनाये गये हैं, या वैसे इल्जाम लगाये गये हैं, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि उसमें जो बातें कहीं गई थीं, वह सही नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा समाप्त हो गई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी सदस्य को प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

चर्चा समाप्त हो गई है।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा उनकी समीक्षा आदि

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : श्री नरायण दत्त तिवारी की ओर से मैं (एक) खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1980-81 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वार्षिक लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4099/82]

असम राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को असम राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सदन को अच्छी प्रकार से पता है कि राष्ट्रपति द्वारा असम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 19 मार्च, 1982 को जारी की गई उद्घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य विधान मण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत प्रयोग में लाई जाएंगी।

(व्यवधान)

अत: इस विधेयक द्वारा राज्य के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी जा रही है। राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत किसी भी राज्य के सम्बन्ध में ऐसा विधान बनाना एक सामान्य बात है और वर्तमान विधेयक उसी प्रकार का है। इस विधेयक के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में 45 संसद सदस्यों की एक सलाहकार समिति गठित करने का उपबन्ध किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर, राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये कानूनों में रूप भेद करने के लिए संसद को शक्ति देने का उपबन्ध भी किया गया है।

इस विधेयक के ये सीमित पहलू हैं। अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को पास कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति को असम राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता। लेकिन मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

असम में विधान सभा के विघटन से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। शासक दल ने वहां एक अल्पमत वाली सरकार के बैठाने का प्रयास किया और प्रतिपक्ष, जिनका बहुमत था, को सरकार नहीं बनाने दी। उन्होंने सामान्य संसदीय प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उसे नुकसान पहुंचाया। इस तरह उन्होंने प्रथकतावादी तत्वों को पुनः प्रक्रिया को नष्ट करने की छूट दी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उन्होंने 6 मई से फिर आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया है।

अब विधान सभा के विघटन के बाद चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विदेशियों के प्रश्न का कोई हल नहीं है, क्योंकि वार्त्ता पूरी तरह भंग हो गई है। मुझे एक पत्र मिला है—मेरे पास समय नहीं है और मैं इसे पढ़ना भी नहीं चाहता—जिसमें लिखा है कि असम सरकार जानबूझ कर लोगों का निर्वासन शुरू कर रही है जिससे एक नई स्थिति पैदा हो गई है। मुझे नहीं पता कि वे इसमें दखल दे रहे हैं या नहीं। मैं ब्यौरे का इन्तजार कर रहा हूं और जैसे ही यह प्राप्त हो जाएगा मैं इसे माननीय मन्त्री महोदय के पास पहुंचा दूंगा। इन हालातों के अन्दर मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है और हम चुनाव कैसे करा सकते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति शासन लागू किया गया मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि असम में चुनाव करवाये जायेंगे। मैं नहीं समझता कि बिना विदेशी नागरिकों की समस्या सुलझाये चुनाव कैसे कराये जायेंगे, क्योंकि कोई मतदाता सूची तैयार नहीं की जा सकती और चुनाव के लिए वातावरण भी नहीं बनाया जा सकता। संविधान के अनुसार आप, राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रख सकते। यह संविधान के प्रतिकूल होगा। इन हालातों में मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विचार क्या है। हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। कृपया इसे स्पष्ट करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्वी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री समर मुखर्जी के विचारों के बाद, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे सदन को इस बारे में जानकारी दें कि यदि एक वर्ष तक चुनाव नहीं होते तो इससे उत्पन्न संवैधानिक संकट से कैसे निपटा जाएगा। अब जब कि विधान सभा का विघटन किया गया है, वे एक वर्ष से अधिक तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर सकते।

वास्तव में जो समस्या हम सबको करोंद रही है, वह यह नहीं कि कौन सरकार बनाएगा। मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा समस्या को सुलझाने के लिए किये गए प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं समझता हूं कि स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार का मुख्य कार्य चुनाव करवाना और इसके लिए मतदाता सूची तैयार करना होना चाहिए। मूल मुद्दों पर भी मतभेद है, 4-5 माह पहले मैं गौहाटी में था। मैंने गौहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों को सम्बोधित किया था। मुझे यह जान कर हैरानी हुई कि 1935 के नागरिकता अधिनियम के

अधीन भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक बन जाता है, चाहे उसके माता-पिता वहीं के हों, चाहे जायज या नाजायज प्रवासी हों। कोई भी उनकी नागरिकता छीन नहीं सकता। इससे समस्या और भी कम हो जाती है। यह आवश्यक है कि लोगों को कुछ बुनियादी बातें बताई जाएं और आन्दोलनकारियों को यह समझाया जाये कि उनका भविष्य चुनाव कराने और ऐसी सरकार स्थापित करने में है, जो उनकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगी। उनका अपना प्रतिनिधित्व होगा, और मैं समझता हूं कि सरकार आने वाले दिनों में, इस पर ज्यादा ध्यान देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे रचनात्मक रुख अपनायेंगे तो प्रतिपक्ष वालों का भी सहयोग मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मुझे इस विषय में और कुछ नहीं कहना है। तथ्य यह है कि हम इन वार्ताओं से सम्बन्धित रहे हैं जो कि अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा गण संग्राम परिषद के साथ हुई हैं तथा वार्ता का अन्तिम दौर असफलता एवं गतिरोध में समाप्त हुआ है। तत्पश्चात, हमें इसका कोई अनुभव नहीं है तथा इसका कोई संकेत नहीं दिया गया है कि सरकार क्या सोच रही है। सदन में मेरे मित्रों ने यह बात उठाई है कि हम इस प्रकार अनिश्चितता की स्थिति में अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते क्योंकि देर-सवेर हमें संवैधानिक गत्यावरोध का सामना करना पड़ जाएगा। फिर सभी चाहते हैं कि सामान्य स्थिति पुनः स्थापित की जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं सोचता कि विदेशियों का यह प्रश्न इतनी आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन, जैसा कि यह है, यह मामला विदेशियों की परिभाषा करके तथा हम उन लोगों की पहचान किस प्रकार करें आदि जैसे प्रश्नों पर, जिन पर कि अभी तक हम कोई समझौता करने में असफल रहे हैं, समझौता करके हल नहीं किया जा सकता। क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार असम में चुनाव कराने पर गम्भीरता से विचार करेगी? चुनाव होने ही चाहिए। हम कई हफ्तों और महीनों से 1961 तथा 1962 की मतदाता सूचियों के बारे में कहते रहे हैं। लेकिन मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि असम में अन्तिम चुनाव कुछ मतदाता सूचियों के आधार पर 1977 तथा 1978 में हुए थे जिन्हें उस समय कोई चुनौती नहीं दी गई थी। उस समय किसी ने नहीं कहा कि इन मतदाता सूचियों में उन लोगों के नाम हैं जो कि नागरिक नहीं हैं और विदेशी हैं। केवल चार वर्ष पूर्व 1978 तक चुनाव शान्ति पूर्वक सम्पन्न हुए। प्रश्न यह है कि हम इसे चाहते हैं या नहीं, इस स्थिति को ऐसी स्थिति में बदलना होगा जिसमें चुनाव कराये जा सकें। इसे असम के लोगों को और अच्छी तरह स्पष्ट करना होगा। मैं समझता हूं कि आंदोलन में अब वह ताकत नहीं रह गई है। इस विषय कोई शंका नहीं है। लेकिन, उसी समय, एक प्रबल भावना है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इन वर्षों में चल रहे इस आंदोलन से, लोगों के अनुभवों से यह भावना विकसित हुई है कि किसी न किसी रूप में उनका अस्तित्व खतरे में है, आदि। कभी-कभी उन्हें अतिशयोक्तियुक्त बातें भी बताई जाती हैं। लेकिन हमें सरकार तथा विरोधी दलों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। मेरे विचार से यह ऐसा मामला है जिस पर हमें एक हो जाना चाहिए तथा ऐसे उपाय तथा तरीके सोचने चाहिए जिससे असम के लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जा सके। मैं इस पर सहमत नहीं हूं कि असम में नेतृत्व का एकाधिकार इन दोनों संगठनों को ही दे दिया जाए, कि अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा गण संग्राम परिषद के अलावा अन्य कोई भी असम के लोगों की ओर से नहीं बोल सकता।

वहां अन्य दल भी हैं, अन्य ताकतें हैं, अन्य लोग भी हैं। वहां विभिन्न अल्पसंख्यक लोग तथा असमी लोग भी हैं, जोकि मैं समझता हूं महीनों तक के लम्बे समय तक चले इस आंदोलन के पश्चात जिसका कि राज्य के जीवन पर, लोग के सामान्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, सुनने को तैयार हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि अब सरकार का क्या करने का इरादा है। सरकार किस प्रकार इस मामले पर विचार कर रही है? जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है? मुझे और कुछ नहीं कहना है क्योंकि, थोड़े समय के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि असम के सम्बन्ध में विधान बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया जाए। संविधान के अनुसार आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन खण्ड 2 में आपने उपबन्ध किया है :

> "इस प्रकार के किसी अधिनियम को अधिनियमित करने से पहले, राष्ट्रपति, जब कभी भी ऐसा करना व्यावहारिक समझें, असम के लिए सलाहकार समिति से परामर्श करेंगे।"

जब आप इस प्रकार का उपबन्ध कर रहे हैं तो, संसद इस पर इतना अधिक समय खर्च करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि सदन की बैठक न हो तथा वह अपने सामान्य कार्य को भी नजर अन्दाज कर इस पर ही ध्यान नहीं दे सकता तथा इसलिए, राष्ट्रपति को अधिकार दे दिये जाने चाहिए, कम से कम हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि विद्यार्थी प्रस्ताव के हर मामले में, इस सलाहकार समिति की सलाह अवश्य ली जाए।

इस खण्ड में यह शर्त क्यों रखी गई है कि "जब भी कभी वह ऐसा करना व्यवहार्य समझे।" इसका अर्थ है कि इसमें ऐसे दृष्टांत भी बहुत से हो सकते हैं जब परामर्शदात्री समिति से परामर्श इस आधार पर नहीं लिया जाए कि समिति से परामर्श करना व्यवहार्य नहीं है। जो भी है, संसद को इस मामले में न्यूनाधिक रूप से यथा स्थिति से अनभिज्ञ रखा जा सकता है। तो भी परामर्शदात्री समिति से सलाह लेने से कतराना नहीं चाहिए। यह कोई इतनी बड़ी समिति नहीं होगी कि जब भी कभी आवश्यकता पड़े उससे परामर्श लेना कठिन हो।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : उसमें 45 सदस्य हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : तब इससे क्या फर्क पड़ता है, आप कम सदस्यों की समिति भी बना सकते हैं। मेरे विचार से यह खामी नहीं रहने देनी चाहिए जिससे कि हमेशा समिति से बचने का प्रलोभन बना रहे। मेरी राय में ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। कृपया इस पर विचार करें। मैं नहीं जानता कि आपने यह प्रतिबन्धक खण्ड क्यों रखा है। जैसा कि श्री लास्कर कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि क्योंकि यह 45 सदस्यीय समिति है, हो सकता है कि समय-समय पर इसे नकारते रहना अधिक सुविधाजनक हो।

श्री निहार रंजन लास्कर : यह बात नहीं है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : कृपया हमें इस सम्बन्ध में कोई आश्वाशन दें और हमें यह जानकारी दें कि इस समय उत्पन्न गतिरोध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सम्पूर्ण मामले में आपका क्या विचार है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मेरे विचार से आसाम में चुनाव के प्रश्न को छोड़ कर सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की है या कम से कम इस सदन में प्रश्नों व उत्तरों और आसाम बजट और उद्घोषणा के माध्यम से इस पर कई बार चर्चा की जा चुकी है।

जहां तक चुनाव का संबंध है—आसाम में चुनाव होंगे और वह भी अगले नौ या दस महीनों के अन्दर, इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, हम आसाम समस्या का उपयुक्त हल निकालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने वार्ता के बहुत से दौर शुरू किए। अब भी वार्ता तोड़ी नहीं गई है। हम आशा कर रहे हैं कि अगले माह किसी समय अगली वार्ता होगी जिससे हम परस्पर-वार्ताओं के माध्यम से ही इस समस्या का उपयुक्त समाधान निकल सकें। हमें उम्मीद है कि संभवतः बहुत शीघ्र ही आसाम समस्या का उपयुक्त समाधान मिलने की संभावना बनेगी और सभी मसले हल हो जाएंगे।

चुनाव के लिए हमें बहुत सी ऐजेंसियों जैसे चुनाव आयोग और अन्य से परामर्श करना है। इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ महीने लग जाएँगे, परन्तु हम यह आशा कर रहे हैं कि ये मसले तय कर लिए जाएँगे और आसाम में उचित तरीके से चुनाव कराए जाएँगे।

समिति के बारे में मैं उन्हें यही आश्वासन दे सकता हूं कि परामर्शदात्री समिति का यह प्रावधान हमने जानबूझ कर रखा है : यह स्वभाविक है कि सभी विधेयक परामर्शदात्री समिति के समक्ष आएंगे, मैं माननीय सदन को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं।

मैं इन शब्दों के साथ सदन से इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि राष्ट्रपति को आसाम राज्य के विधानमंण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगा।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री धर्मवीर द्वारा 29 अप्रैल, 1982 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :

"कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

श्री अजय विश्वास

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक···

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो ही कहें। आप इसके लिए बाध्य नहीं हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : महोदय, उन्होंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कोई भाषण नहीं दूंगा। लेकिन मैं चार-पांच बातें मंत्री जी के समक्ष उनके विचारार्थ रखना चाहता हूं···।

श्री भगवत झा आजाद : भविष्य के लिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे बारे में आपकी धारणा यह है कि हम तो आपकी बात मान ही लेंगे क्योंकि वायदे के अनुसार आपने हमारे साथ अथवा यूनियनों के साथ किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया और न ही आपने भारतीय श्रमिक सम्मेलन की ही प्रतीक्षा की··· (व्यवधान) मैं जानता हूं कि आप इस तथ्य से बहुत अधिक संतुष्ट हैं कि आप जीवन-निर्वाह भत्ता दिये जाने का उपबन्ध शामिल कर रहे हैं। निःसन्देह यह एक अच्छी बात है और सिद्धांततः यह स्वागत योग्य है। यद्यपि मैं इस बात को नहीं समझ सका हूं कि निलम्बित श्रमिक को जिसे दोषी या निर्दोष साबित करने के लिए जांच की जाती है, उसे पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? जुर्माने के रूप में उसकी मजदूरी में भी कटौती क्यों की जानी चाहिए? उसे पहले ही जुर्माना पड़ रहा है यद्यपि इस बात को सिद्ध नहीं किया गया है कि क्या उस पर लगाए गए आरोप सत्य सिद्ध हुए हैं या नहीं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी कहेंगे कि पहले उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था जबकि अब उसे 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत वेतन मिलेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं। जब इतने

वर्षों बाद यह संशोधन विधेयक लाया गया था---मेरे विचार में 1946 के बाद यह पहला संशोधन विधेयक इस बारे में रखा गया है—तो इस अवसर का उपयोग इस अधिनियम की कुछ कमियों को दूर करने के लिए किया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर कोई नियोक्ता अपने उद्योग में स्थायी आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। आदर्श स्थायी आदेश को भी अपने उद्योगों में लागू करने के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं हैं। इसका परिणाम क्या है ? हमें बार-बार बताया जाता है कि मजदूर संघ केवल अधिक वेतन-भोगी कर्मचारियों की ही चिंता करते हैं। परन्तु मैं पूछता हूं कि छोटे लोगों को क्यों छोड़ दिया जाता है। यह अधिनियम अपने वर्तमान रूप में केवल उन्हीं उद्योगों पर लागू होता है जिनमें कम से कम 100 श्रमिक काम करते है। बहुत से ऐसे छोटे-छोटे कारखाने हैं जहां 100 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। उन कारखानों में शोषित श्रमिक काम करते हैं। वहां कोई सेवा-शर्तें, स्थायी आदेश और कोई विनियम लागू नहीं होता। ऐसे स्थानों पर स्थायी आदेश विनियम, सेवा शर्तों को लागू करना अति आवश्यक है। उन्हें ही इस विधेयक के उपबन्धों से छूट दे दी गई है। इस अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया जा सकता था और इस का अधिकार-क्षेत्र बढ़ाया जा सकता था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी ने इन बातों की अनदेखी क्यों कर दी है।

दूसरे, यह भी सच है कि वर्तमान स्थायी आदेशों की अवहेलना करने पर कोई दण्ड दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हें एक उदाहरण दूंगा। पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख पटसन उद्योग में स्थायी आदेश लागू हैं। इन स्थायी आदेशों के अनुसार—यह वहां लिखा हुआ है—बदली श्रमिक वह श्रमिक है जो किसी अनुपस्थित स्थायी श्रमिक की जगह अस्थायी तौर पर कार्य करता है। स्थायी श्रमिक बीमार होने पर छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है और उ की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति बदली श्रमिक कहलाता है—ऐसा पटसन उद्योग के स्थायी आदेश में लिखा हुआ है। पटसन उद्योग में इस प्रकार के हजारों श्रमिक काम करते हैं ...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कपड़ा उद्योग में भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां कपड़ा उद्योग में भी। वे महीनों, वर्षों तक इसी प्रकार से स्थायी रिक्तियों पर काम करते रहते हैं उन्हें बदली श्रमिकों की ही श्रेणी में रखा जाता है। यह स्थायी आदेशों की भारी अवहेलना है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि वर्षों से हम इस बात को सुधारने में असफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हड़तालें बहुत हुई हैं और हम कुछ नहीं कर सके हैं। इन स्थायी आदेशों ने कभी हमारी सहायता नहीं की और सरकार ने भी इस मामले में श्रमिकों की कोई सहायता नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थायी आदेशों के अधीन किसी श्रमिक को अनिश्चित काल तक निलम्बित रखना सम्भव है ? क्या कोई नियोक्ता आंतरिक जांच होने तक किसी श्रमिक को एक वर्ष तक, या दो वर्ष तक या तीन वर्ष तक या अनिश्चित अवधि तक निलम्बित रख सकता है ? इन स्थायी आदेशों में इस की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आदर्श स्थायी आदेशों में भी इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। बंगाल में बंगाल पाटरीज एक बड़ी कंपनी है

जिसके प्रबन्धक निदेशक श्री भगत हैं। वह नई दिल्ली में सत्ता धारी दल के लोगों में काफी लोकप्रिय हैं और यहां बहुधा आते रहते हैं। उन्होंने आधा दर्जन कामगारों को निलम्बित कर दिया है क्योंकि उन्हें यूनियन की बात पसन्द नहीं हैं निःसन्देह उन्होंने उनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच होनी है। अभी तक जांच नहीं हुई है और कामगार लगभग ढाई वर्ष से निलम्बित हैं। क्या इसकी अनुमति है। किन स्थाई आदेशों के अन्तर्गत इसकी अनुमति है। अनिश्चित काल तक के लिए निलम्बन की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती। इसकी कोई निश्चित समय सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर जांच पूरी हो। उसके पश्चात ही आप किसी व्यक्ति को दोषी अथवा निर्दोष कह सकते हैं।

किन्तु स्थाई आदेशों में इस प्रकार की बातों के लिए किसी अनिवार्यता की व्यवस्था नहीं है। इसमें ये बड़ी कमियां है। यह एक अवसर था जबकि इस संशोधन विधेयक में कुछ कमियों को दूर किया जा सकता था किन्तु दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं किया गया है।

महोदय, मैं एक दूसरा मुद्दा भी उठाना चाहता हूं। यहां पर एक शब्द "समुचित सरकार' प्रयोग हुआ है। "समुचित सरकार" की परिभाषा क्या है ? क्या इसका उल्लेख केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक विचारों के संदर्भ में किया गया है। 'केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन' से क्या अभिप्राय है ? इस समय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन "समुचित सरकार" की परिभाषा इस प्रकार से नहीं की गई है। कुछ ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनके एकक देश के विभिन्न भागों में हैं।

उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अथवा किसी ऐसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम को ले जिसके एकक विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। यदि वहां पर कोई औद्योगिक विवाद होता है तो वह केन्द्रीय सरकार की चिन्ता का विषय नहीं होता है। संबंधित राज्य सरकार ही उन औद्योगिक विवादों को निपटाएगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है। स्थाई आदेश अधिनियम में आपने बताया है कि यदि कोई औद्योगिक संस्थान केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं, तो उस मामले में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार कहलाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ ? मुझे इस बात में स्पष्ट नहीं हुआ है। कोयला खाने, पत्तन और गोदी, बैंक और कुछ अन्य संस्थान सीधे केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक उपक्रमों की जिनके एकक विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, क्या स्थिति है ? भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स जैसे उपक्रमों में से किसी के संबंध में भी समुचित सरकार कौन है ? यह केन्द्रीय सरकार होगी अथवा वह राज्य सरकार जिसमें वह उपक्रम विशेष स्थित है ? क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकार का एक अर्थ है और इस अधिनियम के लिए इसका दूसरा अर्थ है। इसमें बहुत सी विसंगतिया हैं। मेरे विचार में, मंत्रालय द्वारा इस पर थोड़ा और विचार होना चाहिए। जब सरकार छत्तीस वर्ष पश्चात इस संशोधन विधेयक को लायी है, तो इस पर थोड़ा और विचार होना चाहिए था कि इस संशोधन को किस प्रकार उचित रूप में तैयार किया जाए ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। आपने मजदूर संघों के साथ कभी भी विचार विमर्श करने का प्रयत्न नहीं किया।

अब मंत्री महोदय एक मात्र रूप से एक ही तथ्य को ले रहे हैं। जीवन निर्वाह भत्ते के संबंध में बात बहुत अच्छे तरीके से कही गई है। जहां तक इस भत्ते की बात है यह बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं जानता कि एक गरीब व्यक्ति को, जिसे निलम्बित किया गया है, जो जाँच के बाद निर्दोष सिद्ध होता है और जो उस पर लगाए गए दोषों से मुक्त कर दिया जाता है, इसी दौरान वेतन में 25 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत की हानि उठानी चाहिए? जब तक उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक उसके वेतन में कटौती क्यों की जानी चाहिए? महोदय, इसके अलावा यह कहा गया है कि खण्ड 10 क (1) (ख), के अन्तर्गत एक मजदूर को 75 प्रतिशत की दर से उसके निलम्बन की बाकी अवधि के दौरान अदायगी की जाएगी, यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूरा होने में देरी के लिए इस मजदूर का आचरण प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी न हो। पर मान लो, अनुशासनात्मक कार्यवाही में देरी नियोजकों की गलती से ही होती है। तब क्या होगा? उसे शत प्रतिशत वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैंने आपको बंगाल पाटरीज का उदाहरण दिया है जहां कि प्रबन्धक जान-बूझ कर न तो जांच करवा रहे हैं और न ही निलम्बन आदेश वापिस ले रहे हैं। दो अथवा ढाई वर्ष के लिए लोग निलम्बित रहे और उनका 25 प्रतिशत वेतन कटता रहा। यह किस कारण हुआ? जब किसी मजदूर ने कोई अपराध नहीं किया तो उस पर वेतन की कटौती के रूप में यह आन्तरिम जुर्माना क्यों लगाया जाए। इस प्रकार, आप एक हाथ से जो दे रहें हैं उसे दूसरे हाथ से ले रहे हैं।

इसीलिए मुझे बहुत निराशा हुई है क्योंकि यह विधेयक बहुत समय बाद आया है। इसे सही और अनुकूल रूप से संशोधित किया जा सकता था। चूंकि मंत्री महोदय यह दावा करते हैं कि वे हमेशा मजदूरों का पक्ष लेते रहे हैं,, इसलिए इस कार्य को और बेहतर ढंग से किया जा सकता था। मुझे मालूम है कि राज्य सभा ने इस संशोधन करने वाले विधेयक को पास कर दिया है, इसलिये उन्हें इसे यहां भी पारित कराने की जल्दी है। परन्तु ऐसी चीजें जल्दी में नहीं की जानी चाहिये। इन मामलों के संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी अपनी राय दे दी है। यह उपयुक्त समय है जब इन सभी बातों को एक व्यापक कानून में सम्मिलित कर लिया जाये, लेकिन हम एक एक बात अलग-अलग लेकर कानून बना रहे हैं एक दिन औद्योगिक विवाद विधेयक लाते हैं, दूसरे दिन स्थायी आदेश नियोजन विधेयक आदि-आदि। इसके बाद उन्होंने एक और विधेयक परिचालित किया है, वह है-व्यापार संघ अधिनियम संशोधन विधेयक। इस प्रकार हम सम्पूर्ण समस्या के संबंध में कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं बना सकते। इसलिए, मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इन सब मामलों पर एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए और इन विधेयकों को इस प्रकार से जल्दी में पारित कराने का प्रयास नहीं करना चाहिये। धन्यवाद

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : एक बात जो उन्होंने कही है उसका महत्व समझा जाना चाहिए, परन्तु फिर भी उन्होंने इसके महत्व को कम किया है। जो कुछ हमने किया वह इस प्रकार है : हमने इस विधेयक में से कुछ निकाला नहीं है। परन्तु हमने इस विधेयक में कुछ-न-कुछ जोड़ा है। माननीय सदस्य के अनुसार क्या इसमें और कुछ जोड़ा जाना है, हमने इस विधेयक में से निकाला कुछ नहीं है परन्तु हमने यह कहा है कि अब तक, इस विधेयक के पास होकर अधिनियम बनने तक, निलम्बित किये गये श्रमिक को निलम्बन अवधि

के दौरान उसके वेतन का 50% मिलता है। मैं इस विधेयक में यह कर रहा हूं कि 90 दिन तक उसे 50% मिलेगा परन्तु उसके बाद उसे 75% मिलेगा। प्रश्न यह है कि उसे 100% क्यों न मिले ? महोदय, सरकार को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना है। सरकारी कर्मचारी को जिसे निलम्बित किया जाता है, अधिकतम 75% वेतन मिलता है। इसलिए, मैंने यह किया है। इन श्रमिकों से सम्बन्धित एक असमता वाली बात में सुधार कर दिया है और इसे 75% तक कर दिया है। उन्होंने व्यापक विधेयक के बारे में कहा है। व्यापार संघों के साथ कम से कम इस औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में हम इन सब मामलों में जल्दी नहीं करते। यह सही है कि हमें व्यापार संघों के साथ परामर्श करना चाहिए और उनका मतैक्य प्राप्त करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे लिए श्रम मंत्रालय में जब कभी कोई मामला चर्चा के लिए आया, कभी भी पूर्ण मतैक्य नहीं हुआ। अब, यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब तक श्रमिकों को केवल 50% मिलता रहा है। शायद संसद को अब तक समय नहीं मिला और यह प्रावधान 1973 से ज्यों का त्यों पड़ा है। जबसे मैंने पद भार संभाला है, मैंने यह किया कि मैंने इसके एक पहलू को जल्दी से निर्धारित करा लिया और इस संशोधन को सदन के समक्ष लाया हूं। एक व्यापक विधेयक लाने की मांगें हमसे प्रायः की जाती हैं। इस मामले पर मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। व्यापक विधेयक के लिए मेरे मित्रों को सभापटल तक लाने में और उन्हें समझाने में बहुत वर्ष चाहिएं, क्योंकि वे सहमत नहीं होते। विशेष मामलों पर, और 100 में से 4 खण्डों पर भी, मतभेद हो तो वह संसद के माध्यम से कभी पारित नहीं जा सकता और कभी भी अधिनियम नहीं बन सकता। इसलिए, इस सम्बन्ध में मैंने निश्चय किया है। यह श्रमिक विरोधी नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों के पक्ष में है। यदि मैं सदन में एक भी अच्छा प्रावधान भी पास करा सकूं तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। इसलिए इस विधेयक द्वारा कम से कम एक प्रावधान कर रहा हूं, यदि दूसरा नहीं जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है।

बदली मजदूरों के संबंध में, उन्होंने कहा है कि, वस्त्र तथा पटसन उद्योग में, 25% श्रमिक हमेशा अनुपस्थित—नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए हमें वस्त्र और पटसन उद्योग दोनों में बदली श्रमिकों के संबंध में व्यवस्था करनी है। उन्हें स्थायी श्रमिकों की भांति ही वेतन और विशेषाधिकार मिलते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि वस्त्र तथा पटसन उद्योग श्रमिकों के बाहुल्य वाले उद्योग हैं। क्या माननीय सदस्य यह कहते हैं कि क्योंकि 25% श्रमिक हमेशा अनुपस्थित रहते हैं और वहां बदली श्रमिक भी हैं, इसलिए वस्त्र और पटसन उद्योग को हमेशा 125% श्रमिक स्थाई रूप से रखने चाहिएं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मिल मालिकों का पक्ष क्यों ले रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या आप मिल मालिकों का पक्ष नहीं ले रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 25% अनुपस्थित श्रमिकों के बारे में कोई बात नहीं करता।

श्री भगवत झा आजाद : आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मिल मालिकों के साथ आपके स्वार्थ जुड़े हुए हैं। आप यहां तो श्रमिकों की बातें करते हैं और वहाँ मिल मालिकों के साथ मिलकर सांठ-गांठ करते हैं। मैं एक गरीब अदमी हूं और मैं मिल मालिकों की परवाह नहीं

करता । परन्तु आप उनकी परवाह करते हैं । आप अब देख रहे हैं जो कुछ पश्चिमी बंगाल सरकार मिल मालिकों के लिए कर रही है । वहां 13 तालाबंदियां हुई और पश्चिमी बंगाल की मार्क्सवादी साम्यवादी दल की सरकार इसे माननीय सदस्य की सहायता से भी हल नहीं कर सकी । इसलिए, उन्हें मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए । मैं मिल मालिकों का समर्थक कभी भी नहीं रहा । इसलिए उन्हें मुझ पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए और यदि वे मुझ पर आरोप लगाते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि वे मिल मालिकों के समर्थक हैं, क्योंकि वे संसद में कुछ कहते हैं और इसके बाहर कुछ और । उन्हें मिल मालिकों के पक्ष की बात क्यों करनी चाहिए ? मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा । (व्यवधान) मैं सच कह रहा हूं । वास्तविकता यह है कि वस्त्र और पटसन उद्योग को 25% अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है क्योंकि वहां श्रमिक स्थाई रूप से अनुपस्थित रहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितने प्रतिशत लोगों को वर्षा तक 'बदली' श्रमिकों के रूप में रखा जाता है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अस्थाई रिक्तियों में नहीं बल्कि स्थाई रिक्तियों में—

श्री भागवत झा आजाद : हां, मुझे इसका पता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर आप मिल मालिकों का पक्ष क्यों ले रहे हैं । हर व्यक्ति इस बात को जानता है ।

श्री भागवत झा आजाद : यह एक बहुत ही सीधी बात है । बदली श्रमिकों की नियुक्ति अनुपस्थित स्थायी श्रमिकों के स्थान पर की जाती है । जैसे ही वे त्यागपत्र देते हैं वैसे ही पद रिक्त हो जाते हैं और उन्हें पुनः भर लिया जाता है । यह एक सरल सी पद्धति है । आपके चीखने मात्र से ही मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर लूंगा । यदि आप श्रमिकों के पक्षधर हैं तो मैं भी समझता हूं कि श्रमिक एवं श्रमिक नेता क्या होते हैं । आप संसद में वोट और राजनीति के लिए उनके पक्ष में दलीलें देते हैं और संसद के बाहर केरल और पश्चिम बंगाल में आप मिल मालिकों के लिए यह सब करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार गरीब श्रमिकों के हित में, तालाबन्दी को समाप्त नहीं करा सकी । यदि आप चाहें तो उसी पटसन उद्योग का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । हम सीधे-सादे व्यक्ति हैं और मेरे हृदय में भी यही बात है परन्तु वे दोहरी नीति पर चलते हैं । कम्यूनिस्ट मित्रों को सरकार पर आरोप नहीं लगाने चाहिएं जबकि वे "स्वयं शीर्ष के मकानों में रहते हैं ।" मैं भी उनके लिए दोहरी नीति अपनाता हूं । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इन भद्र पुरुष से अधिक व्यवहारिक हूं । उन्होंने केवल कुछ सौ वर्ष पूर्व बनाये गए मार्क्सवादी सिद्धांतों को ही सीखा है । परन्तु वे वर्तमान समय को नहीं जानते जो श्रमिकों के पक्ष में हो गया है । वे अन्दर ही अन्दर कुछ करते रहते हैं । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक श्रमिकों के लिए लाभप्रद है । मैंने कोई नई बात नहीं की है । सरकारी कर्मचारियों को निलंबन की स्थिति में 75% वेतन मिलता है । मैंने श्रमिकों के लिए भी निलम्बन की स्थिति में 75%

वेतन दिए जाने की व्यवस्था इस विधेयक में की है। अब तक उन्हें 50 प्रतिशत वेतन मिलता था। आप पूछेंगे शत प्रतिशत क्यों नहीं ? मैं उस सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं केवल दो राज्यों ने ऐसा किया है। अधिकांश राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर पायी हैं। अतः मैं वही कर रहा हूं जिसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों में भी है। शायद माननीय सदस्य दूसरे उपबन्धों को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहें। उनके बारे में क्या किया जा सकता है, इस विषय में भविष्य में सोचा जायेगा। वह चाहते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम, नियोजन सम्बन्धी स्थायी आदेश और इस प्रकार के सभी अधिनियमों को मिलाकर एक वृहत्त विधेयक बनाया जाये। ऐसा संभव नहीं है। विभिन्न मुद्दों पर हम कानून बना चुके हैं। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। आप पहले मजदूर संघों से सम्बद्ध रह चुके हैं। श्रमिकों के बारे में कई अधिनियम हैं। जब कभी भी अवसर आयेगा हम ऐसा करेंगे क्योंकि एक वृहत्त विधेयक बनाने के स्थान पर, जिसमें सभी मुद्दों पर एकमत होना कठिन है, श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ देना चाहिए जितना कि मैं दे सकता हूं और सरकार दे सकती है। अतः हम यह विधेयक सदन में रख रहे हैं। मुझे आशा है कि उनके रोष एवं विचारों के बावजूद माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 से 9 तक विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 9 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकें 3, 4, 5 और 6 मई, 1982 को भी होनी निश्चित हुई थीं । लेकिन...

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसी बीच, मैं आपको बता दूं कि विशेषाधिकार का मामला लम्बित पड़ा है ।

श्री रामविलास पासवान : (हाजीपुर) महोदय, आज मैंने श्री वेंकट सुब्बय्या के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सभा का निर्णय है कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाये । परन्तु विसर्जित होने से पूर्व, मैं इस सदन के अपने मित्रों, सहयोगियों, माननीय सदस्यों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष के रूप में अपना कर्त्तव्य निभाने में मेरी बहुत अच्छे ढंग से सहायता की । मैं वास्तव में आपका आभारी हूं ।

22.05

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6